

राजकमल वर्ष-बोध

सम्पादक : श्री प्रकाश

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।
मुद्रक : गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली ।

मूल्य पांच रुपये
पुस्तकालय संस्करण छः रुपये

“सारी दुनिया के इतिहास में केवल एक यही क्रांति है जो बिना खून बहाए हुई है ; और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं एक ही पुरुष के— एक छोटे-से पुरुष के—जो आज के दिन, यह दिन जो उसीने दिखाया है, हिन्दुस्तान के दूरस्थ छोटे-से कोने में बैठकर उन लोगों के आंसू पोंछ रहा है जो अपने को आज हमसे बिछुड़ा समझते हैं । महात्मा गांधी, अहिंसा का हमारा देवता, हमारी विजय का सेनानी, उसने बुराई को जीतने की हमें नई राह सुझाई है । उसकी पताका पर अहिंसा के सिवाय कोई दूसरा चिह्न नहीं था । उसकी सेनाओं के पास आत्म-बलिदान और तपस्या के अतिरिक्त कोई दूसरा अस्त्र नहीं था ।

“हमने विश्वास और आशा और परमार्थ की उस लय पर कूच किया जो उन अनधिकारियों के सब अपराधों को, जिन्होंने कि बिरकाल से हमारे देश को नष्ट-भ्रष्ट किया है, क्षमा कर देती है । हमने उसी एक का धन्यवाद करना है—उस अपने नेता का, जिसका जीवन अपने देश की जनता के प्रेम में सदैव अर्पित है, जिसका जीवन अनित्य-अमर हो चुका है, जिसने कि अपने प्रेम, सत्य और अहिंसा के सन्देश में सभ्यता की एक नई नींव रखी है जिस पर आने वाले समय में संसार-मात्र आश्रित रहा करेगा ।”

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जनपदों को :

न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक;

स्वतंत्रता—विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और उपासना की;

समता—प्रस्थिति की ओर अवसर की; प्राप्त कराने, तथा उन सब में,

बंधुता—जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो,

वर्धन करने, के हेतु, कृतदृढ़ संकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख.....मई १९४८ ई., को इसके द्वारा इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अधिनियम (ऐक्ट) का रूप देते हैं, और अपने आपको अर्पण करते हैं।

सम्पादक के दो शब्द

स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद हिन्दुस्तानने तरक्की की जिस दिशा की ओर बढ़ना है, उसके लिए आवश्यक है कि देश की जनता अपने देश की समस्याओं से और सम्पूर्ण भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विवरण से परिचित हो। अपने देश से एक जीवित सामीप्य की भावना, इसकी उन्नति के लिए उतावलापन, इसी परिचय के बाद सम्भव है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 'राजकमल वर्ष-बोध' का सम्पादन किया गया है।

प्रयत्न किया गया है कि वर्ष-बोध में देश के सभी प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाय। लेकिन फिर भी कई प्रश्न छूट गए हैं। इन प्रश्नों पर अंग्रेज़ी भाषा के पुराने प्रकाशनों की सहायता से कुछ लिखा तो जा सकता था लेकिन सम्पादक की इच्छा रही है कि इस वर्ष-बोध में जो भी कुछ छुपे वह अधिकृत स्रोतों से ही लिया जाय। केवल एक-दो अध्यायों को छोड़कर (हिन्दुस्तान व पाकिस्तान, वैधानिक व दैनिक इतिहास) सभी वृत्त प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार के प्रकाशनों के आधार पर लिखे गए हैं। इसलिए जिन विषयों पर वर्तमान काल में छुपे अधिकृत प्रकाशन नहीं मिले (बैंक, सहकारी आंदोलन आदि), उन्हें इस वर्ष छोड़ ही दिया गया है।

सम्पादक केन्द्रीय सरकार के उन विभागों का, उन प्रान्तीय सरकारों का व उन सब संस्थाओं का आभारी है जिन्होंने मांगने पर अपने प्रकाशन, रिपोर्टें व विस्तृत समाचार सम्पादक को भेजे। मुझे युक्तप्रान्त की सरकार के मुख्य पालियामेंटरी सेक्रेटरी श्री गोविन्दसहाय के प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकाश करना है जिनसे वर्ष-बोध का सम्पादन करने की मुझे मूल प्रेरणा मिली। भाई वृजलाल भाटिया का भी

मुझे धन्यवाद करना है जिन्होंने कि वर्ष-बोध में छपी तालिकाओं और आंकड़ों की शुद्धता देखने का भार अपने ऊपर लिया ।

यदि देश के भविष्य के निर्माताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अथवा देश की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक दशा के विद्यार्थियों को इस वर्ष-बोध से कुछ भी सहायता मिली तो सम्पादक अपने श्रम को सफल समझेगा ।

श्रीनगर

ओंप्रकाश

१ जनवरी, १९४६

विषय-सूची

देश और जनता	१
आजादी की राह पर	१
देश के बंटवारे की योजना	२०
हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा	३७
देशी रियासतें	५२
जूनागढ़	...	६६
हैदराबाद	७२
काश्मीर	७८
रियासती संघों के मंत्रिमंडल	८१
स्वाधीन भारत का पहला बजट	११
हिन्दुस्तान का स्टर्निङ्ग पावना	१७
महात्मा जी का मजदूरों के प्रति प्रवचन	१०२
उद्योग सम्मेलन	...	१०२
सरकार की औद्योगिक नीति	१०५
ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास	१०९
गरीबी और मंहगाई	...	१३६
देश के उद्योग-धन्धे	१४८
हिन्दुस्तान में खेतीबारी	...	१८७
सिंचाई और बिजली की नई योजनाएं	२०८
पशुधन	२१६
प्रमुख नगर	२२४
अखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं	२२८
हिन्दुस्तान के बन्दरगाह	२४२

बीमा	२४५
रेडियो	२५७
शिक्षा	२६२
स्वास्थ्य	२७०
विदेशों में हिन्दुस्तानी राजदूत	२७५
हिन्दुस्तान में विदेशी राजदूत	२७७
विदेशों में हिन्दुस्तानी व्यापार-दूत	२८३
हमारे पड़ोसी	२८६
यातायात के साधन	२०८
हिन्द की विदेशिक नीति	३२१
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान	३२४
प्रांतीय प्रगति	३३३
आसाम	३३४
उड़ीसा	३४१
पश्चिमी बंगाल	३४५
पूर्वी पंजाब	३६२
बम्बई	३७०
विहार	३७६
मद्रास	३७४
मध्यप्रान्त और वरार	३८४
युक्त प्रान्त	४००
हमारी सेना	४११
दैनिक इतिहास	४१५

देश और जनता

१५ अगस्त १९४७ को जन्म लेने वाले हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल १२,२०,०६६ वर्गमील था और आबादी (अनुमानित) ३३ करोड १७ लाख । जिस अनुपात से आबादी में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से १९४८ में हिन्दुस्तान की जनसंख्या ३३ करोड ७० लाख [के लगभग होगी ।

अविभाजित हिन्दुस्तानकी आबादी (१९४१ में) ३८,८६, आबादी ६७,६५५ और इसका क्षेत्र १५,८१,४१० वर्गमील था । पिछले १० वर्षों से प्रतिवर्ष आबादी में १.५ प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी । १८८१ से इस वृद्धि का हिसाब इस प्रकार है :

वर्ष	संख्या (हजारों में)	वृद्धि का प्रतिशत	कम वृद्धि का कारण
१८८१	२५,०१,२५	
१८९१	२७,६५,४८	६.०	
१९०१	२८,३८,२७	१.४	अकाल
१९११	३०,२६,६५	६.७	
१९२१	३०,५६,७४	०.६	इन्फ्लुएन्ज़ा
१९३१	३३,८८,००	१०.६	
१९४१	३८,८६,६८	१५.०	

१८७० और १९३० के बीच भिन्न-भिन्न देशों की आबादी की वृद्धि की हिन्दुस्तान की आबादी की वृद्धि से तुलना कीजिए—

अमरीका—१२५ प्रतिशत	इंग्लैंड और वेल्स	—७७ प्रतिशत
रूस —११५ ”	यूरोप (रूस को छोड़कर)—५६	”
जापान —११३ ”	हिन्दुस्तान	—३०.७ ”

१९४६ में दुनिया की आबादी का हिसाब इस प्रकार था :

कुल दुनिया— लगभग २ अरब २५ करोड़

चीन ४३.० करोड़

हिन्दुस्तान (पाकिस्तान सहित) ४१.५ ”

रूस १९.२५ ”

अमरीका १४.३ ”

जापान ७.६ ”

जापान, चीन व हिन्दुस्तान

को छोड़कर एशिया के बाकी देश २६.७ ”

रूस को छोड़कर

यूरोप के बाकी देश ३८.२ ”

संयुक्त राष्ट्रों को छोड़कर

अमरीका के बाकी देश १६.१ ”

अफ्रीका १७.३ ”

आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि १.२ ”

हिन्दुस्तान की आबादी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की स्त्री पुरुष अपेक्षा कम है । स्त्रियों की कमी का अनुमान इस वक्त १ करोड़ ११ लाख के लगभग है । इस कमी का हिसाब इस प्रकार रहा है :

वर्ष १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या

१९०१ ६६३

१९११ ६५४

१९२१ ६४५

१९३१ ६४०

१९४१ ६३५

प्रति १००० पुरुषों के पीछे प्रान्तों में स्त्रियों की संख्या (१९४१)

इस प्रकार है :

देश और जनता

मद्रास	१००६	मध्य-प्रान्त	६६४
बम्बई	६२७	आसाम	८६६
बंगाल	८६६	सीमा-प्रान्त	८४०
युक्त-प्रान्त	६०६	उड़ीसा	१०६६
पंजाब	८४७	सिन्ध	८१८
बिहार	६६४	दिल्ली	७१५

१६४१ में हिन्दुस्तान में २७०३ कस्बे और

६,५५,८६२ गाँव थे। २७०३ कस्बोंमें वह सब स्थान आगए हैं जिनकी आबादी ५००० से

ग्रामीण नागरिक

अधिक थीं अथवा जहाँ म्यूनिसिपैलिटियाँ और छावनियाँ बनी थीं।

हिन्दुस्तान के इन गाँवों में ८७ प्रतिशत जनता रहती थी, कस्बों में १३

प्रतिशत। कस्बों और गाँवों में रहने वाली जनता का हिसाब १८६१ से

इस प्रकार रहा है :

वर्ष	गाँवों में प्रतिशत	कस्बों में प्रतिशत
१८६१	६०.५	६.५
१९०१	६०.१	६.६
१९११	६०.६	६.४
१९२१	८६.८	१०.२
१९३१	८६	११
१९४१	८७	१३

देश में उन शहरों की संख्या, जिनकी आबादी १ लाख से ऊपर है, ४६ है। इन शहरों की कुल आबादी लगभग १ करोड ४४ लाख है

तथा इनका प्रान्तवार हिसाब यह है: (१९४१ की गणना के अनुसार)

पश्चिमी बंगाल	२	युक्त-प्रान्त	१२
मद्रास	६	मध्य-प्रान्त	२
बम्बई	५	बिहार	३
पूर्वी पंजाब	३	रियासतें	१४

अजमेर मारवाड़

१ दिल्ली

१

विदेशों में शहरों में रहने वालों की तुलना हिन्दुस्तान से इस प्रकार रहेगी :

इंग्लैंड और वेल्स	८० प्रतिशत	फ्रांस	४६ प्रतिशत
अमरीका	५६.२ ,,	हिन्दुस्तान	१३ ,,

हिन्दुस्तान में एक वर्गमील में रहने वाली आबादी का घनत्व १६४१ में २४६ था। १६०१ से इसकी वृद्धि का हिसाब इस प्रकार रहा है :

१६०१	१७६	१६३१	२१३
१६११	१६१	१६४१	२४६
१६२१	१६३	विभाजित हिन्दुस्तान में	२६२

कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की आबादी जीविका के साधन का तीन-चौथाई हिस्सा खेती-बारी करके या खेती-बारी पर आश्रितों पर निर्भर रहकर रोजी कमाता और पेट पालता है। १६४१ में जीविकोपार्जन के अलग-अलग साधनों का हिसाब इस प्रकार था :

खेती-बारी	६५.६०	शासन कार्य	२.८६
खनिज उत्पत्ति	०.२४	यातायात	१.६५
कल-कारखाने	१०.३८	विविध	१३.७४
व्यापार	५.८३		

कल-कारखानों की १०.३८ प्रतिशत की संख्या कुछ अमूलक है। उन लोगों की संख्या जो सुसंगठित उद्योग-धन्धों में लगे थे, केवल १.५ प्रतिशत थी। शेष छोटी-मोटी घरेलू दस्तकारियों में लगे थे।

खेती-बारी पर आश्रित जनता का प्रतिशत अनुपात १८६१ से इस प्रकार रहा है :

देश और जनता

१८६१	६१	१६३१	६७
१९०१	६६	१६४१	६५.६
१९२१	७२		

१९३१ में संख्या के ५ प्रतिशत कम हो जाने को सेन्सस कमिश्नर इट्टन ने अममूलक बताया क्योंकि उन स्त्रियों ने, जिनका निर्वाह खेती पर ही था, अपनी गणना घरों की नौकर-चाकरों में करवाई।

१९४१ की जन-गणना के अनुसार केवल १३.६ प्रतिशत शिक्का जनता पढ़-लिख सकती थी। इस पढ़ने-लिखने से मतलब गाँव से बाहर खत द्वारा अपना समाचार भेज सकना और उत्तर पढ़ सकना ही है। १९३१ और १९२१ में इस तरह के पढ़े-लिखों का अनुपात ८.० प्रतिशत और ७.१ प्रतिशत था।

विदेशों से तुलना करने से मालूम पड़ता है कि हम इस दिशा में कितना पीछे हैं :

अमरीका	६५.६७ प्रतिशत (१९३०)	रूस	६० प्रतिशत (१९३३)
तुर्की	४४.६ प्रतिशत (१९३४)	इटली	७१.२ प्रतिशत (१९२१)

जो देश जितना गरीब होता है, उसमें जन्म वा मरण का अनुपात उतना ही अधिक होता है। जन्म और मरण के हिसाब में शायद हमारा देश ही सर्व प्रथम ठहरेगा। १९४१ की जनगणना के समय हिन्दुस्तान में जन्म और मरण का अनुपात १००० लोगों के पीछे क्रमशः ३३ और २२ था।

इस अनुपात में पिछले पचास वर्षों में कोई बड़ा भेद पड़ा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन दोनों के अनुपात में सम्भ्यता और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार के साथ ही फर्क पड़ सकता है। १८८५ से इस सम्बन्ध का व्योरा देखिए :

वर्ष	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
१८८५-९०	३६	२६
१८९०-०१	३४	३१

राजकमल वर्ष-बोध

१९०१-११	३८	३४
१९११-२१	३७	३४
१९२१-३१	३५	२६
१९३१-३५	३५	२४
१९४१	३३	२२

तुलना में विदेशों में जन्म और मरण का हिसाब देखिए :

देश (१९३१-३५)	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
ब्रिटेन	१५.५	१२.२
फ्रान्स	१६.५	१५.७
अमरीका	१७.३	१०.६
जापान	३१.६	१८.१
हिन्दुस्तान	३५	२४

तुलना में विदेशों में किस तरह जन्म व मरण के अनुपात में समय के साथ-साथ कमी हो रही है, यह इस तालिका से पता लगेगा :

जन्म संख्या

	१८८१-९१	१९२१-२५	१९२६-३०
ब्रिटेन	३२.५	२०.४	१७.२
फ्रान्स	२३.६	१६.३	१८.२
अमरीका	...	२२.५	१६.७
जर्मनी	३६.८	२२.१	१८.४

मृत्यु संख्या

	१९.२	१२.४	१२.३
ब्रिटेन	१९.२	१२.४	१२.३
फ्रान्स	२२.१	१७.२	१६.८
अमरीका	...	११.८	११.८
जर्मनी	२५.१	१३.३	११.८

देश और जनता

हिन्दुस्तान में हर हजार पैदा हुए बच्चों में से १९४० में १६० पहले वर्ष ही मृत्यु के ग्रास बनते थे। १९२० में यही संख्या १९५ थी और तब से इसमें इस प्रकार परिवर्तन हुआ।

१९२०—	१९५	१९२७—	१६७	१९३४—	१८७
१९२१—	१९८	१९२८—	१७३	१९३५—	१६४
१९२२—	१७५	१९२९—	१७८	१९३६—	१६२
१९२३—	१७६	१९३०—	१७८	१९३७—	१६२
१९२४—	१८९	१९३१—	१७९	१९३८—	१६७
१९२५—	१७४	१९३२—	१६९	१९३९—	१५६
१९२६—	१८९	१९३३—	१७१	१९४०—	१६०

विदेशों में जन्म के समय बच्चों की मृत्यु-संख्या से हिन्दुस्तान के बच्चों की मृत्यु-संख्या की तुलना कीजिए :

यह आँकड़े १९३१-३५ के हैं।

ब्रिटेन	६५	जापान	१२४
अमरीका	५९	हिन्दुस्तान	१७४

ब्रिटेन में १९४८ में यह संख्या ४१ है।

हैजे, चेचक और प्लेग से हिन्दुस्तान में मृत्यु-संख्या यह रही है :

वर्ष	हैजा	चेचक	प्लेग
१९२०	०.६	०.४	०.४
१९२१	१.९	०.२	०.३
१९२२	०.५	०.२	०.३
१९३०	१.३	०.३	०.३
१९३१	०.९	०.१	०.२
१९३२	०.३	०.२	०.२
१९३८	०.९	०.१	०.०६

१९३६	०.४	०.२	०.१
१९४०	०.३	०.३	०.७

जन्म लेने वालों में से मर जाने वालों की संख्या घटाकर शेष बच जाने वालों का अनुपात १८६० से हिन्दुस्तान और कुछ दूसरे देशों में इस प्रकार रहा है :

देश	१८६०-०१	१९०१-११	१९२१-२५	१९२६-३०	१९३१-३५
ब्रिटेन	११.७	११.८	८.०	४.६	३.३
अमरीका	१०.७	७.६	६.४
जापान	८.६	११.४	१२.८	१४.२	१३.५
जर्मनी	१३.६	१५.६	८.८	६.६	४.६
फ्रान्स	०.६	१.२	२.१	१.४	०.८
हिन्दुस्तान	४.१	४.३	६.७	६.०	१०.२

१५ अगस्त १९४७ से जो भेद हिन्दुस्तान की रियासती जनता अंग्रेजी और रियासती प्रजा में हुआ करता था, वह नहीं रहा। नये विधान के लागू हो जाने पर यह भेद बिलकुल नहीं रहेगा।

हिन्दुस्तान के समस्त क्षेत्र में ५,८७,८८८ वर्गमील का क्षेत्र, जो कि हिन्दुस्तान के क्षेत्र का ४८ प्रतिशत भाग है, रियासती प्रदेश है। इस रियासती प्रदेश की आबादी ८,८८,०८,४३४ है जोकि हिन्दुस्तान की कुल आबादी का २७ प्रतिशत हिस्सा है।

कहने को कहा जाता है कि भारत में २८२ भाषाएँ हैं।

भाषाएँ लेकिन यह भाषाएँ नहीं हैं, कुछ मुख्य भाषाओं का स्थानान्तर पर अपभ्रंश हैं। हिन्दुस्तान की मुख्य भाषाएँ और वह प्रदेश जहाँ उनका प्रयोग होता है, इस प्रकार हैं :

१. काश्मीरी काश्मीर।

आजादी की राह पर

२. पंजाबी	पूर्वी पंजाब का पश्चिमी भाग, उत्तरी प्रदेश के पहाड़ी इलाके।
३. हिन्दी	राजपूताना, संयुक्त-प्रांत, पूर्वी पंजाब का पूर्वी हिस्सा, मध्य-प्रांत, बिहार।
४. उड़िया	उड़ीसा।
५. गुजराती	सौराष्ट्र, बम्बई।
६. मराठी	बम्बई, मध्य-प्रान्त।
७. बंगाली	पश्चिमी बंगाल।
८. आसामी	आसाम।
९. तेलगू	हैदराबाद, मद्रास, मैसूर।
१०. कन्नाड़ी	मद्रास, हैदराबाद, मैसूर।
११. तामिल	मद्रास, त्रावंकोर।
१२. मलयालम	त्रावंकोर, कोचीन, मद्रास।

आजादी की राह पर

१५ अगस्त १९४७ को आजादी का दरवाजा खुल गया। उस दिन हिन्दुस्तान का अपनी नियति से मिलन हुआ और जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा—“रात के अंधियारे में जबकि सारी दुनिया सो रही थी हिन्दुस्तान नए जीवन और स्वतन्त्रता के प्रभात में जाग उठा।”

१५ अगस्त १९४७ के दिन को लाने वाले स्वातन्त्र्य-संग्राम की कहानी लम्बी है और बीसवीं सदी के इतिहास के पन्ने-पन्ने पर लिखी है। गांधीजी के भारतीय रंगमंच पर आने से पहले कांग्रेस भी थी और क्रान्तिकारी भी थे। कांग्रेस कुछ इने-गिने धनी-मानी शहरियों की जमात थी जो साल में एक बार मिलते, जलसे होते, सामाजिक मेल-मिलाप की

धूम रहती, प्रस्ताव पास होते, और सरकार को नम्र और नपुंसक प्रार्थनाएं भेज दी जातीं। उन दिनों आजादी की पुकार हिन्दुस्तान के प्राणों का छू भी न सकी थी। क्रान्तिकारियों का वैयक्तिक रोष और हिंसात्मक प्रदर्शन साम्राज्य पर कोई चोट न कर पाता था। ऐसे राजनीतिक वातावरण में गांधीजी दक्षिणी अफ्रीकामें २२ वर्षके लम्बे प्रवास और सफल संघर्ष के बाद हिन्दुस्तान लौटे।

असहयोग, अहिंसक प्रतिकार और सत्याग्रह का अस्त्र उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में गढ़ा था।

हिन्दुस्तान की प्रथम युद्ध के बाद की राजनीति गांधीजी की राजनीति है। गांधीजी ने लोगों को आजादी का मतलब समझाना शुरू किया। आजादी के लिए बेचैनी हिन्दुस्तान के शहरों की सीमाएं छोड़ कर ग्रामों की कच्ची दीवारों तक फैलने लगी। हिन्दुस्तान की आजादी के युद्ध का मोर्चा बढ़ा होने लगा।

पच्चीस वर्ष से अधिक हिन्दुस्तान में अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-संग्राम जारी रहा। निहत्थी जनता विदेशियों द्वारा बनाए हुए कानून तोड़ती और परिणाम में यातनाएं भुगतती। इस तपस्या से हिन्दुस्तानकी आत्माछो उत्तरोत्तर बल प्राप्त होता गया। गांधीजी की राह आत्म-बलिदान की राह थी। इस राह पर चलकर मिट्टीके ढेलों में भी प्राण फूँक जाते थे। धीरे-धीरे शत्रु, अंग्रेज़ी साम्राज्य, का क़िला ढहने लगा और द्वितीय महायुद्ध के दौरान में १९४२ का वर्ष आया।

जर्मन, फासिज़्म के विरुद्ध लड़ाई छिड़े तीन द्वितीय महायुद्ध वर्ष बीत चुके थे। पराधीन भारत इस लड़ाई को फासिज़्म और तानाशाही के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई नहीं समझता था—क्योंकि वह खुद दासता की वेड़ियों में जकड़ा था। यह लड़ाई तो दुनिया की छीनाकूपटी में साम्राज्यवाद और तानाशाहीकी टक्कर थी। यदि हिन्दुस्तान आजाद हो जाता तभी—केवल तभी ही—इस लड़ाई का चित्र बदल सकता था। इसके बावजूद

आजादी की राह पर

कठिनाइयों में घिरे अंग्रेज को हिन्दुस्तान में बगावत फैलाकर, गांधीजी परेशान नहीं करना चाहते थे।

चर्चिल की हकूमत ने इन दिनों एक राजनीतिक क्रिप्स योजना योजना पेश करनेके लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्सको हिन्दुस्तान भेजा। योजना मुख्यतया युद्धोत्तर समय से सम्बन्ध रखती थी, वर्तमान दासता में सुभीता लाने का इसमें कोईविचार न था। तुरन्त ही दासता की वेड़ियाँ काट देने को बेचैन देश ने इस योजना को ठुकरा दिया।

अगस्त १९४२ तक सब्र का प्याला लबा-लब भर गया। पिछले कुछ दिनों से गांधीजी का रुख कड़ा होता जा रहा था।

देशमें फैले अनाचार,अमानवता वा स्वार्थ के नंगे नाचसे उनका दम घुट रहा था। वह जानते थे कि बुराई की जड़ इस और विदेशी शासक की निर्मम उपेक्षा है। गांधीजी साथी देशों को हिन्दुस्तान का नैतिक समर्थन देना चाहते थे, उसके लिए एक शर्त थी—हिन्दुस्तान को आजाद कर दिया जाय। लेकिन जब हिन्दुस्तान की लाश को नीचे खसोट कर ही विदेशी उत्पीड़कोंको लाभ जुट जाता था तो हिन्दुस्तानके प्राणों की क्या परवाह थी।

कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया,अंग्रेज़ हिन्दुस्तान छोड़कर चले जायँ। उन्हें निकालने के संग्राम में गांधी सेनानी बने। लेकिन इससे पहले कि इस संग्राम के मोर्चे सम्हाले जायँ और इसके संचालन के सम्बन्ध पर बहस हो, एक बार वाइसराय उन्हें मिलने और समझने और समझाने का मौका दें।

जिन दिनों यह प्रस्ताव पास हुआ उन दिनों हिन्दुस्तान के विदेशी शत्रु नम्बर एक—चर्चिल—की हकूमत इंग्लैंड में थी। हिन्दुस्तान में लिनलिथगो वाइसराय थे। कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव के स्वीकार किए

जाने भर की जैसे प्रतीक्षा होरही थी। दमन-चक्र तैयार था, केवल उसे चालू करने की देर थी। गांधी व हिन्दुस्तान भर में दूसरे नेताओं की धड़-पकड़ शुरू होगई। सूचियाँ तो कबकी बनी हुई थीं, लोगों को चुनना और बिना किसी तरह की कानूनी कार्रवाई के कारागारों में ठोस देना बाकी था। इस तरह लगभग तीन वर्ष लम्बा अत्याचार का दौर शुरू होगया।

जनता को इस तरह के दमन से भड़काया गया। जनता उठी और उसने जहां-तहां, बिना योजना के, बिना नेतृत्व के, साम्राज्यवाद की निशानियों को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज ने, जो जनता को हिंसा की इसी दिशा की ओर बढ़ाना चाहता था ताकि दमन का बहाना बन सके, और भी अन्धाधुन्ध दमन शुरू कर दिया।

आगा खां सहल में नजरबंद गांधी
गांधी-सरकार पत्र व्यवहार छूटपटा रहे थे। कांग्रेस और उनपर
हिंसा का आरोप लग रहा था, उस
का प्रतिकार करने की सुमानियत थी। जनता पिस रही थी, उस तक
सान्त्वना का हाथ बढ़ाने की इजाजत नहीं थी।

गांधी सन्तोष करके असहाय बनकर नहीं बैठे रहे। कारागार से ही वह सरकार के झूठे आरोपों का उत्तर देते, उनकी सच्चाई साबित करने के लिए शासकों को ललकारते।

लेकिन शासकों को सच्चाई व झूठ से सरोकार नहीं था, उन्हें हिंदु-स्तान को दबाये रखने से मतलब था।

गांधी ने अपने सत्र की तार बहुत दूर तक खींची। फिर उन्होंने अंग्रेज के इस सतत झूठ का प्रतिकार करने के लिए २१ दिन के उपवास की घोषणा की जो फरवरी ६, १९४३ को शुरू हुआ।

गांधी के मित्र लिनलिथगो ने इस उपवास को 'राजनीतिक दगेवाजी' का नाम दिया। जान पड़ता है कि साम्राज्यवाद ने इस बार गांधी की मौत के लिए

अपने-आपको तैयार कर लिया हुआ था। उनकी रिहाई से इनकार कर दिया गया।

७४ वर्ष की आयु में गांधी को आत्मबल के अतिरिक्त कोई भौतिक शक्ति नहीं बचा सकती थी। वह उपवास में सफल हुए।

हिंदुस्तान के राजनैतिक समुद्र में इन दिनों जो चोभ आगया था, वह फिर कुछ धीमा पड़ गया।

युद्ध में तानाशाही साथी देशों के प्रहार को न सह
मई १९४५ सकी, उसने घुटने टेक दिए। यूरोप में युद्ध समाप्त
हो गया।

युद्ध की समाप्ति के बाद १४ जून १९४५ को
१४ जून १९४५ भारतीय नेताओंको नज़रबन्दी की लम्बी अवधिके
बाद रिहा कर दिया गया। इस वक्त लार्ड वेवेल


हिंदुस्तान के वाइसराय थे।

लार्ड वेवेल ने भारतीय राजनैतिक समस्या को हल
जुलाई १९४५ करने के लिए ब्रिटिश सरकार से नई हिदायतें पाकर
शिमला में एक कान्फ्रेंस बुलाई। यह कान्फ्रेंस
२५ जून से १४ जुलाई तक रही और फिर असफलता में समाप्त होगई।

इस कान्फ्रेंस में जिन्ना अपने इस दावे पर अडिग रहे कि हिन्दु-
स्तान के सब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल उन्हें ही प्राप्त है। जिस
ताकत से शह पाकर जिन्ना अपना राजनैतिक खेल रचाए हुए थे, उस
के रहते हुए राजनीति की गुथी सुलझ नहीं सकती थी। हिन्दुस्तान की
राजनैतिक स्थिति और इंग्लैंड में शासकों की चालू नीति की दशा में
ऐसी कान्फ्रेंसों का असफल होना अवश्यम्भावी था। ऐसी कान्फ्रेंसों
में हिन्दु और मुसलमानों को राजनैतिक दंगल में धकेल दिया जाता था,
और अंग्रेज़ यह कहकर पीछे हट जाता था कि यह दोनों तो अभी कुश्ती
लड़ते हैं, जब एक दूसरे को गले लगाएंगे तब मैं उन्हें इस कठघरे के
बाहर जाने दूंगा।

इंग्लैंड में चर्चिल मदमत्त होकर हिन्दुस्तान की ओर अपनी विनाशकारी नीति को चलाए जा रहा था। इंग्लैंड को उसके नेतृत्व में जर्मनी पर विजय मिली थी। उसे निश्चय था कि इस वक्त इंग्लैंड में चुनाव कर लेने का मतलब है उसकी और उसकी पार्टी की निश्चित विजय। सो वहाँ आम चुनाव हुए।

अनुदार दल आँधे मुँह गिरा। जिस पार्टी को गर्व था कि इंग्लैंड को उसने पराजय से बचाया, वहाँ की जनता ने शान्ति-काल की समस्याओं को सुलझाने-के लिए उसे अपर्याप्त समझ कर देश के नेतृत्व से हटा दिया। २७ जुलाई १९४५ को मजदूर-दल ने शासन-सूत्र संभाला। यह दिन हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए शुभ दिन था। चर्चिल रहता तो हिन्दुस्तान में बरसों गुलामी रहती। उसकी अनुदार नीति देश को बेहद क्षति पहुँचाती।

मजदूर-दल द्वारा सत्ता हथिया लेने पर पार्लिमेंटरी डेली शिशन  हिन्दुस्तान की राजनीति में कुछ आशा उत्पन्न हुई रही थी। जनवरी-फरवरी १९४६ में हाउस ऑफ कामन्स के एक शिष्टमण्डल ने हिन्दुस्तान का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पेश की।

कैबिनेट मिशन १५ मार्च १९४६ को प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली ने भाषण करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यदि हिन्दुस्तान साम्राज्य से पृथक् होना चाहेगा तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होगा। अल्पसंख्यकोंकी घृष्टतापर पहली चोट उन्होंने अपने इस भाषण में की। उन्होंने कहा कि "हम किसी अल्प-संख्यक जाति को बहुसंख्या की उन्नति में बाधा बननेकी इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की ओर से तीन मन्त्रियों का एक कैबिनेट मिशन हिन्दुस्तान जा रहा है और वह वहाँ रहकर हिन्दुस्तान

की राजनैतिक गुथी को स्वतन्त्रता तक देकर सुलझाने की कोशिश करेगा ।

यह कैबिनेट मिशन २३ मार्च से जून १९४६ तक, लगभग साढ़े तीन महीने हिन्दुस्तान में रहा । हिन्दुस्तान के हर राजनैतिक हित से इन्होंने बातचीत की । इन्होंने अपने प्रयासोंका फल ५६ मई की योजना में घोषित किया ।

कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम यह थे : लार्ड पैथिक लारेन्स, भारत मंत्री; सर स्टैफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री; मिस्टर ए० वी० ऐलेक्जेंडर, नौशक्ति मंत्री ।

मिशन ने हिन्दुस्तान के विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया । केन्द्र में एक संघ बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसके अधिकार रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध और यातायात के विषयों पर रहेंगे । रियासतों और सब प्रांतों के प्रतिनिधि इस संघ में शामिल होंगे । उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त सभी अधिकार प्रान्तों व ~~राज्यों~~ पास रहेंगे । कुछ प्रान्त मिल कर साँके समूह भी बना सकेंगे और यह निश्चय करने में अधिकृत होंगे कि किन-किन अधिकारों को यह साँके तौर पर बरतेंगे ।

हिन्दुस्तान का नया विधान बनाने के लिए एक विधान-परिषद् बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रांत निम्न तालिका के अनुसार अपनी धारा-सभाओं से प्रतिनिधि भेजेंगे ।

समूह १

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	योग
मद्रास	४५	४	४९
बम्बई	१९	२	२१
संयुक्त-प्रांत	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६

मध्य-प्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	६	०	६
	<u>१६७</u>	<u>२०</u>	<u>१८७</u>

समूह २

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिख	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
सीमाप्रांत	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
	<u>९</u>	<u>२२</u>	<u>४</u>	<u>३५</u>

समूह ३

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	योग
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
	<u>३४</u>	<u>३६</u>	<u>७०</u>

इस तरह सारे अंग्रेजी भारत से २६२ और सब रियासतों से ६३ प्रतिनिधि चुने जायेंगे।

जब कभी विधान-परिषद् में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश होगा— इस बात का निर्णय प्रधान करेंगे कि कौनसा प्रस्ताव महत्वपूर्ण है—तो परिषद् में उपस्थित सदस्योंको हिन्दू और मुसलमानों में बंटकर अलग-अलग राय देने का भी अधिकार है। किसी एक भाग द्वारा रद्द किया हुआ प्रस्ताव रद्द समझा जायगा।

जिस समूह में किसी प्रान्त को रखा गया है, वैधानिक परिवर्तनों के बाद उस समूह से निकल जाने का उस प्रान्त को अधिकार होगा।

विधान परिषद् द्वारा बनाया गया विधान इङ्गलैंड को स्वीकार होगा। विधान बन जाने के बाद इङ्गलैंड राज्यसत्ता हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार को सौंप देगा।

इस योजना को एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया।

आजादी की राह पर

६ जून १९४६ को मुस्लिम लीग ने केब्रिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से पहले प्रस्तावित अन्तःकालीन सरकार के निर्माण-ढंग को समझ लेना चाहा। वाइसराय की तरफ से पहले लीग और कांग्रेस के ५-५ प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव हुआ जिसे कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ६, लीग ५ और सिख, पारसी, इसाइयों के १-१ प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव हुआ। इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने रद्द कर दिया। सरकार कांग्रेस का कोई मुसलमान प्रतिनिधि लेने को तैयार नहीं थी।

२५ जून, १९४६ को मुस्लिम लीग ने इस अन्तःकालीन सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मिशन योजना से सहयोग तो मान लिया लेकिन सरकार में आना नहीं माना।

इस दशा में अन्तःकालीन सरकार की जगह २६ जून को "केयर-टेकर गवर्नमेंट" बनाई गई।

मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसे अपमान समझा। ३१ जुलाई को आल इंडिया मुस्लिम लीग के बम्बई के अधिवेशन ने केब्रिनेट मिशन योजना को समूचा रद्द कर दिया और पाकिस्तान की मांग को दोहराया। लीग के इस अधिवेशन ने अपनी मांगों मनवाने के लिए "डायरेक्ट-एक्शन" की धमकी दी।

अगस्त के पहले हफ्ते में वाइसराय ने कांग्रेस को केन्द्र में सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। १० अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी ने मिशन योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव पास किया।

अन्तःकालीन सरकार २ सितम्बर को केन्द्र में कांग्रेस द्वारा अन्तःकालीन सरकार बनाई गई।

देश में चुनाव हुए। चुनावों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि लीगको मुसलमानोंका बहुमत प्राप्त है। हिन्दुओं का ६१.३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने प्राप्त

किया। सभी प्रांतों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नुमायन्दे ही जीते। सरकार में अक्टूबर ४६ के तीसरे सप्ताह में मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग प्रतिनिधि अन्तःकालीन सरकार में शामिल हुए। बाद में यह भेद खुला कि वह बूटे मौखिक वायदे करके सरकार में घुस आए थे। उन्होंने कह दिया था कि वह विधान-परिषद में भाग लेंगे लेकिन कहीं लिखित वायदा नहीं किया था। लार्ड वेवेल ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यही बताया कि मुस्लिम लीग विधान परिषद में भाग लेने का निश्चय उन तक पहुँचा चुकी है।

केबिनेट-मिशन की योजना के अनुसार प्रांतीय विधान परिषद धारा-सभाओं ने विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी कर लिया। इस परिषद ने ६ दिसम्बर १९४६ को अगला कार्य श्री सच्चिदानन्द सिन्हा के अस्थायी प्रधानत्व में शुरू किया। डा० राजेन्द्रप्रसाद स्थायी प्रधान चुने गए। सदस्यों ने भारत के प्रति भक्ति की शपथ ली।

मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि विधान-परिषद में शामिल नहीं हुए।

कांग्रेस ने इस स्थिति का विरोध किया। उनकी मांग थी कि यदि लीग विधान-परिषद में सहयोग नहीं देती तो अन्तःकालीन सरकार में टिके रहने का भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। विरोध में तथ्य था, ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार किया।

मिस्टर एटली ने २० फरवरी को हाउस आफ माउंटवेटन आए कामन्स में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान की राजनैतिक पार्टियाँ अच्छी तरह यह नहीं समझ जातीं कि हिंदुस्तान को आजाद करने का हमारा इरादा पक्का है तब तक उनके दृष्टिकोण और राजनीति में वास्तविकता की पुष्टि कम रहेगी। इंग्लैंड इस देश को स्वतंत्र करने की घोषणा से फिरेगा नहीं। प्रधान मंत्री ने कहा कि हर हालत में

अंग्रेज जून १९४८ तक राजनैतिक सत्ता हिन्दुस्तान की भावी सरकार को सौंप कर चले जायंगे ।

इसी घोषणा में हिन्दुस्तान से अंग्रेजी सत्ता के जून ४८ तक लोप हो जाने के प्रबंधों को एक नए वाइसराय की अध्यक्षता में सम्पूर्ण करने की इच्छा से उन्होंने कहा कि लार्ड लुई माउंटबेटन को हिन्दुस्तान का वाइसराय बनाया गया है । लार्ड वेवेल को अपनी वाइसरायेल्डी की अवधि के खत्म होने से पहले ही वापिस बुला लिया गया ।

२२ मार्च को नए वाइसराय हिन्दुस्तान पहुंचे और २४ मार्च को उन्होंने अपने ओहदे की शपथ ली । ओहदा संभालने के वक्त उन्होंने एक भाषण में कहा—“अपना कर्तव्य निभाने में मेरे सामने जो कठिनाइयां पेश होंगी मुझे उनका अन्दाज़ा है । अधिक-से-अधिक लोगों की अधिक-से-अधिक शुभ कामनाओं की मुझे जरूरत होगी और आज मैं हिन्दुस्तान से उस शुभ कामना का इच्छुक हूँ ।”

लार्ड माउंटबेटन ने अपना पद संभालते ही भारत की राजनीति से परिचय पानेका यत्न शुरू किया । एक सप्ताह बाद ३१ मार्चको उन्होंने गांधीजी से भेंट की । मिस्टर जिन्ना से उनकी मुलाकात ५ अप्रैल को हुई । इसके बाद उन्होंने देश के सब राजनीतिक नेताओं और प्रतिनिधियों से मिल कर अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरित करने के प्रश्न पर थाह लेनी शुरू की । १५ और १६ अप्रैल को सब प्रान्तीय गवर्नरों की लार्ड माउंटबेटन के सभापतित्व में दिल्ली में कांफ्रेंस हुई । इस प्रकार उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिक्रिया समझकर ब्रिटिश सरकार को सूचित रखने के लिए २ मई को लार्ड इस्मे को लंदन भेजा ।

वह मुस्लिम लीग का विधान-परिषद में सहयोग लेने में असफल रहे । अंग्रेज की कूट-नीति अभी तक अपनी ही सृष्टि—मुस्लिम साम्प्रदायिकता—को विलीन करने के लिए तैयार नहीं हुई थी । न मुस्लिम लीग सरकार से निकली, न उसके प्रतिनिधि विधान-परिषद में ही शामिल

हुए। इसके विपरीत कैब्रिनेट मिशन की सुविचारित योजनाओं को दृष्टि से श्रोकल करके समस्या का हल विभाजन में खोजना शुरू हो गया।

हिन्दुस्तान के नेताओं से अपनी नई योजना को स्वीकार करके लार्ड माउंटबेटन १८ मई को खुद लंडन गए। उन्होंने हिन्दुस्तान और उसके प्रान्तों के विभाजन का सुझाव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सामने रखा। उन्होंने बताया कि बंटवारे और शासन के सम्भाल लेने के बाद दोनों नई सरकारें डोमोनियन स्टेट्स स्वीकार कर लेंगी। उन्होंने हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति की आतुरता मंत्रिमंडल को समझाई। ब्रिटिश सरकार ने हाउस आफ कामन्स के उन दिनों हो रहे अधिवेशन में ही भारतीय स्वतंत्रता से सम्बन्धित कानून पेश करने का वायदा किया।

देश के बंटवारे की योजना

३ जून ४७ सारा हिन्दुस्तान लार्ड माउंटबेटन के लौटने की घोषणा प्रतीक्षा कर रहा था। उनके लौटने पर भारत के भाग्य का निश्चय होने वाला था। इस वक्त भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि में १६ अगस्त १९४६ से साम्प्रदायिक खून-खराबे का नाटक खेला जा रहा था। कलकत्ता में राजनीति में साम्प्रदायिक हिंसा का पहला दृश्य-लीग द्वारा रचा गया। यह घृणित कालिमा तब बंगाल के नोआखाली और टिप्परा जिलों के भीतरी भागों में फैल गई। परस्पर द्वेष और हिंसा की दूसरी चिनगारी बड़े पैमाने पर फिर बंगाल के पडौसी—बिहार—में सुलगी। इन साम्प्रदायिक संघर्षों से नैतिकता का लोप हो रहा था। जो भारत कभी असहाय अवला-बच्चों और बूढ़ों पर कभी हाथ न

उठाने के अपने इतिहास और परम्परा पर गर्व किया करता था, उसमें अब यह सब कुछ सम्भव ही रहा था। इस साम्प्रदायिक रक्तपात का उद्देश्य राजनैतिक दबाव था, इसलिए यह अधिक खतरनाक सूरत ले रहा था। मुस्लिम लीग के नेता हिंसा और घृणा के गीत गाकर मुसलमानों को भड़का रहे थे। कलकत्ता और नोआखाली के नर-संहार के बाद देश में प्रबल मांग उठी कि लीग को गैर-कानूनी घोषित किया जाय और उसके नेताओं को पकड़ लिया जाय। लेकिन इस तरफ तत्कालीन वाइसराय ने कोई कदम नहीं उठाया। जो राज्य-सत्ता निहत्थी जनता के अहिंसक प्रदर्शनों से भी भड़क उठा करती थी और शान्ति कायम रखने के लिए तिलमिला उठती थी—अब हज़ारों की संख्या में हत्या, अपहरण और बलात्कार के दृश्य देखकर भी कुछ करने को प्रेरित नहीं हुई।

बिहार की कहानी फिर गढ़मुक्तेश्वर, रावलपिंडी और हजारा के जिलों में और कितने ही स्थानों पर दोहराई गई। पंजाबमें खिजर हयातके मन्त्री मण्डल के स्तीफे के बाद साम्प्रदायिक रक्तपात का बाजार गर्म हो उठा। लाखों निरपराध लोगों के जीवन और हित राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति की वेदी पर बलि चढ़ाए जाने लगे। देश के इस वातावरण में कांग्रेस और मुस्लिमलीग के नेताओं में बातचीत जंचती नहीं थी। हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य इतना बढ़ गया कि जिस देश के विभाजन की बात तक कोई लोग सोच न सकते थे, अब पंजाब और बंगाल के साम्प्रदायिक नेता खुद दुहाई दे-देकर दोनों प्रान्तों के विभाजन की मांग करने लगे ताकि किसी तरह लीगियों की उद्द साम्प्रदायिकता से पिंड छूटे। कांग्रेस ने इन प्रान्तों की जनता की इस मांग का समर्थन किया।

इस वातावरण में लार्ड माउंटबेटन ने ३ जून १९४७ को ब्रिटिश सरकार के सत्ता हस्तांतरण के नये कार्यक्रम को दिल्ली के रेडियो से प्रचारित किया।

यह नई योजना देश के विभाजन की योजना थी। देश जिस साम्प्र-

दायिक विष से पीड़ित हो रहा था, केवल उसी दशा में यह योजना स्वीकार हो सकती थी। लगभग एक वर्ष से जो मार-काट हो रही थी, उसने हिन्दुस्तानियों की मनोस्थिति ऐसी बना दी जो देश के विभाजन को स्वीकार कर सकती थी।

इस ३ जून की घोषणा की मुख्य बातें यह थी— २० फरवरी की जून ४८ तक हिन्दुस्तान से अंग्रेजी सत्ता के लोप हो जाने की घोषणा का उद्देश्य था कि देश की राजनीति ठोस हो और हिन्दुस्तानी खुद ही तब तक अपना विधान बनाकर तैयार कर लें। लेकिन यह आशा व्यर्थ रही है। देश के ८ प्रान्त विधान निर्माण में लगे हैं; शेष ३ प्रान्त, पंजाब, सिन्ध और बंगाल, और बलोचिस्तान के प्रतिनिधियों का अधिकांश, विधान-परिषद् से असहयोग कर रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार इस नई योजना को पेश करने पर विवश है। इस परिषद् द्वारा बनाया हुआ विधान देश के उन लोगों पर नहीं ठोसा जा सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अतः इन प्रान्तों की इच्छा मालूमकी जायगी कि वह अपना विधान इसी परिषद् द्वारा तैयार करवाना चाहते हैं अथवा एक नई विधान-परिषद् से। इस उद्देश्य से पंजाब और बंगाल की धारा-सभाओं के प्रतिनिधियों की दो-दो हिस्सों में सभाएं होंगी—हिन्दू और मुसलमान बहुमत क्षेत्रों के प्रतिनिधि अलग-अलग निश्चय करेंगे कि प्रान्त का विभाजन होना चाहिए अथवा नहीं। यदि निश्चय होगया कि प्रान्त विभाजित नहीं होगा तो दोनों मिलकर यह निश्चय करेंगे कि किस विधान-परिषद् से नाता जोड़ना है। यदि विभाजन के पक्ष में निश्चय हुआ तो दोनों भाग अलग-अलग निश्चय करेंगे कि वह किस विधान-परिषद् से सम्बन्धित रहना चाहेंगे। दोनों प्रान्तों की धारा-सभाओं के प्रतिनिधि हिन्दू और मुसलमान बहुमत क्षेत्रों के जिस हिस्से से अलग-अलग बैठेंगे उसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। बंटवारे का निश्चय हो जाने के बाद सीमा-कमीशन नियत की जायगी जो 'दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए' प्रान्तों को

हिन्दू व मुसलमानों के बहुमत क्षेत्रों में बांट देंगी। सिन्धु की धारा-सभा यह निश्चय करेगी कि किस विधान-परिषद् से नाता जोड़ना चाहिए। यदि पंजाब के बंटवारे का निश्चय हो गया तो सीमा-प्रान्त को, जो इस वक्त विधान परिषद् में भाग ले रहा है, अपनी स्थिति का नए तौर पर निश्चय करने के लिए एक दूसरा अवसर दिया जायगा। यहां पर आम लोगों की मत-गणना ली जायगी कि वह हिन्दुस्तान में शामिल होना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में। आसाम में वैसे तो हिन्दुओं की बहु-संख्या है, लेकिन सिलहट के जिले में जो कि पूर्वी बंगाल के साथ लगता है, मुसलमानों का बहुमत है। बंगाल का विभाजन होने के निश्चय के बाद आसाम के सिलहट के जिले में भी मत-गणना होगी। फिर सीमा-कमीशन इसकी सीमाएं निर्धारित करेगा। यदि पंजाब, बंगाल और सिलहट में एक नए विधान-परिषद् से सम्बन्धित होने का निश्चय हो गया तो दस लाख लोगों के एक प्रतिनिधि के हिसाब से नए व पुराने विधान-परिषदों के लिए चुनाव होंगे जिनका व्योरा इस प्रकार होगा।

	मुस्लिम	दूसरे	सिख	जोड़
सिलहट का ज़िला	२	१	..	३
पश्चिमी बंगाल	४	१५	..	१९
पूर्वी बंगाल	२६	१२	..	४१
पश्चिमी पंजाब	१२	३	२	१७
पूर्वी पंजाब	४	६	२	१२

ये प्रतिनिधि अपनी धारा-सभाओं से मिली हिदायतों के अनुसार एक या दूसरे परिषद् में शामिल हो जायेंगे। शासन-यन्त्र पर बंटवारे के फलस्वरूप होनेवाले प्रभाव के विषय में तुरन्त ही बातचीत शुरू होगी। सीमा-प्रान्त में बसने वाले कबायली लोगों से प्रान्त में बनने वाली नई सरकार खुद बातचीत करेगी। रियासतों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति वही है जो कैबिनेट मिशन के १६ मई वाले बयान में कही गई थी। इस योजना को कार्यान्वित करने के कदम तुरन्त ही उठाए

जायंगे। दोनों डोमीनियनों को जून १९४८ से कहीं पहले सत्ता सौंप दी जायगी, इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून हाउस ऑफ कामन्समें पेश किया जा रहा है।

इस घोषणा के अन्त में यह भी कहा गया कि दोनों डोमीनियनों को अधिकार होगा कि वह चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से नाता तोड़कर पूर्ण स्वतन्त्र हो जायं।

मुस्लिम बहुमत जिलों की तालिका

पंजाब में— लाहौर डिवीज़न—गुजरांवाला, गुरुदासपुर, लाहौर, शेखुपुरा, और सियालकोट।

रावलपिंडी डिवीज़न—मियांवाली, रावलपिंडी, शाहपुर, अटक, गुजरात, जेहलम।

मुलतान डिवीज़न—डेरा गाज़ीखां, मुलतान, मंग, लायलपुर, मिन्टगुमरी, मुजफ्फरगढ़।

बंगाल में— चिटागांव डिवीज़न—चिटागांव, नोआखाली, टिम्परा।

ढाका डिवीज़न—बाकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मैमनसिंह।

प्रेज़ीडेन्सी डिवीज़न—जेस्सोर, मुर्शिदाबाद, नादिया।

राजशाही डिवीज़न—बोशारा, दिनाजपुर, मालदा, पबना राजशाही, रंगपुर।

इस घोषणा के पश्चात् देश की शान्ति बनाए रखने और नई योजना पर गम्भीरता से विचार करने के सम्बन्ध में पंडित नेहरू, मिस्टर जिन्ना और सरदार बलदेवसिंह ने अभीलें कीं।

अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कार्यकारिणियों के जलसे हुए और नई योजना को इन पार्टियों की स्वीकृति की मुहर लग गई।

प्रान्तों की धारा-सभाओं ने भी विभाजन के पक्ष में निर्णय दिये। सीमा-प्रान्त में मत-गणना हुई।

सीमा-प्रान्त के गवर्नर सर श्रीलक्ष्मण केरो ने सीमा-प्रान्त में मत-गणना

होने से पहले लगभग दो मास की छुट्टी ले ली। उन्होंने इस सम्बन्ध में वाइसराय को लिखे गए पत्र में कहा—“मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ और एक पार्टी का पक्ष लूँगा....। यदि यहाँ पर मेरी उपस्थिति किञ्चित् भी शक का कारण बनती है तो मत-गणना की अवधि के लिए छुट्टी ले लेना चाहूँगा.....।” वाइसराय की मन्त्रणा पर लेफ्टिनेंट-जनरल सर रोब-लोकहार्ट को सीमाप्रान्त का गवर्नर मनोनीत किया गया।

सीमाप्रान्त की मत-गणना का, जो कि कांग्रेस द्वारा बहिष्कारसे अर्थ-हीन होगई थी, परिणाम इस प्रकार रहा :

पाकिस्तान के पक्ष में वैध वोट	२,८६,२४४
हिंदुस्तान के पक्ष में वोट	२,८७४
मताधिक्य	२८,६३,७०

जिस संख्या ने वोट दिए, उसका वोट

की अधिकारी जनसंख्या से अनुपात १०.६६ प्रतिशत

पिछले चुनाव में जिस संख्या ने वोट दिए थे ३,७५,६८६

इस मतगणना में जो संख्या वोट दे सकती थी १,७२,७६८

इस हिसाब से पाकिस्तान के पक्ष में १०.४६ प्रतिशत लोगों ने वोट दिए। सिलहट में मत-गणना का परिणाम भी पाकिस्तान के पक्ष में गया।

१६ जून १९४७ को केन्द्रीय सरकारकी एक विशिष्ट कमेटी बना दी गई जिसने विभाजन कार्य की निगरानी करनी थी। इसके सदस्य वाइसराय, श्री वल्लभभाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, मिस्टर लियाक़त अली ख़ाँ और मिस्टर अब्दुल रब निश्तर बने।

इस कमेटी के नीचे एक स्टीयरिंग कमेटी (संचालक समिति) बनाई गई जिसके सदस्य श्री एच० एम० पटेल और मिस्टर मुहम्मद अली हुए।

स्टीयरिंग कमेटी ने मंत्रीमंडल की विशिष्ट कमेटी का सम्बन्ध विभाजन के विविध पहलुओं पर निर्णय करने वाली दस विभिन्न विशेष समितियों (एक्सपर्ट कमेटीज़) से रखना था। इन दस विशेषज्ञ समितियों का व्योरा यह है :

- १—सेना विभाजन, २—कागजात और अफसर, ३—लेनदेन, ४—केन्द्रीय आय के साधन, ५—ठेके आदि, ६—सुद्रा, ७—आर्थिक सम्बन्ध, कंट्रोल ८—आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, ९—राष्ट्रीयता का प्रश्न, १०—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ।

इन दसों समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें जुलाई के तीसरे सप्ताह तक स्टीयरिंग कमेटी को देनी थीं ।

प्रान्तों का विभाजन के पक्ष में मत जान लेने के बाद मंत्रीमंडल की विशिष्ट कमेटी का स्थान विभाजन समिति (पार्टिशन काँसल) ने ले लिया ।

हिन्दुस्तान से वर्मा को अलग करने में तीन वर्ष लगे थे, बिहार से उड़ीसा को और बम्बई से सिन्ध को अलग करते हुए दो-दो वर्ष लगे थे । अब हिन्दुस्तान के दो टुकड़े अर्थाई महीने के समय में ही कर दिये गए ।

स्टेट्स मिनिस्ट्री

२७ जून १९४८ को रियासतों से सम्बन्ध जोड़ने के लिए एक नए विभाग—स्टेट्स मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। इंग्लैंड अपने छत्राधिकार किसी नई डोमोनियन को नहीं सौंपना चाहता था, इसलिए इस नए विभाग की आवश्यकता अनुभव हुई। श्री वल्लभ भाई पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला। मिस्टर अट्टल रत्न सहायक नियुक्त हुए।

३० जून १९४७ को विभाजन समिति (पार्टिशन काँसल) का अधिवेशन लार्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जिसमें श्री वल्लभ भाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, मिस्टर जिन्ना, मिस्टर लियाकतअली, सरदार

बलदेव सिंह, सर क्लाड आचिनलेक, लार्ड इस्मे, सर चन्द्रूलाल त्रिवेदी उपस्थित थे, दिल्ली में हुआ। इस विभाजन समिति ने फौज के विभाजन की नीति—दोनों नई डोमीनियनों की अधिक-से-अधिक भलाई निर्धारित की। जायन्ट डिफेन्स कौंसिल (संयुक्त-रक्षा-समिति) की रचना की गई जिसके दोनों डोमीनियनों के गवर्नर जनरल, दोनों रक्षा मंत्री और हिन्दुस्तानके कमांडर इन-चीफ सदस्य बने। इस संयुक्त रक्षा समिति ने दोनों देशों द्वारा पूरा-पूरा फौजी अनुशासन संभालने के समय तक काम करना था।

३० जून १९४७ को विभाजित पंजाब व बंगाल सीमा कमीशन की सीमाओं का स्पष्टीकरण और निर्णय करने के लिए सीमा कमीशनों की नियुक्ति हुई।

इन कमीशनों के सदस्य ये थे:

पंजाब— मिस्टर जस्टिस दीन मुहम्मद, मिस्टर जस्टिस मुहम्मद मुनीर, मिस्टर जस्टिस मेहरचन्द महाजन, मिस्टर जस्टिस तेजा सिंह।

बंगाल— मिस्टर जस्टिस वी०के० मुकर्जी, मिस्टर जस्टिस सी० सी० विस्वास, मिस्टर जस्टिस ए०एस० मुहम्मद अक्रम, मिस्टर जस्टिस एस०ए० रहमान।

बाद में दोनों कमीशनों के प्रधान सर सीरिल रेडक्लिफ बने जो इंग्लैंड की वार-कौंसिल के उप-प्रधान थे।

भारतीय स्वतन्त्रता कानून देश के विभाजन की मंत्रणा और तत्सम्बन्धी कार्य अब तेजी से चल रहा था। हाउस आफ कामन्स ने हिन्दुस्तान को डोमीनियन स्टेटस देने और देश के विभाजन से सम्बन्धित कानून को पास करने में जितनी फुर्ती दिखाई, इतनी कभी दूसरे महत्वपूर्ण कानून को बनाने में नहीं दिखाई गई। जुलाई में यह बिल कानून बन गया। इस कानून की २० मुख्य धाराएँ और तीन तालिकाएँ थीं। कानून ने दोनों नई डोमीनियनों

का नामकरण इंडिया और पाकिस्तान किया। दोनों देशों की राज्य सीमा, जिसमें सीमा-कमीशन वाद में भी भेद कर सकता था, निर्धारित कर दी गई। नए देशों को राज्य-सत्ता सौंपने की तारीख भी निश्चित होगई—१५ अगस्त १९४७। इस कानूनके अनुसार दोनों देश सांझा या अलहदा-अलहदा गवर्नर जनरल रख सकते थे जो ब्रिटिश सम्राट् का हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें प्रतिनिधित्व करेगा। दोनों देशोंको स्वतन्त्रता मिल गई, चाहे ऐसे कानून इंगलैंड की कानूनी प्रथाओं के विरुद्ध ही क्यों न हों। ब्रिटिश सरकार ने १५ अगस्त १९४७ के बाद इन देशों की सरकारों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखा। नए विधान बनने और लागू होने तक दोनों देशों में विधान यन्त्र गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार ही चलना था। इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के संशोधन के अधिकार मिले। हिन्दुस्तान की फौजों के विभाजन और भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त सरकारी अफसरों के सम्बन्ध में धाराएं भी इस कानून का हिस्सा थीं।

इस एक्ट के पास होने के बाद १५ अगस्त नए गवर्नर-जनरल १९४७ से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के गवर्नर जनरलों की घोषणा १० जुलाई को कर दी

गई। लार्ड माउंटबेटन और मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना क्रमशः हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की नई डोमोनियनों के गवर्नर जनरल बने।

अन्तःकालीन दोनों नए आजाद देशों के लिए खुद वहाँ के नेता सरकार का अभी से सोच-विचार और योजनाएं बना सकें इस, पुनर्निर्माण उद्देश्य से वायसराय ने १९ जुलाई १९४७ को अन्तःकालीन सरकारका पुनर्निर्माण कर दिया। हर विभागके हिन्दुस्तानी व पाकिस्तानी उत्तरदायी मन्त्री नियुक्त हुए। हिन्दुस्तानके लिए जिन्होंने मन्त्री-पद संभाला उनके नाम यह हैं :

पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभ भाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्र-

प्रसाद, मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री राजगोपालाचारी, डाक्टर जान मथाई, स० बलदेवसिंह, श्री सी०एच० भाभा, श्री जगजीवनराम ।

पाकिस्तान की ओर से निर्वाचित निम्न मंत्रियों ने पद संभाला :

मिस्टर जियाकत अली, मिस्टर आई०आई० चुन्द्रीगर, मिस्टर अब्दुल रब निश्तर, मिस्टर गजनफर अली, मिस्टर जोगेन्द्र नाथ मंडल ।

रियासतों ५ जुलाई को रियासतों से सम्बन्धित नए सरकारी हिन्दुस्तान में विभाग के मन्त्री पद को संभालते हुए सरदार वल्लभ

भाई पटेल ने एक वक्तव्य दिया था । उन्होंने रियासतों को विश्वास दिलाया कि केवल रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध और यातायात के तीन प्रश्नों पर ही हिन्दुस्तान उनसे कुछ-कुछ स्वत्वाधिकारों की मांग करता है, उनकी पृथक् सत्ता पर हमला करने की कहीं जरा भी इच्छा नहीं है । इस वक्तव्य का नरेशों पर खास प्रभाव हुआ । नरेशों की एक खास सभा बुलाई गई जिसमें लार्ड माउंटबेटन का महत्वपूर्ण भाषण हुआ । वायसराय ने इन्हें अपने हित पहचानने की अपील की और बताया कि जिन तीन प्रश्नों पर उन्हें अपने अधिकार हिन्दुस्तान को सौंपने हैं उन पर वह अकेले तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इसके लिए अनुभव और साधनों की कमी है ।

वायसराय और श्री पटेल के प्रभाव और मन्त्रणा से कुछ रियासतों को छोड़कर सभी ने हिन्दुस्तान के साथ सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया ।

अब देश विभाजन और स्वतन्त्रता के लिए पूरी तरह तैयार हो गया । गवर्नर जनरल ने १२ अगस्त १९४७ को इंडियन इंडिपेंडेंस ऐक्ट की ६ वीं धारा के मातहत दो आज्ञाएं निकालीं—एक के अनुसार १५ अगस्त से चालू विभाजन समिति भंग हो जानी थी और दोनों देशों के प्रतिनिधि इसके सदस्य बनने थे । दूसरी आज्ञा के अनुसार १४ अगस्त से विभाजन से सम्बन्धित ऋगड़ों को चुकानेके लिए पंच-समिति (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) मनोनीत की गई, जिसके सदस्य ये थे :

सर पैट्रिक स्पेन्स प्रधान, सर हरिलाल कानिया और खाँ बहादुर मुहम्मद इस्माइल ।

गवर्नर-जनरल और वायसराय की हैसियत में लार्ड माउंटबेटन ने अंतिम १० अगस्त १४ अगस्त १९४७ को निकाली । इनसे १५ अगस्त से शुरू होने वाली नई परिस्थिति के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में उचित संशोधन कर दिए ।

१४ अगस्त १९४७ को कराची जाकर लार्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान की विधान-परिषद को इंग्लैंड की ओर से राज्य-सत्ता सौंप दी ।

१४ अगस्त १९४६ की रात के १२ बजे हिन्दुस्तान से इंग्लैंड का राज्य समाप्त हुआ ।

प्रान्तों का विभाजन

पंजाब के विभाजन के विषय में सीमा कमीशन का फैसला, जो कि शेष सदस्यों में गहरा मतभेद होने के कारण केवल प्रधान रैडक्लिफ का ही फैसला था, यह है :

पश्चिमी पंजाब में रावलपिंडी और मुल्तान डिवीज़न के सारे जिले और लाहौर डिवीज़न के गुजरांवाला, शेखुपुरा और स्यालकोट के समूचे जिले; गुरदासपुर जिले की शक्करगढ़ तहसील जो रावी से पश्चिम को स्थित है; लाहौर जिले की चूनियां और लाहौर की तहसील; कसूर तहसील का कुछ हिस्सा, अপর वारी दुआव की नहर जहां से इस तहसील में प्रवेश करती है वहां से लेकर खेमकरण रेलवे स्टेशन की पश्चिम की ओर, और वहां से पूर्व को घूमकर मस्ने के गांव के पास सतलुज नदी तक का पश्चिम प्रदेश ।

पूर्वी पंजाब में जालंधर और अम्बालाके डिवीज़न के सारे जिले और लाहौर डिवीज़नका अमृतसर का समूचा जिला; गुरदासपुर जिले की पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला तहसीलें जो रावी के पूर्व को स्थित

हैं; कसूर तहसील का वह हिस्सा जो पश्चिम पंजाब को नहीं दिया गया।

बंगाल सीमा-कमीशन भी कोई संयुक्त फैसला नहीं कर सकी। प्रधान रैंडविलफ ने जो फैसला दिया उसका विवरण निम्न है :

पूर्वी बंगाल को चिटगांव और ढाका का सारा डिवीज़न मिला। राजशाही डिवीजन के रङ्गपुर, बोगरा, राजशाही और पबना के जिले और प्रेसिडेंसी डिवीज़न का कुलना जिला भी पूर्वी बंगाल में शामिल किया गया है। नादिया जिले के निम्न थाने पूर्वी बङ्गाल में आए हैं—खोकसा, कुमारखाली, कुशितया, मीरपुर, आलमडगा, मेरामारा, गंगनी, दमुढदा, चौडंगा, जीवनगर, मेदरपुर। दौलतपुर का मठबङ्गा के पूर्व का हिस्सा। जेस्सोर का सारा जिला—बोनगांव और गायघाट के थानों को छोड़कर। दिनाजपुर के वह थाने जो पश्चिम बङ्गाल में शामिल नहीं किये गए (सूची आगे है), और रेलवे के पूर्वी भाग का बालुर घाट का हिस्सा। जलपाईगुरी जिले के यह थाने—टिटुलिया, पचगेर, बोडा, देबीगंज, पटभ्राम और कूच-बिहार रियासत के दक्षिण की सीमा। मात्दा जिले के गोमष्टापुर, नचोल, नवाबगंज, शिवगंज और भोला हाट के थाने।

पश्चिमी बङ्गाल : बर्दवान का सारा डिवीज़न; प्रेसिडेंसी डिवीज़न के कलकत्ता, २४ परगना और मुर्शिदाबाद के जिले; राजशाही डिवीज़न का दार्जिलिंग का जिला; नादिया जिले के जो थाने पूर्वी बङ्गाल में नहीं मिले (सूची ऊपर देखें); जेस्सोर जिले के बोनगांव और गायघाट के थाने; दिनाजपुर जिले के निम्न थाने : राजगंज, इटहार, बंसीहारी, कोसमंडी, तापन, गंगारामपुर, कुमारगंज, हमताबाद कालियागंज; बालुरघाट का वह हिस्सा जो रेलवे लाइन के पश्चिम को है; जलपाई-गुरी का जिला, उन थानों को छोड़कर जो पूर्वी बङ्गाल में शामिल कर लिये गए हैं (सूची ऊपर है); माक्का जिले के वह थाने जो पूर्वी बङ्गाल

में शामिल नहीं किये (सूची ऊपर है) ।

आसाम प्रांत का सिलहट का जिला, पथारकंडी, रतवरी, करीमगंज और बदरपुर के ४ थानों को छोड़कर सारा पूर्वी बंगाल के साथ मिला दिया गया है ।

रेलों का विभाजन

विभाजन के फलस्वरूप हिन्दुस्तान की विभिन्न रेलवे कम्पनियों में से नार्थ वेस्टर्न रेलवे और बंगाल आसाम रेलवे को भी बांटना पड़ा । पाकिस्तान में नार्थ वेस्टर्न रेलवे का जो भाग रहा उसे वही नाम दिया गया । जो भाग हिन्दुस्तान में आया (रेलवे का दिल्ली और फिरोजपुर डिवीज़न) उसका नाम ईस्टर्न पंजाब रेलवे रखा गया ।

इसी तरह बंगाल में बंगाल आसाम रेलवे के ब्रॉड गेज सेक्शन का जो हिस्सा पाकिस्तान में आया उसका नाम ईस्टर्न बंगाल रेलवे रख दिया गया । चांदमारी के दक्षिण में जो ब्रॉडगेज सेक्शन है उसका अलग डिवीज़न बना दिया गया और उसे सियालदाह डिवीज़न के नाम से ईस्ट इंडियन रेलवे से मिला दिया गया ।

बंगाल आसाम रेलवे का मीटर गेज सेक्शन जो सियालदाह और बदरपुर से परे है और हिन्दुस्तान में पड़ता है, आसाम रेलवे के नाम से पुकारा जायगा ।

बंगाल आसाम रेलवे के पश्चिमी मीटर गेज का छोटा-सा भाग जो पाकिस्तान की हदों के बाहर रहता है, अवध-तिरहुत रेलवे से मिला दिया जायगा ।

हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति का विभाजन

हिन्दुस्तान की फौज के बंटवारे में हिन्दुस्तान को १५ इन्फेन्ट्री रेजिमेंटें, १२ बख्तरबन्द दस्ते, १८ आर्टिलरी रेजिमेंटें और ६१ इंजीनियरिंग के दस्ते मिले । पाकिस्तान को ८ इन्फेन्ट्री रेजिमेंटें, ६ बख्तर

बंद दस्ते, ८३ आर्टिलरी रेजिमेंटें और ३४ इंजीनियरिंग के दस्ते दिये गए।

छोटे बड़े सब तरह के मिलाकर हिंदुस्तान को ३२ और पाकिस्तान को १६ जहाज मिले।

हवाई जहाज के दस्तों में से हिन्दुस्तान को ७ और पाकिस्तान को १ दस्ता मिला।

सेनाओं के बंटवारे का व्योरा इस प्रकार है :

हिन्दुस्तान

इन्फेन्ट्री रेजिमेंट्स

२ पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, इंडियन-ब्रेनेडियर्स मरहट्टा लाइट इन्फेन्ट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, रायल गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेन्ट्री, बिहार रेजिमेंट, महर रेजिमेंट।

१ हासर्स स्किन्सर्स, २ रायल लैन्सर्स गार्डनर्स आर्मर्ड कोर यूनिट्स (बख्तरबन्द दस्ते) ३ हासर्स, ३ कैवेलरी, ४ हासर्स हाउसन्स हासर्स, ७ कैवेलरी, ८ कैवेलरी किंग जार्ज ५ ओन लाइट कैवेलरी, ६ रायल हासर्स रायल डेक्कन हासर्स, १४ हासर्स सिन्धिया हासर्स, १६ कैवेलरी, १७ हासर्स पूना हासर्स, १८ कैवेलरी किंग एडवर्ड ७ ओन कैवेलरी, सेंट्रल इंडिया हासर्स।

१ फील्ड एस. पी. रेजिमेंट, २ फील्ड एस. पी. आर्टिलरी रेजिमेंट्स रेजिमेंट, ७ फील्ड रेजिमेंट, ८ फील्ड रेजिमेंट, ६ पेरा फील्ड रेजिमेंट, ११ फील्ड रेजिमेंट, १३ फील्ड रेजिमेंट, १६ फील्ड रेजिमेंट, १७ पेरा फील्ड रेजिमेंट (२० सर्वे रेजिमेंट बैट्टरी को छोड़कर) २२ माउंटेन रेजिमेंट, २४ माउंटेन रेजिमेंट, २६ लाइट एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, २७ लाइट एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, ३४

६८ टैंक एस. पी. रेजिमेंट, ३५ एंटी टैंक रेजिमेंट, ३६ एंटी टैंक रेजिमेंट, ३७ एंटी टैंक रेजिमेंट, ४० मीडियम रेजिमेंट ।

७ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ६२४ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ६२५ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ५ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, १ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, १७ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ६२६ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ४०१ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ६२३ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ६ फील्ड कम्पनी, १३ फील्ड कम्पनी, १४ फील्ड कम्पनी, ६५ फील्ड कम्पनी, १५ फील्ड कम्पनी, ३६२ फील्ड कम्पनी, ४३३ फील्ड कम्पनी, १ फील्ड कम्पनी, ७ फील्ड कम्पनी, ३ फील्ड कम्पनी, ६६ फील्ड कम्पनी, ७४ फील्ड कम्पनी, २१-फील्ड कम्पनी, २० फील्ड कम्पनी, २२ फील्ड कम्पनी, १८ फील्ड कम्पनी, ६६ फील्ड कम्पनी, १६ फील्ड कम्पनी, ३२ एंसाट्ट फील्ड कम्पनी, ३७ एंसाट्ट फील्ड कम्पनी, १०१ एंसाट्ट फील्ड कम्पनी, ३६ पेरा फील्ड कम्पनी, ४११ पेरा फील्ड कम्पनी, ११ फील्ड पार्क कम्पनी, ४४ फील्ड पार्क कम्पनी, ३६ फील्ड पार्क कम्पनी, ६८२ फील्ड पार्क कम्पनी, ११ फील्ड पार्क कम्पनी, ४० एयर बोर्न पार्क कम्पनी, ५२ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ६ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ४६ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, १६ वर्कशाप एंड पार्क कम्पनी, ३४४ वर्कशाप एंड पार्क कम्पनी, ६१८ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ८ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६१४, ६६४ एच० क्यू० प्लांट कम्पनी, ६५३ एच० क्यू० प्लांट कम्पनी ७५५ प्लांट प्लेटून, ७५८ प्लांट प्लेटून, ७५३ प्लांट प्लेटून, ७०६ प्लांट प्लेटून, ७४६ प्लांट प्लेटून, ३२० वेज वोरिंग प्लेटून, ५३ प्रिंटिंग सेक्शन, ३५ प्रिंटिंग सेक्शन, ८६ मॅटनेन्स प्लेटून, ८७ मॅटनेन्स प्लेटून ।

नौशक्ति का विभाजन

स्टूप्स

सतलुज, जमना, कृष्णा, कावेरी

फ्रिगेट्स

तीर, कुकरी ।

माइन-स्वीपर्स उड़ीसा, डेक्कन, बिहार, कुमाऊं, खैबर, रुहेलखंड, कर्नाटक, राजपुताना, कोंकण, बम्बई, बंगाल, मद्रास ।

कार्वेट्स आसाम ।
सर्वे वेस्सल इन्वेस्टिगेटर

ट्रालर्स नासिक, कलकत्ता, कोचीन, अमृतसर ।

मोटर-माइन-स्वीपर्स ये संख्या में चार हैं ।

हार्बर डिफेन्स मोटर लॉचज़ संख्या में चार ।

हवाई शक्ति का विभाजन

७ लड़ाकू जहाजों के दस्ते और १ सामान ढोने वाला दस्ता ।

पाकिस्तान

१ पंजाब रेजिमेंट, ८ पंजाब रेजिमेंट, बलूच इन्फेन्टरी रेजिमेंट्स रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स राइफल, १४ पंजाब रेजिमेंट, १५ पंजाब रेजिमेंट, १६ पंजाब रेजिमेंट ।

५ हार्स प्रोविन्स हार्स, ६ लेन्सर्स ड्यूक ऑफ आर्मर्ड कोर यूनिट्स कनाट्स आन लेन्सर्स, १० गाइड्स कैवेलरी, (बख्तरबंद दस्ते) १३ लेन्सर्स ड्यूक ऑफ कनाट्स आन लेन्सर्स, १६ लेन्सर्स किंग जार्ज ५ आन लेन्सर्स, ११ कैवेलरी प्रिन्स एलबर्ट ब्रिक्टर्स आन कैवेलरी ।

३ फील्ड रेजिमेंट, ४ फोल्ड एस.पी. रेजिमेंट, ५ आर्टिलरी रेजिमेंट्स फील्ड रेजिमेंट, २० सर्व रेजिमेंट की बैटरी, २१ माउंटेन रेजिमेंट, १८ हेवी एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, २५ लाइट एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, ३३ एंटी टैंक रेजिमेंट, ३८ मीडियम रेजिमेंट ।

४७४ एच० क्यू० इंजीनियरिंग ब्रिगेड, २ एच० इंजीनियर यूनिट्स क्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, ६२२ एच० क्यू० इंजीन

नियरिंग ग्रुप, ४ एच० व्यू० इंजीनियरिंग ग्रुप, २ फील्ड कम्पनी, ५ फील्ड कम्पनी, ४ फील्ड कम्पनी, ६८ फील्ड कम्पनी, ७१ फील्ड कम्पनी, १७ फील्ड कम्पनी, ६८ फील्ड कम्पनी, ६१ फील्ड कम्पनी, ७० फील्ड कम्पनी, ३१ एलाट फील्ड कम्पनी, ३३ पैरा फील्ड कम्पनी, ४३ फील्ड पार्क कम्पनी, ३२२ फील्ड पार्क कम्पनी, ४२ फील्ड पार्क कम्पनी, ६७ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ३४५ वर्कशाप एंड पार्क कम्पनी, ६१६ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६०५ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६०६ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६५६ एच० व्यू० प्लांट कम्पनी, ७२७ प्लांट प्लेटून, ७१५ प्लांट प्लेटून, ७१७ प्लांट प्लेटून, ७१८ प्लांट प्लेटून, ७५० प्लांट प्लेटून, ३१७ वेल बोरिंग प्लेटून, ३१६ वेल बोरिंग प्लेटून, ५१ प्रिंटिंग सेक्शन, ८८ मेन्टेनेन्स प्लेटून ।

नौशक्ति का विभाजन

स्लूप्स	नर्बदा गोदावरी ।
फ़िगोट्स	शमशेर, धनुष ।
माइन-स्वीपर्स	काठियावाड़, बलचिस्तान, मालवा, अरब ।
ट्रालर्स	रामपुर, बड़ौदा ।
मोटर-माइन-स्वीपर्स	संख्या में दो ।
हार्वर डिफेन्स मोटर लांचिज	संख्या में चार ।

हवाई शक्ति का विभाजन

१ लड़ाकू दस्ता और १ सामान ढोने वाला दस्ता ।

हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा

२५ फरवरी १९४८ को हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा जनता के सामने रखा गया। विधान परिषद की जिस समिति ने इस मसविदे को, विधान परिषद के निर्णयों के अनुसार, लिखा है उसके सदस्योंके नाम ये हैं—डाक्टर बी०आर० अम्बेदकर प्रधान, श्री एन० गोपाला-स्वामी आर्यंगर, श्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, श्री के० एम० मुन्शी, श्री एन० माधवरात्र, श्री डी० पी० खैतान, सय्यद मुहम्मद सादुल्ला।

मसविदे के १८ अध्याय, ३१५ धाराएं और ८ तालिका हैं।

विधान का उद्देश्य है सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो; उन्हें विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले; अवसर व प्रस्थिति में समता हो; प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के ऐक्य का आश्वासन देते हुए यह विधान सबमें प्रेम का संवर्धन करे।

मौलिक अधिकार विधान में अन्तर्गत हैं और कानून द्वारा प्रत्येक नागरिक उनकी प्राप्ति कर सकता है। मौलिक अधिकारों में समता, धर्म, संस्कृति और शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार, जायदाद और वैधानिक सहायता के अधिकार शामिल हैं। धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंग-भेद को मानने पर प्रतिरोध है। सरकारी नौकरियों में सब नागरिकों को सम-अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता को गैर-कानूनी ठहरा दिया गया है। खिताब नहीं दिये जायंगे और कोई नागरिक किसी विदेशी शासन से भी खिताब नहीं ले सकेगा।

विधान की रूपरेखा इस प्रकार है—

भूमिका

इसमें विधान का उद्देश्य कहा गया है—एक स्वतंत्र प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना; सब नागरिकों को सर्वविध न्याय प्राप्त करवाना—सामाजिक आर्थिक अथवा राजनैतिक; विचार, अभिव्यक्ति,

विश्वास, धर्म व पूजा की स्वतंत्रता; सबमें भाईचारे को बढ़ाना जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना मान सुरक्षित रख सके और राष्ट्र की एकता बनी रहे ।

१ अध्याय

इसमें हिन्दुस्तान को राज्यों का एक संघ देश की सीमा (इंडियन यूनियन) कहा गया है; संघ की प्रत्येक इकाई को, चाहे वह प्रान्त हो, वीफ कमिश्नर द्वारा स्थापित प्रदेश हो अथवा रियासत हो, अब राज्य कहा जायगा ।

इस अध्याय में यह भी उल्लिखित है कि नए राज्य बनाए जा सकते हैं, और संघ में शामिल किये जा सकते हैं ।

२ अध्याय

धारा ५ में कहा गया है कि विधान के आरम्भ नागरिकता होने के समय किस व्यक्ति को हिन्दुस्तान का नागरिक समझा जा सकेगा । हर उस व्यक्ति को जिसका, अथवा उसके माता पिता का, अथवा नाना-दादा का, हिन्दुस्तान की सीमा में जन्म हुआ हो और जिसने अप्रैल १९४७ से किसी विदेश में अपना स्थायी घर न बना लिया हो, अथवा हर व्यक्ति जिसका, अथवा उसके माता-पिता व नाना-दादा का, जन्म हिन्दुस्तान (१९३५ के ऐक्ट की परिभाषा के अनुसार) व बर्मा, लंका अथवा मलाया में हुआ हो और जो हिन्दुस्तान की सीमा में बस गया हो, हिन्दुस्तान का नागरिक माना जायगा ।

हिन्दुस्तान का नागरिक बनने के लिए हर व्यक्ति का जन्म, परिवार अथवा निवास द्वारा इस देश से भौतिक सम्बन्ध होना जरूरी है ।

विधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्ति का कानून संघ की धारा-सभा (संसद) बनाएगी ।

३ अध्याय

इस अध्याय में समता के अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार, सम्पत्ति और वैधानिक-साधन-विषयक अधिकारों का उल्लेख है। धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंग के कारण किसी नागरिक से भेद बर्ताव नहीं होगा। सार्वजनिक नौकरियों में सब नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता और छुआछूत की प्रथाएं भंग कर दी गई हैं। नागरिकों को खिताब नहीं मिलेंगे, न वह किसी विदेश से ही खिताब पा सकेंगे।

भाषण की, शान्तिपूर्वक—बिना अस्त्र-शस्त्र के—मिलने-जुलने की, सभाएं, संस्थाएँ व संघ बनाने की, भारत में कहीं भी घूमने-फिरने व बसने की, कहीं भी जायदाद खरीदने व बेचने की, कोई भी व्यवसाय व व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।

कोई भी धर्म अपनाने की, उसके अनुसार व्यवहार करने की अथवा उसका प्रचार करने की सबको स्वतंत्रता है।

बेगार और बलात् मजदूरी करवाने पर रोक है। अल्प-संख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा की जायगी।

इन सब अधिकारों का प्रचलन सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा करवाया जा सकता है।

४ अध्याय

यद्यपि इन निर्देशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अदालती कार्यवाही नहीं हो सकती, फिर भी देश के शासन में इसे मौलिक नीति माना जायगा। राष्ट्र का कर्तव्य होगा कि कानून व नियम बनाते समय इस नीति का ध्यान रखे।

यह नया राष्ट्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर व उसकी

रचा कर, जहां सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सबको प्राप्त हों, जनता की भलाई का प्रतिपादन करेगा। सबको शिक्षा दी जायगी, काम की परिस्थितियां न्यायपूर्ण व मानवीय होंगी, मजदूरों को जीवनोचित मजदूरी मिलेगी।

५ अध्याय

शासन वर्ग

राष्ट्र का मुखिया हिन्दुस्तान प्रधान होगा। संघ की सब शासन-सत्ता प्रधान में निहित है, उसका प्रयोग वह उत्तरदायी मंत्रियोंके सलाह-मशविरे के अनुसार करेगा। केन्द्र की दोनों परिषदों और राज्यों की धारा-सभाओं के सब निर्वाचित सदस्य मिलकर प्रधान का चुनाव करेंगे। प्रधान अपने पद पर पांच वर्ष के लिए रहा करेगा; दोबारा केवल एक बार के लिए उसका फिर चुनाव भी हो सकता है। प्रधान की आयु कम-से-कम ३५ वर्ष होनी चाहिए और उसका केन्द्र की जन-सभा के लिए चुने जाने का अधिकारी होना आवश्यक है। विधान का उल्लंघन करने पर उसे दोषी भी घोषित किया जा सकता है। प्रधान की सहायता के लिए एक उप-प्रधान भी होगा। यह उप-प्रधान ही राज्यों की परिषद का प्रधान होगा। उप-प्रधान का चुनाव केन्द्रीय परिषदों के सदस्य एक सांभे सम्मेलन में किया करेंगे। वह भी ५ वर्ष के लिए पदारूढ रहा करेगा। प्रधान के पद के कभी खाली हो जाने पर अगले निर्वाचन तक उप-प्रधान ही कार्य संभालेगा। प्रधान व उप-प्रधान के निर्वाचन सम्बन्धी ऋगड़ों की छानबीन का निर्णय सर्वोच्च अदालत किया करेगी।

प्रधान को अपना कर्तव्य निभाने में सहायक मंत्रि-मंडल होने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करेगा। जन-सभा के प्रति यह मंत्रिमंडल सांभे तौर पर उत्तरदायी होगा। भारत सरकार द्वारा उठाया हुआ हर सरकारी कदम प्रधान द्वारा उठाया हुआ कदम कहा जायगा। प्रधान मंत्री

का कर्तव्य है कि संघ के शासन के विषय में सब सूचना प्रधान को दिया करे। इसके अलावा एक एटार्नी-जनरल (महा प्राभिकर्ता) भी नियुक्त होगा जिसके कर्तव्य आधुनिक एडवोकेट-जनरल के समान होंगे।

जन-सभा व राज्य-परिषद्

संघ की विधायक सभाएं प्रधान व दो अन्य सभाओंसे मिलकर बनेंगी। उनका नाम राज्य-परिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) व जन-सभा (हाउस आफ पीपल) होगा। राज्य-परिषद् के सदस्यों की संख्या २५० होगी; इनमें से १५ सदस्य, जो कि देश की कला, विज्ञान, साहित्य आदि का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रधान द्वारा मनोनीत किए जायेंगे। शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। जन-सभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं होगी। इनका चुनाव वयस्क मत-धिकार के सिद्धान्त के अनुसार होगा और देश की आबादी के हर साढ़े तीन लाख लोगों का एक से कम प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा, और पाँच लाख आबादी का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा।

राज्य-परिषद् स्थायी होगी; इसकी सदस्य-संख्या का एक तिहाई हिस्सा दो वर्षों के बाद सदस्यता से हट जाया करेगा।

जन-सभा का काल पाँच वर्ष होगा। संकटकाल में इसकी आयु एक वर्ष के लिए और बढ़ सकती है। -

हर अधिवेशन के आरम्भ में राज्य-परिषद् व जन-सभा का एक साँझा सम्मेलन हुआ करेगा जिसमें प्रधान का भाषण होगा।

संघ की सभाओं की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हुआ करेगी। जहाँ कोई सदस्य अपने को इन दोनों भाषाओं में व्यक्त नहीं कर सकता, सभा का प्रधान उसे अपनी मातृ-भाषा में बोलने की इजाजत भी दे सकता है।

प्रधान की कानून बनाने की ताकत

जब कि राज्य-परिषद् व जन-सभाका अधिवेशन न हो, प्रधान को विशिष्ट आज्ञाओं (आर्डिनेन्सों) द्वारा कानून बनाने की ताकत भी दे दी गई है। ऐसी विशिष्ट आज्ञाएं प्रधान अपने

मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही निकाल सकता है। इन आज्ञाओं की अवधि राज्य-परिषद् व जन-सभा के अधिवेशन के शुरू होने के ६ सप्ताह तक ही होगी।

सर्वोच्च अदालत

संघ-न्याय-यन्त्र की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में प्रमुख न्यायाधीश और कम-से-कम सात दूसरे न्यायाधीश होंगे। परिमित काल के

लिए सर्वोच्च अदालत में काम करने के लिए प्रमुख न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीशों को मनोनीत भी कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश, जो अपना अवधिकाल समाप्त कर चुके हैं, कुछ अवसरों पर अदालतों की कार्रवाहियों में हिस्सा ले सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट व किसी दूसरी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका है, वाद में हिन्दुस्तान की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च अदालत के अधिकारों में मौलिक (ओरिजिनल) पुनर्विचार (अपील) और मन्त्रणा-सम्बन्धी (एडवाइज़री) मामलों की सुनवाई के अधिकार होंगे। मौलिक मामले संघ व किसी राज्य में झगड़े अथवा किन्हीं दो राज्यों में झगड़े तक, जहाँ कि कोई कानूनी अड़चन उपस्थित हुई हो, सीमित रहेंगे। किन्हीं विशिष्ट समझौतों से सम्बन्धित झगड़ों की सुनवाई न हो, सकेंगी। पुनर्विचार (अपील) सम्बन्धी वही मामले पेश हो सकेंगे जहाँ विधान की व्याख्या पर भेद हो अथवा ऐसे सब मामले जिनकी अपील आज फेडरल कोर्ट अथवा डिज़ मैजेस्ट्री-इन-कौंसिल के सामने पेश होती है। बीस हजार रुपये से कम के दीवानी दावों के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ सकेंगे। संघ का प्रधान सलाह के लिए जब कोई प्रश्न इस अदालत के सामने रखे, तब यह अदालत उस

पर मन्त्रणा भी दे सकती है ।

हिन्दुस्तान की अदालतों में हुए किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत द्वारा विशेष आज्ञा पाकर, वहाँ अपील की जा सकेगी ।

विधान की व्याख्या से सम्बन्धित मामलों के और प्रधान द्वारा मन्त्रणा लेने के अवसर पर सर्वोच्च अदालत के सभी न्यायाधीश एक साथ बैठ करेंगे । इस विषय का फैसला केन्द्रीय विधायक सभाएं करेंगी कि शेष मामलों में सभी न्यायाधीश एक साथ बैठेंगे अथवा नहीं ।

१९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट की धाराओं के अनुसार ही हिन्दुस्तानके आडिटर-जनरल की नियुक्ति के नियम बनाए गए हैं ।

आडिटर-जनरल
(महाकैलक)

६ अध्याय

हर राज्य का एक (गवर्नर) शासक होगा और राज्य का शासन अधिकार उसीमें निहित समझा जायगा ।

विधान के मसविदे में शासक के चुनाव के दो तरीके दिये गए हैं ।
(१) राज्य में जिन लोगों को धारा-सभा के चुनाव के लिए मताधिकार प्राप्त है, वह खुद शालक का निर्वाचन करेंगे । (२) राज्य की धारा-सभा किन्हीं चार व्यक्तियों की सूची, चाहे वह राज्य के निवासी हों अथवा न हों, प्रधान के सामने पेश करेगी । प्रधान उनमें से शासक की नियुक्ति करेगा ।

शासक निर्वाचन के विरुद्ध यह आपत्ति है कि शासक और प्रधान मंत्री दोनों के ही जनता द्वारा निर्वाचन पर उनमें मत भेद की अधिक सम्भावना रहेगी ।

शासक का अवधिकाल पाँच वर्ष होगा । विधान के उल्लंघन पर शासक को दोषी भी ठहराया जा सकता है ।

उप-शासक का पद नहीं बनाया गया है । शासक की अनुपस्थिति में राज्य की धारा-सभा उचित प्रबन्ध कर सकती है ।

शासक को अधिकार-प्रयोग में सहायता देने के
 मंत्रि-मंडल लिए हर राज्य में मंत्रिमंडल बनेंगे। प्रधान
 मंत्री इनके सुलिया होंगे। शासक इसी मंत्रि-

मंडल की सन्त्राला के अनुसार काम करेगा; केवल धारा-सभा को बुलाने
 व भंग करने, राज्य की पब्लिक-सर्विज-कमीशन के सदस्यों व प्रधान
 को मनोनयित करने, रियासत के प्रमुख आडिटर को नियुक्त करने और
 राज्य की शान्ति व व्यवस्था के प्रति संकट पैदा होने की घोषणा के
 समय वह मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेगा। राज्य शान्ति व व्यवस्था
 के लिए कतरा पैदा हो गया है, एतस्मिन्वन्धी घोषणा शासक केवल दो
 सप्ताह के लिए ही कर सकता है। फिर उसे प्रधान को सूचित करना
 होगा। राज्य में शासन वर्ग की सब आजाएं शासक (गवर्नर) के नाम
 से जारी की जायंगी। राज्य की शासन-परिस्थिति शासक को जतलाना
 प्रधान मंत्री का कर्तव्य है।

एडवोकेट-जनरल हर राज्य में एक एडवोकेट-जनरल होगा।
 (महाधिवक्ता) प्रधान मंत्री के स्तीफा देने पर एडवोकेट-
 जनरल को अपने पद से हट जाना होगा।

राज्यों की विधायक सभाएं शासक और दो सभाओं (लेजिस्लेटिव
 असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल) की बनेंगी; कुछ राज्यों में केवल
 लेजिस्लेटिव असेम्बलियां ही होंगी। किन्तु राज्यों में दोनों सभाएं होंगी,
 इसका निश्चय अभी नहीं किया गया।

लेजिस्लेटिव असेम्बली की सदस्यता ६० से कम अथवा ३०० से
 अधिक नहीं हो सकती। वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार
 इसके सदस्यों का चुनाव होगा। एक लाख जनता के लिए एक से
 अधिक प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं हो सकेगा।

जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव कौंसिल होगी, उन कौंसिलों की सद-
 स्यता असेम्बलियों की सदस्यता से एक चौथाई से अधिक नहीं होगी।

आधे सदस्य व्यवसायानुसार सूचियों में से चुने जाया करेंगे; एक तिहाई असेम्बलियों द्वारा चुने जाया करेंगे; शेष को शासक मनोनीत करेगा।

लेजिस्लेटिव असेम्बली का अवधिकाल पांच वर्ष होगा। कौंसिल स्थायी संस्था होगी जिसके सदस्यों का एक-तिहाई हिस्सा हर तीसरे वर्ष सदस्यता से हट जाया करेगा।

राज्यों की धारा-सभाओं में राज्यों का चालू बोली, हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में अपने आप को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता तो अपनी मातृ-भाषा में बोलने की आज्ञा भी दी जा सकती है।

राज्यों की धारा-सभा का जब अधिवेशन न हो शासक के कानून-रचना के अधिकार रहा हो तो शासक विशिष्ट आज्ञाएं (आर्डिनेंस) जारी कर सकता है। ऐसी आज्ञाएं मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी की जा सकती हैं। धारा-सभा के शुरू होने के ६ सप्ताह बाद यह आज्ञाएं समाप्त हुई समझी जायंगी।

जब राज्य में संकट-कालीन परिस्थिति पैदा हो जाए तो शासक विधान की कुछ धाराओं का दो सप्ताह की अवधि के लिए चलन रोक सकता है, और शासक का कर्तव्य है कि इस स्थिति की प्रधान को सूचना दे। इस सूचना को पाकर प्रधान या तो शासक की आज्ञा को रद्द कर देगा अथवा अपनी ओर से एक नई आज्ञा निकालेगा। इसका प्रभाव यह होगा कि राज्य के शासन-वर्ग का स्थान संघ का केन्द्रीय शासन-वर्ग ले लेगा और राज्यकी धारा-सभा की जगह केन्द्रीय धारा-सभा काम करेगी। घोषणा की अवधि में वह राज्य केन्द्र द्वारा शासित होगा।

राज्यों में हाई-कोर्ट राज्यों में हाई-कोर्टों का संगठन १९३५ के गवर्नमेंट

(उच्च न्यायालय) आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार ही होगा ।
 हाईकोर्ट का न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अथवा अधिकाधिक ६५ वर्ष की आयु तक ही, अपने पद पर रह सकता है । अपने पद से हट जाने के बाद हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता । कुछ अवसरों पर हाईकोर्टों में उन न्यायाधीशों की सहायता भी ली जा सकती है जो अपने पद छोड़ चुके हों ।

केन्द्र की विधायक परिषद् कानून बनाकर किसी भी हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है ।

प्रमुख आडिटर हर राज्य का अपना प्रमुख आडिटर होगा (मुख्याधिकार) जिसके कर्तव्य १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में लिखे अनुसार ही होंगे ।

७ अध्याय

इस अध्याय में उन राज्यों की चर्चा की है जहाँ का शासन आजकल केन्द्र के मातहत चीफ कमिश्नरों के हाथ में है—अर्थात् दिल्ली, अजमेर-मेरवाड, कुर्ग, पंथ-पिपलोडा । इन राज्यों का शासन नए विधान के अनुसार भी चीफ कमिश्नरों, लेफ्टि० गवर्नरों अथवा पड़ोस के राज्यों के शासकों द्वारा ही सम्पन्न होगा । किसी विशेष प्रदेश के मामले में क्या करना है, इसका निश्चय प्रधान ही एक आज्ञा द्वारा करेंगे । ऐसा करने से पहले उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सलाह लेनी होगी । इन प्रदेशों में प्रधान, स्थानीय धारा-सभाएं अथवा सलाहकारों की समितियाँ, उनके विधान और शक्तियाँ नियत कर सकेंगे ।

आजकल की जो रियासतें अपनी राज्यशक्ति भारतीय केन्द्र को सौंप देगी, उन पर भी केन्द्र द्वारा शासन हो सकता है ।

८ अध्याय

अंडमान द्वीप इस अध्याय में अंडमान और निकोबार द्वीपों के शासन के सम्बन्ध में लिखा है। प्रधान इनके शासन के लिए चीफ कमिश्नर या कोई दूसरा अफसर नियत करेंगे। इन द्वीपों की शान्ति व व्यवस्था के लिए प्रधान को नियमादि बनाने का अधिकार है।

९ अध्याय

संघ और राज्य संघ और राज्यों में कानून निर्माण के व शासन विषयक क्या सम्बन्ध होंगे, इस अध्याय में इसका वर्णन है। कानून की वही सूचियां अपना ली गई हैं जो यूनियन पावर्स कमेटी ने बनाई थीं और विधान-परिषद् ने स्वीकार कर ली थीं।

विधान में यह लिखा गया है कि जब कोई प्रश्न जो कि साधारण-तया कानून-निर्माण की राज्य-अन्तर्गत सूची में शामिल है, समस्त देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाए, तब संघ की विधायक-सभा को अधिकार है कि उस विषय पर कानून बना सके। यह तभी हो सकता है जब कि राज्य-परिषद् दो-तिहाई की बहुसंस्था से इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास कर दे।

ऐसे विषयों में, जिन पर राज्य व संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं, उत्तराधिकार का सारा प्रश्न ही शामिल कर लिया गया है। उत्तराधिकार को कृषि के अतिरिक्त दूसरी सम्पत्ति तक सीमित नहीं रखा गया।

ऐसे सब मामले भी जिनमें कि लोग व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) द्वारा शासित होते हैं, साम्नी सूची में शामिल कर लिये गए हैं ताकि सारे हिन्दुस्तान के लिए एक-सा कानून बनाया जा सके।

विधान लागू होनेके पांच साल तक आवश्यक चीजों—सूती कपड़े,

खाद्य, अनाज, पेट्रोल आदि का व्यापार, उत्पादन, वितरण और शरणार्थियों को फिर से बसाने का विषय, सांझी सूची में रहेगा।

जरूरत पढ़ने पर कोई भी आजकल की रियासत किसी आजकल के प्रान्त अथवा केन्द्र को अपने प्रदेश का शासन-भार सौंप सकती है।

व्यापार के लिए कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के प्रति पक्षपातपूर्ण अथवा भेदकारी व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई राज्य युक्तिसंगत प्रतिबन्ध जरूर लगा सकता है।

राज्यों के आपसी झगड़े सुलझाने के लिए और सुव्यवस्थित नीति अपनाने के उद्देश्य से प्रधान कुछ राज्यों का मिला-जुला मण्डल बना सकते हैं।

१० अध्याय

अर्थ-व्यवस्था

इस अध्याय का सम्बन्ध अर्थ-व्यवस्था, सम्पत्ति, ठेके और ढावों से है।

केन्द्र व राज्यों में आय-विभाजन के और केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने के वही तरीके रखे गए हैं जो १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उल्लिखित हैं। पांच वर्ष बाद एक अर्थ-समिति का आयोजन हो सकेगा जो इस आय के विभाजन पर और राज्यों और केन्द्र के अर्थ-सम्बन्धी दूसरे प्रश्नों पर विचार करेगी।

शेष प्रश्नों पर प्रायः आधुनिक कानूनकी धाराएं ही रखे ली गई हैं।

११ अध्याय

संकटकालीन
अधिकार

जब आन्तरिक अशान्ति और हिंसा अथवा युद्ध से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए तो प्रधान देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा

कर सकता है।

१२ अध्याय

सम्बन्धित धारा-सभाएं सरकारी नौकरियों के सरकारी नौकरियां विषय में विस्तृत नियमादि बनाएंगी। इसके अलावा केन्द्र व राज्यों में १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्टकी धाराओंके अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के नियम बनाए गए हैं।

१३ अध्याय

चुनाव

केन्द्रीय परिषदों के चुनाव के निर्देश के लिए प्रधान एक चुनाव-कमीशन बनाया करेंगे। राज्यों में चुनाव के लिए इसी तरह चुनाव-कमीशनें राज्य के शासकों द्वारा मनोनीत होंगी।

१४ अध्याय

अल्प-संख्यकों का प्रश्न

इस अध्याय में अल्प-संख्यकों के संरक्षण के प्रश्न पर कानून बनाए गए हैं। विधानके लागू होने से दस वर्ष तक के लिए केन्द्र की जन-सभा और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए मुसलमान, अछूत, परिगणित जातियां और हिन्दुस्तानी इसाइयों की (केवल बम्बई और मद्रास में) सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। दस वर्ष की अवधि के लिए सरकारी नौकरियों से सम्बन्धित एंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय की शिक्षा के लिए विशेष संरक्षणों को और अर्थ-सहायता को कायम रखा गया है।

अल्प-संख्यकों के लिए केन्द्र में और राज्योंमें विशेष अफसरों की नियुक्ति होगी और समय-समय पर एक कमीशन पिछड़ी जातियों की दशा की छानबीन किया करेगा। एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति भी होगी जो परिगणित प्रदेशों के शासन की व वहां की निवासी परिगणित जाति की दशा पर रिपोर्ट तैयार करेगा।

१५ अध्याय

प्रधान व शासकों
की रक्षा

प्रधान व शासकों पर उनकी पद-अवधिमें कोई भी दीवानी व फौजदारी मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा ।

१६ अध्याय

संशोधन

इस अध्यायमें विधान-संशोधन सम्बन्धी धाराएं हैं। इसके लिए साधारण तौर पर जन-सभा अथवा राज्य-परिषद के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मतों का होना आवश्यक है । साथ में दोनों परिषदों की-समस्त सदस्य-संख्या का बहुमत भी होना चाहिए । काजून की सूची के परिवर्तन में, राज्यों के केन्द्रीय परिषदोंमें प्रतिनिधित्व के अथवा सर्वोच्च अदालत की शक्तियों के परिवर्तन में संशोधन के लिए जरूरी है कि आधे से ज्यादा उन राज्यों की धारा-सभाएं, जो कि आजकल के प्रान्त हैं और एक-तिहाई से अधिक उन राज्यों की धारा-सभाएं जो कि आजकल हिन्दुस्तान की रियासतें हैं, इस संशोधन को स्वीकार करें ।

१७ अध्याय

अस्थायी प्रबन्ध विधान के लागू होने पर प्रचलित कानून चालू रहेंगे; उन कानूनों को विधान की धाराओं के तद्रूप करने के लिए प्रधान कोई परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। जब तक कि केन्द्रीय परिषदोंका चुनाव न हो ले, आधुनिक विधान-परिषद ही केन्द्रीय परिषदोंका काम निभायगी। विधान-सभा जिस व्यक्ति को प्रधान-पद के लिए चुनेगी, वही नए स्थायी प्रधान के चुने जाने तक अस्थायी प्रधान रहेगा ।

इस विधान के शुरू होने पर जो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल होगा वही अस्थायी प्रधान का अस्थायी मंत्रिमण्डल बन जायगा ।

इसी तरह प्रान्तों में राज्य के गवर्नर, मंत्रिमण्डल और धारा-सभाओं के लिए प्रबन्ध हुए हैं ।

फेडरल-कोर्ट के न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के, और प्रान्तीय हाईकोर्टों के न्यायाधीश राज्यों की हाईकोर्टों के न्यायाधीश बन जायेंगे ।

इस अध्याय के विषय में जो कोई कठिनाइयां रह गई हैं तो प्रधान उन्हें अपनी आज्ञाओं द्वारा हटा सकेंगे; यह आज्ञाएं केन्द्रीय परिषद के पहले अधिवेशन तक जारी रहेंगी ।

१८ अध्याय

खंडन

जिस तारीख को इस विधान ने लागू होना है, उसकी घोषणा बाद में होगी । नए विधान के लागू होने पर १९४७ का इंडियन इंडिपेंडेंस ऐक्ट, १९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट और इसके सब संशोधन व परिवर्तन रह समझे जायेंगे ।

अनुसूचियां

(१) इसके चार हिस्से हैं । पहले हिस्से में उन राज्यों का नाम दिया गया है जो कि आजकल के प्रांत हैं । दूसरे हिस्से में चीफ कमिश्नरों के प्रांतों का नाम है । तीसरे हिस्से में उन सब देशी रियासतों का नाम लिखा होगा जो कि विधान के लागू होने तक हिन्दुस्तान से मिल चुकी होंगी । अंतिम हिस्से में अंडमान और निकोबार द्वीपों का उल्लेख है ।

(२) इसमें प्रधान आदि के वेतन का उल्लेख है, जो इस प्रकार होंगे—
 प्रधान—५५०० रुपये मासिक । शासक—४५०० । सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश—५००० । हाईकोर्टों के प्रमुख न्यायाधीश—४००० ।
 दोनों अदालतों के दूसरे न्यायाधीश प्रमुखों से ५०० कम पाएंगे ।

(३) केन्द्रीय परिषदों के व राज्यों की धारा-सभाओं के सदस्य, देश के उच्च पदाधिकारी व अदालतों के न्यायाधीश जो पद की शपथ, घोषणाएं व मन्त्रणाओं को गुप्त रखने की सौगन्ध खाएंगे, इसमें उनका जिक्र है ।

- (४) इसमें राज्यों के शासकों के लिए निर्देश दिये गए हैं ।
- (१५६) आसाम व आसाममें बसने वाली कवायली जातियों को छोड़कर इनमें क्रमशः परिगणित प्रदेशों व उनमें बसने वाली परिगणित जातियों का जिक्र है ।
- (७) इसमें कानून-निर्माणके अधिकारकी केन्द्रीय वा राज्यों की अधिकार अन्तर्गत सूचियों का उल्लेख है ।
- (८) आज के प्रांतों के जो राज्य बनेंगे, उनमें जो परिगणित जातियां हैं, इसमें उनका उल्लेख है ।

देशी रियासतें

पराधीनता के अंतिम दिन तक

राष्ट्रीयता के हमलों से बचने के लिए विदेशी साम्राज्य ने हिन्दुस्तान में जो दीवारें बना रखी थीं उनमें से एक दीवार का नाम था—देशी रियासतें । ये १८४४ रियासतें—इनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आमदनी की १६ रियासतें थीं और ऐसी रियासतें भी थीं जिनकी आमदनी एक भड़भूजे की आमदनी से अधिक न थी, इनमें ८४,४७१ वर्ग मील (काश्मीर) और ८२,३१३ वर्गमील (हैदराबाद) के क्षेत्र की रियासतें भी थीं और १० वर्गमील के क्षेत्र से कम की २०२ रियासतें भी थीं—यह १८४४ रियासतें १५ अगस्त १६४७ के पहले के हिन्दुस्तान के ४५ प्रतिशत क्षेत्र की मालिक थीं । बीसवीं सदी के शुरु से उठ रहा राष्ट्रीयता का तूफान इनके आधिपत्य में सरसरा तक नहीं सकता था । इतने बड़े क्षेत्र में प्रतिगामी सामन्तवाद को जीवित रखता था केवल विदेशी शासन का हित । ब्रिटिश छत्राधिकार के तले यह प्रति-क्रिया का मूल पनपता था और अन्त तक पनपता रहा । अंग्रेजों ने

हिन्दुस्तान से निकलने के समय इन रियासतों के सम्बन्ध में छत्राधिकार-नए शासन को न सौंपने की जिज्ञासु नीति की घोषणा की उसमें देश के छिन्न भिन्न होने के बीज थे। इस महान् संकट से हिन्दुस्तान लार्ड माउंटबेटन की संलग्नता और श्री वल्लभभाई पटेल की राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता से परिपूर्ण कार्य-संचालन से बच गया।

इन ५८४ रियासतों में से ४० रियासतों की अंग्रेजों से विशेष सन्धियां थीं। पर्याप्त संख्या का कोई-न-कोई समझौता था अथवा सरकारी सनद प्राप्त थी। शेषकी सत्ताको ब्रिटिश सम्राट स्वीकार करते थे।

१५ अगस्त १९४७ के बाद के हिन्दुस्तान का ४८ प्रतिशत क्षेत्र (५,८७,८८८ वर्ग मील) उन रियासतों का था जो देश के भूगोल से गहराई से उलझी हुई थीं। हिन्दुस्तान के नए स्वतन्त्र राष्ट्र का हित तभी सुरक्षित रह सकता था जब उसके अन्तर में स्थित ४८ प्रतिशत क्षेत्र अपना हित देश के हित में मान ले। आवश्यक हो गया कि ये सभी रियासतें अपने को हिन्दुस्तान का अंग समझें।

१९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार इन रियासतों को रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात के विषयों पर हिन्दुस्तानी संघ से सम्बन्धित करने की योजना बनाई गई। इन विषयों के अतिरिक्त शेष अधिकार-क्षेत्र पर ब्रिटेन का छत्राधिकार ही यथापूर्व बने रहना था। इन रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए हिन्दुस्तान के प्रतिगामियों के साथ मिलकर देश की उन्नति में रोड़ा अटक सकना सुलभ था।

लेकिन १९३५ के एक्ट की संघ-योजना लागू न की जा सकी।

१९३६ से १९४६ तक हिन्दुस्तान की राजनैतिक शान्ति व क्रान्ति-मय उथल-पुथल में रियासतों का अधिक उल्लेख नहीं है। १६ मई ४६ की कैबिनेट मिशन योजना ने यह प्रस्ताव रखा कि हिन्दुस्तान को राज्य-सत्ता सौंपते वक्त ब्रिटेन अपने छत्राधिकारों (पैरामाउंट्सी) को न तो स्वयं अपने पास रख सकता है, न नई राज्य-सत्ता को ही सौंप

सकता है। रियासतों और हिन्दुस्तान ने पारस्परिक बातचीत से अपने सम्बन्धों को तोलना और निश्चय करना है। १६ मई की योजनानुसार जो केन्द्रीय संघ बनाना था उसमें शामिल होने वाली रियासतें उसे केवल रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात विषयक अधिकार सौंपेंगी। शेष अधिकार (रेज़िड्यू पावर्स) रियासतों के अपने पास रहेंगे।

कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार हिन्दुस्तानी और रियासती प्रतिनिधियों में तब तक बातचीत होती रही जब तक कि ३ जून १९४७ का सत्ता हस्तांतरित करने या नया प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। इन दिनों रियासतों के प्रतिगामी अंश ने सारी बातचीत को ही नष्टप्राय करने की कोशिश की। इसके बावजूद कुछ रियासतों ने विधान-परिषद् में सहयोग देना स्वीकार कर लिया और बड़ौदा, कोचीन, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पटियाला और रेवा के प्रतिनिधि २२ अप्रैल १९४७ को विधान-परिषद् में बैठे। विधान-परिषद् में रियासती प्रतिनिधियों की संख्या ६० थी, इसमें ५४ प्रतिनिधि चुने भी गए थे।

३ जून १९४७ की क्रान्तिकारी घोषणा में रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा गया—“ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जिन निर्णयों का ऊपर वर्णन किया गया है वह केवल अंग्रेजी भारत से सम्बन्ध रखते हैं और हिन्दुस्तानी रियासतों के प्रति कैबिनेट मिशन के १६ मई १९४६ के प्रस्ताव में लिखी गई नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।”

जुलाई में पास हुए इंडियन इंडिपेंडेंस ऐक्ट ने रियासतों को ब्रिटिश छत्राधिकार से मुक्त कर दिया। यह छत्राधिकार ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय पोलिटिकल डिपार्टमेंट के साधन से बरता करते थे। छत्राधिकारों के लोप के साथ-साथ इस विभाग का अस्तित्व भी नहीं रहना था। २७ जून को हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि रियासतों से सांके प्रश्नों पर सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से रियासती विभाग की स्थापना की गई है। श्री वल्लभभाई

पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला । श्री वी० पी० मेनन मंत्री बने । पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखने के लिए मिस्टर अब्दुल रब निश्चर और मिस्टर इक्रामुल्लाह सहायक मनोनीत हुए ।

५ जुलाई १९४७ को श्री वल्लभभाई पटेल का रियासतों के नाम एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित हुआ । इसमें भारत सरकार की रियासतों के प्रति नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों से रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात के अधिकारों के अलावा सरकार और कोई अधिकार नहीं लिया चाहती । यह अधिकार देश के सांके हित से सम्बन्धित हैं । हिन्दुस्तान रियासतों की स्वतन्त्र सत्ता का सदा मान करेगा । भारत सरकार के नए रियासत विभाग की ओर से आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि यह विभाग रियासतों से कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे इस विभाग की उच्चता अथवा रियासतों की सुदृढ़ता की झलक मिले । श्री पटेलने यह भी कहा कि इस वक्त पारस्परिक असहयोग का अर्थ होगा अराजकता, और यह अराजकता छोटे व बड़े सभी को निर्मूल कर देगी ।

इस वक्तव्य ने रियासती नरेशों पर अच्छा प्रभाव डाला । उनसे समझौते की ओर दूसरा कदम २५ जुलाई १९४७ को नरेश-मंडल का अधिवेशन बुलाकर उठाया गया । इस अधिवेशन में लार्ड माउंटबेटन ने भाषण दिया और कहा कि जिन विषयों के अधिकार आपसे मांगे जा रहे हैं, उनके विषय में न तो आपको अनुभव ही है और न उन्हें निभाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन ही हैं । यह आपके ही हित में है कि आप किसी-न-किसी डोमिनियन से नाता, जोड़ लें, लेकिन आपमें से प्रायः अधिकांश की भौगोलिक स्थिति आपको मजबूर कर देगी कि आप हिन्दुस्तान से ही नाता जोड़ें । इसमें जहां हिन्दुस्तान का हित है वहां आपकी भी परम हित-साधना है । जिन अधिकारों को आप हिन्दुस्तान को सौंप रहे हैं, उनके लिए कोई आधिकार-उत्तरदायित्व आप पर हावी नहीं होता, न आपकी आन्तरिक अधिकार-सत्ता में हस्तक्षेप

करने की हिन्दुस्तान की कोई इच्छा ही है ।

इस अधिवेशन में इन नरेशों ने उस समिति का निर्वाचन किया जिसे हिन्दुस्तान से मिलने की शर्तों को तय करना था ।

हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होने जा रहा है, इस सत्य ने रियासतों और हिन्दुस्तान की पारस्परिक सम्बन्ध विषयक नीतिको काफी हद तक और वास्तविक बना दिया था । जो दीवारें रियासती नरेशों को हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं से अलग रखती थीं वह टूट रही थीं । इस अड़चन के हटने से बातचीत को सफल होने में बड़ी सहायता मिली । कुछ नरेशों ने देश-प्रेम भी दिखाया और आगे बढ़कर नरेशों की सामूहिक भिक्षक को तोड़ दिया । हैदराबाद, काश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर हिन्दुस्तान की भौगोलिक सीमाओं की सभी रियासतों ने हिन्दुस्तान से मिल जाने की घोषणा कर दी । इन रियासतों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के घोषणापत्रों (इन्स्ट्रुमेंट्स आफ एक्सेशनस) पर और यथापूर्व प्रबन्ध के समझौतों (स्टैंडस्टिल ऐग्रीमेंट्स) पर दस्तखत कर दिए ।

स्वाधीनता के दिन के बाद

१५ अगस्त १९४७ के दिन रियासतों और हिन्दुस्तान के बीच विदेशी हितों ने जो खाई खोद रखी थी वह पट गई । शेष हिन्दुस्तान ने राजनैतिक आन्दोलन के फलस्वरूप जो आजादी पाई थी, उसे पाने के लिए रियासती प्रजाओं में बेचैनी जाग उठी ।

बहुत-सी रियासतों में प्रजा-आन्दोलन पिछले कुछ बरसों से चल रहे थे । बहुत-सी ऐसी रियासतें भी थीं जहां की प्रजा आजादी की मांग को मुखरित न कर पाई थी । दोनों में अब स्वतंत्रता-आन्दोलन सफल होने को बेताब होने लगे ।

एक ओर इस प्रकार प्रजा में अधिकार पाने की लालसा उठी, दूसरी ओर छोटी-छोटी तथाकथित रियासतों को मिलाकर शासन प्रबन्ध की दृष्टि से योग्य इकाई बनाने के उद्देश्य से उनकी सीमाओं का पुनर्निर्माण शुरू हुआ । पश्चिमी हिन्द की कुछ रियासतों को, जिनका क्षेत्र ७०००

वर्गमील और आबादी ८० लाख थी, १९४३ में पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने बड़ी रियासतों के साथ मिला दिया था, लेकिन वह आन्दोलन अंग्रेजों के काल में जोर न पकड़ सका।

अब इस ओर प्रयास शुरू हुए। देश के एकत्रीकरण के लिए जरूरी था कि रियासतों की संख्या, उन्हें प्रान्तों से मिलाकर या उनका समूहीकरण करके, घटा दी जाए। छोटी-छोटी रियासतें थोड़ी भी कठिनाइयां पेश होने पर उनका मुकाबला करने में अपने आपको अपर्याप्त पाती थीं। उदाहरण के लिए पूर्वी रियासतों में, जो उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की रियासतों के नाम से प्रसिद्ध थीं, इतनी अशान्ति फैल चुकी थी कि स्थिति वहां के शासकों से संभाले न संभलती थी।

दिसम्बर १९४७ के दूसरे सप्ताह में रियासती विभाग के मन्त्री श्री वल्लभभाई पटेल कटक और नागपुर गए। उन्होंने उड़ीसा व छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं से बातचीत की। इन राजाओं ने पड़ोसी प्रान्तों में अपनी सत्ता को मिला देना स्वीकार कर लिया।

रियासतें—जो प्रान्तों में विलीन हुईं

परिणामस्वरूप १४ दिसम्बर १९४७ और उड़ीसा व छत्तीसगढ़ इसके बाद की तारीखों को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की ३८ रियासतों का, जिनका कि क्षेत्र २६ हजार वर्गमील, आबादी ७० लाख और आय २ करोड़ रुपये के लगभग थी, अस्तित्व लोप हो गया। इनका शासन-प्रबन्ध १ जनवरी १९४८ से उड़ीसा ने संभाल लिया। छत्तीसगढ़ की १५ रियासतें उसी दिन मध्य-प्रान्त से मिल गईं।

इन रियासतों से जो समझौता हुआ, वैसा ही शेष रियासतों से भी हुआ। इन राजाओं को उत्तराधिकार, खर्चे, व्यक्तिगत जायदादों, अधिकार, खिताब और मान की रक्षा की गारन्टी दी गई। इनके जो खर्चे स्वीकृत हुए, उनके हिसाब का व्योरा यह है। औसत चापिंक आमदनी के पहले १ लाख रुपए का १५ प्रतिशत, २ से ५ लाख तक

१० प्रतिशत, ५ लाख से ऊपर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत । यह भी निश्चित हुआ कि किसीका स्वीकृत खर्चा १० लाख से अधिक नहीं होगा ।

मध्य-भारत की मकाई रियासत (क्षेत्रफल मकाई रियासत १२१ वर्ग मील, आबादी १५ हजार, वार्षिक आय २५ हजार रुपए) ने १ फरवरी १९४८ को एक ऐसे ही समझौते पर दस्तखत कर दिए और मध्य-प्रान्त से मिल गई ।

उड़ीसा में मिलने वाली रियासतों में दो रियासतें थीं—सराय केला (क्षेत्रफल ४६६ वर्गमील, आबादी १५ हजार) और खरसवाँ (क्षेत्रफल १२७ वर्गमील, आबादी २० हजार) दोनों की आय ६ लाख ४५ हजार थी । शासन-प्रबन्ध की सहूलियत देखकर १८ मई १९४८ से इन्हें बिहार के प्रान्त से मिला दिया गया ।

इसके बाद १९ फरवरी १९४८ को दक्षिण की दक्षिण की रियासतें रियासतों ने बम्बई प्रान्त से मिलने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए । कोल्हापुर रियासत ने ऐसा नहीं किया । जो १७ रियासतें बम्बई से मिलीं उनका क्षेत्र ७६५१ वर्गमील, आबादी १७ लाख और आय लगभग १ करोड़ ४० लाख रुपए वार्षिक थी ।

गुजरात की रियासतों में से उत्तरी प्रदेशों की गुजरात की रियासतें कुछ रियासतें हिन्द और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं । इस प्रदेश के शासन को दृढ़तर करने के लिए छोटी-छोटी रियासतों का एकत्रीकरण अथवा बम्बई प्रांत में मिल जाना आवश्यक प्रतीत हुआ । इस प्रश्न पर विचार करने के बाद गुजरात की १५७ रियासतों ने १९ मार्च १९४८ को बम्बई प्रान्त से मिल जाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और १० जून १९४८ से बम्बई ने इनका शासन संभाल लिया । इन रियासतों, जागीरों, तालुकों और थानों की संख्या १५७ थी, क्षेत्रफल १९३०० वर्गमील, आबादी

२७ लाख और आय २ करोड़ ६५ लाख रुपया वार्षिक ।

डांग और दूसरी
जागीरें

बत्रक कंठ थाने की डांग और कुछ दूसरी जागीरें जिनका क्षेत्रफल ८७० वर्ग मील और आबादी ४८ हजार पांच सौ थी—१६ जनवरी १९४८ को बम्बई से मिल गईं ।

लोहारू, दुजाना
और पटौदी

आबादी ८० हजार और आय १० लाख ३८ हजार थी ।

बंगनपल्ले,
पुदुकोट्टाई

१८ और १९ फरवरी १९४८ को यह दो रियासतें मद्रास प्रान्त के साथ मिल गईं । इनका क्षेत्रफल १४४४ वर्ग मील, आबादी ३ लाख ८३ हजार और आय ३२ लाख थी ।

कच्छ

कच्छ रियासत का क्षेत्रफल ८४६१ वर्गमील है आबादी ५ लाख से ऊपर और आय ८० लाख रुपये वार्षिक । यह रियासत भारतीय उपनिवेश से मिल गई है और केन्द्र के मातहत, चीफ कमिश्नर के प्रान्त की तरह, इसका शासन चलेगा । इस विषयक समझौता ४ मई १९४८ को हुआ । १ जून १९४८ से शासन-प्रबन्ध हिन्दू सरकार को सौंप दिया गया ।

पूर्वी पंजाव की
पहाड़ी रियासतें

प्रदेश का १५ अप्रैल

पूर्वी पंजाव की २१ पहाड़ी रियासतों का एकीकरण करके केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित एक नया प्रान्त बना दिया गया है । इस प्रान्त का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया है । हिमाचल प्रदेश का १५ अप्रैल १९४८ को जन्म हुआ । इस प्रदेश का क्षेत्रफल

१०६०० वर्गमील, आबादी ६ लाख ५० हजार के लगभग और आय ८५ लाख रुपये वार्षिक है।

बिलासपुर रियासत जो पूर्वी पंजाब की पहाड़ी रियासतों में से है, हिन्दुस्तान से देर से मिली। इस रियासत के शासक और शासन को रियासती प्रजा के स्वातन्त्र्य आन्दोलन के नेताओं ने प्रतिगामी कहकर पुकारा। इसी रियासत की सीमा में भकरा-बोध बन रहा है। अब भारत सरकार ने इसके प्रदेश को केन्द्र के द्वारा शासित प्रदेशों में ले लिया है।

रियासती संघों का निर्माण

बहुत-सी रियासतें ऐसी थीं जो आपस में मिलकर आबादी के सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषा सम्बन्धी ऐक्य के कारण शासन की इकाई बन सकती थीं। भारत सरकार ने रियासतों के ऐसे संघ बनानेको पूर्ण सहायता और समर्थन दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि प्रजा को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए।

इस तरह से जो संघ बने उनका व्योरा यह है :

रियासतों के संघ बनाने का पहला अवसर काठियावाड़ की २१७ रियासतों और जागीरों के एकीकरण में प्रस्तुत हुआ। यह सब रिया-

सौराष्ट्र संघ

सतें और जागीरें शासन प्रबन्ध के लिए एक इकाई कर दी गईं। राजनैतिक शक्ति प्रजा के हाथों में आ गई। एक मंत्रिमण्डल बनाया गया जो धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी था। इन रियासतों के सब नरेशों को एक कौंसिल बनाई गई जो राजप्रमुख का निर्वाचन करेगी, जोकि इस प्रदेश का वैधानिक प्रमुख बनेगा। एक विधान-परिषद् बनेगी जो सौराष्ट्र के लिए विधान बनाएगी। जूनागढ़ की रियासत को भी, जिस पर अभी केन्द्रीय सरकार का शासन है, सौराष्ट्र में मिला देने का प्रस्ताव है।

सौराष्ट्र से सम्बन्धित रियासतों से समझौते पर २३ जनवरी १९४८

को हस्ताक्षर हुए और १५ फरवरी १९४८ से यह संघ प्रारम्भ हुआ। सौराष्ट्र का क्षेत्रफल ३१८८५ वर्गमील, आबादी ३५ लाख २२ हजार और आय ८ करोड़ रुपया वार्षिक के लगभग है।

अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की मत्स्य संघ रियासतों का एकीकरण करके मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल ७५३६वर्ग-मील, आबादी १८ लाख ३७ हजार और आय १करोड़ ८३ लाख रुपया वार्षिक है। संघ में उत्तरदायी शासन प्रारम्भ कर दिया गया है। २८ फरवरी १९४८ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और १८ मार्च १९४८ से मत्स्य संघ का कार्य प्रारम्भ हुआ।

बुन्देलखंड और बघेलखंड की ३५ रियासतों विन्ध्या प्रदेश संघ को मिलाकर विन्ध्या प्रदेश-रियासती संघ का निर्माण हुआ। इन रियासतों में रेवा का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन रेवा की रियासत विन्ध्या प्रदेश में विशेष अधिकार बिना आना नहीं चाहती थी। इसलिए १६ नरेशों की जो कौंसिल बनी उसमें प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए रेवा को १५ वोट और शेष सबको एक-एक वोट दिया गया। १३ मार्च १९४८ को सम्बन्धित समझौते पर हस्ताक्षर हुए और ४अप्रैल १९४८ को विन्ध्या-प्रदेश का कार्य प्रारम्भ हुआ। इस संघ का क्षेत्रफल २४-६१० वर्गमील, आबादी ३५ लाख ७० हजार और आय २करोड़ ५० लाख रुपए वार्षिक के लगभग है।

२५ मार्च १९४८ को बांसवाड़ा, बून्दी, डंगरपुर, राजस्थान संघ झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक रियासतों ने मिलकर राजस्थान रियासती संघ बनाया। इन रियासतों का क्षेत्रफल १६८०७ वर्गमील, आबादी २३ लाख ३४ हजार और आय लगभग १ करोड़ ६२ लाख थी। समझौते के अनुसार कोटा-नरेश को राजप्रमुख बनाया गया।

महाराणा उदयपुरने राजस्थान संघ बन जानेके बाद रियासती विभाग को लिखा कि यदि उनकी रियासतों को संघ में उचित स्थान प्राप्त होने का आश्वासन मिले तो वह इस संघ में शामिल होने को तैयार हैं। इस पर एक नए समझौते के अनुसार महाराणा उदयपुर को जीवन भर के लिए राजप्रमुख बनाया गया और उनका खर्च १० लाख रुपया वार्षिक स्वीकृत हुआ। इस के अलावा उन्हें राजप्रमुख की हैसियत से ५ लाख रुपया और दानपुरण के लिए ५ लाख रुपया वार्षिक अलग मिला करेगा।

इस पुनर्निर्मित राजस्थान संघ का जन्म १८ मध्य-भारत संघ अप्रैल १९४८को हुआ। ग्वालियर, इन्दौर और मालवा की रियासतों ने मिलकर २२ अप्रैल १९४८ को मध्य-भारत संघ (मालवासंघ) बनाया। २८मई १९४८ को इस संघ का जन्म हुआ। इसका क्षेत्रफल ४६,२७३ वर्गमील, आबादी ७१ लाख और आय लगभग ८ करोड़ रुपए वार्षिक है।

मध्य भारत के इन नरेशों की दिल्ली में २०, २१ और २२ अप्रैल को एक सभा हुई। मध्य-भारत संघ बनाने के विषय में निम्न फैसले किये गए :

राज प्रमुख के चुनाव के लिए प्रत्येक राजा का अपनी रियासत की हर एक लाख प्रजा के हिसाब से एक वोट होगा।

जीवन भर के लिए ग्वालियर और इन्दौर के नरेश इस संघ के राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख रहेंगे।

उप-राजप्रमुख को भी उचित खर्चा मिलेगा।

ग्वालियर और इन्दौर के नरेशों का खर्चा नियत रकम से अधिक निश्चित किया गया।

मध्य भारत की जिन रियासतों के सम्यग्-शासनका भार राजप्रमुख को सौंपा गया है उनकी आबादी में ५० प्रतिशत से अधिक भील हैं। इस विषय में वह भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार काम करेंगे।

राजप्रमुख को अधिकार होगा कि वह जागीरों और जागीरदारों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में निश्चय करे ।

इस अधिकार में परिवर्तन मध्य-भारत संघ की धारा-सभा के फैसले पर हो सकेगा ।

ग्वालियर और इन्दौर नरेश अपनी सीमाओं में मृत्युदण्ड-प्राप्त अभियुक्तों को दण्ड से उन्मुक्त करने अथवा दण्ड में कमी की आज्ञा दे सकेंगे ।

५ मई १९४८ को पटियाला, कपूरथला, पटियाला और पूर्वी जींद, नाभा, फरीदकोट, मलेरकोटला नालागढ़, पंजाब रियासती संघ और कलसिया की रियासतों ने मिलकर इस संघ को बनाया ।

पहले योजना थी कि पटियाला को छोड़कर बाकी रियासतों का संघ बनाया जाए । इन रियासतों का क्षेत्रफल ३६६३ वर्गमील, आबादी १३लाख ६८ हजार और वार्षिक आय लगभग २ करोड़ रुपया थी । बाद में पटियाला को भी इसी संघ में शामिल कर लेने के सुझाव पर कार्य किया गया ।

समझौते की मुख्य शर्तें यह हैं—

पटियाला और कपूरथला के नरेश जीवन-भर राजप्रमुख व उपराजप्रमुख रहेंगे ।

प्रत्येक राजा को राजप्रमुख के चुनावके लिए अपनी रियासतकी हर-एक लाख प्रजा के हिसाब से १ वोट मिलेगा । उपराजप्रमुख के चुनाव में पटियाला के नरेश भाग न ले सकेंगे ।

जब तक इस प्रदेश की विधान-परिषद् इस प्रदेशका नया नाम नहीं चुन लेती, इस प्रदेश को पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती संघ के नाम से पुकारा जाएगा ।

नालागढ़ और कलसिया की रियासतों को नरेशों की कौंसिल में बारी-बारी से जगह मिलेगी ।

१५ जुलाई १९४८ को इस संघ का कार्य आरम्भ हुआ। इस संघ का क्षेत्रफल १०, ११६ वर्गमील, आबादी ३४ लाख २४ हजार और वार्षिक आय लगभग ५ करोड़ रुपये है।

पर्यालोचन

स्वतन्त्रता के पहले वर्ष में हिन्दुस्तानकी रियासतों के पुनर्संरुठन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

१. अभी कुछ ऐसी रियासतें बच गई हैं जो अपने अपर्याप्त साधनों के कारण वैधानिक इकाई के रूप में जिन्दा नहीं रह सकतीं। इनके विषय में प्रान्तों में मिल जाने व अलहदा संघ बनाने का निश्चय अभी होना है। यह रियासतें निम्नलिखित हैं :

	क्षेत्रफल (वर्गमील)	आबादी
१. बनारस	८६६	४५१,४२८
२. कूच बिहार	१३१८	६४०,८४२
३. जेसलमेर	१५६८०	६३,२४६
४. खासी १५ रियासतें	३७८८	२१३,५८६
५. मनीपुर	८६२०	५१२,०६६
६. रामपुर	८६४	४७७,०४२
७. सन्दूर	१५८	१५,८१६
८. टिहरी गढ़वाल	४५१६	३६७,३६६
९. त्रिपुरा	४११६	५१३,०१०

२. १२ रियासतें ऐसी हैं जिन्हें भारतीय विधान-परिषदमें अलहदा-अलहदा प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जो सम्यग् इकाई के रूप में बनी रह सकती हैं :

	क्षेत्रफल (वर्गमील)	आबादी
१. बड़ौदा	८,२३५	२८,५५,०१०
२. हैदराबाद	८२,३१३	१,६३,३८,५३४

३.	जम्मू व काश्मीर	८४,४७१	४०,२१,६१६
४.	मैसूर	२६,४५८	७३,२६,१४०
५.	भोपाल	६,६२१	७,८५,३२२
६.	कोल्हापुर	३,२१६	१०,६२,०४६
७.	त्रावकोर	७,६६२	६०,७०,०१८
८.	बीकानेर	२३,१८१	१२,६०,६३८
९.	कोचीन	१,४६३	१४,२२,८७५
१०.	जयपुर	१५,६१०	३०,४०,८७६
११.	जोधपुर	३६,१२०	२५,५५,६०४
१२.	मयूरभन्ज	४,०३४	६,६०,६७७

इन रियासतों के बारे में हिन्दू सरकार की नीति यह है कि भारत से मिलने अथवा संघ बनाने के लिए इन पर कोई दबाव नहीं डाला जायगा—केवल शासकों और प्रजा के कहने पर ही इस ओर कदम उठाया जा सकता है। भारत सरकार यह आशा करती है कि यह रियासतें अपने क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगी।

३. जो रियासतें प्रान्तों अथवा केन्द्र से मिल गई हैं उनका व्योरा यह है :

प्रान्त या केन्द्र	मिलने वाली रियासतों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमील)	आनादी (लाखों में)	धाय (लाखों में)
उड़ीसा	२३	२३,६३७	४०.४६	६८.७४
मध्यप्रान्त और बरार	१५	३१,७४६	२८.३४	८८.३१
बिहार	२	६२३	२.०८	६.४५
मद्रास	२	१,४४४	४.८३	३०.८१
पूर्वी पंजाब	३	३७०	८.००	१०.३८
बम्बई	१७४	२६,६५१	४३.६७	३०७.१५

हिमाचल प्रदेश(केन्द्राधीन)२१	१०,६००	६.३६	८४.५६
कच्छ (केन्द्राधीन)	१	८,४६१	५.०१
योग	२४१	१,०३,८३५	१३४.५५
			७०६.४०

४. इसके बाद वह रियासतें हैं जिन्होंने मिलकर संघ बना लिये हैं ।
उनका व्योरा यह है :

	इकट्ठी होने वाली रियासतों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमील)	आबादी (लाखों में)	आय (लाखों में)
सौराष्ट्र	२१७	३१,८८५	३५.२२	८००.००
मत्स्य	४	७,५३६	१८.३८	१८३.०६
विन्ध्या प्रदेश	३५	२४,६१०	३५.६६	२४३.३०
राजस्थान	१०	२६,६६७	४२.६१	३१६.६७
मध्य-भारत	२०	४६,२७३	७१.५०	७७६.४२
पटियाला और पूर्वी पंजाब को रियासतें	८	१०,११६	३४.२४	५००.००
योग	२६४	१,५०,४००	२३७.६४	२८,१६.४५

५. हिन्दुस्तान से जाते समय अंग्रेज ५८४ के लगभग रियासतें छोड़ गए थे । इनमें से अब तक ५३५ या तो प्रान्तों में मिलकर अपना पृथक् अस्तित्व खो चुकी हैं या ६ रियासत-जुधों में मिल चुकी हैं । शेष का विल्लीनीकरण अथवा एकीकरण शीघ्र सम्पन्न हो जायगा । इस तरह हिन्दुस्तान में इनी-गिनी रियासतें ही रह जायंगी जो प्रायः सभी बातों में हिन्दुस्तान के शेष प्रान्तों की तरह होंगी ।

नवजीवन और स्वतन्त्रता

हिन्दुस्तान की राजनीति में अराजकता की पृष्ठपोषक ताकतें सवाल क्रिया करती हैं-क्या इस तरह रियासतों की गुटबन्दी से सामन्त

वाद की ताकतों का एकीकरण नहीं हो रहा है ? क्या प्रजाओं के अधिकारों की उपेक्षा करके प्रतिगामी रियासती नरेशों को नई जिन्दगी का आश्वासन नहीं मिला ?

सच्चाई यह है कि दुनिया के इतिहास में रक्तपात के बिना इतने बड़े पैमाने पर क्रान्तिकारी परिवर्तन का उदाहरण हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद रियासतों के प्रश्न के सुलझने के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता । एक वर्ष के अन्दर-अन्दर अधिकांश रियासतों की प्रजा को पूरे अधिकार दिये जाने की घोषणा हो चुकी है । प्रजा विधान-परिषदों के साधन से अपने विधान के निर्माण की स्वयं जिम्मेदार होगी । यह विधान-परिषद बनने और इसके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमंडलों के निर्वाचन तक रियासती-संघों में प्रजा के विश्वासप्राप्त नेताओं ने अन्तःकालीन सरकारें बना ली हैं । जो रियासतें स्वतन्त्र इकाई की तरह रहेंगी उनमें भी प्रजा को अधिकार मिल रहे हैं । कोचीन, त्रावंकोर और मैसूर की दक्षिण स्थित रियासतों की प्रजा ने सबसे पहले अधिकार प्राप्ति की और वहां लोकप्रिय सरकारें बनीं । मयूरभन्ज, जोधपुर, जयपुर और वड़ौदा में अन्तःकालीन लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल काम कर रहे हैं । काश्मीर में जनता के अगुणी, शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के हाथों में राज्य-सत्ता है । वीकानेर और भोपाल में भी अन्तःकालीन सरकारें स्थापित हो चुकी हैं । इस तरह स्वतन्त्रता की धारा के विरुद्ध कोई निरंकुश सत्ता खड़ी नहीं रह सकी ।

जो रियासतें प्रान्तों से मिल गई हैं, उनकी प्रजा को खुद-ब-खुद वही अधिकार मिल गए हैं जो प्रान्तीय प्रजा को मिले हैं ।

रियासती संघों के निर्माण के वक्त जो समझौते हुए हैं, एक धारा उन सभी में एक समान अन्तर्गत है—जितनी जल्दी सम्भव हो, अनुसूची में लिखे तरीकों के अनुसार एक विधान-परिषद बनाई जायगी—और यह कि इस परिषद का कर्तव्य होगा कि संघ के लिए इस समझौते और भारतीय विधान की सीमा में परिमित रहते हुए, और धारा-

सभा के प्रति उत्तरदायी, अपने शासन-विधान को बनाए।

अनुसूचि में विधान-परिषद् बनाने की विधि लिखी गई है। सभी संघों में जो विधान-परिषद् बनेंगे उनमें संघ के हर एक लाख व्यक्तियों के लिए १ प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। परिषद् के चुनावों में भाग लेने अथवा खड़े होने की शर्तें वही होंगी जो हिन्दुस्तान के प्रान्तों में प्रचलित होंगी। इस तरह इन संघों में उसी तल तक प्रजा को अधिकार हस्तगत होगए जो पड़ोसी प्रान्तों के नागरिकों के हाथों में है।

१४ अगस्त १९४७ तक रियासतों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के जिन घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, अब संघ निर्माण के बाद उनमें भी परिवर्तन कर दिया गया है ताकि प्रान्तों व संघों की वैधानिक और कानूनी परिस्थितियों में समता लाई जा सके। इस विषय पर विचार के लिए ६ मई १९४७ को दिल्ली में संघों के राज-प्रमुखों की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के एक नए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया।

इस इन्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन के अनुसार राजप्रमुखों ने रियासती-संघों में हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल, धारा-सभा, फेडरलकोर्ट, अथवा अन्य विशेष अधिकारियों द्वारा स्वीकृत अधिकारों के प्रयोग व प्रभावको मान लिया। भारतीय धारा-सभा को यह अधिकार मिल गया कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ की ७वीं अनुसूचि की पहली और तीसरी धारा में उल्लिखित विषयों पर संघों पर लागू होने वाले कानून बना सकती है।

इस समझौते के अनुसार प्रान्तों और रियासती संघोंमें कानून संबन्धी विषमता न रह पाएगी। केवल एक अधिकार संघों के पास रहेगा— वह है आय-कर लगाने का। हिन्दुस्तान की धारा-सभा टैक्स अथवा ड्यूटी के सम्बन्ध में संघों पर लागू होने वाला कोई कानून न बना सकेगी।

इस तरह रियासतों के शासन को लोकराज सिद्धान्तों पर चलाने और रियासतों की भरकम संख्या में कमी करने का द्विमुखी आन्दोलन एक साथ सम्पन्न हुआ है। सहसा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कैसे होगा, यह उसी प्रकार रियासती प्रजा पर निर्भर है जिस तरह कि हिन्दुस्तान की प्रजा पर।

जूनागढ़

जूनागढ़ की रियासत पश्चिमी हिन्दुस्तान की काठियावाड़ में स्थित रियासतों में से एक रियासत है। इसका क्षेत्रफल ३३३७ वर्गमील और आबादी ६,७०,७१६ है।

जूनागढ़ रियासत ने अचानक घोषणा कर दी कि वह पाकिस्तान में शामिल हो गई है।

जूनागढ़ रियासत ऐसी रियासतों से विरी हुई है जो कि पहले ही हिन्दुस्तान में मिल चुकी थीं। खुद जूनागढ़ की रियासत के कुछ प्रदेश ऐसे थे जो हिन्दुस्तान से मिलने की घोषणा कर चुके थे। जूनागढ़ रियासत की सीमा के द्वीप भावनगर, नवानगर, गोंडाल और वडोदा की सीमाओं में स्थित थे। जूनागढ़ रियासत के रेलवे, डाक व तार का प्रबन्ध हिन्दुस्तान से जुड़ा हुआ था। इस रियासत की ६ लाख ७१ हजार आबादी में से ५ लाख ४३ हजार हिन्दू (८१ प्रतिशत) थे।

ब्रिटिश छत्राधिकारों की समाप्ति पर यद्यपि सब रियासतों को यह अधिकार था कि वह जिस किसी भी डोमोनियन से नाता जोड़ लें लेकिन यह हमेशा माना गया था कि ऐसा करते समय भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा जायगा। खुद जूनागढ़ के नवाब साहिब ने अपने भाषणों

में काठियावाड़ के ऐक्य के सिद्धान्त का समर्थन किया था। लेकिन जूनागढ़ ने हिन्दुस्तान से नाता जोड़ने की कोई बातचीत नहीं की। वना किसी पूर्व सूचना के केवल यह घोषणा कर दी गई कि रियासत पाकिस्तान से सम्बंधित हो चुकी है।

इस घोषणा के पहले भारत सरकार ने मिस्टर वी०पी० मेनन को नवाब जूनागढ़ से मिलने के लिए भेजा लेकिन जूनागढ़ के दीवान ने नवाब की ओर से इस भेंट से इन्कार कर दिया।

इस बीच जूनागढ़ के समीपवर्ती, हिन्दुस्तान से सम्बन्धित रियासतों ने और काठियावाड़ के दूसरे प्रदेशों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि जूनागढ़ के इस कदम से उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति खतरा पैदा हो गया है और हिन्दू काफी संख्या में रियासत से भाग रहे हैं।

इस दौरान में श्री समलदास गांधी के नेतृत्व में जूनागढ़ की सीमा के बाहर जूनागढ़ के लिए एक नई सरकार स्थापित हुई। रियासत की प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस नई सरकार के सिपाही जूनागढ़ के सब प्रदेशों को एक-एक करके नवाब के आधिपत्य से मुक्त कराने लगे।

वावरियावाड़ और मंग्रोल के प्रदेशों में, जो कि हिन्दुस्तान में शामिल हो चुके थे, जूनागढ़ ने इस बीच अपनी फौजी दस्ते भेज दिये थे। हिन्दुस्तान इन दस्तों के वापिस बुलाए जाने की मांग कर रहा था। काठियावाड़ के राजाओं और प्रजा की इच्छानुसार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हिन्दुस्तानी फौज का एक दस्ता पोरबन्दर भेजा गया। २१ अक्टूबर को वावरियावाड़ का शासन-प्रबन्ध हिन्दुस्तानी हाथों में ले लिया गया। मंग्रोल का शासनाधिकार भी इसी तरह शान्तिपूर्वक संभाल लिया गया।

२ नवम्बर १९४७ को जूनागढ़ की स्टेट कौंसिल के सदस्य मि० हार्वे जोन्स ने जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज़ भुट्टो का एक पत्र राजकोट में स्थित हिन्दुस्तान के रिजनल कमिश्नर को दिया। इस पत्र

में प्रार्थना की गई थी कि हिन्दुस्तान की सरकार जूनागढ़ के राज्य-प्रबन्ध को अपने हाथ में ले ले। इस पत्र में सर शाह नवाज़ ने लिखा कि तार द्वारा इस प्रार्थना की सूचना वह पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री मि० लियाकत अली को भी दे चुके हैं। इस प्रार्थना पर हिन्द सरकार ने विचार किया और राजकोट स्थित रिजनल कमिश्नर को ६ नवम्बर को आज्ञा दी कि जूनागढ़ का शासन तुरन्त अपने हाथों में ले लें ताकि इस प्रदेश में अराजकता न फैलने पाए।

राज्य कार्य को संभाल लेने के बाद पण्डित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री लियाकत अली को एक तार में कहा कि हिन्दुस्तान ने जूनागढ़ का शासन अस्थायी तौर पर संभाला है। हिन्दुस्तान की इच्छा है कि जूनागढ़ का स्थायी भविष्य वहां की जनता की इच्छा का पता लगाकर ही निश्चित किया जाए।

जूनागढ़ की मत-गणना का परिणाम

२४ फरवरी १९४८ को भारत सरकार के रियासती विभाग ने एक विज्ञप्ति में जूनागढ़ व पड़ोसी छोटी-छोटी रियासतों में हुई मतगणना का परिणाम सुनाया। इन रियासतों की प्रजा का हिन्दुस्तान में शामिल होने का निश्चय प्रायः शत-प्रतिशत था। मत-गणना के हर स्थान पर जो कमेटी प्रबन्ध के लिए बैठी थी, उसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सदस्य थे। मत-गणना का मुख्य प्रबन्ध-भार श्री नागरकर पर था।

परिणाम इस प्रकार रहा :

	मताधिकारी		जो वोट डाले गए	
	मुसलमान	गैर-मुस्लिम	हिन्दुस्तान के पक्ष में	पाकिस्तान के पक्ष में
जूनागढ़	२१,६०६	१,७८,६६३	१,६०,७७६	६१
संग्रोल	११,८३३	=
मानवदार	८,५२०	८१६०	८,४३६	११

बटवा (बड़ा)	२४६	११७८	१०६१	१०
बटवा (छोटा)	३७	१,३६३	१,४१२	...
सरदारगढ़ ताल्लुका	२३१	३,१६२	३,२४१	२
बावरियावाड़	२४३	५,६३७	५,३६२	८

हैदराबाद

हैदराबाद रियासत का क्षेत्रफल ८२,३१३ वर्गमील, आवादी १,६३,३८,५३४ है। मीर उस्मान अली रियासत के निजाम हैं। इन्होंने १९११ में गद्दी संभाली। गद्दी पर आने के कुछ महीने बाद तत्कालीन वाइसराय लार्ड हार्डिंग ने इन्हें चेतावनी देते हुए लिखा—“दो वर्ष तक देखा जायगा कि यह किस तरह राज्य करते हैं; इस समय के बाद जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के लिए यह बहुत ही आसान बात होगी कि उन्हें गद्दी से उतार कर कौंसिल आफ रीजेंसी स्थापित कर दी जाए।”

निजाम मीर उस्मान अली ने जून १९४७ में यह देखकर कि हिन्दुस्तान आजाद होने जा रहा है, घोषणा की कि वह अपनी रियासत को स्वतन्त्र बनाकर रखेंगे और हिन्दुस्तान में शामिल नहीं होंगे।

भारत सरकार ने पहले अगस्त १९४७ और फिर अप्रैल १९४८ में निजाम को लिखा कि रियासत के राजनीतिक भविष्य का फैसला प्रजा द्वारा होना चाहिए क्योंकि राज्य-सत्ता राजा में नहीं प्रजा में निहित है। यदि हिन्दुस्तान छोड़ते समय अंग्रेज अपने छत्राधिकार समेट कर चले गए हैं तो मूल स्वत्वाधिकार प्रजा को प्राप्त होगए हैं, न कि राजाओं को।

रियासत की आवादी का ८६.५ प्रतिशत भाग हिन्दू है, १२.५

तिशत मुसलमान और १ प्रतिशत शेष जातियों का । लेकिन रियासत शासन प्रबन्ध में ७५ प्रतिशत अधिकार मुसलमानों को, २० प्रतिशत हिन्दुओं को और ५ प्रतिशत शेष जातियों को दिया गया था । रियासत ४ सूबों में बंटी है और चारों सूबों के सूबेदार मुसलमान थे । रियासत के कुल १८० मैजिस्ट्रेटों में से १४७ मुसलमान और ३३ हिन्दु । १२ विभाग मंत्रियों में से १०, ६३ सहायक मंत्रियों में से ५५, अन्न-भिन्न विभागों के ४७ मुखियाओं में से ४० व पुलिस के ११ बड़े अधिकारियों में से ७३ मुसलमान थे । फौज में तो बहुसंख्या को नाममात्र प्रतिनिधित्व भी प्राप्त नहीं था ।

इस बीसवीं सदी में बहुसंख्या के इस प्रकार केवल सब अधिकार नहीं छीने गए, अल्पसंख्यक मुसलमानों की एक फासिस्ट संस्था—तहाद-उल-मुसलमीन और इसके स्वयं-सेवकों का संगठन—रजाकार-बहुसंख्या के धन व मान पर लगातार हमले करने लगे ।

रियासत हैदराबाद की २६०० मील लम्बी सीमा हिन्दुस्तानके तीन दिशाओं में बम्बई, मध्यप्रान्त व मद्रासको छूती है । रियासत की ७० लाख लोग जनता तेलगू, ४० लाख के लगभग मराठी व २० लाख के लगभग कन्नाड़ी बोलती है । रियासत की आर्थिक व्यवस्था, यातायात व तारघर के काम-काज पूर्णतया हिन्दुस्तान पर निर्भर हैं ।

रियासत में निम्न पदार्थों का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से अधिक होता है: कपास, दालें, मूंगफली, अलसी वा एरंड के बीज, कोयला, सीमेंट और कुछ हद तक कागज । लेकिन इन सभी पदार्थों का एक हिन्दुस्तान ही ग्राहक है । केवल तेल बीजों का विदेशों को निर्यात होता है । उन्हें भी हिन्दुस्तान के रास्ते बाहर भेजना होता है ।

हैदराबाद रियासत को निम्न आवश्यकताओं के लिए हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है सूती कपड़ा, नमक, गुड़, फल, सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, लोहा व इस्पात, रसायन, दवाइयाँ, चाय, तम्बाकू और निर्मित वस्तुएं । पेट्रोल, डीज़ल आयल, मशीनरी के काम आने वाला व मिट्टी

का तेल, मशीनरी व पुर्जे भी हिन्दुस्तानकों बन्दरगाहों से होकर ही रियासत में पहुँच सकते हैं।

रियासत में अपनी मुद्रा प्रचलित है जो हिन्दुस्तान की मुद्रा से निश्चित दरों पर बंधी है। रियासत की कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण व कोई दूसरी धातु नहीं, हिन्दुस्तान के रुपये व सिक्कुरिटियाँ रखी जाती हैं। हैदराबाद के प्रायः सभी बैंक हिन्दुस्तान के बैंकों की शाखाएँ हैं।

निजाम को रियासत से ५० लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता है। अपनी जागीरों से उसे प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये की आमदनी है। इसके अलावा उसके दो बेटों और परिवार के शेष सदस्यों को रियासती कोष से अलग रुपया पैसा प्राप्त होता है।

रियासत की धारा-सभा के निर्वाचित सदस्यों में अल्पसंख्या व बहुसंख्या के बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते थे। निजाम द्वारा कुछ मनोनीत भी होते थे। सितम्बर १९४८ तक धारा-सभा के कुल १३२ सदस्यों में अल्पसंख्या के प्रतिनिधियों की संख्या बहुसंख्यक जाति के प्रतिनिधियों से १० अधिक थी। नियम था कि धारा-सभा वजट पर कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकती।

इत्तहाद-उल-मुसलमीन के उद्देश्यों में एक वाक्य था—“निजाम व रियासत का ताज मुसलमानों व मुसलमानों की संस्कृति की राज्य-सत्ता के प्रतीक हैं।” रजाकार संस्था में भरती होने के समय हर स्वयं-सेवक शपथ लेता था और प्रतिज्ञा करता था कि इत्तहाद, हैदराबाद व अपने नेता के प्रति और दक्षिण में मुसलमानों की राज्य-सत्ता बनाए रखने के लिए वह अपने प्राणों तक का होम कर देगा।

रजाकारों के पास सब तरह के फौजी अस्त्र-शस्त्र, मोटरें, ट्रकों, व जीपकारें थीं। इस संस्था के प्रचार को जारी रखने के लिए १ अंग्रेजी भाषा में तथा ७ उर्दू भाषा में दैनिक, और ६ उर्दू में साप्ताहिक अखबार निकलते थे। संस्था-का रोज का खर्च १० से ३० हजार रुपया था जो बहुसंख्यों से बलात् इकट्ठा किया जाता था। इस अत्याचार

तथा अग्यवस्था को देखते हुए बहुसंख्यकोंके प्रतिनिधियों का निजाम की कौंसिल में रहना दूभर हो गया और उन्हें स्तीफ़े देने पड़े। बीदर व वारंगल जिले में इनके अत्याचार की वारदातें रोज-रोज दुहराई जाने लगीं।

इनकी आक्रामणात्मक कार्रवाइयां न केवल रियासत की सीमा के अन्दर जारी थीं बल्कि भारतीय सीमा तक भी फैलने लगीं।

१९३८ में हैदराबाद की रियासती कांग्रेस की स्थापना हुई। उसी वर्ष इस कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इस पर सत्याग्रह हुआ। सर मिरजा इस्माइल के दीवान बनने पर कांग्रेस पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया।

सर मिरजा-इस्माइल को दीवान पद से स्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि हिन्दुस्तान से समझौता कर लेने की मंत्रणा निजाम को पसन्द नहीं थी। नवाब छतारी इस पद पर आए। जुलाई १९४७ में रियासत का एक शिष्ट-मंडल हिन्दु सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली आया और प्रस्तुत प्रश्नों पर फैसला करने के लिए रियासत के लिए दो मास की मुहलत मांगी, जो दी गई। रियासत के इस शिष्ट-मंडल ने नवाब छतारी के नेतृत्व में २७ अक्टूबर १९४७ को दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन रजाकारों ने अपना बल प्रदर्शित करके उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया। नवाब छतारी को स्तीफ़ा देना पड़ा। बातचीत को जारी रखने के लिए एक नया शिष्ट-मंडल तैयार किया गया। रियासत के दीवान का पद रजाकार-संस्था के पिट्टू, हैदराबाद के एक बड़े कारखानेदार, मीर लायक अली ने संभाला।

यह शिष्ट-मंडल यथापूर्व समझौते की शर्तों को बदलवान सका। फलस्वरूप २६ नवम्बर १९४७ को इस समझौते पर निजाम व हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल के दस्तखत होगए।

इस फैसले के अनुसार हिन्दुस्तान ने सिकन्दराबाद की छावनी से अपनी फौजें हटा लीं। समझौते के अनुसार जो कर्तव्य निजाम ने

अपेक्षित थे, निजाम ने उन्हें नहीं निभाया। उन्होंने अपनी रियासत में अस्त्र-शस्त्र व सब तरह का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

समझौते की शर्तें तोड़ते हुए उन्होंने २० करोड़ रुपयेका कर्जा पाकिस्तान को दिया, फौज की संख्या बढ़ाई और रियासत में हिन्दुस्तानी मुद्रा का प्रचलन बन्द कर दिया।

मार्च १९४८ में हैदराबाद का एक शिष्ट-मंडल दिल्ली आया ताकि रियासत व हिन्दुस्तान में किसी स्थायी समझौते की सूरत बन सके। हिन्दुस्तान की सरकार ने इस शिष्ट-मंडल को बताया कि किस तरह रियासत समझौते को तोड़ रही है तथा असहाय जनता पर राजाकारों के उपद्रव सह रही है। ज़वाब में रियासत की सरकार ने हिन्दुस्तान पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए।

कई महीनों तक यह होता रहा कि हैदराबाद से शिष्ट-मंडल आता, कुछ शर्तें मान लेता, आश्वासन देता और वापिस जाकर उन शर्तों और आश्वासनों से फिर जाता। जून १९४८ तक यही सिलसिला जारी रहा। जून में हैदराबाद का शिष्ट-मंडल भारत सरकार से एक समझौते पर पहुँचा। समझौते के पत्र, व उसकी घोषणा पर निजाम ने जो फरमान निकालना था उसे लेकर यह शिष्ट-मंडल निजाम के दस्तखतों के लिए हैदराबाद लौटा। निजाम ने इस समझौते को मानने से इन्कार कर दिया।

गवर्नर-जनरल लार्ड माउंटबेटन ने अपना पद छोड़ने से पहले बहुत कोशिश की कि निजाम हिन्दुस्तान से किसी समझौते पर पहुँच जाए। लेकिन हिन्दुस्तान की शान्तिपूर्वक किसी समझौते पर पहुँचने की इच्छा को दुर्बलता का सूचक समझा गया और सब सुविधाएँ व सुझाव ठुकरा दिये गए।

इस पर हिन्दुस्तान ने रियासती सीमा पर प्रतिबन्ध लगा दिए ताकि वहाँ फौजी सामान न जा सके। विदेशी उड़ाकू मि० सिडनी काटन आदि

लोग और पाकिस्तान हैदराबाद को अस्त्र-शस्त्र से लैस करने पर तुले हुए थे ।

हिन्दुस्तान ने रियासत को हिन्दुस्तानी सिन्धुरिटियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी और आर्थिक सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया । हिन्दुस्तानी फौजों को आज्ञा दी गई कि रियासत की सीमा में घुसकर भी सीमा पर आक्रमण के लिए आए हुए रजाकारों का पीछा करें तथा उन्हें दंड दें ।

निजाम से मांग की गई कि वह रजाकारों की संस्था को अवैध घोषित करे, लोकराज के सिद्धान्तों को अपनाते हुए रियासत का शासन-सूत्र एक नई सरकार को सौंपे व हिन्दुस्तान से मिल जाए । यह मांग की गई कि सिकन्दराबाद की छावनी में हिन्दुस्तान की फौजों को फिर से बस जाने की आज्ञा दी जाए । निजाम ने इन मांगों को ठुकरा दिया ।

इस पर इस समस्या का अब केवल एक ही हल रह गया—हिन्दुस्तान इन मांगों को मनवाने के लिए अपनी शक्ति वा बल का प्रयोग करे ।

आखिरी बार चेतावनी देने के बाद हिन्दुस्तान की फौजों ने १३ सितम्बर १९४८ को हैदराबाद में चारों ओर से प्रवेश किया । अत्याचार व झूठे दंभ की नींव पर खड़े किये गए निजाम की स्वतन्त्रता के दावों के किले और रजाकारों का विरोध हिन्दुस्तान की फौजों के आक्रमण को न सह सका । १०६ घंटे युद्ध के बाद १७ सितम्बर ४८ को निजाम ने हार मान ली; फौजों को हथियार डाल देने को कहा और रजाकार संस्था को अवैध घोषित कर दिया ।

काश्मीर

काश्मीर का क्षेत्रफल ८४,४७१ वर्गमील है।

भौगोलिक स्थिति हिन्दुस्तान को सब रियासतों में से यह सबसे बड़ी रियासत है। काश्मीर की रियासत का मुख्य महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है। इसकी सीमा को उत्तर-पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान (सिन्कियांग), उत्तर-पश्चिम में रूसी तुर्किस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान व हिन्दुस्तान की सीमाएं छूती हैं।

प्रायः सारा रियासती प्रदेश पहाड़ी है। इसके तीन विभाजन किये जा सकते हैं : (१) सरहद्दी इलाका—जिसमें लद्दाख और गिलगित के तिब्बती प्रदेश आ जाते हैं। (२) बीच का काश्मीर प्रान्त और (३) दक्षिण का प्रायः समतल प्रदेश जिसमें जम्मू का प्रान्त शामिल है।

सदियों की राजधानी जम्मू है और गर्मियों की श्रीनगर। पाकिस्तान से मुख्य सम्बन्ध जेहलम वैली रोड द्वारा है जो श्रीनगर से रावलपिंडी तक जाती है, और हिन्दुस्तान से मुख्य सम्बन्ध बनिहाल रोड द्वारा है जो जम्मू से साम्बा कठुआ होती हुई पठानकोट जाती है।

१९४१ की जनगणना के अनुसार आबादी का व्योरा निम्न प्रकार है :

कुल आबादी	४०,२१,६१६
मुसलमान	७७.११ प्रतिशत
हिन्दू	२०.१२ प्रतिशत
सिक्ख, बौद्ध और शेष	२.७७

१८४६ में डोगरा वंश के राजा गुलाबसिंह का स्वतंत्रता संग्राम राज्य जम्मू, लद्दाख और बलूचिस्तान पर फैला था। उस समय लाहौर के सिक्ख राजाओं का काश्मीर और गिलगित पर अधिकार था।

लाहौर के सिख राजाओं की अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजय हुई। अंग्रेजों ने काश्मीर व गिलगित के प्रदेश अमृतसर की सन्धि (१८४६) द्वारा राजा गुलाबसिंह को दे दिए। राजा गुलाबसिंह का प्रभुत्व इस, और आस-पास के प्रदेश पर पहले ही था; अंग्रेजों ने इस सन्धि से उसके प्रभुत्व पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी।

डोगरा वंश के आधुनिक महाराजा हरिसिंह के एकस्थ राज्य के विरुद्ध रियासत में, विशेषतः काश्मीर प्रान्त में, एक लोकप्रिय आन्दोलन १९३१ में आरम्भ हुआ। जनता की गरीबी की हद नहीं रही थी; शिक्षा का नितान्त अभाव था। जागीरदारों और चकदारों ने काश्मीर की अतीत सौन्दर्यमय घाटी को निष्प्राण कर रखा था। उन दिनों शेष हिन्दुस्तान में स्वराज्य हासिल करने के लिए कांग्रेस ने युद्ध छेड़ रखा था। इस युद्ध की धिंगारियां किन्हीं-किन्हीं रियासतों को भी अपनी लपेट में ले रही थीं। काश्मीर के स्वातन्त्र्य संग्राम का नेतृत्व शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने किया।

इस युद्ध में हिन्दुस्तान के स्वातन्त्र्य-युद्ध के समान उतार-चढ़ाव आए। नेशनल कांग्रेस के प्रधान शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को कितनी ही बार कारागारों की यातनाएं भुगतनी पड़ीं। रियासत की राज्य-सत्ता का इस आन्दोलन के प्रति वही रवैया था जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार का कांग्रेस के प्रति था।

काश्मीर में जनता का अधिकांश मुसलमान है। लेकिन नेशनल कांग्रेस की मांगों ने कभी साम्प्रदायिक रूप नहीं लिया। इस आन्दोलन में मुसलमान, हिन्दू और सिखों के प्रतिवादी अंशों ने साथ दिया।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के निपटारे का समय समीप था रहा था। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के प्रति अपनी स्थिति १६ अगस्त १९४७ और ३ जून १९४७ के बयानों में स्पष्ट की। अंग्रेजों ने रियासतों से हुई सभी संधियां और आश्वासन लोप कर दिए लेकिन अपना दूताधिकार (पेरामाउंट्सी) हिन्दुस्तान की नई सरकार को नहीं सौंपा। सब

रियासतोंको छुटी थी कि चाहें तो पाकिस्तानसे मिलें, चाहें तो हिन्दुस्तान से मिलें अथवा स्वतन्त्र रहें। अराजकता के इस बीज को बो कर अंग्रेज यहां से राजनैतिक रूप से पधार गए।

महाराजा हरिसिंह पशोपेश में फंसे थे। काश्मीर की जनता का एक ही हिस्सा था जो कि पाकिस्तान के घृणा के संदेश पर थूक सकता था।

वही हिस्सा बरसों से राजा के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और अब भी जेल की सींकचों के पीछे बन्द था। काश्मीर के सब राष्ट्रीय अंशों को दबा दिया गया था। कुछ समय से ऐसी घातक नीति बरती जा रही थी कि रियासत के साम्प्रदायिक अंशों को, जो कि राजनीति में मुस्लिम लीग से प्रेरणा पाते थे, उभारा जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काश्मीर में आगमन असह्य था लेकिन स्वास्थ्य लाभ के बहाने मिस्टर जिन्ना श्रीनगर आकर भोली-भाली जनता को विनाशी घृणा के पाठ पढ़ा सकते थे। स्टेट मुस्लिम लीग के नेता अपना प्रचार खुले बंदों कर सकते थे लेकिन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सब प्रकार की रोक थी, जेल थी, यातनाएं थीं।

इसी नीति के फलस्वरूप १२ अगस्त को रियासत ने पाकिस्तान से स्टैंड-स्टिल समझौता कर लिया। देश के सच्चे नेता इन दिनों जेल में तड़प रहे थे कि धीरे-धीरे पाकिस्तान का असर बढ़ेगा और काश्मीर का वही हाल होगा जो पंजाब का हुआ है।

लेकिन पाकिस्तान की चाल गहरी थी। उसने काश्मीर पर दबाव डालना शुरू किया कि किसी तरह यह प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दे। पहले आर्थिक दबाव डाला गया। समझौते के अनुसार खाद्यान्न, पेट्रोल, नमक व दूसरी जो-जो जरूरी चीजें रियासत में जाती थीं रोक ली गईं। बैंकों से रुपया न भेजा गया। अग्रेल मई और जुलाई-अगस्त का चावल का कोटा नहीं भेजा गया; चने और १७ हजार मन गन्धम, जो कि दो मास का कोटा था, नहीं जाने

काश्मीर

दिया गया। काश्मीर में आने के लिए कपड़े की १२२ गांठें रावलपिंडी में पड़ी थीं, उन्हें जप्त कर लिया गया। नमक की १० बैगों रावलपिंडी में ही रोक ली गईं; कुछ नमक चुंगीखाने से लौटा दिया गया। ३ लाख ८४ हजार गैलन पेट्रोल के कोटे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसमें से एक टैंकर को तो कोहाला के कस्टम-पोस्ट से वापिस भेजा गया।

रियासत ने इन आर्थिक प्रतिबन्धों का पाकिस्तान से विरोध किया। पाकिस्तान का जवाब केवल यह कहकर फिर जाने में था कि यह सब केवल दंगों के कारण, स्वाभाविकतया ही हो रहा है।

इस दबाव के साथ-साथ आक्रमण व लूटमार का दबाव भी शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान व काश्मीर की सांझी सीमा पर अशान्ति फैलने लगी। सितम्बर १९४७ में छोटे-मोटे सशस्त्र गिरोहों में विदेशी आक्रमणकारी रियासत में घुसने लगे। जहां-तहां लूटमार व बलात्कार का जोर बढ़ा। अक्टूबर में इस अनधिकार प्रवेश की वारदातें बढ़ गईं। पुंछ, मीरपुर, कोटली, भिम्बर और मुजफ्फराबाद से गड़बड़ की खबरें आने लगीं।

पाकिस्तान के सरहदी सूत्रों के कवायलियों को आक्रमण इस्लाम के खतरे के नाम पर उभारा गया। हज़ारों की तादाद में वजीरी, महसूद, मोहमन्द, सुलेमान खेल और शिनवारी पठान सरगोधा, ऐबटाबाद वजीराबाद और जेहलम में इकट्ठा होने लगे। रावलपिंडी, गुज्जरखान, गुजरात और स्यालकोट में भी यह जमा हो रहे थे। इनकी बड़ी-बड़ी टोलियां अब काश्मीर पर हमला कर रही थीं।

अक्टूबर के आरम्भ में ही स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की ओर से आक्रमण होने वाला है। १५ अक्टूबर को रियासती फौजों को फोर्ट ओवन खाली करना पड़ा। १८ अक्टूबर को कोटली-पुंछ की सड़क तोड़ दी गई। २३ अक्टूबर को कोटली से भयंकर युद्ध होने की खबरें आईं।

अब मुजफ्फराबाद और दोमेल को पार करके कवायली लुटेरे वारामूला की ओर बढ़ रहे थे ।

इस बीच नैशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता रिहा हो चुके थे और पं० रामचन्द्र काक प्रधान मंत्री के पद से हटा दिये गए थे । २४ अक्टूबर को रात के ११ बजे महाराज की ओर से हिन्दू सरकार को फौजी सहायता के लिए पहली चिट्ठी मिली ।

यह सहायता तब मांगी गई जब पानी खिर से गुज़र चुका था । हमलावर बढ़ रहे थे, रियासती फौज टुकड़े-टुकड़े हो रही थी, पंजाब का विष जन्मू के हिन्दुओं के शरीर से भी फूटने लगा था । २४ अक्टूबर को मुजफ्फराबाद पर कवायलियों का कब्जा हो गया । २५ अक्टूबर को हिन्दू सरकार में मन्त्रणा होती रही । इस बीच लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रजा की ओर से हिन्दू-सरकार को सहायता के लिए कहा । राजा और प्रजा दोनों का निमन्त्रण पाकर हिन्दुस्तान ने २६ अक्टूबर को काश्मीर को अपने साथ मिला लिया । हिन्दू सरकार ने एक शर्त भी लगा दी कि हमलावरों को रियासत से निकाल देने के बाद, सम्पूर्ण शान्ति हो जाने पर हिन्दुस्तान काश्मीर की जनता को कहेगा कि वह अपना भविष्य मतगणना द्वारा, स्वयं निश्चित करे ।

२६ अक्टूबर को ही वारामूला पर कवायलियों की विजय हुई ।

हिन्दू की हवाई सेना की पहली टुकड़ी २७ अक्टूबर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी ।

अक्टूबर मास का तीसरा व चतुर्थ सप्ताह वे क्रान्तिकारी दिन श्रीनगरवासियों को कभी नहीं भूलेगा । खूंखार कवायली लुटेरा श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था । वारामूले व उड़ी में उसके अत्याचार की कहानियां उसके भारी कदमों की पिटाई से उड़ रही धूल की तरह चारों ओर फैल रही थीं । काश्मीर का राजपूत नरेश प्रजा को छोड़कर, अपने महलों के

सब साजोसामान लेकर, अपनी सारी पुलिस, अपनी सारी फौज, अपना सर्वस्व समेटकर, रातों-रात भाग चुका था। लाख से ऊपर हिन्दू व सिख अपनी दौलत और इज्जत की फिक्र में संख्या में अपने से कहीं ज्यादा मुसलमानों की सुट्टी में श्रीनगर में बेचनी की बड़ियां गुजार रहे थे। युद्ध घोष की आवाजें आने लगी थीं। लेकिन श्रीनगर के गम्भीर शान्त तल पर तूफान नहीं उठ सका। उसे रोक रही थी नेशनल कांग्रेस की प्रेरणा पर लाखों राष्ट्रीय मुसलमानों की नेकनियती की भारी चट्टान। इस चट्टान को चकनाचूर करने के लिए आक्रमणकारी के हमलों की लहरें बार-बार बढ़ रही थीं और खुर्द-खुर्द होकर लौट रही थीं।

एक अजीब वाक्या पेश आ रहा था। हजारों की तादाद में मुसलमान अपने हिन्दू व सिख पड़ोसियों के घरों पर, दौलत पर, इज्जत पर अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा दे रहे थे। अपने असहाय पड़ोसियों की बेचनी उन्होंने अपने दिलों में ले ली थी। सदियों से बुद्धि ल कहलाए जाने वाले काश्मीरी अबाम ने हाथों में बन्दूकें संभाल लीं, लकड़िएं उठा लीं, मंडे पकड़ लिये। कयायली लुटेरों के विरुद्ध, जो इस्लाम के नाम पर जहाद करने आ रहे थे, वह डटकर खड़े होगए।

हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने श्रीनगर में पहुँचते ही दुश्मन से लोहा लिया। दुश्मन इनका पहला बार ही न सह सका। इसी बीच हिन्दुस्तानी फौज के पैदल दस्ते सड़क की राह श्रीनगर पहुँचने लगे। कयायतियों से पहली बड़ी टक्कर पट्टन में हुई और उन्हें पढ़ाड़ा गया। ८ नवम्बर को बारासूला और १५ नवम्बर ४० को उड़ी पर हिन्दू की फौजों ने कब्जा कर लिया। साथ-ही-साथ जम्मू प्रान्त का शोर से भी मारपुर, कोटली, पुल्ल, मंगर, नाशेरा और भिम्बर के इलाकों की ओर हमारी फौजों ने बढ़ना प्रारम्भ किया। उपयुक्त सड़कों के अभाव में हमारी प्रगति धीमी थी। आरम्भ की लड़ाइयों में लेफ्टिनेंट कर्नल डी० एच० राय, मेजर एम० एन० शर्मा व हवालदार महादेव सिंह ने अपनी जानें दे दीं। इन्फेन्ट्री रिगेडियर मुहम्मद उस्मान व कितने ही यूरपीयों ने रणभूमि में बलि-

दान देकर अपने क्षत्रियत्व की भूरि-भूरि सराहना पाई ।

जहाँ हमारी फौजें जंग के मैदान में बढ़ रही थीं काश्मीर की दूसरी वहाँ काश्मीर की जनता एक दूसरी लड़ाई पर जंग मोर्चे संभाले हुई थी । यह मोर्चा डेमोक्रेसी

फासिज्म, प्रेम से घृणा और भाईचारे से दुश्मनी का मोर्चा था । श्रीनगर में, और फिर उस प्रान्त के सब शहरों व कस्बों में, सलामती फौज (पीस त्रिगेड्म) का निर्माण हुआ । इनका एक ही नारा था—“शेरे काश्मीर का क्या इरशाद, हिन्दू सुस्लिम सिख इत्तहाद ।” इनका काम शहर-शहर, गली-गली व कूचे-कूचे में घूमकर साम्प्रदायिक शान्ति बनाए रखना था । यदि श्रीनगर में साम्प्रदायिक रंग की एक भी घटना हो जाती तो बिना लड़े पाकिस्तान काश्मीर को हथिया लेता । काश्मीर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां काश्मीरियों के हाथ हिन्दुओं की हत्या हुई हो । इसके अतिरिक्त कौमी-फौज (नैशनल मिलीशिया) बनी जिसने पहली बार निरस्त्र काश्मीरियों के हाथों में बन्दूके संभलवाईं । इस फौज में प्रविष्ट होने के लिए किसी को भी धर्म के नाम पर रुकावट नहीं थी । सांस्कृतिक मोर्चे पर अवामी राज्य की इस लड़ाई के सन्देश को पहुँचाने के लिए कौमी—कल्चरल-मुहाज (नैशनल कल्चरल-फ्रन्ट) की स्थापना हुई । इस मुहाज पर हिन्दू व मुसलमान कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर बढ़ रहे हैं । इस मुहाज पर कलाकार चित्र तैयार करते हैं, कवि अपनी ओजस्विनी लेखनी से गीत लिखते, नाट्यकार नाटक करते व नृत्यकार नाचते हैं । उद्देश्य सबका एक ही है—जनता समझे कि देश में आजादी आई गई है, यह आजादी केवल राजनैतिक नहीं है, यह आर्थिक भी है, सामाजिक भी और नैतिक भी । यह सर्वांगीण आजादी है। इस आजादी की पुकार जम्मू व काश्मीर की घाटी के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए इनकी टोलियाँ नाटक, नृत्य व चित्र प्रदर्शित करती हुई निकलती हैं ।

कौमी फौज का एक हिस्सा स्त्रियों का है । इस फौज में हिन्दू

व मुसलमान घरानों की स्त्रियाँ पर्दा उतार कर शस्त्र संभालना सीख रही हैं ।

आत्म-वलिदानकी पराकाष्ठा के उदाहरण काश्मीर आत्म-वलिदान में बहुत मिलते हैं। मुजफराबादमें एक मास्टर अजीज-अहमद थे जो नेशनल कान्फ्रेंसके उत्साही सदस्य थे। कवायलियोंके अत्याचारसे बड़ी संख्यामें हिन्दू व सिख मौतके घाट उतारे जा रहे थे, स्त्रियों की लाज हरी जा रही थी। त्राहि-त्राहि मची थी। मास्टर अजीज अहमद ने सैकड़ों हिन्दू और सिखों को अपने घर पर शरण दी। वह शेर की तरह उनकी अपने यहां रक्षा करते, बाजार में कुरान की प्रति लेकर निकलते और गरजते—“ओ इस्लाम के नाम पर कालिख पोतने वालो, बताओ मुझे—कहाँ लिखा है इस पाक किताब में बच्चों, बूढ़ों पर जुल्म करना? कहां लिखा है असहाय बहू-बेटियों की अस्मत् लूटना? यह जुल्म, यह तबाही, इस्लाम के नाम पर कर रहे हो? धिक्कार है तुम पर, और लानत है तुम्हारे झूठे यकीन पर।” उनके दृव-दवे से सब चुप रहते थे।

मुजफराबाद के नजदीक ही गद्दी में एक मुसलमान सरदार रहता था। उसने आकर अपने साथियों और कवायलियों की मदद से मास्टर साहिव को पकड़ मंगवाया। उन्हें डराया, धमकाया और सच्चे, नेक ईमान से गिराने की कोशिश की। लेकिन जवाब में वह “शेर-काश्मीर—जिन्दाबाद” का नारा ही लगाते रहे। आखिर में बन्दूक की नाली का मुख उनके मुख में रखकर गोली दाग दी गई और वह वलिदान होगए।

यारामूला के मकबूल शेरवानी हिन्दू व सिखों को दबाते, कवायलियों को चकमे में डालते और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते-रोकते अमर हो गए। शहीद शेरवाना ने कवायलियों को गलत नजरों दे-देकर यारामूला में ही चन्द्र दिन न रोक रखा होता तो शायद हिन्दुस्तानकी फौजों के उतरने से पहले ही श्रीनगर पर उनका कब्जा हो जाता। वह कवाय-

लियों को कभी बताते कि सिखों की फौजें आ रही हैं और डरा कर उन्हें अपने मोर्चों से भगा देते, उन्हें गलत दिशाओं में भेज देते। हिन्दू व सिखों को वारामूला से निकालते रहते। कभी पटन, कभी सोपोर, कभी वारामूला घूमते रहते। आखिर में काफी धोखा खाने के बाद कवाय-लियों को पता चला कि शेरवानी नेशनल कान्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं। उन्हें सरे-बाजार बांध दिया गया और कहा गया कि वह “शेख अब्दुल्ला—मुर्दाबाद” और “जिन्ना—जिन्दाबाद” के नारे लगाएं। उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया और “हिन्दुस्तान जिन्दाबाद” के नारे लगाए। एक-एक करके उन पर १४ गोलियां दागी गईं। हर गोली खाने पर वह “शेरे काश्मीर जिन्दाबाद”, “हिन्दुस्तान-जिन्दाबाद” का नारा लगाते रहे। १४वीं गोली ने उनके प्राण हर लिए। उन की नाक काट ली गई और लाश बाजार में टंगी रहने दी गई। उन्हीं दिनों शेरवानी के आत्मबलिदान की चर्चा महात्मा गांधी ने भी अपनी प्रार्थना सभा में की।

कौमी-फौज के कारनामोंमें बहादुरी की कितनी-ही कहानियां मिलती हैं। एक मुसलमान सिपाही, सय्यद अहमद शाह, जो कवायलियोंमें जासूसी का काम करने गया था, पटन के पास पकड़ा गया। उसने दुश्मन के फन्दे से भाग निकलने की हरचन्द कोशिश की लेकिन सफल न हुआ। हिन्दुस्तानी हवाई जहाजों के आने पर कवायली उसे लेकर छुप जाया करते थे ताकि उनके स्थान का पता न चल सके। एक दिन जब हवाई जहाज ऊपर मंडरा रहे थे, अपने प्राणों की चिन्ता न करके वह भाग कर खुले में आगया और अपनी सफेद कमीज उतारकर ऊंचे-ऊंचे लहराने लगा। हवाई जहाज के बमवर्षकों ने इसे देखा और बम बरसाए। भाग्यसे वह सिपाही तो बच गया लेकिन दुश्मन का एक अड्डा नष्ट हो गया। बचकर श्रीनगर पहुंचने पर यह सिपाही फौज का एक बड़ा अफसर बना।

एक दूसरी घटना कौमी-फौज के कागजातमें दर्ज है। एक दस्ता, जिसमें

सभी सिपाही मुसलमान थे, जम्मू शहर के ग्रामों का दौरा कर रहा था। इन ग्रामों में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या हिन्दू सम्प्रदायवादी लोगों के हाथों मारी गई थी। अपनी परेड के दौरान मैं एक सिपाही मुका और उसने ज़मीन से कुरान-शरीफ का एक फटा हुआ वरका उठाया। साथ के सिपाही ने उसे डांटा और कहा कि अनुशासन तोड़कर तुम क्यों मुके। उसने कहा—“तुम देखते नहीं—हिन्दुओं ने कुरान शरीफ को फाड़कर फेंक रखा है।” इस पर दूसरे सिपाही ने उसे खूब फटकार बताई और कहा—“तुम उसे हिन्दू क्यों कहते हो—जिसने यह पाक किताब फाड़ी? उसे वहशी और दरिन्दा कहो। इसी वहशी और दरिन्दे हिन्दू की तरह हजारों वहशी और दरिन्दा मुसलमानों ने पाकिस्तान में पाक इस्लाम के नास के नारे लगाकर पवित्र गीता और ग्रन्थ साहब की धजियां उड़ाई हैं। इन वहशी और दरिन्दों की एक ही जमात है, चाहे यह हिन्दू हों व मुसलमान।” इस घटना को फौजी डिस्पैच में लिखा गया।

श्रकद्वार-नवम्बर-दिसम्बर—इन नहीनों में युद्ध लड़ाई जारी रही जारी रहा। काश्मीर बर्फ की चादर से ढक गया। सब पहाड़, नदी-नाले, पुल, रास्ते बर्फ से पट गए। श्रीनगर तक सामान पहुँचाने का रास्ता केवल बनिहाल टनल से ही था—वहाँ सौ-सौ फुट गहरी बर्फ रास्ता रोक रही थी। श्रीनगर तक सड़क का रास्ता तो बन्द ही था, हवाई जहाज भी वहाँ नहीं उतर सकते थे। कितने-कितने दिन टेलिफोन और तारों का मिल-सिला टूटा रहता था। सर्दियों के इस काल में भी हिन्दुस्तानी फौज त्रिनेदियर सेन के नेतृत्व में जीशीखरोश से काम करती रही।

सभी कब्रानली हमलावर पाकिस्तान से होकर मामला राष्ट्र-संघ में आ रहे थे। पाकिस्तान ही उन्हें सौधी सामान और पेट्रोल व लारियों दे रहा था। इन न्यायता के बिना वह एक दिन भी लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे। जहाँ-

तहां पाकिस्तानी फौज के सिपाही भी लड़ रहे थे । हिन्दुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के अधिकारियों को इस सहायता को रोकने के लिए लिखा लेकिन पाकिस्तान ने यह मानने से इन्कार किया कि वह कवायलियों को किसी तरह की सहायता दे रहा है ।

गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि राष्ट्र-संघ में किसी तरह का मामला भेजा जाय, फिर भी उनकी मन्त्रणा के विरुद्ध ३१ दिसम्बर ४७ को एतत्सम्बन्धी हिदायतें वाशिंगटन स्थित हिन्दुस्तानी राजदूत को भेज दी गईं ।

जैसा कि पंडित नेहरू ने बाद में कहा—“हमारी शिकायत के अतिरिक्त सुरक्षा-समिति में शेष सभी प्रश्नों पर विचार हुआ ।” लन्दन के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक न्यू स्टेट्समन एंड नेशन के सम्पादक किंगस्ले मार्टिने ने २० फरवरी ४८ को एक लेख में लिखा—“यह उचित था कि हिन्दुस्तान की शिकायत पर, ईमानदारी से सोच-विचार होता और उससे टालमटोल न होती....। सुरक्षा-समिति ने एक सीधे प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है और हिन्दुस्तान में प्रायः प्रत्येक को विश्वास हो गया है कि मामले पर न्यायपूर्ण विचार नहीं हुआ, वरन् इसे वैदेशिक राजनीति के दंगल में खदेड़ दिया गया है । विशेषतया यह कहा जाता है कि इसका एक विशिष्ट कारण एंग्लो-एमेरिकन ताकतों की पाकिस्तान में फौजी अड्डे हथियाने की इच्छा है ।”

राष्ट्र-संघ ने जो निर्णय किया उसके बहुत से महत्वपूर्ण अंशों को हिन्दुस्तान ने मानने से इन्कार कर दिया । पाकिस्तान ने भी उस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन नहीं किया । इस पर भी उस निर्णय के अनुसार एक जांच कमीशन हिन्दुस्तान भेजा गया । पांच राष्ट्र इस कमीशन के सदस्य हैं ।

मनीपुर, मुजफ्फराबाद व पुंछ के जिलों में हमारी फौजें पाकिस्तान की सीमा से बहुत थोड़े अन्तर पर रह गई हैं । जैसे-जैसे यह सीमा

फौजी स्थिति

समीप आ रही है, इन मोर्चों पर लड़ने वाले कवायलियों की संख्या नितान्त कम हो रही है और वाकायदा पाकिस्तानी फौज के दस्ते लड़ रहे हैं। हवाई जहाजों को छोड़कर दुश्मन शेष सभी सामान लड़ाई में ले आया है। उसे जान और सामान दोनों की भारी क्षति उठानी पड़ रही है लेकिन न वह इस युद्ध को छोड़ सकता है, न खुले तौर, ढंके की चोट लड़ ही सकता है। हमारी फौजों को एक-एक पहाड़ी से, जहाँ कि दुश्मन जमकर चौकियों पर डटा हुआ है, हटाने के लिए घोर युद्ध करना पड़ता है।

यह तो युद्ध के पश्चिमी मोर्चे की स्थिति है। उत्तरी मोर्चे पर कवायली लुटेरों की व पाकिस्तानी सिपाहियों की काफी संख्या है। लेह पर हमारी फौजों ने हवाई श्रद्धा बनाया हुआ है और गिलगित पर हवाई हमलों ने दुश्मन को परेशान कर दिया है। गुरेज पर हमारी फौजों के कब्जे ने शत्रु के रसद मार्ग को खतरे में डाल दिया है।

३० जुलाई १९४८ को काश्मीर-कमीशन के सामने पाकिस्तान ने मान लिया कि उसकी फौजें काश्मीर के युद्ध में हिस्सा ले रही हैं। काश्मीर-कमीशन के सदस्यों ने लौटकर अपनी अन्तःकालीन रिपोर्ट नवम्बर १९४८ में सुरक्षा-समिति के सामने पेश की।

रियासती संघों के मंत्रिमण्डल

विभिन्न रियासती-संघों में प्रजामण्डलों ने जो मन्त्रिमण्डल बनाए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :

मत्स्य-संघ

श्री शोभा राम—प्रधान मंत्री। जुगल किशोर
चतुर्वेदी—शिक्षा। गोपीनाथ यादव—आय।
भोलानाथ—पब्लिक वर्क्स। चिरन्जोत्तल

शर्मा—विकास । मंगल सिंह—उद्योग ।

सौराष्ट्र

उच्चरङ्गराय नवलशंकर डैवर—प्रधान मंत्री ।
बलवन्त राय गोपालजी मेहता—उपप्रधान
मन्त्री । नानाभाई कालीदास भट्ट—शिखा ।
रसिकलाल उमेदचन्द पारीख—गृह । जगजीवनदास शिवलाल पारीख—
अर्थ । मनुभाई मनसुखलाल शाह—व्यापार ।

मध्य-भारत

लीलाधर जोशी—प्रधान मन्त्री । वी. एस.
खोडे—उपप्रधान मन्त्री । तखतमल जैन ।
राधेलाल व्यास । हमीद अली । कुसुमकान्त
जैन । यशवन्तसिंह कुशवाह । जगमोहनलाल श्रीवास्तव । वी. वी.
डैविड । काशीनाथ त्रिवेदी । नन्दलाल जोशी ।

राजस्थान

माणिकलाल वर्मा—प्रधान मन्त्री । गोकल
आसव । भूरेलाल बापा । प्रेम नारायण माथुर ।
मोहनलाल सुखाडिया । भोगीलाल पाण्डया ।
अभेन्नदरी । वृजेन्द्र ।

विन्ध्या-प्रदेश

कैप्टेन अवधेश प्रताप सिंह—प्रधान मन्त्री ।
कामता प्रसाद सक्सेना—उपप्रधान मन्त्री ।
शिव बहादुर सिंह । नर्मदा प्रसाद सिंह । सत्य-
देव । गोपाल शरण सिंह । चतुर्भुज पाठक ।

इन मन्त्रिमण्डलों के अलावा भारतीय सरकार ने इनकी सहायता
के लिए सलाहकार नियुक्त किए हैं, जिनके नाम यह हैं :

मत्स्य के. वी. लाल आई. सी. एस.

राजस्थान पी. एस. राश्री आई. सी. एस.

सौराष्ट्र एन. एम. बुच आई. सी. एस.

मध्य भारत सी. एस. वेंकटाचारी आई. सी. एस.

न्याय-शासन के लिए मत्स्य, मध्यभारत, सौराष्ट्र, विन्ध्या प्रदेश

और राजस्थान—रियासती संघों में अलग-अलग हाईकोर्टें काम कर रही हैं।

स्वाधीन भारत का पहला बजट

श्री आर० के० शण्मुखम चेट्टी ने विधान-परिषद में २६ नवम्बर १९४७ को स्वाधीन भारत का पहला बजट पेश किया। यह बजट १५ अगस्त ४७ से ३१ मार्च १९४८ तक के लिए था। अर्थमंत्री ने देश की आय-स्थिति को मजबूत बताया। व्यय के मुख्य मद—रचा: ६२.७४ करोड़ रुपये, शरणार्थी : २२ करोड़ रुपये और अनाज के आयात मूल्य में कमी करने के लिए सरकारी सहायता : २२.५२ करोड़ रुपये हैं। बजट में २६.२४ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है; सूती कपड़े व धागे के निर्यात के कर को बढ़ाने से यह घटकर २४.५६ करोड़ रुपये रह जायगा। अर्थ मंत्री ने कहा कि देश में सरकारी और गैर-सरकारी व्यापार व औद्योगिक व्यवसाय साथ-साथ चलेंगे।

बजट का खुलासा

आमदनी	(लाख रुपयों में)
आयात निर्यात कर	५०,५०
बजट में प्रस्तावित	१,६५
केन्द्रीय एक्साइज कर	२२,०८
कार्पोरेशन टैक्स	४२,७१
शाय कर	३५,२६
नमक	५०
अफीम	८६
ब्याज	६६

नागरिक शासन	
मुद्रा	२,२६
सिविल वर्क्स	१,४१
आय के शेष साधन	१५
ढाकखाने से आय	२,७२
रेलवे से आय	२,०३
इसमें से कम कौजिए—आयकर का प्रांतीय भाग	३०,०५
आमदनी का जोड़	१७२,८०
खर्च	लाख रुपये
आय वसूल करने पर व्यय	५,३३
सिंचाई	७
कजों से सम्बन्धित व्यय	२०,५२
नागरिक शासन	२०,२४
मुद्रा	१,२०
पेंशन	१,८६
सिविल वर्क्स	६,२१
विविध	२२,००
शरणार्थियों पर व्यय	२२,५२
आयात किये गए अनाज के दर घटाने के लिए सरकारी व्यय	२,३०
दूसरे खर्च	४५
प्रान्तों को दिया जायगा	१,६२
विशिष्ट व्यय	६२,७४
रक्षा	१६७,३६
खर्च का जोड़	२४,५६
घाटा	

रेलवे वजट

स्वाधीन भारत का पहला रेलवे-वजट यातायात विभाग के मंत्री डाक्टर जान मथाई ने विधान-परिषद् में २० नवम्बर १९४७ को पेश किया। इस वजट द्वारा १५ अगस्त ४७ से ३१ मार्च ४८ तक का हिसाब प्रस्तुत किया गया।

वजट में रेलवे के किराए बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। वे किराए १ जनवरी १९४८ से बढ़े। रेलवे वजट में जो १२.३८ करोड़ रुपये का घाटा था वह किरायों के बढ़ जाने से जो ६.१५ करोड़ रुपये की नई आमदनी होगी उसके कारण ३.१९ करोड़ रुपये रह जायगा।

रेलों के भाड़ों में वृद्धि के बाद नई दर इस प्रकार हो जायगी :

फर्स्ट क्लास	३० पाई प्रति मील
सेकंड क्लास	१६ पाई प्रति मील
इंटर क्लास	६ पाई प्रति मील मेल गाड़ियों पर
” ”	७½ पाई प्रति मील साधारण गाड़ियों पर
थर्ड क्लास	५ पाई प्रति मील मेल गाड़ियों पर
” ”	४ पाई प्रति मील साधारण गाड़ियों पर

इस वृद्धि से फर्स्ट क्लास की आमदनी में आजकल की आमदनी से चार बटा पांच वृद्धि, सेकंड क्लास और इंटर क्लास में दो बटा वृद्धि और थर्ड क्लास में ½ वृद्धि हो गई।

इसी तरह सामान लदवाड़े के भाड़ों में भी कुछ वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया जो कि अक्टूबर १९४८ से चालू हुआ।

स्वतन्त्र भारत का पहला वार्षिक वजट

स्वतंत्र भारत का पहला वार्षिक वजट अर्थ-मंत्री श्री जगन्मोहन शंक्री ने २० फरवरी १९४८ को विधान-परिषद् में पेश किया।

वजट	(लाख रुपयों में)		
आसदती की सद	निरीक्षित	आनुमानिक	
	१९४७-४८	१९४८-४९	
आयात निर्यात कर	२४,२०	{ ८१,७५ — २८	क
केन्द्रीय मुक्तसाहज कर	२०,७२	{ ३४,०० १३,१०	क
कार्पोरेशन टैक्स	४०,४२	{ ३२,५० १०,३०	क
आय कर	७४,५७	{ २०,५० — ३,२२	क
नसक	२०	
अफीम	६८	१,४०	
व्याज	४६	१,१७	
नागरिक शासन	७,२८	२,१२	
मुद्रा	१,२५	२,४०	
मिथिल बकर्स	४७	८१	
आय के दूसरे साधन	२,११	४,३६	
डाक व तार के महकमों से आय	२,१४	{ ३८ ४०	क
रेल के महकमों से आय	४,५०	
इसमें से कमी कीजिए, आय- कर का प्रान्तीय हिस्सा	२२,७४	{ — ३७,८७ १,२३	क

आमदनी का जोड़	१,७८,७७	२,५६,२८
(क) बजट में प्रस्तावित ।		
खर्च की मद		
आय वसूल करने पर व्यय	५,४५	८,६८
सिंचाई	८	१३
कजों से सम्बन्धित व्यय	१६,२४	४१,१६
नागरिक शासन	२३,७५	३४,५६
मुद्रा	१,१४	२,२०
सिविल वर्क्स	६,२८	७,२१
पेंशनें	१,५७	२,७०
विविध		
शरणार्थियों पर व्यय	१४,८६	१०,०४
आयात अनाज के दर घटाने		
के लिए सरकारी सहायता	२०,१६	१६,६१
दूसरे व्यय	२,३६	३,२८
ग्रान्तों को देना	१,८५	३,६६
विशिष्ट व्यय	१,८६	३,१६
रक्षा विभाग	८६,६३	१२६,०८
व्यय का जोड़	१८५,२६	२५७,३७
घाटा	६,५२	१,०६

रेलवे बजट

१६ फरवरी १९४८ को विधान-परिषद् में पहला वार्षिक रेलवे बजट पेश हुआ। वातायतक मन्त्री डाक्टर जान मथाई ने कहा कि देश उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। इस वर्ष किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेलवे के लिए बहुत-सा नया सामान मंगवाया जा रहा है। १९४८ के अन्त तक रेलवे को ४०५० नए डिब्बे और १४६ नए

इंजन प्राप्त हो चुके होंगे। मार्च १९४६ तक तेल की लदवाई के लिए कैनाडा से नए टैंकर भी आ जायेंगे।

१९४८-४९ में कुल आमदनी ३२.३८ करोड़ रुपये होगी। रेलवे के लिए जो रुपया उधार लिया गया हुआ है, उसका २२.५३ करोड़ रुपये काटकर शेष ९.८५ करोड़ रुपया बच जाता है, जो कि लाभ की मद है।

अगस्त ४७ से मार्च ४८ तक के प्रस्तावित बजट में इस प्रकार फर्क हुआ है।

	आनुमानिक	वास्तविक
सामान से आमदनी (करोड़ रुपये)	५७.३३	५३.३८
यांत्रियों से आमदनी	५२.१२	४५.८
कोचिंग से आमदनी	५.०३	७.८७
कुल खर्च	६६.०	६३.५५

इस हिसाब से जो २.७ करोड़ रुपये के कुल घाटे का अनुमान लगाया गया था वह बढ़कर ५.२ करोड़ रुपये हो गया।

अनुमान है कि १९४८-४९ में रेलों की सब तरह की आमदनी मिलाकर १६० करोड़ रुपये होगी। खर्च का अनुमान १४७.१५ करोड़ रुपया है। इस समय रेलों पर लगा हुआ कुल मूल ६७८ करोड़ रुपया है। इस पर प्रति वर्ष १/६० वां हिस्सा घिसाई (डेप्रिसियेशन) का गिना जाता है। इस तरह यह रकम ११.१८ करोड़ रुपया हुई। इसके अलावा कुछ ऐसी रेलवे लाइनें हैं जिन्हें कि भारत सरकार बाहर की कंपनियों की ओर से चलाती है—उन कंपनियों को १.४५ करोड़ रुपया दिया जायगा। इस तरह ३०.२२ करोड़ के लगभग रुपया बच जाता है। भिन्न-भिन्न साधनों से २.१६ करोड़ रुपये की आमदनी और होगी जिसे मिलाकर कि १९४८-४९ में कुल आमदनी ३२.३८ करोड़ रुपया हो जायगी। इसमें से व्याज की रकम, जो कि औसत ३.२५

प्रतिशत के हिसाब से गिनी जाती है, काटी जाती है। यह रकम २२,५३ करोड़ रुपया होती है। इस तरह शेष लाभ ६,८५ करोड़ रुपया रह जायगा।

हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावना

युद्ध (१९३६-४५) के दिनों में हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावना बढ़ता गया। दो साधनों से यह जमा हो रहा था :

१ विदेशी व्यापार की बाकी हिन्दुस्तान के पक्ष में होती थी :

(क) स्टर्लिंग मुद्रा के प्रयोग करने वाले देशों को निर्यात अधिक था, उनसे आयात कम।

(ख) डालर और दूसरी दुर्लभ मुद्राओं वाले देशों को निर्यात अधिक था, उनसे आयात कम।

२ (क) ब्रिटिश सरकार का हिन्दुस्तान में फौजी खर्च।

(ख) अमरीका व दूसरे साथी देशों का हिन्दुस्तान में फौजी खर्च।

इस तरह यह स्टर्लिंग पावना हिन्दुस्तान की जनता के मेहनत, कष्ट और शोषण के फलस्वरूप जमा हो रहा था।

विदेशी व्यापार की बाकी हिन्दुस्तान के पक्ष में होती थी, इसके आंकड़े निम्न तालिका में मिलेंगे :

हिन्दुस्तान के पक्ष में बाकी (वैलेन्स)

(लाख रुपये)

१९४०-४१

५३,५३

४१-४२

= १,७३

४२-४२

= ६,३३

१९४२-४४	६६,८३
४४-४५	२८,७३
४५-४६	२९,७१

ब्रिटेन व ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे देशों से व्यापार में हिन्दुस्तान के पक्ष में बाकी का व्योरा इस प्रकार है :

	(लाख रुपये)		(लाख रुपये)
१९४०-४१	२६,७०	१९४३-४४	७१,५०
४१-४२	४३,२०	४४-४५	५६,३५
४२-४३	६४,२५	४५-४६	३१,८०

अमरीका से व्यापार में हिन्दुस्तान की लेन-देन की बाकी का हिसाब इस प्रकार रहा :

	(लाख रुपये)		(लाख रुपये)
१९४०-४१	-१,११	१९४३-४४	+२१,८६
४१-४२	+११,६८	४४-४५	-७,७४
४२-४३	+८,६८	४५-४६	-५,७७

फौजी खर्चों के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान व ब्रिटेन की सरकार में १९४० में हुए समझौते के अनुसार हिन्दुस्तान ने ब्रिटेन की ओर से निम्न खर्च किया और इसे इङ्ग्लैंड के नाम डाला :

(करोड़ रुपयों में)

१९३९-४०	३
४०-४१	४०
४१-४२	१६५
४२-४३	३२६
४३-४४	३८५
४४-४५	४११
४५-४६	३७६

इस तरह इंग्लैंड का हिन्दुस्तान को देना बढ़ता गया। इस स्टर्लिंग पावने के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	(करोड़ रुपये)
२४ अक्टूबर १९४१	२१६
२३ ,, १९४२	४१३
२६ ,, १९४३	८१५
२७ ,, १९४४	११६६
२६ ,, १९४५	१५८२
२५ ,, १९४६	१६३१
२० दिसम्बर १९४६	१६२२

स्टर्लिंग पावने के विषय में हिन्दुस्तान के अधिकारियों ने बातचीत करने के लिए इंग्लैंड से एक शिष्टमंडल २६ जनवरी ४७ को नई दिल्ली पहुंचा। इस मंडल के सदस्य थे थे : सर विलियम डेविस, सेक्रेटरी सेक्रेटरी टु एच. एम्स. ट्यूबरी; मिस्टर सी.एफ.कोव्बोल्ड, डिप्टी गवर्नर आफ दि बैंक आफ इंग्लैंड। इनके साथ तीन अन्य अधिकारी भी थे।

इनकी बातचीत हिन्दुस्तान की सरकार के अर्थ विभाग और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से दो सप्ताह तक होती रही।

१७ मार्च १९४७ को कौन्सिल आफ स्टेट में हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से बोलते हुए सर सिरिल जोन्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ने कहा कि हिन्दुस्तान ने १९४७ के समझौते के अनुसार जो रकमें अदा करनी थीं, वह अदा की जा चुकी है। अब इस आधार पर स्टर्लिंग पावने को घटाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

अगस्त १९४७ में हिन्दुस्तान के स्टर्लिंग पावने की रकम १ करोड़ १६ करोड़ पाउंड थी। हिन्दुस्तान से इसकी प्रदायगी के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ उसकी शर्तें यह थीं।

- (१) बैंक आफ इंग्लैंड के एक हिसाब में ३ करोड़ २० लाख पाउंड की रकम हिन्दुस्तान के पत्र में जमा करा दी गई जिसे ३१ दिसम्बर ४७ तक हिन्दुस्तान किसी भी मुद्रा में खर्च कर सकता था ।
- (२) ३ करोड़ पाउंड की सब प्रकार की मुद्राओं में परिवर्तित हो सकने वाली एक दूसरी रकम भी हिन्दुस्तान के हिसाब में जमा हो गई ।
- (३) शेष स्टर्लिंग पावने की रकम एक दूसरे हिसाब में जमा कर दी गई जिसका प्रयोग हिन्दुस्तान नहीं कर सकता था ।

१ जनवरी १९४८ को कुछ शर्तों के सुधार के साथ इस समझौते को ६ और महीनों के लिए चालू रहने दिया गया । इस बार हिन्दुस्तान वा पाकिस्तान के हिसाब अलग-अलग कर दिये गए । हिन्दुस्तान के चालू हिसाब में पिछले हिसाबोंकी बाकी और १ करोड़ ८० लाख पाउंड की नई रकम जमा कर दी गई ।

हिन्दुस्तान ने वायदा किया कि १९४८ के पहले ६ महीनों में अपने हिसाब की दुर्लभ मुद्राओं में से वह १ करोड़ पाउंड से अधिक रकम खर्च नहीं करेगा ।

इस समझौते के जून में खत्म होने से पहले हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल श्री शणमुखम् चेट्टी के नेतृत्व में लंदन गया । फलस्वरूप इंग्लैंड से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता हुआ जिसकी मुख्य शर्तें यह थीं :

(१) पिछले हिसाबों की बाकी के अतिरिक्त इंग्लैंड ८ करोड़ पाउंड की नई रकम हिन्दुस्तान के चालू हिसाब में जमा करवायगा ।

(२) पहले वर्ष में १ करोड़ २० लाख पाउंड की रकम हिन्दुस्तान किसी भी मुद्रा में खर्च कर सकेगा ।

(३) पिछले दो वर्षों की विभिन्न मुद्राओं की आवश्यकताओं पर बाद में विचार होगा ।

(४) यदि इस वर्ष हिन्दुस्तान द्वारा दुर्लभ मुद्राओं का खर्च उप-

रोहत रकम से अधिक हो गया तो वह कमी इन्टरनेशनल-मानिटरी-फंड (अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-कोष) से उधार लेकर पूरा कर ली जायगी ।

(५) स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन की मुद्राएं दुर्लभ नहीं समझी जायंगी ।

(६) जापान से व्यापार में हिन्दुस्तान के पक्ष में जो बाकी रहती है, उसमें से ३५ लाख पाउंड की रकम डालरों में ली जा सकेगी ।

(७) हिन्दुस्तान स्टलिंग क्षेत्रों से अपनी जरूरत का सामान खरीद सके, इस और इंग्लैंड की सहायता मिलती रहेगी ।

(८) हिन्दुस्तान में पड़े हुए इंग्लैंड के फौजी सामान की कीमत का अनुमान ३७ करोड़ ५० लाख पाउंड लगाया गया । इस सामान के लिए १० करोड़ पाउंड देकर हिन्दुस्तान ने यह हिस्सा चुकता कर दिया ।

(९) अविभाजित हिन्दुस्तान को प्रतिवर्ष पेंशनों के रूप में जो रकमें अदा करनी पड़ती थीं उनकी अदायगी का उत्तरदायित्व अब हिन्दुस्तान पर था । यह रकम प्रतिवर्ष ६३ लाख ५० हजार पाउंड होती थी । निश्चय हुआ कि इंग्लैंड को १४ करोड़ ७५ लाख पाउंड की रकम दे दी जाय और उनसे प्रतिवर्ष क्रमशः कम होती हुई एक रकम खरीद ली जाय करे जो ६० वर्षों में विलकुल चुक जाय । पहले वर्ष यह रकम ६३ लाख पाउंड होगी ।

(१०) प्रान्तीय पेंशनों की रकमों के बारे में भी इसी तरह ब्रिटेन को २ करोड़ ५ लाख पाउंड की रकम दे दी गई ।

(११) इस तरह हिन्दुस्तान के स्टलिंग पावने की रकम में कमी करके और पाकिस्तान के हिस्से के स्टलिंग पावने की रकम अलबत्त उसके शेष ८० करोड़ पाउंड रह गया है ।

हिन्दुस्तान की औद्योगिक नीति

महात्मा जी का मजदूरों के प्रति प्रवचन

“अपने कराड़ पतियों और पूंजीपतियों के बिना कोई भी देश गुजारा कर सकता है परन्तु कोई भी देश अपने मजदूरों के बिना कभी गुजारा नहीं कर सकता।”

“अपनी दशा स्वयं सुधार कर, अपने को शिक्षित करके अपने अधिकारों पर बल देकर, और जिन चीजों के निर्माण में उनका खासा हिस्सा रहा है, मजदूरी देने वाले मालिकों से उसके समुचित प्रयोग की मांग करके मजदूर अपना राजनैतिक कर्तव्य बखूबी निभा सकते हैं। इसलिए इस और उचित विकास का मतलब होगा कि मजदूर-वर्ग अपने को मल्कीयत में साभेदार की हैसियत तक उठा ले।”

उद्योग सम्मेलन (इंडस्ट्रीज कान्फ्रेंस)

१८ दिसम्बर १९४७ को दिल्ली में उद्योग-सम्मेलन हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति रखने के उद्देश्य से—ताकि देश में उत्पादन और फलस्वरूप, राष्ट्रीय धन की उन्नति हो, औद्योगिक शान्ति (इंडस्ट्रियल ट्रूल) के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें ये हैं।

१. कारखानों में उठ खड़े झगड़ों को न्यायपूर्ण तरीके व शान्ति से निपटाने के लिए वैधानिक साधनों का प्रयोग हो। जहां ऐसे साधन न हों, वहां तुरन्त मुहय्या किये जायें।

२. मजदूरी की उचित दर और मजदूरी की उचित दशाओं के

निर्धारण के लिए, पूंजी के मुनाफे की उचित दर निश्चित करने के लिए और औद्योगिक-उत्पादन में मजदूर-वर्ग का सहयोग पाने के लिए केन्द्रीय, प्रादेशिक और विशिष्ट (फन्क्शनल) समितियां बनाई जाएं ।

३. सब कारखानोंमें वर्क्स-कमेटियां बनाई जायं जिनमें मालिक और मजदूर दोनों का प्रतिनिधित्व हो । वही कमेटियां दिन-प्रतिदिन के ऋगड़ें निवटारें ।

४. मजदूरों के रहन-सहन का तरीका बेहतर हो । इस उद्देश्य से उनके लिए रिहायशी मकान बनवाने की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इन सिद्धान्तों को नजर में रखते हुए इस कान्फ्रेंस ने मालिकों और मजदूरों को ऋगड़ों व हड़तालों से तीन वर्षों के लिए बच रहने की हिदायत की ।

उत्पादन बढ़ना चाहिए

१८ जनवरी १९४८ को रेडियो पर भाषण देने हुए पं० जवाहर-लाल नेहरू ने देश में उत्पादन का मिलमिला बेरोक-टोक जारी रखने की अपील करते हुए कहा—“उत्पादन का अर्थ है दौलत । यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे पास काफी दौलत नहीं होगी । विभाजन भी इतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि दौलत चन्द लोगों के हाथों में जमा न हो जाय; लेकिन इससे पहले कि हम विभाजन की बात सोच सकें, उत्पादन का होना आवश्यक है ।

“ हम चाहते हैं कि हमारे खेतों और कारखानों में दौलत का दरिया बहे और हमारे देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचे, ताकि आसियर में हम हिन्दुस्तान को अपने स्वप्न पूरे करने देय सकें । हमें उत्पादन इसलिए करना है ताकि हमारे पास काफी दौलत हो सके और उचित आर्थिक योजनाओं के अनुसार उमका विभाजन हो — ताकि वात करोड़ों लोगों तक, विशेषतया आम जनता तक, पहुंच सके । हम हालत में

केवल करोड़ों की तादाद में जनता ही नहीं फले-फूलेगी बल्कि सारा देश धनी, सम्पन्न और मजबूत बन जायगा।”

“उत्पादन का अर्थ है कठोर मेहनत, अनथक श्रम; उत्पादन का अर्थ है कि काम न रुके, हड़तालें न हों, मिलों के दरवाजे बन्द न हों। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मजदूरों से हड़ताल का हथियार छीन लिया जाय; धीरे-धीरे मजदूर-वर्ग ने अपने लिए प्रायः सभी देशों में ताकतवर और मजबूत स्थान बना लिया है। फिर भी ऐसे वक्त होते हैं जब कि हड़तालें खतरनाक हो सकती हैं, जबकि हड़तालें केवल देश के ध्येयों को ही चोट नहीं पहुंचातीं—खुद मजदूर के हितों को भी ठेस लगती है। आजकल का समय ऐसा ही है।”

“हड़तालें तो आर्थिक व्यवस्था में कहीं कुछ खराबी होने की निशानी है। बेशक, आज हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत खराबियाँ हैं—केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं—बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। हमने इस व्यवस्था को बदलना है परन्तु इसे बदलते हुए हमें यह खयाल रखना है कि हमारे पास जो कुछ है भी, उसे हम तोड़फोड़ न दें।...इसलिए आज जब कि हम संकट से चारों ओर घिरे हुए हैं, यह बहुत जरूरी है कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था रहे ताकि हम सब मिलकर देश के उत्पादन में वृद्धि करें और विकास व प्रसार की बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करके देश की उन्नति करें।

“देश को उन्नत करना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है—निस्सन्देह हमारी जन संख्या बड़ी है, और हिन्दुस्तान में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, योग्य, बुद्धिमान और मेहनती पुरुषों की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के इस मानवीय साधन को हमने बरतना है। यह बात इस पर भी आश्रित रहेगी कि शांति रहे; अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति हो, देश में शान्ति हो, आर्थिक जगत में शांति हो, मजदूरों की दुनिया व औद्योगिक क्षेत्र में शांति हो। हम सब कोशिश करें कि यह शान्ति बनी रहे।...”

सरकार की औद्योगिक नीति

तीन मास की सतत मन्त्रणा के बाद दशरत्न १९४८ को भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा विधान-परिषद् में की। हिन्दुस्तान में किस तरह औद्योगिक प्रसार होगा और इस बीच उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व रहेगा, इस घोषणा में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की नीति जताई गई।

उद्योग व रसद के मन्त्रिमण्डल के इस सम्बन्धी प्रस्ताव सं-१(३)-४४(१३)—का खुलासा इस प्रकार है :

(१) भारत सरकार ने देश के सामने प्रस्तुत आर्थिक प्रश्नों पर गहराई से विचार किया है। हमारे राष्ट्र का निश्चय एक ऐसी व्यवस्था बनने का है जहाँ कि प्रत्येक देशवासी को न्याय और उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। उसके रहन-सहन का तल ऊँचा होना चाहिए और शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ सुलभ होनी चाहिए। आवश्यक है कि उचित योजनानुसार ही सर्वांगीण उन्नति हो। सरकारका प्रस्ताव है कि इस कार्य के लिए एक नेशनल प्लानिंग कमिशन (राष्ट्रीय योजना समिति) नियत करे।

(२) देश की आर्थिक दृशा सुधारने का अर्थ है राष्ट्रीय मूल में उन्नति। आधुनिक राष्ट्रीय मूलके बेहतर बंटवारे पर जोर देनेका मतलब हम यहाँ केवल गरीबी को घटाने का होगा। इसलिए ज्यादा जोर राष्ट्रीय धन की अधिक-से-अधिक उत्पत्ति पर देना चाहिए; साथ-ही-साथ सम्बन्धित बंटवारे के साधनों पर भी दृष्टि रखी जायगी। कृषि और उद्योग-धर्मों के उत्पादन बढ़ने चाहिए; धनोत्पादक मशीनरी (फैक्टरी) ज्यादा भिन्न-भिन्न प्रयुक्त होनी चाहिए, लोगों को आम जनसत्ता की चीजें मुफ्त या होनी चाहिए और ऐसे मानान का नियंत्रण करना चाहिए जिससे कि अधिका-

धिक विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान के हाथ में आए।

(३) अब सोचना यह है कि शासन किस हद तक इस औद्योगिक प्रयास में हिस्सा ले और किस हद तक व्यक्तिगत धन को औद्योगिक प्रयास में रहनेकी इजाजत हो। इसमें सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे शासन को ही इस प्रयास में अधिकाधिक सक्रिय होना आवश्यक है परन्तु इस समय इस सम्बन्ध में निश्चय हमारे उद्देश्यों की पूर्ति को किस हद तक सुगम करता है, केवल इसी बातका विचार करके होना चाहिए। आज शासन यन्त्र ऐसा नहीं है कि वह उद्योग-धन्धों में बाँझित भाग ले सके। इस दशाको सुधारने के सरकारी प्रयत्न जारी हैं। सरकार के विचारमें उचित यही है कि जिन उद्योग-धन्धों में वह लगी है, वह उन्हींका प्रसार करे अथवा नए कल-कारखाने लगाए—बजाय इसके कि वह चालू कल-कारखानों को हस्तगत करे। इस बीच व्यक्तिगत धन को, जिस पर सरकारी नियन्त्रण और अनुशासन रहेगा, औद्योगिक प्रयास का महत्त्वपूर्ण कार्य करते रहना है।

(४) इन बातों का ध्यान रखकर सरकार ने निश्चय किया है कि अस्त्र-शस्त्रोंका निर्माण, अणुशक्ति पर नियन्त्रण व इसका उत्पादन और रेल द्वारा यातायात के साधनों का स्वामित्व व प्रबन्ध पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के हाथों में ही रहेगा। किसी भी विशिष्ट अवसर पर, राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक समझे गए किसी भी उद्योग को, सरकार अपने हाथों में ले सकेगी। नीचे लिखे उद्योगों के नए प्रयासोंको केवल सरकार ही—केन्द्रीय, प्रान्तीय, रियासती अथवा स्थानीय—चालू कर सकेगी। यदि सरकार देश की भलाई को दृष्टि में रखते हुए उचित समझेगी तो व्यक्तिगत धन को भी इनमें हिस्सा लेने देगी।

१. कोयला

२. हवाई जहाजों का निर्माण

३. लोहा और इस्पात

४. समुद्री जहाजों का निर्माण

५. टेलीफोन, टेलीग्राफ व वेतार के सामान का निर्माण
(इसमें रेडियो शामिल नहीं हैं)

६. खनिज तेल

सरकार को सब समय यह अधिकार है कि चालू कारखानों को वह जब चाहे अपने हाथों में ले ले। लेकिन सरकार इस निश्चय पर पहुँची है कि उपरोक्त क्षेत्रों में चालू कारखानों को दस साल तक जारी रहने व विकास करनेकी आज्ञा दी जाय। इस दस सालके अरसेके बाद स्थितिपर फिर से विचार होगा और सम्योचित फ़ैसले किये जायेंगे। यदि कभी यह निश्चय हो कि चालू कल-कारखानों को सरकार हस्तगत करले तो उन्हें विधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों के अनुसार उचित मुआवज़ा दिया जायगा।

सरकारी प्रयासों का प्रबन्ध-भार आम तौर पर केन्द्रीय अनुशासनके तले, सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा हुआ करेगा।

(२) हाल ही में भारत सरकार ने एक आज्ञा जारी की है जिसके अनुसार बिजली की शक्ति का उत्पादन व बिक्री सरकार के हाथों में रहेगी। इस उद्योग के क्षेत्र में इसी आज्ञा के अनुसार काम होगा।

(६) शेष औद्योगिक क्षेत्रों में साधारणतया व्यक्तिगत पूंजी का ही काम होगा। इस क्षेत्र में भी सरकार अधिकाधिक हिस्सा लेगी। व्यक्तिगत प्रयास में यदि किसी उद्योग की सम्यन् उन्नति नहीं होती तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करने से हिचकिचायगी भी नहीं। बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बांधने, बिजली पैदा करने और विचार के साधनों का प्रसार करने के कितने ही नए-नए प्रयास इस वरत केन्द्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारों के हाथों में हैं। केन्द्रीय सरकार इस वरत गन्ध पैदा करने का एक बड़ा कारखाना भी बना रही है और शौरभियों व कोयले से रसायनिक तेल बनाने के उद्योग की योजना पर विचार कर रही है।

(७) संख्या ४ में लिखे गए उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त निम्न-लिखित उद्योग ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए सरकारी नियन्त्रण बने रहना परम आवश्यक है :

१. नमक
२. मोटर्स व ट्रैक्टर
३. मूल-प्रेरक (प्राइम मूवर्स)
४. बिजली से सम्बन्धित इंजीनियरिंग
५. भारी मशीनरी
६. मशीनरी के पुर्जे
७. महत्वपूर्ण रसायन, खाद व औषधियां
८. बिजली से सम्बन्धित रसायनिक उद्योग
९. लौह-रहित (नान-फेरस) धातुएं
१०. रबड़ का सामान
११. औद्योगिक व रसायनिक पेट्रोल
१२. सूती व गर्म कपड़े का उद्योग
१३. सीमेंट
१४. चीनी
१५. पुस्तकों व अखबारों के लिए कागज
१६. हवा व पानी के यातायात
१७. खनिज उद्योग
१८. राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्धित उद्योग

(८) राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में घरेलू दस्तकारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय पर विचार होना चाहिए कि किस हद तक यह छोटे-छोटे धन्धे बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों से मिलकर काम कर सकते हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए भारत सरकार उद्योग व रसद के मन्त्रिमण्डल के अधीन घरेलू दस्तकारियों का एक नया महकमा खोलने का निश्चय कर चुकी है।

इस सहकमे का एक काम बरेलू दस्तकारियों को सहकारिता की दिशा की ओर (को-ऑपरेटिव बेसिस पर) अग्रसर करना होगा ।

(६) उत्पादन में सर्वाधिक उन्नति हासिल करने का जो उद्देश्य सरकार ने अपने सामने रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि मजदूरों व मालिकों में पूरा मेलजोल व भाईचारा रहे । इस सम्बन्ध में दिसम्बर १९४७ में हुई इंडस्ट्रीज कान्फ्रेंस के प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करती है । एतत्सम्बन्धी फैसलों पर ध्यान रखने के लिए सरकार एक समुचित मशीनरी बनायगी । केन्द्र में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति (सैटल एडवाइज़री कौंसिल) बनेगी जो सब उद्योगों पर नजर रखेगी । सब मुख्य उद्योग-धन्धों के लिए अलग-अलग समितियाँ होंगी । यह समितियाँ आगे उप-समितियों में विभक्त होंगी जो उत्पादन, औद्योगिक रिश्ते, मजदूरी का निर्णय और मुनाफे के वंटवारे पर ध्यान दिया करेंगी । इसी तरह प्रान्तीय क्षेत्र में कौंसिल, समितियाँ व उप-समितियाँ बनेंगी । इनके नीचे प्रत्येक औद्योगिक इकाई के साथ कार्य समितियाँ (वर्क-कमेटियाँ) और उत्पादन समितियाँ काम किया करेंगी । इन दोनों समितियों में मजदूरों व मालिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि रहा करेंगे । शेष सब समितियों में सरकार, मजदूर व मालिक—तीनों के प्रतिनिधि हुआ करेंगे ।

सरकार को आशा है कि इस मशीनरी के फलस्वरूप औद्योगिक झगड़े काफी हद तक कम ही जायेंगे ।

मजदूरों को शिक्षा व मकान दिलवाने का सरकार विशेष प्रयास कर रही है । अगले दस सालों में दस लाख मकान बनाने की एक योजना विचाराधीन है । इनका व्यय सरकार, मिल-मालिक व मजदूरों को मिलकर उठाना होगा; मजदूर अपना हिस्सा बचत के रूप में चुकायेंगे ।

(१०) इंडस्ट्रीज कान्फ्रेंस के एम विचार से सरकार यह मत है कि भारत के शीघ्रतर उद्योगीकरण को विदेशी पूंजी और प्रयास से सह-

यता मिलेगी लेकिन जिन दशाओं में विदेशी पूंजी ने भारतीय उद्योग में हिस्सा लेना है उस पर राष्ट्रीय हितानुसार पूरा नियन्त्रण होना आवश्यक है। एतत्सम्बन्धी कानून धारा-सभा में पेश किए जायेंगे। यत्न किया जायगा कि आमतौर पर प्रत्येक प्रयास का प्रबन्ध-भार और स्वामित्व, जहां तक सम्भव हो, हिन्दुस्तानी हाथों में ही हो।

(११) जिन उद्योगों को सरकारी प्रबन्ध के क्षेत्र में रख गया है सरकार उनके विकास का उत्तरदायित्व समझती है। दूसरे उद्योगों को सहायता देना भी सरकार अपना कर्तव्य मानती है। यातायात की सुविधाएं देकर, आवश्यक सामान व मशीनरी के आयात की आज्ञा देकर और आयात-करों को देशी हित से घटा-बढ़ाकर सरकार इन उद्योगों को यथासम्भव सहायता देगी।

(१२) सरकार आशा करती है कि औद्योगिक नीति के इस प्रकार स्पष्टीकरण से सब तरह के भ्रम दूर हो जायेंगे और अब जनता, मजदूर व मालिक सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि भारत का उद्योगीकरण शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न हो।

हिन्दुस्तान में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास

प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद हिन्दुस्तान के कल-कार-खानों में अशान्ति और असन्तोष फैला था। मजदूरों ने अपने अधिकारों को मनवाने के लिए हड़तालें करना आरम्भ किया और इस दृष्टि से हड़ताल कमेटियाँ बनाईं। इन हड़ताल कमेटियों में ही मजदूर संघों के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

मजदूर-संघ बनाने की और उसमें ठीक तरह मजदूर सदस्य भरती

करने की पहली कोशिश १९१८ में मद्रास में मिस्टर वी० पी० वाडिया ने की। वह मद्रास लेबर यूनियन का संगठन कर रहे थे। यह संघ मजदूरों की शिकायतों का उचित प्रतिकार कराने में सफल हुआ लेकिन १९२१ में मिल मालिकों ने हाईकोर्ट की आज्ञा प्राप्त करके इसकी कार्यवाहियों को बन्द करवा दिया। इस घटना ने लोगों का ध्यान देश में ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने की आवश्यकता पर आकृष्ट किया। तब तक मजदूर-संघों के विषय में कोई कानूनी सुविधाएँ नहीं थीं।

इसी बीच १९२० में अहमदाबाद के मजदूरों ने एक यूनियन बनाई जो कई वर्ष श्री गुलजारीलाल नन्दा के, जो आजकल बम्बई के मजदूर मन्त्री हैं, नेतृत्व में रही और जिसका पथ-प्रदर्शन महात्मा गांधी ने स्वयं किया। अहमदाबाद-टेक्सटाइल-लेबरर्स-एसोसियेशन ने जिस ऐक्ट्य और संगठन को प्रदर्शित किया वह अतुल्य था। सारे देश में बहुत मजदूर-मजदूर-संघों में से एक यह है। मजदूरों के हितों के कितने सुभीते इस संघ ने प्राप्त करवाए और मजदूरों के लिए स्कूल रिहायशी स्थान, वाचनालय, व्यायामशाला आदि की स्थापना की। यह यूनियन प्रतिवर्ष लगभग ६०,००० रुपया मजदूरों के लिए दवाइयों, शराबबन्दी, शिक्षा और दूसरे सामाजिक प्रचार पर खर्च करती है। इस मजदूर-संघ ने अहमदाबाद-मिलानेर्ज-एसोसियेशन के साथ कोई कगड़ा डट खड़ा होने की स्थिति में समझौता व निपटारा करवाने के साधन भी स्वयं ही निर्माण किये हुए हैं। फलस्वरूप अहमदाबाद जैसे बड़े उद्योग केन्द्र में हड़तालों की वारदातें नहीं के बराबर होती हैं।

१९२० में ही शॉल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में मुख्य प्रेरणा हिन्दुस्तान का इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनिसेशन से होने वाला सम्बन्ध था। मजदूरों को यह भय हो रहा था कि मिल-मालिकों के पिट्टू ही मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में भेज दिए जायेंगे।

१९२६ में हिन्दुस्तान की धारा-सभा ने इंडियन-ट्रेड यूनियन-एक्ट को स्वीकार कर लिया। इस कानून ने मजदूर-संघों को सत्ता को स्वीकार कर लिया कानून की दृष्टि में उन्हें उचित स्थान भी दिया। इसके अनुसार यूनियनों के अधिकारी वर्ग पर हड़तालों के लिए कोई दीवानी अथवा फौजदारी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। इसके अनुसार औद्योगिक क्लगडों पर और सदस्यों को सुविधाएं दिलाने में मजदूर संघों के कोष खर्च किए जा सकते थे।

ये दिन देश में राजनैतिक व सामाजिक जागृति के दिन थे। देश की राजनीति में उग्रवादियों और नरमदलवादियों में कश-मकश चल रही थी। मजदूर संघ आन्दोलन में भी इसी विचारधारा के अनुसार अग्रगामी और नरमदलवादियों में फूट पड़ गई। नरमदल के लोगों ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्वमें नेशनल फेडरेशन आफ ट्रेड-यूनियन्स बनाई। यह फूट ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन के, जिसका सभापतित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बाद पड़ी। इस अधिवेशन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपना नाता अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्थाओं से जोड़ने और मजदूर प्रश्नों पर अनुसन्धान करने वाली रायल कमीशन—इंटरनेशनल लेबर आर्गानिजेशन और राउंड टेबल कान्फ्रेंसों के बहिष्कार का फैसला किया था।

ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अगले वर्ष के अधिवेशन (१९३१) में एक नया मतभेद उठ खड़ा हुआ। यह मतभेद और फूट ६ वर्ष बना रही। इस काल के बाद १९३६ में सब ट्रेड यूनियनों ने आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेसको फिर अपनी केन्द्रीय संस्था मान लिया। १९३८ में नेशनल फेडरेशन और ट्रेड यूनियन कांग्रेस मिलकर एक हो गईं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने साम्यवादी बाह्य चिन्हों का त्याग किया।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान (१९३९-४५) में १९४० में एक बार फिर मजदूरोंमें फूट पड़ी। ट्रेड यूनियन कांग्रेसके विचार में मजदूर संघों

को युद्ध के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए था। लेकिन मिस्टर एम० एन० राय की अध्यक्षता में मजदूरों के कुछ अंश और कलकत्ता की सी० मेन्स यूनियन ने युद्ध प्रयास में सहायता देने का निश्चय किया। इस पर इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर की स्थापना हुई जिसके श्री जमनादास मेहता प्रधान और एम० एन० राय मंत्री बने।

१९४६ में सरकार ने आज्ञा दी कि इस बात की खोज की जाय कि आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर दोनों संस्थाओं में कौन संस्था मजदूरों का कितना प्रतिनिधित्व करती है। यह छानबीन चीफ लेबर कमिश्नर ने की। परिणामस्वरूप आल-इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही मजदूरों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था माना गया। हाल के एक अनुमान के अनुसार ७ लाख मजदूर ऐसे संघों के सदस्य हैं जो इस कांग्रेस से सम्बन्धित हैं।

हिन्दुस्तान के सबसे मजबूत मजदूर-संघों में उन संघों को गिना गया है जो रेलवे और डाक व तारघर के मजदूरों से सम्बन्धित हैं। आल इण्डिया रेलवे-मेन्स फेडरेशन से १५ यूनियनें सम्बन्धित हैं और इनकी सदस्य संख्या १२६०७४ है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में राजनैतिक क्षोभ की एक लहर उठ खड़ी हुई थी। मजदूरों की दुनिया भी इससे बची नहीं रही। हड़ताल व झगड़ों का जोर हुआ। इस समय मई १९४६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मजदूरों को एक नई संस्था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को जन्म दिया। इस संघ की नीति मजदूरों को राजनैतिक हड़तालों से रोकने की है। यह हड़ताल को मजदूरों का आखिरी हथियार मानते हैं जिसका प्रयोग बहुत सोच-विचारके बाद और अन्तिम अवस्था में ही होना चाहिए।

देश में मजदूर-संघ-आन्दोलन अभी अपनी परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा। अबतक विभिन्न राजनैतिक पार्टियां अपने हितवर्धनके लिए

मजदूर-क्षेत्र के दुरुपयोग की कोशिश करती रहती हैं। केवल मजदूरों का हित ही इनके संघों का उद्देश्य नहीं रहा। मजदूर संघों के आन्दोलन में आर्थिक दृष्टिकोण के सुधार की सीमा से निकलकर राजनीति में वरतने योग्य एक प्रभावशाली साधन बनने की प्रवृत्ति दीख रही है।

• ट्रेड यूनियनों का विकास

इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट (१९२४) के अनुसार प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि ३१ मार्च १९४६ को हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या १०८७ थी। इन आंकड़ों में पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं—वहाँ की दंगा-ग्रस्त दशा के कारण यह आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके थे।

१९२७-२८ से हिन्दुस्तान में ट्रेड यूनियनों की गतिविधि व विकास का व्योरा नीचे की तालिका से जान पड़ेगा।

१	२	३	४	५
वर्ष	रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या	उन ट्रेड यूनियनों की संख्या जिनने एक्ट के अनुसार आंकड़े भेजे	कालम ३ में गिनाई ट्रेड यूनियनों की सदस्य-संख्या	इनमें स्त्री सदस्यों का अनुपात (प्रतिशत)
१९२७-२८	२६	२८	१००,६१६	१.२
२८-२९	७५	६५	१८१,०७७	२.१
२९-३०	१०४	९०	२४२,३५५	१.४
३०-३१	११६	१०६	२१६,११५	१.४
३१-३२	१३१	१२१	२३५,६६३	१.५
३२-३३	१७०	१४७	२३७,३६६	२.१
३३-३४	१६१	१६०	२०८,०७१	१.४
३४-३५	२१३	१८३	२८४,६१८	१.७
३५-३६	२४१	२०५	२६८,३२६	२.७

३६-३७	२७१	२२८	२६१,०४७	३.५
३७-३८	४२०	३४३	३६०,११२	३.८
३८-३९	५६२	३९४	३९९,१५९	२.७
३९-४०	६६७	४५०	५११,१३८	३.६
४०-४१	७२७	४८३	५१३,८३२	३.८
४१-४२	७४७	४५५	५७३,५२०	३.०
४२-४३	६६३	४८९	६८५,२९९	३.८
४३-४४	७६१	५६३	७८०,९६७	२.७
४४-४५	८६५	५७३	८८९,३८८	४.१
४५-४६	१०८७	५८५	८६४,०३१	४.५

इस तालिका में उन्हीं यूनियनों के आंकड़े दिये गए हैं जो एकट के अनुसार रजिस्टर्ड हैं लेकिन हरेक ट्रेड यूनियन अपने को जरूर रजिस्टर करवाए, ऐसा क़ानून नहीं है। बिना रजिस्टरी के देश में कितनी ही ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं। बम्बई प्रान्त के अलावा ऐसी यूनियनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं; बम्बई में १ दिसम्बर १९४५ को बिना रजिस्टरी के ट्रेड यूनियनों की संख्या १८८ और सदस्य संख्या ८३,७१६ थी।

प्रान्तवार ट्रेड यूनियनों का ववोरा (१९४५-४६)

प्रान्त	रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या	उन ट्रेड यूनियनों की संख्या जिन ने एकट के अनुसार आंकड़े भेजे	कालम ३ में गिनाई गई यूनियनों की सदस्य संख्या	१९४४-४५	१९४५-४६
अजमेर मेरवाड़	४	४	२६२	३१५९	
आलाम	१६	१२	२५७४	३६८०	
बंगलोर	१	१	२३९	३३६	
बहाल	४१७	६६	२४३५६६	२६१५११	

बिहार	५३	३१	२३६५४	५०२०३
बम्बई	१०४	७८	१६७१८४	१८२६४३
मध्य-प्रान्त, वरार	४५	३२	१२३४५	१७७७६
दिल्ली	४७	२५	३१४८३	३४१७३
मद्रास	२३२	१८०	८७१६०	१२७४१४८
सीमाप्रान्त	६	४	३५७	४०६
उड़ीसा	७	५	१६०६	११४८
सिन्ध	५०	४५	११७०४	१६६०६
संयुक्तप्रान्त	७०	४३	३०५०१	३५३२६
ऐसी यूनियनें जिनके कार्यक्षेत्र एक प्रान्त तक सीमित नहीं	३२	२६	११५४८५	१२८७४४
योग	१०८७	५८५	७२८८१३	८६४०३१४

(क) यह आंकड़े १७६ यूनियनों के हैं।

(ख) ये आंकड़े ५८४ यूनियनों के हैं।

उद्योगों के अनुसार ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का

विवरण (१९४५-४६)

उद्योग	उन ट्रेड यूनियनों की संख्या जिनने ऐक्ट के अनुसार आंकड़े भेजे	१९४५-४६ में सदस्य संख्या
--------	--	--------------------------

रेलवे (इसमें रेलवे वर्कशाप शामिल है)	७५	२,६६,४६१
ट्रेमवेज	४	१०,३३६
वस्त्र उद्योग	६१	२,३४,७५१ (क)
छपाई के कारखाने	३७	१५,२४८

म्यूनिसिपल	३०	२३,०७०
जहाजों से सम्बन्धित	६	७६,१४२
बन्दरगाहों से सम्बन्धित	१६	२६,६२५
इंजीनियरिंग	५६	३१,८७५
विविध	२६४	१,७३,५२०
योग	५८५	८,६४,०३१(ख)

(क) ये आंकड़े ६० यूनियनों के हैं।

(ख) ये आंकड़े ५८५ यूनियनों के हैं।

१९४५-४६ में ट्रेड यूनियनों की सदस्य-संख्या के हिसाब से इनके विश्लेषण का व्योरा इस प्रकार था :

जिनकी सदस्य संख्या ५० से कम थी	यूनियनों की संख्या	योग से अनुपात
" ५० से ६६ तक	५५	६.४
" १०० से २६६ तक	६८	११.६
" ३०० से ४६६ तक	१४७	२५.२
" ५०० से ६६६ तक	६१	१०.५
" १००० से १६६६ तक	१०८	१८.५
" २००० से ४६६६ तक	५५	६.४
" ५००० से ६६६६ तक	५३	६.१
" १०,००० से १६६६६ तक	१६	२.७
" २०,००० से ऊपर थी	५	२.७
योग	५८५	१००

प्रतिदिन काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या (१९४६)

१५ अगस्त १९४७ से पहले उन मजदूरों की संख्या, जिन्हें प्रति दिन कारखानों में काम मिल जाता था (पंजाब और सीमा प्रान्त को छोड़कर) २३ लाख १४ हजार ५८७ थी जबकि १९४५ में यह संख्या

२४ लाख ८२ हजार ६६३ थी। इस तरह इसमें पिछले वर्ष से ६.८ प्रतिशत कमी हो गई।

निम्नलिखित तालिका से १९४६ में प्रतिदिन काम पर लगने वाली मजदूरों की संख्या का और उस संख्या में १९३६ और १९४५ से आनु-पातिक वृद्धि या कमी का पता चलेगा :

प्रान्त	प्रति दिन काम में लगने वाले मजदूरों की औसत संख्या		१९४६ में प्रतिशत वृद्धि+या कमी-	
	१९३६	१९४५	१९४६	१९३६ से १९४५ से
मद्रास	१,६७,२६६	२,७६,१७६	२,६२,२६२+३३.०	-६.०
बम्बई	४,६६,०४०	७,३५,७७४	६,८३,५१७+४६.७	-७.१
सिन्ध	२४,६६५	४०,१५७	३८,८६८+५५.५	-३.२
बंगाल	५,७१,५३६	७,४४,५१८	७,०५,७७७+२३.५	-५.२
संयुक्तप्रान्त	१,५६,७३८	२,७६,४६८	२,५७,१४०+६१.०	-७.०
बिहार	६५,६८८	१,६८,४०८	१,३८,६६०+४४.८	-१७.५
उड़ीसा	५,३७१	७,४२७	७,४४३	+३८.६
मध्यप्रान्त व बरार	६४,४६४	१,१०,२६३	१,०१,३५५+५७.२	-८.१
आसाम	५२,००३	५८,०७०	६०,४८७+१६.३	+४.२
बलूचिस्तान	२,०२३	३,६६८	४,१४४	+१०४.८
अजमेर मारवाड़	१३,३३०	१५,८७७	१५,७८६	+१८.४
दिल्ली	१७,४००	३६,८७०	३३,३४६	+६१.७
बंगलोर और कुर्ग	१,३८०	५,६८७	५,४३६	+२६३.६
	१६,७२,७०७।	२४,८२,६६३।	२३,१४,५८७+३८.४	-६.८

इस तालिका में पंजाब व सीमा प्रान्त के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। १९४५ में इन दोनों प्रान्तों में १ लाख ६० हजार के लगभग मज-

दूरों को प्रति दिन काम मिलता था। १९४५ में इस संख्या को मिलाकर सारे हिन्दुस्तान में काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या १९३६ की संख्या से ५०.६ प्रतिशत अधिक थी।

उद्योगों के अनुसार प्रतिदिन काम पर लगने वाले मजदूरों की औसत संख्या

उद्योग	प्रति दिन काम पर लगने वालों की संख्या		१९४६ में १९४५ से प्रतिशत वृद्धि या कमी—
	१९४५	१९४६	
वार्षिक उद्योग			
वस्त्र उद्योग	६,८७,२३०	६,८२,४०८	-०.५
{ सूती कपड़ा पटसन निर्माण शेष	६,४२,५८१	६,२६,६७४	-२.०
	३,०३,३१६	३,१३,१३३	+३.२
	४१,३३०	३६,६०१	-४.२
इंजीनियरिंग	२,५६,६१७	२,१४,८७६	-१६.३
खनिज धातुएं	१,१३,७३५	८३,७०८	-२६.४
खाद्य, पेय, तम्बाकू	१,४६,४४५	१,५०,६४३	+३.१
रंग वा रसायन	६५,१०६	६५,६८३	+०.८
कागज व छपाई	५३,१६२	५५,२१५	+३.६
लकड़ी, पत्थर, शीशा	६२,६६६	६०,७३१	-२.४
बंधवाई, पैकिंग गिन्स	१६,२५०	१६,८६६	+४.०
चमड़ा व खालें	३४,२७५	३०,३६५	-११.३
विविध	३६,५०६	३६,००३	-१.६
सामाजिक उद्योग			
खाद्य, पेय, तम्बाकू	१,५४,३३१	१,५७,३३४	+१.६
रंग व रसायन	१,६७१	२,२१७	+१२.५
बंधवाई, पैकिंग गिन्स	६३,६०३	८८,५११	+५.७
विविध	३,८५२	३,७८३	-१.८

१९४६ में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों (२३,१४,५८७) में २० लाख के लगभग वयस्क पुरुष थे और २ लाख ७० हजार के लगभग वयस्क स्त्रियां थीं ।

हिन्दुस्तान के कारखानों में ऋगड़े

वर्ष १९४७ के जो आंकड़े नीचे दिये गए हैं उनमें पूर्वी पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं। बंगाल के आंकड़े विभाजन से पूर्व के काल के हैं। फिर भी इन आंकड़ों से सम्बन्धित प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। १९४६ के आंकड़ों में से सिन्ध प्रान्त के आंकड़े निकाल दिये गए हैं, सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान के आंकड़े पहले ही शामिल नहीं थे ।

इसके अनुसार १९४६ और १९४७ के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	१९४७	प्रतिशत भेद	१९४६
ऋगड़ों की संख्या	१८११	+ १३.७	१,५६३
इनमें मजदूरों की संख्या	१८,४०,७८४	-५.७	१९,५१,७५६
इनसे मजदूरी के दिनों			

का नुकसान १,६५,६२,६६६ +३०.६ १,२६,७८,१२१

१९४७-४८ के ऋगड़ों का विवरण इस प्रकार है :

	ऋगड़ों की संख्या	जिनमें कि कार- खानों को बन्द होना पड़ा	इनसे सम्बन्धित मजदूरों की सं०	मजदूरी के दिनों का नुकसान
१९४७ अगस्त	१६०		१,०६,२४३	६,६४,६३५
सितम्बर	१७६		२,८६,०२२	१६,५३,२७५
अक्टूबर	१४७		२,७९,६२२	८,३६,६४६
नवम्बर	१२७		१,१४,६५१	४,७०,०१२
दिसम्बर	११५		८३,०४०	५,३५,३६५
६४८ जनवरी	१६६		१,५५,४८२	८,५८,६१७
फरवरी	१५१		१,२८,६३०	१२,५६,८७५

१९४८ मार्च	१६८	१,४२,३२६	१५,३३,०३०
अप्रैल	१४१	६६,०८८	६,६३,५५०
मई	१३०	७५,३४२	४,५८,५६०

१९४८ के महीनों के आंकड़े अन्तिम वा निश्चित नहीं हैं ।

कल-कारखानों में झगड़ों का इतिहास

वर्ष	उन झगड़ों की संख्या जिनसे काम रुक गया	इनमें मजदूरों की संख्या	इनसे मजदूरी के दिनों का तुकसान
१९३६	४०६	४०६,१८६	४६,६२,७६५
१९४०	३२२	४५२,५३६	७५,७७,२८१
१९४१	३५६	२६१,०५४	३३,३०,५०३
१९४२	६६४	७७२,६५३	५७,७६,६६५
१९४३	७१६	५२५,०८८	२३,४२,२८७
१९४४	६५८	५५०,०१५	३४,४७,३०६
१९४५	८२०	७४७,५३०	४०,५४,४६६
१९४६	१६२६	१६,६१,६४८	१,२७,१७,७६२
जनवरी	२०४	१६६,२२६	२०,१६,८४८
फरवरी	३१२	२६८,४६३	१६,३१,३५१
मार्च	२७६	३०३,१६२	१७,८६,६८३
अप्रैल	२१६	२६७,२८७	२६,१२,८५४
मई	१८७	१४८,४५१	६,८२,४२६
जून	१६८	१५३,७६६	२१,३५,८१७
जुलाई	१६०	१४८,८२१	६,२६,१५१

औद्योगिक भगड़ों का

प्रान्त	भगड़ों की संख्या	मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों का नुकसान
अजमेर मारवाड़	६०	५०,१५३	३६,७२२
आसाम	६४(क)	२४,०२१	७८,५४१
उड़ीसा	३	२८४	१६,४३१
दिल्ली	२०	२८,११७	३,८६,२१६
बंगाल	३७६	४,१२,४३२	५८,८३,७६२
बम्बई	६५०(ख)	७,२७,५०१	४१,४६,४३८
बिहार	७१	८३,६३५	६,०३,७६०
मद्रास	२६०(घ)	२,३२,३४४	३२,३०,८८७
मध्यप्रान्त			
और वरार	१२२(ग)	१,५७,५२२	११,१०,२८४
संयुक्तप्रान्त	१२५(ङ)	१,२४,७७५	१०,६०,५६५
योग	१८११(च)	१८,४०,७८४	१,६५,६२,६६६

(क) २ मामलों में मजदूरों की मांगों और ४ मामलों में परिणाम

(ख) २ मामलों में परिणाम का पता नहीं ।

६ मामलों में मजदूरों की संख्या और १० मामलों में मजदूरों के दिनोंके

(घ) १ मामले में परिणाम का पता नहीं ।

(च) १७ मामलों में मांगों, २६ मामलों में परिणाम, ६ मामलों में

प्रान्तवार हिसाब

सगड़े का कारण				परिणाम					
मजदूरी वोनस मजदूर रखने व निकालने का प्रश्न		खुट्टी के शेष समय	सफल	असफल	अनिश्चित	जारी			
२६	२	४	५८	१५	१०	५२	१३
१०	१२	२५	२	१३	३८	५	८	८	१
२	१	१	१	१
११	१	२	१	५	२	३	८	७	...
१२४	२३	६७	३०	१०२	८३	७६	१६३	३७	१७
२३५	६५	१४७	४६	१२७	६५	१०२	३१८	११७	१६
२६	३	७	५	३०	२५	८	११	२६	१
६६	५०	८	२	१६४	२१	५८	२७	१५७	२६
४३	१	३२	३	३६	१४	२६	६३	१४
२५	७	२७	५	४७	१६	७	४६	३६
५७४	१६५	३४६	६४	५८२	३१०	२६८	७००	४१६	६१

का पता नहीं।

(ग) १ मामले में मजदूरों की मांगों और २ मामलों में परिणाम का पता नहीं।
नुकसान का पता नहीं।

(ङ) १४ मामलों में मांगों का और १७ मामलों में परिणाम का पता नहीं।
मजदूरों की संख्या और १० मामलों में मजदूरों के दिनों का पता नहीं।

उद्योगों के अनुसार

उद्योग	कगड़ों की संख्या	मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों का नुकसान
सूती रेशमी व गर्म कपड़ा	६७१	६५८४०६	७३६८०३६
पटसन	६८	२१७२२१	१३६५७१६
इंजीनियरिंग	२०६	१४७७८३	१५२६१६२
रेलवे	५३	६५६४२	२१०४०६
खानें	३८	६६६७७	५०७७४५
शेष	७७२	३५४१५५	५५२४५६५
योग	१८११	१८४०७८४	१६५६२६६६

(१) मजदूरी (२) बोनस (३) मजदूर रखने व निकालने का प्रश्न सफल (ग) असफल (घ) अनिश्चित (ङ) जारी ।

भगड़ों का विश्लेषण

कारण					परिणाम				
१	२	३	४	५	क	ख	ग	घ	ङ
१६	७३	१२१	३६	१७१	६२	१०४	३२७	१२०	१६
२१	...	२१	४	३१	४	४	३७	१६	४
६२	३०	४६	१६	५५	४१	३५	७७	४४	६
५	३	१	४४	६	१	१०	३३
११	८	१६	१६	५	११	६
३१५	६२	१५६	३४	१६२	१४८	१४६	२३८	१६४	३२
५७४	१६५	३४६	६४	५८२	३१०	२६८	७००	४१६	६१

(४) छुट्टी और काम के समय (५) शेष । (क) सफल (ख) आंशिक

कारण के अनुसार भगड़ों का विश्लेषण

	१९४७	१९४७	१९४६
मुख्य कारण	भगड़ों की संख्या	योग से अनुपात	योग से अनुपात
मजदूरी	५७४	३२.०	३७.१
बोनस	१६५	१०.६	४.६
मजदूर रखने व निकालने का सवाल	३४६	१६.५	१७.२
छुटी व काम के समय	६४	५.२	५.०
शेष	५८२	३२.४	३२.८
योग	१७६४ (क)	१००.०	१००.०

(क) १७ मामलों में कारण का पता नहीं।

परियाम के अनुसार भागों का विश्लेषण

	१९४७	१९४७	१९४६
	भागों की संख्या	योग से अनुपात	योग से अनुपात
सफल	३१०	१८.०	१७.८
आंशिक सफल	२६८	१७.३	१७.५
असफल	७००	४०.६	४४.५
अनिश्चित	४१६	२४.१	२०.३
योग	१७२४(क)	१००.०	१००.०

(क) वर्ष के अन्त में ६१ भागड़े जारी थे और २६ के परियाम का पता नहीं चला।

१९४७ के औद्योगिक ऋगड़ों के सम्बन्ध में निष्कर्ष :

(१) इस वर्ष ऋगड़ों की संख्या पिछले वर्ष से १३.७ प्रतिशत और मजदूरी के दिनों के नुकसान को २०.६ प्रतिशत बढ़ी । ऋगड़ों से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या कुछ घटी ।

(२) फरवरी १९४७ में सबसे अधिक ऋगड़े हुए । फिर क्रमशः घटते गए ।

(३) बम्बई व मद्रास में ऋगड़े बढ़े, आसाम और अजमेर मारवाड़ में भी अशान्ति रही ।

(४) सूती, रेशमी व गर्म कपड़े की मिलों में अधिक अशान्ति रही, पटसनकी मिलों को कम नुकसान पहुँचा, रेलवे कम्पनियों में प्रायः अशान्ति रही, खानों में ऋगड़े बढ़े ।

(५) इस वर्ष दोनस व मजदूरों को निकालने से सम्बन्धित ऋगड़े बढ़े ।

(६) असफल ऋगड़ोंका अनुपात कुछ कम हुआ, अनिश्चित मामलों का बढ़ा ।

(७) ऋगड़ों का औसत काल ६ दिन रहा जबकि १९४६में यह ६½ दिन था ।

दिसम्बर १९४७ में दिल्ली में हुई इंडस्ट्रीज कान्फ्रेंस ने इंडस्ट्रियल ट्रूस (औद्योगिक क्षेत्र में समझौता) का प्रस्ताव पास किया । इस सभा में सरकार, मिल मालिक व मजदूरोंके नेता शामिल थे । लेकिन इस समझौते को कार्यान्वित नहीं किया गया । २० दिसम्बर से ३१ दिसम्बर १९४७ तक भिन्न-भिन्न उद्योगों में ऋगड़ों की निम्न वारदातें हुईं :

उद्योग	ऋगड़ोंकी संख्या	मजदूरोंकी संख्या	मजदूरोंके दिनोंकी संख्या
सूती कपड़ा	३	२२१३	२४७६
पटसन	३	२२०००	१४४०००
बन्दरगाह	१	६५२०	३६१२०
इंजीनियरिंग	५ (क)	१२०३	२०६५

बिजार्ई के धन्धे

(प्लान्टेशन)	१(क)
म्यूनिसिपैलिटी	१	२०००	१६०००
विविध	७	१६७६	२७१६

योग २१(ख) ३५६१२ २०६४१०

(क) मजदूरों की संख्या व एक ऋगड़े में मजदूरी के दिनों के नुकसान का पता नहीं ।

(ख) ,, ,, ,, २ ऋगड़ों ,, ,, ,, ,,

कल-कारखानों के मजदूरों की कमाई (१६४६)

कारखानों में काम करने वाले एक मजदूरकी औसत वार्षिक कमाई, जो कि २०० रुपये से कम मासिक वेतन पाता था, इस प्रकार रही है ।

१६३६—	२२७.५ रु०
१६४५—	५६५.८ रु०
१६४६—	६१६.४ रु० (क)

(क) इसमें पंजाब और सीमा प्रान्त के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

दी गई मजदूरी का कुल जोड़ १६४६ में इस प्रकार रहा ।

रोजाना मजदूरी पर जो मजदूरी कुल दी गई

प्रान्त	लगने वालों की संख्या की औसत	(रुपये)
अजमेर मारवाड़	८,६८१	३४,५४,३१८
आसाम	५८,६४८	१,२६,२६,६२७
बलूचिस्तान	४,४४७	२३,२५,५०१
बंगाल	६,१३,२६०	२८,४५,१६,४४३
बिहार	१,२७,३१७	५,६२,५८,५८५
बम्बई	६,२६,०८८	४८,६६,५५,१३०

मध्य प्रान्त		
और वरार	२४,७८६	२,६२,७६,४१३
कुर्ग	३१	६,४३३
दिल्ली	३१,११७	२,५६,७१,१६३
मद्रास	२,४४,४६५	५,५८,२२,८६२
उड़ीसा	६,४६५	१६,२५,७३७
सिन्ध	३४,७०६	१,६२,०८,६०७
संयुक्तप्रान्त	२,२१,४२१	११,६६,०३,५५०
योग	२०,४४,७३२	१,१२,८२,५७,४२६

कारखाने के मजदूरों की वार्षिक कमाई की
औसत का प्रान्तवार हिसाब

१९४६ में वृद्धि+
व कमी-

प्रान्त	१९३६ (रुपये)	१९४५ (रुपये)	१९४६ (रुपये)	१९३६ पर	१९४५ पर
अजमेर					
मारवाड़	१६३.७	४१६.८	४४७.८	+१७३.५	+६.७
आसाम	२६३.७	६६०.५	६८७.५	+१६०.७	+४.१
बंगाल	२४८.७	४६५.५	४६६.३	+१६६.६	+६.६
बिहार	४१५.५	५३८.७	५४४.०	+१२०.६	+१.०
बम्बई	३७०.४	८१४.७	८१२.३	+११६.३	-०.३
मध्यप्रान्त					
वरार	(क)	५३०.६	४७६.७	-६.६
दिल्ली	३०६.४	६६६.६	८३७.२	+१७०.६	+१६.६
मद्रास	१७५.६	३५७.६	४२२.२	+१४०.०	+१८.१

ब्रिटिश यूनिवर्सल आन्दोलन का इतिहास

१३१

उड़ीसा	१६१.८	४१७.२	४४०.१	+१७२.४	+५.५
सिन्ध	३२८.०	६२६.२	७७७.५	+१३७.०	+२३.६
युक्तप्रान्त	२२५.६	५५१.७	५६३.६	+१५२.०	+७.६
अंग्रेजी					
हिन्दुस्तान	२८७.५	५६५.८	६१६.४	+११५.४	+४.०

(क) आंकड़े अप्राप्य ।

इस तालिका में पंजाब व सीमाप्रान्त के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

कारखानों के मजदूरों की वापिक कमाई की औसत-

उद्योग	मद्रास (रुपयों में)	बम्बई	सिन्ध	बंगाल	युक्त प्रान्त	बिहार
कपड़ा	४३१.१	४३५.०	४८८.३	४३८.४	५८०.३	२५७.
सूती कपड़ा	४४०.६	८४७.२	४२२.२	४४५.६	६०२.०	३५६.
पटसन का निर्माण	३४१.०	४३०.६	४३६.३	२१८.
इंजीनियरिंग	४६८.४	८८७.१	६०६.६	६३६.०	६१७.६	४७५.
खनिज और धातुएं	३८०.६	७६३.७	३७०.५	५६८.४	७१३.
रंग व रसायन	२७४.४	६६४.०	५२३.१	४२७.४	४४१.१	३८२.
कागज व छपाई	४६८.०	७१६.६	६८७.३	६६२.०	५६३.७	४२८.
लकड़ी पत्थर	३४७.०	५६५.४	६६२.३	४५५.६	४१६.१	३३६.
शीशा						
चमड़ा व खालें	२७७.५	५३६.५	३२२.७	७५१.४	५५२.६	६६६.५
आर्टिफिसियल कारखाने	१०७५.३	६६१.४	८७८.७	८००.१	७०२.५	४२२.१
मिण्ट्स	६७१.४	७४२.५
विधिव	४५२.६	७२७.६	६६०.३	६२६.२	५६३.०	४५४.४
सब उद्योग	४२२.२	८१२.३	७७७.५	४६६.३	५६३.६	५४४.०

उद्योगों के अनुसार (अंग्रेजी हिन्दुस्तान) १९४६

उड़ीसा मध्यप्रान्त आसाम बलुचिस्तान दिल्ली अजेमर कुर्ग सब				मारवाड		प्रान्त	
वरार							
...	४६४.६	७४६.६	४४१.२	६२४.५
....	४६४.६	७५१.१	४४१.६	७२१.५
....	४२५.०
१४३.१	६५३.३	७६३.५	६५५.५	६३६.१
....	१०५५.५	६७३.४	५५५.५
१७६.६	५२३.५	८०३.८	६५३.५	४५३.४
५०६.५	४५०.०	६००.६	५५६.५	५५७.६	६५५.६
२५२.२	२२५.७	३५०.५	४५६.०	५१७.५	४३७.३
....	५५५.२
....	५१०.४	१२५७.५	७२१.२
....	५५५.७
१४५.५	२५२.५	६०७.७	५५५.७	२१२.३	६११.५
४०.१	४७६.७	६५७.५	५५५.५	५५७.२	४४७.५	२५२.३	६५६.४

उद्योगों के हिसाब से कारखानों के मजदूरों की औसत

उद्योग	१९३६	१९४०	१९४१	१९४२
वस्त्र उद्योग	२६३.५ (१००)	३०२.६ (१०३.२)	३१४.० (१०७.०)	५७१.५ (१६४.७)
सूती कपड़ा	३२०.२ (१००)	३२५.१ (१०१.५)	३४३.६ (१०७.३)	६८३.६ (२१३.५)
पटसन का निर्माण	२३०.८ (१००)	२६५.६ (११५.२)	२५६.२ (१११.०)	३५५.५ (१५४.४)
इंजीनियरिंग	२६३.५ (१००)	३४५.० (१३०.६)	३७१.५ (१४१.०)	५२६.० (२००.७)
रंग व रसायन	२४४.८ (१००)	२२६.६ (६३.८)	२३८.१ (९७.३)	३६८.० (१६२.६)
खनिज धातुएँ	४५७.२ (१००)	४६१.५ (१०७.५)	४७६.१ (१०४.१)	५०२.१ (१०६.८)
कागज व छपाई	३३२.७ (१००)	३६०.३ (१०८.३)	३२४.८ (९७.६)	४१४.० (१२४.४)
लकड़ी, पत्थर, शीशा	१६४.२ (१००)	१७५.३ (६०.४)	१६६.१ (१०२.६)	३०३.१ (१५६.२)
चमड़ी व खालें	२८५.८ (१००)	३२७.१ (११४.५)	३५७.६ (१२५.२)	४११.० (१४३.८)
आर्डनेंस कारखाने	३६१.६ (१००)	४०८.५ (११२.६)	४२६.४ (११८.७)	५२७.४ (१४५.७)
मिन्ट्स	३६७.४ (१०६)	४६२.७ (१२५.६)	४६१.२ (१३३.७)	५७४.४ (१५६.३)
विविध	२८१.२ (१००)	२६१.० (९२.८)	२६१.२ (९२.६)	३६२.० (१३६.४)
सब उद्योग	२८७.५ (१००)	३०७.७ (१०७.०)	३२४.५ (११२.६)	५२५.० (१८२.६)

वार्षिक कमाई की प्रवृत्ति (रुपयों व अनुपात में प्रदर्शित)

१९४४	१९४५	१९४६	१९४६ में ४५ पर प्रतिशत वृद्धि या-कमी
६३३.६ (२१५.०)	६१३.७ (२०८.६)	६२४.५ (२१२.८)	+१.८
७७२.२ (२४१.२)	७२३.४ (२२५.६)	७२१.८ (२२५.४)	-०.२
३६३.२ (१५७.४)	३६०.५ (१६६.२)	४२५.० (१८४.१)	+८.८
५८६.८ (२२३.८)	६५३.१ (२४७.६)	६६६.१ (२६४.२)	+६.६
४८४.६ (१६८.०)	४४५.२ (१८१.८)	४६२.४ (२०१.१)	+१०.६
५७३.५ (१२५.४)	६०१.६ (१३१.६)	५६६.८ (१३१.२)	-०.३
४७४.१ (१४२.५)	५६८.८ (१७०.१)	६३८.४ (१६१.६)	+१२.२
३६८.४ (१८६.६)	४१३.६ (२१३.२)	४३४.३ (२२३.६)	+५.०
५३२.१ (१८६.२)	५३६.७ (१८६.८)	५५८.२ (१६५.३)	+४.०
५४६.८ (१५१.१)	६४.८ (१७७.६)	७२१.२ (१६६.३)	+१२.२
६६५.२ (१८६.२)	६६७.० (१८१.६)	८५८.७ (२३३.७)	+२८.७
५१३.८ (१८२.७)	५०२.२ (१७८.६)	६११.८ (२१७.६)	+२१.६
५८६.५ (२०४.०)	५६५.८ (२०७.२)	६१६.४ (२१५.४)	+४.०

इन विश्लेषणों से जो निष्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है।

(१) १९४६ में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की औसत कमाई ६१९ रुपया वार्षिक थी जब कि यह कमाई १९४५ में ५९६ रुपया थी। इस तरह इसमें लगभग ४ प्रतिशत वृद्धि हुई।

(२) औसत कमाई सबसे अधिक दिल्ली में थी—८३७ रुपए— और सब से कम मद्रास में थी—४२२ रुपये। बम्बई और बंगाल में औसत वार्षिक कमाई क्रमशः ८१२ और ४९६ रुपए थी।

(३) बंगाल, युक्तप्रान्त और मद्रास में मजदूरी की कमाई में क्रमशः ६.६ प्रतिशत, ७.६ प्रतिशत और १८.१ प्रतिशत वृद्धि हुई। बम्बई, मध्य प्रान्त और बरार में इसमें क्रमशः ३ प्रतिशत और ९.६ प्रतिशत कमी हो गई।

(४) पटसन के निर्माण के द्योग में सबसे कम कमाई थी— ४२५ रुपए, मिन्ट्स में सबसे अधिक—८५९ रुपए। सूती कपड़े के कारखानों में कमाई की औसत ७२२ रुपए और इस्त्रीनियरिंग में ६९६ रुपए थी।

(५) १९४५ के मुकाबले में १९४६ में सूती कपड़े, खनिज और धातुके उद्योगोंमें कमाई क्रमशः ०.२ प्रतिशत और ०.३ प्रतिशत कम हो गई; शेष सभी उद्योगों में यह बढ़ी। सबसे अधिक वृद्धि मिन्ट्स में हुई—२८.७ प्रतिशत।

गरीबी और मंहगाई

राष्ट्र-संघ की मांग पर भारत सरकार के व्यापार विभाग ने अभी हाल में ही देश के प्रति व्यक्ति की औसत वार्षिक आमदनी का हिसाब निकाला है। १९४५-४६ के अविभाजित हिन्दुस्तान में हर आदमी की

औसत आमदनी १६८ रुपये थी। यदि केवल हिन्दुस्तान के प्रान्तों का हिसाब ही किया जाय तो यह संख्या २०४ रुपया होगी। इस रकम से विदेशों के नागरिकों की औसत वार्षिक आमदनी की तुलना इस प्रकार है :

अमरीका—	४६६८ रुपये
केनाडा—	२८६८ ”
इङ्गलैंड—	२३५५ ”
आस्ट्रेलिया—	१७७६ ”

हमारे गरीब देश में अगस्त १९४७ से जीवन निर्वाह मंहगा होता गया है। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। निम्न आंकड़े इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सलाहकार से प्राप्त हुए हैं—यह मजदूरों के निर्वाह से सम्बन्ध रखते हैं :

१९४७

केन्द्र	मूलांक	मास	=	६	१०	११	१२
बम्बई	जून	३४=१००	२८४	२६६	२६६	२८७	२८५
मद्रास	जून	३६=१००	२७०	२७५	२८०	२८४	२६६
कलकत्ता	अगस्त	३६=१००	३२८	३२८	३४१	३३६	३२२
कानपुर	,,	=१००	४१०	४०७	४२०	४१३	३८६

१९४८

केन्द्र	मूलांक	मास	१	२	३	४	५	६
बम्बई	जून	३४=१००	२७१	२७६	२८४	२६१	२६२	३०७
मद्रास	जून	३६=१००	३०६	३०२	३०३	३०१	३०५	३०६
कलकत्ता	अगस्त	३६=१००	३१५	२६८	३११	३२३	३४०	...
कानपुर	,,	=१००	४०५	३६१	३७५	३७६	४४२	४६२

सारे हिन्दुस्तान में विभिन्न वस्तुओं के दामों में किस तरह तेजी आ रही है इसका अनुमान नीचे लिखे आंकड़ों से लगेगा जोकि आर्थिक सलाहकार के दफ्तर से प्राप्त हुए हैं :

	मूलांक	अगस्त १९३६ = १००
१९४७ अगस्त	३०१.४	
सितंबर	३०२.४	
अक्टूबर	३०३.२	
नवम्बर	३०२.०	
दिसम्बर	३१४.२	

१९४८

जनवरी	३२६.२
फरवरी	३४२.३
मार्च	३४०.३
अप्रैल	३४७.७
मई	३६७.२
जून	३८२.२
जुलाई	३६०.१

खाद्यान्नों के थोक बाजार के मूल्यांक

(इन्डेक्स आफ होलसेल प्राइसिज़्ज आफ फूड आर्टिकल्स)

भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सलाहकार (इकनामिक एड-वाइजर) के दफ्तर से यह मूल्यांक प्रकाशित हुए हैं । मूलांक अगस्त १९३६ का आखिरी सप्ताह = १००

जनवरी १९४३ से मार्च १९४८ तक

मास	१९४३	१९४४	१९४५	१९४६	१९४७	१९४८
जनवरी	१९८.८	२३३.०	२३३.५	२४०.५	२७६.०	३३०.३
फरवरी	१९३.४	२४३.४	२३१.३	२४८.०	२७५.४	३३१.१

मार्च	२३८.६	२३८.८	२३४.६	२४४.८	२७१.८	३२६.८
अप्रैल	२४३.०	२३३.७	२३३.७	२४४.६	२६६.८	
मई	२६४.७	२२८.३	२३४.०	२४२.६	२६४.३	
जून	२६६.५	२३२.१	२३६.२	२४५.५	२७२.६	
जुलाई	३००.२	२३५.६	२३६.७	२४८.२	२७६.६	
अगस्त	२६१.६	२३७.३	२३६.४	२५२.४	२८२.८	
सितम्बर	२८०.६	२३४.२	२३८.२	२५३.६	२८१.३	
अक्टूबर	२६८.२	२३३.६	२३५.६	२५३.३	२८०.४	
नवम्बर	२६६.२	२३५.४	२३६.५	२६२.०	२८०.०	
दिसम्बर	२४३.६	२३१.४	२३८.८	२६२.५	३०५.०	

हिन्दुस्तान के मजदूरों का जीवन-निर्वाहांक
(कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नम्बर्स)

मूलांक-अगस्त १९३६-१००

बम्बई अहमदाबाद शोलापुर कानपुर नागपुर मद्रास

१९३६ अगस्त-

	दिसम्बर १०३	१०७	१०५	१०५	१०४	१०६
१९४०	१०७	१०८	१०४	१११	११०	१०६
१९४१	११८	११६	११५	१२३	११६	११४
१९४२	१५०	१५६	१५५	१८१	१६५	१३६
१९४३	२१६	२८२	२५२	३०६	२६६	१८०
१९४४	२२६	२६०	२७६	३१४	२६७	२०७
१९४५	२२४	२७२	२७५	३०८	२५६	२२८
१९४६	२४६	२८६	२६०	३२८	२८५	२३६
१९४७ जनवरी	२५५	२८४	३१६	३४८	२९६	२५६
फरवरी	२५५	२८२	३२५	३४६	३०४	२५६

मार्च	२५६	२८४	३३२	४१	३१८	२७२
अप्रैल	२५७	२८५	३३५	३४२	३१८	२७७
मई	२५८	२८०	३३३	३४८	३११	२७४
जून	२६५	३०४	३३३	३६८	३१८	२७४
जुलाई	२६१	२८८	३४०	४०१	३२०	२७६
अगस्त	२७०	३२२	३६३	४१०	३१८	२७६
सितम्बर	२८५	३३७	३६०	४०७	३३०	२८१
अक्टूबर	२८२	३१६	३५८	४२०	३३१	२८५
नवम्बर	२७३	३१६	३६२	४१३	३३०	२८१
दिसम्बर	२७१	२८८	३४१	३८८	३३०	३०५
१९४८ जनवरी	२५८	२८०	३३०	४०५	३४१	३१२
फरवरी	२६३	२८३	३६३	३८१	३४८	३०८
मार्च	२७०	२८७	३८५	३७५	३५३	३०८

लेबर-व्यूरो द्वारा प्रकाशित मजदूरों का जीवन निर्वाहांक

मूलांक : १९४४ = १००

	दिल्ली	अजमेर	करिया	गौहाटी	कटक
१९४५	१०३	११०	८७	८०	१०२
१९४६	१०७	११८	१२२	८६	१०६
१९४७	१२२	१५२	१३६	८७	११७
१९४७ जनवरी	११४	१२५	१२६	८८	१११
फरवरी	११३	१२८	१२०	८१	११३
मार्च	११५	१३५	१२३	८३	११६
अप्रैल	११६	१३०	१२८	८३	११६
मई	११७	१३७	१२७	८३	११५
जून	११५	१५२	१३४	८४	११६

गरीबी और मंहगाई

१४१

जुलाई	१२१	१५५	१४०	१०१	११८
अगस्त	१२४	१६८	१५३	१०५	११८
सितम्बर	१३७	१७१	१५७	१००	११८
अक्टूबर	१२८	१७१	१६०	१००	११६
नवम्बर	१३२	१७८	१५३	१०४	११८
दिसम्बर	१२८	१७८	१५२	१०६	१२३
१९४८ जनवरी	१२५	१६७	१४८	१०४	१२४
फरवरी	१२५	१६१	१३८	१०५	१२४
मार्च	१२०	१५६	१३८	१०६	१२३

हिन्दुस्तान से रसदबन्दी की योजनाएं हटा लेने के बाद से ही प्रान्तों में गेहूँ की कीमतें चढ़नी शुरू हो गईं। सरकारी थाज़ाओं द्वारा नियत की गई कीमतों को १०० के बराबर मान लिया जाय तो वृद्धि का हिसाब इस प्रकार था :

प्रान्त	मूलांक	२०-६-४८	१०-७-४८
पूर्वी पंजाब	१००	१४०	१६७
युक्तप्रान्त	॥	१८२	१६५
बिहार	॥	१६७	१६८
मध्यप्रान्त व चरार	॥	२३२	२३५
बम्बई	॥	२५३	२४७

भिन्न-भिन्न चीजों के थोक दामों के मूलांक १९१४ की कीमतों के तल के अनुसार
(मूलांक=१००) कलकत्ता में १९३६ से १९४८ तक इस प्रकार रहे :

चीजों की संख्या	१ अनाज	२ दालें	३ चीनी	४ चमच	५ चूने का बाल	६ सरसों का तेल	७ कढ़वा पत्तन	८ नमिल पत्तन	९ कपास	१० ऊनी व सूती कपड़े	११ चमड़ा व खाल	१२ धातु	१३ नमिल सामान	१४ सब सामान
१९३६	६६	६६	१६४	१४२	१२१	१०६	६१	६०	१०२	७१	११०	६७	११६	६१
१९४०	६६	१०१	१६७	१४३	१०६	७८	७६	१०७	६७	१४६	७२	१७१	१११	१०८
१९४१	११२	१०१	१४५	२०२	१७८	७८	७७	१३७	७७	१६६	७४	२०६	१२६	१२०
१९४२	११७	१६२	२०८	२४१	२६८	१४३	७७	१३७	६६	१४६	८६	२७३	१४७	१३३
१९४३	३६६	३७३	३१६	१६६	१३७	२७०	१२३	१८८	१७४	२१५	८६	३२०	१४७	१६५
१९४४	२४४	३१२	३३१	११२	१७४	२२८	१२२	१६८	१४०	२०४	१०४	३२०	२०२	३०७
१९४५	२३५	२७३	३१५	१७२	१२७	२८०	११७	१६७	१४६	२४५	११२	२६८	३१८	२६८
१९४६	२३०	४०४	३६४	२३३	१६२	३३८	१५५	१६२	१६२	३५१	१४३	२२१	३४८	३२४
१९४७	२४२	५६४	४६०	२८७	६११	४५२	३६६	१६७	१६७	४५६	१८४	३०५	३७७	३८२

४७प्रमत्त	२४२	५३६	२७४	५६६	३३४	२५५	३६१	२००	२४६	१७३	२१०	३७६	३७४
सिताम्बर	२४२	६७१	४४३	२५२	३७५	२५५	४०१	२०६	२७७	१८१	२०७	३८८	३६३
आमट्टवर	२४२	६८७	४७४	२२६	६२०	४८०	३८७	२०८	२६४	१७८	२०६	३६४	३६८
नागम्बर	२४२	६६७	४८७	२६१	६२०	४६७	३६३	२०८	२८४	१६६	२०६	४०४	४०६
द्विसम्बर	२४२	६६१	६६२	३०७	६१८	३५८	४०५	२१६	२५५	२१०	२१०	४०१	४१७
शम्भुगरीशके०	४७५	४५६	२८०	५७८	३५६	२८५	४००	२२५	२४७	२००	२२०	४१६	४०६
फागरी	३३३	३७४	४२०	३०६	५८३	४२२	२७८	२५६	२३६	१६६	२३६	४२०	३७४
साँच	३३५	३७३	४२५	२६६	६०३	४१५	२७०	२४८	२२३	१६३	२३६	४०७	३७४
अप्रैल	३२८	४१४	४६२	२८२	६२२	४८६	३५५	२६३	२५६	१६८	२३८	४११	३८६
माई	३१८	४२७	४६६	२८३	६७६	५४०	३७०	२८३	२५५	१८६	२४३	४२५	४०८
जून	३२४	४५०	५२६	२८६	६६३	५३७	३६४	२४६	२८६	१८२	२४०	४१२	४१३

कुछ चीजों के थोक दामों के मूलांक

(मूल=१६ अगस्त १९३६ के तत्सम होने वाला सप्ताह=१००)

	मार्च १९४६	फरवरी १९४७	मार्च १९४७
चावल	३२१	३३३	३३३
गहूँ	३७३	३७३	३७३
चाय	१६४	१५६	२६०
मूँगफली	३१६	३६०	४४२
काफ़ी	३४०	३२४	३२२
चीनी	१६६	२१२	२१२
तन्बाक़ू	२६३	३७०	३१२
खोपा	७५२	६६५	६६५
कपास	२०७	१६६	१६३
पटसन	२२३	४४१	४२३
अलसी	३२२	३६७	४०२
ठला हुआ लोहा	११७	११७	११७
कोयला	२२४	२२४	२२४
लाक़	६०७	१०४६	१०५५
लन	२६०	२६७	२५३
खाल व चमड़ा (कच्चे)	१६१	२३७	२३७
मिट्टी का तेल	१६६	१६१	१६३
पेट्रोल	१४२	१६६	३६६
चूर्ती कपड़ा	२६२	२६२	२६२
पटसनका तैयार माल	२६६	४६४	४६५
सीमेंट	१६३	१५२	१५५
लोहे व टिन			
की चादरें	२४३	२२६	२२६
चमड़ा	२६४	३२५	३००

पदार्थ-समूहों के थोक दामों के मूलांक (मूल : १६ अगस्त १९३६ को खत्म होने वाला सप्ताह = १००)

	मार्च १९४६	फरवरी १९४७	मार्च १९४७
कृषि की उपज	२६५.७	३२४.८	३३५.८
कच्चे सामान	२०६.३	२४८.८	२४७.१
निर्मित, तैयार सामान	२४०.२	२७७.०	२७४.३
आवश्यकता के सामान	२५७.१	२९१.१	२९८.१
(प्राइमरी कमोडिटीज)			
साधारण मूलांक			
(जनरल इंडेक्स)	२५३.३	२८६.२	२९२.७
जिन चीजों का निर्यात	२६१.०	३२२.६	३२७.४

होता है।(क)

(क) इसमें निम्न चीजें शामिल हैं :

गेहूँ, चाय, मूँगफली, काफी, तम्बाकू, कपास, पटसन, अलसी, लाख, ऊन, कच्चा चमड़ा, सूती कढ़ा 'च धागा, पटसन से बना माल।

विदेशों में जीवन-निर्वाहांक

(कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स नम्बर्स)

(मूलांक : जनवरी से जून १९३६=१००)

इंग्लैंड अमरीका कॅनाडा आस्ट्रेलिया मिश्र टर्की

१९३६	१०३	१००	१०१	१००	१०१	१०१
१९४०	१२०	१०१	१०५	१०४	१११	११२
१९४१	१३०	१०६	१११	११०	१३७	१३८
१९४२	१३०	११८	११६	११६	१८३	२३३

१४६

राजकमल वर्ष-बोध

१९४३	१२९	१२५	११८	१२३	२४०	३४७
१९४४	१३१	१२७	११८	१२३	२७२	३३९
१९४५	१३२	१३०	११९	१२३	२८६	३५४
१९४६	१३३	१४०	१२३	१२५	२७९	३४२
१९४७ जनवरी	१३३	१५४	१२६	१२७	२७८	३४८
फरवरी	१३२	१५४	१२७	१२७	२७५	३४८
मार्च	१३३	१५७	१२८	१२७	२७३	३५४
अप्रैल	१३३	१५७	१३०	१२८	२७२	३४९
मई	१३३	१५७	१३३	१२८	२७१	३४८
जून	१३३	१५८	१२४	१२८	२६९	३४७
जुलाई	१०१(क)	१५९	१३५	१३०	२७२	३४४
अगस्त	१००	१६१	१३६	१३०	२७६	३४६
सितम्बर	१०१	१६४	१३९	१३०	२७७	३४७
अक्टूबर	१०१	१६४	१४२	१३३		३४५
नवम्बर	१०३	१६६	१४३	१३३		३४२
दिसम्बर	१०४	१६८	१४५	१३३		३४१

(क) परचून कीमतों का १७ जून १९४७ से नया मूलांक निर्धारित किया गया = १०० ।

अमरीका में मजदूरों की कमाई, काम का समय और जीवन-निर्वाहांक

वर्ष	मजदूरों की औसत साप्ताहिक कमाई	मजदूरों को सप्ताहमें इतने औसत घंटे काम करना पड़ा	जीवन-निर्वाहांक (मूल १९३९=१००)
	(डालर)		
१९३९	२३.८६	३७.७	१००
४०	२५.२०	३८.१	१०१
४१	२६.५८	४०.६	१०६
४२	३६.६५	४२.६	११८

शरीवी और मंहगाई

१४७

१९४३	४३.१४	४४.६	१२५
१९४४	४६.०८	४५.२	१२७
१९४५	४४.३६	४३.४	१३०
१९४६जनवरी४१.१५		४१.०	१३१
अप्रैल ४२.८८		४०.५	१३२
जुलाई ४३.४४		३६.६	१४२
अक्टूबर ४५.८३		४०.५	१४६

देश के उद्योग-धन्ये

देश के सानने प्ररन है कि औद्योगिक विकास हो, नए-नए कल-कारखाने लगाए जाय और देश अपनी आवश्यकताएँ देश में ही पूरा करे ।

१९३५ में हिन्दुस्तान के कल-कारखानों में लगी पूंजी का सर एन० विश्वेश्वरैया ने अनुमान लगाते हुए कहा था कि इनमें ४०० करोड़ रुपये की विदेशी और केवल ३०० करोड़ रुपये की देशी पूंजी लगी हुई है । एक सरकारी अनुमान के अनुसार १९३९ तक केवल २२० करोड़ रुपये की देशी व्यक्तिगत पूंजी ही देश के उद्योग-धन्यों में लगी हुई थी ।

नए कल-कारखाने लगाने के सम्बन्ध में विविध योजनाएँ बनी हैं । लेकिन इस समय इससे भी अधिक महत्व का प्ररन यह है कि जो धन्ये चालू हैं, उन्हीं से उनकी सम्पूर्ण उत्पादन शक्ति के अनुसार पैदावार की जाय । १९४६ के बाद से देश के उद्योग-धन्यों की उपज कम होती गई है । मुख्य धन्यों की उपज में अवन्ति के आंकड़े इस प्रकार हैं :

उद्योग	उत्पादन शक्ति	अधिकाधिक उत्पादन	१९४७ में अनुमानित उत्पादन
सूती वस्त्र		४२२६०००००० गज	३२०००००००० गज (१९४३-४४)
इत्यात	१२,६४,००० टन	११,६०,००० टन	८,७५,००० टन (१९४३)
सीमेंट	६,७३,००० टन	६,६०,००० टन	मासिक १,१२,००० टन (मार्च ४५ केवल हिन्दुस्तान में)
कागज	६,६०,००० टन	६,००,००० टन	४६,००० टन (१९४५)

देश के औद्योगिक उत्पादन में जो कमी हुई है, उसके मुख्य कारण ये हैं :

(१) मजदूर व मिल मालिकों में असन्तोष-प्रद सम्बन्ध (२) कच्चे सामान की कमी (३) कच्चे सामान के वितरण में दोष (४) यातायात के साधनों की अपर्याप्तता (५) उद्योगों के लिए नई मशीनरी का न मिलना (६) उद्योगों के लिए इमारत आदि बनाने के सामान का दुर्लभ होना, और (७) उद्योगों की आवश्यकताओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा पर लगे प्रतिबन्ध व उसकी कमी ।

१९४५-४६ से ४६-४७ में वस्त्र उद्योग में हड़तालों से मजदूरी के दिनों के नुकसान में २.७४ प्रतिशत वृद्धि हुई । इसी काल में वस्त्र के उत्पादन में १६.६३ प्रतिशत कमी हुई । स्पष्ट है कि मालिक मजदूर के सम्बन्धों के अतिरिक्त दूसरे कारण भी देश के उद्योगों के उत्पादन में अवनति कर रहे हैं । यह भी मानना पड़ेगा कि कई उद्योगों में असन्तुष्ट मजदूर ही उत्पादन की कमी का मुख्य कारण हैं ।

हर उद्योग के लिए कोयले, लोहे और सीमेंट की आवश्यकता होती है, और इन तीनों की ही देश में कमी है । देश में लोहे और सीमेंट की मांग क्रमशः २० लाख टन प्रति वर्ष और २ से २½ लाख टन प्रति मास है । कोयले की मांग पूरा करने के लिए रेलगाड़ियों को १५ लाख टन कोयला प्रतिवर्ष अधिक ढोना होगा ।

इसके अलावा कास्टिक सोडा, सोडा-पेश और धायात होने वाले पुर्जों आदि की भी देश में कमी है ।

योजनाएं

निर्माण के उद्योगों की इस अवस्था को देखकर इनके विकास के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन सरकारी योजनाएं बनाई गईं । अल्पकालीन योजनाएं यह हैं जिन्हें तीन वर्ष के भीतर, १९५० तक, पूरा होना है । अनुमान लगाया गया है कि इनमें ५ वर्षों में जितनी मशीनरी विदेशों से मंगवानी है उसका मूल्य लगभग २०० करोड़ रुपये

है। स्टलिंग पावने से हिन्दुस्तान को विदेशी मुद्रा मिल रही है लेकिन अधिक मुद्रा हस्तगत करने के लिए हिन्दुस्तान को निर्यात पर जोर देना होगा। विदेशों से मशीनरी आदि के आयात में सहायता के लिए कर्ज लेने की भी सम्भावना है।

छोटे व घरेलू उद्योग-धन्धे

बड़े-बड़े उद्योगों के साथ-साथ हमारे देश में छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों का चलना भी जरूरी है।

छोटे उद्योग-धन्धों (स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज़) को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(१) ऐसे धन्धे जो बड़े उद्योग-धन्धों के लिए जरूरी हैं, जैसे मोटरों के लिए गहियों का निर्माण।

(२) ऐसे धन्धे जहां मरम्मत होती है—जैसे मोटर, रेलगाडी आदि की मरम्मत, इंजीनियरिंग के छोटे-छोटे दूसरे कारखाने।

(३) ऐसे धन्धे जहां से निर्मित वस्तुएं निकलती हैं, जैसे तांबे, पीतल व अलुमीनियम के बर्तन, फर्नीचर, लोहा ढालने, व बनियान आदि बुनने के कारखाने, साबुन बनाने व छपाई के धन्धे।

इसी तरह घरेलू दस्तकारियों (काटेज इन्डस्ट्रीज़) का, उनके लिए आवश्यक कच्चे सामान के अनुसार, विभाजन किया जा सकता है :

१. कपास, ऊन व रेशम पर आश्रित उद्योग
२. लकड़ी पर आश्रित उद्योग
३. धातुओं पर आश्रित उद्योग
४. चमड़े पर आश्रित उद्योग
५. मट्टी व रेत पर आश्रित उद्योग
६. विविध—जैसे चूड़ियां, कागज, बीड़ी आदि बनाना। इन छोटे व घरेलू उद्योगों की समस्याएं भी प्रायः वही हैं जो कि बड़े कल कारखानों की हैं—अर्थात् (१) इनके लिए कच्चा सामान प्राप्त किया जाय (२) इनके परिचालन की विशिष्ट शिक्षा हो (३) पूंजी कहां से

आए (४) निर्मित सामान को बेचा कैसे और कहां जाय और (५) देश में दूसरे तरीकों से बने व आयात हुए मालकी प्रतियोगिता से इन्हें किस प्रकार बचाया जाय ।

देश के इन धन्धों का विशेष प्रसार बिजली के साधनों के गांवों में पहुंचने, निर्माण के छोटे साधनों के प्राप्त होने और सम्बन्धित विशिष्ट (टेक्निकल) शिक्षा दिने जाने पर ही होगा । इनके विकास का विशेष भार प्रान्तीय सरकारों पर है ।

उद्योग समितियां

केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न उद्योगों पर सब पहलुओं से विचार करने के लिए, उनके सामने प्रस्तुत बाधाओं की जांच करने के लिए व उनके प्रसार के सम्बन्ध में योजनाएं बनाने के लिए २८ उद्योग समितियां (इंडस्ट्रियल पैनल्स) बनाई थीं । इनमें ३ (हल्के इंजीनियरिंग, जहाजों के निर्माण व वैज्ञानिक औजारों के निर्माण के उद्योगों से सम्बन्धित समितियों) को बाद में हटा दिया गया । शेष २५ समितियों की रिपोर्टें भारत सरकार के सामने पेश की जा चुकी हैं और सरकार उस पर अपना निर्णय भी दे चुकी है ।

औद्योगिक शिक्षा

देश में बढ़ रहे औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक औद्योगिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है । देश के १७ विश्व-विद्यालयों में ही ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध है और वहां भी शिक्षा के सम्पूर्ण साधन व सामान नहीं हैं । इनके अलावा सरकार द्वारा संचालित २१ वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जहां विशिष्ट शिक्षा दी जाती है ।

कम उत्पादन

देश के भिन्न-भिन्न उद्योगों की उत्पादन-शक्ति, १९४७ में प्रत्याशित उत्पादन और कम उत्पादन के कारणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

उद्योग

व्यपिक उद्योग
संस्थित

अनुमानित उत्पादन
(१७४७)

का उत्पादन के कारण

१. इस्पात

१२,१४,००० टन

८,७६,००० टन

-----मजदूरी में असाक्षीय

२. सूती कपड़ा
(मिलों में)

४४२४८३ करोड़ गज

३ अरब ८० करोड़ गज

-----मजदूरी में असाक्षीय

३. लीपेंड

३०,७६,००० टन

१३,६०,००० टन

-----कोयले का भूखरे कच्चे सामान के लिए यातायात की कमी ।

अने हुए लीपेंड के लिए याता-यात की कमी ।

-----मजदूरी में असाक्षीय ।

-----देश में दूधे ।

४. रसायन

(डिकचर आदि) ७,६०,००० गैलन

६ लाख गैलन

-----कोयले व भूखरे कच्चे सामान

- के लिए यातायात की कमी ।
 —श्रान्तःप्रान्तीय प्रतिबन्धों के कारण एल्कीहल की कमी ।
 —वने हुए तेजाब को उठाने के लिए यातायात की कमी ।
 —गंधक की कमी ।
 —खेती वारी से मांग का न होना ।
 —हड्डियों की बड़ी कीमते ।
 —टाटा के कारखाने में यान्त्रिक गड़बड़ ।
 —खेचड़ा से छाने वाले नमक की कमी ।
 —कोयले की कमी ।
 —सारे को उठाने के लिए यातायात की कमी ।
 —कास्टिक सोडा की कमी ।
 —कोयले व सोडा-ऐश की कमी ।

४. गंधक का तेजाब	१ लाख टन	६५ हजार टन
५. सुपर फोस्फेट्स	६० हजार टन	१० हजार टन
७. कास्टिक सोडा	१०,५०० टन	३००० टन
८. एल्कीहल	१ करोड़ ६० लाख गैलन	७० लाख गैलन
९. माग्ना	३,५०,००० टन	८५ हजार टन
१०. सीसा	१,६०,००० टन	६० हजार टन

११. सिटी के २३,०००, टन
वर्तन व सामान १६,००० टन
—कोयले के यातायात के कारण कमी।
१२. रिफ्रेक्टरीज २,१३,७०० टन १,७२,८२५ टन
—कोयले की कमी।
—यातायात की कमी।
१३. इनामल का २,४०,००,००० १ करोड़ से
सामान चीजें १.२० करोड़ चीजें
—लोहे व कोयले की कमी।
—उचित कपड़े की कमी।
—यातायात व मजदूरोंकी कठिनाइयां।
१४. कार्ज का १,२१,६८० रीस ३५,३७६ रीस
सामान (एब्रे जिन्स)
—कोयले, कच्चे सामान व बने सामान के लिए यातायात की कमी।
१५. कार्ज का १,१०,००० टन ८६,००० टन
गत्ता
—युक्त-प्रान्तीय सरकार द्वारा एक कच्चे सामान के प्रयोग पर प्रतिबन्ध।
१६. चमड़ा ५० लाख खालें २० लाख खालें
—खालों के यातायात में कठिनाइयां।

—खालों को पक्का करने के
सामान की कमी ।

—हड़तालें ।

—लकड़ी की कमी ।

—यातायात की कठिनाइयां ।

—आयात होनेवाले पुर्जोंकी कमी

—लोहे की कमी ।

—अयात होने वाले पुर्जों की

कमी ।

—यातायात की कमी ।

—कोयले, लोहे व इस्पात की

कमी ।

—सजदूरों में असन्तोष ।

—सामों व कारखानों के लिए

इस्पात की कमी ।

—सजदूरों में असन्तोष ।

—कच्चे व आयात होने वाले

१७ प्लाइवुड १ करोड़ वर्गफुट ३ करोड़ वर्गफुट

१८. डी गन इंजन १०० २००

१९. लोहे की छलाई १,१७,६०० टन ३,१०,००० टन

२०. साइतिकल ४२,००० वा ३०,००० वा

१० हजार साइकिलों ८ हजार साइकिलों के
के पुर्जे पुर्जे

२१. मशीनरी के ११,००० ८,८००

योजना

२२. भाषाएं १,००० कार १,००० कार

टन टन

२३. विद्युत् के तार १,३३,६०,००० ८६,००,०००

- सामान की कमी ।
 —मजदूरों में असन्तोष ।
 —कच्चे वा आयात होने वाले सामान की कमी ।
 —मजदूरों में असन्तोष
 —आयात होने वाले कच्चे सामान की कमी ।
 —मजदूरों में असन्तोष ।
 —लोहे की कमी ।
 —आयात होने वाले पुर्जों की कमी ।
 —मजदूरों में असन्तोष ।
 —लोहे व आयात होने वाले पुर्जों की कमी ।
 —लोहे की कमी ।
 —आयात होने वाले पुर्जों की कमी ।
२४. बैटरियां १३,२०,००,००० ८,६०,००,०००
२५. मोटरों की बैटरियां १,७२,००० ६१,०००
२६. विजली की मोटरें १ लाख हार्स पावर ३० हजार हार्स पावर
२७. ट्रांसफार्मर्स १,०२,००० के.वी.ए. ३०,००० के.वी.ए.
२८. विजली के पंखे २,५०,००० १,०३,५००

—विशिष्ट शिष्टा का अभाव ।
—मजदूरों में असन्तोष ।

—कच्चे व आयात होने वाले
—सामान की कमी ।
—मजदूरों में असन्तोष ।

—उचित मिट्टी व कोयलेकी कमी ।
—परीक्षण करने वाले यन्त्रों की
कमी ।

—मजदूरों में असन्तोष ।

—मजदूरों में असन्तोष ।
—देश में दंगे ।

—कच्चे सामान की कमी ।

—आयात आजापत्रों के मिलने
में देरी ।

२१. तारों व केबल्स तारों : २४,३५० टन
केबल्स व प्लेस्त्रियमस : ५ करोड़ गज

२२. इन्गुलेटर्स ४२ लाख १५ लाख

२१. चित्तली के सिद्
स्टील फायर २४,००० टन ७,००० टन

२२. जगहों की भेड़िया १६०० टन ५५० टन

उद्योग-स्थिति वा तत्सम्बन्धी नई योजनाएं

देश में मुख्य उद्योग कहां-कहां स्थित हैं, उनके प्रसार की क्या-क्या योजनाएं बनीं व सरकार द्वारा स्वीकृत हुई हैं, इसका विवरण इस प्रकार है :

लोहा व इस्पात अल्पकालीन योजना के अनुसार देश में लोहे व इस्पात का १५ लाख ७० हजार टन प्रति वर्ष निर्माण होगा। दीर्घकालीन योजना के अनुसार देश में कुल २५ लाख टन लोहा व इस्पात बनने लगेगा। केन्द्रीय सरकार दो नए कारखाने बना रही है, जो ५-५ लाख टन इस्पात प्रति वर्ष बनाया करेंगे। यह कारखाने आवश्यकता होने पर अपना उत्पादन दोगुना कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ विदेशी कम्पनियां प्रस्तावित कारखानों का नक्शा व योजना बना रही वा बना चुकी हैं।

इस समय जमशेदपुर, बर्नपुर, भद्रावती व ईशापुर में लोहे के बड़े कारखाने चल रहे हैं।

देश में इस वक्त, मुख्यतया जमशेदपुर में, लोहे की तारें व दूसरे सामान ४५,००० टन प्रति वर्ष बन सकते हैं। योजना है कि यह निर्माण १ लाख टन प्रति वर्ष हो। इस वक्त पेच व कब्जों का निर्माण २०,००० टन होता है। योजना है कि इस निर्माण को तिगुना कर दिया जाय।

सीमेंट इस समय सीमेंट बनाने के कारखाने बिहार, मद्रास, मध्यप्रान्त व कुछ रियासतों में हैं। योजना है कि देश में सीमेंट का उत्पादन प्रतिवर्ष ५० लाख टन के लगभग हो और नए कारखाने वंगाल, वंबई, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, युक्तप्रान्त, उड़ीसा, आसाम व कुछ रियासतों में खोले जायं। कोयले के अधिक यातायात व मजदूरों में असन्तोष की कठिनाइयों पर पार पाना जरूरी है।

सायुन देश में तीन तरह के साधनों द्वारा सायुन बनता है :

(१) बड़े कारखाने जहाँ कि सब काम मशीनों द्वारा होता है व गिलसरीन निकाली जाती है—ऐसे कारखाने बम्बई में ४, बंगाल में १, युक्त प्रान्त में १ व मद्रास में १ है और इनकी पूरी उपज प्रति वर्ष ६४,००० टन है ।

(२) बड़े कारखाने जहाँ गिलसरीन नहीं निकाली जाती—ऐसे कारखाने बम्बई व पश्चिमी रियासतों में ६०, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में ३५, दक्षिण भारत में १२, युक्तप्रान्त व दिल्ली में १० व पूर्वी पंजाब में २२ हैं । इनकी कुल उपज ६६,००० टन सायुन है ।

(३) ऐसे कारखाने जो घरेलू दस्तकारियों के रूप में सायुन पैदा करते हैं । इनकी उपज ६०,००० टन है ।

इस तरह देश में सायुन की कुल उत्पादन शक्ति २,५०,००० टन की है ।

योजना है कि देश में सायुन का उत्पादन ३ लाख टन प्रति वर्ष हो—जिसमें से ३० हजार टन नहाने का, १५ हजार टन औद्योगिक व २ लाख ५५ हजार टन कपड़े धोने का सायुन हो ।

सायुन के लिए कार्बिक सोडे व तेलों की, विशेषकर गिरी के तेल की बहुतायत से आवश्यकता है ।

इस समय देश में बंगाल, बम्बई, पंजाब, मद्रास व दिल्ली में, और रियासतों में मेरैचूर, काटि-चाप्राड़, म्वालियर व हुंदराचाड़ में पेंट व वार्निश बनाने के कारखाने हैं । योजना है कि पेंट व वार्निश की देश में १ लाख टन प्रति वर्ष उपज हो । इस वस्तु देश की उत्पादन शक्ति ५० हजार टन प्रति वर्ष की है ।

इस समय देश में १०३ कारखाने शीशा व शीशे का सामान बना रहे हैं । कर्नाट ३ वर्षों में १८ नए कारखाने खोलने की योजना है ।

शीशा

देश में १५ कारखाने लिखाई व छपाई के कागज प्रति वर्ष ७५ हजार टन कागज पैदा करने की शक्ति रखते हैं । योजना है कि लिखाई व छपाई के कागज का उत्पादन १९५१ तक १ लाख १० हजार टन और १९५६ तक २ लाख टन प्रति वर्ष हो । इसके लिए १२ नए कारखाने खोले जायेंगे तथा पुराने कारखानों को प्रसार की सुविधाएं भी मिलेंगी ।

देश में लिखाई का सस्ता कागज कहीं भी नहीं बन रहा । योजना है कि १९५१ तक २४ हजार वा १९५६ तक ५० हजार टन प्रति वर्ष ऐसे कागज का निर्माण हो । ६ कारखाने हल्का वा २ कारखाने बज्रनदार कागज बनाने वाले स्थापित करने की योजना है ।

इस समय केवल १ कारखाना १० हजार टन क्राफ्ट पेपर प्रति वर्ष बना रहा है । इसका उत्पादन १९५१ तक २० हजार टन और १९५६ तक ४० हजार टन तक बढ़ानेकी योजना है । इसके लिए ३ नए कारखाने खोले जायेंगे ।

देश में रेगमार (सैड पेपर) बहुत थोड़ी मात्रा में बन रहा है । इसका उत्पादन १९५१ में ७००० टन और १९५६ में १०,०० टन कर देने की योजना है ।

देश में दियासलाई, टेली प्रिन्टर, सिगरेट आदि में प्रयोग के लिए विविध प्रकार का २५०० टन कागज इस समय बनता है । इसका उत्पादन १९५१ में ६००० और १९५६ में ८००० टन कर देने की योजना है ।

अखबारी कागज का उत्पादन इस वक्त कतई नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में ३ कारखाने लगाने की योजना है । १९५१ तक देश में २० हजार टन और १९५६ तक ४० हजार टन अखबारी कागज प्रतिवर्ष बनने लगेगा । मध्यप्रान्त में एक नये कारखाने की स्थापना शुरू भी हो गई है ।

३ कारखानों में इस वकत गत्ता (स्पाइन्ड) प्रतिवर्ष २४ हजार टन बनाया जा रहा है । नये कारखाने खोलकर इसका उत्पादन १६५१ और १६५६ में क्रमशः ५० हजार वा ८० हजार टन कर देने की योजना है ।

३ दूसरे कारखानों में इस समय १८ हजार टन विविध प्रकार के गत्ते बन रहे हैं । ३ नए कारखाने खोलकर इनका उत्पादन २५ हजार टन (१६५१ में), और ३६,००० टन (१६५६ में) कर देने की योजना बनाई गई है ।

देश के विभिन्न कारखानों में इस समय १०

चीनी व रसायनिक लाख ७६ हजार टन चीनी बन सकती है ।

एल्कोहल

१६५० तक चीनी का उत्पादन १६ लाख टन कर देने की योजना है ।

इस समय सीरे से रसायनिक एल्कोहल का उत्पादन १२ लाख ३२ हजार गैलन प्रति वर्ष हो रहा है । इसका उत्पादन २० लाख गैलन कर देने की योजना बनाई गई है । इसके लिए अधिक परिमाण में कौयला मिलना चाहिए वा सीरा उठाने के लिए यातायात की अधिक सुविधाएं हासिल होनी चाहिए ।

इस समय देश में सूत बुनने के लिए

सूती कपड़ा

१,०१,२३,६०६ स्पिन्डल वा कारखानों में सब मिलाकर ४ अरब ८० करोड़ गज कपड़ा

और १ अरब ६१ करोड़ पाउंड सूत तैयार करने की शक्ति है । योजना है कि स्पिन्डलों की संख्या १,४८,८५, ४३३ अरब वा लाख तक ६ अरब ५८ करोड़ गज कपड़ा व २ अरब ४ करोड़ पाउंड सूत प्रति वर्ष तैयार हो सके ।

देश में ६ कारखाने जूनी कपड़ा तैयार कर रहे

जूनी कपड़ा

हैं । मशीन द्वारा यह हुए यंत्रणतः कपड़े के उत्पादन में सृष्टि करने की योजनाएं नहीं हैं ।

घारीक जूनी सूतों से कम वजन का कपड़ा तैयार हो सकता है और

उसकी खपत सम्भव है। इसके लिए आस्ट्रेलिया से जन (मैरिनो) के आयात की आवश्यकता पड़ेगी।

इस समय देश में जुरावे, हुनियाने, व जुरावे हुनियाने, जुरावे आदि की बुवाई के बड़े कारखाने युक्तप्रान्त, बम्बई, बंगाल, पूर्वी पंजाब वा मद्रास और तियासतों में मैसूर, इन्दौर ग्वालियर वा कपूरथलाने हैं। इनके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में सूती वा ऊनी सूत प्राप्त हो और विदेशों से सुइयों का आयात होता रहे।

योजना है कि देश में ६० करोड़ दराज (जिसमें से २० करोड़ का निर्यात होगा), १० करोड़ हुनियाने (इसमें से ३ करोड़ २० लाख का निर्यात होगा) और ५ करोड़ जुरावे (जिसमें से १ करोड़ ७० लाख का निर्यात होगा) तैयार हुआ करें।

इस समय देश में कीड़ों से २१ लाख पाउंड रेशम प्रति वर्ष पैदा किया जाता है। योजना बनाई गई है कि पहले पांच वर्षों में आधुनिक उद्योगको ही सुव्यवस्थित किया जाय। उसके बाद पांच वर्षों में शहदूत के वृद्धों का रोपन कुल १,६२,५०० एकड़ भूमि में हो। बाद के ५ वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर १,८७,५०० एकड़ कर दिया जाय। अल्पकालीन योजना में रेशम का उत्पादन ३२ लाख ६२ हजार पाउंड व दीर्घकालीन योजना में ४० लाख पाउंड हो जायगा।

विभाजन के बाद देश में नमक की प्रतिवर्ष आवश्यकता ६ करोड़ १२ लाख मन प्रति वर्ष है। इस तरह देश में प्रति व्यक्ति पीछे नमक की खपत वर्ष-भर में १२ पाउंड है जबकि विदेशों में इसकी खपत ३० पाउंड है। देश में इस वस्तु ५ करोड़ १७ लाख मन नमक पैदा होता है। नमक की कमी को आयात से पूरी करने की कोशिशें की जा रही हैं।

अल्पकालीन योजनाओं के अनुसार यह सुविधाएं दी जा रही हैं—
 (१) नमक के निर्माण की व्यक्तिगत इस्तेमाल वा पड़ोस में बिक्री के लिए हर किसी को इजाजत है। (२) सांभर झील व खरगोधी में नमक के सरकारी कारखानों के उत्पादन के प्रसार के लिए नई मशीनरी मंगवाई जा रही है। (३) कुछ रियासतों में नमक बनाने की मनाही थी, यह हटाई जा रही है। (४) व्यक्तिगत तौर पर नमक बनाने वालों को विशिष्ट शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जायगा ताकि वह नमक का उत्पादन बढ़ा सकें।

औद्योगिक उत्पादन

१९४८ के पहले ६ महीनों में हिन्दुस्तान के औद्योगिक व खनिज उत्पादन का हिसाब इस प्रकार रहा।

कोयला निकाला गया	१,५७,०८,०२७	टन
„ भेजा गया	१,२६,४३,६६०	टन
इस्पात	४,२६,३००	टन
सूती कपड़ा	२,१०,६६,५८,०००	गज
सूती धागा	६६,०६,१६,०००	पाउंड
कानस	४७,४४८	टन
जनी कपड़ा	१,१२,६६,८००	पाउंड
शीशा	३७,०००	टन
मट्टी व चीनी के बर्तन	७,०६३	टन
इनामल के बर्तन	२६,३८,४३६	पीस
प्लुमोनिम	१,६८८	गज टन
डीज़ल इंजन	४७४	संख्या
तीसों की मशीनें	७,६१४	„
हर केन लैंग्व	२,८६,३२७	„
बाइसिकल	२६,४६,५००	संख्या

देश के प्रमुख उद्योग

नई दिल्ली में दिसम्बर ४७ में हुई इंडस्ट्रीज़ सूती कपड़े का उद्योग कांफ्रेंस (उद्योग सम्मेलन) की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त देश में लगभग १ करोड़ १ लाख स्पिंडल और २०,००० लूमज़ (खड्डियां) हैं। यह सब मिलाकर प्रति वर्ष १ अरब ६१ करोड़ ५० लाख पाउंड सूती धागा वा ४ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा निर्माण कर सकती हैं। मिलें जिस धागे का प्रयोग नहीं कर सकती वह हाथ की खड्डियों पर कपड़ा बुनने के इस्तेमाल में आ जाता है। इस समय लगभग १ अरब २० करोड़ गज कपड़ा खड्डियों पर बुना जाता है। कपड़े के उद्योग पर लगभग १ अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है और ६ लाख मजदूरों या दूसरे लोगों को इस उद्योग में काम मिलता है। सारे उद्योग के उत्पादन का मूल्य आजकल की कीमतों के अनुसार ४ अरब रुपया होता है। अनुमान है कि हाथ की खड्डियों का व्यवसाय लगभग १ करोड़ लोगों के निर्वाह का साधन बनता है; इस दृष्टि से देश की आर्थिक व्यवस्था में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।

१९४५ से कपड़े व धागे के उत्पादन में सतत कमी हो रही है :

वर्ष	धागा (पाउंड)	कपड़ा (गज)
१९४३	१ अरब ६७ करोड़	४ अरब ७१ करोड़ ५० लाख
१९४४	१ अरब ६२ करोड़ ३० लाख	४ अरब ८१ करोड़ १० लाख
१९४५	१ अरब ६२ करोड़ ५० लाख	४ अरब ६८ करोड़ ८० लाख
१९४६	१ अरब ३६ करोड़ ६० लाख	४ अरब ०० करोड़ ३० लाख
१९४७	१ अरब ३२ करोड़	३ अरब ८३ करोड़ ८० लाख

भारत सरकार कपड़े के उद्योग के विकास की योजना बना चुकी है। इसके अनुसार देश में ३० लाख स्पिंडल और बढ़ाए जायेंगे। इस वृद्धि से १ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा अधिक बुना जायगा और देश में कपड़े का कुल उत्पादन ८ अरब गज हो जायगा।

जनवरी, फरवरी और मार्च १९४८ में हिन्दुस्तान की मिलों ने ६८ करोड़ २२ लाख गज कपड़ा और ३१ करोड़ ३३ लाख ६० हजार पाउंड सूत तैयार किया। कपड़े में से ६५ करोड़ ७ लाख गज हिन्दुस्तान के लोगों के लिए, २ करोड़ २५ लाख गज निर्यात में और ६० लाख गज फौज के लिए बरता गया। सूत में से ३१ करोड़ २८ लाख ५० हजार पाउंड लोगों को, ३ लाख ४२ हजार का निर्यात और १ लाख ६६ हजार पाउंड फौज के प्रयोग के लिए दिया गया।

२१ जनवरी १९४८ से कपड़े पर कंट्रोल उठा लेने की नीति बरतनी शुरू की गई। इस नीति के अनुसार (१) उत्पादन किये जा रहे कपड़े की किस्मों वगैरह के ऊपर से नियन्त्रण उठा लिये गए (२) कपड़े व धागे की कीमतें निश्चित करने का तरीका बन्द कर दिया गया (३) कपड़े के प्रान्तों व प्रदेशों में विभाजन का तरीका बन्द कर दिया गया (४) निश्चित प्रदेशों में कपड़े के आने-जाने पर कोई रोक नहीं रही, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कपड़े के जाने पर टेक्सटाइल कमिश्नर का अनुशासन बना रहा (५) कपड़े व धागों के निर्यात पर कोई बन्धन नहीं रहा (६) सूत के बंटवारे पर नियन्त्रण बना रहा। (७) कपास की कम-से-कम व ज्यादा-से-ज्यादा कीमतों की सीमाएं हटा दी गईं (८) इन्वेल्टाइजेशन फंड समाप्त कर दिया गया और (९) कपड़े व धागे की नई व पुरानी कीमतों के भेद को सरकारी जमानतों में जोड़ लिया गया।

पुरानी व नई कीमतों में फर्क को काटने टेक्सटाइल सेक्टर एक्ट १९४८ के मातहत मिलों व कपड़े वालों से हट्टा किया गया। यह एकट्टी की गई रकम ५ करोड़ रुपये के लगभग थी। इसके अलावा काटने टेक्सटाइल इन्वेल्टाइजेशन फंड गार्डियन १९४७ के अनुसार ८० लाख रुपये की रकम सर्चार्ज के रूप में भी हट्टी की गई।

परिष्कार स्वरूप कपड़े के व्यापार के लिए कार्टेलिंग का तरीका हटा दिया गया और राष्ट्रियों के कपड़े की शिफ्टी पर भी शिफ्टी नियम की

रोक-टोक न रही ।

लेकिन न तो कीसतें ही बटीं, न कपड़ा ही ज्यादा ताड़ा में सुलभ हुआ । देश में कपड़े का अकाल-सा पड़ा और कीसतें लगातार बढ़ती गईं ।

३० जुलाई १९४७ को सरकार ने कपड़े पर फिर से कन्ट्रोल की घोषणा की । कपड़े के उत्पादन में लगी लगभग ४०० मिलों का कपड़ा सुदूरबन्द कर दिया गया । कपड़े के थोक व परचून व्यापार को कड़े नियन्त्रण में रखने के उद्देश्य से कदम उठाये गए—

इस घोषणा के अनुसार निम्न निश्चय किये गए ।

(१) मिलें अपनी शक्ति अनुसार पूरा और समुचित कपड़ा बनाएं, इसका सरकार प्रबन्ध करेगी ।

(२) कपड़े व सूत के एक्स-मिल दाम सरकार निश्चित करेगी ।

(३) जो कपड़ा व धागा मिलों के पास पड़ा है उस पर भी दाम की सुहर लगेगी ।

(४) कपड़ा प्रान्तों व रियासतों में थोक के स्वीकृत व मनोनीत व्यापारियों द्वारा ही विभाजित किया जायगा ।

(५) इस तरह बांटे गए कपड़े का कुछ भाग प्रान्तों व रियासतों द्वारा स्वीकृत परचून की दुकानों से बिकेगा ।

(६) जो कपड़ा शेष रहेगा वह व्यापार के साधारण साधनों से अथवा खरीदारों की सहयोगी-संस्थाओं द्वारा खपेगा ।

(७) परचून विक्री की इन दुकानों को एक्स-मिल के ऊपर कुछ मुनाफा मिलेगा ।

(८) केन्द्रीय, प्रान्तीय व रियासती सरकारों को अधिकार मिलेंगे कि वह उचित दामों पर मिलों अथवा थोक के व्यापारियों से कपड़ा लवत कर सकें ।

(९) यह सरकारी नीति लागू हो सके, इसकी देखभाल करने के लिए केन्द्र में एक 'एनफोर्समेंट ब्रान्च' की स्थापना हो रही है ।

(१०) आज्ञा दी गई कि जो कपड़ा व्यापारियों के पास पड़ा है, वह उसे ३१ अक्टूबर १९४८ तक बेच दें।

इसके अलावा कपास की कीमतों पर कंट्रोल करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। सीमाप्रांतों से विदेशों को जो कपड़ा चोरी से जा रहा है, उस पर कड़ी निगरानी करने का प्रबन्ध भी सरकार कर रही है।

कपास

हिन्दुस्तान की मिलों द्वारा कपास की खपत का व्योरा इस प्रकार है :

(हजार गांठों में—जिसमें ४०० पाउंड कपास रहती है)

१९३८-३९	३१०६.३
१९४२-४३	४०३८.८
१९४३-४४	४३४४.६
१९४४-४५	४१०१.६
१९४५-४६	४१४१.२
१९४६-४७	३२७०.६(क)

(क) अनिश्चित (प्रोविजनल)

	नियत	पुनर्नियत
१९३८-३९	२७०२.८	५३३.७
१९४२-४३	३०१.०	४६०.६
१९४३-४४	२८१.५	४२६.१
१९४४-४५	३१६.८	५१२.३
१९४५-४६	७६२.४	४८१.६
१९४६-४७	७२६.३(क)	४०८.६(क)

(क) दिसम्बर १९४६ तक। १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जना नहीं हैं।

सूत व सूती कपड़े का उत्पादन व आयात

सन्	उत्पादन (१० लाख गज)	आयात (१० लाख गज)
१९३८-३९	४,२६९.३	६४७.१
१९४२-४३	४,१०९.३	१३.१
१९४३-४४	४,८७०.६	३.७
१९४४-४५	४,७२६.४	५.२
१९४५-४६(क)	४,६५१.३	३.१
१९४६-४७(क)	३,८६३.३	१०.६(ख)

(क) आंकड़े अनिश्चित (प्रोविजनल) हैं ।

(ख) दिसम्बर १९४६ तक । १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े

जमा नहीं हैं ।

	निर्यात (दस लाख गज)	पुनर्निर्यात
१९३८-३९	१७७.१	१५.७
१९४२-४३	८१९.०	१६.३
१९४३-४४	४६२.३	०.६
१९४४-४५	४२०.६	०.४
१९४५-४६	४५०.१	३.१
१९४६-४७	२१६.३(क)	...

(क) दिसम्बर १९४६ तक । १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं ।

कपड़े के दर का मूलांक

१९ अगस्त १९३९ को खरम होने वाले सप्ताह की सूती कपड़े की कीमतों को यदि मूलांक=१०० मानें तो १९४६-४७ में सूती कपड़े की कीमतों का मूलांक २६२ अनुमानित रहा ।

धुवी कपड़े का उत्पादन, आयात, निर्यात, फौजी व शहरी खपत

(०००००० गज जोड़ लें)

वर्ष	धुवी कपड़ों में	कुल	आयात	कुल	निर्यात	फौजी जरूरतों	लोगों के	प्रति व्यक्ति के
						के लिए	लिए शेष वचा	लिए वचा(गज)
१९२८-२९	१००३	४२६६	६४७	६६१६	१७७	६४४२	१७
१९२९-३०	१००३	४०१३	६७६	६२६६	२२१	६०७४	१६.७६
१९३०-३१	१००३	४२६६	४४७	६४१६	३६०	६०२६	१६.७६
१९३१-३२	१००३	४४४४	१८२	६३७६	७७१	६६०८	१४.२६
१९३२-३३	१००३	४१०४	६८१२	६८२४	८१६	१०३६	३६६७	१०
१९३३-३४	१००३	४८२६	४	६६३३	४६१	६०२	६४७०	१३.६
१९३४-३५	१००३	४३७७	६	६३८६	४२३	६८३	६३७६	१३.६
१९३५	१६३६	४६८८	६२२३	३	६२२६	६७६	६०६१	१२.२
१९३६	१२६१	१००३	६२६४	१४(क)	४००	८०	४८२८	११.६
१९३७	१३००	३८३८	४४	६०८२	३००	२०	४७६२	११.२६

(क) वर्षों के बीच का अंतर १६४६ गज का अंतर।

उचित औद्योगिक विकास के लिए हिन्दुस्तान इस्पात का उत्पादन को प्रति वर्ष २५ लाख टन इस्पात की जरूरत है। आज के देशी कारखानों से केवल १२ लाख ६४ हजार टन इस्पात बन सकता है। परन्तु यह निकटतम भी आतायात की कठिनाइयों और मजदूरों में अशान्ति के कारण नहीं बन पा रही। १९४७ में इस्पात का उत्पादन केवल २,७१,०१६ टन था। युद्ध के पहले इस्पात का आयात करके हिन्दुस्तान की जरूरतें पूरी हो जाती थीं। अब वह भी बहुत कम हो रहा है। १९४७ में जहाँ इस्पात के १,२०,००० टन के आयात की आशा थी, वहाँ केवल ३० हजार टन आयात हुआ।

भारत सरकार द्वारा मनोनीत रिसोर्सिज़ एंड प्रायोरिटीज़ कमेटी ने अगले तीन वर्षों में इस्पात की मांग का निम्न अनुमान लगाया है—

	१९४८	१९४९	१९५०
१-इंजीनियरिंग सम्बन्धी उद्योग	२५,७००	१,०९,२००	१,१४,९००
२-रसायनिक व दूसरे उद्योग	६१,५००	६१,५००	६१,५००
३-कपड़े व सम्बन्धित उद्योग	२६,०००	२७,०००	२८,०००

इस समय तीन बड़े कारखाने इस्पात बना रहे हैं—टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० जमशेदपुर, स्टील कारपोरेशन ऑफ़ बंगाल और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। इनकी उत्पादन शक्ति क्रमशः २,५०,००० टन, ३,५०,००० टन और ४०,००० टन प्रतिवर्ष है। इसके अलावा इशापुर स्थित सरकारी आर्डिनैस फैक्टरी २४ हजार टन इस्पात बनाती है।

१९४३ में अधिक-से-अधिक इस्पात—११,३६,२०० टन बन पाया था।

नवम्बर १९४७ में इस्पात के निर्माण का अनुपात बहुत ही कम हो गया था—इस मास केवल ६,००० टन इस्पात बना। दिसम्बर में

८१,००० टन बना । जनवरी, फरवरी, मार्च १९४८ में यह निर्यात ७८,०००, ७२,७०० और ७३,२०० टन हुआ ।

१९४७ में १ लाख ५० हजार टन के आयात की आशा थी लेकिन केवल १० हजार टन ही आया । केवल अमरीका से ही अधिक मिक-दार में आयात हो सकता है—वहाँ पर आयात-निर्यात पर सरकारी नियन्त्रण के कारण हिन्दुस्तान को जरूरत से बहुत कम हिस्सा मिल रहा है । १९४७ के पिछले तीन महीनों के लिए अमरीका से १,७०,००० टन इस्पात मांगा गया था लेकिन अमरीका ने टिन प्लेटों को छोड़कर दूसरों से केवल ५५६० टन ही इस्पात देना स्वीकार किया ।

१९४८ के लिए कुल ४ लाख ७५ हजार टन इस्पात मांगा जा रहा है जब कि सारी प्राप्य मिकदार टिन प्लेटों को छोड़कर २०,२०० टन है ।

हिन्दुस्तान ने १,३०,००० टन रेलों का केनाडा को आर्डर दिया हुआ है । १९४८ के अन्त तक इसमें से १ लाख टन के आयात की उम्मीद है । इंग्लैंड से भी प्रतिवर्ष २८ हजार से ३६ हजार टन तक इस्पात की प्राप्ति की आशा है ।

पांच-पांच लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष पैदा करने वाले दो नए कारखाने लगाने की सरकारी योजना पर विचार हो रहा है ।

१९४८ में वर्ष के पहले ६ मासों में देश की विविध उद्योगों के लिए इस्पात का संतुलित निम्न प्रकार हुआ :

	जनवरी, फरवरी, मार्च	अप्रैल, मई, जून
नाम	(टन)	(टन)
रेलवे	३३,०००	६१,०००
औद्योगिक आवश्यकताएँ		
और पैकिंग	१७,५०६	२१,०४०
इस्पात बनाने वाले उद्योग	५२,०००	५२,३२५

व्यक्तिगत उद्योगों को	१४,८३७	१६,१७४
प्रान्तों को	२०,६६५	२२,७८५
रियासतों को	६,२००	५,८१०
मकान बनाने की सरकारी		
योजनाओं को	२,६००	२,२००
निर्यात	१,५००	२,०००
अखबारों को	२४३	६६५
शरणार्थियों को घरों के लिए	.	१,७००
सुरक्षित	४१	१,४४३

लोहे और इस्पात का उत्पादन

	पिग आयरन (७०० टन)	स्टील इग्नाट्स (००० टन)	फिनिशड स्टील (००० टन)
१६३८-३९	१५७५.६	६७७.४	६३५.०
४२-४३	१८०४.२	१२६६.१	१२५२.५
४३-४४	१६८६.४	१३६५.५	१३५२.८
४४-४५	१३००.४	१२५३.६	१२६८.०
४५-४६	१४०६.२	१२६६.६	१३३८.४
४६-४७	१३६४.४	११६६.३	११६०.२

लोहे व इस्पात का

	आयात (००० टन)	निर्यात (००० टन)	जिस पर संर- क्षण नहीं	जिस पर संरक्षण है	पिग आयरन	लोहा व इस्पात
१६३८-३९	२७२.३	१६१.६	५१४.५	८४.६		
४२-४३	४८.६	२२.६	२४२.१	६.१		
४३-४४	४६.६	८.६	१८६.३	२.१		
४४-४५	८७.२	२३.७	१५६.०	३.१		

४५-४६	१२४.०	७६.७	२७.५	१.०
४६-४७(क)	५६.४	२६.५	६.६	४.३

(क) दिसम्बर १९४६ तक। इसमें १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं।

लोहे के भाव के मूलांक

जुलाई १९१४ की कीमतें=१०० के मूलांक के हिसाब से १९४६-४७ में पिग आयरन फौंड्री नं० १ की कीमतों का मूलांक १६६ और पिग आयरन फौंड्री नं० ४ की कीमतों का मूलांक २१६ रहा।

सीमेंट का उद्योग

प्रथम महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में सीमेंट बनाने का उद्योग ठीक ढंग पर शुरू हुआ। अब तो यह उद्योग सुस्थापित हो चुका है। सीमेंट बनाने के कारखाने विशेषतया उत्तरी और मध्य भारत में बने हैं। सीमेंट के बनाने में चूने के पत्थर (लाइम स्टोन), (जिप्सम) और कोयले का प्रयोग होता है। जहाँ यह पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ ही सीमेंट का कारखाना खड़ा किया जा सकता है।

द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर हिन्दुस्तान में १५ लाख ३३ हजार टन सीमेंट प्रतिवर्ष बन रहा था और २ कम्पनियाँ मजबूत उद्योग का नियन्त्रण करती थीं—एम्प्रेसिन्वेस्ट सीमेंट कम्पनी लि० बम्बई, अण्डा-मिया सीमेंट लि० डालमिया नगर, आन्ध्र प्रदेश, बंगाल सीमेंट कम्पनी लि० कलकत्ता, सोनवैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी लि० कलकत्ता और भारत सीमेंट कम्पनी लि० वेजवाड़ा।

युद्ध के दौरान में सीमेंट के निर्यात की मांग देखा हुई और मध्य और सुदूर पूर्व की नदियों की हिन्दुस्तान में सीमेंट पहुँचाने तथा देश की मांग भी बढ़ी। इन दिनों सीमेंट बनाने वाले कारखाने बन्द बन्दे चल रहे थे।

१९४३ से सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार रहा :

१९४३	१६,६८,८१५ टन
१९४४	१६,५६,४६६ टन
१९४५	१६,५५,७५० टन
१९४६	१५,३७,४७२ टन
१९४७	१४,४१,३३५ टन

१९४७ के अविभाजित हिन्दुस्तान में २४ कारखाने सीमेंट बना रहे थे जिनकी सीमेंट बनाने की कुल ताकत २८ लाख २५ हजार टन थी। विभाजन के बाद इनमें से २२ लाख ४५ हजार टन सीमेंट बना सकने वाले १६ कारखाने हिन्दुस्तान में रह गए।

सीमेंट के उत्पादन की योजनाएं बनाई गई हैं जिनके अनुसार हिन्दुस्तान में ५७ लाख २५ हजार टन सीमेंट पैदा किया जा सकेगा।

मार्च ४६ में सीमेंट का भाव ७० रुपये टन निश्चित किया गया। जून ४८ में यह भाव ८५ रुपये टन हो गया।

देश में (१९३८ में) प्रति व्यक्ति पीछे ६ से ७ पाउंड सीमेंट की खपत होती थी; १९४४ में यह खपत १० से ११ पाउंड थी; १९५२ में इसके १८ पाउंड के लगभग होने की आशा है। विदेशों में सीमेंट की खपत इससे कहीं बढ़-चढ़ कर है। १९३६ में इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति की सीमेंट की खपत ३०० पाउंड थी।

देश में इस समय १६ कारखाने कागज बना कागज का उत्पादन रहे हैं। प्रान्त वार इनका व्यौरा इस प्रकार है:

प्रदेश	संख्या	स्थान
पश्चिमी बङ्गाल	४	कंकिनारा, टीटागढ़, रानीगंज, नैहाती
उड़ीसा	१	ब्रजराज नगर
बिहार	१	दालमिया नगर
बम्बई	३	बम्बई, पूना, अहमदाबाद
युक्तप्रान्त	२	लाखनऊ, सहारनपुर

पूर्वी पंजाब	१	जगाधरी
हैदराबाद	१	सीरपुर
मैसूर	१	भद्रावती
त्रावकोर	१	पुनलूर
मद्रास	१	राजमुन्दरी

इन सब मिलों की उत्पादन शक्ति १ लाख २५ हजार टन है जब कि वास्तविक उत्पादन १९४६-४७ और ४७-४८ में क्रमशः १,०३,६१० टन और ९३,२७७ टन था। इसके मुकाबले में वार्षिक रूपत २ लाख टन के लगभग है। इस तरह कागज की जरूरत के लिए हिन्दुस्तान को पर्याप्त मात्रा में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

देश में कागज के उत्पादन की कमी व अवनति के मुख्य कारण हड़तालें, आतायात की कठिनाइयां व विभाजन के कारण प्रस्तुत हुई कच्चे सामान की कमी है। पश्चिमी पाकिस्तान से बरोजा, नमक, चूना व चीथड़े व पूर्वी बंगाल से बांस बहुतायत में आया करते थे।

अख्तवारी कागज के लिए हिन्दुस्तान पूर्णतया आयात पर निर्भर रहता है। देश में इसकी मासिक रूपत ३,५०० टन के लगभग है।

मध्य प्रान्त में अख्तवारी कागज का पहला कारखाना बनाने की योजना तैयार हुई है। यह कारखाना १९५० तक चालू होगा।

कागज का उत्पादन बढ़ाने की लो योजनाएं हम समय देश के सामने प्रस्तुत हैं, आशा है उनसे १९५६ तक देश अपनी मांग पूर्ण की पूरी कर सकेगा।

कोयले का उत्पादन, निर्यात व आयात

	उत्पादन (००० टन)	आयात (००० टन)	निर्यात (००० टन)
१९३०-३१	२४८१५	१३४१,३२२	१३,३४
४२-४३	२५४७०	३२६,१५	५,३६
४३-४४	२२४८३	१५६,८०	१,४१

४४-४५	२४१५४	१०८.६६	०.०३
४५-४६	२६४८६	१४६.५७	१.००
४६-४७	२६२१६	३६४.८(क)	८३.(क)

(क) दिसम्बर १९४६ तक। १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं।

१९४६-४७ में कोयले की कीमतों का मूलांक भरिया के १ नम्बर के कोयले के लिए २६१ और देशरघर के लिए १७७ रहा। मूलांक जुलाई १९१४ की कीमतें हैं=१००।

आज देश में कोयले के उत्पादन पर यातायात के अपर्याप्त साधनों से बाधा पड़ रही है। जितना कोयला निकाला जाता है उतना खानों से उठाया नहीं जा रहा हालांकि कोयले की देश-भर में सतत मांग है और कमी जान पड़ती है। उदाहरणार्थ देश की सब खानों से अप्रैल १९४८ के मास में २३ लाख ५० हजार टन कोयला पैदा किया गया और केवल १६ लाख ३३ हजार टन कोयला ही बाहर भेजा जा सका। इस प्रकार प्रति मास शेष कोयले का भंडार बढ़ रहा है।

१९४७ में हिन्दुस्तान में कोयले के उत्पादन का विस्तृत विवरण इस प्रकार रहा :

प्रान्त	जिला	खान का नाम	जिले का उत्पादन (टन)	प्रान्तवार उत्पादन (टन)
प्रासाम	खासी, जैतिया	सकुम	३५,०६५	
		लखीमपुर	२,७१,६३६	
		नाग पहाड़ियां	१६,८४८	
		शिवसागर	१५,७०८	३,४२,५६०
पश्चिमी बंगाल	दार्जिलिंग		१८,६६३	

बिहार	बंकुरा	रानीगंज	४,४२८	
		वीरभूम	१०,२८४	
	वर्द्धवान		७६,१२,६२२	७६,४६,३२७
		मानभूम		
	मानभूम	भरिया	१,२८,८१,०७६	
	हजारी बाग			
	"			
	"	बोकारो	४१,७१,२७६	
	"	रामगढ़		
	"	गिरिध		
"	करणपुरा			
रांची		१,३४,८२६		
बालामल	टाल्टनगंज		३२,१६७	
"	हटार		१,७३,१७,६३६	
संथाल परगना	जैन्ती बा			
	रानीगंज	६८,२८६		
मध्य प्रान्त	विलासपुर		१०३७	
	चान्दा	वरधा बैली	२,२४,४१४	
	छिन्दीवादा	पेंव बैली	१२,३४,१३४	
	योतमल		३०,१७६ १४,८२,७६२	
उड़ीसा	सम्यलपुर	छिगिर रामपुर	६६,२२४ २६,२२४	
कुल उत्पादन			२,६८,१२,८३३	

लोहे के कारखानों द्वारा कोयले की खपत

कारखाने का नाम	१९४८ (टन)		माप
	जनवरी	फरवरी	
टाटा	१४२१८६	१३८४४४	१२६१२३
स्काफ	७६२१	७२१८	१०६३

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारापुर	१४११६	४६६६३	१०४१२
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कुर्ग	२७८८६	२५८६४	२५६६३
मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स	१६६५	२३८१	१८५६
टिन प्लेट कंपनी आफ इंडिया	३५१४	३२३५	३४२०
इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स	७६७	६२३	६८८
गेस्ट कीन एंड विलियम्स	८८०	६३४	५६२
बागल रोलिंग मिल	६२४	६०५	८७३
इंडियन स्टील रोलिंग मिल	१८४	१०३	१३०
	<u>२४६४७६</u>	<u>३२५१७०</u>	<u>२४७३५३</u>

इंजीनियरिंग के विजली से सम्बन्धित व दूसरे उद्योग

युद्ध के वर्षों में वैद्युत बताने के उद्योग को प्रसार का बड़ा अवसर मिला। छत के पंखे, ट्रेवल फैन व विजली की दूसरी मशीनें बनाने के उद्योग को काफी तरक्की मिली। इस सम्बन्धी उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	१९४७	१९४८	१९४८	
	अक्टूबर नवम्बर	जनवरी फरवरी	अप्रैल मई, इकाई	
	दिसम्बर	मार्च	जून (क)	
सूखी बैटरियां	२,६२,७२,११३	३,०५,३२,१३६	२,६७,१८,३१७	सेल
मोटर्स की				
बैटरियां	१७,०४१	१६,६६५	३२,६०३	संख्या
पंखे (छत के)	२६,८३४	३४,३४६	३६,३३६	..
,, (ट्रेवल के)	४,६३२	५,३०७	६,३७१	..

इंसुलेटर्स				
एल० टी०	३,५४,८००	५,४५,१८२	६,५६,११२	संख्या
इंसुलेटर्स				
एच० टी०	१८,८३०	२३,८१७	३०,११८	"
लैम्प साधारण				
प्रयोगों के	१३,७७,५५६	१५,३६,३४६	१५,६०,००१	"
लैम्प रेलगाड़ियोंके	८३,००५	१,२३,६०२	१,६५,६६३	"
मोटरों ए. सी. ३				
केज(स्विचरल केज)	१३०७८	१०,५५६	११,६०४	एच. पी.
१-३०हार्स पावर	..	२६६५	२६५८	संख्या
क्रोशानल	४२३	३४८	३२५	"
पावर ट्रांसफार्मर्स				
५००के. वी.ए. तक	१०६७५	१२,३६३	१०१०	के. वी. ए.
२२ के. वी. तक				
(एच. टी.)	३०७	१८६	१५३	संख्या
रेडियो	४८७	१४०७	७१६	"
बिजली की इस्पाती				
चादरें	१,०५१	६३८	८५०	टन
रिफ्रेक्टरी	४१,६३०	४५,४१७	४७,३२६	"
वेल्डिंग (काटन,				
हैयर व क्वरीइण्ड)	१३६	१५४	१६६	"

(क) १९४८ जून के आंकड़े अनुमानित हैं।

हल्की इंजीनियरिंग के उद्योग

जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (बलरघा)
सिलाई की मशीनें 'डया' नाम की मिलाई की मशीनें पैदा
करते हैं। प्रति मास निर्माण का अनुमान
१५०० मशीनों के लगभग है। देश ही मांग लगभग १ लाख मशीनें

वार्षिक है। मांग का शेष भाग आयात से पूरा होता है।

तीन कम्पनियां—इंडिया साइकिल मैनुफैक्चरिंग
साइकल कम्पनी लि० कलकत्ता, हिन्दू साइकिल लि०
(बम्बई) और हिन्दुस्तान साइकल मैनुफैक्चरिंग
कारपोरेशन (पटना) इस समय हिन्दुस्तान में साइकल बना रही
हैं। देश में लगभग ६२ हजार साइकल प्रति वर्ष बनते हैं जब कि मांग
का अनुमान ३ लाख वार्षिक के लगभग है। सरकार ने इस उद्योग को
संरक्षण दिया हुआ है।

६ कम्पनियां हरीकेन लैम्प बना रही हैं। यह
हरीकेन लैम्प कम्पनियां १२ लाख लैम्प प्रति वर्ष बना
सकती हैं लेकिन उत्पादन की संख्या अभी
केवल ७ लाख लैम्प ही है। देश की वार्षिक जरूरत २० लाख है।

इस समय हिन्दुस्तान में ७ ऐसे कारखाने काम
मोटर गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं जो आयात किये गए पुर्जों को जोड़
कर मोटर गाड़ियां तय्यार करते हैं। इन
कारखानों में से ३ बम्बई प्रान्त में, १ मद्रास
में, २ कलकत्ता में और १ ओखा (काठियावाड़) में है। १९४७ में इन
कारखानों ने १०४२३ कारें और १४१८ टूक जोड़कर तय्यार किए।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड (कलकत्ता) की स्वीकृत पूंजी २०
करोड़ और प्राप्त पूंजी ५ करोड़ है। यह कम्पनी इंगलैंड की 'मोरिस'
और अमरीका की 'स्टुडिवेकर' मोटरें बनाने वाली कम्पनी से सम्बन्धित
है। ओखा में 'हिन्दुस्तान' नाम की मोटरें तैयार की जा रही हैं। उत्तर-
पाड़ा कलकत्ता में इस कम्पनी का एक बड़ा नया कारखाना बन
रहा है।

प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड (बम्बई) की स्वीकृत पूंजी
१० करोड़ और प्राप्त पूंजी रुवा दो करोड़ रुपया है। यह कम्पनी

अमरीका के 'क्राइज़लर' कार के निर्माताओं से सम्बन्धित है और 'टाज', 'हीरो' व 'फार्गो' मोटर व ट्रक बनायगी।

समय था जब कि हिन्दुस्तान में बनी हुई समुद्री जहाजों का निर्माण किरितियां व जहाज हिन्दुस्तानमें निर्मित कर्ण और दूसरे तोहफों को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाया करते थे। इस उद्योग की बीच के पराधीनता के दिनों में कतई समाप्ति हो गई। स्वतन्त्रता ने एक बार फिर इस उद्योग में पारंगत भारत को खोई हुई कला को हस्तगत कर सकने की आशा दिलाई है।

हिन्दुस्तानी पूंजी और हिन्दुस्तानी मजदूरों से बनाया गया पहला देशी जहाज 'जल उपा' १४ मार्च १९७८ को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा समुद्र में छोड़ा गया। इसके साथ का ८०० टन का एक यूरोप विन्धिया स्टीम एंड नेवीगेशन कम्पनी के थिजगापट्टम में स्थित कारखानों में तैयार हो रहा है।

हिन्दुस्तानी कम्पनियों के पास इस समय कुल ३ लाख टन के जहाज हैं। सरकार ने २० लाख टन का उद्देश्य देश के मामले में है ताकि देश का सारा तटीय व्यापार देशी जहाजों द्वारा ही सम्भल सके।

भारत सरकार के पर्यावर मन्त्री के मातहत जहाजगर्मी का एक नया सहायक (डिपार्टमेंट-शाफ-सिपिंग) खोला गया है। वह सहायक मध्य सरकारी दफ्तों में जहाजों में सम्बन्धित सब देश-भारत तटीय जहाजों में ले लेगा। विद्युत प्रबन्ध के अनुसार जहाज बनाने की देश-भारत तटीय व समुद्र के मन्त्री के पास, पर्यटनगर्मी की देश-भारत तटीय के मन्त्री के पास और दूसरे सम्बन्धित काम पर्यावर मन्त्री की देश-भारत में थी।

योजना है कि हिन्दुस्तान में जहाजगर्मी की शीत बनी कम्पनियां बनाई जायें। इनमें से प्रत्येक को पूंजी एक करोड़ रुपये की। भारत सरकार सबसे २५ प्रतिशत पूंजी लगायगी। शेष बचतनी पूंजी एक

एक लाख टन के जहाज चलायगी। पहले पांच वर्षों में यदि इन कम्पनियों को कुछ नुकसान होगा तो सरकार पूरा कर देगी।

विदेशों में जहाज खरीदे जा सकें और देश में भी बनाए जायें, इसके लिए सरकार विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाएं देने को तैयार है।

विदेशी जहाजों को हिन्दुस्तान के तटीय व्यापार से बहुत शीघ्र ही वंचित कर दिया जायगा।

१९४० में श्री वालचन्द हीराचन्द और मैसूर हवाई जहाज बनाने की सरकार ने सांके में हिन्दुस्तान एयर का कारखाना क्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड की बंगलोर में स्थापना की। दोनों ने बीस-बीस लाख रुपया लगाया और कम्पनी का उद्देश्य विदेशों से आये हुए पुर्जों को जोड़कर हवाई जहाज बनाना और फिर बाद में कभी इन पुर्जों का खुद निर्माण भी करना था। १९४१ में भारत सरकार ने इस कम्पनी में हिस्सा लेने का निश्चय किया; तदनुसार कम्पनी का मूलधन ७५ लाख कर दिया गया और भारत सरकार, मैसूर सरकार और वालचन्द हीराचन्द व उनके साथियोंके हिस्से बराबर-बराबर रहे। जापान से युद्ध छिड़ जाने पर श्री वालचन्द हीराचन्द के हिस्से भारत सरकार ने खरीद लिए और कम्पनी के दो तिहाई हिस्सों की मालिक बन गईं। तदुपरान्त सरकार ने इसका प्रबन्ध-भार पूर्णतया अपने हाथों में ले लिया।

युद्ध के दिनों में कम्पनी के कारखाने युद्धरत हवाई जहाजों की मरम्मत, सफाई व निरीक्षण किया करते थे।

कम्पनी का सब प्रबन्ध बोर्ड आफ डायरेक्टर्स: (१) डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी (२) सर रामास्वामी मुदालियर (३) श्री जे०आर०डी०टाटा, और बोर्ड आफ मैनेजमेंट: (१) डाक्टर ए०एच० पांड्या (२) श्री सी०बी०एस०राव (३) श्री वी०जी० अम्पादोराई मुदालियर के हाथों में हैं।

देश के उद्योग-धन्धे

इंग्लैंड की पर्सिवल एयर क्राफ्ट कम्पनी के सहयोग से खुद हिन्दुस्तान में १९४८ के अन्त तक हवाई जहाज बनाने की योजना भी बनाई गई है।

कम्पनी के कारखानों में हिन्दुस्तान की रेल-कम्पनियों के लिए पर्यवेक्षण के नई तरह के टिब्बे भी तैयार किए जा रहे हैं।

कम्पनी के मूलधनमें २९ लाख ६६ हजार २ सौ रुपए और प्रदा दिये गए हैं। इसमें तीसरा हिस्सा मैसूर सरकार ने और शेष भारत सरकार ने दिया है। इस तरह कम्पनी का प्राप्त मूलधन १ करोड़ ७४ लाख ६६ हजार २ सौ हो गया है।

इस समय इस कारखाने में ३८०० मजदूर काम कर रहे हैं। २० विदेशी (अमरीकन और यूरोपियन) इंजीनियर भी कम्पनी में हैं।

द्वितीय महायुद्ध से पहले मशीनरी के मध्य मशीनरी के औजार औजारों के लिए देश अभाव पर ही निर्भर रहता था। युद्ध के दिनों में इन उद्योग की हिन्दुस्तान में स्थापना हुई।

अक्टूबर ४७ से मार्च ४८ तक इनके उत्पादन का स्तर इस प्रकार रहा :

		१९४७		१९४८
प्रान्त	संख्या	अक्टूबर-दिसम्बर	संख्या	जनवरी-मार्च
पश्चिमी बंगाल	१०४	२,३०,००० रु०	२३२	६,३६,००० रु०
बम्बई	१८२	४,६६,६२० रु०	२४३	६,६९,००० रु०

कारखानों में हुई हड़ताले ही अक्टूबर-दिसम्बर १९४७ में उत्पादन कम होने का कारण थी।

के उद्देश्य से एक सरकारी कारखाने की स्थापना की जाय ।

लड़ाई के पहले हिन्दुस्तान में केवल ताम्बे का भिन्न-भिन्न धातुएं ही उत्पादन होता था लेकिन युद्ध के दिनों में एलुमीनियम, एन्टिमनी और लेड का उत्पादन भी होने लगा और धातुओं के सम्मिश्रण का उद्योग काफी बढ़-चढ़ गया । इनके आंकड़े निम्न हैं :

उत्पादन (लांग-टन)

धातु	१९४७	१९४८	१९४८
	अक्टूबर-दिसम्बर	जनवरी-मार्च	अप्रैल-जून(क)
एलुमीनियम	७८३	६०४	८७४
एन्टिमनी	५४	८२	१०१
कापर (तांबा)	१६०६	१३६६	१६२७
लेड	२६	१७६	१०१
अर्धनिर्मित धातुएं	७३४१	७१६६	७११७
धातु सम्मिश्रण			
(एलाय)	२५११	३८०६	३७०३

(क) १९४८ जून के आंकड़े आनुमानिक हैं ।

एलुमीनियम के उत्पादन के लिए नई और बड़ी मशीनरी के आयात के लाइसेंस दिये जा चुके हैं । बाक्साइड के बहुतायत से प्राप्त होने के कारण इस धातु से सम्बन्धित उद्योग हिन्दुस्तान में काफी महत्वपूर्ण हो जायगा ।

हिन्दुस्तान में, देश के विभाजन के बाद, नमक नमक के उत्पादन के तीन मुख्य स्थान हैं : सांभर झील, बम्बई और मद्रास । सांभर झील का प्रबन्ध सरकारी हाथों में है । अब तक व्यर्थ रखे रहे प्रदेश का प्रयोग करके यहां से नमक का उत्पादन १ करोड़ ८ लाख मन से १ करोड़ ४० लाख मन वार्षिक कर लिया गया है ।

मद्रास में भी इसी तरह उत्पादन को प्रेरणा दी गई है और नमक का वार्षिक निर्माण १ करोड़ ३३ लाख से १ करोड़ ६५ लाख हो गया है।

अविभाजित हिन्दुस्तान में १९४५-४६ में २ करोड़ ४६ लाख मन और १९४६-४७ में ४ करोड़ ६२ लाख मन नमक पैदा हुआ। नमक की इस कुल पैदावार में से लगभग १ करोड़ मन नमक पाकिस्तान में पैदा होता था। इन आंकड़ों में काठियावाड़ और चावन्कोर में पैदा होने वाले नमक का हिसाब जमा नहीं है।

इस उत्पादन के अलावा अविभाजित हिन्दुस्तान में ४५-४६ में ८२ लाख मन और ४६-४७ में ४० लाख मन नमक का आयात हुआ।

इस दशा में हिन्दुस्तान नमक की अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। भारत सरकार नमक की पैदावार बढ़ाने की अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बना रही है। नमक की पैदावार, खपत, संयार, किसमों, आयात और कीमतों की पूरी तज्ञानी की जा रही है।

प० बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बिहार के पूर्वी व दक्षिणी प्रदेशों, मध्य प्रान्त के उत्तरी प्रदेश और गुजरात, बम्बई, अजमेर, मारवाड़ और दिल्ली में नमक के भाव नमक-का तट जाने के बाद घट रहे। पश्चिमी बिहार, मुझप्रान्त के कुछ भाग, पूर्वी पंजाब, बम्बई और दक्षिणी मध्यप्रान्त में नमक के भाव बढ़े रहे। भावों के इस तरह घट जाने का कारण नमक की कमी है। विभाजन के पहले पाकिस्तान के प्रदेशों ने ३५ लाख मन नमक प्रति वर्ष पूर्व की सीमा बना करवा कर यह अब रुक गया है। इसके अनिश्चित इस काल में आयात भी आवश्यक हुआ है और वापसवात को प्रतिमाहवां भी रही है।

विजली की पैदावार व खपत
पैदावार मिलियन विक्री मिलियन
(दस लाख) यूनिट (दस लाख) यूनिट

१९३६-४०	सर्वयोग	२१८६.३	१८३७.७
४०-४१	२४६३.४	२०६७.३
४१-४२	२८२८.१	२४०१.६
४२-४३	२८६४.६	२४१४.६
४३-४४	...	३१२६.३	२६४६.०
४४-४५	३४२५.६	२८८७.६
४५-४६	३५७६.०	३००८.१

देश में आसाम प्रान्त के सिवाय मट्टी का तेल मिट्टी का तेल कहीं नहीं पैदा होता। जनता के अधिकांश के लिए आवश्यक इस तेल के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हिन्दुस्तान में ईरान, बहरेन व साउदी अरब से मट्टी का तेल मंगवाया जाता है।

देश में मट्टी के तेल के बंटवारे का व्यौरा पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार रहा है :

१९४५	अविभाजित हिन्दुस्तान	५,५६,४८२ टन
१९४६	"	६,२०,५२३ "
१४ अगस्त १९४७ तक	"	४,७४,०३५ "
दिसम्बर १९४७ तक	इंडियन यूनियन	२,४२,३४६ "
मार्च १९४८ तक	"	१,४७,४४० "
दिसम्बर १९४८ तक	"	४,००,११० "

इतनी मिकदार में मट्टी के तेल के बंटवारे के बावजूद देश में इसकी कमी महसूस होती रहती है। कमी के मुख्य कारण संसार में मट्टी के तेल की पैदावार के साधनों की कमी, देश में यातायात की अपर्याप्तता वा तेल भरने के लिए टीन बनाने की प्लेटों का अभाव है।

हिन्दुस्तान में खेतीवारी

खेतीवारी के विषय में जो भी आंकड़े नीचे दिये गए हैं वह अविभाजित हिन्दुस्तान के उन्हीं प्रदेशों में सम्बन्धित हैं जो कि पश्चिम हिन्दुस्तान का भाग हैं। पाकिस्तानी प्रदेशों के आंकड़े इनमें सम्मिलित नहीं हैं।

१९४१-४६ में हिन्दुस्तान के प्रान्तों के कृषि सम्बन्धित कुल क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार था :

	(००० एकड़ जोड़ में)
सरकारी-पत्रों के अनुसार कुल क्षेत्र	४०,३०,४४
जंगलों का क्षेत्र	६,२४,६९
कृषि के लिए अप्राप्य	६,२४,१३
वह क्षेत्र जहां कृषि नहीं की गई	६,८४,४६
बंजर भूमि	३,४१,३७
वह क्षेत्र जहां कृषि की गई	१७,०८,०८
वह क्षेत्र जहां सिंचाई होती है	३,६३,२८
वह क्षेत्र जहां खेती एक से अधिक बार होती है	२,२३,२४

१९४१-४६ में भिन्न-भिन्न पदार्थों की खेतीवारी जिसमें क्षेत्र में की गई, इसका ब्यौरा इस प्रकार है :

	हिन्दुस्तानी प्रान्त	सिमावले	कुल
	(००० एकड़ जोड़ में)		
चावल	१,२८,४२	४३,४३	१,७१,८५
गेहूँ	१,४२,४०	७३,५६	२,१६,९६
ज्वार	२,१२,४०	१,७४,१३	३,८६,५३
बाजरा	१,१६,०१	१,१३,४६	२,२९,४७
मकई	२४,५६	२२,४७	४७,०३
रगी	२१,१८	११,१६	३२,३४

जौ	६२,४०	७	६२,४७
चने	१,४०,३६	११,४१	१,५१,७७
ईख	२६,६७	२,०७	२८,०४
तिल	२७,११	१०,३५	३७,४६
मूंगफली	६४,१४	३५,५६	१,०२,७३
तोरिया और सरसों	४२,०१	१,२२	४३,२३
अलसी	२५,१५	७,४५	३२,६०
एरंड	३,८१	१०,४५	१४,२६
कपास	६४,०८	४८,४१	१,१२,४९
पटसन	५,५०	३०	५,८०
चाय	६,३५	६५	७,३०
काफी (क)	१,२६,७६६	८५,०२८	२,११,२२७
तम्बाकू	८,३८	१,८४	१०,२२

(क) इसमें ००० नहीं जोड़ने हैं।

इन पदार्थों की कृषि के उत्पादन का व्योरा १९४५-४६ में इस प्रकार रहा :

(००० टन जोड़ लें)

	हिन्दुस्तानी प्रान्त	रियासतें	कुल
चावल	१,६६,२२	१५,४१	१,८१,६३
गेहूँ	४४,६६	१४,४६	५९,१२
ज्वार	३३,८२	२१,६५	५५,७७
बाजरा	१६,२७	१०,५४	२६,८१
मकई	१७,५८	२,६४	२०,५२
रागी	६,११	२,५६	११,७०
जौ	१६,५७	१	१६,५८
चने	३०,२४	१,१४	३१,३८

ईख	४१,६०	३,१८	४४,७८
तिल	२,६६	८८	३,५४
मूंगफली	२३,०२	११,६४	३४,६६
तोरिया व सरसों	७,०२	१२	७,१४
अलसी	२,६१	६१	३,२२
एरंड	३६	८७	१,२६
कपास (क)	१३,०४	८,१५	२१,१९
पटसन (क)	१४,२५	६१	१५,८६
चाय (ख)	४५,२७,१३ (घ)	४,८६,४८	४६,१६,६१
काफी (ग)	१,५५,८०	६६,२०	२,२२,००
तम्बाकू	२,८५	४६	३,३१

(क) ००० गांठें, हर गांठ का वजन ४०० पाउंड । (ख) ००० पाउंड

(ग) ००० नहीं जोड़ने हैं । (घ) यह संख्या सम्पूर्ण नहीं है ।

प्रति एकड़ के पीछे जितना उत्पादन होता है उसका स्पोरा १६४५-

४६ में इस प्रकार था :

	हिन्दुस्तानी प्रान्त (पाउंड)	रियासतें
चावल	७१५	६२०
गेहूँ	५८०	४५८
ज्वार	३५७	३१२
बाजरा	३१४	२१३
मकई	७१५	३१५
रागी	६५६	३०३
जौ	७०३	...
धाने	४८३	२००
ईस	३,१०४	४,०८६
तिल	२३०	२१३

सूंगफली	८०४	६५५
तोरिया व सरसों	३७४	२३२
अलसी	२५६	१८६
घुरंड	२२६	२५४
कपास	८१	८०
पटसन	१,०८७	८१३
चाय	६२६ (क)	५१५
काफी	२७५	२५३
तम्बाकू	६७२	५८७

(क) १९४४-४५ के आंकड़े । ४५-४६ के अप्राप्य ।

अलसी	३६,३२	३५,३५	३२,६३	३३,२०	३४,४६	३३,८३	३२,६०
पूरुंड	१०,०३	१०,१६	६,५५	१३,६०	१५,४१	१४,६६	१४,२६
कपाल	१,८२,१६	१,६७,४५	२,०४,६८	१,६०,६०	१,७४,२७	१,१४,१३	१,१३,४६
पटसन	७,६४	११,४३	७,७८	८,५२	७,०१	५,८१	५,८०५
चाय (ख)	७,२५	७,२६	७,२७	७,३१	७,३०	७,३०	७,३०
काफी (ग)	१८,२६,३८	१८,१०,१३	१८,०४,१२	१६,४४,७४	१६,८३,१६	२०,१४,१७	२१,१८,२७
तम्बाकू	६,४७	६,०७	६,८३	८,४५	७,१३	८,६७	१०,२२

(क) देशी रियासतों के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण कुछ वर्षों के आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं।

(ख) यह आंकड़े १६३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ और ४५ के हैं।

(ग) ००० नहीं जोड़ने हैं।

शुभ पशुओं की सेवतीयारी से उपजा का व्योरा १९३३-४० से १९४२-४६ तक इस प्रकार रहा-

(००० टन)

	१९३३-४०	१०-४१	४१-४२	४२-४३	४३-४४	४४-४५	४५-४६
आपन	१,८४,४३	१,६४,६६	१,४६,४६	१,८८,४३	२,०७,६३	१,६५,७८	१,८४,६३
सीट	२३,२१	६६,४४	६४,६६	६६,६७	६३,३७	६८,६३	६६,१२
आम	६६,८०	६६,७७
सामा	३१,६८	२६,८१
सार्क	२२,०६	२०,६२
सारी	११,२६	१८,६४	१८,४६	१७,७१	१७,६४	१६,३८	११,७०
सी	१८,२८	२१,१६	१८,२७	२०,२७	१८,६८	२१,३०	१६,६८
सी	२३,६७	२७,०२	२७,१६	३६,०३	२८,२३	३२,२६	३१,३८
सुंर	१७,७२	६०,४६	२७,०१	४४,४४	६०,६०	४७,२६	४६,४८
सिम	३,८२	४,०१	३,८१	४,२३	४,०६	३,६३	३,६४
सुंरसारी	३१,६६	३७,७२	३६,८३	३८,६८	३८,२३	३८,६६	३४,४६
सुंरसाम	५,६६	८,४६	८,३३	७,६१	६,६०	८,२६	७,१४
सुंरसारी	२,६६	४,४३	३,४६	३,६३	३,६६	३,८०	३,६३

पुरांड	१७	१,०५	६१	१,४६	१,४०	१,३१	१,२३
कपास (क)	३६,३०	४३,५७	४४,२४	३०,८६	३६,२६	२१,७३	२१,१६
पटसन (क)	१६,८८	२६,४६	१६,४७	१७,४६	१५,४१	१२,३६	१५,५६
चाय (ख)	३८,७२,६१	४०,०८,६२	४५,६६,४६	४६,००,२१	४६,७०,०३	४४,७६,०४	५०,१६,६१(ग)
काफी (घ)	१,५५,४६	१,४२,२६	१,७८,८६	१,६२,५७	१,७२,४०	१,७३,००	२,५२,००
तम्बाकू	३,४०	३,५५	३,५१	२,६३	२,५५	३,१७	३,३१

(क) ०० गांठें । हर गांठ में ४०० पाउंड ।

(ख) यह आंकड़े १६३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ और ४५ के हैं । ००० पाउंड

(ग) असम्पूर्ण आंकड़े ।

(घ) ००० नहीं जोड़ने हैं । केवल टन ।

मुख्य पैदावार

अब हिन्दुस्तान में पैदा होने वाली विभिन्न प्रमुख उपजों का ब्योरा दिया गया है :

चावल चावल बहुतायत से पश्चिमी बंगाल के सभी जिलों में, उड़ीसा के कटक और पुरी जिले में साम्बलपुर, मद्रास में गोंदावरी के पश्चिमी किनारे, बिंगलपुर, तंजौर और कनारा में होता है ।

मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, चम्पई, युक्तप्रान्त और आसाम के उत्तरी प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती है ।

हैदराबाद, मैसूर, काश्मीर और ग्वालियर में भी यह पैदा होता है । चावल हिन्दुस्तान के पूर्वी व दक्षिणी प्रदेशों में रहने वालों और अधिकांश हिन्दुस्तानियों की मूल खुराक है । देश में चावल का उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं हो पाता कि देश की कुल आवश्यकता पूरी हो सके । इस चावल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है ।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४६-४७ में हिन्दुस्तान में चावल की ८,१८,१०,००० एकड़ों में खेती हुई । ४२-४६ में ८,०७,३३,००० एकड़ों पर खेती हुई । ४६-४७ में उपज का अनुमान २,८१,४१,००० टन है, जब कि ४२-४६ में २,६६,७२,००० टन ही पैदावार थी । ४६-४७ के इस हिसाब में चावल की ३ प्रतिशत खेती के खेती का हिसाब जमा नहीं है ।

पहले सरकारी अनुमान के अनुसार १९४७-४८ की सीक पत्तु की चावल की खेती का क्षेत्र २ करोड़ ३१ लाख २६ हजार एकड़ है ।

प्रति एकड़ बीहे चावल की उपज का ब्योरा निम्न-निम्न देना में इस प्रकार है :

पाठ 'ड'

अविभाजित हिन्दुस्तान	७७१ (४६-४७)	बर्मा	६२४ (४५-४६)
चीन	१५४६	,"	स्याम ७५६
जापान	२०३० (४५-४६)	अमरीका	१३३४ (४६-४७)
इटली	२४३१ (४६-४७)	स्पेन	२३५८
ईजिप्ट	२०२४	,"	

अपनी मांग पूरी करने के लिए एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों से १६४८ में हिन्दुस्तान ८,६३,५०० टन चावल का आयात कर रहा है, जिसका मूल्य ४६८० करोड़ रुपये होगा।

विभाजन के पहले पंजाब ही हिन्दुस्तान में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन केन्द्र था, अब यह स्थान युक्तप्रान्त ने ले लिया है। पूर्वी पंजाब मध्यप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, कुछ हद तक राजपूताना की रियासतों और हैदराबाद में इसकी पैदावार होती है।

देश के उत्तरी प्रदेश गेहूं की खुराक पर ही निर्भर रहते हैं। इसकी पैदावार और खपत में पिछले युद्ध के दिनों में सन्तुलन नहीं रहा था। अब बहुतायत से गेहूं पैदा करने वाले इलाकों के पाकिस्तान में चले जाने से इस सम्बन्ध में कठिनाइयां बढ़ गई हैं।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १६४६-४७ में हिन्दुस्तान में ३,४१,२१,००० एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती हुई। ४५-४६ में यह क्षेत्र ३,४६,७७,००० एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान ७७,८८,००० टन है जबकि ४५-४६ में ६०,३८,००० टन पैदावार थी। ४६-४७ के इस हिसाब में गेहूं की २ प्रतिशत खेती के क्षेत्रों का हिसाब जमा नहीं है।

पहले सरकारी अनुमान के अनुसार १६४७-४८ के शीत ऋतु की गेहूं की खेती का क्षेत्रफल २ करोड़ १३ लाख १७ हजार एकड़ है। इसमें मध्य भारत, गुजरात व कर्नाटक की कुछ रियासतों का क्षेत्रफल

जमा नहीं है, जिसका क्षेत्र १६४६-४७ में ४२,२७४ एकड़ था।

भिन्न-भिन्न देशों में गेहूँ की उपज का तुलनात्मक व्यौरा इस प्रकार है :

	१६४६	प्रति एकड़ से गेहूँ की उपज (बुनाल)	
हिन्दुस्तान	६.६	इटली	२०.३
अर्जेंटीन	१५.१	रूस	१०.७
केनाडा	१७.२	चीन	१५.६
आस्ट्रेलिया	६.३	तुर्की	१६.६
अमरीका	१७.२	चेकोस्लोवाकिया	२३.६

हिन्दुस्तान के प्रान्तों में प्रति व्यक्ति पीछे गेहूँ की उपज (१९३३ में १६३६ तक के आंकड़ों के अनुसार) इस प्रकार है :

दिल्ली	२५४	मध्य प्रान्त	६७	बंगाल	१९
पंजाब	२१०	बम्बई	५७	मद्रास	३.४
युक्तप्रान्त	१०३	बिहार उड़ीसा	२६	आन्ध्र प्रदेश	४
				गुजरात	४

देश में गेहूँ की कमी पूरा करने के लिए १९३० में हिन्दुस्तान विदेशों से (विशेषकर आस्ट्रेलिया और अमरीका से) १४,०६,००० टन गेहूँ खरीदा था, जिसका मूल्य ३५,०१ करोड़ रुपये होगा।

गेहूँ की उपज जो भी पैदावार भी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सुराभान्त में, फिर बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल के बांगला, सिन्ध के अलावा इलाके में, जयपुर व मथुरा-संघमें होती है। देश में दूसरी बारी उपज है बम्बई, मद्रास, ईशान्य, मध्यप्रान्त और युक्तप्रान्त में बिहार की पैदावार बहुततरह से होती है। आन्ध्रप्रदेश व मध्यप्रान्त की भाँ-पूजावा दो विभागों में भी दूसरी उपज होती है।

इस अभाव की हिन्दुस्तान के दूसरे बारी दूसरे बरसात की

जनता की ही अधिक मांग रहती है। जानवरों के खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।

१९४६-४७ के अन्तिम अनुमान के अनुसार ३ लाख ६० हजार एकड़ भूमि पर ज्वार की खेती हुई जबकि ४५-४६ में इस खेती का क्षेत्र ३ लाख ६४ हजार एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान ४२ लाख ७६ हजार टन था जबकि ४५-४६ में ५५ लाख २३ हजार टन ज्वार पैदा हुई थी।

मद्रास, पूर्वी पंजाब के हिसार व रोहतक के वाजरा जिलों में, युक्तप्रान्त, हैदराबाद व राजपूताना की रियासतों में वाजरे की उपज होती है। लौराष्ट्र की रियासत भावनगर में वाजरा बहुतायत से पैदा होता है। मध्यप्रान्त, बिहार व उड़ीसा में भी इसकी बहुत थोड़ी पैदावार होती है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में १९४६-४७ में वाजरा की खेती २,३७,२४,००० एकड़ भूमि पर हुई। ४५-४६ में यह क्षेत्र २,५३,८४,००० एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान २६,६४,००० टन था जबकि ४५-४६ में ३१,६५,००० टन वाजरा पैदा हुआ था।

मकई की पैदावार बहुतायत से युक्तप्रान्त, मकई बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल प्रदेश में, कुछ मध्यप्रान्त, मद्रास व पश्चिमी बंगाल में होती है। हैदराबाद और काश्मीर में भी इसकी उपज होती है।

१९४६-४७ के अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में मकई की खेती ८८,१४,००० एकड़ में की गई जबकि ४५-४६ में इसकी कृषि का क्षेत्रफल ८७,७४,००० एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान २३,७३,००० टन था जबकि ४५-४६ में मकई की पैदावार २४,८३,००० टन थी।

चने

य राजपूताना की रियासतों में भी चना बहुतायत से होता है ।

रागी

ईस

पैदावार होती है ।

चीनी का उत्पादन

इसका प्रान्तवार हिसाब इस प्रकार है :

प्रान्त	१९४७-४८	१९४६-४७
संयुक्त प्रान्त	६३	६३
बिहार	२६	२६
पूर्वी पंजाब	१	१
मद्रास	११	११
पन्जाब	१०	१
पश्चिमी बंगाल व ताम्रान	३	३
उड़ीसा	१	१
रियासतें	१६	१०
<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	१३४	१३४

चनों की अधिक उपज युक्तप्रान्त, पूर्वी पंजाब, बिहार और मध्यप्रान्त में होती है । हैदराबाद में भी इसकी काफी पैदावार होती है । मैसूर

१९४७-४८ के पहले सरकारी अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में रागी (मन्डुआ) की कृषि का क्षेत्र २५ लाख ३५ हजार फुट है ।

इसकी उपज का सबसे बड़ा केन्द्र युक्तप्रान्त है । बिहार, पूर्वी पंजाब, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, व हैदराबाद में भी इसकी

१९४७-४८ । हिन्दुस्तान में इस वर्ष जोभी बनाने के लिये फारसियों ने काम किया उसकी संख्या अन्तिम अनुमान के अनुसार १२४ है ।

कुछ पिछले वर्षों से चीनी के उत्पादन का इतिहास इस प्रकार रहा है :

	निर्माण (००० हंड्रेडवेट)	आयात (००० टन)
१९३८-३९	१३४०४	३५.७
१९४२-४३	२१७५१	०.५
४३-४४	२२५०७	...
४४-४५	२१६३७	...
४५-४६	१६६३१ क	...

(क) अनिशिक्त (प्रोवियनल) । केवल नवम्बर, दिसम्बर-१९४६ व जनवरी १९४७ के आंकड़े ।

जुलाई १९१४ = १०० के मूलांक के हिसाब से औसत चीनी (चीनी, देसी खांड व गुड़) की कीमतों का मूलांक १९४६-४७ में इस प्रकार रहा :

१९४६	मार्च	३५८	अक्टूबर	३७९
	अप्रैल	३४८	नवम्बर	४३९
	मई	३९४	दिसम्बर	५१५
	जून	३८९		
१९४७				
	जुलाई	३६८	जनवरी	४९५
	अगस्त	३६८	फरवरी	५५६
	सितम्बर	३७४	मार्च	५०५

चाय

हिन्दुस्तान में चाय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा केन्द्र आसाम है । त्रावंकोर रियासत, मद्रास, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों, त्रिपुरा रियासत, युक्तप्रान्त और कुछ बिहार व उड़ीसा में भी इसकी पैदावार होती है ।

पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाइगुरी जिलों में इसकी पैदावार बहुतायत से है।

हिन्दुस्तान से निर्यात होने वाली कृषि उपजों में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है।

चाय का उत्पादन व निर्यात

उत्पादन-मिलियन (दत्त लाख) पौंड	निर्यात (००० पौंड)
१९३८	३७०.६६
१९४२	४७५.३६
१९४३	४५२.३३
१९४४	४०७.५६
१९४५	४३४.७१
१९४६	४८४.१२

(क) दिसम्बर १९४६ तक। १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं।

मार्च से दिसम्बर १९४६ तक औसत चाय (पकीय सोना, कामन, पीका, मीडियम प्रोक्न व फायरम पीका) की कीमतों का सूचकांक (सूचकांक १९३६ = १००) १६४ रहा। इसके बाद १९४७ के जनवरी, फरवरी व मार्च में यह क्रमशः १६५, १६४ व २०१ रहा।

बाफी

बाफी उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान में सुविधा में विद्यमान है—शेखर मैसूर, पूर्वी बाँस प्रदेश में ही इसकी पैदावार होती है।

धरे-धरे चाय की तरह बाफी-चाय का उत्पादन देश में बढ़ रहा है। बाफी का निर्यात भी होगा है।

होता है और कुछ हद तक काश्मीर के जम्मू प्रान्त, जयपुर, युक्तप्रान्त और आसाम में इसकी पैदावार होती है।

मूंगफली बहुतायत से मद्रास, हैदराबाद, बम्बई और मैसूर के मध्यप्रान्त में पैदा होती है। पूर्वी पंजाब के रियासती इलाके, राजपूताना की रियासतों व ग्वालियर में भी कुछ हद तक इसकी उपज होती है।

इससे निर्मित तेल व घी का प्रयोग हिन्दुस्तान में बढ़ गया है। मूंगफली का निर्यात भी होता है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४६-४७ में मूंगफली की खेती का क्षेत्र ६६,६०,००० एकड़ था जबकि ४५-४६ में यह कृषि क्षेत्र १,०२,७३,००० एकड़ था। ४६-४७ में पैदावारका अन्दाजा ३४,६२,००० टन है जबकि ४५-४६ में इसकी उपज ३४,६६,००० टन थी।

इस बीज के मुख्य उत्पत्ति स्थान युक्तप्रान्त, अलसी बिहार, मध्यप्रान्त, हैदराबाद व राजपूताना की रियासतें, बम्बई, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाके व काश्मीर रियासत हैं।

४६-४७ में अन्तिम अनुमान के अनुसार ३२,८८,००० एकड़ भूमि में इसकी खेती की गई। ४५-४६ में यह खेती ३३,३४,००० एकड़ पर की गई थी। ४६-४७ में उपज का अनुमान ३,४६,००० टन है जबकि ४५-४६ में ३,६३,००० टन उपज हुई थी। ४६-४७ के इस हिसाब में ७ प्रतिशत खेती का विवरण जमा नहीं है। ४७-४८ के पहले सरकारी अनुमान के अनुसार इसकी शीत ऋतु की खेती के क्षेत्र का अनुमान २० लाख ७७ हजार एकड़ है।

यह तैल-बीज बहुतायत से युक्तप्रान्त, पूर्वी तोरिया व सरसों पंजाब व बिहार में पैदा होते हैं। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, वड़ौदा, बम्बई, मध्य

प्रान्त, मद्रास व राजपूताना, ग्वालियर, काश्मीर और हैदराबाद की रियासतों में भी इसकी उपज होती है।

४६-४७ में श्रान्तिम अनुमान के अनुसार २२,४८,००० एकड़ भूमि पर इनकी खेती की गई जबकि ४१-४६में २२,३२,००० एकड़ भूमि पर खेती हुई थी। ४६-४७ में उपज का अनुमान १०,०२,००० टन है जबकि ४१-४६ में ६,१६,००० टन पैदावार हुई थी। इस हिसाब में ६ प्रतिशत खेती का हिसाब जमा नहीं है। ४७-४८ के प्रथम सरकारी अनुमान के अनुसार इन बीजों की शीत प्रवृत्ति की खेती १२ लाख २२ हजार एकड़ भूमि पर हुई।

इस बीज की सर्वाधिक उत्पाति गुजरात में तिल होती है। बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त, हैदराबाद पश्चिमी बंगाल, बिहार व राजपूताना व ग्वालियर की रियासतों में भी यह पैदा होता है।

तिल की खेती अनुमान के अनुसार ४६-४७ में ३७,२२,००० एकड़ भूमि पर हुई जबकि यह ४१-४६ में ३६,३६,००० एकड़ पर खेती हुई थी। इसकी उपज का अनुमान ४६-४७ में ३,४४,००० टन था जबकि पैदावार ४१-४६ में ३,८८,००० टन थी।

४६-४७ के आंकड़ों में तिल की १४ प्रतिशत खेती के आंकड़े जमा नहीं हैं।

४७-४८ में दूसरे सरकारी अनुमान के अनुसार इसकी शीत प्रवृत्ति की खेती का क्षेत्र हिन्दुस्तान में ३० लाख ७२ हजार एकड़ है।

एरंड की सर्वाधिक खेती हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रान्त, मीरत व पंजाब में होती है। तिल की दूसरी खेती यहाँ में भी इसकी पैदावार होती है।

सर्वांग मात्रा में एरंड बीज और एरंड के तेल का हिन्दुस्तान में निर्यात होता है।

इसकी पैदावार का अनुमान ४६-४७ में १,२१,००० टन है जबकि एरंड के बीज ४५-४६ में १,२३,००० टन पैदा हुए थे।

हिन्दुस्तान के कृषक को पैसा देने वाली पैदावारों में से कपास बहुत महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग, सूती कपड़े का बुनना व सूत कातना, भी इसी उपज पर निर्भर है। पश्चिमी बंगाल व बिहार के कुछ जिलों, कुर्ग, बंगलोर और मद्रास के दक्षिण में स्थित रियासतों को छोड़कर कपास थोड़ी-बहुत मात्रा में सारे हिन्दुस्तान में पैदा होती है।

बहुतायत से इसकी उपज मध्यप्रान्त, बम्बई, सौराष्ट्र, हैदराबाद, पूर्वी पंजाब के जिलों व रियासतों, मद्रास, युक्तप्रान्त और मध्य भारत की रियासतों में होती है।

पंजाब के विभाजन से हिन्दुस्तान से बढ़िया कपास पैदा करने वाले कुछ क्षेत्र कट गए हैं।

कपास की भिन्न-भिन्न किसमें जिन-जिन प्रदेशों में पैदा होती है उनका व्योरा यह है :

प्रान्त-प्रदेश	किस	प्रान्त-प्रदेश	किस
पूर्वी पंजाब	बंगाली व अमरीकन	बड़ौड़ा व रेवा	ब्रोच
संयुक्त प्रान्त	बंगाली	सुरत नवसारी	सुरती (ब्रोच)
राजपूताना	बंगाली	मध्य भारत	ऊमरा
बिहार	बंगाली		
आसाम	कोमिला	मध्यप्रान्त	ऊमरा व वीरम
सौराष्ट्र	ढोतरा	हैदराबाद	ऊमरा, गावरानी दक्षिणी

बम्बई	दक्षिणी व		
	बनिला	मद्रास	दक्षिणी हिन्दोवेस्ली
			कन्नोदिया
मैसूर	दक्षिणी		

हिन्दुस्तान में अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४६-४७ में कपास की कृषि का कुल क्षेत्र १,४८,६०,००० एकड़ था। इसकी खेती ४५-४६ में १,४६,६८,००० एकड़ पर हुई थी। ४६-४७ में उपज का अनुमान ३५,६६,००० गांठें हैं जबकि ४५-४६ में ३५,३०,००० गांठें पैदा हुई थीं।

अनुमान है कि १९४७-४८ में देश में रई की कुल ३२ लाख गांठों की पैदावार होगी।

विभाजन के पहले हिन्दुस्तान के पाय कपास के उत्पादन का अधिकाधिकार था। अब दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों में, बिहार के उत्तरी प्रदेश में, आसाम, उड़ीसा और कुछ युक्तप्रान्त में इसकी पैदावार बढ़ गई है। कलकत्ता के पटसन के बड़े उद्योग के लिए हिन्दुस्तान की अब पाकिस्तान के निर्यात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

त्रिपुरा	१२,०००
बिहार	१,६३,८००
उड़ीसा	२२,५००
आसाम	२,१०,३००

कुल ७,४६,१२० एकड़

हिन्दुस्तान में प्रति एकड़ से औसतन १०२७ पाउंड (१६४७-४८) पटसन पैदा होता है।

दुनिया में पटसन की खपत कम होती जा रही है, इसका व्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	खपत (लाख गांठों में)
१९३६-४०	११२.७
१९४०-४१	७६.०
१९४१-४२	८८.१
४२-४३	८८.४
४३-४४	७७.१
४४-४५	७७.१

पटसन को कपड़े में बुनने वाली खड्डियों का अनुपात दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों में १९४० में इस प्रकार था :

देश	खड्डियों की संख्या	दुनिया का प्रतिशत
हिन्दुस्तान	६८,४१६	५७.०
जर्मनी	६,६००	८.०
ब्रिटेन	८,५००	७.१
फ्रांस	७,०००	५.८
दक्षिणी अमरीका	६,०००	५.०
इटली	५,०००	४.१
शेष देश	१५,५५५	१३.०
कुल	१,२०,०७१	१००.०

देश से कच्चे पटसन के निर्यात का इतिहास पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार रहा है :

सन्	(००० टन) निर्यात
१९३८-३९	६६०.५
४२-४३	२४२.८
४३-४४	१७७.४
४४-४५	१६०.२
४५-४६	३३८.४
४६-४७	२२२.३ (क)

(क) दिसम्बर ४६ तक १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं।

कलकत्ता में कच्चे पटसन की कीमतों के मूलांक।

(मूलांक : जुलाई १९१४ की कीमतें=१००)

१९४६ मार्च	१२७	अक्टूबर	२०७
अप्रैल	१२६	नवम्बर	२५३
मई	१३२	दिसम्बर	२१६
जून	१३२	जनवरी १९४७	२५६
जुलाई	१३४	फरवरी	२५०
अगस्त	१३४	मार्च	२४७
सितम्बर	१३४		

पटसन (कपड़े व सूत) का उत्पादन व निर्यात

उत्पादन कपड़े व सूत सहित

(००० टन)

निर्यात

(टन)

१९३८-३९

१२२१.५

२५६,३०२

१९४१-४२

१२५८.८

.....

पिछले वर्षों से हिन्दुस्तान में चावल की हर एकड़ से उपज कम होती गई है जबकि दूसरे देशों में इसकी उपज का अनुपात बढ़ा, यह इस तालिका से पता चलेगा :

देश	१६०६-१२	२६-२७	से ३१-३२	से ३६-३८	३७-३८	३८-३९
		३०-३१	३२-३६			

हिन्दुस्तान

(बर्मा सहित)	६८२	८२१	८२६	८६१	८२६	७२८
अमरीका	१०००	१३३३	१४१३	१५०५	१४७१	१४६६
जापान	१८२७	२१२४	२०५३	२३३६	२२०५	२२७६
ईजिप्ट	२११६	१८४५	१७६६	२०८३	२००१	२१५३

हर एकड़ से गेहूँ की पैदावार की उपज भी हिन्दुस्तान में सबसे कम है :

हिन्दुस्तान	६३६	पौंड
अमरीका	८४६	"
कैनाडा	६७२	"
ऑस्ट्रेलिया	७१४	"
यूरोप	११४६	"
हालैंड	१६७०	"

सिंचाई और विजली की नई योजनाएं

हिन्दुस्तान की शस्य रयामता भूमि आज इतना अनाज नहीं पैदा कर पाती कि उसके ३० करोड़ वर्षों की भूय प्रतिदिन मिट सके । फलस्वरूप सरकार को लगभग ११० करोड़ रुपये खर्च करके प्रायः वर्ष अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है । देश में अन्न आपूर्ति हो सक्ती है,

बरसात के पानी की कमी नदियों के पानी से पूरी हो सकती है, फिर इस सुजलां भूमि पर कभी भी अकाल क्यों पड़े और अनाज का अभाव क्यों हो ?

प्रकृति से अपना अर्थ पूरा करवाने के उद्देश्य से इस समय कितनी योजनाएं बनी हैं, आगे उनका वर्णन है। पिछले तीन वर्षों में बाहर से अनाज के आयात पर जितना खर्च हुआ है उससे कोसी, दामोदर, महानदी, भकरा और शायद पानी पर बांध बांधने की एक या दो और योजनाएं पूरी हो सकती थीं। इन सब योजनाओं के पूरा होने पर हिन्दुस्तान में फिर कभी बंगाल-सा दुर्भिक्ष (१९४३) नहीं पड़ सकता। हमारे देश में अन्न की कमी नहीं रहेगी और बहुत मात्रा में बिजली की उपज होगी जिससे कल-कारखानों, रेलों और ग्रामीण उद्योगों के विकास वा प्रसार को सहायता मिलेगी।

देश में जलीय साधनों की तो कमी नहीं है लेकिन उनका प्रयोग अब तक बहुत सीमित मात्रा में हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि देश की नदियों व स्रोतों में जितना पानी है उसके केवल ६ प्रतिशत भाग का अब तक उपयोग किया गया है। जल का अधिकांश केवल व्यर्थ ही नहीं जाता, समुद्र तक पहुंचते-पहुंचते प्रचुर नुकसान भी करता है।

पानी के प्रयोग से देश में इस वक्त लाख किलोवाट से अधिक बिजली नहीं बन रही। अनुमान लगाया गया है कि हिन्दुस्तान में जलीय साधनों से ४ करोड़ किलोवाट बिजली तैयार की जा सकती है।

जो योजनाएं इस समय देश की केन्द्रीय, प्रान्तीय, व रियासती सरकारों के सामने प्रस्तुत हैं उनके सम्पूर्ण होने पर देश की नहरी सिंचाई के आज के ४ करोड़ ८० लाख एकड़ क्षेत्र में २ करोड़ ७० लाख एकड़ की वृद्धि हो जायगी और बिजली का उत्पादन ५ लाख किलोवाट से ६५ लाख किलोवाट के लगभग हो जायगा।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामने निम्न योजनाएं विचारा-

धीन हैं अथवा इन पर काम शुरू हो गया है (१) उड़ीसा में महानदी वैली योजना (२) नेपाल और बिहार में दामोदर वैली और (३) कोसी बांध की योजना (४) बम्बई, मध्यप्रान्त, बड़ौदा व सीराफ़ में नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती से सम्बन्धित योजनाएं (५) बस्तर रियासत में इन्द्रावती और सावरी योजनाएं (६) आसाम में ब्रह्मपुत्र, बरथ और सोमेश्वरी वैली की योजनाएं और (७) बिहार, युक्तप्रान्त और देवा रियासत में सोनवैली योजनाएं ।

इनके अतिरिक्त प्रान्तीय वा रियासती सरकारों निम्न योजनाओं पर ध्यान दे रही हैं :

पूर्वी पंजाब : भकरा बांध की योजना ।

युक्त प्रान्त : रिहद बांध की योजना ।

नाथर बांध की योजना । रामगङ्गा बांध की योजना ।

पश्चिमी-बंगाल : मोर योजना ।

मद्रास : तुङ्गभद्रा योजना । रामपद सागर योजना ।

कुर्ग : लक्ष्मणतीर्थ योजना । हरङ्गी योजना । बरॉले योजना ।

पटियाला : टोची बांध की योजना ।

कोटा, मेवाड़ व इन्दौर की रियासतें : चम्पल योजना ।

भकरा बांध की योजना

१. इस योजना से पंजाब के रोहतक व हिसार के बंजर जिलों की २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

२. सतलज नदी पर भकरा (बिलासपुर) पर ४५० फुट ऊंचा बांध बंधेगा जो ३५ लाख एकड़ फुट पानी को बांधे सकेगा ।

३. इससे २०० मील लम्बी नहरें निकाली जायेंगी जो ४५ लाख एकड़ भूमि को प्रभावित कर सकेंगी ।

४. इस योजना से १,६०,००० टिज़ोपेट बिजली पैदा की जा सकेगी ।

५. समस्त योजना पर ३० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

नंगल की योजना

१. भकरा बांध की स्थिति से ८ मील नीचे नंगल की बिजली बनाने की योजना बनाई गई है। दो बिजली-घर बसाए जायेंगे। जो ४८,००० किलोवाट बिजली बनाएंगे।

२. भकरा बांध के सम्पूर्ण होने पर बिजली उत्पादन की इनकी सामर्थ्य १,४०,००० किलोवाट कर दी जायगी।

३. योजना पर २२ करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है।

दामोदर वैली योजना

१. बंगाल व बिहार प्रान्तों में कलकत्ता के उत्तर पश्चिम में दामोदर वैली स्थित है, दामोदर नदी ८५०० वर्ग मील भूमि को प्रभावित कर सकती है।

२. इस योजना से लगभग ८ लाख एकड़ भूमिकी सिंचाई होगी और साढ़े तीन लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी।

३. इस योजना से ५० लाख ग्रामीणों व २० लाख शहर में रहने वालों को लाभ पहुंचेगा।

४. इस योजना से हुगली में रानीगंज की कोयले की खानों तक नौकाओं का चलना आसान हो जायगा।

५. योजना को कार्यान्वित करने के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन का निर्माण हुआ है। बंगाल, बिहार व केन्द्र की सरकारें इसकी हिस्सादार बनी हैं।

६. समस्त योजना में पानी को बांधने के लिए ८ बांध बनाए जायेंगे।

७. इस योजना से बंगाल व बिहार दोनों लाभ उठायेंगे। विशेषतया विनाशकारी बाढ़ों का खतरा सदा के लिए टल जायगा।

८. जो भिन्न-भिन्न बांध बंधेंगे उनमें ३५ लाख ६६ हजार एकड़ फीट पानी जमा हो सकेगा।

९. दामोदर नदी इस वक्त वर्धवान जिले में केवल १,८६,०००

एकड़ भूमि की सिंचाई करती हैं। योजना पूरी हो जाने के बाद ददंवान बांकुड़ा, हुगली और हावड़ा जिलों की ७,६३,८०० एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव होगी। अब तक इस प्रदेश में साल में एक बार ही कृषि होती है। योजना के बाद दो खेतियां सम्भव होंगी।

१० योजना पर लगभग ११ करोड़ रुपया व्यय होगा—इसमें से २८ करोड़ बिजली की उत्पत्ति पर, १३ करोड़ सिंचाई के प्रयुक्तियों पर और १४ करोड़ बाढ़ रोकने के साधनों पर लगेंगे।

मोर बांध की योजना

१. बिहार के सन्थाल परगना प्रदेश में मोर दरिया पर एक बड़ा बांध बांधा जायगा।

२. बंगाल में बूरी दरिया पर भी बांध बंधेगा, और द्वारका, ब्रह्मनी, बक्रेश्वर और कोपाई—इन छोटे-छोटे दरियाओं को इस बांध से सम्बन्धित करेगा। इनसे जो नहरें निकाली जायेंगी वह वीरभूम जिले के ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेंगी।

३. मोर बांध के अन्तर्गत इन दोनों बांधों के पूरा होने पर ३,००० किलोवाट बिजली बनाने वाला एक छोटा बिजली-घर भी बनाया जायगा।

४. इस योजना से मुख्यतया बंगाल को ही लाभ पहुँचेगा लेकिन योजना का मुख्य बांध बिहार में बनेगा। योजना के २ भाग हैं, पहला भाग जो बिहार में पूरा होगा, दूसरा जो बंगाल में बनेगा।

५. बंगाल में बनने वाले भाग पर ४ करोड़ ३८ लाख रुपया व्यय होगा। बिहार में बनाए जाने वाले बांध के पूरा होने तक बंगाल की योजना भी पूरे तौर पर नहीं बनेगी। जो हिस्सा बिहार में बनेगा उसमें १ लाख २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई और १६ लाख ३० हजार मन अधिक चावल की पैदावार होगी।

६. सारी योजना के पूरा होने से बंगाल राज्य में ८८ लाख मन चावल की अधिक पैदावार होगी।

कोसी योजना

१. इस योजना पर लगभग ६० करोड़ रुपया खर्च होगा और यह १० वर्ष में पूरी होगी ।

२. नेपाल में छत्रा के मुख पर, बराह-क्षेत्र स्थान पर, एक ७५० फुट ऊंचा बांध बांधा जायगा ।

३. बांध पर बिजली बनाने का एक बड़ा कारखाना लगाया जायगा । यह कारखाना १३ लाख किलोवाट बिजली तैयार करेगा ।

४. कोसी दरिया पर नेपाल में ही एक और बांध बनाया जायगा ।

५. नेपाल बिहार की सीमा पर एक दूसरा बांध बनेगा जिसके दाहिने किनारे से दो नहरें निकाली जायंगी ।

६. कोसी के बंधे पानी से गंगा तक नौकाएं चलाने की सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

७. इस समय कोसी में जिसे तीन दरियाओं—सनकोसी, अरुण और तमूर का पानी मिलता है अक्सर बाढ़ आती रहती है । इससे हजारों वर्ग मील भूमि व्यर्थ हो जाती है; तबाही के साथ मलेरिया अलग फैलता है । बिहार के दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के जिलों को सब से अधिक हानि उठानी पड़ती है । कोसी योजना के पूरा होने पर बाढ़ें न आ पायेंगी और मलेरिया भी न फैलेगा ।

८. नेपाल और बिहार की बाढ़ों के कारण व्यर्थ हुई ३००० वर्ग मील भूमि फिर से काम में लाई जा सकेगी ।

९. तीस लाख एकड़ से अधिक नई भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी ।

महानदी योजना

१. उड़ीसा में सम्बलपुर शहर से ६ मील ऊपर हीराकुड़ स्थान पर महानदी दरिया पर एक बांध बंधेगा जिससे कि ५० लाख एकड़ फीट पानी जमा किया जा सकेगा ।

२. दरिया के दोनों तरफ बांध से दो नहरें निकलेंगी जो कि

११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी। इससे साढ़े तीन लाख मन खाद्य की अधिक उपज हो सकेगी।

३. बिजली के दो कारखाने बनेंगे; एक बांध पर, दूसरा बांध से १२ मील नीचे। यह दोनों ३० किलोवाट बिजली तैयार करेंगे।

४. सारी योजना पर ४७½ करोड़ रुपया खर्च होने की सम्भावना है। पहले ६ या ७ वर्षों में आवश्यक योजना पूरी हो जावगी; इन पर लगभग ३० करोड़ रुपया व्यय होगा।

५. १ करोड़ ६५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव होगी।

६. सारी योजना की तीन ंडकाइयां होंगी—हीराकुंड, टिकरपारा और नरज पर बांधों की योजनाएँ। बांधों की तीनों योजनाओं से अलग-अलग नहरें निकलेंगी और तीनों पर अलग-अलग २ बिजली घर बनेंगे। सबसे पहले हीराकुंड योजना पर काम आरम्भ है।

नर्मदा और ताप्ती नदियों से सम्बन्धित योजनाएँ

१. नर्मदा और ताप्ती में बाटें आ जाने से काफी क्षति होती रहती है। इसलिए इन पर बांध बांधने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

२. इन योजनाओं से १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

३. मध्यप्रान्तमें = ऐसे स्थान देखे गए हैं जहां कि बांधकी योजना पूरी हो सकती है। उन स्थानों की जांच हो रही है।

४. इस योजना में केन्द्र, राज्य व मध्यप्रान्त की सरकारों के अलावा १५ फ़ीसो रियासतें, जो हिन्दुस्तान का अंग इन चुकी हैं, सहयोग दे रही हैं।

पशुधन

दुनिया भर में (१९३७-३८ के एक हिसाब के अनुसार) गाय, बैल व भैसों की संख्या का व्यौरा इस प्रकार है : इसमें हिन्दुस्तान के आंकड़े १९४० के हैं—

	गाय बैल	भैस
	(००० जोड़ लें)	
अफ्रीका	५,११,६२	६,६६
यूरोप(रूस सहित)	१५,८१,२६	१२,४५
उत्तरी व केन्द्रीय		
अमरीका	६,४४,८६
ओशियाना	१,७८,६८	४
दक्षिणी अमरीका	१०,२६,६६
एशिया(भारत को छोड़कर)	५,६१,१५	२,७६,२५
भारत	१६,६१,६६	४,६५,५१
	<hr/>	<hr/>
जोड़	६५,०६,५२	७,६४,२१
भारत में पशुओं का अनुपात	२५.५	६०.६

दुनिया भर में पशुओं के आंकड़े तैयार करने का कोई विश्वस्त तरीका नहीं बरता जाता, इसलिए इन आंकड़ों का पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता । प्रवृत्ति मात्र को जानने के लिए ही यह आंकड़े समुचित होते हैं ।

हिन्दुस्तान में पशुओं की संख्या काफी बढ़ी है लेकिन आवादी के प्रति १०० व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या दूसरे देशों से काफी कम है । इसका हिसाब इस प्रकार है :

वर्ग मील में पशु

प्रति १०० व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या

अर्जन्टीन	२१	२५६
आस्ट्रेलिया	४	१६१
कैनाडा	२	७७
डेन्मार्क	१६५	२६
इंग्लैंड	११७	१७
फ्रांस	७२	३७
जर्मनी	११०	२६
अमरीका	२२	५२
न्यूज़ीलैंड	४४	२२१
भारत	१३५	५५

हिन्दुस्तान में पशुओं की गणना का पहला प्रयाग १६१६-२० में हुआ और पांचवां १६४० में। १६४० की पशु-गणना में युक्तप्रान्त, उड़ीसा व रियासती प्रदेशों के २१ प्रतिशत भाग में हिस्सा नहीं लिया। इस पशु-गणना का व्योरा इस प्रकार है :

	गाय धेंल	भैंस
ब्रिटिश भारत (जहाँ गणना हुई)	२०६७४७६५	२२४१५४२२
देशी रियासतें	४७००२६००	१३३४५०२२
जहाँ गणना नहीं हुई, वहाँ के अनुमान	३१४००५३२	१०७६०७६२
जोड़	१६,६१,६५,६०५	४,६५,५१,५३६

१६४० की पशु-गणना के अनुसार हमारे पशुधन का निम्न व्योरा इस प्रकार है :

प्रान्त	एक वर्ग मील में गाय-बैल	योग से अनुपात	एक वर्ग मील में बैल	योग से अनुपात
आसाम	१०८	३.६	१०	१.२
बंगाल	२२२	१३.६	१४	२.३
बिहार	१८१	७.६	४२	६.२
बम्बई	२४	४.३	२२	६.२
मध्यप्रान्त व वरार	८५	६.७	१६	४.६
मद्रास	१२६	८.६	४६	१३.२
उड़ीसा (क)	१२२	२.६	१२	०.८
सीनाप्रान्त	५६	०.५	२०	०.६
पंजाब	६३	५.६	६२	१३.२
सिन्ध	३८	१.१	१३	१.३
युक्तप्रान्त (क)	२१८	१४.०	८७	२०.४
रियासतें	६८	२२.६	३५	२४.४
बाकी (क)	३८	८.२	६	६.६

योग

१०६

३०

(क) पुरानी गणनाओं के अनुसार अनुमानित आंकड़े ।

देश के पशुधन में तरक्की हो रही है या अवनति, यह जानने के लिए पर्याप्त रूप में आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । अब तक जो पांच पशु-गणनाएं हुई हैं उन सब में जिन प्रदेशों में हर बार पशुगणना हुई है वहां की पशु संख्या का हिसाब इस प्रकार है :

इन आंकड़ों में देश के केवल ४४ प्रतिशत गाय बैल व ५५ प्रतिशत भैलों का हिसाब है—लेकिन ये आंकड़े देश में इस ओर की प्रवृत्ति की तरफ इशारा कर सकते हैं :

(००० जोड़ लें १९१६-२० १९२४-२५ १९२६-३० १९३५ १९४०
गाय बैल ६५५२६ ७०४२८ ७४२८ ७७८०१ ७२६४०

१९१६-२० से अनुपात १००	१०१.३	१०७.८	१११.६	१०४.६
भैंसों	२०२.४४	२११.८६	२२८.८५	२४१.४५
१९१६-२० से अनुपात १००	१०४.१	११२.५	१२२.५	११८.७

देश के पशु योक्त उठाते हैं, दूध देते हैं, खेतीबारी के लिए जोते जाते हैं, अनाज को भूसे से अलग करते और खेतीबारी की उपज को मंडियों तक पहुँचाते हैं। इनके गोबर का चूँके चूल्हे व गाँवों की भोंपड़ियों के लेपन में प्रयोग होता है। इनकी खाल, चमड़ी, नींग व मुर सभी से मुनाफे की चीजें बनती हैं। इस तरह देश की कृषि व ग्रामीण जीवन का अधिकांश एक-न-एक तरीके पर आश्रित है। भारत सरकार के पुराने एनिमल हज्रबैङ्ग कमिश्नर कर्नल सर आर्थर ओल्वर ने अन्दाजा लगाया था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में पशुधन के भाग की कीमत १६०० करोड़ रुपये वार्षिक की है।

देश में विविध कार्यों के लिए पशुओं का इस प्रकार प्रयोग होता है :

कृषि के लिए	६,६८,४६,०००
शहरों व कस्बों में	
गाड़ियां खींचने के लिए	११,२०,०००
योक्त उठाने के लिए	७१,०००
तेल की घानियां चलाने के लिए	३,७४,०००

७,१४,११,०००

१९४० में देश में प्रति वर्ष मारे जा रहे जानवरों की संख्या ६२ लाख थी जिसमें ८० प्रतिशत गाय बिल और २० प्रतिशत भैंसों थी।

देश में बरखा पैदा करने वाली व दूध देने वाली गायों और भैंसों की संख्या क्रमशः ४,८६,८८,००० और ३,१४,३६,००० है। गायों में इनका अनुपात क्रमशः केवल ४ और ६ प्रतिशत है। बाकी संख्या गाँवों में रहती है।

दूध देने वाली गायों और भैसों की संख्या में १९२० से १९३० व १९४० में क्रमशः ६.०३ प्रतिशत और ५.३० प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इन्हीं वर्षों में देश की आवादी की वृद्धि १९२० से क्रमशः १०.०७ प्रतिशत और २७.२३ प्रतिशत हुई। इस तरह बीस वर्षों में दूध के साधनों में ५.३० और उसकी मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में २७.२३ प्रतिशत वृद्धि हुई।

देश में दूध की कुल उपज (१९४६) गौश्रों से २८ करोड़ ६८ लाख मन और भैसों से ३२ करोड़ ३ लाख मन प्रति वर्ष होती है। देखा गया है कि जिस प्रदेश में जानवरों की संख्या जितनी अधिक है वहां प्रति पशु से दूध का उत्पादन उतना ही कम है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों व रियासतों में प्रति गाय व भैस से वार्षिक दूध का हिसाब इस प्रकार है :

प्रान्त (१९४०)	गौश्रों की संख्या प्रति गौ से (लाखों में)	वार्षिक दूध (पाउंड)	भैसों की संख्या (लाखों में)	प्रति भैस से वार्षिक दूध (पाउंड)
पंजाब	२२.३	१४४५	२८.६	२३२०
राजपूताना	३८.२	७३०	१६.१	६००
बंगाल	७४.८	४२०	२.०	६६०
मध्यप्रान्त	३४.६	६५	८.६	५४५
मद्रास	५०.०	४५०	२८.७	८००
हैदराबाद	२६.०	१३०	१३.०	८२५
मैसूर	१४.४	२४०	५.४	५६०

प्रति वर्ष लाखों की तादाद में पशु बीमारियों से मारे जाते हैं। अन्दाजा लगाया है कि देशको इस कारणसे प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। वर्षा के अभाव से, चारे की फसल खराब होने पर व विविध प्रदेशों में बाढ़ आ जाने पर भी पशुसंख्या में पशुहानि होती है।

गाय बैलों की कितनी ही नस्लें देश में पाई जाती हैं । प्रदेश अनु-
सार उनमें मुख्य नस्लों का व्योम इस प्रकार है :

उत्तरी हिन्दुस्तान

हरिद्वाना

दूध प्रति दिन ६ से १२ सेर, वर्ष में २००० से ३००० पाउंड । रोहतक, मुद्गांव व हिंसार में पाए जाने वाला पशु ।

हिंसार

इस नस्ल के बैल सन्तानोत्पादन के लिए बढ़िया समझे जाते हैं । गौण अच्छी मात्रा में दूध देती हैं ।

दक्षिणी हिन्दुस्तान

अलम्बड़ी

इस नस्ल के बैल बढ़िया होते हैं । गौणों का दूध कम होता है । मद्रास व मैसूर के कुछ जिलों में पाए जाने वाला पशु ।

अमृत मदल

सुनयतः मैसूर में । बहुत बढ़िया व परिधमी बैल । गौण दूध देने में बढ़िया ।

वगौर

मद्रास के कोट्टनवटोर जिले में । पटाली प्रदेशों के लिए बढ़िया बैल । गौण बढ़िया ।

दयोनी

हैदराबाद के मध्य में । अच्छी नस्ल । बढ़िया बैल व अच्छी गौण ।

हरलीकर

मद्रक व गैतों में काफी काम करने वाले पशु । गौणों का दूध बहुत कम होता है । मैसूर, मद्रास व बम्बई में पाए जाने वाले पशु ।

कन्धम

मद्रास के कोट्टनवटोर जिले में । बढ़िया पशु, गौण दो से चार सेर दूध देती हैं ।

कुण्डा घाटी

हैदराबाद व पेंडुपाम जिले में कुण्डा व आठ-प्रभा नदियों के किनारे के गाँवों में । बैल काम करने में श्रेष्ठ होते हैं । गौण प्रतिदिन ३ से ३

सेर दूध देती हैं ।

आंगोल

३५०० पाँड देती हैं ।

डांगी

गीर

कांक्रेज

खिल्लरी

नागोरी

संचोर

रठ

खेरीगढ़

मेवांती

पॉवर

मद्राल प्रान्त । बैल भारी काम करने के लिए उपयुक्त होते हैं लेकिन तेज नहीं चलते । गौएँ ५ से ६ सेर दूध प्रति दिन देती हैं । वर्ष-भरमें

वन्वई व सौराष्ट्र

इस नस्ल के बैल अच्छे होते हैं लेकिन गौएँ कम दूध देती हैं ।

घटिया बैल, गौएँ काफी दूध देने वाली । वर्ष में ३५०० पाँड तक दूध देती हैं ।

बैल व गौएँ दोनों बढ़िया । रोज़ का दूध ४ से ५ सेर, वर्ष में ३४०० पाउंड ।

बढ़िया बैल । गौएँ घटिया ।

राजपूताना

इस नस्ल के बैल बढ़िया गिने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं । गांवों में तांगा, रथ आदि खींचते हैं । गौएँ रोज़ का ४ सेर दूध देती हैं ।

नागोरी बैलों से कुछ घटिया किस्म के बैल । गौएँ ६ सेर तक प्रति दिन दूध देती हैं ।

अलवर

बढ़िया बैलों की बढ़िया नस्ल ।

बैल अच्छे, गौएँ कम दूध देने वाली ।

मथुरा, अलवर व भरतपुर में पाए जाने वाली नस्ल । अच्छे बैल व अच्छी गौएँ । दूध प्रति दिन ५ सेर ।

बढ़िया बैल । गौएँ रोज़ का २ सेर दूध देती हैं ।

बिहार

बचौर

बिहार में बैलों की बढ़िया नस्ल। गौणं सिर्फ १ से २ सेर प्रति दिन दूध देती हैं।

पुनिया

ब शाहावादी नस्लें भी प्रान्त में मिलती हैं।

मध्य भारत व मध्य प्रान्त

गाओलाओ

बैल अच्छे, गौणं २ सेर दूध रोज देती हैं।

मालवा

हर काम व जलवायु के लिए बढ़िया बैल। कम खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं।

निमारी

अच्छे बैल। गौणं १।। से २ सेर तक दूध देती हैं।

देश में आजकल दूध की उत्पत्ति व उसमें वृद्धि की योजनाएं

१५ अगस्त १९४७ के बाद हिन्दुस्तान के ६ प्रान्तों में दूध देने वाली गाय व भैंसों की संख्या का अनुमान ३,७७,१०,००० लगाया गया है। इस संख्या से दूध की कुल उत्पत्ति ३१ करोड़ ६२ लाख मन प्रति वर्ष होती है। आजकल की दरों के अनुसार देश में पैदा होने वाले दूध का कुल वार्षिक मूल्य ७०० करोड़ रुपये से अधिक है। लेकिन हर हिन्दुस्तानी का स्वास्थ्य उचित तल पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को प्रतिदिन १ पाउण्ड दूध आवश्यक मिले। इस हिसाब से देश में प्रतिवर्ष १ अरब ३० लाख मन दूध पैदा होना चाहिए। ये ६ प्रान्तों के लिए एक पन्चवर्षीय योजना बनाई गई है जिससे दूध की उत्पत्ति में निम्न अनुपात से प्रतिवर्ष वृद्धि होगी :

प्रान्त	आजकल की दूध की उत्पत्ति (लाख मन)	पन्चवर्षीय योजनानुसार वृद्धि				
		१	२	३	४	५
		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
आन्ध्रप्रदेश	२६	०,३७	०,६४	१,००	२,३१	३,६२
उड़ीसा	७६,६	०,७४	१,०६	२,४६	३,४८	४,९६
पश्चिमी बंगाल	१४३	१,६०	३,००	६,६७	११,४६	१६,६६

पूर्वी पंजाब	५२५	२,३७	६,३०	११,६४	१६,१८	२८,२०
बम्बई	१६१	१,६६	४,२६	८,१०	१३,०३	१६,१३
बिहार	४५७	३,६१	१०,१०	१८,८३	३०,००	४३,८८
मद्रास	५६१	६,४७	१६,७१	३१,१०	४६,८६	७३,५६
मध्यप्रान्त	८७,५	०,६६	२,५८	४,८	७,६५	११,२६
युक्तप्रान्त	११२६	६,६८	२४,६१	४६,१४	७३,६४	१०८,०२
जोड़	३१६२	२७,७२	७१,५२	१३२,६४	२१३,०	३१३,१४

प्रमुख नगर

हिन्दुस्तान में पटसन के निर्माण का बड़ा औद्योगिक केन्द्र । बंगाल की सारी पटसन मिलें हुगली के किनारे, कलकत्ते के आसपास बनी हुई हैं । इस नगर में आटे और कागज, दियासलाई, रसायन उद्योग, चावल छड़ने की मिलें, तेल निकालने की मिलें, लोहा ढालने के उद्योग और चमड़े की पिटाई के उद्योग स्थित हैं । कलकत्ते से ही विदेशों को चाय का अधिकांश निर्यात होता है और साबुन, सुगन्धि, स्नान के सामान, एनामल और चीनी के बर्तन, शीशे का सामान, सींग और सेलु लायड की चीजें, गत्ते के बक्से और टीन के डिब्बे, टोप, वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार होता है ।

जबकि पटसन के उद्योग में लगी पूंजी का अधिकांश हिन्दुस्तानी है, पटसन की ज्यादातर मिलों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथों में है ।

बम्बई

जहाँ कलकत्ते की विशिष्टता वहाँ पटसन के उद्योग का एकाधिकार है, बम्बई की विशिष्टता सूती कपड़े के कारखाने और वस्त्र व्यापार है। इनके अतिरिक्त सूत बनाने, कोरे कपड़े को खारने और लौनवाला और शान्ध घैली के विजली बनाने के बड़े कारखाने भी बम्बई में स्थित हैं। सब तरह के वस्त्र आयात की बिक्री की दरने बढ़ी मंडी बम्बई ही है। कपड़े के उद्योग में लगी प्रायः सारी पूंजी ही हिन्दुस्तानी है। गेह वीजों की एक बड़ी मंडी बम्बई में है और तेल निकालने और माफ करने की बड़ी मिलें भी यहाँ हैं। खल्ल (आयल कॅम्स) प्रचुर मात्रा में इंगलैंड भेजी जाती है।

मद्रास

श्रीलोकिक दृष्टि से मद्रास का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी हिन्दुस्तान की दो बड़ी सूती कपड़े की मिलें यहाँ हैं। मद्रास से मूंगफली, तृम्याकू और पिटाई की हुई चमड़ी का निर्यात प्रचुर मात्रा में होता है।

कानपुर

श्रीलोकिक और व्यावसायिक दृष्टि से कानपुर का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विदेशों से आये हुए कपड़े और लोहे के सामान का, चमड़े, चमड़े के सामान, गर्म, सूती कपड़े और गन्धुकों की यहाँ बड़ी मंडी है। यहाँ चाटे की, तेल की व रसायन की मिलें हैं और छोटे परिमाण में कितने ही उद्योग धन्धे चल रहे हैं।

दिल्ली

सूती, रेशमों और गर्म कपड़े की पंजाब और युक्तप्रान्त के लिए नगरे बड़ी मंडी। दिल्ली के तेल के कारखानों का संकलन है। यहाँ सूत कातने व कपड़ा बुनने की, पिस्सुट की और चाटे की बड़ी मिलें हैं। हाथी दांत का, सोने चांदी के सामग्रियों का, लोहों का, मही के यंत्रों का और लसीदा काढ़ने का यह पुराना केन्द्र है।

अहमदाबाद

मंडियों का ही महत्व है ।

सूत और सूत के कपड़े के निर्माण में बम्बई के बाद अहमदाबाद का स्थान है । व्यापार की दृष्टि से भी बम्बई के बाद अहमदाबाद की

अमृतसर

भी बड़ी मंडी है, शाल-दुशाले यहां से सारे हिन्दुस्तान में जाते हैं । अमृतसर में अनाज की एक बड़ी मंडी है और (हाजिर और मिति के) सट्टों के चैम्बरों में व्यापार होता है । यहां रेलवे की एक बड़ी वर्कशाप रेलवे व फौजी जरूरत का सामान तैयार करती है ।

आगरा

चमड़े और चमड़े के सामान का व्यापार, कालीन और दरियां, कसीदाकारी और पत्थर का काम आगरा में बहुतायत से होता है ।

आसन्सोल

हिन्दुस्तान में कोयले के उद्योग का एक प्रमुख नगर ।

बंगलोर

अपने कालीन, सूती, रेशमी व गर्म कपड़े व चमड़े के सामान के लिए बंगलोर (मैसूर की राजधानी) सुप्रसिद्ध है । यहां साबुन, चीनी के बर्तन, लाख, लकड़ी के सामान व सफेद सुरमा बनते हैं और सिगरटों का एक बड़ा कारखाना लगा है ।

बनारस

अपने रेशमी व जरी के कपड़ों के लिए बनारस प्रसिद्ध है । देशी ढंग से बढ़िया तम्बाकू व इत्र तेल तय्यार किए जाते हैं ।

लखनऊ

औद्योगिक दृष्टि से लखनऊ का अधिक महत्व नहीं लेकिन पचूँन बिक्री की यह एक अच्छी मंडी है । इसके अलावा कृषि की उपज की यह

एक थोक मंडी है ।

नागपुर

यहां कपड़ा बनाने की, कपास को साफ करने व गांठें बांधने की मिलें हैं । शीर नज़दीक की मैंगनीज़ की खानों के कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है । यहाँ के सन्तरे हिन्दुस्तान-भर में विकते हैं ।

नन्वलपुर

फौजी सामान के निर्माण के कारखानों के अलावा यहाँ एक बड़ी कपड़े की मिल, चीनी के बर्तनों का उद्योग और रेलवे यार्डशाप हैं ।

मिर्जापुर

पीतल के बर्तनों के निर्माण का घरेलू धन्दा बड़े परिमाण पर यहाँ चलता है । साथ ही इसकी प्रसिद्धि लाख और कालीन के कारखानों के कारण है ।

मदुरा

मद्रास प्रान्त के सूती व रेशमी कपड़े के निर्माण व रंगाई का बड़ा केन्द्र ।

विजगापट्टम

विजगापट्टम विशेष रूप से विदेशों को निर्यात के लिए ही प्रसिद्ध है । मैंगनीज़, हरदु, मृंग-फलों, 'लंका' और 'पोधी' लकड़ा का निर्यात

होता है ।

लक्षर (खानिपर)

पथर की खान और पथर के कामके लिए यह नगर विख्यात है । यहाँ लकड़ी की खेती और बाँहियों का निर्माण बड़े परिमाण पर होता है ।

श्रीनगर (कारमीर)

श्रीनगर और रेवारी पथर, गाली पर काली-कारो और लकड़ी व बाँहों पर काम के लिए श्रीनगर सुविख्यात है । यहाँ के पथर, लकड़े व ऊन को सारे हिन्दुस्तान में मांग है । यद्यपि बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए श्रीनगर (कारमीर) में कारखाने स्थापित करने का प्रयत्न है ।

मिल सकता है, लेकिन उपयुक्त योजनाओंकी अनुपस्थिति में यह रियासत अब तक पिछड़ी हुई है।

राजपूताना का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र, यहाँ पर मट्टी व, चांदी व सोने के बर्तनों पर सुन्दर काम होता है। जयपुर असली पत्थरों के व्यापार के लिए भी मशहूर है।

चन्दन का तेल, हाथीदांत और चन्दन की लकड़ी पर काम और धूप अगरवत्ती के निर्माण में मैसूर का महत्वपूर्ण स्थान है।

अखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं

एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स
आफ इंडिया (कलकत्ता)

हिन्दुस्तान में व्यापार करने वाली विदेशी संस्थाओं की सांझी संस्था। ८-६ जनवरी १९२० को कलकत्ते में इसका संस्थापन किया गया। उद्देश्य : हिन्द में व्यापार, उद्योग-धन्धों व निर्माण की रक्षा और उन्नति। इस संस्थामें निम्न स्थानोंकी व्यापार संस्थाएं सम्मिलित हुईं : बंगाल, बम्बई, बर्मा, कालीकट, चटगांव, कोकोनाडम, कोचीन, कोइम्बटोर, कराची, मद्रास, नारायणगंज, नार्दन इंडिया, पंजाब, अपर इंडिया ट्यूटीकोरिन।

१९३२ में लंका की व्यापार-संस्था इससे अलहदा हो गई। १९२० में इंडियन कम्पनीज एक्ट की २६ वीं धारा के अनुसार संस्था की रजिस्ट्री हुई।

इस संस्था के १९२६ तक प्रति वर्ष कलकत्ता, बम्बई तथा बान-पुर में जलसे होते रहे । १९३० से वार्षिक जलसा केवल कलकत्ता में ही हुआ । प्रायः हिन्दुस्तान के वाइसराय के नभापतित्र में ही ये वार्षिक सम्मेलन होते थे और उनका भाषण इस अवसर पर राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ करता था । सम्मेलन में देश की विविध समस्याओं पर प्रस्ताव पास किये जाते थे जिन्हें विचार के लिए सरकार की भेज दिया जाता था ।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कानर्स एंड इंडस्ट्री

भारत में व्यापार करने वाली देशी संस्थाओं की सांख्यिक संस्था ।
 संस्थापन : १९२६ । उद्देश्य : भारतीय व्यापार व उद्योग की प्रगति और प्रेरणा, व्यापार सम्बन्धी छांकों का संकलन और प्रचार, देशी व्यापार के हितों के विरोधी जो कानून बनें उनका विरोध करना ।

आल इंडिया आर्गेनिजेशन आफ इंडस्ट्रियल एम्प्लायर्स (कानपुर)

संस्थापन : १२ दिसम्बर १९३२ । फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स से सम्बन्धित । उद्देश्य : औद्योगिक उन्नति की प्रेरणा, देश व विदेश में आवश्यक अवसरों पर पृजीपतियों का प्रतिनिधित्व; उद्योग-धर्मों में श्रम मजदूरों की दशा को एक-सा रखने का यत्न । दफ्तर : बलाक टावर, कानपुर ।

इंडियन नेशनल कमिटी आफ दी एन्टरनेशनल चैम्बर आफ कांसर्स (कानपुर)

पेरिस (फ्रान्स) की एक संस्था — एन्टरनेशनल चैम्बर आफ कांसर्स की शाखा । उद्देश्य : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाएं दिखाना, देश-विदेश के व्यापारियों में सम्बन्ध बनाना और उनके यत्न ।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स से सम्बन्धित । दफ्तर : बलाक टावर, कानपुर ।

इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कामर्स (कलकत्ता)

संस्थापन : १९२६। उद्देश्य देशी व्यापार को सब प्रकार की सहायता पहुंचाना यह संस्था देश में बनी वस्तुओं को निर्यात के लिए साक्षी पत्र (सार्टिफिकेट) देती है।

हिन्दुस्तान में चीनी बनाने वाली मिलों की, कोयले की खानों के हिन्दुस्तानी मालिकों की ओर पटसन की गांठें बांधने की संस्थाएं इससे सम्बन्धित हैं।

इंडियन काल्लियरी ऑनर्स एसोसियेशन

(कलकत्ता)

संस्थापन : १९३३। कोयले की उत्पत्ति से सम्बन्धित व्यापार व उद्योग को सहायता। मुख्य दफ्तर: ऋरिया। शाखा—कलकत्ता।

इंडियन जूट मिल्लज एसोसियेशन (कलकत्ता)

१८८४ में इस संस्था का आयोजन हुआ। १९०२ में इसके नियम उपनियम विस्तार से बनाये गए। उन्हें १९३० में दुहराया गया; १९३१ में इसकी इंडियन ट्रेड्स यूनियन ऐक्ट के अनुसार रजिस्ट्री हुई।

पटसन से सम्बन्धित समस्त कृषि, उद्योग, निर्माण, निर्यात, हित-रक्षा का उद्देश्य।

ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड (बम्बई)

संस्थापन १९२१। उद्देश्य : बम्बई व हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों में रुई के व्यापार की वृद्धि; रुई के सौदों के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण; रुई के सम्बन्धी हितों की रक्षा व सूचनाओं का संकलन, रुई के व्यापार को उत्तेजना।

इंडियन टी एसोसियेशन कलकत्ता

संस्थापन : १८८१। उद्देश्य : भारतमें चाय की कृषि से सम्बन्धित हितों की रक्षा। शुरुआत के दिनों में एक लाख एकड़ के लगभग भूमि पर चाय की कृषि करने वाले इसके सदस्य थे, १९३४ में यह संख्या

सवा चार लाख एकड़ भूमि पर चाय की कृषि करने वालों तक पहुंच गई।

१९३० में इस संस्था ने सदस्यों को खेती के चार में पैमानिक परामर्श देने का प्रबन्ध भी किया।

इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी

यह संस्था भारत सरकार द्वारा ३१ मार्च १९२१ को मनोनीत की गई। उद्देश्य : रूई के व्यापार, कृषि, उद्योग से सम्बन्धित प्रश्नों पर सरकार को मन्त्रणा देना। बम्बई, मद्रास, पंजाब, बंगाल, गुजरात व मध्य प्रान्त की प्रान्तीय सरकारों की संस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। १९२३ के इंडियन काटन सेलस ऐक्ट के अनुसार इस संस्था को कानूनी तौर पर स्थायी घोषित कर दिया गया और इसका विधान बना दिया गया। केन्द्रीय प्रान्तीय व स्थानीय सरकारें इसी संस्था में रूई सम्बन्धी सब प्रकार का मशवरा लेती हैं।

इंडियन माइनिंग ऐसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापन १९६२। हिन्दुस्तान के खनिज उद्योग के हितों की रक्षक तरह सहायता व रक्षा करना इसका उद्देश्य है।

सदस्यों की संख्या : प्रारम्भ में १३, १९२४ में १४६, फिर व्यापारिक मन्त्रे के कारण १९३४ में ६०।

इंडियन माइनिंग फेडरेशन (कलकत्ता)

संस्थापन : मार्च १९२३। बंगाल, बिहार, उड़ीसा व मध्यप्रान्त में कोयले की खानों में लगी हिन्दुस्तानी पूंजी की प्रतिनिधि संस्था। प्रायः सभी हिन्दुस्तानी कोयलों की खानों के माइनिंग इस संस्था के सदस्य हैं।

एक शारदा मरिया में है।

समय-समय पर इस संस्था की ओर से कोयले के पदारथ और पाठापाठ की आवश्यकता पर आंकड़े प्रकाशित हुये जा रहे हैं।

माइनिंग एंड जीओलाजिकल इंस्टिट्यूट आफ इंडिया (कलकत्ता)

संस्थापन १९०६ । उद्देश्य : हिन्दुस्तान में खनिज उद्योग, भूगर्भ विद्या, धातु विद्या और इंजीनियरिंग की शिक्षा का प्रचार; खनिज उद्योग सम्बन्धी वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और सूचनाओं का संकलन । संस्था के सम्मेलनों में खोजपूर्ण निबन्ध पढ़े जाते हैं; खानों का निरीक्षण किया जाता है । धनबाद के इंडियन स्कूल आफ साइन्स में संस्था की ओर से एक विशेष पुस्तकालय आयोजित है ।

वाइन, स्पिरिट एंड बीयर एसोसियेशन आफ इंडिया (कलकत्ता)

संस्थापन : १८६२ । हिन्दुस्तान में सब तरह की शराबों का व्यापार व आयात करने वालों की संस्था । उद्देश्य : एक्साइज़ के कानूनों पर नज़र रखना, शराब के व्यापार व आयात में लगे लोगों के हितों की रक्षा ।

प्रान्तीय व स्थानीय व्यापारिक संस्थाएं बंगाल चैम्बर्स आफ कामर्स (कलकत्ता)

१९३४ में संस्थापित । १८५१ में इसका आयोजन फिर नए सिरे से किया गया ।

रायल एक्सचेन्ज की स्थापना १८६३ में इसी चैम्बर के अन्तर्गत हुई; इसी वर्ष इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अनुसार चैम्बर की रजिस्ट्री हुई । कलकत्ते के विदेशी व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था ।

विदेशी निर्यात के लिए चैम्बर नपाई तुलाई का प्रामाणिक पत्र भी देता है । व्यापार सम्बन्धी झगड़ों के निपटारे किए जाते हैं ।

बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स (कलकत्ता)

बंगाल की देशी व्यापार की सबसे पुरानी संस्था; संस्थापित १८८७
उद्देश्य : बंगाल में व्यापार व उद्योग-धन्धों की उन्नति व उन्हें

सहायता; व्यापारियों के विचार अधिकारियों तक पहुँचाना। बंगाल में बैंकों, बीमा कंपनियों, जहाजरानी की कंपनियों, स्ट्रैट के उद्योग-धन्धों के अधिकांश का इसी संस्था में प्रतिनिधित्व है।

मारवाड़ी चैम्बर आफ कामर्स (कलकत्ता)

समस्त भारत के, मुख्यतया कलकत्ता के, व्यापार, उद्योग और निर्माण धन्धे के विकास व रक्षा के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना १९०० में हुई। व्यापार सम्बन्धी और दूसरे सार्वजनिक प्रश्नों पर इस संस्था से सरकार मन्त्रणा लेती रहती है।

मुस्लिम चैम्बर आफ कामर्स (कलकत्ता)

संस्थापन : १९३२। केवल मुसलमानों के व्यापार व उद्योग में दिलचस्पी।

मुस्लिम चैम्बर आफ कामर्स, बिहार गंड उड़ीसा (पटना)

संस्थापन : १९३६। आयात, निर्यात व निर्माण के धंधों में प्रकाशित करने वाली लक्ष्य-प्रतिष्ठ संस्था। इसका सपाईं तुलाई का महत्त्व विशेष मान्यता रखता है। यह संस्था व्यापारिक मगलों की मिटाने के लिए विद्यमान है।

इसके सदस्यों में साधारण व्यापार में लगी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व बैंकों, जहाजरानी के प्रतिनिधियों, पकीलों, रेलवे कंपनियों, इंजीनियरिंग और ट्रेडिंगों के नाम उल्लेखनीय हैं।

महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स (पुणे)

महाराष्ट्र स्थित व्यापारियों और औद्योगिकों की पारिभाषिक सम्बन्ध बनाने वाली संस्था।

मद्रास चैम्बर आफ कामर्स (मद्रास)

संस्थापन : १९३६। कोचीन, कालीकट, और होबोनाद की व्यापार संस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं। यह संस्था स्वयं विभिन्न इन्डो-मिडिल कौंसिल आफ कामर्स (इंडियन) में सम्मिलित है।

उद्देश्य : व्यापारिक मगलों का निपटारा, इन्हीं में इमी-स्टॉपी की

सूचनाओं का पारिक्त प्रकाशन, आने-जाने वाले बहानों के त्याग, सामर्थ्य (दम्नैज) की सूचना। विद्यापीठ नाम बगैर रख कर काम करने वाले देशी दम्नैजों के प्रार्थनापत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाय। निम्न-निम्न प्रकार के व्यापारों के लिए निम्न-निम्न उप-समितियाँ हैं।

विहार एंड उड़ीसा चैम्बर आफ़ कमर्स (पटना)

इस प्रान्त के व्यापार व उद्योग-धर्मों की सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई।

उड़ीसा चैम्बर आफ़ कमर्स (कटक)

प्रान्तीय व्यापार की सहायकार्य संस्थापित।

सुदूर्ण इंडिया चैम्बर आफ़ कमर्स

संस्थापन : १९०२। मद्रास शहर व मद्रास प्रान्त के उत्तरी प्रदेश के हिस्सों के देशी व्यापार, उद्योग-धर्मों व बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था।

कोकोनाड चैम्बर आफ़ कमर्स

१९१० में संस्थापित। मद्रास प्रान्त के उत्तर पूर्वी प्रदेश में और गोदावरी, कृत्तना, विजयपुरम् और गंजम के इलाकों में व्यापार करने वाले विदेशियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था।

गोदावरी चैम्बर आफ़ कमर्स (कोकोनाड)

संस्थापन : १९०६। द्यूदीकोन व पड़ोली प्रदेश में व्यापार करने वाले विदेशियों की संस्था। यह संस्था इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में आयात-निर्मात्र के आंकड़े व व्यापारिक सूचना प्रकाशित किया करती है।

कोचीन चैम्बर आफ़ कमर्स

कोचीन के विदेशी व्यापार के हिस्सों को रक्षा के उद्देश्य से बना संस्था।

संस्थापन : १९२३। पुलातिवेट्ट चैम्बर आफ़ कमर्स आफ़

इंदिया से सम्बन्धित । हर वर्ष कोचीन और मालाबार तट के व्यापार के सम्बन्ध में आंकड़े प्रकाशित करती हैं ।

कालीकट चैम्बर आफ कामर्स

कालीकट के बन्दरगाह के व्यापार की उन्नति व उसकी रक्षा के लिए १९२३ में बनी संस्था ।

तेल्लीचरी चैम्बर आफ कामर्स

तेल्लीचरी में व्यापार करने वाली देशी व विदेशी व्यापारियों की सांझी संस्था ।

नेगापट्टम चैम्बर आफ कामर्स

नेगापट्टम के व्यापार के संवर्धन और रक्षा के उद्देश्य से १९३१ में बनी संस्था । कार्यक्षेत्र : भाड़े निपटाना, ट्रेड मार्क रजिस्टर करना, दुकानों को सही पत्र देना ।

कोइन्बटोर चैम्बर आफ कामर्स

संस्थापन : १९२२ । उद्देश्य : कोइन्बटोर नगर व जिले के व्यापार की उन्नति के विचार से प्राथमिक आंकड़े एकत्र करना, भाड़े निपटाना ।

मैसूर चैम्बर आफ कामर्स (बंगलौर)

संस्थापन : १९१५ । उद्देश्य : दूसरी व्यापार संस्थाओं की तरह मैसूर रियासत के व्यापार की रक्षा व उन्नति के विचार से संघीय संस्था । इस संस्था द्वारा दिये गए विधियों की वस्तु के निर्माण स्थान के साक्षीपत्र को भारत सरकार स्वीकार करती है ।

नागपुर चैम्बर आफ कामर्स

संस्थापन : १९३३ । नागपुर के व्यापारियों व कर्मचारियों की सांझी व्यापार संस्था ।

बरार चैम्बर आफ कामर्स

बरार के देशी व्यापार की उद्योग विधायक प्रतिष्ठान संस्था ।
संस्थापन : १९३३ ।

अपर इंडिया चैम्बर आफ कामर्स (कानपुर)

संस्थापन : १९२२ । युक्तप्रान्त के व्यापार व उद्योग की रक्षिणी संस्था । सदस्यों में प्रान्त की रेलवे कम्पनी, प्रमुख बैंक व प्रायः सभी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे हैं ।

चैम्बर आफ कामर्स आफ दि ब्रिटिश इन्प्रायर (लंदन), लंदन चैम्बर आफ कामर्स इन्कारपोरेटिड (लंदन), इंटरनेशनल फ़ैडरेशन आफ नाटुर काटन स्पिन्नेर्स एंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (मान्चेस्टर) से संबन्धित संस्था ।

यह संस्था एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स आफ इंडिया (कलकत्ता) व एम्प्लायर्स फ़ैडरेशन आफ इंडिया की भी सदस्य है ।

व्यापार सम्बन्धी आंकड़े इस संस्था के दफ्तर से प्राप्त हो सकते हैं ।

यूनाइटेड प्राविन्सेज चैम्बर आफ कामर्स (कानपुर)

संस्थापन : १९१४ । युक्तप्रान्त के देशी व्यापार की मान्य प्रतिनिधि संस्था । इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स (पैरिस) की सदस्य ।

मचैन्ट्स चैम्बर आफ यूनाइटेड प्राविन्सिज (कानपुर)

संस्थापन : १९२२ । युक्तप्रान्तके व्यापार व उद्योग हितों की रक्षा के लिए आयोजित । व्यापार और उद्योग के आंकड़े इकट्ठे करती व इन्हें हर नहीने अपनी अंग्रेज़ी व हिन्दी की पत्रिकाओं में छापती है ।

पंजाब चैम्बर आफ कामर्स (दिल्ली)

संस्थापन : १९०५ । शाखा अमृतसर । पंजाब व काश्मीर के व्यापार की हित रक्षिणी संस्था ।

क्रय-विक्रय की संस्थाएं

कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन

संस्थापन : १९३० । इसकी रजिस्ट्री १९२२ में हुई । उद्देश्य : कलकत्ते में व्यापार कर रहे लोगों में भाईचारे का प्रचार करना,

आवश्यक और प्रासंगिक आंकड़े इकट्ठे करना, कलकत्ते के व्यापार में सम्बन्धित सब प्रश्नों पर ध्यान देना । कलकत्ते में व्यापार कामे धाने दुकानदार ही सदस्य बन सकते हैं ।

कलकत्ता इम्पोर्ट ट्रेड एसोसिएशन

संस्थापन : १८६० । कलकत्ते में विदेशों को निर्यात करने वालों की संस्था । उद्देश्य : आंकड़े एकत्रित करना, निर्यात दुर्गम पर ध्यान रखना, सौदों को नियमित करना । निर्यात करने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा में यह संस्था संलग्न रहती है ।

बम्बई प्रेसिडेंसी ट्रेड्स एसोसिएशन

संस्थापन : १६०२ । बम्बई प्रान्त के व्यापारियों की संस्था । व्यापारियों के श्रेण प्रसूल करती है; दीवालिया होने पर उनकी सहाय्य चतनी है, व्यापारियों से सम्बन्धित कानूनों पर ध्यान देती है, आवश्यकता होने पर सरकार से उनके विषय में पत्र व्यवहार करती है ।

मद्रास ट्रेड्स एसोसिएशन

संस्थापन १८२६ । मद्रास के व्यापारियों की हित रक्षित संस्था । व्यापार के लिए उपयुक्त समय को नियुचित, व्यापार विरोध कानूनों का विरोध, अपने सदस्यों से लेन देन धाने वालों को परिशिष्टि में पूर्ण परिचय रखना इसके उद्देश्य हैं ।

दुबरी व्यापार संस्थाएं

भारवाही एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित : १८८८ । भारवाहियों के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक व व्यापारिक हितों की संरक्षित संस्था । इसका उद्देश्य है भारत के दूसरे नगरों में काम करने वाले सभी भारवाही व्यापारियों द्वारा सदस्य हैं ।

एलैन्कट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित : १८२६ । बम्बई, मद्रास, व सभी दुर्गमों के व्यापार

आदि के हित की प्रतिनिधि संस्था। मारवाड़ी चैम्बर आफ कामर्स से सम्बन्धित।

कलकत्ता ग्रेन, आयल-सीड एंड राइस एसोसिएशन

संस्थापित : १८८४। सब तरहके अनाज व तैलबीज के व्यापारियों की संस्था।

कलकत्ता हाइड्रस एंड स्किन्स शिप्पर्स एसोसिएशन

संस्थापित : १९१९। खाल व चमड़ी के निर्यात के व्यापार में संलग्न व्यापारियों की संस्था। इस व्यापार के सम्बन्ध में वैज्ञानिक सहायता भी देती है।

इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित १९०६। उद्देश्य : धातु सम्बन्धी उद्योग-धन्धों की रक्षा, मशीनरी आदि के निर्माण व व्यापार की रक्षा, विकास व संवर्धन।

बंगाल चैम्बर आफ कामर्स से सम्बन्धित।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित १९३२। उद्देश्य : भारत में चीनी के निर्माण के उद्योग को सहायता और इसका विकास; प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत करना। इस संस्था ने १९३५ में इंडियन शुगर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की।

उद्देश्य : भिन्न-भिन्न स्थानों पर चीनी की विक्री का सम्यग् आयोजन।

कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिप्पर्स एसोसिएशन

संस्थापित : १८९८। उद्देश्य : पटसन के बने सामान के निर्यात में संलग्न व्यापारियों को इकट्ठा करना; आंकड़े एकत्रित करना, सौदों के नियम बनाना इत्यादि।

इंडियन टी सेल्स कमेटी (कलकत्ता)

सन् १९०३ के ६ वें एक्ट के अनुसार संयोजित संस्था। यह भारत में चाय के प्रयोग के प्रचार के लिए बनाई गई। चाय के निर्यात पर

लगाई गई चुक्री से एकट्टे धन का प्रयोग इस प्रकारों होता है। भारतीय चाय का प्रचार हिन्दुस्तान, अमरीका और इंग्लैंड में भी किया जाता है।

चाय के बगीचों के मालिक इस कमेटी के सदस्य ही बनते हैं।

अब इसका नाम इंडियन टी मार्केट एक्सचेंज बोर्ड कर दिया गया है।

बम्बई मिल्स एरोनर्स एसोसियेशन

संस्थापन : १८७५। भाप, पानी और बिजली की ताकतों को इस्तेमाल करने वाले उद्योगों की हित रक्षिणी संस्था। सदस्य: सूती कपड़े की मिलें, गर्म कपड़े की मिलें, रेशमी कपड़े की मिलें रई की पुनर्ले व गांठे बांधने की मिलें।

प्रति वर्ष एक वार्षिक प्रकाशित किया जाता है जिसमें हिन्दुस्तान भर की सूती कपड़े की मिलों का नाम, उनकी पूंजी, मशीनों व मजदूरों की संख्या, यह सूचना कि वह कितनी रई की उत्पाद करती हैं, कपड़े व सूतके आयात निर्यातके आंकड़े दर्ज करते हैं। सदस्य-मिलों द्वारा निर्मित कपड़े व सूत के पालिक दर छापे जाते हैं।

बम्बई पीस गुरुन्स नेटिव मर्चेन्ट्स एसोसियेशन

संस्थापित : १८८६। कपड़े के कपड़े के व्यापारियों की हित रक्षिणी संस्था। उद्देश्य : सदस्यों के स्वतंत्रों का निरक्षण और व्यापारिक हितों की रक्षा।

ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (बम्बई)

संस्थापित : १८६६। उद्देश्य : अनाज व्यापारियों को रक्षण के हितों की रक्षा।

आइसदादाद मिल एरोनर्स एसोसियेशन

संस्थापित : १८६६। गुरुत्वात्, आइसदादाद में बिजली की ताकत का प्रयोग करने वाले उद्योगों की संस्था। सदस्यों में सूत व कपड़े बनाने

वाली मिलें, बिजली बनाने वाली मिलें, रसायन और औषधियां बनाने वाली मिलें और लोहा ढालने वाली मिलें हैं।

नेटिव शेयर एंड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन (वम्बई)

कम्पनियों के हिस्सों में व्यापार व दलाली करने करवाने वालों की हितरक्षिणी संस्था।

वम्बई शेयर होल्डर्स एसोसिएशन

संस्थापन : १९१८। कम्पनियों के हिस्सेदारों व उनमें पूंजी लगाने वालों के हितों की संस्था। प्रासंगिक सूचना व आंकड़े प्रकाशित करती है।

सीड ट्रेडर्स एसोसिएशन (वम्बई)

भारत में उपजे बीजों के व्यापार की संस्था।

उद्देश्य : सौदों के नियमों के उद्देश्य बनाना, ऋगड़े निपटाना।

सदस्य : व्यापारी व दलाल।

वम्बई श्रॉफ एसोसिएशन

संस्थापन : १९१०। उद्देश्य : आदतियों के व्यापार सम्बन्धी कायदे कानून बनाना, हुँडियों के सम्बन्ध में नियम, ऋगड़े निपटाना। इसने व्यापार सम्बन्धी एक पुस्तकालय भी खोला हुआ है। और देश में एक-सम हुँडी व्यापार के लिए हुँडियों के फार्मों का प्रचार करती है।

वम्बई बुल्लियन एक्चेंज लिमिटेड

संस्थापन : १९२३। वम्बई के सोना चांदी के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से बनी संस्था।

इंडियन शुगर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (कानपुर)

संस्थापन : १९१२। चीनी के उद्योगों के हितों की रक्षिणी संस्था। भारत में सफेद चीनी बनाने वाले प्रायः सभी मिठ-मालिक इसके सदस्य हैं।

सदर्न इंडिया रिकन एण्ड हाईड मर्चेंट्स एसोसिएशन (मद्रास)

मद्रास प्रान्त में खाल व चमड़ी के व्यापार की हितरक्षिणी संस्था।

बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित : १९०० । बंगाल के भूस्वामियों की संस्था ।

एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ सदर्न इंडिया (मद्रास)

संस्थापन : १९२० । उद्देश्य : मजदूर रखने वालों और मजदूरों में बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना, ठीक मजदूरी देना, प्रासंगिक आंकड़े इकट्ठे करना, झगड़े निपटाना, मजदूरों की अनुचित मांगों के विरुद्ध मिल मालिकों के हितों की रक्षा करना ।

जो मालिक भी १०० से अधिक मजदूरों को रखते हैं, इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं ।

बिजाई करने वालों (प्लायटर्स) की संस्थाएं

बिहार प्लायटर्स एसोसिएशन

बिहार में नील (इंडिगो) की बिजाई करने वालों ने १८०१ में अपने हितों के पक्ष में सरकार से पत्र व्यवहार करने को अधिक सुविधाजनक बनानेके लिए एक संस्था बनाई । इस संस्था के नियमों में १८३७, १८७७ और १९०५ में परिवर्तन हुए, लेकिन उद्देश्य वही रहा ।

जैसे-जैसे रसायनिक नील का निर्माण बढ़ता गया, इसकी खेती करने वालों को ईख और इसके पौधों की बिजाई करना पड़ी । इस एसोसिएशन के प्रायः सभी सदस्य खप ईख की खेती करते और खेती बनाते हैं ।

यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया (तुनूर)

बिजाई करने वालों की भिन्न-भिन्न संस्थाओं के १८९३ में एक सांके सम्मेलन के फलस्वरूप इस संस्था का संस्थापन हुआ । १९११ तक मुख्य कार्यालय बंगलौर में रहा, तत्पश्चात् तुनूर चला गया ।

उद्देश्य : भारत में बिजाई के उद्योग-धंधों की रक्षा करना, प्रासंगिक आंकड़े और सूचनाएं इकट्ठी करना और उनका प्रचार करना और सदस्यों के झगड़े सुलझाना ।

संस्था के मुख्य कार्यालय से "प्लांटर्स जर्नल" नाम से संस्था के

मुखपत्र का सम्प्रादन होता है। यह पाच्छिक है और संस्थाके सब सदस्यों और भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक समूहों में इसका वितरण होता है।

बंगाल और आसाम

इंडियन टी एसोसिएशन के अतिरिक्त चाय की खेतीबारी करने वालों की अपनी कोई प्रान्तीय संस्था बिहार व आसाम में नहीं है, परन्तु भिन्न-भिन्न जिलों में ५ संस्थाएं सम्बन्धित देखभाल कर रही हैं।

हिन्दुस्तान के बन्दरगाह

वेदी सौराष्ट्र की एक रियासत नवानगर का मुख्य बन्दरगाह जो कि जामनगर के शहर से कुछ मील ही दूर है। इस बन्दरगाह में बड़े जहाज नहीं उतर सकते, उन्हें वेदी से कुछ मील दूर कच्छ की खाड़ी में लंगर डालना पड़ता है। बन्दरगाह-रेलवे द्वारा सम्बन्धित है इसलिए व्यापार के लिए सुभीताजनक है। पर्याप्त मात्रा में यहां से आयात-निर्यात होता है।

ओखा बड़ौदा रियासत की एक अर्वाचीन बन्दरगाह जिसका निर्माण बड़ी किस्म के नए जहाजों को दृष्टिगत रखकर हुआ है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित होने से सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बन्दरगाह सीमेंट की बनी हुई है, रेलें बिछी हुई हैं, ज्वार और भाटा-दोंनों हालतों में दो बड़े जहाज बन्दरगाह में खड़े रह सकते हैं। रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है; रिहायशी इमारतों की व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन ओखा घनी आबादी से बहुत दूर है (बधवां जंक्शन : २३१ मील)। आयात-निर्यात की मात्रा वेदी से कम है।

आयात चीनी, मिट्टी, रंग, कपड़े की मशीनरी, लोहा व इस्पात, रेलवे मशीनरी, मोटरकार और निशास्ते का होता है। निर्यात बीज व रुई का।

पोरबन्दर

कभी पोरबन्दर का विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण था, अब केवल तटीय व्यापार ही होता है।

भावनगर

भावनगर की रियासत की राजधानी और बन्दरगाह। बड़े जहाजों को लगभग ८ मील की दूरी पर लंगर डालना होता है, मुख्य

बन्दरगाह में छोटे जहाज ही आ सकते हैं। रेल द्वारा भावनगर सारे भारत से सम्बन्धित है। भावनगर से आयात व निर्यात दोनों बड़ी मात्रा में होते हैं।

सूरत

समुद्र से १४ मील दूर, लेकिन एक नदी द्वारा समुद्र से सम्बन्धित। छोटे जहाज ही सूरत तक पहुंच सकते हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के

समय इसका व्यापारिक महत्व बहुत था। १८०१ में इस व्यापार का १५ करोड़ के लगभग अनुमान लगाया गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल के बाद इसका व्यापारिक महत्व घटता गया; १९०० में हुए व्यापार का अनुमान केवल ३० लाख रुपया था। समय के साथ-साथ इसकी और भी अवनति होती गई और इस बन्दरगाह का सब व्यापार बी० बी० पुंड सी० आई० रेलवे द्वारा सूरत के बम्बई से सम्बन्धित हो जाने के कारण बम्बई चला गया।

बम्बई

बम्बई द्वीप की बन्दरगाह। इसकी स्थिति लैंटीच्यूड (अक्षांश) १८०२५ उत्तर और लांगीच्यूड (रेखांश) ७२०२४ पूर्व है। यह

एक बड़ी महत्वपूर्ण प्राकृतिक बन्दरगाह है। इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई का प्रदेश दहेज में मिला था, उसने १६६८ में १२० रुपये के वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया।

उन्नीसवीं सदी के शुरू तक बम्बई का कोई महत्व नहीं था। १८३८ में इंग्लैण्ड को नियमित मासिक डाक भेजने के प्रबन्धों के बनने पर इसे महत्व प्राप्त हुआ। बम्बई का १८५० में रेल द्वारा सम्बन्ध रुई की उपज के प्रदेशों से और पंजाब और युक्तप्रान्त के अनाज उपजाने वाले प्रदेशों से हो गया। अमरीका के घरेलू युद्ध के दिनों में बम्बई की रुई को बहुत महत्व मिला और बम्बई उन्हीं दिनों में एक बढ़िया बन्दरगाह बन गया।

बम्बई बन्दरगाह की राह आयात होने वाले मुख्य पदार्थ यह हैं : मशीनरी व पुर्जे, कपास, खनिज तेल, धातुएं, मोटर कारें, असली व नकली रेशम का धागा व कपड़ा, रसायन, सूती व गर्म कपड़ा, कागज।

निर्यात की मुख्य चीजें निम्न हैं :

कपास, सूती कपड़ा, बीज, तेल, ऊन, चमड़ा व खालें।

पुनर्निर्यात की चीजें ये हैं :

शीशे का सामान, नकली रेशम व कपड़ा, बीज, सूती कपड़ा।

युद्ध पूर्व की विश्वव्यापी व्यापार क्षीणता के कारण आयात-निर्यात में कमी दिखाई पड़ी लेकिन व्यापार की दशा के सुधरने के साथ ही आयात-निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हो गई।

उत्तरी भारत और गुजरात से बम्बई, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे और दक्षिण, मध्य भारत, गंगा से सिंचित प्रदेश, कलकत्ता व मद्रास से ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे बम्बई को सम्बन्धित करती हैं।

इस बन्दरगाह से हज की यात्रा और फारस की खाड़ी से व्यापार होता है। कराची, काठियावाड़, मालावार प्रदेश और गोआ से तटीय व्यापार पर्याप्त मात्रा में होता है। हजारों की संख्या में जहाज प्रतिवर्ष यहां लङ्गर डालते हैं।

बम्बई की बन्दरगाह का प्रबन्ध-भार बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (जो धारा सभा के एक कानून के अनुसार एक सार्वजनिक संस्था है) करता है।

यही ट्रस्ट रोशनी, रेलवे, बन्दरगाह की भूसम्पत्ति का और अन्य सम्बन्धित कर्तव्यों का इन्तजाम करता है।

१०० एकड़ भूमि जी० आई० पी० रेलवे का स्टेशन बनाने के लिए १८६२ में सरकार ने एक कम्पनी (एलफिन्स्टन लैंड एंड प्रेस कम्पनी) से ली। बदले में इस कम्पनी को अधिकार दिया गया कि अपनी भूसम्पत्ति के साथ के किनारे के समुद्र तले से २५० एकड़ तक जमीन उबार ले। परिणामस्वरूप बन्दरगाह का विकास जल्दी-जल्दी होने लगा। इसी बीच नगर के सामने के समुद्र के इतने तट का एकाधिकार एक व्यक्तिगत संस्था को देने का अनौचित्य सरकार ने समझा और उसने निश्चय किया कि इस कम्पनी को खरीद लिया जाय और एक सार्वजनिक संस्था इसका उत्तरदायित्व संभाल ले। तदनुसार १८६६ में कम्पनी खरीद ली गई और १८७३ में पोर्ट ट्रस्ट की रचना हुई। १८७६ में धारा सभा के एक नए कानून के अनुसार इस पोर्ट ट्रस्ट का विधान फिर से बनाया गया जो लगभग उसी रूप में आज तक जारी है।

बम्बई का बन्दरगाह दुनिया के सर्वोत्तम और सुरक्षित बन्दरगाहों में से एक है। लगभग ७४ वर्ग मील भूमि को यह घेरे हुए है; १४ मील लम्बाई, ४ से ६ मील चौड़ाई और गहराई लगभग २२ से ४० फुट की है। रोशनी का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है; तीन बड़े प्रकाश स्तम्भ (लाइट-हाउस) जहाजों की राह प्रदर्शन को बने हैं।

जहाजों की सहायता के लिए बेटार के तार के विशेष प्रबन्ध हैं और दिशा ज्ञान के विशेष यन्त्र भी निर्मित हैं। अन्धेरी और तूफान की सूचना पूना के शत्रु-दर्शक परीक्षणालय (मिटीयरोलॉजिकल आफिस) से प्राप्त होने पर तुरन्त प्रचारित कर दी जाती है।

बम्बई बन्दरगाह में तीन पानी के (बेट) और दो नूबे (ट्राई) लहाज ठहरने के स्थान (डेक्स) हैं। प्रति वर्ष ५० लाख टन में अधिक वजन का सामान इन स्थानों पर जहाजों से उतरता-चढ़ता है। सामान

हटाने के लिए रेलों और उठाने के लिए क्रनों का पूरा इन्तजाम है। मट्टी का तेल पेट्रोल और दूसरे तेलों के बड़े-बड़े भंडार बने हैं जिनमें लगभग ५ करोड़ ६० लाख गैलन तेल रखा जा सकता है।

बन्दरगाह पर कपास को रखने के विशेष प्रबन्ध हैं। १९२३ में १५ लाख रुपये के खर्च से लगभग १२७ एकड़ भूमि को घेरकर यह भंडार बनाया गया। सीमेंट से बनी पक्की इमारतों में लगभग १० लाख गांठें और इतनी ही गांठें विशेष बनाई गईं दहलीजों पर एक साथ रखी जा सकती हैं। इन भंडारों में आग बुझाने के विशेष इन्तजाम हैं।

अनाज और बीज वगैरह के भंडार रखने के लिए ८० एकड़ भूमि पर अलग प्रबन्ध है जहाँ कि दस लाख वर्ग फुट भूमि पर छती हुई इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ के कमरे ११० फुट चौड़े और ५०० या १००० फुट लम्बे हैं और बिजली, पानी का बढ़िया इन्तजाम है। इसके अलावा भूसा, मैंगनीज-मूल, कोयला, इमारत बनाने का सामान, सब के भंडार रखने के विशेष प्रबन्ध हैं।

यह सब प्रबन्ध और जहाज उतरने के स्थान उस भूमि पर हैं जिसे समुद्र तले से उबारा गया है। इस तरह सब मिलाकर लगभग ११०० एकड़ भूमि उबारी जा चुकी है। सब मिलाकर १८०० एकड़ भूमि पर पोर्ट ट्रस्ट का स्वामित्व है।

साउथ इंडियन रेलवे का अन्तिम स्टेशन। यहाँ मंगलोर पर २०० टन तक के जहाज उतर सकते हैं; बड़े जहाजों को दो मील दूर रुकना पड़ता है। मिर्च, चाय, काजू, काफी और चन्दन का यूरोप को निर्यात होता है। रबड़ टाइलें, चावल, मछली, मेवे और सूखी मछली की खाद लंका गोआ और फारस की खाड़ी की ओर भेजी जाती है। काजू का निर्यात अमरीका के लिए भी होता है।

विदेशों से आयात भी बढ़ रहा है। लक्कादिव और अमीन्दवी द्वीपों से मूँज और खोपे की उपज आती है।

तेल्लिचरी

मंगलोर से ६४ मील दक्षिण को और कन्नानोर से १४ मील दक्षिण को यह बन्दरगाह स्थित है। तट से दो मील दूर तक जहाज आ सकते हैं। बन्दरगाह प्राकृतिक है और बरसात में, जबकि दूसरे कई बन्दरगाह नाकाम हो जाते हैं, तेल्लिचरी खुला रहता है। निर्यात मुख्यतया काफी और मिर्च, खोपा, चन्दन, चाय अद्रक और इलायची का होता है। आयात में चीनी (जावा से) ताजा खजूर चावल और मशीनरी आती है।

कालीकट

स्थिति : तेल्लिचरी से ४२ मील दक्षिण की, कोचीन से ६० मील उत्तर की। मालाबार जिला की राजधानी। यह बन्दरगाह रेलगाड़ी की राह मद्रास से ४१३ मील दूर है। बरसात के दिनों में (मई से अगस्त तक) बन्दरगाह बन्द हो जाता है। समुद्र गहरा नहीं है और जहाजों को तीन मील दूर रुकना पड़ता है। निर्यात : मूंग, नारियल, काफी, चाय, मिर्च, अद्रक, रबड़, मूंगफली कपास और सूती मट्टी की खाद। आयात महत्वपूर्ण नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में मशीनरी, चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, मिर्च हरी, खजूर और मट्टी का तेल आता है।

कोचीन

बम्बई और कोलम्बो के बीच महत्व की एक बन्दरगाह। मद्रास प्रान्त में इससे अधिक व्यापार केवल मद्रास की बन्दरगाह में ही होता है। बन्दरगाह प्राकृतिक है लेकिन सैद्धों एकड़ भूमि समुद्र से उधार लेने से और जहाज उतरने के स्थानों के निर्माण से इसकी अद्यतन में वृद्धि हुई है। बन्दरगाह के विकास और उन्नति पर व्यव भारत सरकार कोचीन और ब्रायन्कोर दरवार मिल-जुलकर करते हैं। मद्रास, बंगलोर, त्रिचनापली, उटाकमंड, नीलगिरि कालीकट, कोयंबटोर और अनामलहस के जिलों वा प्रदेशों से रेल द्वारा सीधा सम्बन्ध है। रोडनी

(प्रकाश स्तम्भों) का बढ़िया प्रबन्ध है।

कोचीन से निर्यात की मुख्य वस्तुएँ मूँज, सूत, काजू, नारियल गिरी का तेल, चाय, रबड़, और मूँगफली हैं। आने जाने वाले जहाजों की संख्या में सतत वृद्धि हो रही है।

प्रावन्कोर का प्रमुख नगर और बन्दरगाह।
 ऐल्लिप्पी स्थिति : कोचीन से ३५ मील दक्षिण और किलोन से ५० मील उत्तर को। प्रायः सारा वर्ष ही बन्दरगाह का काम जारी रहता है। मुख्य निर्यात : नारियल गरी, मूँज, इलायची, अद्रक और मिर्च।

साठय इंडियन रेलवे की शिन्कोटा-त्रिवेन्द्रम शाखा पर स्थित। आयात महत्वपूर्ण नहीं।
 किलोन निर्यात : मूँज, के फर्श लकड़ी और मछली।
 मद्रास प्रान्त की एक बन्दरगाह। मद्रास और कोचीन से कम इसी बन्दरगाहके आयात-निर्यात के व्यापार को महत्व है। सारा वर्ष बन्दरगाह में काम जारी रहता है। साठय इंडियन रेलवे की दक्षिणी पूर्वी हद्द का स्टेशन।

बन्दरगाह में पानी उथला है, जहाजों को ५ मील दूर रुकना पड़ता है। रोशनी का प्रबन्ध अच्छा है। छोटे जहाजों से सामान उतारने चढ़ाने का इन्तजाम सुभीताजनक है क्योंकि रेलगाड़ी की पटरी साथ से गुजरती है।

स बन्दरगाह से आयात-निर्यात का अधिकांश लंका से होता है, दालें, चावल, प्याज, लाल मिर्च और जानवर बाहर भेजे जाते हैं। विदेशों को कपास चाय, इलायची आदि भी भेजी जाती है।

दक्षिण में साठय इंडियन रेलवे का आखिरी स्टेशन; रामेश्वरम् द्वीप का नगर। यहां से लंका को (दूरी : २५ मील) हर रोज जहाज

धनुष्कोडी

जाते हैं। रेलके डिब्बों से सामान सीधा जहाजों में ढाला जा सकता है। मछली, चावल, चाय और सूती कपड़े का निर्यात मुख्य है।

आय के दृष्टिकोण से असफल बन्दरगाह।

नेगा पट्टम तंजोर जिले का मुख्य बन्दरगाह। रेलवे से सम्बन्धित, नदी और नहर द्वारा दक्षिण के तम्बाकू उपजाने वाले क्षेत्र से भी सम्बन्धिता तट से दो मील पर जहाज लंगर डाल सकते हैं। मलाया बगरह की विदेशी ढाक बम्बई से रेल द्वारा नेगापट्टम और यहाँ से जहाजों द्वारा पिनांग और सिंगापुर भेजी जाती है। मुख्य निर्यात : यूरोप को मूंग-फली, सूती कपड़ा, तम्बाकू और हरी सज्जियां पिनांग, सिंगापुर और कोलम्बो को भेजी जाती है। मलाया और लंका के रबड़ और चाय के खेतों को जाने वाले धार्मिक लोग यहीं से जाते हैं।

कारिकल यहां फ्रांसका आधिपत्य है। क्षेत्रफल : ५३ वर्ग मील, तट १२ मील। तंजोर जिले से घिरी हुई बन्दरगाह। इस बन्दरगाह में एक प्रकाश स्तम्भ है। फ्रांस से कोई सीधा व्यापार नहीं है, मुख्यतया लंका और मलाया से चावल का व्यापार होता है। यह ऐसी बन्दरगाह है जहाँ आयात-चुंगी (कस्टम) नहीं लगती, स्टैंडर्ड आयल कम्पनी ने एक बड़ा पेट्रोल भंडार यहां खोल रखा है। १९३४ में २७ लाख इम्पीरियल गैलन पेट्रोल का आयात हुआ।

मुख्य व्यापार : चावल, पान के पत्ते, दियासलाई, आतिश-बाजी का सामान और मट्टी का तेल।

कुड्डालोर स्थिति : पांडीचरी से १५ मील दक्षिण को। मुख्य निर्यात : मूंगफली (फ्रांस को), सूती कपड़ा (मलाया को) थॉडो मात्रा में। अधिक व्यापार का क्षेत्र तटीय ही है। मलाया से उबली हुई सुपारी का आयात होता है।

हिन्दुस्तान में फ्रांस के अधीन प्रदेशकी राजधानी ।

पांडीचरी

स्थिति : कोरोमंडल तट पर सड़क द्वारा

मद्रास से १०४ मील दक्षिण को । यह सड़क चिंगलपुट टिंडिचनम और महिलम होकर आती है । जहाजों को दो तीन सौ गज की दूरी पर लंगर डालना पड़ता है, वहां से किश्तियों में माल उतारा जाता है ।

पांडीचरी से फ्रांसीसी भारत और साथ के देशी भारत की मूंगफली का फ्रांस के लिए निर्यात होता है । यहाँ कपड़े की मिलें भी हैं जिनकी उपज के अधिकांश का निर्यात होता है ।

मुख्य निर्यात : मूंगफली, कोरा कपड़ा, घी, प्याज, आम और हड्डियों की खाद । मुख्य आयात : कपास, खाने-पीने की चीजें, सीमेंट, लकड़ी, शराबें, सूती और रेशमी कपड़े, चांदी, चीनी, सेक्रिन और तिल्ला । पांडीचरी में नाम मात्र की आयात-बुंगी ली जाती है ।

मद्रास प्रान्त की राजधानी और महत्वपूर्ण मद्रास बन्दरगाह । कलकत्ता से १०३२ मील । अप्राकृतिक, मनुष्य निमित्त बन्दरगाह । यहां रोशनी, रेलों और क्रानों का अच्छा प्रबन्ध है । आयात व निर्यात के लिए आए सामान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह हैं । मद्रास दो रेलों द्वारा सम्बन्धित है ।

बन्दरगाह का प्रबन्ध मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जिसे कि १६०५ के मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऐक्ट के अनुसार बनाया गया; इस कानून में १६२६ में संशोधन हुआ) के मातहत है ।

इस बन्दरगाह से आयात की मुख्य चीजें यह हैं : सूखे-हरे फल, काजू, चावल, अन्य अनाज, मशीनरी, खाद, धातुएं, खनिज तेल, सूती कपड़ा, कच्चा पटसन, मोटर कारें ।

नर्यात के मुख्य सामान निम्न हैं : मूंग, व मूंग का सामान,

मछली, काजू, चमड़ी व खालें, धातुएं, मूंगफली व इसका तेल, काली मिर्च, चाय, सूती कपड़ा, कच्चा पटसन, तम्बाकू ।

मार्च ४८ में खत्म होने वाले वर्ष का आयात-निर्यात का व्यौरा इस प्रकार रहा :

आयात : ७१ करोड़ २६ लाख ।

निर्यात : ६४ करोड़ ११ लाख ।

प्रतनिर्यात : ४१ लाख

किस्तना नदी के मुख पर बन्दरगाह । रेलवे से सम्बन्धित । मसूलीपट्टम बड़िया बन्दरगाह नहीं है। बड़े जहाजोंको पांच मील दूर ही रहना पड़ता है । बरसात व तूफान में बन्दरगाह नाकाम हो जाती है ।

मुख्य निर्यात : मूंगफली, ऐरंड के बीज और खल्ल ।

गोदावरी नदी के उत्तर को कोकोनाडा की खाड़ी पर स्थित बन्दरगाह । विजगापट्टम से ८० मील दक्षिण और मद्रास से २७० मील उत्तर को । बड़े जहाज तट से ६-७ मील दूर रहते हैं जहां से १६ से ८६ टन की किरियों में सामान उतारा-चढ़ाया जाता है ।

मुख्य निर्यात : कपास, मूंगफली और ऐरंड के बीज ।

मुख्य आयात : मट्टी का तेल, चीनी, धातुएं ।

हसी नाम के जिले की मुख्य और महत्वपूर्ण विजगापट्टम बन्दरगाह । कलकत्ते से २४५ मील दक्षिण और कोकोनाडा से १०५ मील उत्तर को ।

मनुष्य निर्मित बन्दरगाह । रेलों द्वारा देश की भीतरी भाग से अच्छी तरह सम्बन्धित । दो मील दूर पर वालटेयर का बड़ा लंदरान है ।

सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का जहाज बनाने का कारखाना यहीं है ।

मुख्य निर्यात : मँगनीज, तोरिया, खल्ल व हरड़ ।

वाल्टेयर से २२ मील उत्तर पश्चिम को ।
विमलीपट्टम सड़क द्वारा विजयानगरम से १६ मील । यहाँ
से विजगापट्टम तक बसें भी चलती हैं ।

आयात महत्वपूर्ण नहीं । निर्यात : यहाँ की पैदायश पटसन, हरड़
तिल और मूंगफली ।

गोपालपुर गंजम जिला में । बँगाल नागपुर रेलवे के
स्टेशन बरहामपुर से दस मील । तटीय आयात
निर्यात ।

गोपालपुर से ऊपर २५० मील का किनारा उड़ीसा प्रांत का है ।

बालासोर बुराबलंग नदी के दाहिने तट पर, इसी नाम
के जिले की मुख्य बन्दरगाह । १७वीं सदी में
यहां अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और
युर्तगाल के व्यापारियों ने उद्योग-धन्धे जारी किए थे ।

इस बन्दरगाह का अब कोई महत्व नहीं है ।

चांदाबाली वैतरण नदी के किनारे पर स्थित, उड़ीसा की
एक ही अच्छी बन्दरगाह । कलकत्ता से तटीय
व्यापार, लेकिन विदेशों से कोई सीधा व्या-
पार नहीं ।

मुख्य निर्यात : चावल

आयात : सूत, कपड़ा, मट्टी का तेल, नमक, बोरियां ।

कटक इस बन्दरगाह से चांदाबाली और कलकत्ता
का तटीय व्यापार ही होता है ।

पुरी इस बन्दरगाह का भी कोई व्यापारिक महत्व
नहीं है ।

कलकत्ता

स्थिति : लैटीच्यूड (अक्षांश) २२°३३ उत्तर,
लांगीच्यूड (रेखांश) ३८°२१ पूर्व; हुगली
नदी के मुख पर। इस बन्दरगाह से बङ्गाल,

बिहार और युक्तप्रान्त के चाय और कोयले के उद्योग-धन्धों को,
अनाज और बीज की उपज को और ईस्ट इंडियन, बङ्गाल नागपुर और
ईस्टर्न बङ्गाल रेलों के कृषि सम्बन्धी उपज को लाभ पहुँचता है। बङ्गाल
और आसाम से रेल और पानी द्वारा सम्बन्धित।

कलकत्ते का प्रबन्ध १८७० में बने एक पोर्ट ट्रस्ट के मातहत है।
इसके कर्तव्यों की विवेचना १८६० के कलकत्ता पोर्ट ऐक्ट और १९२६
के बङ्गाल ऐक्ट : ६ के अनुसार हुई।

इस बन्दरगाह में मुख्य आयात की चीजें यह हैं :

मशीनरी, धातुएं, सूती कपड़ा, खनिज तेल, लोहा व इस्पात, रसा-
यन, खाद, विजली का सामान, मोटरकार, नमक, दैनिक प्रयोग की
विविध वस्तुएं, कागज व गत्ता, लकड़ी की चाय पैक करने की पैटियां।

निर्यात की चीजें :

चाय, कच्चा पटसन, कापोक (चीजों के ऊपर का रोपुंदार हिस्सा)
माइका, चमड़ी व खालें, ऊनी कपड़ा, कोयला, मोम, मसाले, चमड़ा,
पटसन का निर्मित सामान।

सामान उतारने चढ़ाने का बढ़िया प्रबन्ध है। सूखे (ड्राई) और
पानी के (वेट) 'डैक्स' 'जेट्रीज' और 'व्हार्फ'ज' में जहाज उतर सकते हैं।
५ करोड़ गैलन तक पेट्रोल भंडारों में रखा जा सकता है।

बन्दरगाह में चाय के भंडार के लिए लगभग ३ लाख वर्गफुट और
अनाज और चीजों के लिए १० लाख वर्ग फुट भूमि पर प्रबन्ध है।
सैकड़ों पक्की इमारतें हैं जहां सामान सुरक्षित रखा जा सकता है।

बम्बई के दक्षिण में कोंकण तट पर स्थित
बन्दरगाह। पुर्तगाली भारत के क्षेत्र में, गोवा-
गोवा से ५ मील दूर।

मोसुंगाओ

बन्दरगाह पर रोशनी का अच्छा इन्तजाम है। बन्दरगाह सारा चर्प खुली रहती है। सामान जहाजों से सीधा रेल के डिब्बों में डाक दिया जाता है। २ मील दूर वास्कोडगामा में वर्माशेल और स्टैंडर्ड वैक्यूम के पेट्रोल के भंडार हैं।

मुख्य निर्यात : बम्बई, दक्षिणी हैदराबाद और मैसूर की उपजें, मुख्यतया मँगनीज, मूंगफली, कपास और गरी की होती हैं।

बीमा

देश में बीमे की स्थिति क्या है, इसका परिचय निम्न आंकड़ों से मिलेगा।

	हिन्दुस्तान		हिन्दुस्तान में पाकिस्तान विदेशी कंपनियां	
	१९४६	१९४७		
बीमा कंपनियों की संख्या	२३६	२३६	१०१	६
केवल जिन्दगी का बीमा	१५२	१४८	३	३
जिन्दगी के सिवाय दूसरा बीमा	३६	४२	८६	३
जिन्दगी व दूसरा बीमा	४८	४६	१२	३
जिन्दगी का बीमा	(प्रतिवर्ष का हिसाब)			
देशी कंपनियां	विदेशी कंपनियां			
	१९४४	१९४५	१९४४	१९४५
नई पालसियों की संख्या	४३२००	५७०००	१६०००	२२०००
नए बीमे की मद				

(रूपये) ६५२००० १२२७८०० ११०००० १२६०००

इस बीमे की वार्षिक

रकम ५१,२०० ६७,३०० ६,२०० ७,४००

जिन्दगी का बीमा (प्रतिवर्ष कुल योग का हिसाब)

(००० जोड़ लें) देशी कम्पनियों द्वारा

१६४४ १६४५ १६४६

पालिसियों की कुल संख्या १,६४० २,३७६ २,५६६

बीमे की कुल

मद ३६,६१,५०० ४५,६४,३०० ५१,४५,०००

बीमे की सालाना

रकम १,८१,००० २,२८,१०० २,५५,६००

विदेशी कम्पनियों द्वारा

१६४५ १६४६

पालिसियों की कुल संख्या २,१६,००० २,२८,०००

बीमे की कुल मद ६१,८५,००,००० १,००,८५,००,०००

बीमे की सालाना रकम ५,२३,००,००० ५,६५,००,०००

देशी कम्पनियों द्वारा

देश से बाहर किये गए व्यापार के आंकड़े

१६४५ १६४६ अथ तक कुल

पालिसियों की संख्या १२,७०० १६,२०० ८५,७००

बीमे की मद ४,२२,००,००० ५,७३,००,००० २४,६०,००,०००

बीमा करने वाली कम्पनियों के शामदानी वा सर्व आदि का रियासत

इस प्रकार रहा है :

जिन्दगी का बीमा करने वाली (००० जोड़ लें)

	देशी कम्पनियां		विदेशी कम्पनियां	
	१९४५	१९४६	१९४५	१९४६
कुल आमदनी	८३,८००	३,२०,२००	७५,८००	७७,६००
क्लेम का खर्च	१,५४,६००	१,६१,७००	५४,८००	५८,८००
शेष जमा				
(लाइफ फंड)	१,२६,२००	१,५८,५००	२१,०००	१८,८००
व्याज की दर	३.४८%	३.२०%	३.२२%	३.१८%

जिन्दगी के अतिरिक्त विविध प्रकार के बीमों के आंकड़ों का व्यापार

निम्न रहा :

(००० जोड़ लें)

(रुपए)	देशी कम्पनियां		विदेशी कंपनियां	
	१९४५	१९४६	१९४५	१९४६
आग	३०,४००	३८,३००	१७,६००	२१,६००
समुद्री	१०,३००	११,०००	११,१००	११,२००
विविध	८,८००	१७,६००	११,७००	१५,६००

इन बीमों के सम्बन्ध में देशी व विदेशी बीमा कंपनियों पर किए
दावों (क्लेमज) का अनुपात निम्न प्रकार रहा है :

	१९४४	१९४५	१९४६
आग का बीमा	४२%	३१%	३०%
समुद्री ,,	४१%	५२%	४०%
विविध ,,	३३%	३४%	२८%

१५ नवम्बर १९४७ को हिन्दुस्तान में ११८ और पाकिस्तान में ८
प्राविडण्ट कम्पनियां काम कर रही थीं। इन कम्पनियों के व्यापार के
आंकड़े निम्न हैं :

	१९४४	१९४५	१९४६	कुल चालू बीमा
नई पालिसियां	१८,७००	२२,४००	२४,०००	८२,५००
बीमे की कुल				

मद(रूपए) ८३८२००० १०२०७००० १,२६,३७,००० ३०७३७००

१९४६ में बीमा बुक करने वाले एजेण्टों की रजिस्टर्ड संख्या १,५६,६६२ थी। इनमें से २१,७०० (१४ प्रतिशत) एजेण्ट स्त्रियां थीं।

रेडियो

देश में रेडियो का जन्म १९२७ में हुआ। एक व्यक्तिगत संस्था (इण्डियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी लिमिटेड) ने इस वर्ष बम्बई वा कलकत्ता में दो रेडियो स्टेशन खोले। तीन वर्ष तक यह प्रयास चला, लेकिन १९३० में इस कम्पनी ने दीवाला निकाल दिया। इस पर भारत सरकार ने इन दोनों स्टेशनों का प्रबन्ध संभाल लिया।

विभाजन के पूर्व आल इण्डिया रेडियो के ६ स्टेशन काम कर रहे थे। विभाजन से तीन स्टेशन (लाहौर, पेशावर, वा ढाका) पाकिस्तान को मिल गए। इसके बाद रेडियो का प्रसार तेजी से हुआ।

रेडियो-विभाग के मन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। शेष केन्द्रीय व स्थानीय अफसरों के नाम इस प्रकार हैं :

श्री एन० ए०एस० लक्ष्मणम्	टायरेक्टर जनरल
श्री एस०एन० चतुर्वेदी	डिप्टी टायरेक्टर जनरल
श्री सी०एन० सैन	"
श्री एल० गोपालन	"
दिल्ली श्री वी०पी० भट्ट	स्टेशन डायरेक्टर
श्री राम मराठे	जायंट स्टेशन डायरेक्टर

	डाक्टर वी० राश्रो	असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर
	डाक्टर यदुवंशी	”
	श्री आर०एन० गुप्ता	लिसनर रिसर्च आफिसर
	श्री पी०सी० दत्त	पब्लिक रिलेशन्स ”
चम्बई	श्री वी० परण जोति	स्टेशन डायरेक्टर
कलकत्ता	श्री ए०के० सेन	”
मद्रास	श्री जी० टी० शास्त्री	”
लखनऊ	श्री एस०एन० मूर्ति	”
पटना	श्री वी०एस० मर्धेकर	”
कटक	श्री एच०आर० लूथरा	”
नागपुर	श्री उमा शंकर	”

१९४७-४८ में हिन्दुस्तान में निम्न नए रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन खोले गए : पटना, कटक, जलन्धर, अमृतसर, शिलांग, गोहाटी, नागपुर, जम्मू व श्रीनगर। इस प्रकार देश के सब प्रान्तों में रेडियो स्टेशन खुल गए हैं।

बेज़वाड़ा, अहमदाबाद, धारवार, हुबली, और कालीकट में भी रेडियो स्टेशनों की स्थापना की योजना है। विदेशों से शक्तिशाली यन्त्र प्राप्त न होने के कारण अभी ऐसे ध्वनि प्रचारक यन्त्र ही लगाए जा रहे हैं जो उस नगर व पड़ोस के गांवों आदि तक आवाज पहुंचा सकें। बड़े यंत्रों के मिलने पर उनकी स्थापना कर दी जायगी।

देशव्यापी समाचार वितरण में समाचार प्रचार की प्रति दिन ३३ बुलेटिनें निकाली जाती हैं। इस वर्ष इन भाषाओं में निम्न भाषाओं की और वृद्धि हुई है : कन्नड़, काश्मीरी, डोगरी, उरिया और आसामी।

रेडियो से विदेशों के लिए जो ब्राडकास्टिंग होता है उसमें निम्न १३ भाषाओं का प्रयोग होता है : अंग्रेजी, हिन्दुस्तानी, तामिल, गुजराती, बर्मी, पश्तो, वयोयु, केन्टनी, एमाय, इंडोनेशियन, अफ्रगान-पर्शियन, पर्शियन व अरबी।

१९४७ में २,३०,०२५ लोगों के पास रेडियो रखने के लाइसेंस थे। जून १९४८ में देश में लाइसेंस प्राप्त रेडियो रिसीवरों की कुल संख्या २,५०,६०३ थी जिसका प्रान्तवार हिसाब इस प्रकार है।

बम्बई	६४,०७८	उड़ीसा	७६२
आसाम	३,७८३	मध्य भारत	६,६४५
पश्चिमी बंगाल	४६,७६४	मद्रास	४६,६३७
बिहार	१०,०६२	युक्त प्रान्त	३२,६४१
दिल्ली	१६,६१०	पूर्वी पंजाब	१३,२६१

इस तरह देश में लगभग प्रति १३२० आदिमियों के पीछे १ रेडियो है।

इसके विपरीत भिन्न-भिन्न विदेशों में कितने रेडियो हैं उसका ब्योरा यह है :

अमरीका	५,६०,००,०००
ब्रिटेन	१,०८,६१,६५०
स्वीडन	१,६०,००,१५६
चेकोस्लोवाकिया	१६,२१,५११
डेन्मार्क	११,०८,७५२
जर्मनी	३०,१२,३३१
फ्रान्स	५७,२८,६२३
आस्ट्रेलिया	१७,२५,२६०
कैनेडा	१७,५४,३५१

दुनिया के कुछ देश अपने रेडियो स्टेशनों में हिन्दुस्तान के लिए विशेष खबरें व प्रोग्राम प्रसारित करते हैं; उनके समय आदि का ब्योरा यह है :

स्थान	प्रोग्राम की-भाषा	दिन	समय	वेव लैन्ग्थ (मीटर)
मास्को(रूस)	हिन्दुस्तानी	रविवार	६.०० सायं	१६.५६ मीटर २५.३१ ,,
बी.बी.सी. (लंडन)	हिन्दुस्तान के लिए विशिष्ट प्रोग्राम	दैनिक	७.०० से ६.०० सायं	१६.६६ ,, ३०.८६ ,,
काबुल	हिन्दुस्तानी	बुधवार	८.१५ सायं	४४५.१ ,,
रंगून(बर्मा)	अंग्रेज़ी	दैनिक	८.३० सायं	४१.७१ ,,
तेहरान(ईरान)	अंग्रेज़ी	दैनिक	९.४५ सायं	१६.८७ ,,

देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो रेडियो स्टेशन लगे हैं उनकी ताकत का व्योरा व वेव लेन्ग्थ इस प्रकार है :

स्थान	ताकत	वेव लेन्ग्थ	प्रचार परिधि
दिल्ली	२० किलोवाट	मीडियम वेव	३३८.६ स्थानीय
"	१० ...	शार्ट वेव	४१.१५ प्रादेशिक
"	५	खबरें
"	१०
"	१००	विदेश
"	१००
"	२०
"	२०
"	७.५
"	७.५
बम्बई	१०	शार्ट वेव	४१.४४ प्रादेशिक
"	१.५	मीडियम वेव	२४४.० स्थानीय
कलकत्ता	१०	शार्ट वेव	४१.६१ प्रादेशिक
"	१.५	मीडियम वेव	३७०.४ स्थानीय

मद्रास	१०	शार्ट वेव ४१.३७	प्रादेशिक
”	५	मीडियम वेव २११	स्थानीय
लखनऊ	५ २६३.५
तिरुची	५ ३६५.८
पटना	५ २६५.३
कटक	१ २२१.४
जालन्धर	२५०. वाट्स २२५
अमृतसर	५०. वाट्स	... २२६.६
नागपुर	१ किलोवाट	... २३२.६
शिलांग	५०. वाट्स २०५.५
गोहाटी	१ किलोवाट ३८४.६

द्वि-वर्षीय योजना के अनुसार पहले ५ वर्षों में देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रेडियो के १८ नए प्रसार स्टेशन खुलेंगे। ध्वनि-प्रसार की दृष्टि से देश को ५ भागों में विभक्त किया गया है जिनके केन्द्र दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और अलाहाबाद में रहेंगे। इस योजना के पूरा हो जाने पर प्रत्येक प्रान्त में रेडियो स्टेशन खुल चुके होंगे।

इस योजना पर पहले पांच वर्षों में ३ करोड़ ६४ लाख रुपया व्यय होगा जिसमें से लगभग एक करोड़ की मशीनरी ही आयेगी। इस वषट रेडियो लाइसेंसों से लगभग २५ लाख रुपया की वार्षिक आमदनी है और रेडियो के आयात से लगभग ३० लाख की आय अलग हुआ करती है।

योजना का खुलासा इस प्रकार है :

(१) मद्रास और कलकत्ता में स्टूडियो की शपनी इमारतें खरी करना और ध्वनि-प्रसार के चालू केन्द्रों को दफ्तर व स्टूडियो सम्बन्धी अधिक सुविधाएं देना।

(२) शहरी प्रोग्रामों के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में दो-दो ताकतवर मीडियम वेव ध्वनि-प्रचारक यन्त्र खरीदें करना।

(३) ग्रामीण जनता व प्रदेश के लिए बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में

२०-२० किलोवाट की ताकत का मीडियम वेव का एक-एक ध्वनि-प्रसारक यन्त्र लगाना ।

(४) अलाहाबादमें दो बड़ी ताकत वाले और एक २० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रान्समिटर खोलना ।

(५) नागपुर, वैजवाड़ा, अहमदाबाद, कटक, धारवाड़, शिलांग और कालीकट में एक-एक २० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रान्समिटर लगाना ।

नियन्त्रण की सुविधाओं की दृष्टि से देश को पांच भागों में विभक्त किया जायगा—ऐसा करते समय संगीत व संस्कृति सम्बन्धी तारतम्य को ओम्नल नहीं किया गया ।

इस योजना को बनाते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखा गया है :

(१) देश की भिन्न-भिन्न बोलियों की मांग (२) भिन्न-भिन्न प्रांतों की मांग (३) नया स्टेशन खुलने से ग्रामदूरी बढ़ने की संभावना है या नहीं (४) जहां स्टेशन खोलना है उसके आसपास कलाकार मिल सकेंगे या नहीं (५) जहां स्टेशन खोलने की योजना है, शिक्षा व संस्कृति की दृष्टि से उस स्थान की कितनी विशिष्टता है (६) रेडियो स्टेशन कितनी शहरी व ग्रामीण जन-संख्या को लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा (७) जहां ग्रामों के लिए रेडियो स्टेशन खोलना है उसके पास कितने गांव बसे हैं ।

शिक्षा

हिन्दुस्तान के सामने जो विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत हैं उनमें से एक गम्भीर समस्या देश की जनता को शिक्षा देने की है । जिस लोक-तन्त्र की हम देश में स्थापना करना चाहते हैं उसकी नींव शिचित

जनता की चेतन प्रेरणा पर ही रखी जा सकती है ।

। असरजादकार का कर्तव्य हो जाता। है कि हर देश के निवासी को मौलिक (बेसिक) शिक्षा अवश्य दे । सार्जेन्ट कमेटी की रिपोर्ट में मौलिक शिक्षा का प्रचार लिखा तो गया था लेकिन उसे ४० वरस में पूरा करने की योजना थी । आज के हिन्दुस्तान में शिक्षा-प्रसार के लिए ४० वरस का काल सहा नहीं जायगा । देशमें केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ी उम्र के अशिक्षितों को शिक्षा देने का भी प्रश्न है । रियासतों को छोड़कर शेष हिन्दुस्तान में स्कूलों में जाने योग्य ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या २,६२,०७२,०० है । इन्हें शिक्षा देने के लिए अध्यापक कहाँ से आयें, उनका खर्च किन साधनों से पूरा हो, यह भी एक प्रश्न है । यदि १०० बच्चों को पढ़ाने के लिए ३ अध्यापक भी चाहिए तो ६ लाख के लगभग अध्यापकों की आवश्यकता है । इतने अध्यापक तो देश में नहीं हैं । केन्द्रीय वेतन समिति (पे कमीशन) ने बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये वेतन की सिफारिश की है (३० से २० रुपये माहवार) उस हिसाब से प्रति वर्ष इन्हीं अध्यापकों का २४ करोड़ रुपये का बिल बनेगा । १९४२-४६ में रियासतों को छोड़कर देश में प्राइमरी शिक्षा पर कुल खर्च ७.२२ करोड़ रुपये हुआ । इस तरह इस बड़े हुए खर्च के अतिरिक्त करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आदि के निर्माण के लिए पैसे जुटाने की भी एक बड़ी समस्या है ।

यह सब कुछ शिक्षाकी समस्या का एक पहलू है । दूसरा पहलू है कि शिक्षा का माध्यम क्या हो ? अर्वाचीन विज्ञानों के विशिष्ट टेक्निकल शब्दों को देशी भाषाओं में अनूदित किया जाए अथवा नहीं ? विश्व-विद्यालयों की शिक्षा में आजकल की व्यवस्थाके अनुसार क्या-क्या सुधार होने आवश्यक हैं ? देश के राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास को, जिसे अब तक विदेशी साम्राज्यवाद के हितों की दृष्टि में उपेक्षित किया व पढ़ाया गया है, फिर से लिखा जाय । हिन्दुस्तान के पुरातन इतिहास सम्बन्धी उल्लेख जिन-जिन विदेशी भाषाओं में मिलते हैं, देश में उनसे

पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिए ।

१६ से १८ जनवरी १९४८ तक नई दिल्ली में आल इंडिया एजुकेशनल कांफ्रेंस हुई जो उपरोक्त प्रश्नों पर कुछ फैसलों पर पहुंची । इस सभा में सब प्रांतों व रियासतों के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ।

फैसला किया गया कि शिक्षा सम्बन्धी केंद्रीय मंत्रणा समिति (सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन: साजेंट कमेटी) ने शिक्षा की जो योजना बनाई है उसमें नई अवस्थाओं के अनुसार सुधार किये जायं । बड़ी उम्र के लोगों को शिक्षा देने की योजना तैयार हो जिसमें पुस्तकालयों, खुली हवा में नाटकों, रेडियो व फिल्मों का प्रयोग हो । मौलिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिए जो योग्यताएं आवश्यक समझी जाती हैं उनमें पहले ५ वर्षों के लिए ढील कर दी जाय। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट की स्थापना हो । एक समिति बनाई गई जो शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी ।

शिक्षा पर व्यय

१९४५-४६ में देश के विभिन्न प्रदेशोंमें प्राइमरी शिक्षा पर जो व्यय किया गया, उसका व्योरा इस प्रकार है :

प्रदेश व प्रान्त का नाम	व्यय (रुपये)
आसाम	२१,६६,१८६
बिहार	२,०६,८२०
बम्बई	१,७१,२२,२८१
मध्य प्रान्त और वरार	२३,६०,३६१
मद्रास	२,८६,२८,४०३
उड़ीसा	१६,७७,०१७
युक्तप्रान्त	५७,५२,००८
बंगाल (अविभक्त)	७४,१०,१४२

पंजाब (प्रविभक्त)	५७,६६,४७४
अजमेर-मेरवाड	२६,६३४
बंगलोर की छावनी	१,०३,६५८
कुर्ग	४७,४३०
दिल्ली	२,७२,५६४
शेष विविध प्रदेश	१,४६,६६०

सर्व योग

७,२१,६६,२६८

शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े

विभाजन के बाद के शिक्षा सम्बन्धी विस्तृत आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं। १९४३-४४ के आंकड़ों के अनुसार देश में शिक्षणालयों और उनमें विद्यार्थियों की संख्या का व्योरा इस प्रकार था :

संस्था	संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
सरकार द्वारा रिकग्नाइज्ड		
यूनिवर्सिटियां	१६	११,२६४
लड़कों के लिए		
आर्ट और साइन्स कालेज	३१५	१,१८,४००
प्रोफेशनल कालेज	८६	२६,६१०
हाई स्कूल	३७७०	१३,३६,५८४
मिडिल स्कूल	१०,१११	१२,१६,८५६
प्राइमरी स्कूल	१,४६,४७२	६७,३६,६५३
बोकेशनल व अन्य स्कूल	१०,५७४	३,५२,२२०
लड़कियों के लिए		
आर्ट और साइन्स कालेज	३३	६,६२६
प्रोफेशनल कालेज	१७	१,०६३
हाई स्कूल	५६७	१,५६,८५०
मिडिल स्कूल	१४२४	२,११,६१७

प्राइमरी स्कूल	२१,०८०	१३,८६,०६१
वोकेशनल व अन्य स्कूल	७२२	३१,६०६
सरकार द्वारा अन रिगनाइज्ड संस्थाएं		
लड़कों के लिए	१०,७८१	३,३६,३०८
लड़कियों के लिए	३,५११	८३,०२१

शिक्षा पर व्यय

व्यय का प्रतिशत

संस्था	व्यय	संसाधन स्रोतों से			अन्य प्रत्येक स्रोतों से विद्यार्थी पर कुल व्यय (रूपये)
		सरकारी कोष से	लोकल बोर्डों के कोष से	फीसों से	

(रूपये)

(००० जोड़ लें)

नियन्त्रण

इमारत

यूनिवर्सिटियां,

सेकंडरी और

इन्टरमीडिएट

शिक्षा पर व्यय ७,५२,६० ४२.१ ६.६ २८-३ २३.०

लड़कों की संस्थाएं

आर्ट व साइन्स

कालेज व्यय २,०७,३० ३१.७ ०.२ ५६.२ ११.६ १६०.१

प्रोफेशनल

कालेज व्यय ६६,६६ ६०.५ १.६ ३०.० ७.६ ३५६.५

हाई स्कूल व्यय ६,३७,०८ २४.७ ३.६ ६०.७ ११.० ४४.७

मिडल स्कूल व्यय २,५३,४६ ३६.३ १८.६ ३१.४ १०.४ २०.८

प्राइमरीस्कूल	६,०६,७०	२२.६	३३.४	४.६	६.१	६.३
वोकेशनल व अन्य स्कूल	१,८०,४६	२७.४	४.६	१६.०	२१.७	४८.२
लड़कियों की संस्थाएँ घाट व साइन्स कालेज	१४,३६	४३.२	०.२	३८.५	१७.८	३०३.०
प्रोफेशनल कालेज	८,४६	६४.२	०.७	११.३	२३.५	७७७.०
हाई स्कूल	१,१७,६६	३८.१	२.१	४१.८	१८.०	७०.८
मिडल स्कूल	२८,६३	४०.४	१६.४	१७.१	२६.१	२६.७
प्राइमरीस्कूल वोकेशनल व अन्य स्कूल	१,८१,८१	४४.२	४२.४	३.७	६.४	१३.१
कुल योग	३४,४६,६८	४३.३	१२.१	२८.१	१३.५	२३.६

देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा देने वाली विविध संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :

	प्रबन्धभार	व्यक्तिगत संस्थाएँ
(रिजिस्टर्ड) सरकार	जिला बोर्ड	म्युनिसिपल सहायता सहायता बोर्ड
	पर	पर
यूनियसिंटियां
सेक्रेटरी व इंटरमीडियट के बोर्ड	४	१

	..	१६
	..	१६
	..	१
	..	१

काले						
आर्टवा साइंस ४५	१	..	१२६	४८	२२३	
ला (कानून) ४	२	६	१५	
मेडिसन(डाक्टर) ११	..	१	५	१	१७	
एजुकेशन(शिक्षा) १७	८	१०	३५	
इंजीनियरिंग ६	१	..	७	
कृषि ७	१	१	६	
व्यापार(कामर्स) १	४	६	१५	
टेक्नालोजी	२	१	३	
फारेस्ट्री(जंगल सम्बन्धी) २	२	
वेटरिनरी (पशु-चिकित्सा) ४	४	
इंटरमीडियेट २६	..	१	६४	२४	१४५	
कुल	१२३	१	२	२४५	१०३	४७४

हाई स्कूल ४०२	२०८	१५५	२५५३	१०१६	४३३७	
मिडल स्कूल ३०५	५४१२	४३५	४१८२	१२०१	११५३५	
प्राइमरी स्कूल २६६०	७६८२६	७५६६	७४८६७	५३००	१७०५५२	
कुल	३६६७	८५४४६	८१८६	८५६०२	७५२०	१८६४२४

बोकेशनल व अन्य स्कूल

आर्ट (कला) ८	१	१	६	३	१७	
मेडिसन(डाक्टर) १७	१५	२	३४	
ट्रेनिंग(अध्यापन) ३७२	६	१४	१४६	२८	५७२	
इंजीनियरिंग ७	२	..	६	
व्यापार(कामर्स) ७	१४	३०४	३२५	
कृषि ८	७	..	१५	
रिफर्मेटरी ११	२	..	१३	

विकृत श्रंग वालों

के लिए	१	१	२	५१	४	५६
वयस्कों के लिए १८१४	११६	१३४	२८२१	१२०६	६०६४	
अन्य	४८	२०	१२	२८३४	६४८	३५६२
कुल	२४४६	१७४	१७६	६२५७	२२४०	११२६६

रिकग्नाइज्ड

संस्थाएं	६२४०	८५६२४	८२६७	८८१२१	६८६४	१६८२१६
----------	------	-------	------	-------	------	--------

अनरिकग्नाइज्ड

संस्थाओं का

जोड़	३२६	६३	२६६	१३६३१	१४२६३
------	-----	----	-----	-------	-------

सब प्रकार की

संस्थाओं का

कुल जोड़	६२४०	८५६५३	८४३०	८८३६०	२३४६५	३१२५०८
----------	------	-------	------	-------	-------	--------

भिन्न-भिन्न प्रान्त अपनी आय का क्या प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च करते रहे व कर रहे हैं, इसका व्योरा इस प्रकार है :

	१९३६-४०	१९४४-४५	१९४७-४८
मद्रास	१५.८	७.२	१३.२
बम्बई	१५.२	७.१	१४.३
बिहार	१३.६	६.५	६.६
युक्तप्रान्त	१५.७	६.१	१०.१
मध्यप्रान्त	१०.७	६.५	१६.६
उड़ीसा	१४.२	१०.२	१३.३
शासाम	१३.२	८.२	१०.८

स्वास्थ्य

देश में उन बीमारियों की कमी नहीं है जो कि कोशिश करने से फैलनेसे पहले ही रोकी जा सकती हैं अथवा शुरू होजाने पर जिन पर तुरन्त काबू पाया जा सकता है। अगस्त १९४८ के पहले सप्ताह में सब भारतीय प्रान्तों व रियासतों के स्वास्थ्य मंत्रियों की सभा नई दिल्ली में सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए हुई। भोर कमेटी ने जिस केन्द्रीय बोर्ड आफ हेल्थ के निर्माण की योजना पेश की थी वह अब तक नहीं बनाया जा सका। देश में धन की व उचित शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की कमी है। देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें रक्त-तत्वमय आहार कैसे सुलभ हो; देश में बढ़ रहे तपेदिक, कोढ़ आदि रोगों की कैसे रोक-थाम हो; मलेरिया जैसे व्यापी रोग का किस तरह मुकाबला किया जाय; गांवों में डाक्टरों की सहायता पहुंचाने का क्या प्रबन्ध बने; दवा-इयां व विटामिन देश में ही तैयार करने के अधिकाधिक कारखाने खुलें; हस्पतालों के औजार व डाक्टरों को साजोसमान हिन्दुस्तान में ही बनें; स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने के साधन खोजे व चालू किये जायें; इस तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का तो अन्त ही नहीं है। इस कान्फ्रेंस ने इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया।

वर्ल्ड हेल्थ आर्गानिजेशन (दुनिया-भर की स्वास्थ्य समिति) की एक (रिजनल व्यूरो) प्रादेशिक शाखा हिन्दुस्तान में खुल गई है जिसमें अफ-गानिस्तान, बर्मा, लंका व स्याम शामिल हुए हैं। मलाया के भी शामिल होने की आशा है। इस तबह भारत पर एक यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ गिरा है।

देश में एक एनवायरनमेंट हाईजीन कमेटी (भिन्न-भिन्न दशाओं में स्वास्थ्य किस तरह बना रह सकता है इस विषय पर विचार करने वाली समिति) काम कर रही है जो इस विषय में सिफारिशें पेश करेगी कि गांवों में स्वास्थ्य का तल किस प्रकार ऊंचा हो। विशिष्ट डाक्टरों की शिक्षा

देने के प्रवन्धों पर रिपोर्ट करने के लिए एक दूसरी समिति काम कर रही है। प्लेग, बच्चों का लकवा, तपेदिक, मलेरिया, हैजा व कोड़ के सम्यन्ध में भिन्न-भिन्न समितियों का अन्वेषण जारी है ताकि देश से इन रोगों को निर्मूल किया जा सके।

स्वास्थ्य साधनों पर व्यय

भिन्न-भिन्न प्रान्त स्वास्थ्यके महकमे पर अपनी-अपनी धाय का क्या प्रतिशत भाग खर्च करते रहे व कर रहे हैं, इसका हिसाब इस प्रकार है :

	१९३६-४०	१९४४-४५	१९४७-४८
मद्रास	५.८	३.७	४.२
बम्बई	३.६	२.७	३.२
बिहार	४.४	२.६	३.२
युक्त प्रांत	२.७	३.५	२.६
मध्यप्रान्त	३.१	२.२	२.६
उड़ीसा	४.६	४.५	४.४
आसाम	४.६	३.१	३.३

प्रत्याशित आयु

भिन्न-भिन्न देशों में जन्म के समय औसतन कितनी लम्बी आयु की धारा की जा सकती है व वहां जन्म के समय बच्चों की मृत्यु का क्या अनुपात है इसका ज्योरा नीचे दिया गया है :

देश बच्चों की मृत्यु पुरुष स्त्री का अनुपात (१६३७)

न्यूजीलैंड	३१	६५.०४	६७.८८ (१९३१)
आस्ट्रेलिया	३८	६३.६८	६७.१४ (१९३२-३४)
दक्षिणी अफ्रीका	३७	५७.७८	६१.४८ (१९२५-२७)
कैनेडा	७६	५६.३२	६१.५६ (१९२१-३१)
अमरीका	५४	५६.१२	६२.६७ (१९२६-३१)
नीग्रो		४७.५५	४९.५१ (१९२६-३१)

जर्मनी	६४	५६.८६	६२.७५	(१९३२-३४)
इंग्लैंड व वेल्स	५८	५८.७४	६२.८८	(१९३०-३२)
इटली	१०६	५३.७६	५६.००	(१९३०-३२)
फ्रांस	६५	५४.३०	५६.०२	(१९२८-३३)
जापान	१०६	४४.८२	४६.५४	(१९२६-३०)
ब्रिटिश भारत	१६२	२६.६१	२६.५६	(१९२१-३०)

(=१५८-१६४१)

जीवन की विभिन्न उम्रों में मौतों का सब-उम्र की मौतों से अनुपात का व्योरा इस प्रकार है :

	एक वर्ष से कम	१-५ वर्ष	५-१० वर्ष	१० वर्ष तक का योग
ब्रिटिश भारत (१९३५-३६)	२४.३	१८.६	५.५	४८.४
इंग्लैंड वा वेल्स (१९३८)	६.८	२.१	१.१	१०.०

सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ हेल्थ की एक समिति (१९३८) ने अनुसन्धान के बाद कहा है कि देश में प्रति १००० में २० के लगभग स्त्रियों की प्रसूताकाल में मृत्यु हो जाती है।

१९३२ से १९४१ तक प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न बीमारियों से ब्रिटिश भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका व्योरा इस प्रकार है : इस में जो मौतें बुखारों के कारण दिखाई गई हैं उनमें अधिकांश मलेरिया से, व जो सांस-व फेफड़ों की बीमारियों से दिखाई गई हैं उनमें तपे-दिक का बड़ा हिस्सा है। चौकीदार ही गांवों में मौतों का हिसाब रखता है लेकिन वह उन बीमारियों के अन्वेषण की योग्यता नहीं रखता जो मौत का कारण बनीं :

हैजा	चेचक	प्लेग	बुखार
१,४४,६२४	६६,४७४	३०,६३२	३६,२२,८६६
२.४	१.१	०.५	५८.४

दस्त वा मरोड़	सांस वा फेफड़ों की बीमारियां	विविध कारण	जोड़
२,६१,२४	४,७१,८०२	१५,६६,४६०	६२,०१,५३६
४.२	७.६	२५.८	१००

देश का साधारण स्वास्थ्य इतनी गिरी दशा में क्यों है इसके कारण ये हैं :

(१) सब शोर श्राम गन्दगी की हालत । देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है लेकिन कहीं भी पीने के पानी को दूधकर रखने का, गन्दे पानी को बहाने के लिए नालियों का व गांव की गन्दगी को गांव में बाहर फेंकने का उचित इन्तजाम नहीं है । पंजाब के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने १९३६ में प्रान्त के १ प्रतिशत गांव में ही यह इन्तजाम पाए । १९४३ तक इस शोर लगातार प्रयत्न करने के बाद यह संख्या प्रान्त के १५.२ प्रतिशत गांवों तक पहुंची ।

(२) आहार मूल्य के भोजन का अभाव । देश की अधिकांश जनता केवल अनाज खाकर ही ज़िन्दा रहती है । यह अनाज भी पूरी मात्रा में नहीं मिलता । भोजन में आहार-मूल्य की चीजों के इस्तेमाल का नितान्त अभाव है । भारत सरकार की फूड ग्रैन्स पालिसी कमिटी ने अंदाजा लगाया था कि १९३६ से १९४३ तक सब अनाजों का उत्पादन देश की जनता की जरूरत के हिसाब से २२ प्रतिशत कम रहा । देश की गरीब जनता सब्जियों, फल, दूध, मांस, मछली व अंडों के प्रयोग की बात तो सोच भी नहीं सकती ।

(३) स्वास्थ्य व चिकित्सा संस्थानों की अपर्याप्तता । देश में डाक्टरों, नर्सों, दवाइयों व नैसर्ग की संख्या जनसंख्या में बड़ी कम है । हिसाब लगाया गया है कि देश की जनता के प्रति ६३०० व्यक्तियों के लिए १ डाक्टर व प्रति ४३,००० के लिए १ नर्स है । पूरे चिकित्सा संस्था (हस्पाताल व डिस्पेंसरी) की. निम्न-निम्न प्रांतों में दिखती

जनता के स्वास्थ्य व औषधि का खयाल रखना पड़ता है, उसका च्वोरा इस प्रकार है :

प्रान्त	एक संस्था के पीछे जनता की संख्या	
	ग्रामीण	शहरी
अविभाजित पंजाब	३०,६२६	१६,१८८
,, आसाम	४४,६६२	१,७२,६६२
,, बंगाल	३७,६६६	१६,७३०
मद्रास	४२,६७२	२८,४६६
उड़ीसा	६२,६४८	१६,२७६
बम्बई	३४,६२७	१७,१२७
बिहार	६२,७४४	१८,६३०
मध्यप्रान्त	६६,००८	११,२७६
युक्तप्रान्त	१,०६,६२६	१७,६६८

ब्रिटिश भारत (१६४२-४३) के हस्पतालों में कुल ७३,००० चारपाइयां हैं जो देश में प्रति ४००० व्यक्तियों के लिए १ चारपाई के हिसाब से हैं। विदेशों से इस अनुपात की तुलना इस प्रकार होगी :

अमरीका	(१६४२) १०.४८ चारपाइयां प्रति १००० जनता के लिए
जर्मनी	(१६२७) ८.३२ चारपाइयां प्रति १००० जनता के लिए
इंग्लैंड वा वेल्स	(१६३३) ७.१४ चारपाइयां प्रति १००० जनता के लिए
रूस	(१६४०) ४.६६ चारपाइयां प्रति १००० के लिए
ब्रिटिश भारत	०.२४ चारपाइयां प्रति १००० के लिए

(४) स्वास्थ्य सम्बन्धी व साधारण जनता के लिए शिक्षा का अभाव । साधारण शिक्षा का बहुत कम जनता तक सीमित होना भी हमारे स्वास्थ्य की गिरी दशा का एक बड़ा कारण है। १६४१ में देश में पढ़े-लिखों का अनुपात केवल १२.६ प्रतिशत था ।

(५) पिछड़ी हुई सामाजिक अवस्था । देश में बेकारी, गरीबी व कई सामाजिक रीति-रिवाज भी हमारे स्वास्थ्य को नीचा रखने में सहायक होते हैं । छोटी उम्र में व्याह होना स्वास्थ्य को नहीं बने रहने देता । हमारा रहन-सहन भी उचित तल पर, उचित अवस्थाओं में नहीं होता ।

खाद्यों का आहार मूल्य (फूड वैल्यू)

इस सम्बन्ध में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के मातहत कुनूर की न्यूट्रिशन रिसर्च लैबोरेटरीज में श्रन्वेपण होता है । यहां देश में बरते जाने वाले सब तरह के खाने-पीने के सामान के आहार-मूल्यों की छानबीन होती है ।

देश की बड़ी-बड़ी बीमारियां

देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं में तपेदिक एक बड़ी समस्या बन गई है । यह बीमारी कितनी फैली हुई है व इसमें प्रतिवर्ष कितनी मौतें होती हैं, इसका अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है । जो अनुमान लगाये गए हैं (१९३२-४१), उनके अनुसार ४,७५,००२ से ८,१८,६३४ हिन्दुस्तानी प्रति वर्ष तपेदिक के रोग से मरते हैं । जो लोग खुले, हवादार कमरानों में नहीं रहते व अच्छा स्वास्थ्यकर भोजन नहीं खाते उन पर तपेदिक के कीटाणु हावी हो सकते हैं । मनुष्यों, जानवरों व पक्षियों में तपेदिक होता है । गौश्यों को भी तपेदिक का रोग दबा देता है; बिना उबला दूध पीने से रोग के कीटाणु मनुष्यों तक पहुँच सकते हैं । हिन्दुस्तान के जानवरों में तपेदिक फैला है । अभी इसकी सार्थी प्राण्य आंकड़ों से नहीं मिल पाती ।

यूरोप व अमरीका में तपेदिक बहुतायत से फैला है और हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में भी इसका प्रभाव काफी स्पष्ट हो चुका है । इंडियन मेडिकल गज़ट के अक्टूबर १९४१ के अंक में तपेदिक से दुनिया के भिन्न-भिन्न शहरों में प्रति १ लाख जनता की मौतों का विवरण इस प्रकार बताया गया था :

पैरिस	१७७	कानपुर	४३२
मैक्सिको	१७०	लग्ननक	४१६
न्यूयार्क	१२८	मद्रास	२६०
बर्लिन	१२०	कलकत्ता	२३०
लंडन	६६	बम्बई	१४०

फरवरी १९३६ में ट्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन आफ इन्डिया का संगठन हुआ। इस संस्था का केन्द्र दिल्ली में व शाखाएं प्रान्तों व रियासतों में हैं। केन्द्रीय समिति रोग के सम्बन्ध में विशिष्ट मन्त्रणा देती रहती है।

१९२६ में बंगाल में एक ट्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन बनी जिसने कलकत्ता व मुफस्सिल में हस्पताल व डिस्पेन्सरियां खोल रखी हैं।

देश के हस्पतालों में तपेदिक के बीमारों के लिए केवल ६००० के लगभग चारपाइयां हैं।

देश की तीन बड़ी फैलने वाली बीमारियों में से चेचक एक है। चेचक से १८८० से १९४० तक प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे मौतों का अनुपात ०.१ प्रतिशत से ०.८ प्रतिशत तक रहा है। यह कहा जा सकता है कि देश में इस रोग से मृत्युओंकी संख्या कम होती गई है। फिर भी १९३२ से १९४१ तक प्रतिवर्ष इस रोग से मौतों की संख्या ७० हजार के लगभग रही है। इस सम्बन्ध में दुनिया के जिन-जिन देशों के आंकड़े मिलते हैं, उन सब में हिन्दुस्तान की मृत्यु-संख्या सबसे अधिक है। चेचक से मृत्युएं बचपन में एक वर्ष से पहले और दस वर्ष के अन्दर-अन्दर अधिक अनुपात में होती हैं। चेचक के आक्रमण से जो बच भी जाते हैं वह आंखों की दृष्टि को आंशिक रूप में या पूर्णतया गंवा बैठते हैं।

चेचक से बचने के लिए टीके का प्रयोग सबसे पहले १८३० में बम्बई

में शुरु हुआ। १८५८ में प्रान्त में वैक्सिनेशन डिपार्टमेंट का आयोजन हुआ। इसके बाद बाकी प्रान्तों में भी टीका विभाग खुले। इस वक्त वचपन में देश के ८१ प्रतिशत शहरों में तथा ६१ प्रतिशत गांवों में टीका कराना आवश्यक है। बम्बई प्रान्त में केवल ४.६ प्रतिशत गांवों में ही टीका लाजमी है। युक्तप्रान्त, कुर्ग व अजमेर-मारवाड़ (१६४२-४३) के किसी गांव में भी टीका लगाना जरूरी नहीं है। चेचक के टीके का दुबारा लगाना केवल मद्रास में ही आवश्यक है; बाकी हिन्दुस्तान में बीमारी फैलने पर विशिष्ट आज्ञाओं द्वारा ही इसे जरूरी घोषित किया जाता है।

टीके का निर्माण रांची, नागपुर, गुईडी, कलकत्ता पटना लंगर व बेलगांव में होता है।

हैजे से १६३७ से १६४१ तक ब्रिटिश भारतमें प्रतिवर्ष १, ४७, ४२३ मौतें हुईं। पिछले कुछ वर्षों में हैजे से मौतों का व्योरा इस प्रकार रहा

हैजा

है :

वर्ष	मौतों की संख्या	प्रतिवर्ष
१६१२-१६	३,२८,५६३	प्रतिवर्ष
१६१७-२१	३,६२,०७०	..
१६२२-२६	१,४३,८६०	..
१६२७-३१	२,६७,७५६	..
१६३२-३६	१,४७,४४०	..
१६३७-४१	१,४७,४२३	..

हैजे की बीमारी को बश में करना कठिन नहीं है, लेकिन सब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। एक मो घोंगे के पानी को एक बार रसने के प्रबन्ध नहीं है, न गन्दगी को सड़कों व गांवों से दूर फेंकने का और इस प्रकार फेंकने के दुस्तजाम हैं कि लोगों के घांसे-घोंसे का सामान दूषित न हो सके। रसने के दरवाड़म, शिशुओं व बिरों पर भी नियन्त्रण का खरजा प्रबन्ध नहीं है।

हैजा फैल जाने पर रोगी को लोगों से अलग रखने के, कीटाणुओं से दूषित हो गए सामान को कीटाणु-रहित करने व लोगों को टीका लगाने के प्रबन्ध अधिक मात्रा में सुलभ होने चाहिए।

देश में बड़े-बड़े मेलों व जन समूहों के इकट्ठा होने पर हैजा आमतौर पर दूट पड़ता है। प्रान्तीय सरकारों के हेल्थ डिपार्टमेंट मेलों की सफाई के विषय पर अधिक सतर्क रहते हैं और फलस्वरूप बीमारी की रोकथाम रहती है।

बंगाल व मद्रास के कावेरी-डेल्टा में हैजा निश्चित समयों व ऋतु पर खुद ही फूट उठता है। इन प्रदेशों से हैजे के कारणों को निर्मूल करने के विशेष प्रयत्न जारी हैं।

१८६६ में बम्बई की बन्दरगाह की राह से प्लेग हिन्दुस्तान में चीन से प्लेग के रोग का आना हुआ। बीमारी शीघ्र ही हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में फैल गई। १६०४ में हिन्दुस्तान में प्लेग से ११,२०,००० मौतें हुईं। तब से इस रोग से मौतों की संख्या लगातार घटती गई है। १६३६ से १६४१ तक प्रतिवर्ष प्लेग के कारण हिन्दुस्तान में केवल १६,२४७ मौतें हुईं।

हिन्दुस्तान में प्लेग का कारण चूहे हैं। प्लेग से आक्रान्त चूहे के शरीर पर रहने वाली मक्खी के काटने पर यह रोग इन्सानों में फैलता है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग जानवरों से प्लेग फैला करती है।

प्लेग का रोग गिल्टियों के सूजन या न्यूमोनिया के आक्रमण में स्पष्ट होता है। गिल्टियों की प्लेग में ६० से ७० प्रतिशत प्रभावित लोग मर जाते हैं; न्यूमोनिया के रूप में प्रकट होने वाली प्लेग से प्रायः कोई भी नहीं बच पाता।

इंडियन प्लेग कमीशन ने रोग की, इसके कारणों व निदान की छानबीन की है। इसके एक कार्यकर्ता, डा० हैफकीन ने प्लेग से

वचने के लिए लगाए जाने वाली वैक्समीन की ईजाद की जिसका इस्ते-
माल आजकल आम होता है। बम्बई में "हंफकीन इन्स्टीट्यूट" प्लेग
सम्बन्धी अन्वेषण करती रहती है।

जिन प्रदेशों में प्लेग का आक्रमण आमतौर पर हो जाया करता है
वहाँ पर चूहों की आबादी को कम रखने या हटा देने से प्लेग का निवा-
रण हो सकता है। गिल्टियों की प्लेग का आक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे
व्यक्ति तक नहीं पहुँचता।

दुनिया के २० लाख कोदियों में से १० लाख
कोड़ कोड से आक्रान्त व्यक्ति हिन्दुस्तान में रहते
हैं। कोड़ का रोग मुख्यतया अफ्रीका, हिन्दु-
स्तान, दक्षिणी चीन और दक्षिणी अमरीका में है। हिन्दुस्तान में प्रायः-
द्वीप के पूर्वी किनारे व दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार,
उड़ीसा, मद्रास, ब्राह्मकोर व कांचीन में इसका कोप विशेषतया अधिक
है। हिमालय की तराई का भी कुछ हिस्सा रोगाविष्ट है।

कोड़ के रोग के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के प्रायः शुरु में ही बलकत्ता
में एक चिकित्सालय खुला। १८७५ में चम्पा में "विलेज्जला-वेकी-मिशन-यु-
लेपर्स" नाम की संस्था शुरु हुई। १९२७ में इस संस्था की २२ शाखाएँ
भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रही थीं जिनमें कुल ८००० रोगियों को
आश्रय मिल सकता था। यह मिशन १७ दूसरी ऐसी संस्थाओं की
आर्थिक सहायता देता है जो कुल मिलाकर २६०० रोगियों का इलाज
कर सकती हैं।

देश में कोड़ सम्बन्धी संस्थाओं की कुल संख्या २५ है और कुल
१४,००० हजार रोगियों के लिए इनमें जगह है—(१९२२-१९२३)।

१९२५ से "इंजिनर वॉसिल आर्क डी मिडिल एम्पायर नेचरल
रिलीफ एन्डोसिटेशन" भा देश के कोड़ के निवारण की दिशा में प्रयत्न-
शील है।

इसके शक्तिरिक्त प्रान्तों में शक्यता काम होसता है। बम्बई, दक्षिण

बिहार, मध्यप्रांत व मद्रास में कोढ़ के रोग से सम्बन्धित विशेष संस्थाएं सक्रिय हैं।

देश के लगभग १० लाख कोढ़ियों में से ७० से ८० प्रतिशत ऐसी अवस्था में समझे जाते हैं जो रोग को दूसरों तक फैला नहीं सकते।

इस तरह देश में लगभग अढ़ाई लाख ऐसे रोगी हैं जिन्हें आम जनता से दूर रखना आवश्यक है।

देश में ऐसे भिखारी भी हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं।

देश में कोढ़ के रोग से पीड़ितों के सम्बन्ध में २ कानून बने हुए हैं जो रोगियों द्वारा खाने-पीने की चीजें तैयार करने व बेचने, सार्वजनिक कृशों व तालाबों और यातायात के सार्वजनिक साधनों के प्रयोग का निषेध करते हैं।

हिन्दुस्तान में लैंगिक रोगों (सूजाक व आत-लैंगिक बीमारियां शिक) के विस्तार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर-जनरल सर जान मंगा ने १९३३ में इसका अनुमान लगाने की कोशिश की थी। उनके अन्वेषण के अनुसार बङ्गाल व मद्रास में यह रोग अधिक फैले हैं। इन रोगों के निदान व उपचार करने की शिक्षा के साधन केवल मद्रास व बम्बई में ही हैं।

१९२५-२७ में चैडलर ने हिन्दुस्तान में आत-आंतड़ियों के कीड़े ढियों में कीड़े पड़ने के रोग की विस्तृत छान-बीन की। उसके अनुसार आसाम, दार्जिलिंग, ब्रह्मकोर, दक्षिणी कनाडा और कुर्ग में यह रोग बहुतायत से फैला है। मध्य भारत, युक्तप्रान्त के पूर्वी भाग और हिमालय की तराई में भी इसका प्रकोप कम नहीं है। बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त के पूर्वी हिस्से, पूर्वी प्रान्त और पंजाब के कुछ हिस्सों और मद्रास के पूर्वी किनारे पर भी यह रोग फैला है, लेकिन रोगी की आंतड़ियों में औसत कीड़ों की संख्या ज्यादा नहीं होती।

आंतड़ियों में कीड़े पैदा हो जाने से शरीर में लून की कमी, पेट की पाचनशक्ति का हास व चोट लगने पर अधिक लून बहने का रोग पैदा हो जाता है ।

कैन्सर किस हद तक देश में फैला हुआ है, इस नासूर भगन्दर वगैरह के कोई आंकड़े या अनुमान प्राप्त नहीं हैं और प्रायः यह खयाल किया जाता है कि हिन्दुस्तान में कैन्सर बहुत कम पाया जाता है । इस और कुछ देशी व विदेशी डाक्टरों ने द्दानवीन की है । देश-भर में केवल बम्बई में टाटा मेमोरियल हस्तरताल इस रोग के निदान व उपचार की द्दानवीन कर रहा है ।

पानी का प्रबन्ध

सुरक्षित पानी का प्रबन्ध जनता के लिए भी, यह सिद्धान्त सप अर्वाचीन देश मानते हैं । सुरक्षित पानी का प्रबन्ध स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी और मौलिक आवश्यकता है । दूषित पानी के प्रयोग से कितने ही रोग फैलते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए टंके व साफ पानी का इन्तजाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ।

ग्रामीण व शहरी जनता के जिस हिस्से को सुरक्षित पानी मिलना है उसका अनुपात मद्रास में ६.६ प्रतिशत, पञ्जाब में ७.३ प्रतिशत और युक्तप्रान्त में ७.१ प्रतिशत है । उड़ीसा में केवल २ ऐसे शहर हैं जहां सुरक्षित पानी का प्रबन्ध है । अविभाजित पंजाब के २७.२ प्रतिशत शहरों में सुरक्षित पानी का प्रबन्ध था लेकिन इस प्रान्त के गाँवों के सिर्फ ०.८ प्रतिशत भाग में ही ऐसे प्रबन्ध थे ।

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और पूना में लून के पानी से परीक्षण के इन्तजाम हैं । युक्तप्रान्त में पाँच बड़े शहरों के पानी का परीक्षण हुआ करता है । हैदराबाद, कानपुर, अमरा, जयपुर, पन्नाहाबाद, कलकत्ता व मद्रास में पानी को रेत से गुजार कर उसे सफा करने का तरीका करता जाता है ।

पानी के प्रबन्ध का भार प्रान्तीय सरकारों पर है। कई शहरों में नलों के इस्तेमाल पर मीटर नहीं लगाए जाते, फलस्वरूप पानी का बहुतायत से नुकसान होता है।

गांवों में पानी आमतौर पर कूओं, तालावों, नदियों व नालों से लिया जाता है। कुछ प्रान्तों में विजली के नल खुदवा कर इस अवस्था को सुधारने की कोशिशें की गई हैं।

डाक्टरी शिक्षा

देश के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में डाक्टरी शिक्षा देने का इन्तजाम है; यहां प्रायः यूरोपियन चिकित्सा पद्धति की शिक्षा ही दी जाती है। अतः कई प्रान्तों में यूनानी व आयुर्वेदिक शिक्षा की सुविधा की योजनाएँ भी बनाई गई हैं। देश में एक ऑल इंडिया मैडिकल कौंसिल है जो सम्बन्धित शिक्षा का तल निर्धारित करती है।

हिन्दुस्तान में १६ मैडिकल कालेज हैं; केवल लड़कियों के लिए एक कालेज दिल्ली में है, एक-एक कालेज हैदराबाद व मैसूर में हैं। इन कालेजों में १००० के लगभग विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं। डाक्टरी शिक्षा की अवधि प्रायः सभी जगह पाँच वर्ष है।

प्रति विद्यार्थी के पीछे कालेजों के हस्पतालों में रोगियों की कितनी चारपाइयों का प्रबन्ध है, उसका व्योरा इस प्रकार है :

ग्रान्ट मेडिकल कालेज बम्बई	५
स्टेनले मेडिकल कालेज मद्रास	६
किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ	४
कारमाइकेल मेडिकल कालेज कलकत्ता	५

देश में केवल तीन कालेज दान्तों सम्बन्धी दान्तों सम्बन्धी डाक्टरी शिक्षा देते हैं—कलकत्ता डेंटल कालेज, नायर डेंटल कालेज, बम्बई व करीमभाई इब्राहीम डेंटल कालेज, बम्बई। इन तीनों में से कोई भी कालेज किसी भी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित नहीं है।

रोग व चिकित्सा से सम्बन्धित खोज

देश में रोग निदान व चिकित्सा से सम्बन्धित सब खोज मुख्यतया दो संस्थाओं द्वारा होती है—(१) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परी-क्षणालय व मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट और (२) इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन ।

केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परीक्षणालयों के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति का विशेष प्रबन्ध है ।

इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रोगों के सम्बन्ध में द्दानवीन जारी करती व तत्सम्बन्धी शिक्षा प्रसार करती है । यह एक गैर सरकारी संस्था है लेकिन सरकार से इसका गहरा सम्पर्क रहता है ।

इनके अलावा अपने-अपने क्षेत्र में स्थूल श्याफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता, पैश्चर इन्स्टिट्यूट एसोसिएशन इन इंडिया और इंडियन कॉन्सिल आफ ब्रिटिश एम्पायर लेप्रसी रिलीफ एसोसिएशन भी अन्वेषण करती रहती हैं ।

द्दानवीन की जो संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के अनुदान में हैं, उन का ब्योरा निम्न है :

मलेरिया सम्बन्धी सभी प्रयोगों पर यह संस्था मलेरिया इन्स्टिट्यूट ध्यान देती व इन सम्बन्ध में सज्जित रहती है ।
 श्याफ इंडिया इस संस्था ने अपने २२ वर्ष के समय में हिन्दुस्तान की इन सर्वप्रथम बीमारियों के बारे में बहुत साहित्य प्रकाशित किया है ।

वायोकेमिकल स्टैंडर्ड्स- देन में बना दवाइयों के विश्लेषण की विशिष्ट इजेसन लेबोरेटरी शिक्षा देने वाली इन संस्था पर १९३७ में आजीवन हुआ था ।

इम्पीरियल
सीरोलोजिस्ट

इसका दफ्तर कलकत्ता के स्कूल आफ ट्रापि-
कल मेडिसन की इमारत में है। कार्यक्षेत्र
टीकों के सम्बन्ध में छानबीन करते रहना व
सम्बन्धित शिक्षा का प्रसार करना है।

प्रान्तों व सरकारी परीक्षाजयों की सूची यह है :

मद्रास

किंग इन्स्टिट्यूट आफ प्रिवेन्टिव मेडिसन,
गुइन्डी।

बम्बई

हैफकीन इन्स्टिट्यूट, बम्बई।
पब्लिक हैल्थ लेबारेटरी, पूना।
वैक्सीन लिम्फ डिपो, बेलगाम।

बंगाल

वैक्सीन लिम्फ डिपो कलकत्ता।
कालरा वैक्सीन लेबारेटरी, कलकत्ता।
पैशचर इन्स्टीट्यूट कलकत्ता।
बंगाल पब्लिक हैल्थ लेबारेटरी कलकत्ता।

युक्तप्रान्त

प्राविंशल हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ।
केमिकल एक्जामिनर्स लेबारेटरी आगरा।
पब्लिक एनलिस्ट्स लेबारेटरी लखनऊ।
प्राविंशल व्लड बैंक लखनऊ।

आसाम

पेशचर इंस्टीट्यूट और मेडिकल रिसर्च इंस्टी-
ट्यूट शिलांग।
प्राविंशल पब्लिक हैल्थ लेबारेटरी शिलांग।

विदेशों में हिन्दुस्तानी राजदूत

नाम	पद	नगर और देश
श्री सरदार के० एम० पनिककर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित	एम्बेसेडर ,,	नैन्किंग, चीन । मास्को, रूस ।
श्री अली ज़हीर	,,	तेहरान, ईरान ।
श्री डा० एम० ए० रऊफ	,,	रंगून, बर्मा ।
श्री स० सुरजीतसिंह मजीठिया	,,	काठमंडू, नेपाल ।
श्री डा० सैयद हुसैन	,,	कायरो, इजिप्ट ।
श्री विंग कमांडर रुप चन्द	,,	काबुल, अफगानिस्तान ।
श्री दीवान चमनलाल	,,	अंकरा, टर्की ।
श्री बी० रामाराव	,,	न्यूयार्क, अमरीका ।
श्री आर० के० नेहरू	चार्ज द अफेयर्स	वाशिंगटन, अमरीका ।
श्री एन० आर० पिल्लई	,,	पेरिस, फ्रांस ।
श्री बी० एफ० तैयाबजी	,,	मस्को, चेकियम ।
श्री भगवत दयाल एनघाय एम्बेसा- शार्टनरी च मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्सरी	एम्बेसा- शार्टनरी च मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्सरी	चंगकोक, स्याम ।
श्री डी० बी० देसाई	,,	वर्न, स्विट्जरलैंड ।
श्री एम० आर० मसानी	,,	रियो डी जैनेरियो, ब्राजील ।
श्री एन राघवन	कौन्सिल जनरल	बेवेरिया, इन्डोनेशिया ।
श्री ई० एम० कृष्णामूर्ति	,,	नैन्किंग, चीन ।
श्री मिर्जा रशीद अली बेग	,,	प्रांशियरी, इजिप्ट ।

हिन्दुस्तान में आर्य व पूर्वजासिद्धों
के आधिपत्य के अंश के सिद्ध ।

श्री ए० एन० मेहता कौंसल सैगौन, इन्डोचाइना ।

श्री त्रिगेडियर खूब चन्द हेड आफ इन्डियन वलिन, जर्मनी ।
मिलिटरी मिशन

श्री ई० शिष्टने हिज मैजेस्टीज़ काशगर।
कौंसल जनरल

ए० जे० हापकिन्सन पोलिटिकल आफिसर सिक्किम ।
एस्क्वायर

श्री आर० आर० सक्सेना कौंसल जनरल न्यूयार्क, अमरीका ।
श्री डाक्टर पी० पी० राष्ट्र संघ (यू० एन०- इन्डिया डेलीगेशन
पिल्लई श्री०) में हिन्दुस्तान के आफिस न्यूयार्क,
स्थायी प्रतिनिधि अमरीका ।

श्री वी० वी० गिरि हाई कमिश्नर फार इन्डिया कोलम्बो, सीलोन ।

श्री एच० एस० मलिक ,, ओटावा, कॅनेडा ।

श्री एन० ई० एस० राघवाचारी एजेंट कॅडी, सीलोन ।

श्री वी०के० कृष्ण मेनन हाई कमिश्नर फार लंडन, इंग्लैंड ।
इन्डिया

श्री श्रीप्रकाश ,, कराची, पाकिस्तान ।

श्री के०आर० दामले आफिशल सेक्रेटरी कैनवरा, आस्ट्रेलिया ।
हाई कमिश्नर्सआफिस

श्री जे० डब्ल्यू० सेल्हूम सेक्रेटरी, हाई कमिश्नर्स केपटाउन ।
आफिस

श्री जे० ए० थिवी रिप्रेजेंटेटिव आफ गवर्नमेंट मलाया ।
आफ इन्डिया

श्री टी० जी० नटराज एजेंट आफ द गवर्नमेंट कुआलालम्पुर, मलाया ।
पिल्लई आफ इन्डिया

श्री धर्मयश देव मारिशस ।

श्री अब्दुल मजीद खां जद्वा, सॉदी अरेबिया ।

हिन्दुस्तान में विदेशी राजदूत

हिन्दुस्तान के प्रमुख नगरों में

विदेशी राजदूतों के दफ्तर

दिल्ली में विदेशी एम्बेसडर : अमरीका, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, चेको-
स्लोवाकिया, फ्रान्स, टर्की, रूस, ईरान,
नेपाल, यमन, चीन ।

„ चार्ज द अफेयर्स : इटली, पोप, अफगानिस्तान, स्याम ।

„ मिनिस्टर स्विट्जर्लैंड ।

„ हाई कमिश्नर : कॅनेडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान, लद्दा, आस्ट्रे-
लिया ।

बम्बई में विदेशी कौंसल मॉनाको, नार्वे, स्वीडन, यूनाय (ग्रीस),
इजिप्ट, लेबनान, इराक ।

„ वाइस कौंसल गुवाटेमाला, निकारागुवा, पपुया,
बाजील, डेन्मार्क, पॉर्चुगाल, लक्सम्बर्ग
स्पेन, लैटविया ।

कलकत्ता में विदेशी कौंसल आर्जेन्टाइना, कोलंबिया, पेरू, विनेजुएला
यूनान (ग्रीस), डेन्मार्क, नार्वे ।

„ वाइस कौंसल ह्वायटोर, मेक्सिको, कोस्टा रिका, गुवा-
टेमाला, एल साल्वाडोर, कोलंबिया,
हंगरी, लाट्विया, डेन्मार्क, पोलैंड ।

मद्रास में विदेशी कौंसल कोलम्बिया ।

„ वाइस कौंसल डेन्मार्क ।

कोलकाता में विदेशी वाइस
कौंसल डेन्मार्क ।

हिन्दुस्तान में विदेशी राजदूतों के पते

देश	पद	पता
अफगानिस्तान	कौंसल जनरल कौंसल	२४ रैटन्डन रोड, नई दिल्ली । ११५, वाकेश्वर रोड, बम्बई ।
अर्जन्टाइना	वाइस कौंसल (आनरेरी)	मार्फत होर मिल्लर एंड कंपनी ५ फेयरलाई प्लेस, कलकत्ता ।
अमरीका	कौंसल जनरल कौंसल जनरल	६ एस्प्लेनेड मैशन्स गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कलकत्ता । कन्स्ट्रक्शन हाऊस विटेट एंड निकल रोड, बैल्लर्ड रोड बम्बई ।
इक्वाडोर	कौंसल कौंसल आनरेरी	मद्रास । मार्फत टर्नर मौरिसन एंड कं० ६ लियन्स रेंज, कलकत्ता ।
इजिप्ट	कौंसल जनरल	कम्बाटा बिल्डिंग, ४२ क्वींस रोड, चर्चगेट रिक्लमेशन, बम्बई ।
इटली	कौंसल जनरल	कन्ट्रैक्टर बिल्डिंग, निकल रोड, बैल्लर्ड एस्टेट, बम्बई ।
ईरान	कौंसल जनरल कौंसल	४, एल्बुर्क रोड, नई दिल्ली । नौरोजी गमडिया रोड, वाडिया रोड के सामने, बम्बई ।
ईराक	कौंसल कौंसल जनरल	मद्रास । 'पैनोरमा', २०३ वाकेश्वर रोड बम्बई ।
ऊरुग्वाय	कौंसल वाइसकौंसल (आनरेरी)	बम्बई (अभी पद खाली है) कलकत्ता (अभी पद खाली है)
एल साल्वाडोर	कौंसल (आनरेरी)	राम निकेतन, १० पी. के. टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता ।

कोलम्बिया	कौंसल जनरल कौंसल (आनरेरी)	मद्रास । कलकत्ता (अभी पद खाली है)
कोस्टा रिका	कौंसल (आनरेरी)	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
क्यूबा	कौंसल जनरल कौंसल	कलकत्ता (अभी पद खाली है) रेडीमन्ती मॅन्शन, चर्च गेट स्ट्रीट, बम्बई ।
ग्रीस (यूनान)	कौंसल जनरल (आनरेरी) कौंसल जनरल	७ वेहेजली प्लेस, कलकत्ता 'फिजी हाउस' १७ रैपलिन स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई ।
चीन	कौंसल जनरल कौंसल	३०, स्टीफन कोर्ट, १८ वी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता । रजय महल, १२७, नं० १, ग्यु मैरीन लाइन्स, फोर्ट, बम्बई ।
चेकोस्लोवाकिया	कौंसल जनरल कौंसल	'वेस्ट व्यू' नं० ७ घोटा हाऊस रोड, कोलाहा, बम्बई । कलकत्ता (अभी पद खाली है)
टर्की	कौंसल जनरल कौंसल (आनरेरी)	'फिरदीस' मैरीन लाइन्स, बम्बई । मार्शल मौमेन एंट शम्सो, मकॅन्टाइन दिरिडम, लाल बाजार, कलकत्ता ।
डेन्मार्क	कौंसल कौंसल (आनरेरी)	इंडियन मर्चेंट चेंबरस, मिडल रोड, चैम्बर्स एम्बेड, बम्बई । मार्शल एंस्ट एगिप्टारिक बम्बई लि० एफ० न, राजाध्य दिरिडम, कलकत्ता ।

	कौंसल	मद्रास ।
डोमिनिकन		
रिपब्लिकन	कौंसल (आनरेरी)	१०२ एंड १०४, सोव्रा बानार स्ट्रीट, कलकत्ता ।
थाइलैंड (स्याम)		स्विट्जलैंड का कौंसल ही थाई-लैंड के हितों का खयाल रखता है।
निकारग्वा	कौंसल	एलिस बिल्डिंग, हार्नवाई रोड, बम्बई ।
	कौंसल (आनरेरी)	कलकत्ता (अभी पद खाली है) पटसन के निर्यात सम्बन्धी हितों का कलकत्ता स्थित अमरीका का दूत खयाल रखता है ।
नेपाल	कौंसल जनरल	१२, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली ।
नेदरलैंड्स	कौंसल जनरल	रायल इन्श्युरेन्स बिल्डिंग, २७ डलहौज़ी स्क्वयर, कलकत्ता ।
	कौंसल	३१४ हार्नवाई रोड, बम्बई ।
	कौंसल	कोचीन ।
	कौंसल	मद्रास ।
नार्वे	कौंसल जनरल	इम्पीरियल चैम्बर्स, विल्सन रोड, बैलर्ड एस्टेट, बम्बई ।
	कौंसल जनरल	मार्फत नोरिन्को एंड कम्पनी, ६ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड, कलकत्ता ।
	कौंसल	मद्रास ।
	वाइस कौंसल	कोचीन

पनामा	कौंसल	कलकत्ता । पनामा के द्वितीय का खयाल कलकत्ता व बम्बई में स्थित अमरीका का दूत करता है ।
पोलैंड	कौंसल जनरल कौंसल	बम्बई । (अभी पद खाली है) कलकत्ता । (अभी पद खाली है)
पुर्तगाल	कौंसल जनरल	१६ ए, कफी पैरेट, कोलम्बो, बम्बई ।
	कौंसल(खानेरी)	१०, घोस्ट पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।
	कौंसल	मद्रास
फिनलैंड		स्वीडन का दूत कलकत्ता में फिनलैंड के द्वितीय का खयाल रखता है ।
फ्रांस	कौंसल जनरल	प्लेट २६, पार्क मैशनम, पार्स- स्ट्रीट, कलकत्ता ।
	कौंसल	वर्लेहाइन, २३ थी, मेरिपन मी रोड, बम्बई ।
	कौंसुलर एजेंट	मद्रास
वेल्जियम	कौंसल जनरल	'भोरेना,' ११ कार्माहावन रोड, बम्बई ।
	कौंसल जनरल	२४-१ ए बलीपुर रोड, बलीपुर, बम्बई ।
	कौंसल	मद्रास ।
चीलीपिया	कौंसल जनरल	बेलेहाली हाऊस, ७ बेलेहाली बंगला, कलकत्ता ।
संज्ञील	कौंसल(खानेरी)	एरिपन डिस्ट्रिक्ट, कैम्बेज एस्टेट बम्बई ।

	कौंसल	कलकत्ता । (अभी पद खाली है)
मेक्सिको	कौंसल (आनरेरी)	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
मोनाको	कौंसल	बम्बई । (अभी पद खाली है)
रुमानिया	कौंसल	स्वीडन का बम्बई स्थित दूत रुमानिया के हितों का खयाल रखता है ।
लक्सम्बर्ग	वाइस कौंसल	ताज बिल्डिंग सैकंड फ्लोर, हार्नबाई रोड, फोर्ट, बम्बई ।
लाइबेरिया	कौंसल (आनरेरी)	कलकत्ता । (अभी पद खाली है)
लेबनान	कौंसल	चर्च गेट हाऊस, चर्च गेट स्ट्रीट, बम्बई ।
लैटविया	कौंसल	बम्बई व मद्रास ।
वेनेज्युएला	कौंसल (आनरेरी)	७-२ पी, जमीर लेन, वाली गंज, कलकत्ता ।
स्पेन	कौंसल	'ओशिणिया', १५३ मैरीन ड्राइव, बम्बई ।
	वाइस कौंसल (आ०)	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
	वाइस कौंसल	मद्रास ।
स्वीडन	कौंसल जनरल	'शंप्रीला', कार्माइकल रोड, बम्बई ।
	कौंसल आनरेरी	७ वेलेज़ली प्लेस, कलकत्ता ।
	कौंसल	मद्रास ।
स्विटज़रलैंड	कौंसल जनरल	१२५, एस्प्लानेड रोड, फोर्ट, बम्बई ।
	कौंसल आनरेरी	पोलक हाऊस, २८ ए, पोलक स्ट्रीट कलकत्ता ।

कॉंसुलर एजेंट मद्रास ।

हंगरी

हंगरी के दूतों का स्वीडन के दूत खयाल रखते हैं ।

इटली

कॉंसल जनरल(घा)२ कार्नवालिन स्ट्रीट, कलकत्ता ।
विदेशों में हिन्दुस्तानी व्यापार दूतों के पते

लंडन

इंडियन ट्रेड कमिश्नर, इंडिया हाउस, ग्राव-विच, लंडन, टेल्यू० सी० २ । यह दफ्तर इंग्लैंड और यूरोप के उन सभी देशों में

हिन्दुस्तान के व्यापार का ध्यान रखता है जो पैरिस और बर्लिन के दफ्तरों के क्षेत्र में नहीं हैं ।

पैरिस

इंडिया गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, ३१ रु डि ला वान, पैरिस ८, फ्रांस । पोर्चुगाल, स्पेन, फ्रांस स्विट्ज़र्लैंड, लक्सम्बर्ग, बेल्जियम, टर्की,

डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन और चेकोस्लोवाकिया के देशों में व्यापार पर इसी दफ्तर से ध्यान रखा जाता है ।

बर्लिन

इकनामिक एडवाइजर, इंडियन मिनिस्टरी मिशन, बर्लिन । यह इकनामिक एडवाइजर ही इंडियन ट्रेड कमिश्नर का काम कर रहे हैं ।

जर्मनी व आस्ट्रिया के देशों का व्यापार बर्लिन के दफ्तर के माध्यम है ।

न्यूयार्क

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, ६३०, फिफथ एवेन्यू, न्यूयार्क, एन० यार्क० । यह दफ्तर अमेरिका और हिन्दुस्तान के बीच व्यापार पर

ध्यान रखता है ।

व्यूनीस एक्सर्स

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, गवर्नमेंट रोड माइग्रेट पेला ६२८, व्यूनीस एक्सर्स, वजेटाइना । एशियाई कमिश्नर के तहत दफ्तर

प्रदेशों में व्यापार पर यही दफ्तर सहाय करता है ।

टोरन्टो

इंडिया गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, रायल बैंक
बिल्डिंग, टोरन्टो, कैंनेडा । कैंनेडा और न्यू-
फाँड लैंड से हिन्दुस्तान के व्यापार का ध्यान

इसी दफ्तर से होता है ।

सिडनी

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, प्रूडेन्शल
बिल्डिंग, मार्टिन प्लेस, सिडनी, आस्ट्रेलिया ।
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के व्यापार से

सम्बन्धित दफ्तर ।

मोम्बासा

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, अफ्रीका
हाऊस, किलिन्डनी रोड, पोस्ट बक्स नं० ६१४
मोम्बासा, केन्या कॉलोनी । पूर्वी अफ्रीका,

(केन्या, उगान्डा और टांगानीका) और जन्जीबार के हिन्दुस्तानी
व्यापार पर ध्यान रखने वाला दफ्तर ।

एलक्जान्ड्रिया

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, अल बस्तिर
बिल्डिंग, नं० ५ रु अदीब बे इस्साक, एवेन्यु
डि ला राईन, नज़ली, एलक्जान्ड्रिया, ईजिप्ट ।

यह दफ्तर टर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, फिलस्तीन, ईजिप्ट
ट्रान्सजार्डन, सॉदी अरब, इराक, अरब, फारस की खाड़ी का किनारा
(बहरैन और कुवैत सहित) मस्कट, सूडान और यमन देशों से व्या-
पार पर ध्यान रखता है ।

तहरान

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, घोमशाई
बिल्डिंग (विक्टरी हाऊस के सामने) एवेन्यु
फिरदौसी, तहरान, पर्शिया । फारस के व्या-

पार से सम्बन्धित ।

कोलम्बो

इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, आस्ट्रेलिया
बिल्डिंग, फोर्ट, कोलम्बो, सीलोन ।
सीलोन से हिन्दुस्तान के व्यापार पर नज़र

रखने के लिए ।

काबुल

इंडियन ट्रेड एजेंट, नं० १२गुजार १, गहरे नाऊ, काबुल अफगानिस्तान । अफगानिस्तान का यह दफ्तर अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है ।

हिन्दुस्तान में विदेशी व्यापार दूतों के दफ्तर

इंग्लैंड

- (१) यू० के० सीनियर ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, वर्मा एंड सीलोन, ६ एल्बुकर्क रोड, नई दिल्ली ।
- (२) यू० के० ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, ग्राउन्ड फ्लोर, नं० १, हैरिंग्टन स्ट्रीट, पोस्ट बक्स नं० ६८३, कलकत्ता ।
- (३) यू० के० ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, पोस्ट-बक्स नं० ८१५, बम्बई ।

आस्ट्रेलिया

- (४) यू० के० ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, गद्दाय ।
- (१) सीनियर आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया मैकिया विक्टोरिया, आउट्राम रोड, फोर्ट, पोस्ट बक्स २१७, बम्बई १ ।
- (२) आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर, २ फॉयर-लार्ड प्लेस, कलकत्ता ।

कैनेडा

कैनेडियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, वर्मा एंड सीलोन, प्रेन्स एन्क्वायर्स हाऊस, मिन्ट रोड, पोस्ट ऑफिस बक्स ८८८, बम्बई ।

सीलोन (लंका)

ट्रेड कमिश्नर फार सीलोन इन इंडिया, सीलोन हाऊस, ग्रूम स्ट्रीट बम्बई ।

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ट्रेड मिनिस्टर्स इन इंडिया, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ऑफिस, ग्राउन्ड फ्लोर विक्टोरिया, पोस्ट बक्स १११७, बम्बई ।

चेकोस्लोवाकिया

चेकोस्लोवाकिया गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया गूमन विक्टोरिया, ५३, गद्दाय गवर्नमेंट,

डेन्मार्क	जी० पी० ओ०, वाक्स नं० १६६, बम्बई १। डेनिश गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, मार्फत रायल डेनिश कौंसुलेट, इंडियन मर्केटाइल चैम्बर्स, निकल रोड, वैल्लर्ड एस्टेट पोस्ट बक्स २५४, बम्बई।
फ्रांस	फ्रेंच ट्रेड कमिश्नर, १३ पार्क मेन्शान्स, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।
इटली	इटैलियन गवर्नमेंट ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, वर्मा एंड सीलोन, ५ होमजी स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई।
नेदरलैण्ड्स और नेदरलैण्ड्स ईस्ट इंडीज	ट्रेड कमिश्नर फार नेदरलैण्ड्स इंडीज, १४ चर्च नेदरलैण्ड्स ईस्ट इंडीज गेट स्ट्रीट, पोस्ट बक्स २६०, बम्बई। स्विस ट्रेड कमिश्नर फार इंडिया, वर्मा एंड सीलोन, प्रेशम इन्श्युरेन्स हाऊस, सर फिरोज़- शाह मेहता रोड, बम्बई।
स्विटजरलैण्ड	
टर्की	कमर्शल रिप्रेजेंटेटिव आफ टर्किश गवर्नमेंट इन इंडिया १ तुगलक लेन, नई दिल्ली।
रूस	ट्रेड एजेन्ट फार दी यू० एस० एस० आर इन इंडिया, ४ कामक स्ट्रीट, कलकत्ता।

हमारे पड़ोसी

हमारी विदेशी नीति का निर्माण कितनी ही विविध राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर होता है। इस नीति को निर्धारित करने के समय पड़ोसी देशों की नीति व अवस्थाओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

हमारे पड़ोसी देशों में आज राजनीतिक शान्ति नहीं है। हमारी सीमाओं के साथ व नजदीक अधिकतर ऐसे देश हैं जो हाल में ही

यूरोपीय साम्राज्यों के चंगुल से छूटे हैं अथवा उनसे छूटने के संघर्ष में संलग्न हैं। प्रगति के पश्चिमी दृष्टिकोण से एशिया के देश बहुत ही पिछड़े व गरीब हैं। विदेशी आधिपत्यों के हितों के लिए यह सदियों उत्पीड़ित किए जाते रहे हैं। लम्बे काल के बाद विदेशी प्रभुत्व से निकलने पर अपनी गरीबी और नग्नता की समस्याओं से एकाएक पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। एशिया के हमारे पड़ोसी देश रूस, मंगोलिया, हिन्द एशिया, इंडोचाइना व चीन इन समस्याओं का मुक्त हल कम्प्यूनिज़्म में खोजने को उत्सुक हैं। जनता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति ऐसी है जो कि उसे हर एक पार्टी को अपना समर्थन देने पर विवश कर देती है जो कि उसे भ्रष्ट, नगण्य व अक्षिप्त से बचाने का वायदा करे और तदर्थ योजनाएं सुझाए। अपने पड़ोस के देशों की राजनैतिक व आर्थिक परिस्थिति से परिचय पाना देश की सम्बुलित विदेशी नीति के बनाने में सहायक और आवश्यक होता है।

अफगानिस्तान

हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान में अब सुगम सम्पर्क नहीं रहा; दोनों को मीमांशों में उत्तरी पाकिस्तान फँसा है।

अफगानिस्तान का क्षेत्रफल २,२०,००० वर्गमील और आबादी लगभग ६ करोड़ है। यहां सुल्तानद्वारा शासन का राज्य है।

देश की विधि व्यवस्था गरीबता पर आधारित है। अफगानिस्तान प्रायः पहाड़ी, पथरीला, व शुष्क देश है, फिर भी फल, सब्जियों व खनाज की खेती बहुतायत में होती है। फल और सब्जियों का बिक्री निर्यात होता है। व्यापार भी बाहर से ही आती है।

देश में अनेक पदार्थ भी हैं जोकि हमला करवाएंगे सभी बहुत पिएरी व्यवस्था में है।

अफगानिस्तान में देशवासियों का जनता सभी सुख मही दुःख ।
२.१२ अफगानो सरों की बीमार ३ हिन्दुस्तानी सरों है ।

आस्ट्रेलिया

इंग्लैंड की अधीनता के निम्न ६ प्रदेशों को मिला कर १९०१ में कामनवेल्थ आफ आस्ट्रेलिया का संघ बनाया गया—न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वीन्ज़लैंड, साउथ आस्ट्रेलिया, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया और तस्मानिया। देश की राज्य-सत्ता की स्वामिनी प्रतिनिधि सभा में १९४७ के चुनावों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रकार प्रतिनिधित्व पाया: आस्ट्रेलियन लेबर पार्टी—४३, लिबरल पार्टी—१७, कन्ट्री पार्टी—११, स्वतन्त्र लेबर—, लिबरल कन्ट्री पार्टी—१। कुल सदस्य—७४। सेनेट में लेबर पार्टी को ३३ और लिबरल कन्ट्री पार्टी को ३ सीटें प्राप्त हैं।

आस्ट्रेलिया का क्षेत्र २६,७४,५८१ वर्गमील और आबादी ७२, ८०, ८२० (१९४७) है। इस सख्या में आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नहीं गिना गया है, जिनकी संख्या का अनुमान कुल ४७,००० है।

आस्ट्रेलिया के लोगों का रक्त, धर्म व इतिहास के अनुसार इंग्लैंड के लोगों से बहुत सामीप्य है। आस्ट्रेलिया की विदेशी नीति ब्रिटेन की विदेश नीति के अनुसार ही चलती है।

१९४४ के एक हिसाब के अनुसार आस्ट्रेलिया की ३८.५ प्रतिशत भूमि किसी भी प्रयोग में नहीं आ रही थी। देश को कृषि की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, मकई, ईख और फल हैं। भेड़ों का पालन देश का एक प्रमुख धन्धा है और लगभग ६४ करोड़ पाउंड उन प्रति वर्ष पैदा होती है (१९४५-४६)। देश में मक्खन, पनीर व मांसादि का उत्पादन भी बहुतायत से होता है। खनिज पदार्थों में सोना प्रमुख है। १९४६ में ८,२४,४८० फाइन आउंस सोने का उत्पादन हुआ। देश में कारखानों की कुल संख्या ३१,१८४ है जिनमें ७,४५,२५८ मजदूर काम करते हैं।

इन्डोचाइना

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में जापान ने हिन्द चीन से फ्रांस के

आधिपत्य को खत्म कर दिया और अगस्त १९४५ में वहाँ की जनता के अपना लोकतन्त्र बना लेने की सुविधाएं दी। इस पर टोंकिंग, अनाम, व कोचीन-चाइना के प्रदेशों को मिला कर वीत नाम के लोकतन्त्र की स्थापना हुई। हो ची मिन्ह इस लोकतन्त्र के प्रधान हैं।

फ्रान्सीसी हिन्द चीन में पांच रियासतें हैं—कोचीन, चाइना, अनाम, कम्बोडिया, टोंकिंग और लाओस। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग २,८६,००० वर्गमील व आबादी २,६६,४३,००० (१९४३) है। इस आबादी में ४३,००० फ्रान्सीसी व ६ लाख के लगभग दूसरे विदेशी हैं।

फ्रान्स ने मार्च १९४६ को वीतनाम के प्रधान से समझौता कर लिया। यह समझौता दिसम्बर ४६ में ही तोड़ दिया गया।

हिन्द चीन आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से तीन हिस्सों में बंटा है :

(१) सेगोन दरिया के आस पास के प्रदेश। इनमें कोचीन-चाइना, कम्बोडिया, दक्षिणी लाओस और अनाम शामिल हैं। यह प्रदेश प्रायः कृषि प्रधान है। इस प्रदेश में चावल की उत्पत्ति बहुतायत से होती है।

(२) हेफोंग दरिया के आस-पास का प्रदेश। इस में टोंकिंग और उत्तरी अनाम के तीन जिले शामिल हैं। इस प्रदेश में कृषि खनिजोत्पत्ति व निर्माण के धन्धे चल रहे हैं।

(३) मध्य अनाम। इस प्रदेश का मुख्य वन्दरगाह हूंग है जहाँ से चाँदी, धान व सक्ई का निर्यात होता है।

हिन्द चीन के जंगलों से लकड़ी, बांस, लाम्ब, जड़ी-बूटियाँ व तेल प्राप्त होते हैं। मसाला पकड़ने का धन्धा एक प्रमुख व्यवसाय है। यह बहुतायत से ग्याई व देश के बाहर भेजी जाती हैं। चीन, जिनम व भैंगजीव का उत्पादन होता है।

वीतनाम

इस नए लोकतन्त्र का शासन आजकल टोंकिंग और अनाम के कुछ

प्रदेशों पर है। जनता की भाषा अनामी है। राजधानी हनोई है। कम्यूनिस्टों का प्रभुत्व है।

मार्च ४६ में फ्रान्स ने एक सन्धि द्वारा इस देश की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। इस समझौते की शर्तों के अनुसार कोचीन-चाइना के लोग एक रेफरेन्डम द्वारा यह फैसला करेंगे कि वह वीतनाम में सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं।

मुख्य आयात—पुर्जे व मशीनरी, सूत, पेट्रोल, कागज, तम्बाकू।
मुख्य निर्यात—चीनी, चावल, चाय, कागज, लोहा, कोयला, मकई, एरंड और लाख का तेल।

फ्रान्सीसी हिन्दचीन के दूसरे प्रदेशों की मुख्य पैदावार मछली, चावल, मिर्च, लकड़ी, वरोज़ा व चमड़ा (कम्बोडिया), चावल, काफी, चाय, गोंद, इलायची, सिनकोना, (लाओस), चावल, ईख, रबर, फल (कोचीन-चाइना) हैं।

इन्डोनेशिया (नेदरलैंड्स इंडीज़)

१६ वीं सदी में यूरोपीय ताकतों द्वारा दुनिया के पिछड़े प्रदेशों की लूट शुरू हुई थी, उन्हीं दिनों दक्षिणी एशिया के कई देश पुर्तगाल, हालैंड, व इंगलैंड, के आधिपत्य में आ गए। इन्डोनेशिया के भिन्न-भिन्न टापुओं पर भी इन्हीं दिनों कब्जा हुआ। अब इन द्वीपों पर हालैंड का आधिपत्य है।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में इस प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था। जापानी प्रभुत्व के दिनों में ही जावा मदुरा व सुमात्रा द्वीपों में एक राष्ट्रीय आन्दोलन ने जन्म लिया जिसने विदेशियों के हाथों से राज्य-सत्ता छीन ली। १७ अगस्त १९४५ 'को इन्डोनेशियन रिपब्लिक' की स्थापना की घोषणा की गई और श्योकर्णों इसके पहले प्रधान बने। इस लोकतन्त्र से हालैंड ने समझौता कर लिया जिस पर २५ मार्च १९४७ को बटेविया में दस्तखत हुए।

नए लोकतन्त्र को जापान व हालैंड दोनों के साम्राज्यवाद से

ठक्कर लेनी पड़ी है। हालैंड से अभी संघर्ष जारी है।

नेदरलैंड्स इन्डीज़ के ५ मुख्य द्वीप हैं: जावा, सुमात्रा, बानियो, सेलिबीज़ और न्यू गिनी। न्यूगिनी का पश्चिमी प्रदेश हालैंड व पूर्वी ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के आधिपत्य में हैं। १५ अन्य छोटे और महत्वपूर्ण टापू हैं, जैसे तो सारा प्रदेश ही हजारों छोटे-छोटे टापुओं में बंटा है। क्षेत्र ७,३५,२६८ वर्ग मील व आबादी ६,०७,२७,२३३ (१६३०) है। आबादी का अनुमान १६४० में ७ करोड़ के लगभग था।

द्वीप समूह में जनता को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता है। इन्डोनेशिया के लोग प्रायःतर सुपलमान हैं।

मुख्य उपज चाँनी, चावल, चाम, मक्ई, आलू, मूँगफली, सोया की फली, रबर, पेट्रोल व नारियल हैं।

चीन

हमारे पड़ोस के देशों में चीन महत्व का देश है। १६४८ में किये गए अनुमानों के अनुसार इसका क्षेत्र ३३,८०,६६२ वर्ग मील और इसके ३५ प्रान्तों की कुल आबादी ४५ करोड़ ७४ लाख के लगभग है।

१२ फरवरी १९१२ को चीन में एक क्रान्ति के फलस्वरूप वहाँ की पुरातन राजकीय शासन-पद्धति समाप्त हो गई और देश एक लोकतन्त्र रिपब्लिक घोषित हुआ। चीनी लोकतन्त्र के नए विधान के आदेशानुसार नवम्बर १६४७ में चुनाव हुए और २६ मार्च १६४८ को राष्ट्रीय लोक-सभा (नैशनल एसेम्बली) का उद्घाटन हुआ। जनरल च्यांग काई शेक लोकतन्त्र के प्रधान चुने गए।

चीन के उत्तरी प्रदेशों में, जो शांसी, चहार, होनान, होपी और शान्तुंग के प्रान्तों के साथ हैं, कम्यूनिस्टों का प्रभुत्व है। चीन की केन्द्रीय सरकार व कम्यूनिस्टों में बरसों से संघर्ष चल रहा है। दुनिया की प्रमुखतम परस्पर विरोधी ताकतें इन दोनों पक्षों को इतनी सहायता लगातार देती रहती हैं कि दोनों आपस में लड़ते रहें, न कोई जीते, न

कोई हारे, और फलस्वरूप दुनिया के सब देशों से जनसंख्या में बड़ा देश ऐसे देशी संघर्ष से कमजोर बना रहे। इन दिनों इस घरेलू युद्ध में कम्यूनिस्टों का पलड़ा भारी रहा है।

चीन की जनता अधिकतर कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म व बौद्ध धर्म की अनुयायी है। प्रायः सभी प्रान्तों में मुसलमान भी फैले हैं। सारे चीन में मुसलमानों की संख्या ४ करोड़ ८० लाख के लगभग है।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में चीन की सरकार ने इंग्लैंड, अमरीका व रूस से अलग-अलग समय पर कर्ज लिये। इन कर्जों की कुल रकम लगभग ३ अरब ८६ करोड़ रुपया है।

चीन का प्रमुख धन्धा खेती-वारी है। कृषि योग्य जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी है। खेती में गहरी जुताई होती है। फल व सब्जियां बहुतायत से पैदा की जाती हैं। चावल, गेहूँ, जौ, क्योलियांग, मकई, वाजरा, आलू व सोया की फलियों की उपज होती है। यांग्सी और येलो रिवर की घाटियों में कपास की खेती की जाती है। कपास की उपज में अमरीका, हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बाद चीन का ही स्थान है। इसकी उपज १९४३-४६ में १६ लाख गांठें थी। चीन के पश्चिम व दक्षिण में चाय की खेती होती है। देश में कीड़ों के रेशम का उत्पादन बहुत होता है।

१९४७ के अन्त में देश के रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या ७८१५ थी जिनमें से १८८८ खाद्य, १८४० रसायन, १६७६ वस्त्र, ६७० मशीनरी, ३८५ कपड़ों की सिलाई, ३५३ धातुओं के प्रयोग, १६६ धातु विश्लेषण, १४६ बिजली व ४२० अन्य विविध उद्योगों से सम्बन्धित थे। देश के कुल कारखानों का एक तिहाई भाग शंघाई में स्थित है।

चीन में कोयला, सोना, लोहा, तांबा, सिक्का, जिस्त, चांदी, टंगस्टन, पारा, एन्टिमनी और टीन पाये जाते हैं। १९४६ में कोयले की उपज १ करोड़ ८४ लाख मेट्रिक टन थी। इस वर्ष लोह मूल (आयरन-ओर) की उपज ३१,००० टन थी। एन्टिमनी और टंगस्टन

के उत्पादन में चीन के प्राकृतिक साधन दुनिया-भर में सर्वोत्तम हैं।

१९४७ में चीन के आयात व निर्यात का चीनी डालरों में मूल्य १,०६,८१,३२,६५,७४,००० और ६३,७६,५०,४२,९७,००० था। इन आंकड़ों में चीन के पिछले वर्षों का मुद्राधिक्य (इन्फ्लेशन) स्पष्ट प्रतिबिंबित है।

आयात की मुख्य चीजें : रंग, पेन्ट, वानिशा, कितारें, कागज, कपास, सूत, धातुएँ, तेल, चर्बी, साबुन, मांटर व जहाज, रसायन, औषधियाँ।

निर्यात की मुख्य चीजें : पशु व पशुओं से पैदा होने वाले सामान, तेल, धातु, मूल, चाय, सूती कपड़ा, विविध लकड़ियों का तेल।

चीन में लगभग ३५० विदेशी कम्पनियाँ बड़े व्यापारों में संलग्न हैं, इनमें से १५१ अंग्रेजी व १४२ अमरीकन कम्पनियाँ हैं।

नेपाल

हिमालय प्रदेशी एक स्वतन्त्र रियासत। एकस्थ राज्य-शासन की पद्धति प्रचलित है। क्षेत्र ५४,००० वर्ग मील व आबादी ६२,८२,००० (१९४१) है। लोग मंगोलियन जाति के हैं; हिन्दू रक्त का सम्मिश्रण भी पाया जाता है। गोरखा जाति के लोग प्रमुख हैं। दूसरी जातियाँ, मगर, गुरुंग, भोटिया और नेवर हैं।

काठमांडू राजधानी है जो भारतीय सीमा से ७५ मील की दूरी पर है।

जनता सनातन हिन्दू धर्म की अनुयायी है। कभी इस प्रदेश में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, इसके चिन्ह पाए जाते हैं।

बर्मा

आसाम प्रान्त का पड़ोसी देश। क्षेत्रफल : २,६१,७५७ वर्ग मील। १९४१ की जनगणना के अनुसार आबादी ६ करोड़ ६८ लाख २४ हजार है। इसमें ६० लाख बर्मी, १२ लाख केरन, २० लाख शांसी, ३ लाख चिन और १॥ लाख कचिन लोग हैं। बर्मा में १॥ लाख चीनी

१,२० लाख इंडो बर्मन, ८,८७ लाख हिन्दुस्तानी भी रहते हैं। जनताका अधिकांश बौद्ध धर्म का अनुयायी है; प्रति १००० व्यक्तियों में ८४३ व्यक्ति बौद्ध हैं।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में कदम रखते समय बर्मा के प्रमुख नगरों में भी कारखाने और अपने एजेन्टों के दफ्तर खोल दिए थे। युद्ध और कूटनीति ने व्यापारका स्थान राजनीतिक प्रभुत्व को दिलाया और बर्मा में अंग्रेजोंका एकाधिकार स्थापित होगया। १६२३ में १६१६ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट के अनुसार बर्मा को गवर्नर द्वारा शासित प्रान्स का दर्जा दिया गया। १६३७ में बर्मा को हिन्दुस्तान से पृथक कर दिया गया। द्वितीय महायुद्धमें मार्च १६४२ को राजधानी रंगून पर जापानियों का कब्जा हुआ। अक्टूबर १६४५ में देश का शासन एक बार फिर अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बर्मा के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान में १६४७ में फैसला हुआ कि देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता दे दी जाय।

४ जनवरी १६४८ को स्वतन्त्र बर्मा ने जन्म लिया। साओ श्वे थायक बर्मा लोकतन्त्र के प्रधान बने। १ मार्च ४८ को १७ मन्त्रियों के जिस मन्त्रिमंडल ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली, थाकिन नू उसके प्रधान मन्त्री थे।

स्वतन्त्र बर्मा का विधान बनाने वाली विधान-परिषद की कुल सदस्य संख्या २५५ थी जिसमें विविध पार्टियों को इस प्रकार प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ :

फासिज़्म विरोधी पीपल्सफ्रीडम लीग: १७३, कम्यूनिस्ट ७, एंग्लो बर्मन ४, केशन २४, सीमान्त प्रदेश के प्रतिनिधि ४५। विधान परिषद ने एक राय से २४ सितम्बर १६४७ को नए विधान का संसदिदा स्वीकार किया।

बर्मा पर २२ करोड़ १७ लाख पाउण्ड का विदेशी कर्ज़ है। इस कर्ज़ का अधिकांश इंग्लैंड का है।

बर्मा की समुद्री फौज में १ फ़िगेट, २ सुरंगें साफ करने वाले जहाज और बाकी कुछ छोटी नौकाएँ हैं।

कृषि का उत्पादन : चावल, तिल, मूँगफली। १९४५-४६ में २६ लाख ३० हजार टन चावल पैदा हुआ।

बर्मा के खनिज उत्पादनों में सिन्का, टिन, टंगस्टन, चाँदी व पेट्रोल मुख्य हैं। पेट्रोल का वार्षिक उत्पादन लगभग २ अरब ८५ करोड़ गैलन के है।

कई प्रदेशों में कम्यूनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया है और स्थापित सरकार के विरुद्ध विद्रोह व हिंसात्मक आन्दोलन फैल रहा है।

भूटान

हिमालय की तराहियों में स्थित एक रियासत, १९० मील लम्बी ६० मील चौड़ी। क्षेत्रफल १८,००० वर्ग मील। आबादी लगभग ३ लाख।

राजनीतिक दृष्टिकोण से इस देश का शासन बहुत ही पिछड़ा हुआ है। १९०७ तक देश के शासन में धर्मराज व देवराज का साँझा प्रभुत्व रहता था। उस वर्ष धर्मराज व देवराज का पद एक ही व्यक्ति के हाथों में था। उसके स्तीफा देने पर सर डायेन वांगचुक ने राज्यगद्दी संभाली। १९२६ में उसकी मृत्यु पर महाराज जिग्मी वांगचुक राजा बने।

अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और तिब्बत के धर्मग्रन्थों के उद्धरणों का प्रयोग किया करते हैं।

भूटान के लोग हिन्दुस्तान की सीमाओं पर उपद्रव न किया करें, इसके लिए १८६५ की एक सन्धि के अनुसार भूटान को हिन्दुस्तान से प्रतिवर्ष ५० हजार रुपया मिला करता था। १९१० से यह रकम १ लाख व १९४२ से २ लाख रुपया कर दी गई।

मलाया

मलाया-संघ में प्रायःद्वीप की ६ रियासतें और अंग्रेज़ी आधिपत्य

के पेनांग और मलक्का प्रदेश शामिल हैं। कुल मिलाकर क्षेत्रफल १०,६१० वर्ग मील है, आबादी (४०-४१) ४७ लाख ८० हजार । आबादी में २४ लाख मलायावासी, ११ लाख चीनी और १ लाख हिन्दुस्तानी हैं। संघ की रियासतों के नाम ये हैं—

पेराक, सेलंगोर, नेग्री सेम्बिलान, पंहंग, जोहोर, केडाह, पलिस, केलन्टन और ट्रेंगानू ।

मलाया संघ १ रियासतों व २ अंग्रेजी प्रदेशों के सहयोग से १ फरवरी १९४८ को बना । मैल्कम मैकडानल्ड संघ के गवर्नर-जनरल हैं ।

रियासतों के राजाओं को इस्लाम व मलाया के रीति-रिवाज के मामलों को छोड़कर बाकी सब मामलों में हाईकमिश्नरों की मन्त्रणा माननी आवश्यक होती है ।

मलाया संघ पर १९४६ के अन्त में ११ करोड़ ३४ लाख डालर का विदेशी कर्जा है ।

मुख्य धंधा चावल, रबर, खनिज पदार्थों, ताड़, अनानास का उत्पादन व मछली पकड़ना है । टीन बहुतायत से पैदा होता है ।

इन दिनों मलाया को कम्युनिस्ट विद्रोह अशान्त किये हुए है । इस जन-आन्दोलन को दबाने के लिए इंगलैंड से फौजी सहायता भेजी जा रही है ।

लंका

हिन्दुस्तान के दक्षिण का पड़ोसी द्वीप । क्षेत्रफल २१,३२२ वर्ग मील । आबादी १९४६ : ६६,१८,९९९ ।

इस द्वीप को अंग्रेजों ने १९४६ में डच शासकों के आधिपत्य से छीनकर मद्रास प्रान्त के साथ मिला दिया । १८०२ में इसे हिन्दुस्तान से अलहदा करके 'क्राउन कालोनी' बना दिया गया ।

सीलोन स्वतंत्रता कानून (१९४७)के अनुसार ४ फरवरी १९४८ को लंका ने स्वतन्त्रता हासिल की ।

इंग्लैंड और लंका में युद्ध व संकटकाल में परस्पर सहायता देने का समझौता है। इंग्लैंड को अपने फौजी अड्डे द्वीप में बनाने के अधिकार हैं। लंका अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इंग्लैंड के भुक्ताय को अपनी विदेशी नीति का आधार बनाता है।

सर हेनरी मन्क मेसन मूर लंका के गवर्नर जनरल हैं। द्वीप में इंग्लैंड के हाई कमिश्नर का नाम सर वाल्टर क्रॉसफील्ड हैंकिन्सन है।

लंका की धारा-सभा के लिए सितम्बर १९४७ में हुए चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा : युनाइटेड नैशनल पार्टी—४२, स्वतन्त्र—२१ सम समाज पार्टी—१०, सीलोन तामिल कांग्रेस—७, इंडियन तामिल कांग्रेस—६, लेनिनिस्ट पार्टी—५, कम्यूनिस्ट—३, लेबर—१।

डाक्टर एस० सेनानायक प्रधान मन्त्री हैं। १३ दूसरे मन्त्री इनके साथ मन्त्रिमंडल में हैं।

१९३१ से १९४६ तक आवादी में २५.५ प्रतिशत वृद्धि हुई। एक वर्ग मील में आवादी का घनत्व २६३ है। आवादी का केवल १५ प्रतिशत शहरों में रहता है; शेष गांवों में।

जनता के ४६.३७ लाख लोग लंका के आदिवासी हैं—दक्षिण भारत से आकर यहाँ बसने वालों की संख्या लगभग ८.५० लाख (१२.८ प्रतिशत) है। हिन्दुस्तानी तामिलों की संख्या ५.६२ लाख है।

द्वीप के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।

प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक सब शिक्षा निःशुल्क है। लंकाके आयात-निर्यात का मूल्य १९४६ में क्रमशः ५८.५३ करोड़ और ७१.६२ करोड़ रुपये था। निर्यात की मुख्य चीजें : कोको, मृंज, नारियल, गरी का तेल, चाय, गरी, रबड़। आयात की मुख्य चीजें : सूती कपड़ा, चावल, कोयला, चीनी, खाद।

द्वीप की मुख्य पैदावार चावल, कोको, चाय नारियल, रबड़।

स्याम

दक्षिणी एशिया के कितने ही देशों की तरह द्वितीय महायुद्ध के दिनों में स्याम जापान के आधिपत्य में आगया था। इस दशा में स्याम ने युद्ध में जापानियों का साथ दिया। युद्धोपरान्त मित्र देशोंने स्याम से अलग-अलग सन्धियाँ कर लीं।

स्याम का क्षेत्रफल २,००,१४८ वर्ग मील और आबादी १,५७,१८,००० (१९४०) है। राजधानी बंगकोक है। बौद्ध धर्म ही अधिकतर प्रचलित है। इस्लाम व ईसाई धर्म के भी लाखों अनुयायी देश में हैं।

जनता का ८३.३५ प्रतिशत भाग कृषि और मछली पकड़ने के व्यवसाय में और केवल १.९ प्रतिशत उद्योगों में लगा है। चावल, नारियल, तम्बाकू, मिर्च व कपास पैदा होती है। रबड़ की खेती भी होती है। स्याम के खनिज साधन विस्तृत हैं और टीन, वोल्फ्रम, एन्टीमनी, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, सिक्का, मैंगनीज़, चांदी, जिस्त व कीमती पत्थरों की खान पाई जाती है।

राजा आनन्द महिदोल की ९ जून १९४६ को हत्या के बाद उनके छोटे भाई फमिबोल एडल्डेट गद्दी पर बैठे। ९ नवम्बर १९४७ को रीजेन्सी कौंसिल को हटाकर पिबुल सोंगक्राम ने प्रधान-मन्त्री का पद संभाला।

सिंगापुर

अप्रैल १९४६ में पेनांग व-मलक्का के मलाया संघ में मिलने पर सिंगापुर एक अलहदा क्राउन कालोनी बना।

द्वीप का क्षेत्रफल २२० वर्ग मील, आबादी ९ लाख ५० हजार है।

सर फ्रैंकलिन सी० जिप्सन गवर्नर-जनरल हैं।

सिंगापुर एक बड़ी फौजी बन्दरगाह है। भारत, बर्मा व लंका के स्वतन्त्र होने से इसका महत्व पहले से कम हो गया है।

यातायात के साधन

सड़कों

दिसम्बर १९४२ में सब प्रान्तों व रियासतोंके चीफ इन्जिनियरों का एक सम्मेलन नागपुर में हुआ और इस सम्मेलन ने देश की सड़कों के भविष्य का खाका खींचा। इस सम्मेलन ने फैसला किया कि देश के प्रायः सभी गांवों व शहरों को सड़कों से सम्बन्धित करने के लिए जरूरी है कि देश में सब मौसमों में चालू रहने वाली सड़कों की लम्बाई ४ लाख मील हो। देश में राष्ट्रीय राजपथों (नैशनल हाइवेज़) का १० से १५ वर्ष की अवधि में एक ऐसा ढांचा बनाया जाय जिससे प्रान्तों, जिलों व ग्रामों की सब सड़कें सम्बन्धित की जायें। अन्दाज़ा लगाया गया था कि इस योजना पर कुल खर्च ४२० करोड़ रुपए का होगा। इस सम्मेलन ने सुझाव पेश किया कि सड़कों के निर्माण, देख-भाल और उचित प्रयोग आदि के लिए विशिष्ट कानून बनाए जायें।

देश के विभाजन से इस कार्यक्रम व योजना में कुछ परिवर्तन हो गए। हिन्दुस्तान के लिए जरूरी सड़कों की कुल लम्बाई अब तक ३,११,००० मील रह गई जिस पर कुल खर्च का अनुमान ३७५ करोड़ है।

उपरोक्त सम्मेलनने राजपथों की लम्बाईका अनुमान २५००० मील लगाया था। आर्थिक राष्ट्रीय अवस्थाओंको देखते हुए अविभाजित भारत के लिए इस लम्बाई को घटाकर १८,००० मील कर दिया गया था। विभाजन के बाद अब हिन्दुस्तान में १४,००० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण की योजना है।

राष्ट्रीय राजपथों का नाम उन सड़कों को दिया जा रहा है जो कि हिन्दुस्तान की लम्बाई चौड़ाई में फलेंगी; प्रमुख बन्दरगाहों, विदेशी सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, बड़े शहरों, प्रान्तों व रियासतों की राजधानियों को सम्बन्धित करेंगी व देश की सैनिक रक्षा की दृष्टिसे महत्वपूर्ण होंगी।

प्रान्तों व रियासतों की अपनी महत्वपूर्ण सड़कों को प्रान्तीय व रियासती राजपथ के नाम से पुकारा जायगा। इसके बाद हर ज़िले में प्रमुख पथ होंगे जो उत्पादन वा-खपत की मण्डियों वा रेल के स्टेशनों और पड़ोसी ज़िलों को सम्बन्धित करेंगे। ज़िले में गौण पथ भी होंगे और अन्त में गांवों में सड़कें बनाने की योजना है।

१ अप्रैल १९४० से भारत की केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली सब सड़कों के निर्माण और देख-भाल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इन सड़कों की लम्बाई प्रान्तों में ११,२०० मील व रियासतों में २,६५० मील है। इन सड़कों पर ५०० बड़े पुल भी बनेंगे जिनमें से २२ पुल लगभग ३००० फुट की लम्बाई के होंगे। सड़कों के विकास के लिए १९५२-५३ में खत्म होने वाली पञ्चवर्षीय योजना के अनुसार इन सड़कों पर कुल खर्च का अनुमान २३.५० करोड़ रुपए (२२ करोड़ प्रान्तों में व १.५० करोड़ रियासतों में) लगाया गया है। इस काल में इन सड़कों की मरम्मत व देख-भाल का खर्च ६.५० करोड़ आयगा।

सब योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र रोड्ज आर्गनिजेशन में राजपथ समिति (रोड्ज आर्गनिजेशन) का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत सरकार के सड़कों के विषय में सलाह देने वाले कन्सल्टिंग इन्जिनियर के अलावा प्लैनिंग अफसर, सड़क विशेषज्ञ, सहयोग दे रहे हैं।

१९३०में भारतीय सरकार ने पेट्रोल की बिक्री पर रोड फन्ड अर्दाई आनाकी छूटी बड़ा दी और इस तरह जमा होने वाली आमदनी को केन्द्रीय-पथ-कोष(सेन्द्रल रोड फन्ड) का नाम दिया। इस कोष से सड़कों की विशेष योजनाओं पर ही खर्च किया जाता है। इस कोष का १५ प्रतिशत भाग सड़कों सम्बन्धी छान-बीन पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। इस अनुपात को

ट्रान्सपोर्ट एडवाइज़री कौंसिल की सम्मति से २० प्रतिशत कर दिया गया है।

यातायात सम्बन्धी सुझाव समिति

३० जुलाई १९४८ को यातायात की अध्यक्षता में यातायात सम्बन्धी सुझाव समिति (ट्रान्सपोर्ट एडवाइज़री कौंसिल) का एक अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में प्रान्तीय मन्त्री, प्रान्तों व रियासतों के चीफ इंजिनियर व सड़क-विशेषज्ञ इकट्ठे हुए।

इस समिति ने सरकार की इस नीति को समर्थन किया कि रेल व सड़क के यातायात में सरकारी तौर पर अधिक सम्पर्क किया जाना चाहिए।

मद्रास प्रान्त के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रान्तीय सरकार की नीति प्रान्त में यातायात के सब साधनों के राष्ट्रीयकरण की है। इस सम्बन्ध में पहला कदम मद्रास शहर की बस-सर्विस को सरकारी नियन्त्रण में लेकर उठाया गया है। पूर्वी पंजाब ने भी यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। इस सम्बन्ध में इस प्रान्त की सरकार की योजना को पूरा होने में पांच वर्ष लगेंगे। पश्चिमी बंगाल का प्रान्त राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम में कलकत्ता की बस-सर्विस को सरकारी तौर पर चला रहा है। शेष प्रान्तीय सरकारें भी इसी तरह की योजनाएँ बना रही हैं व उन्हें कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील हैं।

सामान जुलाई की नीति के विषय में फैसला हुआ कि लम्बे फासलों पर रेलों से व छोटे फासलों पर जुलाई के लिए सड़कों का प्रयोग किया जाय।

रेल

अविभाजित हिन्दुस्तान में विविध चींट्याई की रेल की पटरियों की कुल लम्बाई ४०,५२४ मील थी। इसमें से ३३,८६५ मील लम्बाई की रेल हिन्दुस्तान के हिस्से में आई।

विभाजनके तुरन्त बाद हिन्दुस्तान की रेलों की कितनी ही मुश्किलों

का सामना करना पड़ा। रेलवे के सब तरह के कर्मचारियों को यह आज्ञा दी गई थी कि वह इच्छानुसार हिन्दुस्तान अथवा पाकिस्तान में नौकरी कर सकते हैं। रेलवे के कर्मचारियों में से ८३,००० ने पाकिस्तान में और ७३,००० ने हिन्दुस्तान में नौकरी करना पसन्द किया। फलस्वरूप ड्राइवर, फोरमैन, और कितनी ही विशिष्ट प्रकार की नौकरियों में एकाएक इतने आदमियों के निकले जाने से हिन्दुस्तान की रेलों का पूरी आवश्यकतानुसार चलना कठिन हो गया। उधर ऐसी अवस्था में ही लाखों लोगों को हिन्दुस्तान से पाकिस्तान व पाकिस्तान से हिन्दुस्तान लाने का उत्तरदायित्व रेलों को निभाना था। विभाजन के बाद के अढ़ाई महीनों में रेलवे ने तीस लाख शरणार्थियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचाया।

दूसरे महायुद्ध के दिनों में रेलों से उनकी शक्ति से अधिक काम लिया गया। इन दिनों बाहर से आयात न होने के कारण कितने ही जरूरी पुर्जें वा दूसरे सामान हासिल न हो सके। जहां इस तरह रेल के साधनों में ढील आई वहां सफर करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इस वक्त रेलों के पास १६३८-३६ की अपेक्षा १५ प्रतिशत कम मुसाफिर-गाड़ियों का साजोसामान है जबकि इस घंटे हुए साजोसामान में उन्हें १६३८-३६ से दोगुने अधिक यात्रियों को ले जाना पड़ रहा है।

इस तरह कम हुए सामान को पूरा करने की कोशिशें बड़े पैमाने पर जारी हैं। मिहिजाम (आसन्सोल) में रेल के इन्जन बनाने का सरकारी कारखाना लगाया जा रहा है। यह कारखाना १६५० तक इन्जनों का उत्पादन शुरू कर देगा। टाटा का इन्जन बनाने वाला कारखाना और यह सरकारी कारखाना मिलकर देश की इन्जनों की मांग को पूरा कर सकेंगे।

इसके अलावा विदेशों (इंग्लैंड और अमरीका) में इजनों के

लिए बड़े आर्डर भेजे गए हैं। जिन इंजनों का आर्डर दिया गया है, उनकी तादाद यह है :

ब्राड गेज : ४६० । मीटर गेज : ५८ । यह दोनों किस्में सवारी गाड़ियों को खींचने के लिए हैं ।

सामान ढुलाई की गाड़ियों के लिए इंजन—ब्राड गेज : २५६ । मीटर गेज : ३३ ।

शंटिंग इंजन—ब्राड गेज : ६ ।

उम्मीद की जाती है कि १९४८ के अन्त तक विदेशों से सब लोहे के बने हुए मुसाफिर गाड़ियों के ३५ डिव्हे आ चुके होंगे। बंगलोर स्थित इन्डुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड रेलगाड़ियों के थर्ड क्लास के डिव्हे तय्यार कर रही है ।

विदेशों में रेलों के फुटकर सामान व पुर्जों के भी बड़े पैमाने पर आर्डर दिये जा चुके हैं। उसमें से कुछ सामान की तालिका यह है :

वायलर की नालियां : ३,००,००० । पानी की सतह देखने के शीशे : ७६,८०० । इस्पात की ढलाई के सामान : २००० टन । इंजनों के लिए वायलर : १२५ । १ करोड़ रुपये के इंजनों के विविध पुर्जे । इंजनों की अगली रोशनी के २४००० रुपए के लट्टू ।

इस तरह रेलवे अपनी कमियों व युद्धकालीन क्षति को पूरा करने की कोशिश में है। विभाजन के बाद सामान ढुलाई वा यात्रियों के ले जाने की स्थिति उत्तरोत्तर बेहतर होती गई है, इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं :

महीना	घरते गए बैगनों की संख्या	महीना	घरते गए बैगनों की संख्या
अक्टूबर १९४७	३,६६,६६४	जनवरी १९४८	४,७३,४४०
नवम्बर ,,	३,८६,४१६	फरवरी ,,	४,७६,६३४
दिसम्बर ,,	४,३१,६६६	मार्च ,,	४,६२,४५१

कोयले की विविध खानों से भरकर भेजे गए वैगनों की संख्या का मासिक व्योरा यह है :

महीना	वैगनों की संख्या	महीना	वैगनों की संख्या
अगस्त १९४७	६६,७६६	जनवरी १९४८	१,०१,३५१
सितम्बर ,,	८६,३१६	फरवरी ,,	६८,८०३
अक्टूबर ,,	८७,५६२	मार्च ,,	१,०२,६७७
नवम्बर ,,	६७,१०४	अप्रैल ,,	१,०१,७२०
दिसम्बर ,,	१,०१,७२०		

अनाज व दालों से भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए वैगनों की संख्या का मासिक व्योरा इस प्रकार है :

महीना	वैगनों की संख्या	महीना	वैगनों की संख्या
अक्टूबर १९४७	३४,०४५	जनवरी १९४८	३६,४५१
नवम्बर ,,	३०,१४६	फरवरी ,,	४१,०१५
दिसम्बर ,,	३१,८८५	मार्च ,,	४२,२६३

बिना टिकट के सफर

बिभाजन के बाद के कुछ महीनों के लिए देश में बिना टिकट के सफर की आदत बहुत बढ़ गई थी। अन्दाज़ा लगाया गया है कि रेलवे का इससे ८ से १० करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है।

आसाम तक नई रेलवे लाइन

देश का बिभाजन इस प्रकार हुआ कि हिन्दुस्तान का अपनी पूर्वी सीमा के प्रान्त आसाम से रेल द्वारा कोई सम्बन्ध न रहा।

पश्चिमी बंगाल के उत्तरी प्रदेशों से गुजर कर रेल की नई पटरी बिछाई जा रही है जो आसाम को शेष देश से सम्बन्धित कर देगी। यह योजना १९५१ में सम्पूर्ण होगी।

हवाई जहाज

हिन्दुस्तान में हवाई जहाज के यातायात का प्रयोग १९३२ में

टाटा एयर लाइन्स की स्थापना से हुआ। इस कम्पनी द्वारा शुरू में ऐसे हवाई जहाजों का प्रयोग होता था जिन्हें एक चालक उड़ाता था और जिनमें केवल एक यात्री ही बैठ सकता था।

१९३४ में इन्डियन नैशनल एयरवेज़ की स्थापना हुई और १९३६ में एयर सर्विसिज़ थाफ इन्डिया नाम की कम्पनी ने हवाई यात्रा के क्षेत्र में कदम रखे। १९३८ में ब्रिटिश साम्राज्य की डाक को हवाई जहाजों से उड़ाने की योजना से देश की कम्पनियों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहारा मिला।

१९३९ में युद्ध आरम्भ होने पर हवाई यातायात का महत्व पढ़ गया और फौजी दृष्टिकोण से हवाई जहाजों का देश के महत्वपूर्ण पथों पर उड़ाना आवश्यक हो गया। दर्जनों नई कम्पनियाँ खुलीं और जनता ने इन कम्पनियों में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई। कम्पनियों के इस तरह बिना उचित योजनाओं के खुलने पर एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड की स्थापना हुई।

देश की इन हवाई कम्पनियों ने पाकिस्तान से शरणार्थियों को निकालने में व कारमीर को फौजी सहायता पहुंचाने में अपने साहस व देशप्रेम का परिचय दिया।

विदेशों तक देश की हवाई कम्पनियों के जहाजों में ही यात्रा के उद्देश्य से भारत सरकार ने ७ करोड़ रुपये की एयर-इंडिया इन्टरनेशनल नाम की कम्पनी प्रचारित की है। इस कम्पनी की प्रचारित (इश्यूड) पूंजी २ करोड़ रुपये है, जिसमें ४६ प्रतिशत भारत सरकार के हैं। भारत सरकार जब चाहे तभी इसमें २ प्रतिशत पूंजी और बढ़ा सकती है।

पाकिस्तान व स्वीडन से हवाई पथों के सम्बन्ध में स्थायी समझौते किये गए हैं। आस्ट्रेलिया, चीन, इजिप्ट व स्विट्ज़रलैंडसे इसी सम्बन्ध

में अस्थायी समझौते हो चुके हैं। इन देशों से व ब्रिटेन-और ईरान से स्थायी समझौते की बातचीत जारी है। हवाई जहाजों की उड़ान के सम्बन्ध में अमरीका, फ्रान्स, और नेदरलैंड्स से भी समझौते किए जा चुके हैं।

देश में हवाई पथों (रूट्स) की कुल संख्या २७ है जिन पर ४१ कम्पनियाँ काम कर रही हैं।

१५ अगस्त १९४७ को हिन्दुस्तान में हवाई जहाज चलाने वाली २३ कम्पनियाँ थीं। इन का मूलधन ४२ करोड़ २० लाख रुपया था।

२२ हवाई रास्तों पर हवाई जहाज उड़ते थे और इन रास्तों की कुल लम्बाई १३,२१५ मील थी। ८ कम्पनियाँ १६६ हवाई जहाज, २२६ चालक और १३० दूसरे सहायकों का इन रास्तों पर प्रयोग करती थीं। सब मिलाकर ४६ लाख ४८ हजार मील उड़ान होती थी और उठाये गए सम्पूर्ण बोम्बे का भार ८० लाख टन-मील था। १९४७ के शेष भाग में १३६८०६ यात्री उड़े और ११२० टन बोम्बा हवाई जहाजों में लादा गया। २६८ टन ढाक व ५०४ टन अखबारों के बंडल लादे गए।

१९४७ के पिछले महीनों में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के प्रबन्ध में २६ हवाई अड्डों का प्रबन्ध था। १९४६ में इनकी संख्या १६ थी।

८ जून १९४८ को इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के बीच एयर इंडिया इन्टरनेशनल कम्पनी ने हवाई जहाज चलाने शुरू किए।

हवाई जहाजों की कम्पनियों को लाइसेंस देने वाला बोर्ड

दीवान बहादुर के० एस० मेनन वार. एट्. ला—प्रधान

श्री एम० के० सेना गुप्ता मिनिस्ट्री आफ कम्युनिकेशन्स—सदस्य

श्री वी० पी० भंडारक

—सदस्य

उडाकू क्लबें

इस समय देश में ७ उडाकू क्लबें हैं जिन्हें भारत सरकार आर्थिक

सहायता देती है। यह क्लबों सदस्यों को हवाई जहाज चलाना सिखाती हैं और एतत्सम्बन्धी दूसरी शिक्षा देती हैं।

१. दिल्ली फ्लाईंग क्लब लिमिटेड—नई दिल्ली
२. मद्रास फ्लाईंग क्लब लि०—मद्रास
३. बम्बई फ्लाईंग क्लब लि०—बम्बई
४. बिहार फ्लाईंग क्लब लि०—पटना
५. बंगाल फ्लाईंग क्लब लि०—कलकत्ता
६. उड़ीसा फ्लाईंग क्लब लि०—भुवनेश्वर
७. हिन्द प्राविंशल फ्लाईंग क्लब लि०—लखनऊ

कानपुर में भी एक फ्लाईंग क्लब थी लेकिन वह हिन्द प्राविंशल फ्लाईंग क्लब लि० से मिल चुकी है।

१५ अगस्त १९४७ से ३१ दिसम्बर १९४८ तक इन क्लबों में हवाई जहाज सब मिलाकर ७८८२ घण्टे उड़े।

१५ अगस्त ४७ से ३१ दिसम्बर ४८ तक देश शोप सूचनाएं में हवाई दुर्घटनाओं की कुल संख्या ३० रही है। इसमें से केवल ८ ऐसी घटनाएं थीं, जिन्हें गम्भीर कहा जा सकता है। इन ८ में से ५ दुर्घटनाओं में हवाई जहाजों के सभी यात्री मारे गए।

२७ अक्टूबर १९४७ को बम्बई का हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा मान लिया गया। ७ दिसम्बर १९४७ को दिल्ली (पालम) का हवाई अड्डा आयातकर बसूल करने का अड्डा घोषित किया गया। मद्रान, डमडम (कलकत्ता) व बमराली (अलाहाबाद) के हवाई अड्डों को बृहत्तर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में खर्च स्वीकार किया गया है।

दिसम्बर १९४६

जून १९४७

हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड		
हवाई जहाजों की संख्या	४०३	४८२
इनमें १ से अधिक इन्जन वाले जहाज	१०६	१६५
जिन्हें उड़ने का प्रमाणपत्र प्राप्त है		१२४
जहाज चालकों (पाइलट्स) की संख्या — बी क्लास	१६४	२३०
„ — ए १ क्लास	१२	१४
„ — ए क्लास	१३३	२६३
ग्रौंड इंजीनियर्स	२२६	२६६

हिन्दुस्तान के उन ३४ शहरों के नाम जहां

हवाई अड्डे

हवाई अड्डे बने हुए हैं:—अहमदाबाद, अलाहा

बाद, अलवर, अम्बाला, अमृतसर, कलकत्ता,

डमडम, कानपुर, कोचीन, कोइम्बटोर, गया, ग्वालियर, जयपुर,

जामनगर, जोधपुर, नागपुर, नई दिल्ली-विलिंगडन, नई दिल्ली-पालम,

पटना, पोरबन्दर, बंगलोर, बड़ौदा, बनारस, बम्बई-सान्टाक्रुज़, बम्बई-

जुहू, भावनगर, भोपाल, भुज, मद्रास, मौरवी, राजकोट, लखनऊ,

विजगापट्टम, श्रीनगर, हैदराबाद, ।

उन कम्पनियों के नाम जिनसे किराए पर पूरा

किराए पर जहाज

जहाज मिल सकती है—एयर फ़ोटो लि० बम्बई,

एयरवेज़ इण्डिया लि० कलकत्ता, अम्बिका

एयर लाइन्स लि० बम्बई, एशिएटिक एविएशन कार्पोरेशन आफ इंडिया

अलाहाबाद, भारत एयरवेज़ लि० कलकत्ता, दालमिया जैन एयरवेज़

लि० कलकत्ता, इण्डियन एयर सर्वे एंड ट्रान्सपोर्ट डमडम, जुपिटर

एयरवेज़ लि० नई दिल्ली, मर्करी ट्रेवलस इंडिया लि० कलकत्ता,

इंडियन ओवरसीज़ एयर लाइन्स लि० बम्बई, इंडियन एयर ट्रेवलस

लि० कलकत्ता, ओरियन्ट एयरवेज़ लि० कलकत्ता, सेहगल एयर ट्रांसपोर्ट लि० नई दिल्ली ।

डाकघर वा तार घर

देश के डाक व तार के सहकमे की सक्रियता का व्यौरा निम्न आंकड़ों से मिलेगा :

	पार्सल	टेलीग्राम	रजिस्टर्ड चिट्ठियां
	रजिस्टर्ड (०००)	देश में (०००)	विदेशों को (०००)
१९४१-४२	८४८३	३४२६	१७७२१
४२-४३	६५६७	३५५४	१६२६६
४३-४४	१२५८६	४०३१	२३५३७
४४-४५	१५२६०	४३३१	२५२८३
४५-४६	१५८४५	४४२१	२६६०८
४६-४७	१३८०५	अप्रामा	२३४३८

रजिस्टर्ड (०००) २८१६१
 २६७४२
 ३४३१४
 ३६६१८
 ४६१६६
 ४८७२२

	चिट्ठियां	पोस्टकार्ड	रजिस्टर्ड	सुक पोस्ट
			अखबार	वा नमूने
१९४०-४१	५२६०६६	३६५४५८	७८५३५	११०७०३
४१-४२	५४१५२८	४१३०६६	८०५७८	६६६१३
४२-४३	५३०६७४	४७३५००	८२१६३	६०७८६
४३-४४	६०६५५४	५५०४२०	८६२४७	६८६८८
४४-४५	६७५०८६	६०३७६४	९६७७३	१०६५४०
४५-४६	७७७३१५	६६११२२	१२०८५६	१२२६१२
४६-४७	६८५४००	५३३१६६	६८७००	६६५२३

मनीआर्डर देश में

दाखिल किये गए

भरे हुए

(इयूड)

(पेड)

	संख्या (०००)	मूल्य रु०(०००)	संख्या (०००)	मूल्य रु०(०००)
१९३६-४०	४१३७३	७४६१५८	४१२४६	७४८२५८
४०-४१	४२७६३	७६४७६३	४२६२०	७६३००५
४१-४२	४७२६७	६२१६६३	४६८८७	६१७५१७
४२-४३	५०३८७	११२२७०८	४६५६५	१११०२८८
४३-४४	५६६३३	१४४६६३६	५६२४२	१४४१४३२
४४-४५	६३७३८	१७०५७७३	६२३८२	१६६१३२०
४५-४६	६४६०८	१८७३८३३	(क)	(क)

मनीआर्डर विदेश में

दाखिल किये गए

भरे गए

संख्या

मूल्य

संख्या

मूल्य

(०००)

रु०(०००)

(०००)

रु०(०००)

१९३६-४०	३२८	६३३२	२४००	७४८७८
४०-४१	३३४	६६५६	२३६१	८८६३३
४१-४२	४०४	१०१६०	१६६०	६६१६२
४२-४३	५६४	१६६०६	६३६	२१००१
४३-४४	६६८	१८२२२	६२३	२१४०८
४४-४५	७२०	२२५४१	६०२	२२४६२
४५-४६	७६१	३६६६५	११७७	८३२००

(ख)

(ख)

(क) भरे गए मनीआर्डरों की वही संख्या है जो दाखिल किए गये की है ।

(ख) अनिश्चित (प्रोविजनल) ।

हिन्द की विदेशिक नीति

आज़ादी के पहले हिन्दुस्तान की विदेशिक नीति कुल दुनिया के पराधीन मुल्कों में आज़ादी के लिए हो रहे संघर्ष के समर्थन और साम्राज्यवाद, फासिज़्म और तानाशाही के विरोध की थी। पराधीन देश की कोई अपनी विदेशिक नहीं होती लेकिन उस देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन की सहानुभूतियां अन्तर्राष्ट्रीय तल पर किस ओर निर्दिष्ट रहती हैं, यही बात उस देश की विदेशिक नीति कहकर पुकारी जा सकती है।

यही परम्परा हमारी वर्तमान विदेशिक नीति की पृष्ठभूमि है। लेकिन आज़ाद होजाने के बाद देश के कंधों पर जो उत्तरदायित्व आ पड़ा है, उसके बोझ से इस नीति को देश-हित की दृष्टि से कहीं सीमित करना, कहीं कांटना-छांटना पड़ता है।

किसी भी स्वतन्त्र देशको विदेशिक नीति का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय तल पर अपने देश की उन्नति के लिए परिस्थितिएं जुटाना और लाभ खोजना होता है। हर देश की सरकार का कर्तव्य अपनी प्रजा के फायदे के लिये ही सब काम करना है, तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय जगत के हर पहलू को प्रत्येक देश अपने हित की कसौटी पर ही परखता है, इस तरह हर देश की विदेशिक नीति को अचसरवादी और स्वार्थमय कहा जा सकता है।

कुछ देश दूसरे देशों के स्वार्थ और अपने स्वार्थमें सामञ्जस्य ढूँढने में सफल होते हैं। यदि दुनिया के सब देश सम्पन्न व समृद्धिशाही ढंगों तभी दुनिया में शान्ति रहेगी। अशान्ति, अव्यवस्था और फलस्वरूप युद्ध होने की दशा में सभी देशों का हास होता है, क्योंकि आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि युद्ध छिड़ जाने पर किसी देश के लिए इसकी लपट से बच रहना दुर्गम हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों

में, अपने हितों की सुरक्षा का सिद्धान्त बनाए रखते हुए, ऐसी उदार नीति अपनाना ही श्रेय होता है।

हमारी विदेशिक नीति का मूल प्रेरणाएं व उलझनें

हिन्दुस्तान फौजी दृष्टिकोण से एक कमजोर देश है। इसकी औद्योगिक स्थिति भी बहुत अविकसित और अपरिपक्व दशा में है। लेकिन हमारे देश के प्राकृतिक व मानवीय साधनों को देखते हुए और दुनिया में हिन्दुस्तान की भौगोलिक स्थिति का ध्यान करके सम्भावना है कि भविष्य में हिन्दुस्तान की गणना शक्तिशाली राष्ट्रों में होगी। यह दो सत्य हिन्दुस्तान के प्रति विदेशों की नीति को निश्चित करते हैं।

आज की दुनिया में ऐसे प्रभुत्वशाली देश व प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के दिनों को याद रखते हुए हिन्दुस्तान को शक्ति संचय करते नहीं देखना चाहते। इन लोगों और देशों की तरफ से देश की आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति में बाधा आ रही है।

शक्ति हथियाने की दौड़ में अन्धी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बंटी है। हिन्दुस्तान की इच्छा किसी भी हिस्से से अपने स्वार्थ बांध लेने की नहीं है। हिन्दुस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हर प्रश्न पर पहले तो अपने स्वार्थ की दृष्टि से, फिर प्रश्न की अपनी अच्छाई, बुराई का ख्याल करके अपनी नीति गढ़ता रहा है। ऐसी स्वतन्त्र नीति दुनिया के परस्पर विरोधी हिस्सों में से किसी को भी नहीं भाती।

हिन्दुस्तान की यह नीति रही है कि विदेशिक झगड़ों की उलझनों से बचकर ही चला जाय। यदि कभी यह उलझनें युद्ध का रूप धारण कर लें तो युद्ध से बच रहने की नीति ही देश की नीति होगी। यदि इस युद्ध से बचकर न रहा जा सके, तो हिन्दुस्तान उस पक्ष में शामिल होगा जिसमें शामिल होना देश के हितों की संवृद्धि करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में हिन्दुस्तान को सामरिक दृष्टि से हीन लेकिन नैतिक परम्परा व मुकाव से बढ़प्पन का स्थान मिलता है। १९४७ के

रक्तपात ने देशकी इस नतिक महत्ता पर धक्का लगाया था लेकिन देश के नेताओं के गम्भीर प्रयत्नों ने देश को फिर उबार लिया है।

उसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय अवस्था और नीति सुदृढ़ हो सकती है जिसकी राष्ट्रीय नीति व अवस्था सुदृढ़ हो। इसलिए देश की आन्तरिक राजनीति को शान्त रखना व उसे मजबूत करना हर देश के लिए जरूरी होता है।

इसके इलावा कोई भी देश देश में जिस आर्थिक नीति को अपनाता है वह नीति भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करती है। अब तक हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा जो धुंधली और अस्पष्ट है इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश में निश्चित आर्थिक नीति की नींव अभी नहीं रखी गई।

एक दशा में हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति प्रायः निश्चित रूप धारण कर चुकी है और यह दिशा एशिया के महाप्रदेश से साम्राज्यवाद के जाल को काटना और एशियाई देशों के स्वतन्त्रता-आन्दोलनों को सहायता व समर्थन देना है। हिन्दुस्तान ने जिस स्पष्टवादिता का आश्रय लेकर हिन्द-एशिया, इन्डो-चाइना, वीतनाम आदि देशों के जन-आन्दोलनों को समर्थन दिया है, उससे यूरोप के कितने ही देश हिन्दुस्तान से विमुख हुए हैं।

राष्ट्र-संघ में हिन्दुस्तान की नीति हर प्रस्तुत प्रश्न पर स्वतन्त्र मत बनाने की है। कुछ अवसरों पर हिन्दुस्तान ने रूस पर का समर्थन किया है (वीटो), कुछ प्रश्नों पर इंग्लैण्ड व अमरीका और हिन्दुस्तान ने एक तरफ़ वोट दिए हैं (लक्ष्मी का राष्ट्र-संघ में प्रवेश) और कुछ प्रश्नों पर हिन्दुस्तान एक स्वतन्त्र नीति का ही प्रतिपादन करता रहा है (फिलिस्तीन के लिए संघीय सरकार का मुकाब)। विदेशिक नीति में स्वतन्त्रता का उदता से पालन करने से देश का आदर बढ़ा ही है। यह ठीक है कि हमें किसी भी बड़े शक्तिशाली देश की पूर्ण सहायता का आशवासन नहीं है। ऐसा तभी सम्भव है जबकि हम अपनी नीति की

किसी दूसरे देश की नीति की अनुगामिनी बनादे' । स्वतन्त्र बने रहने और मान पाने के लिए हमें पहले परदेशों की उपेक्षा और बाधा ही सहनी होगी । इस बीच देश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति बेहतर करने के प्रयत्न जारी रहेंगे और शक्ति-संचय का कार्य चलेगा । तदुपरान्त एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली और नैतिक महत्ता में विश्वास रखने वाले राष्ट्र के रूप में हमारे देश का मान जगत-भर में होगा ।

इस नीति की रूपरेखा की घोषणा देश के विदेश-मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू ने विधान-परिषद् में ४ दिसम्बर १९४७ और ८ मार्च १९४८ में की ।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान

यहाँ पर विभाजन के बाद हिन्दुस्तान व पाकिस्तान की आर्थिक सम्भावनाओं पर एक दृष्टि डाली जायगी ।

विभाजन के वक्त के केन्द्रीय सरकारों के आमदनी वा खर्च सम्बन्धित प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

	हिन्दुस्तान	पाकिस्तान	जोड़
रेलों में लगी कुल पूंजी	६७२	१३६	८१८
ढाक व तारघर के सहकर्मों को दिया गया अगाऊ धन	३७	११	४८
प्रान्तों को दिया गया अगाऊ धन	४६	=	५७
रियासतों को दिया गया अगाऊ धन	१५	२	१७
जो कर्ज बर्मा से वसूल करना है	४१	७	४८
रेलों से सम्बन्धित मद में ब्रिटेन के पास जमा	१८	४	२२
व्याज देने वाले इन मदों का जोड़	८३२	१६८	१०००

मुद्रा के खाते में जमा			
(नगद व सिक्क्यूरिटी)	३२५	७५	४००
असुरक्षित (अन्कवर्ड) कर्ज	७१४	१५३	८६७
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
जोड़	१०३९	३६६	२२६७
शस्त्रास्त्र के कारखानों के लिए दिया गया		६	६
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	१०३९	४०२	२२७३

—पाकिस्तान की सरकार हिन्दुस्तान को अपना देन ५० वार्षिक किश्तों में, जो एक बराबर रकम की होंगी, चुकायगी। पहली किश्त विभाजन के वर्ष के ५ वर्ष बाद दी जायगी।

—भारत की केन्द्रीय सरकार की वार्षिक आमदनी (रेवेन्यू) २२५ करोड़ के लगभग है जबकि पाकिस्तान की ३५ करोड़ वार्षिक है।

—१९४९ की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी ३१.८ करोड़ व पाकिस्तान की ७-९ करोड़ है। भारत का क्षेत्रफल १२.०६ हजार व पाकिस्तान का ३.६५ हजार वर्ग मील है। १९४९ के सेन्सस के हिसाब से दोनों प्रदेशों में ग्रामीण व शहरी आबादी के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	हिन्दुस्तान (करोड़)	पाकिस्तान
शहरी	२७.४५	५.६
ग्रामीण	४.३५	६.५१

—हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रदेशों को विभाजन से देश के कुल खेती-बारी के क्षेत्र का क्या-क्या अनुपात प्राप्त हुआ है, हमका यहाँ निम्न है :

	हिन्दुस्तान	पाकिस्तान
गेहूँ	६५ प्रतिशत	३५ प्रतिशत
चावल	७३ ”	२७ ”
ईख का क्षेत्र	८६ ”	१४ ”
„ से चीनी निर्माण	६८ ”	२ ”
पटसन	२६.६ ”	७३.४ ”
तेल बीज	६२ ”	८ ”
तम्बाकू	६७ ”	३३ ”
काफी	१०० ” ”
चाय	४०५० (लाख पौण्ड)	६०० (लाख पौण्ड)
कपास का क्षेत्र	१०७६५ (हजार एकड़)	३७१५ (हजार एकड़)
„ उत्पादन	२११४ (हजार गाठे)	१३२८ (हजार गाठे)

— १६४४ की उत्पत्ति के हिसाब के अनुसार देश के विभाजन से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में खनिज-साधनों का इस प्रकार वंटवारा हुआ है :

	हिन्दुस्तान	पाकिस्तान	जोड़
कोयला (लाख टन)	२५७	३	२६०
लोहा ”	२३	
तांबा ”	३.३	
मैंगनीज ”	३.७	...	
बाक्ससाइट (टन)	१२,३१५	
पेट्रोल (लाख गैलन)	८२३	१५२	९७५
माइका (००० हण्ड्रेडवेट)	१३६	

इनके अलावा हिन्दुस्तान में वैराइट्स, चाइना क्ले, मैगनाइट, इल्मेनाइट, काइनाइट, स्टीएटाइट, सोनाझाइट, आकर, हीरे, सोना व चांदी की खनिजोत्पत्ति भी होती है।

(१९४४)	हिन्दुस्तान(०००टन)	पाकिस्तान	जोर
क्रोमाइट	२१	१६	४०
जिप्सम	२६	५८	८४
फुल्लर्स अर्थ	८	३	११

विभाजन से (१९४३ के हिसाब के अनुसार) हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में औद्योगिक कल-कारखानों की संख्या व अनुपात का व्योरा निम्न प्रकार रहा है :

	संख्या	अनुपात प्रतिशत	इनमें लगे मजदूरों की संख्या	अनुपात प्रति०
हिन्दुस्तान	११४६२	६०.४	२६५२	६२-७
पाकिस्तान	१२३१	६.६	२५०	७-३

दोनों देशों में प्रमुख कल-कारखानों की संख्या इस प्रकार है :

कारखाने	हिन्दुस्तान	रियासतें (जो कि सभी हिन्दु- स्तानके साथ शामिल हो चुकी हैं)	पाकिस्तान
सूती कपड़े के कारखाने	६७१	६	६२
लोहे व इस्पात ,,	१७	..	१
इंजीनियरिंग ,,	३६६	४५	२६
पटसन ,,	१०६	..	१
चीनी ,,	१४६	..	१३
गर्म कपड़े ,,	४	२	८
रेशमी कपड़े ,,	६६	२	२५
कागज बनाने ,,	१४	..	८
दियासलाई ,,	२६	२	७

शीशा बनाने के कारखाने	७१	२	६
साबुन बनाने	१६	१	६
सीमेन्ट	१०	३	६

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में विभाजन से बैंकों का जिस तरह वितरण हुआ है, उसका व्योरा इस प्रकार है :

	हिन्दुस्तान	पाकिस्तान	जोड़
शिङ्ग्यूल् (अनुसूचित) बैंक			
प्रधान दफ्तर	८५	१३	९८
शाखाएं व कुल जोड़	२५१३	६३३	३१४६
नान-शिङ्ग्यूल्ड (अनुसूचित) बैंक			
प्रधान दफ्तर	४६२	१५७	६१९
शाखाएं व कुल जोड़	१६३७	५६८	२२०५

हिन्दुस्तान में देशी बीमा कम्पनियों की संख्या २१८ और विदेशी बीमा कम्पनियों की संख्या ६६ है । पाकिस्तान में २१ देशी कम्पनियों और २ विदेशी कम्पनियों के दफ्तर हैं ।

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में व्यापार सम्बंधी समझौता

२६ मई १९४८ को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक सहायता का एक समझौता हुआ । इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं का सामान निश्चित परिमाण में देना स्वीकार कर लिया । यह समझौता १ जुलाई १९४८ से ३० जून १९४९ तक लागू रहेगा । समझौते में कपड़े व कपास से सम्बन्धित शर्तें १ सितम्बर १९४८ से ३१ अगस्त १९४९ तक लागू रहेंगी । दोनों देशों ने स्वीकार किया कि आदान-प्रदान के इस समझौते को पूरा करने के लिए वह सभी प्रकार के सुभीते देंगे । पटसन के विषय में हिन्दुस्तान ने यह मान लिया कि वह ६ लाख से अधिक गांठों का निर्यात नहीं करेगा । पाकिस्तान ने यह माना कि वह हिन्दुस्तान को अनाज उन्हीं दरों में देगा जिन दरों पर कि वह अपने देश में कमी के प्रान्तों को

देता है। हिन्दुस्तान कलकत्ता के भावों पर पाकिस्तान को लोहा देगा। पाकिस्तान को कागज व कोयला हिन्दुस्तान में चालू भावों पर मिलेंगे।

समझौते का व्योरा इस प्रकार है :

नाम	पाकिस्तान की वार्षिक आवश्यकता की मिकदार	हिन्दुस्तान ने जितनी मिकदार देना मान लिया	विवरण
१. कोयला	३४ लाख टन	१८३००० टन प्रति मास	१६०००० टन तो निश्चित दिये जायेंगे। शेष के विषयमें कोशिश की जायगी।
२. कपड़ा व सूत	४ लाख गांठें	४ लाख गांठें	१ लाख गांठें सूत की हुआ करेगी।
३. लोहा, इस्पात व स्क्रैप	३१३७२०	त्रैमासिक १५००० टन और १००० टन लोहे की चादरें और ४००० टन पिग आयरन	
४. कागज व गत्ता	२०७८०	६००० टन कागज व १५०० टन गत्ता	
५. रसायनिक पदार्थ			
गन्धकका तेजाब	२००० टन	बाद में विचार होगा।
एलुमीनियम सल्फेट	२०००	बाद में विचार होगा।

शोरे का तेजाब	२७० टन	२७० टन
नमकका तेजाब	२०० ..	२०० टन
मैग्नीशियम		
सल्फेट	८०० ..	८०० ..
फेरस सल्फेट	४००

बाद में विचार होगा ।

६. तांबे की तार	१००० टन
७. एस्त्रस्टास सीमेंटकी चादरें	५००० टन	२५०० टन

शेष के विषय में हिन्दुस्तान सोचेगा कि वह क्या मंगरोल की टाइलें दे सकता है या नहीं ।

८. रंग व रोगन, वानिंश	२५०० टन	२५०० टन
--------------------------	---------	---------

पूरा विवरण नहीं मिला । कोई कमी रह गई तो बदले की दूसरी चीजें देकर पूरी करने की कोशिश की जायगी ।

९. रेलवे सन्बन्धी सामान	३६ लाख ३० हजार रुपये के
-------------------------	-------------------------	------

शायद दिये जा सकें लेकिन बाद में विचार किया जायगा ।

१०. टायर और ट्यूब	१३ लाख टन
-------------------	-----------	------

शायद सामान दिया जा सके

लेकिन साइज़
आदि से पूर्ण
विचरण मिलना
चाहिए बाद में
विचार होगा ।

११. चमड़ा व वूट वगैरह

वूट का ऊपरी चमड़ा	६० लाख वर्ग फीट सामान दिया जा सकता है या नहीं, यह खालों के मिलने पर निर्भर है ।
तली का चमड़ा	७५ लाख पाउंड	
लाइनिंग का चमड़ा	४ लाख पाउंड	

चमड़े के वूट ६ लाख

३ लाख वूटोंके लिए केन्वस

१२. लकड़ी	१०००० टन बदले में हिन्दुस्तान ने मालाबारके जंगलोंकी लकड़ी देने का प्रस्ताव किया । नमूने पाकिस्तान को भेजे जायेंगे ।
-----------	----------	---

१३. पटसन का बना सामान	५०,००० टन	५०,००० टन
१४. हरद	२००० टन	२००० टन
१५. गर्म कपड़े	११ लाख पाउंड	११ लाख पाउंड
१६. सरसों का तेल	५० हजार टन	२० हजार टन
१७. मूंगफली का तेल	३० हजार टन	५ हजार टन
१८ गरी का तेल	६ हजार टन	

१९. आलू के बीज दोनों देशों में बहुतायत होने पर निर्यात की आज्ञा दीजायगी।
२०. नहाने का साबुन	२ हजार टन २ हजार टन
२१. तम्बाकू	७ लाख पाउंड ७ लाख पाउंड
२२. चाय की पेटियां	३ लाख यह मांग पहली बार कराची में पेश की गई। इस पर दिल्ली में विचार किया जायगा। पूर्वी बंगाल को चाय की उपज के लिए इन्हें आव- श्यक बताया जाता है।

नाम	हिंदुस्तानकी वार्षिक आवश्यकता की मिकदार	पाकिस्तान ने जितनी मिकदार देना मान लिया	विवरण
१. पदसन	५५ लाख गांठें	५० लाख गांठें	..
१. कपास	६ लाख गांठें	५ लाख ५० हजार गांठें	..
३. अनाज			
चावल	१ लाख टन	१ लाख ७५ हजार	..
गेहूं	२ लाख टन		..

यदि पैदावारको अधिक
हानि न पहुंचे तो पाकि-
स्तान इतनी मिकदार

देगा और कोशिश करेगा
कि अधिक भी दे।

४.	जिप्सम मिट्टी	१००० टन	धीरे धीरे १००० टन ही	..
		प्रतिदिन	प्रतिदिन दिया जायगा	
५.	बरोज़ा	४००० टन		..
६.	खालें	संख्या	संख्या	..
	गौ की	२० लाख	१० लाख	
	भैंस की	५ लाख	२ लाख	..
	चमड़ियाँ	१५ लाख	१५ लाख	..
७.	पत्थरी नमक	२० लाख मन	२० लाख मन	..
८.	सोडा ऐश	१० हज़ार टन	...	शायद १९४६ में हिन्दु- स्तान की इस जरूरत को पूरा किया जा सके। इन समय कारखाना चन्द पड़ा है।
९.	पोटेशियम नाइट्रेट	५००० टन	५००० टन	
१०.	पशु	१०५० टन	५५० टन	

प्रान्तीय प्रगति

इस अध्याय में देश के ६ प्रान्तों की चतुर्विध प्रगति व समस्याओं की रूपरेखा खींची गई है। राजनीति के हर विचारार्थी के लिए आवश्यक है कि वह समस्त देश की समस्याओं से परिचय रखे। प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना को दूसरे प्रान्तों की जानकारी न होने से प्रोत्साहन मिलता है; देश के एक भाग की उन्नत करने समस्त देश की उन्नत करने हैं—ऐसा समझने पर ही हिन्दुस्तान तरक्की कर सकेगा।

आसाम

आवादी : १,०२,०४,७३३ । राजधानी : शिलांग, आवादी : ३८१६२ । गर्मियों की राजधानी अलहदा नहीं है । ११ फरवरी १९४६ को कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया ।

१. श्री गोपीनाथ बादोलाई—प्रधानमंत्री । शिक्षा और प्रचारके मंत्री ।

२. वसन्त कुमार दास—गृह, न्याय, कानून और विविध विभागों के मंत्री ।

३. श्री विष्णुराम मेधी—अर्थ और भूमिकर के मंत्री ।

४. मौलवी अब्दुल मतलिब मजुमदार । स्थानीय शासन, कृषि और पशु सम्बन्धी (वेटरनरी) मन्त्री ।

५. श्री वैद्यनाथ मुकर्जी—रसद, पुनर्निर्माण, जेल के मन्त्री ।

६. रेवरेंड जे० जे० एम० निकलस राय—पब्लिक वर्क्स के मंत्री ।

७. श्री रामनाथदास—चिकित्सा, स्वास्थ्य और मजदूर मंत्री ।

८. श्री भिम्बर दयूरी—जंगल मंत्री ।

९. मौलवी अब्दुल रशीद—उद्योग, को-आपरेशन और मुस्लिम-शिक्षा के मंत्री ।

प्रान्तका एक ही पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी है—श्री पूर्णानन्द चेट्टिया । धारा-सभा के सदस्यों की संख्या १०८ है । लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या २२ है, इसमें से ४ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । धारा-सभा के १०८ सदस्यों में से ६० कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे । कौंसिल में ४ कांग्रेसी, २ मुस्लिम लीगी और १६ स्वतन्त्र हैं । धारा-सभा का अधिवेशन आमतौर पर फरवरी से अप्रैल, सितम्बर, नवम्बर व दिसम्बर में होता है । कौंसिल का अधिवेशन मार्च, सितम्बर, नवम्बर और दिसम्बर में हुआ करता है ।

वजट १९४८-४९ में प्रांत का कुल अनुमानित व्यय कुल अनुमानित आय से १,४९,५९,००० अधिक रहेगा। तनखाहों की नई दरों के चालू होने पर यह नुकसान बढ़कर १.७५ करोड़ रुपये के लगभग होजायगा।

३ जून ४७ की विभाजनकी योजना के अनुसार नया प्रांत सिलहट का जिला, कुछ धानों को छोड़कर, आसाम से अलहदा करके पूर्वी बंगाल से मिला दिया गया। विभाजन से पूर्व प्रान्त में मुसलमानों का अनुपात, जो १९४१ की जन गणना के अनुसार ३४ प्रतिशत था, अब २२.४ प्रतिशत रह गया। प्रांत में कवाइली जातियों की आबादी २३ लाख ८० हजार के लगभग है।

१९३५ के ऐक्ट के अनुसार प्रांतीय स्वतन्त्रता पा लेने पर आसाम में (१९३८-३९ में) केवल १४ महीनों के लिए कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के सहयोग से मंत्रिमंडल बनाया था। शेष समय मुस्लिम लीगी मंत्रिमंडल ही स्थापित होते रहे और प्रांत की उन्नति और प्रगति अवरुद्ध रही। १९४५ के धारा-सभा के चुनावों से कांग्रेस ने आसाम की प्रांतीय सभा में बहुमत प्राप्त किया और फरवरी १९४६ में शासन की बागदोर हाथों में ली।

केबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार आसाम का सारा प्रांत ही लीग की साम्प्रदायिक राजनीति के दाय-पेचों में उलकने जा रहा था। आसाम की धारा-सभा ने बंगाल के साथ गठबंधन किए जाने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया और विधान परिषद् में अपने प्रतिनिधियों की हिदायत की कि इस स्थिति का विरोध करें। प्रांत के इस सर्वोच्च को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था।

लेकिन अगस्त १९४७ में हिन्दुस्तान के विभाजन और स्वतन्त्रता प्राप्ति के फलस्वरूप आसाम हिन्दुस्तान का ही अंग बना रहा। प्रान्त में १४ अगस्त १९४७ को आजादी का समारोह विशेष जोर से मनाया गया

क्योंकि एक तो देश स्वतन्त्र हुआ, दूसरे मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक नीति का शिकार होने से बच गया ।

१५ अगस्त ४७ को आसाम ने अपने को हिन्दुस्तान का ही प्रान्त पाया लेकिन उस दिन इस प्रान्त का देश से सड़क, रेलगाड़ी व हवाई-जहाज़, किल्ली भी साधन द्वारा कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा था । इन सम्बन्धों को बनाने की योजना सबसे पहले अधिक महत्व की थी इस लिए सबसे पहले इसी ओर ध्यान दिया गया ।

उत्तरी बंगाल से होकर आसाम और हिन्दुस्तान के बीच रेलवे की नई पटरी विछाने की योजना बनाई गई है । नवम्बर ४७ में गौहाटी के पास काहिकुची में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया । बिहार, पश्चिमी बंगाल और केन्द्रीय सरकार ने मिलकर हिन्दुस्तानी प्रदेशों से गुजरने वाली आसाम तक की एक नई सड़क बना ली है जो चालू भी हो चुकी है । गौहाटी और शिलांग में दो नए रेडियो स्टेशन बनाये गए हैं ताकि बेतार द्वारा भी आसाम मानदेश से सम्बन्धित हो जाय । शिलांग से हाफलोंग, कचर, लुशैर की पहाड़ियों और त्रिपुरा तक जाने वाली सड़क की योजना भी बन चुकी है ।

इन योजनाओंसे न केवल आसामका हिन्दुस्तान से सम्बन्ध बना रहेगा वरन् प्रान्त की रक्षा की समस्या भी हल होगी । देश और आसाम के बीच पूर्वी पाकिस्तान पड़ता है । आवश्यक है कि आसाम की भीतरी व बाहरी रक्षा के पूर्ण प्रबन्ध हों ।

इस दृष्टि से प्रांत में होमगार्ड ऐक्ट (१९४७) पास किया गया है । सिक्यूरिटी पुलिस बढ़ा दी गई है । साधारण पुलिस में ७० प्रतिशत वृद्धि की गई है ।

देश से हवा, सड़क व रेल द्वारा सम्बन्धित हो जाने से प्रान्त की रसद स्थिति भी संभले व सुधरेगी। पाकिस्तान के विदेशी प्रदेश घोषित होजाने पर और दोनों देशों की सरहदों पर कस्टम पोस्ट बन जाने से सुलभता से सीमाओं के दोनों ओर आना-जाना व मिलना दुर्गम हो गया है।

किसानों से
सम्बन्धित नीति

प्रान्त में जमींदारी की प्रथा को हटाने का प्रश्न कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है क्योंकि गोलागढा और सिलहट के थानों को छोड़कर प्रान्त में शेष सब जगह श्रम्यतवादी की प्रथा ही चालू है। फिर भी जमींदारी को निर्मूल करने के उद्देश्य से, कांग्रेस की हिदायतों के अनुसार, आवश्यक छानबीन की जा रही है।

भूमि सम्बन्धी दूसरे सुधार भी जारी हैं। 'अधियारों' की रक्षा बठनों नियमित करनेके उद्देश्य से १९७८ के आरम्भ में धारा-समागों एक बिल पेश किया गया है। जमींदार किसानों से फसल के रूप में जो अधिक किराया ले लेते हैं, यह कानून उसका निषेध करेगा और किराए की दर नियत कर देगा। चाय की बिजाई के लिए जो जमीनें मुफ्त और बड़े पैमाने पर दी जा चुकी हैं, उनमें सम्बन्ध में भी तद्वकीकृत की जा रही हैं। जिन जमीनों का प्रयोग नहीं हो रहा वह वापिस लेकर उन किसानों को दी जायंगे जिनके पास अपनी कोई जमीनें नहीं हैं।

प्रान्त की चरागाहों पर जिन लोगोंने बलात् अधिकार जमा लियाथा, उन्हें वहांसे हटा दिया गया है। इस तरह ग्वानो कगाई गई जमीनें भी नियमानुसार किसानों को दी जा रही हैं। बड़ी किसान इन जमीनों की पायेंगे जो सांखी खेती-बारी (कलेक्टिव फार्मिंग) में शरीक होंगे। प्रांतीय सरकार ने मो प्रामागी फार्म की २०० एकड़ जमीन पर एक आदर्श फार्म शुरू किया है जहां यन्त्रीय (ट्रैक्टरों द्वारा) खेती की जा रही है।

१५ अगस्त १९४७ तक आसाम में न तो शिक्षा व हाईकोर्ट कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई हाईकोर्ट, न इंजीनियरिंग कालेज न मेडिकल कालेज और न कोई एग्रिकल्चर कालेज। नवम्बर ४७ में गौहाटी में एक रेजि-डेंशल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आसाम की धारा-सभा ने एक बिल पास किया। जनवरी ४८ में यूनिवर्सिटी की स्थापनाके लिए ठोस कदम उठाये गए। प्रांतीय सरकार इस संस्था को प्रति वर्ष ५ लाख रुपये की सहायता देगी। इस वर्ष के बजट से ११ लाख रुपये की और अगले वर्ष के बजट से ३० लाख रुपये की रकमें यूनिवर्सिटी की इमारत व सामान के लिए दी जायेंगी।

नवम्बर ४७ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना भी हुई।

एग्रिकल्चरल कालेज बनाने की योजना विचाराधीन है; जोड़त में कालेज की स्थापना के लिए स्थान भी तय कर लिया गया है।

एक इंजीनियरिंग कालेज भी जिसमें दरियाओं के पानी बांधने के सम्बन्ध में विशेष शिक्षा दी जाया करेगी, खोला जा रहा है।

इनके अलावा आयुर्वेदिक कालेज, वेटरनरी कालेज, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, ग्राम सुधार शिक्षा की संस्था, जंगलों के सम्बन्ध में शिक्षा देने वाला कालेज और को-ऑपरेटिव अफसरों को तैयार करने की संस्था खोलने के सम्बन्ध में भी छानबीन की जा चुकी है और इनकी स्थापना के उद्देश्य से कदम उठाए जा रहे हैं।

धारा-सभा के नवम्बर अधिवेशन में गौहाटी में प्रांतीय हाईकोर्ट के खोलने की योजना की स्वीकृति ले ली गई थी। इस योजनाको केन्द्र के गृह-विभाग ने मार्च ४८ में मान लिया और ५ अप्रैल १९४८ को हाई-कोर्ट का उद्घाटन किया गया।

प्रान्त में जबरन शिक्षा का कानून पास हो चुका है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनखवाहें १२ रु० मासिक से २० रु० और

फिर ३० रुपये तय कर दी गई हैं । मिडल क्लास की पढ़ाई तक अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जायगी ।

२ अक्टूबर १९४७ को गांधी जी के अन्तिम ग्राम-सुधार जन्मदिवस पर मंत्रिमण्डल ने ग्राम सुधार योजना की घोषणा की । इस सम्बन्ध में एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है । प्रान्त के कुल गांवों का ७२० ग्राम-सुधार के केन्द्रों के मातहत सुधार किया जायगा । १४२केन्द्र प्रति वर्ष खोले जायेंगे । इन पांच वर्षोंमें ७८ आदर्श गांव भी बसाए जायेंगे । इस योजना के पूरा होने पर प्रान्त के ६६ प्रतिशत ग्रामीण वास्तविक स्वायत्त शासन पा लेंगे ।

इस योजना की सफलता के लिए उन कार्यकर्तियों की शिक्षा के लिए एक विशेष केन्द्र खोला गया है जो गांवों में जाकर काम करेंगे । ग्रामों में पंचायती संगठन बनाने के लिए धारा-सभा एक कानून भी पास कर चुकी है । इस योजना पर ६ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । ग्राम सुधार का अलहदा विभाग खोल दिया गया है ।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त मंत्रिमण्डल द्वारा मान लिया जा चुका है । लेकिन इस समय प्रान्तों में चाय, पेट्रोल और कोयले की छोड़कर बड़े पैमाने पर कोई उद्योग नहीं है । प्रान्त ने फैसला किया है कि सूती कपड़े, कागज व चीनी बनाने के कारखाने खोले जायें, इस सम्बन्ध में मशीनरी वगैरह का आर्डर भी दे दिया गया है ।

चाय के उद्योग का राष्ट्रीयकरण जल्दी नहीं हो सकेगा । यातायात के राष्ट्रीयकरण का फैसला हो चुका है ।

प्रान्त के मालिक व मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे हैं । जो छोटे-मोटे मगड़े हुए भी हैं, वरन् प्रान्तीय सरकार के मजदूर विभाग ने मुलह-सफाई से निपटा दिए ।

प्रान्त में दालों, गुड़, चीनी और सरसों के तेल
खाद्य व रसद की कमी रही है। चावल की पैदावार बहुता-
यत से होती है और इस ओर प्रान्त आत्म-
निर्भर है। सूती कपड़े का हिन्दुस्तान से आयात होता है। इन आव-
श्यकताओंके आयात पर प्रान्त प्रतिवर्ष १२ करोड़ रुपया खर्च करता है।

इस तरह के खाद्यान्नों में प्रान्त को आत्मनिर्भर करने के लिए खाद्य
विभाग के मातहत खाद, अच्छे बीजों के प्रयोग और दुफसली भिजाई
का प्रचार किया जा रहा है। प्रान्त में किसान मिल-जुलकर सांझी
खेती-बारी करें, इस ओर भी प्रेरणा की जा रही है।

१ अप्रैल ४८ से सरकारी नौकरों की तनखवाहों
तनखवाहों में वृद्धि में वृद्धि कर दी गई है जिससे कि सरकार को
२५ लाख रुपए की रकम का, जो रकम कि
नई तनखवाहों के शुरू हो जाने पर ७५ लाख हो जायगी, बोक उठाना
पड़ा। सरकारी अफसरों की ज्यादा तनखवाह १५०० रुपए मासिक तक
सीमित रखने का फैसला किया जा चुका है।

प्रान्त के दरियाओं पर कहाँ-कहाँ बांध बांधे
विविध जा सकते हैं व बिजली बनाई जा सकती है,
इस उद्देश्य से छानबीन हो रही है।

प्रान्त में अफीम के प्रयोग के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है।

पहाड़ी व समतल
प्रदेश पर रहने
वालों के सम्बन्ध
अंग्रेज की नीति पहाड़ों पर रहने वाली जातियों
को समतल जिलों की जनतासे अधिक मिलने-
जुलने की इजाजत न देती थी। इन दोनों में
भाईचारा बढ़ाने के लिए शिलांग में (नवम्बर
४७ में) एक सप्ताह मनाया गया जबकि

दोनों प्रदेशों के लोगों ने पारस्परिक साहचर्य प्रदर्शित किया। प्रान्त के
प्रधान मंत्री व गवर्नर पहाड़ी प्रदेशों का दौरा करते रहते हैं। पिछड़े
प्रदेशों की तरक्की की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर पूर्वीय सीमा

प्रदेशों के विकास की एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है जिसका खर्च केन्द्र की सरकार कर रही है। पिछड़े प्रदेशों में सड़कें, इमारतें, औषधालय व स्कूल बगैरह खोले जा रहे हैं।

आसाम प्रान्त को आशा है कि वह केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता और निर्देश से शीघ्र ही स्वतन्त्र भारत का एक महत्वपूर्ण प्रान्त बन जायगा।

उड़ीसा

आवादी : ८७,२८,५४४ (१९४१ की जन-गणना के अनुसार)। राजधानी : कटक, आवादी : ७६१०७। गर्मियों की राजधानी : पुरी, आवादी : ४२६१६। मन्त्रीमंडल कांग्रेस ने २२ अप्रैल १९४६ को बनाया।

(१) श्री हरिकृष्ण महताब—प्रधानमन्त्री। गृह, अर्थ, सूचना, योजना और पुनर्निर्माण के मन्त्री।

(२) श्री नवकृष्ण चौधरी। भूमिकर, रसद और यातायात के मन्त्री।

(३) पण्डित लिङ्गराज मिश्र। शिक्षा, जंगल और स्वास्थ्य के मन्त्री।

(४) श्री नित्यानन्द कानूनगो। कानून, स्थानीय शासन और विकास के मन्त्री।

(५) श्री राधाकृष्ण विश्वासराय। व्यापार, मजदूर, और पब्लिक वर्क्स के मन्त्री।

प्रांतीय सरकार ने कोई पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी नहीं बनाया। धारा-

सभा के सदस्यों की संख्या ६० है। लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं है। धारा-सभा में ४७ कांग्रेसी, ४ मुस्लिम लीगी, १ कम्यूनिस्ट, ४ स्वतन्त्र और ४ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। धारा-सभा का अधिवेशन आमतौर पर जनवरी से मार्च और अगस्त से नवम्बर तक हुआ करता है।

रचनात्मक महकमों पर खर्च

उड़ीसा प्रांत देश के गरीब प्रांतों में से है। यहां की जनता गरीब है; परिणाम-स्वरूप सरकार की आय कम है। मुख्य आय चावल के निर्यात से होती है। अपेक्षातर हीन साधनों के होते हुए भी उड़ीसा ने रचनात्मक महकमों पर प्रांतीय खर्च बढ़ाया ही है :

शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य कृषि पशु सहकारी उद्योग

(००० रुपयों में)

१९३८-३९	२६,१२	८,२५	२,१८	२,२४	१,०१	१,७४	२,५०
४६-४७	३,१५	२३,४२	११,४२	११,१६	५,२८	३,६४	१०,५०
४७-४८	८६,३६	२८,४३	१५,२०	६४,११	८,१४	६,४०	२१,०२
४८-४९	६७,१०	३०,६१	३१,६७	८६,२०	१०,७३	८,१७	१८,६६

(बजट)

प्रांतीय आय

भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्रांतीय आय विभिन्न वर्षों में इस प्रकार रही है :

(लाख रुपए)

	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९
			(बजट)
आय कर	६०	८३	६१
मालिया	५१	५२	५३
प्रांतीय एक्साइज़	१११	१२३	११५
जंगल	१८	२५	२५

कमर्शल टैक्स (सेल्स टैक्स आदि)	...	७	१६
आवपाशी	१०	१०	१०
केन्द्रीय सरकार से सहायता	४०	४०	४०
युद्धोत्तर विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता	१००	२००	२६०
शेष आय	५७	६६	५१
कुल	४७८	६६६	६६६

कृषि सम्बन्धी कानून में भी इस प्रकार संशोधन कर दिया गया है कि किसानों, रयत, चंदनदारों और इनामदारों को ज़मीन से वेदखल नहीं किया जा सकता। दक्षिणी उड़ीसा में किसानों से वसूल किये जाने वाले मुआवज़े (रेन्ट) की दर बहुत अधिक थी। कानून द्वारा इस सिद्धान्त को स्वीकार करके कि मुआवज़े को निश्चित करने में खेती-बीजने व काटने के खर्चों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कमी कर दी गई है।

१९४७ में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार गंजम जिला के किसानों को यह सुभीता दिया गया कि कुछ निश्चित तारीखों तक मुआवज़े की चालू बाकी अदा कर देने पर पिछली कुल बाकी अदा कर दी समझी जायगी।

वे किसान, जिन्हें कि खेती-बारी को जमीन में किसी भी तरह के अधिकार नहीं माने जाते, जमींदारों की स्वेच्छा पर जब कभी भी निकाले जा सकते थे। जमींदार इनसे खेती की कुल उपज का आधे से भी अधिक भाग वसूल कर लिया करते थे। एक कानून के अनुसार १ वर्ष के अन्तरिम काल के लिए इनकी स्थिति सुरक्षित करते हुए घोषणा की गई कि जो मज़दूर १ सितम्बर १९४७ को किसी

ज़मीन पर काम करते थे उन्हें वेदखल नहीं किया जा सकेगा। उनसे वसूल किए जाने वाले हिस्से को भी प्रदेशानुसार कम कर दिया गया।

एक कानून द्वारा यह मान लिया गया है कि कुछ प्रदेशों में किसान ज़मीन पर खेती-बारी के अपने अधिकारों को दूसरे किसानों को दे सकते हैं। कुछ हालात में यह नए किसान पुराने किसानों के समान ही उस ज़मीन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

एक विशेष समिति का आयोजन हुआ है जो ज़मींदारी प्रथा को मिटाने के प्रश्न पर विस्तृत विचार करेगी।

पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में

गन्जम जिले में कवाहली (टाइबल) व पिछड़ी हुई (वैकवर्ड) जातियाँ रहती हैं। इनकी दशा सुधारने के विशेष प्रयत्न जारी हैं। इस दिशा में वैकवर्ड क्लासिज़ वेल्फेयर ब्रांच काम कर रही है। नुआगांव में खोण्ड (भील) बालकों के लिए एक आश्रम खोला गया है। यहाँ पर विभिन्न दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है। रायगढ़ और कोरापुत में भी ऐसे आश्रम खोले जा रहे हैं। १०० सेवाश्रम कोरापुत में, २० गन्जम में, १६ सम्बलपुर में और ४ अंगुल में खोले जा रहे हैं। इनमें कातने वा खेती सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है और लोगों को पढ़ाया जाता है। सेवाश्रम के अध्यापकों के लिए सुनवेद में सेवकतालीम केन्द्र खोला गया है। यह केन्द्र सेवाश्रमों के लिए प्रतिवर्ष २०० सेवक तय्यार करेगा।

उदयगिरि की भील-वालाओं के निवास-स्थान (होस्टल) के लिए एक पक्की इमारत बनाई जा रही है।

१९४७-४८ से शुरू होने वाले पांच वर्षों की एक प्रान्तीय साधनों के योजना बनाई गई थी जिस पर कुल व्यय का विकास की योजनाएं अनुमान ३८ करोड़ रुपए था। केन्द्रीय सरकार ने इस योजना पर व्यय में ६.६ करोड़ रुपये देना मान लिया था। १९४६-४७ के वर्ष के लिए एक विशेष

योजना बनाई गई थी जिसके लिए केन्द्र ने १ करोड़ रुपया दिया। प्रान्तीय सरकार ने इस रकम से ८३ लाख रुपए की रकम खर्च की। शेष रकम इमारत व सड़कों के सामान की कमी के कारण बच रही।

१९४७-४८ में विकास की योजनाओं पर खर्च के लिए ४.७५ करोड़ रुपए की रकम स्वीकार हुई है, १९४८-४९ के वर्ष के लिए इसी मद में स्वीकृत रकम ५.७१ करोड़ रुपया है।

विदेशों में विशिष्ट शिक्षा हासिल करने के लिए ७३ विद्यार्थी भेजे गए। इनके अलावा ६ और विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं।

प्रान्त में निम्न नए उद्योग खोलने की आज्ञा केन्द्र से प्राप्त की जा चुकी है :

सूत व सूती कपड़े के कारखाने	५	(११६००० स्पिन्दल)
चीनी	२	
पटसन	१	
पेन्ट-वार्निश	१	
रेयन	१	
कागज	१	
गन्ने	१	
सीमेंट	१	
वानस्पती घी	१	

हीराकुंड योजना से सस्ती बिजली मिलने पर प्रान्त में एलुमीनियम के निर्माण का उद्योग तरक्की कर सकेगा; इसके लिए कलहन्दी रियासत में पाई जाने वाली ब्राक्साइट की खानों से कच्चा सामान मिलेगा।

प्रांत में छोटे पैमाने पर बुनियात बगैरह, वास्टियां, छाता और लोहा ढालने का भी एक-एक कारखाना काम कर रहा है।

प्रांत में ७७ लाख एकड़ जमीन पर खेती की जाती है। चावल की उत्पत्ति इतनी मात्रा में होती है कि प्रांत अपनी पैदावार का ८ प्रतिशत

भाग देश के दूसरे प्रांतों को निर्यात कर सकता है।

प्रांत यह निश्चय कर चुका है कि सदकों के यातायात का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। एक सरकारी कम्पनी बनाई जायगी जो धीरे-धीरे सारे प्रांत में सवारियां व सामान ढोने वाली लारियां व ट्रक चलायगी। प्रांत में सहकारी सिद्धांतों पर बने बैंकों की सहकारी संस्थाओं संख्या १५ है, इन बैंकों की पूंजी में १३ प्रतिशत का विकास और इनके कामकाज में ६२ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

जुलाहों की सहकारी संस्थाओं के काम-काज में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन संस्थाओं की संख्या १३३ है और इनके सदस्यों की संख्या ७७३८ है। इन संस्थाओं ने पिछले वर्ष १५.५२ लाख रुपए की रकम का व्यापार किया।

प्रांत में खाद बनाने वाली १४ और घानो का तेल निकालने वाली ११ सहकारी संस्थाएं हैं। इनकी सदस्य संख्या क्रमशः १६६ और ४२६ है।

मछली पकड़ने व बिक्री करने वाली संस्थाओं की सदस्य-संख्या ३८४४ है। १९४७-४८ में इन्होंने ४ लाख रुपये का व्यापार किया।

घरेलू व छोटे पैमाने पर उद्योग चलानेवाली संस्थाओं की संख्या ३२ है।

प्रांत में स्थित ओरियन्ट पेपर मिलें प्रतिवर्ष बड़े उद्योग-धन्धे १०,००० टन क्राफ्ट पेपर बनाती थी। प्रबन्धकों उत्पादन को दोगुना करने की योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है।

बंग स्थित शीशे के कारखाने को बिल्कुल अर्वाचीन करने की योजनानुसार अमरीका से एक विशेषज्ञ बुलाया गया है।

सूती कपड़ा तय्यार करने वाली उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्लज़ ने उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। इसमें कुल १६००० स्पिन्डल बारीक कपड़ा बुनने के लिए, २५००० मोटा कपड़ा बुनने के लिए और ८०० लूमज़ हैं। हिन्दुस्तान में युद्ध के बाद स्थापित कपड़े का उत्पादन शुरू करने वाला यह पहला कारखाना है।

वानस्पती घी के उत्पादन का कारखाना भी खड़ा किया जा चुका है।

सूती कपड़ा बनाने वाले तीन और कारखानों की इजाज़तें दी जा चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक में २५००० स्पिन्डल और ५२० लूमज़ होंगी।

चीनी उत्पादन के दो नए कारखाने खुलेंगे।

कागज़ व गत्ता बनाने वाला एक नया कारखाना लगाया जायगा। इसकी पैदावार प्रतिवर्ष १०,००० टन होगी।

गन्जम जिला में नमक बनाने के उद्योग की इजाज़त दी जा चुकी है। हम्मा और सर्ला के पुराने कारखानों में उन्नति करने की योजनाएं बनाई गई हैं।

प्रांत में चीनी के वर्तन, सीमेंट, लाख, पेन्ट, प्लाईवुड, दियाभिलाई रसायन, एलुमीनियम, रिफ्रीजरेटर, और ट्रैक्टर बनाने के कारखानों को स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन कारखानों में कुल १५ करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी।

प्रांतीय सरकार इन उद्योगों को चलाने वाली कम्पनियों के हिस्से खरीदेगी और प्रबन्धभार में हाथ बंटायेगी।

विजली उत्पादन प्रांत के ग्रामों को विजली पहुंचाने की निम्न योजनाओं पर प्रांतीय सरकार ध्यान दे रही है:

मचखण्ड हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना—मद्रास की सरकार के सह-योग से इस योजना पर कार्य होगा। शुरू में उड़ीसा का हिस्सा २४०० किलोवाट होगा, बाद में योजना के सम्पूर्ण हो जाने पर उड़ीसा को ३०,००० किलोवाट बिजली मिलेगी। १९५० तक बिजली का उत्पादन शुरू हो जायगा।

सोलाव योजना—आरम्भिक खाके खींचे जा चुके हैं। योजना से ८०,००० किलोवाट बिजली तैयार की जा सकेगी।

हीराकुण्ड योजना—इससे उद्योग-धन्धों के लिए २,२०,००० किलोवाट और जमीन की सिंचाई के लिए ४८,००० किलोवाट बिजली सुलभ होगी।

प्रान्त में कालेजों की कुल संख्या १२ है, इन पर १९४७-४८ में १०,३६,७३५ रुपया खर्च किया गया। सेकण्डरी स्कूलों की कुल संख्या ४४ है। १९४६-४७ और ४७-४८ के दो वर्षों में १३६ नए प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। ४७-४८ में सेकण्डरी और प्राइमरी शिक्षा पर कुल प्रान्तीय खर्च क्रमशः ६,१६,६११ रुपए और १६,६२,६४४ रुपए है।

प्रान्त में हस्पतालों व डिस्पेन्सरियों की कुल चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ संख्या २१० है। आयुर्वेदिक औषधि बांटने वाली १२ डिस्पेन्सरियां खोली जा रही हैं।

पश्चिमी बंगाल

आबादी : २ करोड़ १२ लाख। राजधानी: कलकत्ता, आबादी: २१,०८,८६१, (१९४१)। गर्मियों की राजधानी: दार्जिलिंग।

मंत्रिमंडल १३ मंत्रियों से बना है :

१ डाक्टर विधानचन्द्र राय—प्रधान मन्त्री । गृह (सामान्य शासन, यातायात, विकास) स्वास्थ्य, स्थानीय शासन ।

२ श्री नलिनी रंजन सरकार—अर्थ विभाग, व्यापार, उद्योग ।

३ श्री किरणशंकर राय—गृह (पुलिस, जेल) ।

४ श्री राय हरेन्द्रनाथ चौधरी—शिक्षा विभाग ।

५ श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन—रसद विभाग ।

६ श्री जादवेन्द्र नाथ पंजा—कृषि, पशुपालन ।

७ श्री विमल चन्द्र सिन्हा—पब्लिक वर्क्स, भूमिकर ।

८ श्री निकुंज विहारी मैतौ—को-आपरेशन, पुनर्निवास

९ श्री निहारेन्द्र दत्त मजुमदार—कानून ।

१० श्री कालिंद मुकर्जी—मजदूर विभाग ।

११ श्री भूपति मजुमदार—सिंचाई विभाग ।

१२ श्री हेमचन्द्र नस्कर—जंगल, मछली विभाग ।

१३ श्री मोहिनी मोहन बर्मन—एक्साइज़ विभाग ।

इनके अतिरिक्त ७ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं :

(१) श्री डी०एन० मुकर्जी चीफ विहप (२) श्री सुशोल कुमार वैनर्जी गृह मन्त्री (पुलिस, जेल) के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (३) श्री हेमन्त कुमार वसु—प्रधान मंत्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (४) श्री कन्हाई लाल दास—कृषि मंत्रो के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (५) श्री हरेन्द्र नाथ डोलुई—पब्लिक वर्क्स के मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (६) श्री निशापति मांकी—रसद मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (७) श्री रजनीकान्त प्रसाधिक—रसद मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय, ३१.०० करोड़ रुपये । कुल अनुमानित व्यय ३२.००० करोड़ रुपये ।

इस तरह १ करोड़ के घाटे का अनुमान है । कोई नया टैपन लगाने का सरकारी प्रस्ताव नहीं है ।

१५ अगस्त ४७ से मार्च ४८ के अन्त तक के बजट में २.५० करोड़ रुपये की बचत हुई है।

विभाजन से बंगाल के क्षेत्र का ३६.४ प्रतिशत क्षेत्र और आबादी भाग पश्चिमी बंगाल को मिला और आबादी का केवल ३५.१ प्रतिशत। पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र २८,२१५ वर्ग मील है, हर वर्ग मील में आबादी का घनत्व ७५१ है ५० प्रतिशत जनता खेती-बारी करती है। १६ प्रतिशत भाग किसी-न-किसी तरह के उद्योगों से सम्बन्धित है। केवल २२ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है, शेष गाँवों में।

पश्चिमी बंगाल में खेती-बारी का तरीका कृषि पुराने ढरों पर चलता है। १६,४८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इसमें से २,४४,००० एकड़ की सिंचाई सरकारी नहरों से और लगभग ८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई तालाबों से होती है। बड़े पैमाने पर ऐसी जमीनें पड़ी हैं जो इस वर्ष नहीं बीजी गईं (करेन्टफैलो), बीजी तो जा सकती हैं लेकिन खाली पड़ी रहती हैं (कल्चरेबल वेस्ट) अथवा बीजी जाने के अयोग्य (अनकल्चरेबल) हैं। जनता के हर व्यक्ति के हिस्से में औसतन ०.४४ एकड़ जमीन आती है। पटसन, सरसों, ईख और शायद चावल की भी उपज प्रान्त की कुल जरूरत से कम होती है।

पटसन की सब मिलें पश्चिमी बंगाल में हैं जबकि ७० प्रतिशत से अधिक पटसनकी पैदावार पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में हैं जहां कि एक भी कारखाना नहीं है।

प्रान्त की केवल ६५००० एकड़ जमीन में ईख की खेती है, उपज प्रति एकड़ से ४०० मन के लगभग है।

विभाजन के बाद हुगली के सिवाय प्रान्त में कोई बड़ा दरिया नहीं रहा। कुछ छोटे-छोटे दरिया हैं जो बिहार के छोटा नागपुर के पहाड़ी

इलाकों में शुरू होते हैं। यह दरिया बरसात में बाढ़ें लाते हैं और गर्मियों में सूख जाते हैं।

अर्थ व्यवस्था प्रान्त इन दृष्टिकोणसे भाग्यशाली है कि इसकी आर्थिक व्यवस्था बवल कृषि पर ही आश्रित नहीं। प्रान्त में उद्योग, व्यापार व विदेशी आयात-निर्यात की दशा सुविकसित है। विभाजन से बंगाल का प्रायः वह सारा इलाका ही पश्चिमी बंगाल में आ गया है जहाँ कल-कारखाने, व्यापार आदि बहुतायत से चलते हैं। प्रान्त में मजदूरों की संख्या लगभग ६ लाख है।

कोयले, लोहे और प्रान्त में पाए जाने वाले दूसरे खनिज पदार्थों और चाय की कृषि का अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में ही रहे हैं। कलकत्ता व आसंसोल के प्रमुख उद्योग भी नए प्रान्त में ही रहे हैं। कलकत्ते की बढ़िया बन्दरगाह भी पाकिस्तानी बंगाल से बच गई है।

उत्तरी जिले रेडक्लिफ एवार्ड के मुताबिक जलपाईगुरी और दार्जिलिंग के जिले पश्चिमी बंगाल को मिले लेकिन इन जिलों का प्रान्त के दूसरे हिस्सों से कोई भौगोलिक सम्बन्ध नहीं है।

प्रान्त का वजट नए प्रान्तके जीवनका आरम्भ २ करोड़ ६ लाख ६२ हजार के घाटे से हुआ क्योंकि वर्षों से प्रान्तीयवजट में नुकसान दिखाया जा रहा था।

प्रान्त की आर्थिक स्थिति का व्योरा इस प्रकार है :

आय	अनुमानित	वजट
	१५,८७ से ३१,३,४८	१६४८-४६
पिछली बाकी	—२,०६,६२	२,५४,२२
रेवेन्यू से आय	१८,८८,२६	३१,१८,५२
कर्मों से आय (डेट हेड्स)	५३,४२,१५	७२,८६,३६
योग	७०,२४,२६	१,०६,५६,१६

व्यय		
रेवेन्यू व्यय	१६,४६,६८	३१,६६,४५
कैपिटल व्यय	२,१७,०६	५,६७,००
डेट हेड्स पर व्यय	४६,०६,००	६८,२०,७६
शेष बाकी	२,५४,२२	७४,८६
	<hr/>	<hr/>
	७०,२४,२६	१,०६,५६,१३

१६४७-४८ और ४८-४९ में रेवेन्यू मद से आय का व्योरा इस प्रकार है :

००० रुपये जोड़ लें		वजट
अनुमानित		
१५.८.४७ से ३१.३.४८		४८-४९
पटसन पर ड्यूटी	५०,००	१,००,००
(इन्कम टैक्स) आय कर	३,६०,००	३,६०,००
कृषि की आय पर	२५,००	४०,००
भूमि कर (लैंड रेवेन्यू)	१,३६,७८	१,८३,५४
एक्साइज़	३,५६,२२	५,८८,२०
स्टाम्प्स	१,४०,००	२,४०,००
दूसरे टैक्स	३,३८,६८	५,२६,८४
— एन्टर्टेनमेंट टैक्स	३०,००	४५,००
— वेटिंग टैक्स	७०,००	६०,००
— बिजली पर ड्यूटी	३०,१८	५०,३१
— सेल्स टैक्स	१,५६,५०	२,६६,५०
— मोटर स्पिरिट सेल्स टैक्स	४०,००	६०,००
— कच्चे पटसन पर टैक्स	६,००	१२,००

कृषि	५६,१५	१,२२,६६
उद्योग	४७,५७	३८,५३
विविध आय	३,७४,८६	६,०८,४५
	<hr/>	<hr/>
	१८,८८,२६	३१,१८,५२

१९४७-४८ और ४८-४९ के व्यय का व्योरा इस प्रकार है :

००० रुपये जोड़ लें

(क) शासन सम्बंधी व्यय	अनुमानित १५.८.४७ से ३१.३.४८	वजट ४८-४९
पुलिस	१,६१,०७	३,६६,५७
साधारण शासन	६०,६७	१,६८,६८
न्याय शासन	५१,२३	६६,७७
जेल	३७,४२	६२,७१
पेशनों का खर्च	५०,२५	८२,६६
	<hr/>	<hr/>
	४,२०,६४	७,८०,७२

(ख) रचनात्मक महकमों पर व्यय

सिंचाई	५२,३१	६१,२८
शिक्षा	१,०६,५८	२,१४,५३
औपधि आदि	६६,६७	१,०६,६६
स्वास्थ्य	२८,१४	४८,६४
कृषि	१,०७,५८	२,३१,१२
उद्योग	६६,१५	७०,०१
सिविल वर्क्स	८६,४६	१,७२,३२
	<hr/>	<hr/>
	५,२३,१६	६,३४,८६

(ग) विविध व्यय

अकाल पीड़ितों को सहायता	२६,६५	८१,१२
रसद (इसमें नियन्त्रणानुसार बेचे जा रहे अनाज का मुकसान भी शामिल है)	१,६६,२४	३,२८,६७
युद्धोत्तर विकास की योजनाएं	१,६६,४२	६,५७,४३
दूसरे व्यय	२,४७,५४	४,१३,३२
	<hr/>	<hr/>
	१६,४६,६८	३१,६६,४५

१५ अगस्त १९४७ को जब देश स्वतन्त्र हुआ शान्ति व व्यवस्था तो देशपिता महात्मा गांधी कलकत्ता के एक मुसलमान मुहल्ले में ठहरे हुए थे। उनकी प्रेरणाओं से वर्ष-भर से उपद्रव-ग्रस्त शहर में शान्ति हो रही थी। आज़ादी के दिन हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य के कई प्रदर्शन हुए। लेकिन १५ दिन के अन्दर ही दंगे फिर शुरू होगए। इन्हें रोकने के लिए गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आमरण उपवास शुरू किया। लार्ड माउंटबैटन ने वाद में कहा है कि जहां पंजाब में बौंदरी फोर्स भी शान्ति की स्थापना न कर सकी वहां बंगाल की शान्ति को एक अकेले आदमी (महात्मा गांधी) के बौन्दरी फोर्स ने बनाए रखा। दंगे रुक गए और तबसे प्रान्त में परस्पर लड़ाई-झगड़ेकी एक भी घटना नहीं हुई।

वर्ष-भर से दंगों से पीड़ित प्रान्त की जनता के लिए सरकार ने १५ लाख ५० हजार रुपये की रकम स्वीकार की। ६,८२,००० रुपये के सामूहिक जुर्माने माफ कर दिये गए और जो अर्दाई लाख के जुर्माने पहले इकट्ठे किए जा चुके थे, वह लौटा दिये गए।

जातीय-रक्षा-वाहिनी नाम से ग्रामों में एक नागरिक रक्षा दल बनाया जा रहा है। प्रान्त की ६१० मील लम्बी हद्द पाकिस्तान से सांझी है। इस हद्द के ३३० गांवों के हरेक गांव में से २०-२० ग्रामीण इस दल में भरती किये जायेंगे। वर्ष-भर में ६००० ग्रामीणों को युद्ध-शिक्षा देने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा इंडियन कैडेट कोर के संगठन के तरीकों पर एक नैशनल वालंटियर कोर भी बनाई जा रही है।

इस समय प्रान्त में सिंचाई के लिए ७०० मील लम्बी नहरें हैं जो २,५०,००० एकड़ भूमि को सींचती हैं। ३५० मील लम्बी ऐसी नहरें हैं जहां किश्तियां चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा १००० ऐसे किनारे व बांध बने हुए हैं जो बाढ़ों से बचाव करते हैं।

पश्चिमी बंगाल की कृषि का विकास अब तक इसलिए ज्यादा नहीं हुआ कि प्रान्त में खेतों को वक्त पर पानी मिलने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

इस और दामोदर बांध व मोर दरिया के बांधों से आवश्यक सहायता मिलेगी। इन योजनाओं पर बिहार, पश्चिमी बंगाल व केन्द्रीय सरकार तीनों मिलकर खर्च कर रही हैं।

इसके अलावा स्थानीय सहायता के लिए प्रान्त के अलग-अलग जिलों की आवश्यकतानुसार पंच-वर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं जिन पर पचास-पचास हजार रुपये व्यय होगा। दिसम्बर ५० में अब तक ऐसी २१४ योजनाओं के लिए प्रान्तीय सरकार ने ४३.३३ लाख रुपये स्वीकार किये।

प्रान्त में नैशनल हाइवेज को छोड़कर दूसरी सड़कों १६७ मील लम्बी सड़कों पर इस समय काम हो रहा है, एक ७० मील लम्बी सड़क के लिए जमीन ली जा चुकी है और १७१ मील सड़क की जमीन लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हर जिले में सड़कों के निर्माण के लिए २० वर्षीय व ५ वर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं। पूर्वी बंगाल के पड़ोसी जिलों में ४ नई सड़कों का निर्माण शुरू भी कर दिया गया है। ६ दूसरी सड़कों के विषय में छानबीन की जा रही है।

मालिकों व मजदूरों में झगड़ा होने की स्थिति मजदूर सम्बन्धी नीति में सरकार की नीति है कि समझौते के यह साधन बरते जाएं—(१) परस्पर बातचीत (२) सुलह सफाई व (३) पंची फैसला। परस्पर बातचीत सुविधा से हो सके, इस उद्देश्य से कितने ही उद्योगों में वर्क्स कमेटियां बना दी गई हैं। झगड़ा होने पर काम नहीं रोका जाता वरन् झगड़ों को पंचों के आगे पेश कर दिया जाता है। मजदूरों के संघर्ष वैधानिक तरीकों पर हों, सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती है। जनवरी से अप्रैल ४८ तक ६ बड़े झगड़े और मई तक ६८ दूसरे झगड़े पंचों के सामने रखे गए। सरकार की मजदूर समस्या से सम्बन्धित नीति यह है कि शासन समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार तो ही परन्तु वर्ग-संघर्ष का साधन न बरता जाय। मालिक व मजदूरों में सहयोग रहना ही श्रेयस्कर है।

१९२८-२९ में प्रान्तीय ट्रेड यूनियनों की संख्या ९ थी, १९४६-४७ में २७१ और १९४७-४८ में ४१०। जनवरी से अप्रैल १९४८ तक २२४ मजदूर-यूनियनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पटसन, सूती कपड़े, इंजीनियरिंग, रेलवे व यातायात के उद्योगों के और सरकारी नौकरियों के मजदूर यूनियनों की सदस्य संख्या ५७,७०६ थी।

१९४६-४७ में मजदूरों की हड़तालों व कारखानों के बन्द होने से

३६३ ऋगड़ों में ४७ लाख मजदूरी के दिनों का नुकसान हुआ। १९४७ में ऋगड़ों की संख्या ३७६ थी और मजदूरी के दिनों के नुकसान की संख्या ५६ लाख थी। १९४८ में मार्च के महीने तक ८८ ऋगड़े हुए और ३,३३,१०४ मजदूरी के दिनों का नुकसान हुआ।

सरकार की नीति है कि घरेलू और कुछ उनसे उद्योग विषयक नीति बड़ी दस्तकारियों की पूरी सहायता और विकास की सुविधाएं दी जाय। साथ-ही-साथ आवश्यक नियंत्रण और नियमों में बड़े पैमाने के व्यक्तिगत धन्यों को भी चालू रहने की इजाजत हो। तीनों तरह के उद्योग साथ-साथ चल सकते हैं।

छोटे और बीच के तंत्र के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रान्तीय सरकार एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना रही है।

केन्द्रीय सरकार जो खाद बनाने का कारखाना बना रही है, पश्चिमी बंगाल ने उसमें १५ लाख के हिस्से लिये हैं। कीटों के रेशम, नमक व दूसरे छोटे धन्यों को सहायता दी जा रही है।

उद्योगों से सम्बन्धित विशिष्ट शिक्षा देने के लिए नए स्कूल और संस्थाएं खोली जा रही हैं।

घरेलू दस्तकारियों में से हाथ की बनी खादी, कागज, गुड़ व रेशम की दस्तकारियों को सहायता दी जा रही है।

पश्चिमी बंगाल में को-ऑपरेटिव मोनोपोलियों की संख्या १३,२६१ है। इनमें कर्ज की (६८५४) चावल की बिक्री की (६१), मिचारे की (१०१६), मछली पकड़ने की (११४), दूध की बिक्री की (१४८), खपत की (२१२), खेती-बारी की (२), कपड़े की बुनाई की (६८६), सभी तरह की संस्थाएं शामिल हैं।

विभाजन के बाद से पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का आना लगातार जारी है। इस समय लगभग ११-१२ लाख शरणार्थी प्रान्त में शरण ले चुके हैं। इसमें से साढ़े चार लाख के लगभग जिलों में और साढ़े छः लाख के लगभग कलकत्ता व पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्र में बस गए हैं। शरणार्थियों में ३ लाख के लगभग भद्रलोक हैं। ५ लाख गांवों से आए हैं, १ लाख से ऊपर कृषक हैं, ७५ हजार के अन्दाज़ दस्तकारियों में माहिर हैं, ४५ हजार जुलाहे व १ हजार मछली पकड़ने वाले हैं।

प्रान्तीय सरकार ने घोषणा की है कि २५ जून १९४८ के बाद पश्चिमी बंगाल में आने वालों की शरणार्थियों में गणना न की जायगी। पूर्वी बंगाल से भागकर आने की कोई राजनैतिक वजह नहीं है। शायद लोग आर्थिक कठिनाइयों से तंग आकर ही अपने घर छोड़ रहे हैं।

शरणार्थियों को सब तरह की सहायता दी जा रही है। कृषकों को २००० रुपया बिना व्याज के दिया जाता है। ६ महीने के अरसे के बाद व्याज शुरू होता है। प्रत्येक कृषक परिवार को ५ एकड़ भूमि दी जा रही है।

१५ जुलाई ४८ तक १,४३,१०१ शरणार्थी बसाए जा चुके हैं। शरणार्थियों में मकान बनाने का सामान बांटा गया है। १५ जुलाई तक इन पर हुए खर्च का व्योरा इस प्रकार है :

सहायता	६,७०,००० रुपये
कैम्प खोलने पर	४,०६,५४६ "
कपड़े बांटने के लिए	८०,००० "
सफाई व पानी का प्रबन्ध	४,६२,३३५ "
काम करवा कर सहायता	३,४०,००० "
पुनर्निवास के कर्जे	१३,६०,००० "
विद्यार्थियों को सहायता	१,६५,००० "

शरणार्थियों को जिन मकानों व बैरकों में बसाया जायगा, उनकी मरम्मत पर १५ लाख खर्च किया गया है।

पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्क्रमण खत्म नहीं हुआ। प्रान्तीय सरकार बराबर अपील कर चुकी है कि पाकिस्तानी बंगाल के लोग अपने घरों को छोड़कर न चले जाएं।

बंगाल में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की ग्रामीण स्वास्थ्य दशा बहुत गिरी हुई है। लोगों के खाने में आहार-मूल्य (फूड वैल्यू) का अभाव होता है, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा नहीं है और न व्यायाम वगैरह की आदत ही है।

मलेरिया, तपेदिक, पेचिश, दस्त व घन्टाडियोंमें कृमि होने के रोग आम हैं। जन्म से एक वर्ष के अन्दर ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात बहुत ज्यादा है। जच्चाओं की मृत्यु-संख्या भी कम नहीं है। विभाजन से पहले केवल मलेरिया से ही बंगाल में प्रतिवर्ष ५ लाख के लगभग मौतें होती थीं।

योजना बनाई गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन में एक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय। इसमें ४ चारपाइयां (२ घटनापीडितों व २ जच्चाओं के लिए) रखा करेंगी। हर ऐसे केन्द्र में १ डाक्टर, १ दाई व २ उनके सहायक रहेंगे। प्रान्त-भर में ६०५० यूनियन बोर्ड हैं। इस वर्ष ६४१ बोर्डों में केन्द्रों का संगठन हो रहा है। ११३ पुराने औपधालयों को केन्द्र में बदला जा रहा है व १३० नए केन्द्र खोले जा रहे हैं।

कुछ केन्द्रों में चारपाइयों की संख्या १० कर दी जायगी। इनमें सेविका व रसोइया भी रखा करेंगे।

ग्रामीण प्रदेशों के हर थाने के स्वास्थ्य केन्द्र में ३ मेडिकल अफसर व १ सहायक, १ दाई व १ दवाइयां लाने के जाने वाला रहेगा। इस वर्ष ऐसे २० थाना स्वास्थ्य केन्द्र बनेंगे।

इनके ऊपर सब-डिवीज़नल स्वास्थ्य केन्द्र होंगे जिनमें ५० से २०० तक चारपाइयां रहा करेंगी। ऐसे ८ हस्पताल इसी वर्ष शेष अगले वर्षों में बनेंगे।

इनके ऊपर जिला स्वास्थ्य-केन्द्र बनेंगे। इन हस्पतालोंमें जच्चा-बच्चा की और तपेदिक विरोधी उपचार की विशेष सुविधाएं होंगी। इनमें २०० से ५०० तक चारपाइयां हुआ करेंगी। १९४६-५० में ऐसे ४ हस्पताल बनाए जायेंगे।

मलेरिया के विरुद्ध विशेष कदम उठाने की योजना है।

प्रान्तीय सरकार ने फैसला किया है कि प्राइमरी शिक्षा वर्धा की मौलिक शिक्षा के आधार पर ही दी जायगी। इस सम्बन्ध में सरकार ने १५ अगस्त ४७ से ३१ मार्च ४८ तक १६,३८,००० रुपये खर्च किये हैं और ४८-४९ में १२,००,००० रुपए खर्च करने का बजट है। इसके अलावा प्रतिवर्ष इस पर ५,३५,००० रुपए खर्च किये जायेंगे।

प्रान्त के ११ जिलों में जिला बोर्डों के सब प्राइमरी शिक्षा स्कूलों ने अपने-अपने क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क कर दी है। प्राइमरी शिक्षा को जबरन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रान्त में लड़कोंके लिए १२,८६३ व लड़कियोंके लिए ६५३ प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें ८,३२,९२८ लड़के व १,६३,७४० लड़कियां शिक्षा पाती हैं।

बड़ी उम्र के लोगों में (उम्र १२ से ४० वर्ष) १ करोड़ लोग अनपढ़ हैं। इन्हें पढ़ाने की योजनाएं बन रही हैं।

प्रान्त में लड़कों के लिए ३७२ व लड़कियों के लिए १०८ मिडल स्कूल हैं। इनमें ९६,०६९ लड़कियां पढ़ती हैं।

लड़कों के लिए ६५० व लड़कियों के लिए ६३ हाई स्कूल हैं जिन में २,३२,७५३ लड़के व २४,६७९ लड़कियां शिक्षा पाती हैं।

इनके अलावा लड़कों के १५३ व लड़कियों के ५ मदरसे हैं जिनमें १४१५३ लड़के व १६३८ लड़कियां पढ़ रही हैं।

कलकत्ता यूनिवर्सिटीसे ५६ कालेज सम्मिलित हैं : इसके अतिरिक्त प्रान्त में विश्वभारती यूनिवर्सिटी अलग काम कर रही है।

प्रान्त में शराबबन्दी का काम धीरे-धीरे हो, यह नीति अपनाई गई है।

शराबबन्दी

जमींदारी

जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में कागजी छान-बीन के लिए दस लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

भाषा

बंगाली भाषा व लिपिको प्रान्तीय भाषा घोषित किया गया है।

खाद्य स्थिति

प्रान्त की खाद्य स्थिति ठीक है। जून १९४८ तक पश्चिमी बंगाल में ३,३८,००० टन चावल इकट्ठा किया गया। पिछले वर्ष इसी काल में केवल २,६२,००० टन इकट्ठा हुआ था। १, जुलाई ४८ को सरकारी गोदामों में १,०६,००० टन चालव और ५०,००० टन गेहूँ भरा था।

पश्चिमी बंगाल में चावल की मासिक खपत ५२,००० टन और गेहूँ की १६,००० टन है।

व्लैक मार्केट

दिसम्बर ४७ में प्रान्तीय धारा-नभा ने ब्लैक मार्केट के विरुद्ध एक बिल पान किया था। देर तक उत्तं गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार उसमें प्रस्तावित दंडों पर विचार करती रही। इस सम्बन्ध में अन्तिम विचार होने तक मंत्रिमंडल की मन्दाट के अनुसार गवर्नर ने एक आर्डिनैस जारी कर दिया था जो दंड की धाराओं को छोड़कर शेष विवरण में उम्मी बिल के अनुसार था।

कृषि व पशुपालन सम्बन्धी योजनाएं

प्रान्त की कृषि के विषय में निम्न छान-बीन हो रही है : (क) चावल, अनाज, दालों, गेहूँ, बीजों, पटसन, ईंधन, चारे पशुगट वी बिन्दुओं में

उन्नति हो (ख) भिन्न-भिन्न प्रकारकी मिट्टी की खोज हो (ग) कीड़ों से पौधों की रक्षा हो (घ) पौधों के लिए उपयुक्त आबोहवा का पर्यवेक्षण हो (ङ) पशु, मुर्गी आदि वृत्करियों की नस्ल में तरक्की हो ।

पूर्वी पंजाब

आवादी : १,२४,०६,६२४ । अस्थायी राजधानी : शिमला ।

१५ अगस्त १९४७ को कांग्रेस व अकाली दल ने मिलकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया । वर्ष के दौरान में ही धारा-सभा के अकाली सदस्यों ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए । इस तरह वैधानिक दृष्टि से पूर्वी पंजाब में सम्पूर्ण कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई ।

प्रधान मंत्री—डा० गोपीचंद्र भार्गव —रसद व वितरण विभाग

सरदार स्वर्णसिंह —गृह विभाग

श्री रणजीतासह —पब्लिक वर्क्स

स० प्रतापसिंह —पुनर्निवास

श्री पृथ्वीसिंह आजाद —एक्साइज व मजदूर विभाग

चौधरी कृष्णगोपालदत्त —अर्थ मंत्री

प्रान्तमें १३ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं : मास्टर काबुलसिंह (रसद), श्री देाराज सेठी (अर्थ स्वायत्त्व शासन, उद्योग), स० दलीपसिंह कांग (कोआपरेटिव, कृषि), प्रो० शेरसिंह (वर्क्स), डा० बेलीराम (जंगल, पशु), पं० भगत राम (गृह), स० नरोत्तमसिंह (रेवेन्यू, सिंचाई) स० शिवशरणसिंह (मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा), स० राश्रीमोहर सिंह (पुनर्निवास शहरी), स० समुखसिंह (रेवेन्यू), चौ० मन्चूराम (मजदूर एक्साइज), स० शिवसिंह (पुनर्निवास) ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय ११,१३ करोड़ रुपए । कुल अनुमानित व्यय १७,८२ करोड़ रुपए ।

घाटे का अनुमान ६,६९० करोड़ रुपए ।

१९४७-४८ में घाटे का अनुमान २,३० करोड़ रुपये लगाया गया था जबकि वास्तव में घाटे की मद ६,६८ करोड़ रुपये तक पहुँची ।

समाजोपयोगी मदों में खर्च का व्योरा इस प्रकार है :

शिक्षा	१,३६ करोड़ रुपये
श्रौपधि उपचार	.४४ ”
स्वास्थ्य	.३३ ”
कृषि	.५३ ”
पशु-चिकित्सा	.२३ ”
को-आपरेटिन्ग	.१७ ”
उद्योग	.२४ ”

३,३० करोड़ रुपये

शरणार्थियों को फिरसे बसानेका विभाग लगभग ७ करोड़ रुपये खर्च करेगा ।

सिंचाई की विविध योजनाओं पर ३,६० करोड़ रुपये खर्च होगा जंगल के महकमे पर ४२ लाख रुपए खर्च होंगे । शासन-यन्त्र का खर्च ४, ८१ करोड़ रुपए (प्रान्त के समस्त व्यय का ४० प्रतिशत) होगा । इस मद में से पुलिस पर २,६६ करोड़ रुपए का खर्च लिखा है ।

नए टैक्सों का व्योरा यह है । १ नये लगभग १ करोड़ रुपए की आय बढ़ेगी ।

(१) बिक्री टैक्स—सरकार का प्रस्ताव है कि १६,२६६ रुपये तक की बिक्री को छोड़कर इसके ऊपर १२० दशां प्रतिशत बिक्री टैक्स लगाया जाय । (२) पेट्रोल टैक्स—बढ़ाकर तीन आना परी मीलन कर

दिया जाय । (३) प्रापर्टी टैक्स—बढाकर १० प्रतिशत कर दिया जाय ।

(४) मनोरन्जन टैक्स की दर भी बढाई जाय । (५) तम्बाकू की बिक्री का लाइसेंस भी बढा दिया जाय ।

विभाजन के पहले पंजाब में खेती बारी को खेतीबारी जमीन का क्षेत्र ६ करोड़ एकड़ था, विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब में यह क्षेत्र २ करोड़ ३० लाख एकड़ रह गया है । इस क्षेत्र का व्योरा इस प्रकार है :

खेती के उपयुक्त नहीं—६२ लाख एकड़

खेती नहीं की जा रही—२६ " "

जंगल — ८ " "

खेतीबारी हो रही है—लगभग १ करोड़ ५० लाख एकड़ ।

इस १ करोड़ ५० लाख एकड़ में से सिर्फ ३२ लाख ५० हजार एकड़ जमीन ऐसी है जहां साल में दो बार फसल होती है । इस प्रकार पूर्वी पंजाब में वह क्षेत्र जिससे कि उपज होती है, १ करोड़ ६७ लाख ५० हजार एकड़ हुआ ।

संयुक्त पंजाब में १ करोड़ ४० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई नहरों द्वारा होती थी । पूर्वी पंजाब में अब केवल ३० लाख एकड़ ऐसी जमीन रह गई है जिसकी सिंचाई नहरों द्वारा होती है । नहरों, तालाबों वा क्यूओं द्वारा सींची जाने वाली जमीन का कुल क्षेत्र ५० लाख एकड़ के लगभग है ।

२८ जुलाई १९४८ तक पूर्वी पंजाब में आने वाले शरणार्थियों की संख्या ४२ लाख २० हजार थी । शरणार्थियों के लिए प्रान्त में ४० कैम्प खोले गए जिनमें लगभग साठे चार लाख पीढ़ितों को ठहराया गया था । अब योजना अनुसार इन कैम्पों को खाली करवा लिया गया है ।

ग्रान्त के शहरों में ४२०० नए मकान बनाने
नए मकानों का निर्माण की योजना है। मकान बनाने के लिए मांगे
गए सामान में से ३१ मई ४८ तक
केन्द्रीय सरकार जो सामान दे सकी, उसका व्योरा यह है :

	मांगा गया (टन)	मिला (टन)
सीमेंट	१६,०००	४,८५०
कोयला	१५,३००	७,७३०
लोहा	२,५००
पेट्रोल	८४,०००	२०,०००

मुसलमानों द्वारा

पूर्वी पंजाब व पडोसी रियासतों (पटियाला, नाभा, कपूरथला, इस प्रकार है :

जो स्थायीरूप में शरणार्थियों को दी जा सकती है

(क)

	कृषि के योग्य	कृषि के अयोग्य
पूर्वी पंजाब के १३	२६,८६,३६४	१०,४३,६१७
जिलों में (एकड़)		
रियासतों में (एकड़)	५,१५,६१८	१,७८,६१४
जोड़	३१,०१,८६४	१२,२२,८३१

जो सीमित अधिकारों सहित दी जा सकती है

(ग)

	कृषि के योग्य	कृषि के अयोग्य
पूर्वी पंजाब के १३	१,५६,४३३	१६,६६६
जिलों में (एकड़)		
रियासतों में (एकड़)	६४,६०५	२,५८२
जोड़	२,२४,३३८	१९,२८१

- (क) इसमें ४ प्रकार के मुसलमानों की जमीनें हैं। (१) जिनके मालिक थे। (२) मालिकों की अनुपस्थिति में काश्तकारी के अधिकार (ख) इसमें उन जमीनों का हिसाब है जिन्हें मुसलमानों के पास (ग) उपस्थित मालिकों के मातहत मुसलमानों को कम दर्जे की (घ) यह उन जमीनों का हिसाब है जो मुसलमानों ने दूसरों के

तयकत जमीन

जींद व फरीदकोट) में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों का व्यौरा

जो अस्थायी रूप में दी जा सकती है

(ख)

कृषि के योग्य	कृषि के अयोग्य
१,३७,१५२	१५,१८६
४४,६११	२,७३३
१,८२,०६३	१७,६२२

जो नहीं दी जा सकती

(घ)

कृषि के योग्य	कृषि के अयोग्य
१,३४,५१५	१७,२०१
५६,६८७	२,६५८
१,६१,५०२	२०,१५९

वह खुद मालिक थे। (२) अनुपस्थित मालिकों के मातहत मुसलमान प्राप्त थे। (४) शामिल के अधिकार थे।

गिरवी रखा गया था।

मस्कीयत प्राप्त थी अथवा केवल कारतकारी के अधिकार प्राप्त थे।

पास गिरवी रखी हुई थी।

मुसलमानों द्वारा पूर्वी पंजाब में छोड़ी गई व शरणार्थियों को दी गई सम्पत्ति का व्यौरा (३१ जुलाई १९४८ तक) इस प्रकार है :

छोड़ी गई इनमें से वर- शरणार्थियों कितने शर-
इमारतोंकी तने योग्य को दी जा र्थी वसे
संख्या चुकी है

मकान

पूर्वी पंजाब के १२६३५१ ११०१८६ ८८०६६(८०%) ७६१५४६

१३ जिलों में कुल

दूकानें

१३ जिलों में कुल १६५८२ १६८५४ १२७४१(७६%) ११८१८

कारखाने

१३ जिलों में कुल

४१५ ४१५

पूर्वी पंजाब में ३१ जुलाई १९४८ तक शरणार्थियों ने १२ करोड़ ६१ लाख रुपए के कर्जों की दरखास्तें दीं, जबकि केवल २० लाख ३३ हजार रुपए के कर्जें स्वीकार किये गए ।

इसी तारीख तक ७६ लाख ४८ हजार रुपए की आर्थिक सहायता (ग्राण्ट) की दरखास्तों पर कुल १ लाख ६१ हजार रुपये बांटे गए ।

प्रान्तीय सरकार ने २४ जुलाई ४८ तक भिन्न-भिन्न जिलों में शरणार्थियों के खाने पर

२ करोड़ ४२ लाख रुपये और औषधि उप-

चार व सफाई पर ३ लाख ७५ हजार रुपये, अन्य विविध जरूरतों पर ६१ लाख ८७ हजार रुपये खर्च किये । इसमें सूती व गर्म कपड़े, याता-यात व केन्द्र द्वारा दी गई दवाइयों आदि का हिसाब जमा नहीं है ।

हमारी सभ्यता व ३३,००० हिन्दू व सिख औरतें पाकिस्तानी धर्मशीलता पर प्रदेश में भगा ली गईं जबकि हिन्दू व सिखों एक नजर ने २१००० मुसलमान औरतें भगाईं । यह

संख्याएं उन सूचियों के अनुसार हैं जो इन देशों ने एक दूसरे को दी हैं।

६ दिसम्बर १९४७से २० अगस्त १९४८ तक हिन्दुस्तान ने ६६५६ मुसलमान औरतों को अपने प्रदेशों से खोजकर पाकिस्तान भिजवाया जबकि इसी अवधि में ५५५६ हिन्दू सिख औरतें पाकिस्तान से लाई गईं।

प्रान्त में छोटे व बड़े पैमाने—दोनों प्रकार के उद्योग धन्धे उद्योग-धन्धे चल रहे हैं। उद्योग-धन्धे मुख्य-तया सीमा के ३ जिलों में स्थित हैं। आधे से अधिक रजिस्टर्ड कारखाने और संगठित उद्योगों के ६० प्रतिशत मजदूर अमृतसर, गुरुदासपुर और फिरोजपुर के जिलों में ही हैं। प्रान्त के दक्षिण पूर्वी जिलों (गुड़गांव, रोहतक वगैरह) में कोई भी उद्योग चालू नहीं हैं।

रजिस्टर्ड कारखानों का ७५ प्रतिशत भाग ऐसे कारखानों का है जो १२ महीने चालू रहते हैं। सूती व गर्म कपड़ा, बुनियानें, जुराबें, लोहा ढालने, कागज, शीशा, आटा बनाने और तेजाव वगैरह बनाने के बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं।

पानी के बांध की बड़ी योजनाएं

भकरा बांध—रोहतक, हिसार और गुड़गांव जिलेके लुश्क इलाके इस योजनासे हरे-भरे होजायेंगे। सतलुज दरिया पर भकरा (विलासपुर रियासत) में बड़ा बांध बांधा जायगा। इससे निकाली जाने वाली नहरें ४५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेंगी। योजना पर कुल ५५ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नंगल योजना—भकरा बांध की योजना से नंगल की बिजली पैदा करने की योजना सम्बन्धित है। इस पर २२ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और पूर्वी पंजाब के छोटे-बड़े ५७ शहरोंमें बिजली पहुँचनी। २२०० मील लम्बी तारें बिछाई जायँगी।

नई राजधानी

योजना बनाई गई है।

कालका-शिमला सड़क से कुछ हटकर चन्दी-गढ़ के पास ५० से ६० वर्गमील के क्षेत्र पर पूर्वी पञ्जाब की नई राजधानी बनाने की

बम्बई

आवादी, २,०८,४६,८४० (१९४१)। राजधानी : बम्बई, आवादी : १४,८६,८८३। गर्मियों की राजधानी : पूना, आवादी : ३,५१,२३३। ३ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस ने प्रांतीय शासन संभाला। मंत्रिमंडल के नाम यह हैं :

(१) श्री बाल गंगाधर खेर—प्रधानमंत्री। राजनैतिक नौकरियों और शिक्षा के मंत्री।

(२) श्री मोरार जी आर० देसाई—गृह और रेवेन्यू के मंत्री।

(३) डाक्टर एम० डी० डी० मिर्डर—स्वास्थ्य और पब्लिक वर्क्स के मंत्री।

(४) श्री एल. एम. पाटिल—पुनर्निर्माण और एक्साइज़ के मंत्री।

(५) श्री दिनकर राव एन० देसाई—कानून और रसद के मंत्री।

(६) श्री वैकुण्ठ एल० मेहता—अर्थ, को-आपरेशन और ग्राम-उद्योग के मंत्री।

(७) श्री गुलजारी लाल नन्दा—मजदूर मंत्री।

(८) श्री एम० पी० पाटिल—जंगल और कृषि के मंत्री।

(९) श्री जी० डी० वातक—स्थानीय शासन के मंत्री।

(१०) श्री जी० डी० तपासे—उद्योग और विद्युद्दे जन-समूहों के मन्त्री ।

इसके साथ ८ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं। धारा सभा के कुल सदस्यों की संख्या १७५ है। कौंसिल की सदस्य-संख्या २६ या ३० हुआ करती है । धारा-सभा के सदस्यों में से १२७ कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे । कौंसिल में कांग्रेसियों की संख्या १६ है । धारा-सभा के अधिवेशन आम-तौर पर फरवरी-मार्च, जुलाई-अगस्त, और सितम्बर-अक्तूबर में हुआ करते हैं । कौंसिल के अधिवेशन मार्च, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर में हुआ करते हैं ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय ४१.३८ करोड़ रुपए । कुल अनुमानित व्यय ४४.०२ करोड़ रुपए । इस तरह घाटे का अनुमान २.६४ करोड़ रुपए का है ।

इस घाटे की मद को पूरा करने के लिए ऐय्याशी (लवजरीज़) के सामान की बिक्री पर टैक्स बढ़ाया जायगा, बम्बई की कपास की मंडी में सट्टे के सौदों पर नई स्टैम्प-ट्यूटी लगाई जायगी, पेट्रोल टैक्स, मनो-रञ्जन टैक्स और हार-जीत की शर्तों पर (वेस्टिंग) पर, टैक्स की दरें बढ़ा दी जायंगी । इन उपायों से लगभग १ करोड़ रुपए की आमदनी होगी । युद्धोत्तर पुनर्निर्माण फण्ड से १.७० करोड़ रुपया निकाला जायगा; इस तरह घाटे की रकम ६.४२ लाख रुपए के नफे में बदल जायगी ।

कांग्रेस ने बम्बई प्रांत के शासन की बागडोर
खाद्य और कृषि जब अपने हाथ में ली तो प्रांत की स्वायत्तियि
नाजुक थी । इस संकटकाजीन स्थिति का मुका-
बला प्रांतीय सरकार ने सब स्थानीय साधनों का सम्पूर्ण प्रयोग करके,
बाहर से अनाज मंगवा कर, खाद्य वितरण पर नियन्त्रण लगावन और
शाखाओं द्वारा खाने की मिकदार नियत कार्य किया ।

सरकार ने प्रांत में ही अधिक पैदावार करने के उद्देश्य से निर्वाह

की सुविधाओं का विकास किया। नए कूप खोदे गए और पुराने कूपों को गहरा किया गया। बजट में इस कार्य के लिए १ करोड़ ५० लाख रुपए की रकम प्रस्तावित की गई है। नदियों से पानी उठाकर सिंचाई करने के लिए ६० लाख रुपए व्यय किए जायेंगे। एक पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार प्रांत में सिंचाई की बड़े पैमाने को नई सुविधाएं प्राप्त होंगी; इस योजना पर ६ करोड़ ५० लाख रुपया खर्च होगा।

बेहतर ढंग से खेती-बारी करने के लिए किसानों को सस्ते दामों पर लोहे व इस्पात के औजार खरीदने के लिए रुपया उधार दिया जाता है। प्रायः हर तालुका में खेती-बारी के आधुनिक तरीके दिखाने के लिए प्रदर्शन केन्द्र खोले गए हैं। प्रतिवर्ष १२ विभिन्न केन्द्रों में १२०० किसानों को वैज्ञानिक ढंग की खेती की शिक्षा देने के प्रयत्न किये गए हैं, यही किसान अपने-अपने क्षेत्र में दूसरे किसानों के लिए प्रदर्शक (गाईड्स) बनेंगे।

आनन्द और धारवार में कृषि-सम्बन्धी शिक्षा देने वाले नए (एग्रीकल्चरल) कालेज खोले गए हैं। पूना कालेज में कृषि-शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अधिक स्थानों का आयोजन किया गया है।

जमीन के सुधार की व मिट्टी को सुरक्षित रखने की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

किसानों के सुभीते के लिए विशेष कानून बनाये गए हैं: (१) एग्रीकल्चरल डेट्स रिलीफ़ एक्ट (२) मनीलेंड्स एक्ट और (३) डेट एडजस्टमेंट एक्ट। इन कानूनों से साहुकारों व जमींदारों से किसानों को मिलनेवाली तकलीफों को दूर और किसानों के ऋण के शिकंजों को ढीला किया गया है। किसानों को तकावी कर्जे अधिक आसानी से मिल सकें, इस सम्बंध में नियम बनाये गए हैं। ग्रामों में सहकारी संस्थाओं की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है।

उद्योग

बम्बई प्रांत की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतया अपने व्यापार व उद्योग पर ही आश्रित है। यद्यपि बड़े पैमाने पर चालू कल-कारखानोंका नियन्त्रण केन्द्रीय हाथों में है, फिर भी प्रांतीय सरकार छोटे व बड़े उद्योगों को विशिष्ट वैज्ञानिक (टेकनिकल) सहायता व मन्त्रणा, कर्ज, आर्थिक सहायता (सबसिडी), कच्चा सामान व मशीनरी आदि खरीदने की सुविधाएं देती रहती है।

मिल मालिकों व मजदूरों में समझौता व शान्ति रहे, इस ओर जो कुछ भी सम्भव है, किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के झगड़ों को निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। मालिकों व मजदूरों में होने वाले झगड़ों के कारणों की छान-बीन करने के लिए लेबर एंडवाइज़री बोर्ड (मजदूर सलाहकार समिति) स्थापित की गई है। डायरेक्टरेट आफ लेबर वेल्फेयर खोला गया है जो मजदूरों के लिए छुट्टी के समय की कार्यवाहियों, खेल-कूद और मौज के कार्यक्रमों के सुझाव बताता है। बम्बई, अहमदाबाद और ६ दूसरे बड़े उद्योग-केन्द्रों में ऐसे (वेल्फेयर) केन्द्र खोले जा चुके हैं। मजदूरों की शिक्षासम्बन्धी योजनाओं में विस्तार किया जा रहा है।

समाज से अस्पृश्यता के सदियों पुराने धब्बे को अस्पृश्यता धोने की हर सम्भव कोशिश हो रही है। इस उद्देश्य से हरिजनस सोशल डिस्पेंसिटरीज़ रिमूवल बिल पास किया गया है। हरिजनों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों को अब तक जिन भी सामाजिक अत्याचारों व विरोधों का सहन करना पड़ा है, उन्हें नैरकानूनी ठहरा दिया गया है। शिष्टाचारों, कूचों, तालाबों और मनमौज के सार्वजनिक स्थानों पर सब के साथ शामिल होने की हरिजनों को इजाज़त मिल गई है। हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रेरणाएं दी जा रही हैं। यह कानून केवल कागज पर ही न लिखा रहे वरन् कार्यान्वित भी किया जाय, इसकी

ताकीद गांवों के सब अफसरों को दी जा चुकी है ।

प्रान्त में बोर्ड आफ फिज़िकल एजुकेशन और स्वास्थ्य व मेडिकल विभाग एक कालेज आफ फिज़िकल एजुकेशन की स्थापना की गई है । बोर्ड जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर ध्यान देता है और कालेज में कसरत वगैरह की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को शिक्षा मिलती है । प्रान्त में बाग व वाटिकाएँ लगाने के उद्देश्य से एक अलाहदा (डिपार्टमेंट आफ पार्क्स एण्ड गार्डन्स) विभाग खोला गया है, इसके अलावा समुद्री किनारे पर तैरने के घाट और बोट चलाने की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

हर जिले के हस्पतालों में औपधि-उपचार सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, टूकों में घूमने-फरने हस्तपताल बनाये गए हैं, समय-समय पर फैलने वाली छूआछूतकी विमारियों का मुकाबला करने के लिए और मलेरिया पर अंकुश रखने के लिए विशेष दलों का आयोजन किया जाता है । जो डाक्टर और चिकित्सक गांवों में रहकर काम करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है ।

डाक्टरी के पूना और अहमदाबाद स्थित स्कूलों को कालेज बना दिया गया है ताकि अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को सम्पूर्ण डाक्टरी शिक्षा दी जा सके । हैफकीन इन्स्टिट्यूट ने भी अपना कार्यक्षेत्र काफी बढ़ा लिया है । एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार प्रान्त में स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी सहूलियतों में बहुत तरक्की हो जायगी, नए-नए हस्पताल खुलेंगे और यक्ष्मा व कोढ़ के रोगियों के लिए विशेष प्रबन्ध किए जायेंगे ।

शिक्षा

प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा खर्च के लिए इस वर्ष बजट में ८ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है । शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से एक पंच-

वर्षीय योजना बनाई गई है जिस पर १५ करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है ।

प्राइमरी एजुकेशन ऐक्ट पास हुआ है जिसके अनुसार अगले पांच वर्षों में ६ से ११ वर्ष की आयु के सब बच्चों को सय शहरों और गांवों में जिनकी आबादी १००० से अधिक हो, मुफ्त और जबरन (कम्पलसरी) शिक्षा दी जायगी । १००० की आबादी से छोटे गावों में जो गैरसरकारी स्कूल खुलें, उन्हें प्रान्तीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जायगी ।

सब स्कूलमें किसी-न-किसी दस्तकारीकी शिक्षाका आयोजन होगा । पुरुष अध्यापकों के लिए ७ और स्त्री अध्यापिकाओं के लिए ६ नए ट्रेनिंग कालेज खोले गए हैं । 'बेसिक' (मौलिक) शिक्षा-पद्धति के अध्यापन के लिए ३ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले गए हैं । बेसिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष २००० अध्यापकों को तैयार किया जायगा । अध्यापकों के वेतन और स्थिति में पर्याप्त उन्नति लाई जा रही है ताकि ठीक प्रकार के लोग इस कार्य की ओर आकर्षित हो सकें ।

प्रान्त के बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त अशिक्षित वयस्कों की समस्या को सुलझाने की कोशिशें भी जारी हैं । इस उद्देश्य से प्रान्त-भर में पुस्तकालय खोले जाने की योजना है । बम्बई, पूना, अहमदाबाद व धारवार में बड़े पुस्तकालय भी खोले जा चुके हैं । शिक्षा के प्रसार के लिए फिल्मों का प्रयोग भी किया जायगा ।

सरकार ने प्रान्त में तीन प्रादेशिक नई युनिवर्सिटियां खोलने के सुझाव को मान लिया है; यह पूना, गुजरात, कर्नाटक युनिवर्सिटियों के नाम से जानी जायंगी । पूना युनिवर्सिटी एक्ट पास भी कर दिया गया है ।

इस प्रकार शिक्षा-प्रसार के साधनों की वृद्धि के साथ-साथ नुद शिक्षा में उन्नति पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

बिहार

आवादी ३,६३,४०,१५१ । राजधानी : पटना जिसकी आवादी १७५७०६ है । गरमियों की राजधानी रांची है—आवादी : ६२५६२ ।

२ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस ने राज्य-भार संभाला । मंत्रिमंडल यह है—

(१) श्री श्रीकृष्ण सिन्हा—प्रधानमंत्री । राजनैतिक व न्याय-सम्बन्धी अनुचर निर्वाचन, जेलमंत्री ।

(२) श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा—अर्थ, मजदूर, रसदमंत्री ।

(३) डा० सय्यद महमूद—विकास और यातायात मंत्री ।

(४) श्री जगलाल चौधरी—एकसाइज़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मंत्री ।

(५) श्री रामचरित्र सिंह—लिचार्ज, बिजली और कानून-निर्माण के मंत्री ।

(६) श्री वट्टीनाथ वर्मा—शिक्षा और सूचना मंत्री ।

(७) श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—भूमिकर और जंगल मंत्री ।

(८) पं० विनोदानन्द झा—स्थानीय शासन और चिकित्सा मंत्री ।

(९) श्री क्यूम अंसारी—पी. डब्ल्यू. डी और गृह-उद्योग के मंत्री । प्रांत में ६ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं ।

धारा-सभा के सदस्यों की संख्या १५२ है जिसमें से १०२ कांग्रेसी हैं । लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या ३० है—१५ कांग्रेसी हैं । धारा-सभा का एक अधिवेशन जनवरी-अप्रैल में और दूसरा अधिवेशन जुलाई-सितम्बर में होता है । कौंसिल की बैठक भी इन्ही दिनों में होती है ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय २१.५० करोड़ रुपए । कुल अनुमानित व्यय २०.०० करोड़ रुपए ।

युद्धोत्तर विकास की योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा; अन्यथा घाटे की मद बहुत बड़ी होती।

कृषि की आय पर टैक्स लगाने और बिक्री-टैक्स आदि से प्रांत की आय बढ़ाने के प्रस्ताव हैं।

कांग्रेस द्वारा प्रान्त के शासन की बागडोर शान्ति व व्यवस्था: सम्भाल लेने के बाद विहार में कलकत्ता व शरणार्थी नोआखली में भभक रही साम्प्रदायिक देश की आग की एक चिंगारी फूट पड़ी और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गए। इस दशा पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया और अल्पसंख्यकों में फिर से भरोसा पैदा करने की हरचन्द्र कोशिश की गई। प्रान्त में दंगों के दिनों में गिराए व तोड़े-फोड़े गए मकानों की कुल संख्या १२००० थी जिनमें से सरकार ने ६००० तो फिर से बनवा दिए हैं और १५०० मकानों पर काम जारी है। १९४७ में मकान बनाने और बेवतों को बसाने पर ४१,७२,२४४ रुपए खर्च किये गए। इसके अलावा खाने-कपड़े और दवाइयों का खर्च ८,२४,१३२ रुपए हुआ। ३०,००० रुपए पीढ़ित विद्यार्थियों और ३४,००० विधवाओं व अनाथों को सहायता के रूप में दिया गया। इन सब मदों पर कुल मिलाकर १९४६-४७ में १५,६२,०६४ रुपए और १९४७-४८ में ८०,००,००० खर्च किया गया।

पाकिस्तान से आए २४,५३० शरणार्थी विहार में बसे हैं, प्रायः यह सारी संख्या ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैम्पों में हैं। १९४७-४८ में इन पर ६,२७,६५२ रुपए खर्च किया गया। इनको फिर से बसाने की पूरी योजना पर १ करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। शरणार्थियों की काफी संख्याने खुद ही अथवा थोड़ी सरकारी सहायता से ही अपने पांवों पर खड़ी होने की कोशिश की है।

कृषि

एक पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रान्त में कृषि के उत्पादन में ३ लाख ७० हजार टन की वृद्धि करने का उद्देश्य रखा गया है। इस दिशा में किये गए प्रयत्नों के फलस्वरूप १९४७ में २०,००० टन अधिक अनाज पैदा हुआ। कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कृषकों, अहरों, बांधों और राहत पम्पों की संख्या बढ़ाई जा रही है। १९४७ में प्रान्त में इन कोशिशों पर २६ लाख ३८ हजार रुपया खर्च किया गया और इनसे ६,०८, २६३ एकड़ ज़मीन को लाभ पहुंचा।

ईख

प्रान्त में ईख की खेती-बारी बड़े पैमाने पर होती है और चीनी निकाली जाती है। प्रान्तीय सरकार का प्रस्ताव है कि ईख की पैदावार और बिक्री ज़्यादातर सहकारी संस्थाओं द्वारा ही हो। जिस गांव में ईख उपजाने वाला का दो-तिहाई भाग सहकारी संस्थाका सदस्य होगा, उस गांव की कुल उपज केवल उसी संस्था द्वारा ही बेची जा सकती है। इस वक्त प्रान्त की ईख की उपज का एक-चौथाई भाग ही ऐसा सहकारी संस्थाओं द्वारा बिकता है लेकिन इसमें शीघ्र ही वृद्धि करने की योजना है। प्रान्त में ईख पैदा करने वालों की ४१७७ सहकारी संस्थाएं हैं; ईख की उपज से सम्बन्धित विकास करने व इसकी बिक्री करने वाले ६० सहकारी संघ हैं। ८१५४ उन गांवों में से जो चीनी बनाने के कारखानों के क्षेत्र के अन्तर्गत है, ३६६६ गांवों में सहकारी संस्थाएं बन चुकी हैं।

ईख पैदा करने वाले अपनी ज़मीन को सांझी तौर पर बीजकर सांझी खेती-बारी करें, इस उद्देश्य से प्रान्त में ५ को-ऑपरेटिव फार्मों में परीक्षण हो रहा है।

उद्योग

प्रान्त में उद्योगों के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है जिसे १५ वर्ष के लिए बनने वाली योजना का एक

भाग माना जायगा। प्रान्तीय उद्योग-विकास-समिति (प्राविंशल डिवेलपमेन्ट बोर्ड) ने इस योजना पर विचार किया है और निश्चय किया है कि रेशम और चमड़े के उद्योगों को सरकार व जनता भागीदार बन कर चलाएँ; लाख, माहका, सूपर फास्फेट, लोहा, इस्पात, एलुमीनियम व मशीनरी के औजारों के उद्योगों का कार्य अकेले सरकार द्वारा ही सम्पन्न हो; शेष सब उद्योगों में जनता खुद दिलचस्पी ले व पूंजी लगाए।

फैसला किया गया कि प्रान्त में अभी कागज के एक नए कारखाने के लिए कार्य-क्षेत्र है।

यह भी निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों के लिए बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) को, जिसमें मंत्रिमंडल के चार सदस्य भी हुआ करेंगे, ५ करोड़ रुपए की रकम तक खर्च करने के अधिकार दिये जायें। प्रान्तीय सरकार ने इस रकम के अतिरिक्त छान-बीन करने व योजनाओं की सन्पूर्ण रूपरेखा तैयार करनेके लिए इस समिति को २ करोड़ रुपया अधिक सौंप दिया है।

व्यक्तिगत व सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध आदि के विषय में निम्न निश्चय किये गए—

(१) सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध कार्य कानून द्वारा घोषित तीन सदस्यों के बोर्ड में हुआ करेगा। तीनों सदस्य अपना पूरा समय इसमें देंगे और वेतन पायेंगे।

(२) सब उद्योगों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाया जायगा।

(३) इन बोर्डों में मजदूरों का एक-एक प्रतिनिधि अलग लिया जायगा।

(४) इन बोर्डों के काम में सामञ्जस्य बनाए रखने के लिए एक प्रान्तीय बोर्ड बनाया जायगा जिसमें सब उद्योगों के अलग-अलग बोर्डों के प्रधान, एक आर्थिक सलाहकार, और एक प्रधान सदस्य बनेंगे। आर्थिक सलाहकार और प्रधान को सरकार मनोनीत करेगी।

(५) हर उद्योग के खर्च व उत्पादन की कीमतों पर ध्यान रखने के लिए कास्ट एकाउन्ट्स स्टाफ और कमर्शल एडिटर काम करेंगे ।

(६) उद्योग का प्रबंध सम्बन्धी व विशिष्ट (टेकनिकल) काम करने वालों को अभी से शिक्षा देने की योजनाएं बनाई जायं ।

(७) प्रांत में विशिष्ट शिक्षा देने वाली संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत सलाह-मशविरा देने के लिए एक समिति बना दी गई है ।

इन उद्योगों में, जहां सरकारी और व्यक्तिगत पूंजी भागीदार बन कर काम करेंगी, सरकार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी का कुल पूंजी से क्या अनुपात होगा, इसका निर्णय प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग होगा ।

केन्द्रीय नियन्त्रण मातहत सिन्दरी में १० करोड़ रुपए की पूंजी से खाद बनाने वाले एक बड़े कारखाने की स्थापना हो रही है ।

१९४७-४८ में कपड़ा बुनने वाली सहकारी संस्थाओं का काम बहुत बढ़ा । इन संस्थाओं द्वारा बुने जाने वाले कपड़े की मिकदार १९४५ में २ लाख गज थी, यह १९४६ में ७ लाख गज और १९४७ में २० लाख गज होगई । विविध कार्य सम्पन्न करने वाली ३६८ सहकारी संस्थाओं की इस वर्ष रजिस्ट्री हुई । इनके इलावा मोतीहारा, अर्राह और गया में सेन्द्रल को-आपरेटिव स्टोर्स, टिकरी में गुड़ की बिक्री की संस्था, हाजीपुर और झरडा में लुहारों, सुजफरपुर और मुंघेर जिलों में मछली पकड़ने वालों, चमारों और झाड़ू लगाने वाले म्यूनिसिपल भण्डियों की सहकारी संस्थाओं की इसी वर्ष रजिस्ट्री हुई ।

जनवरी १९४७ से मार्च ४८ तक प्रांत की दोनों धारा-सभाओं ने २५ सरकारी और ६ गैर सरकारी प्रस्तावों पर विचार विनिमय किया ।

मजदूर

प्रांत की कांग्रेसी सरकार ने मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का सतत प्रयत्न किया है। सरकार की ओर से एक विशेष अफसर को नियुक्त किया गया है जो कारखानों में घूम-फिरकर मजदूरों की रिहायश व रहन-सहन के तरीके की देख-भाल करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। शीघ्र ही मजदूरों के लिए कुछ हजार मकान बनाने की योजना है।

मालिकों और मजदूरों में झगड़े निपटाने को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक डिप्युटी लेबर कमिश्नर की नियुक्ति की गई है।

विहार लेबर इन्क्वायरी कमेटी के सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। कितने ही मिल-मालिकों को मना लिया गया है कि अपने कारखानों में प्राविडेंट फंड स्कीम चलाकर मजदूरों की वृद्धावस्था के लिए रकमें जुटाने का इन्तजाम करें। मिल-मालिकों से यह अनुरोध भी किया जा रहा है कि बीमारी के दिनों में मजदूरों को वेतन सहित छुट्टी दी जानी चाहिए और उनके औपधि-उपचार का इन्तजाम भी होना चाहिए।

प्रांत में एक लेबर एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई है जो मजदूर विषयक नीति पर सरकार को मन्त्रणा देता रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों और मालिकों में अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना है।

मजदूरों के लिए विशेष हस्पताल व उनके बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जा रहे हैं।

एक कानून पास किया गया है जिसके अनुसार हर उस कारखाने में, जहां २५० या इससे अधिक मजदूर काम करते हों, मालिकों को एक विशेष दूकान (कैन्टीन) खोलनी पड़ेगी जहां से मजदूर उचित दरों पर अपनी ज़रूरत की चीजें खरीद सकें।

जमींदारी

हिन्दुस्तान-भर में बिहार ही पहला प्रांत है जिसमें कि कानूनी तौर पर जमींदारोंकी प्रथाका अन्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम १९४६ में

इस कानून (बिहार स्टेट एक्वीज़ीशन आन्त जर्मीदारी बिल) का मस-विदा तयार किया गया; १९४७ में इसने निश्चित रूप धारण किया। ११ सितम्बर को प्रांतीय धारा-सभाके रांची अधिवेशन में इसे पेश किया गया। तदुपरान्त बिलको ४३ सदस्योंकी एक सिलेक्ट कमेटी को विचारके लिए सौंप दिया गया। इस समितिने बिल की धाराओं में महत्वपूर्ण (विशेष कर जर्मीदारों को दिये जानेवाले मुआवज़े के सम्बन्ध में) परिवर्तन किए। मार्च, अप्रैल और मई १९४८ में इस बिल पर प्रांत की दोनों धारा-सभाओं ने विस्तृत विचार किया और २५ मई १९४८ को यह कानून पास कर दिया।

प्रान्त में बेसिक शिक्षा के प्रसार की सरकारी योजना है। इस समय बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग (अध्यापन कार्य में दक्षता) के लिए प्रान्त में ७ स्कूल काम कर रहे हैं। बच्चों को बेसिक शिक्षा देने वाले ५५ स्कूल खुले हुए हैं। ६ नए ट्रेनिंग स्कूल और ४५ नए बेसिक स्कूल जुलाई १९४८ में खोले गए। सब जिलोंके बड़े म्यूनिसिपल शहरोंमें मुफ्त और जबरन प्राइमरी शिक्षा जारी है। लड़कियों व औरतों की शिक्षा के लिए नई संस्थाएं खोली जा रही हैं। प्रान्त के ४ डिवीजनों में ४ प्रादेशिय युनिवर्सिटियां खोलने की योजना विचाराधीन है।

बच्चों की शिक्षा के लिए मिडल व हाई स्कूलों में वयस्क शिक्षा के स्थायी केन्द्रों की स्थापना हो रही है। गांवों में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं और शिक्षा-प्रसार के लिए फिल्मों, अखबारों, रेडियो, कथा, कीर्तन आदि उपायों की सहायता ली जा रही है। जनता को सस्ता साहित्य सुलभ हो, इस ओर एक सरकारी प्रकाशन विभाग प्रयत्नशील है।

स्वास्थ्य

दरभंगा के मेडिकल स्कूल को कालेज बन दिया गया है। इस तरह प्रान्तमें दो कालेज (एक पटना में है) हो गए हैं। एक तीसरा

मेडिकल कालेज छोटा नागपुर में कहीं पर खोलने की योजना विचाराधीन है। औरतों और आदिमवासियों को इस व्यवसाय के प्रति अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। पटना व दरभंगा के सदर हस्पताल, १४ दूसरे हस्पताल और चारों डिब्बानों के ४ बड़े हस्पताल केन्द्रीय नियन्त्रण में ले लिये गए हैं। पटना मेडिकल कालेजके हस्पताल में रोगियों की १००० चारपाइयों का इन्तजाम कर दिया गया है और बच्चों के लिए एक विशेष नया हस्पताल खोल दिया गया है। और कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी बिहार में कोसी व कमला नदियों के उत्पात के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोक-थाम के लिए विशेष प्रयत्न किये गए हैं।

गांवों में काम करने वाले डाक्टरों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। पटना स्थित आयुर्वेदिक और यूनानी स्कूलों को कालेज का दर्जा दे दिया गया है।

मलेरिया रोग की रोक थाम के लिए क्युनीन मुफ्त बांटी जाती है। प्लेग के चूहों को मारने के विशेष प्रयत्न किये गए हैं। उत्तरी बिहार के विभिन्न जिलों में काला-आजार रोग के उपचार के लिए २० केन्द्र खोले गए हैं। जनता के स्वास्थ्य की देख-रेख रखने वाले विभाग पर प्रतिवर्ष लगभग ४० लाख रूपए खर्च किए जाते हैं।

१९४७ में बिहार पंचायती राज बिल पास पंचायती राज किया गया है जिसके अनुसार प्रान्त के गांवों की पंचायतों को अधिक अधिकार सौंप दिये गए हैं। यह पंचायतें गांवों में जनता के स्वास्थ्य शिक्षा और सुधार का ध्यान रखेंगी और छोटे-मोटे दीवानी व फौजदारी मगदें निपटावेंगी।

मद्रास

आवादी : ४,६३,४१,८१०, राजधानी : मद्रास, आवादी : ७,७७४८१
गर्मियों की राजधानी: ऊटाकमण्ड, आवादी : २६८५० ।

३० अप्रैल १९४६ को कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाया जिसके १३ मन्त्री लिये गए। इस वक्त १२ मन्त्री हैं। १४ पालियामन्टरी सेक्रेटरी मनोनीत किये गए। धारा-सभाके सदस्योंकी संख्या २१५ और लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सदस्यों की संख्या ५५ है। धारा-सभा में १६५ कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे और कौंसिल में ३२। धारा-सभा के अधिवेशन प्रायः मार्च और अगस्त में हुआ करते हैं, इन्ही महीनों में कौंसिल भी बैठती है।

मन्त्रिमण्डल के नाम यह हैं :

१ श्री ओ० पी० रामास्वामी रेड्डियर—प्रधान मन्त्री, गृह, कानून निर्माण, हाईकोर्ट।

२ डाक्टर टी० एस० एस० राजन—खाद्य, पुनर्निवास।

३ श्री एम० भक्तवत्सलम्—पब्लिक वर्क्स, सूचना और ब्राडकास्टिंग

४ श्री बी० गोपाल रेड्डी—अर्थ विभाग-व्यापारीटैक्स, मोटर यातायात रजिस्ट्रेशन।

श्री एच० सीताराम रेड्डी—उद्योग, विकास वा योजना, खनिज, मजदूर।

६ श्री के० त्रनुमौलि—स्थानीय शासन, को-आपरेशन।

७ श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम चेट्टियर—शिक्षा, सिनेमा।

८ श्री के० माधव मेनन—कृषि, जंगल, जेल।

९ श्री कलार्वेकट राव—भूमिकर।

१० श्री ए० वी० शेट्टी—स्वास्थ्य, चिकित्सा।

११ श्री वी० कुर्मय्या—हरिजन उद्धार।

१२ डाक्टर एस० गुरुवाथम—खादी, घरेलू दस्तकारियां, शराबबन्दी।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय ५५.९४ करोड़ रुपए। कुल अनुमानित व्यय ५५.९३ करोड़ रुपए।

इस तरह प्रान्त के बजट में ७० लाख के लगभग की बचत रहेगी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।

पुलिस, शिक्षा और सिंचाई विभागों पर खर्चों की रकमें बहुत बढ़ गई हैं। पुलिस पर ६.४० करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि पिछले वर्ष यह रकम लगभग ४ करोड़ रुपए थी। शिक्षा के लिए ८.०० करोड़ रुपए रखा गया है। तुङ्गभद्रा की योजना पर प्रान्तीय सरकार का इस वर्ष २.५८ करोड़ रुपया खर्च होगा।

आय में शराबबन्दी की योजना से ४ करोड़ की कमी हो जायगी।

विक्री टैक्स, मनोरञ्जन टैक्स और शर्तों पर टैक्सों से यह कमियां पूरी हो जायंगी। इसका व्योरा यह है :

विक्री टैक्स	३.७५	करोड़ रुपए
शर्तों पर टैक्स	.२४	"
मनोरञ्जन टैक्स	.२२	"

प्रान्त में दो प्रकार के शरणार्थी आए, एक तो शरणार्थी पाकिस्तान से उखेड़े जाकर, दूसरे हैदराबाद में रजाकारों के अत्याचारों से भयभीत होकर। पंजाब के शरणार्थियों के लिए तीन कैम्प खोले गए जहां रसद कपड़ा व दूसरे आवश्यक सामान सरकार की ओर से मिलते थे।

हैदराबाद से भागकर आये हुए शरणार्थियों की संख्या जो मद्रास प्रान्त में आई, १८,००० तक पहुँची। वेजवाड़ा, कर्नूल आदि स्थानों पर इनके लिए कैम्प खोले गए।

प्रान्त में सदा ही अनाजों की कमी रहती है, इस कमी को दूसरे प्रान्तों से आयात करके अथवा भारत सरकार की सहायता से पूरा

खाद्यस्थिति

किया जाता रहा है। १९४६-४७ में प्रान्त के भण्डार में १६,१७,६४७ टन अनाज प्रान्त से ही इकट्ठा किया गया, २४८,८६४ टन का भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार आयात हुआ। इस प्रकार अनाज के १८,६६,५४१ टन भण्डार में से १८,६६,५४१ टन अनाज की प्रान्त में खपत हुई। ५०,००० टन अनाज अगले वर्ष के भण्डार में जमा रहा।

१९४७-४८ की खरीफ की कृषि खराब हो गई। प्रतिवर्ष चावल की उत्पत्ति लगभग जहां ४.६ मिलियन टन हुआ करती थी, उसका अनुमान इस वर्ष केवल ३.७ मिलियन टन ही रह गया। इसी तरह बाजरे की उत्पत्ति २.६५ से १.६४ मिलियन टन रह गई। इस प्रकार प्रान्त को अपनी वार्षिक अनाज-उत्पत्ति में २.१ मिलियन टन का घाटा हुआ। भारत सरकार अब तक ४ लाख टन अनाज देने का वायदा कर चुकी है। केन्द्र के खाद्य मंत्री ने प्रान्तीय सरकार के अनुरोध पर प्रान्त का दौरा किया और उम्मीद है कि केन्द्र से प्रान्त को अधिक मात्रा में अनाज दिया जाय।

सरकारी सिद्धांतों पर १९४७ के अन्त में कपड़ा १,२०,००० खड्डियां कपड़ा बुन रही थीं जब कि इनकी संख्या १९४६ के अन्त में ५२,३६१ थी। प्रान्त में सूत व कपड़ा बुनने के बढ़िया कारखाने भी काम कर रहे हैं।

प्रान्त की आवादी को ध्यान में रखते हुए १९४७-४८ में अनाजों की जो कमी रही उसका ब्योरा यह है :

चावल	५,८०,००० टन
बाजरा	२,५०,००० टन
दालें	२,८०,००० टन

प्रान्त में कृषि उत्पत्ति को बढ़ाने की एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार १९५१-५२ तक चावलों की ५५ लाख टन अधिक

पैदावार हो सकेगी। सिंचाई की छोटी व बड़ी नहरों सारे प्रान्त में बिछाई जा रही हैं, पुरानी नहरों में अधिक पानी दिया जा रहा है। नए कृषि खोदने व पुराने कृषियों की मरम्मत के लिए रुपए-पैसे की मदद दी जाती है। गरीब रक्यतों में बीज और खाद मुफ्त बांटने की एक योजना बनाई गई है। हर जिलेमें २००० रुपए तक का खाद और १०० रुपए तक के बीज इस प्रकार बांटे जायेंगे। हरी खाद पैदा करने वाली रक्यत को कृषि के औजारों के रूप में इनाम दिया जाता है। खेती-बारी को खराब करने वाले कीड़ों को मारने के लिए रसायन व पिचकारियां किसानों को उधार दी जाती हैं। प्रान्त की खेती-बारी को यांत्रिक करने के उद्देश्य से किसानों को किराए पर ट्रैक्टर दिये जाते हैं। इस वक्त प्रान्त में ५० ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और ५० नए खरीदे जा रहे हैं। पानी खींचने के लिए पेट्रोल द्वारा चलने वाले ७२० पम्प डीज़ल तेल से चलने वाले १२ पम्प किराए पर देने के लिए रखे गए हैं।

सिंचाई को नहरों को खोदने की एक योजना के अनुसार २६८ सुदाइयाँ पर काम शुरू हो रहा है—इन पर कुल व्यय ५ करोड़ रुपया होगा और २,५०,००० एकड़ अब तक अप्रयुक्त जमीन पर खेती-बारी हो सकेगी। इसके अलावा लम्बी अवधि के लिए अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं।

जमींदारी जमींदारी व इनामदारी की प्रथाओं को खत्म करने के लिए धारा-सभामें कानून पेश हो चुका है। धारा-सभा की एक मिलेट्ट कमेटी (विशेष सन्निति) इस पर विचार कर रही है। जमींदारोंको उचित सुझाव देने का प्रस्ताव है।

सहकारी कृषि प्रांत में खेती-बारी करने की सहकारी संस्थाओं के निर्माण की सहायता व प्रेरणा दी जाती है। इन संस्थाओं की सरकार ५० अवधि ६००

एकड़ जमीन के इकट्टे टुकड़े देती है। संस्था के जितने सदस्य हों, प्रति सदस्य के हिसाब से पूंजी में १० रुपए सरकार देती है। कृषि के औजार खरीदने के लिए प्रति सदस्य ७५ रुपए के हिसाब तक सरकार रुपया भी उधार दे देती है। इसके अलावा कृषि के पहले वर्ष के लिए ५ रुपए प्रति एकड़ के खाद के लिए, २ रुपए प्रति एकड़ बीज के लिए मुफ्त मिलते हैं। बैल खरीदने के लिए आधी रकम मुफ्त और आधी कर्ज के रुपए में मिलती है। इस कर्ज पर कोई व्याज नहीं लिया जाता और रकम ५ वर्षों में चुकानी होती है।

प्रांतीय सरकार की प्रेरणा से मद्रास में खड्डियों सहकारी संस्थाएं पर कपड़ा बुनने वाले अधिकाधिक संख्या में सरकारी संस्थाओं में आ रहे हैं।

१९४४-४५, ४५-४६ और ४६-४७ में जुलाहों की सहकारी संस्थाओं की संख्या क्रमशः ३११, ३२६ और ६५६ रही।

इन संस्थाओं के मातहत खड्डियों की संख्या क्रमशः २६६३६, ३६४५२ और ८५५३१ रही है।

घरेलू दस्तकारियों में संलग्न सहकारी संस्थाओं की संख्या इन्हीं वर्षों में २२३, २२२ और ३५२ रही है।

प्रांत की कुल सहकारी संस्थाओं की संख्या १७०५७ है, इनके सदस्यों की संख्या २२,१०,००० और इनमें लगी हुई पूंजी ५०,६७,५१,००० रुपए है। पुनर्निवासके महकमें के अधीन इस संख्या के अलावा ३०६ अन्य सहकारी संस्थाएं भी हैं जिनकी सदस्य-संख्या ३,१६,००० और जिनमें लगी पूंजी २,२८,००,००० रुपए है।

उद्योग

प्रांतकी सरकार कुछ उद्योग खुद ही चला रही है—जिनकी नामावली निम्न है :

मट्टी के घर्तनों का कारखाना—नेल्लोर जिले के गड्डूर शहर में।

काँच की चूड़ियों के निर्माण का शिक्षा-केन्द्र—कलहस्ती में।

रेशम कातने का उद्योग—कोल्लेगल में।

तेल का कारखाना—कालिकट में ।

साबुन का कारखाना—कालिकट में ।

रेडियो व विजली के दूसरे सामान बनाने का उद्योग—१० लाख की कुल पूंजी में प्रांतीय सरकार ने २ लाख रुपए के हिस्से खरीदे हैं ।

प्रांत में वनास्पती धी बनाने का एक कारखाना प्रांतीय सरकार की अनुमति से लग रहा है ।

प्रांत में एक सरकारी शिक्षणालय खोला जा रहा है जहां विभिन्न उद्योगों व दस्तकारियोंकी शिक्षा दी जायगी । इसके ६ स्कूल भी खोलने की योजना बनाई गई है ।

इस समय प्रांत में ८३ ऐसे औद्योगिक स्कूल काम कर रहे हैं जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है ।

१९४६-४७ में विजली का प्रांत में कुल उत्पादन ४०,८६,८० लाख इकाइयां था जिसमें से ७७.७ प्रतिशत विजली सरकारी कारखानों में पैदाकी जाती थी । अब ८६ प्रतिशत विजली (व्यक्तिगत विजलीघरों को खरीद लेने के कारण) सरकारी कारखानों में तय्यार हो रही है ।

एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है । जिसके अनुसार विजली की पैदावार दोगुनी कर दी जायगी । इस योजना पर १२ करोड़ रुपए खर्च किये जायंगे ।

कृषि के लिए चरती जाने वाली विजली की इकाइयों के भाव कम रखे गए हैं ।

१९४६ में प्रांत में सड़कों की लम्बाई कुल मिलाकर ३६,६६६ मील थी; जिसका ब्यापार इस प्रकार है :

मुख्य राजपथ	३००६	मील
मसिडियों की महत्त्वपूर्ण सड़कें	६२६१	..

घटिया सड़कें

६१६१

शेष सड़कें

२०६११

इस व्योरे में म्यूनिसिपैलिटियों और पंचायतों की सड़कों का हिसाब जमा नहीं है। २१,४०० मील लम्बी पक्की सड़कें हैं।

प्रांतीय सरकार के हाथों में इस समय १५,६६० मील लम्बी सड़कों का नियन्त्रण है; २१,४३८ मील लम्बी सड़कें जिला बोर्डों के हाथों में हैं।

५ नए राजपथों के निर्माण की स्वीकृति, जिस पर कुल ६.५७ लाख रुपए खर्च आयगा, भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ५ राजपथों का प्रांतीय प्रस्ताव केन्द्र द्वारा विचाराधीन है। इस पर ६६.६१ लाख रुपए खर्च आयगा।

प्रांत में यातायात के सब साधनों का राष्ट्रीय-यातायात के साधनों करण करने की प्रांतीय नीति की घोषणा हो का राष्ट्रीयकरण चुकी है। योजनानुसार सब बस कम्पनियों में

५१ प्रतिशत हिस्से सरकार के होंगे और १४ प्रतिशत हिस्से पुरानी कम्पनियों के हिस्सेदारों को मिलेंगे। रेलवे और स्थानीय संस्थाएं भी हिस्से खरीद सकेंगी। सरकार पहले सवारियां ढोने वाली गाड़ियां चलायगी, फिर सामान ढोने वाली। टैक्सियों का राष्ट्रीयकरण होगा अथवा नहीं, इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जायगा।

मद्रास शहर की बस कम्पनी का अक्तूबर १९४७ में राष्ट्रीयकरण हो गया।

प्रांत-भर में जबरन शिक्षा के आदेश निकाल कर और वयस्क शिक्षा की सुविधाएं देकर

अशिक्षा को दूर करने की सरकारी नीति है। प्रांत में पुस्तकालय खोलने के विशेष प्रयत्न हो रहे हैं, हर जिला व म्यूनिसिपैलिटी के पुस्तकालय को २०० रुपए की और पंचायत के पुस्तकालय को १०० रुपए की सरकारी सहायता दी जाती है। १९४८-४९

के बजट के अनुसार ऐसी कुल सहायता का अनुमान २ लाख रुपए किया गया है।

अनुमान लगाया गया है कि प्रांत-भर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने योग्य आयुके बच्चों की कुल संख्या ७० लाख है। इसमें से केवल ३० लाख बच्चे इस समय शिक्षा पा रहे हैं। योजना बनाई गई है कि अगले दस वर्षों में प्रांत के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। पहले दस वर्ष जबरन शिक्षा पाँचवीं श्रेणी तक दी जाया करेगी, उसके अगले वर्षों में आठवीं श्रेणी तक।

प्रांत में प्राथमिक शिक्षा मौलिक (बैसिक) मौलिक शिक्षा शिक्षा के सिद्धांतों पर हो, इस उद्देश्य से अध्यापकों का शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। ७ गुंमे स्कूल खोले गए हैं जहां अध्यापक मौलिक शिक्षाका शिक्षण-कार्य सीखें। कुछ अफसर वर्धा भी भेजे गए हैं।

प्रांत में मिडल व हाई स्कूलों की व इनमें शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का व्योरा इस प्रकार रहा है :

	१९४१-४२	१९४६-४७	
मिडल स्कूल	१६४	१७८	
इनमें विद्यार्थियों की संख्या	२६,३७१	३६,६१७	
हाई स्कूल	३६४	४४२	
इनमें विद्यार्थियों की संख्या	२,०४,६४२	३,१०,११७	
	पिछले कुछ वर्षों में प्रांत में जन्म व मरण		
स्वास्थ्य	संख्या का अनुपात इस प्रकार रहा है :		
	१९४४	१९४६	१९४९
जन्म-संख्या	२६.२६	२६.४६	२६.६२
मरण-संख्या	२४.२६	२२.२७	१८.८८

१९४६ में हैजे से मरने वालों का अनुपात प्रति १००० जनता के पीछे ०.०१ था।

प्रांत में मलेरिया का रोग एक बड़ी समस्या है। मलेरिया की रोक-थाम के लिए १९४७-४८ में ५६००० रुपए (प्रतिवर्ष के हिसाब से) और ८५,४०० रुपए (एक बार ही दी जानेवाली सहायता के रूप में) खर्च किये गए। १९४८-४९ में क्रमशः ८१,७०० रुपए और २७,००० खर्च किये जाने का बजट में प्रस्ताव है।

हरिजनों की कानून की दृष्टि से सामाजिक अवस्था में सुधार के उद्देश्य से मद्रास सिविल डिसेम्बलिटीज़ ऐक्ट और मद्रास टेम्पल एन्ट्री आथराइजेशन ऐक्ट पास किये गए हैं। मन्दिरों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर हरिजनों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार कानून द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है। हरिजनों के बच्चे सब स्कूलों में भरती हो सकते हैं। १९४७-४८ से सब सेकन्डरी ट्रेनिंग स्कूलों, सरकारी दस्तकारी व ट्रेनिंग कालेजों और लॉ (कानून की शिक्षा देने वाले) कालेजों के १० प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिये गए हैं। सब होस्टलों (विद्यार्थियों के रिहायशी स्थानों) में १० प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित हैं।

कुछ स्थानों पर हरिजन विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कूल खोल दिये गए हैं।

हरिजनों की दशाके सतत सुधार के उद्देश्य से एक 'हरिजन वेलफेयर कमेटी' बनाई गई है। १९४७-४८ में हरिजनों की बेहतरीके लिए भिन्न-भिन्न महकमों द्वारा कुल ३७,६८,८०० रुपये खर्च किये गए हैं।

प्रान्त के कुल २४ जिलों में से १६ जिलों में नशा निषेध शराबबन्दी की आज्ञाएं जारी हो चुकी हैं। शेष ८ जिलों में भी शीघ्र ही ऐसी आज्ञाएं प्रचारित की जाने वाली हैं।

ताही के निषेध से ८०,००० लोग बेकार हो गए हैं। इन्हें पाम दरख्त से गुड़ बनाने के काम पर लगाने की चेष्टा की जा रही है। १९४७ के अन्त तक ६१६७ लोग इस काम पर लगाए जा चुके थे।

सरकार ने ३४ 'फिरका' व दूसरे केन्द्रों का 'फिरका' विकास योजना चुनाव किया है जहाँ ग्रामों के पुनर्निर्माण का कार्य सम्पूर्णतासे किया जायगा। योजना है कि हर 'फिरके' और केन्द्र को खाने, पहनने व जिन्दगी के दूसरी जरूरियात की नज़र से आत्म-निर्भर बना दिया जाय। इन केन्द्रों में विजली भी पहुंचाई जायगी।

खादी-उत्पादन की योजना को सरकारी सहायता से ७ केन्द्रों में सम्पन्न किया जा रहा है। इन केन्द्रों में से प्रत्येक को आबादी ४० से ८० हजार तक है। इन क्षेत्रों में किसी को व्यक्तिगत तौर पर खादी बनाने की आज्ञा नहीं है। ४ केन्द्रों में मिलों में बने कपड़े व खादियों के लिए सूत का वितरण बन्द कर दिया गया है।

रचनात्मक महकमों पर खर्च

१९४६-४७ व १९४७-४८ में प्रान्तीय वजटोंमें रचनात्मक महकमों पर क्या खर्च किया गया, इसका ब्योरा यह है :

	१९४६-४७ (लाख रुपए)	१९४७-४८ (लाख रुपए)
शिक्षा	५६०.२७	६६६.६३
मेडिकल	२१५.६८	२१७.४५
स्वास्थ्य	८७.३७	१०.६७
सिंचाई	१५४.६८	२५८.६१
कृषि	१०५.७०	११६.८७
पशु चिकित्सा	२६.६५	३१.००
सहकारी	४४.३३	६१.७१
उद्योग	६७.७८	११७.७३

राजकवि प्रान्त की चार प्रमुख भाषाओं के हर पांचवें वर्ष राजकवि मनोनीत करने की प्रथा चलाई गई है। इन राजकवियों को आर्थिक सहायता (ग्रान्तरियम) दी जाया करेगी। हर भाषा की सर्वोत्तम पुस्तक पर इनाम भी दिये जाया करेंगे।

मध्यप्रान्त और वरार

आवादी १,६८,१३,५८४ । राजधानी: नागपुर - आवादी ३,०१,६५७ ।

२७ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस पदारूढ़ हुई।

- (१) पं० रविशङ्कर शुक्ला—प्रधान मन्त्री । गृह मन्त्री ।
 - (२) पं० द्वारका प्रसाद मिश्रा—विकास और स्थानीय शासन के मन्त्री ।
 - (३) श्री दुर्गाशंकर कृपाशंकर मेहता—अर्थ मन्त्री ।
 - (४) श्री संभाजी विनायक गोखले—शिक्षा मन्त्री ।
 - (५) श्री रामराव कृष्णराव पाटिल—खाद्य और रेवेन्यू के मन्त्री ।
 - (६) डा० सत्यद मिन्हाजुल हसन—चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मन्त्री ।
 - (७) डा० वामन शिरोदास वार्लिंगे—पब्लिक वर्क्स के मन्त्री ।
 - (८) श्री रामेश्वर अनिभोज—कृषि मन्त्री ।
 - (९) बाबा आनन्दराव देशमुख—एक्साइज्ज-मन्त्री ।
- ६ पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी हैं ।

धारा सभा के सदस्यों की कुल संख्या ११२ हैं जिसमें से ६३ कांग्रेसी हैं। लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं हैं।

बजट १६४८-४६

कुल अनुमानित आय १५,२६,५०,०००। कुल अनुमानित व्यय, १५,७४,४४,०००।

इस तरह घाटे का कुल अनुमान ४४,६४,००० रुपए है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और विकास की योजनाओं की रकम से इस घाटे की पूर्ति के लिए ४५,००,००० रुपए निकाल लेने का प्रस्ताव है। इस प्रकार ६००० की कुल बचत शेष रहेगी।

कोई नए टैक्स लगाने की योजना नहीं है।

खाद्य-अनाजों की कृषि बढ़ाने के लिए ४.६० करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। यातायात के साधनों के राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुसार प्रान्तीय यातायात की कम्पनियों के संचालकों (एजन्ट्स) के हिस्से खरीद लिये गए हैं।

मध्यप्रान्त और बरार की सीमाएं देश के पाँच प्रांतीय भूगोल दूसरे प्रान्तों (युक्तप्रान्त, मद्रास, बम्बई, बिहार और उड़ीसा) से छूती हैं। हैदराबाद रियासत से प्रान्त की ७०० मील लम्बी सांझी हद्द है। प्रान्त का क्षेत्र ६८,५७५ वर्गमील है, आन्ध्रवादी लगभग १ करोड़ ८० लाख। १४ रियासतों के १६४८ में प्रान्त से मिल जाने के बाद क्षेत्र में ३० हजार वर्गमील और आन्ध्रवादी में ३० लाख की वृद्धि हुई।

प्रान्त की वार्षिक आमदनी १५ करोड़ रुपए के लगभग है। प्रान्त में रियासतों के मिल जानेके बाद यह आमदनी १७ करोड़ रुपए हो गई है।

हिन्दुस्तान में पाए जाने वाले मैंगनीज का प्रायः कुल पुराभिकार ही मध्यप्रान्त को प्राप्त है। एशिया का सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना इसी प्रान्त (कटनी) में है। प्रान्त में वाकमाइट मूल द्रव्यी पुरुषावयव में पाया जाता है कि शीघ्र ही एशिया का एलुमिनियम बनाने वाला सब

से बड़ा कारखाना यहाँ काम शुरू करने वाला है। इसके इलावा रियासत वस्तर में लोहा मिलता है। प्रान्त में कोयला, माइका, वैराइट्स, ग्रैफाइट, चूना और सोप-स्टोन भी पाए जाते हैं। जंगलों से सागवान की कीमती लकड़ी, किताबी व अखबारी कागज़ बनाने के लिए उपयुक्त बांस व घास और लाख प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रान्त में बढ़िया कपास और पर्याप्त मात्रा में तैलबीज पैदा होते हैं।

प्रान्त में खनिज साधनों की बड़े उद्योगों के लिए कच्चे सामान की और कृषि की उपज की कमी नहीं है।

गोहूँ के अतिरिक्त प्रान्त कृषि की सब शेष कृषि और अनाज की स्थिति उपजों में आत्म-निर्भर है। अनाजोत्पत्ति इतनी मात्रा में होती है कि १९४३ से १९४७ तक हिन्दुस्तान के अनाज की कमी के प्रदेशों को मध्यप्रान्त से ६,४१,००० टन चावल और १,१२,००० टन ज्वार भेजी गई।

प्रान्त की खाद्योत्पत्ति की स्थिति को और भी बेहतर बनाने के विविध प्रयत्न जारी हैं। किसानों को तकाबी कर्ज़ों के रूप में २ करोड़ रुपये के लगभग बाँटे जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में खेती-बारी नहीं की जा रही, उनमें खेती करने की कोशिशें जारी हैं। इस प्रयाससे इस वर्ष १,४१, १८२ एकड़ अधिक जमीन पर कृषि हुई। एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार बड़े जमींदारों को अपनी खाली पड़ी हुई जमीन के १० से २० प्रतिशत भाग पर इस वर्ष खेती करवाना आवश्यक है। सिंचाई के प्रबन्धों में भी तरक्की की जा रही है। इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कृषि के चालू वर्ष के अन्त में ६२,००० टन अधिक अनाज पैदा होने की उम्मीद है।

प्राकृतिक खाद के प्रयोग में मध्यप्रान्त ने विशेष प्रयत्न किए हैं। जुलाई १९४८ में केन्द्र व प्रान्तकी खाद-विकास-समिति का सांझा अधि-वेशन नागपुर में हुआ जिसने यह मत प्रकट किया कि खाद्य सम्बन्धी

भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति की (जो कि १ करोड़ टन के लगभग होती है) रक्षा की जानी चाहिए । इस समिति का विचार था कि यदि इस सम्पत्ति का उपयोग किया जा सके तो हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या सुलभ सकती है ।

शिक्षा

प्रान्त में 'बेसिक' (मौलिक) शिक्षा के प्रसार के प्रयत्न किए जा रहे हैं । एक विशिष्ट समिति बनाई गई है, जिसका संचालन हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के मंत्री श्री आर्यनायकम कर रहे हैं ।

जनता को पढ़ाने के अतिरिक्त स्वतन्त्र राष्ट्र के सामाजिक शिक्षा अर्च्छे नागरिक बनने की शिक्षा भी दी जा रही है । इस उद्देश्य से एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिस पर कुल १ करोड़ २० लाख रुपए खर्च किए जायेंगे । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार सरकारी प्रकाशनों, पुस्तकालयों, अजायबघरों, सिनेमा, लोक नृत्य आदि के माध्यमों से किया जायगा । इसके लिए शहरों से बाहर कैम्प लगाए जाते हैं । पिछली गर्मियों में ४३८ कैम्प लगे जिनमें ६२,६०० बच्चकों ने (जिनमें ३७,००० स्त्रियां थीं) शिक्षा पाई ।

स्वतन्त्रता का संदेश प्रान्त के हर व्यक्ति तक जनपदीय स्वतन्त्रता पहुँच सके, इस उद्देश्य में जनपद ग्रेड पंच किया गया है । सब प्रान्त की तहसीलों में विभाजित किया गया है । तहसीलों की कौंसिलों (समितियों) का अर्थ, कानून और शान्ति-व्यवस्था के अतिरिक्त सब अधिकार, सौंपे गए हैं । हर ग्राम में जिसकी आबादी १००० से अधिक हो पंचायतों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, हर रेवेन्यू क्षेत्र में न्याय पंचायतों की स्थापना की जा रही है ।

होम गार्ड

जाता है।

प्रान्त की जनता को आत्म-रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र में निपुण करने के लिए फौजी शिक्षा दी जाती है और होमगार्ड में भरती किया

प्रान्त के प्राकृतिक साधनों का प्रयोग सस्ती विजली का विकास विजली मिलने पर ही सम्भव है, इस विचार से विजली पैदा करनेकी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैन-गंगा पर बंधने वाले बांध से २,५०,००० किलोवाट विजली तय्यार होगी और २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। कुछ वर्षों के बाद विजली का उत्पादन बढ़ाकर ६ लाख किलोवाट कर दिया जायगा। समस्त योजना पर कुल ५० करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

प्रान्तीय सरकार कितने ही नए उद्योगों में उद्योग दिलचस्पी ले रही है। एलुमीनियम, अखबारी कागज और सीमेन्ट के नए कारखानों में सरकार हिस्सा ले रही है। केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही है कि लोहे व इस्पात के निर्माण के जो दो नए कारखाने खुलने हैं, उनमें से १ मध्यप्रान्त में लगाया जाय। प्रान्त में कपड़े के कारखानों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उद्योगों में प्रयोग होने वाले एल्कोहोल के निर्माण का उद्योग विचाराधीन है।

इसके इलावा छोटे पैमाने के व घरेलू धन्धों को भी सरकारी समर्थन दिया जा रहा है। तेल निकालने वाली कोन्हू, लाख, साबुन, पेन्ट, वार्निश और हड्डी के खाद बनाने के उद्योगों को समर्थन मिल रहा है।

सहकारी संस्थाएं किसानों की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से उनमें सहकारी के सिद्धान्तों का

प्रचार किया जाता है। प्रान्तीय ग्रामीण-विकास-समिति (प्राविंशल हरल डेवेलपमेन्ट बोर्ड) ने फैसला किया है कि प्रान्त के चार रेवेन्यू क्षेत्रों में से २-२ गांवों को चुनकर उनमें सहकारी सिद्धान्तों पर खेती-बारी शुरू की जाय। प्रान्त में सहकारी संस्थाओं की संख्या सतत बढ़ रही है।

खादी, गुड़, नीम को चीजें व स्याही बनाने के लिए भी सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं।

सरकार का निश्चय है कि प्रान्त में बसने पिछड़ी हुई जातियों वाले ४५ लाख उन लोगों का, जिन्हें पिछड़ी हुई जातियों के लोग कहा जाता है, जीवन स्तर ऊंचा किया जाय। इस उद्देश्य से उनके इलाकों में को-ऑपरेटिव संस्थाएं, स्कूल, हस्पताल वगैरह चालू किए जा रहे हैं।

मलेरिया की रोक-थाम के लिए विशेष अन्तज्ञान स्वास्थ्य किये गए हैं, दूरस्थ गांवों में डाक्टरों की मदद पहुंच सके, इस उद्देश्य से ट्रकों पर टुपर-उपर घूम-फिर सकने वाले हस्पताल बनाये गए हैं। यूनानी व आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शहरों व गांवों में स्वच्छ पानी किस तरह प्राप्त हो सके, इस प्रश्न की दान-बान जारी है।

प्रान्त के कैंम्पों में रहने वाले शरणार्थियों की संख्या २७,६३३ है, कैंम्पों से बाहर बसे शरणार्थियों की संख्या २३,९४६ है। इनमें किए से बसाने के कार्य पर ४.२५ करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। इतनी ही रकम और खर्च करने की योजना है।

शरणार्थियों लगभग सभी प्रान्त में शरणार्थियों जाय हो चुकी है।

मिल मालिकों व मजदूरों में ऋगड़े शान्ति से निपटाए जायं इसके लिए ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल की सहायता लगातार ली जाती है।

दूकानों के कर्मचारियों से केवल ८ घण्टे प्रतिदिन काम लिया जाय, ऐसा कानून बना दिया गया है।

युक्त प्रान्त

आवादी : ५,५०,२०,६१७। राजधानी : लखनऊ, आवादी : ३,५४,५६०। गर्मियों की राजधानी: नैनीताल, आवादी : २१,३१३। (१९४१)।

पहली अप्रैल १९४६ को कांग्रेस ने शासनकी बागडोर हाथोंमें ली।

१. पं० गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रधान मंत्री। राजस्व, सूचना, नियुक्ति।

२. श्री सम्पूर्णानन्द—शिक्षा, श्रम, अर्थ व आंकड़ा विभाग।

३. हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—धातायात, पब्लिक वर्क्स।

४. श्री हुकुम सिंह—माल, जंगल, न्याय।

५. श्री निसार अहमद शेरवानी—कृषि, पशुपालन, ग्राम सुधार।

६. श्री निरधारी लाल—आवकारी, जेल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प विभाग।

७. श्री आत्माराम गोविन्द खेर—स्वायत्त शासन, म्यूनिसिपल।

८. श्री चन्द्रभानु गुप्त—खाद्य तथा रसद विभाग, मेडिकल, जन स्वास्थ्य।

९. श्री केशवदेव मालवीय—विकास, उद्योग-धन्धा, को-ऑपरेटिव।

१०. श्री लाल बहादुर शास्त्री—पुलिस, धातायात।

इसके अलावा = पालियामेंटरी सेक्रेटरी हैं :

१. श्री गोविन्द सहाय २. श्री जनप्रसाद रावत ३. श्री चरण-सिंह—प्रधान मंत्री के पालियामेंटरी सेक्रेटरी ।

४. श्री वहीद अहमद—विकास मन्त्री के पालियामेंटरी सेक्रेटरी ।

५. श्री लताफत हुसैन ६. श्री उदयवीर सिंह—यातायात मंत्री के पालियामेंटरी सेक्रेटरी ।

७. मौलवी महफूजुर्रहमान—शिक्षा मंत्री के पालियामेंटरी सेक्रेटरी ।

८. ठाकुर हरगोविन्द सिंह—कृषि मंत्री के पालियामेंटरी सेक्रेटरी ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय—४५,८७ करोड़ रुपए । कुल अनुमानित व्यय—५०,५७ करोड़ रुपए ।

इस तरह घाटे का अनुमान ४,७० करोड़ रुपए का है ।

घाटे की इस मदको पूरा करनेके लिए यह नए टैक्स लगाए जायेंगे :

(१) बिक्री टैक्स—१२,००० की बिक्री के ऊपर, घनाब, दूध, विजली, गुड़ और चीनी को छोड़कर हर पदार्थ की बिक्री पर तीन पैसे रुपया बिक्री टैक्स लगेगा । इन लिखी चीजों पर टैक्स की दर रुपया पीछे १ पाई होगी । (-) कृषि की आमदनी पर टैक्स—उन्नी दर में लगेगा जो कि आय-कर का होता है परन्तु सूपर-टैक्स की दर चालू सूपर टैक्स की दर से आधी होगी ।

मुख्य खर्चों का व्योरा इस प्रकार है :

राष्ट्रोपयोगी महकमे २४.०१ करोड़ रुपये

शरणार्थियों को फिर बसाने पर २.१६

शासन, पुलिस, जेल, न्याय १२.३३

इस वर्ष, उन ७ जिलों के अलावा जहां पहले ही शराब का निरंतर हो चुका है, कानपुर और उनाबके जिलोंमें भी शराब बन्दो लागू कर दी जायगी । ४४०० नए रहूल छोले जायेंगे । रहूलों के काइलों में पीली तालीम और नगरों में प्राग्निभह विद्या य आसुर्वेदिक और यूनानी

दवाई खाने खोले जायंगे। कानपुर में क्षयरोग के उपचार का हस्पताल बनेगा। प्रान्त में पटसन की खेतीके प्रयत्न होंगे, कृषि के लिए यन्त्र बरते जायंगे और प्रान्त-भर में तालाब खुदेंगे। हवाई अड्डे बनेंगे, घरेलू दस्तकारियों को प्रेरणा मिलेगी और कुछ बड़े पैमानों के उद्योगों की छन-बीन होगी और योजनाएं बनेंगी। नए रास्तों पर सरकारी बसें चलाई जायंगी।

स्वतन्त्रता का समारोह अभी खत्म ही हुआ था कि पंजाब के नरसंहार से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग प्रान्त के पश्चिमी जिलों में आकर बसने लगे। एक वर्ष में लगभग ५ लाख शरणार्थियों को युक्तप्रान्त ने स्थान दिया। इस वर्ष के बजट में कुल मिलाकर ३ करोड़ ३७ लाख की रकम उन पर व्यय के लिए सुरक्षित रखी गई। प्रान्त-भर में ४० हजार से अधिक शरणार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

पीड़ित व उत्तेजित शरणार्थियों के आने से शान्ति व व्यवस्था प्रान्त की शान्ति भंग होने का भारी खतरा पैदा हो गया था लेकिन सहान् प्रयास से इस खतरे पर काबू पा लिया गया। जहां दंगे हुए भी, वहां से पड़ोस के जिलों में नहीं फैलने दिये गए। पुलिस के सिपाहियों की संख्या ३० हजार से ४५ हजार कर दी गई।

प्रान्त में १ लाख २ हजार ३८८ गांव हैं। ग्रामीण प्रान्त की कुल आबादी (५ करोड़ ५० लाख) में से ४ करोड़ ८२ लाख गांवों में रहते हैं।

कोशिशें की जा रही हैं कि इस संख्या का जीवन-स्तर ऊंचा हो। जमींदारीको खत्म कर देनेका निश्चय हो चुका है और इस वर्ष जमींदारीकी समाप्तिसे संबंधित समितिने प्रश्न पर विस्तारसे विचार किया। टेनेन्सी एक्ट की धारा १७१ जिससे जमींदारों को जमीन से किसानों को हटा

देनेका अधिकार मिलता था, हटाई जा चुकी है। इस वर्ष लगभग १ लाख ५० हजार किसानों ने इस धारा को हटाने के फलस्वरूप फिर से अपनी जमीन प्राप्त कर ली।

किसानों की बेहतरी के खयाल से ईख की कीमत पहले तरह थाने मन से सवा रुपया और फिर दो रुपए कर दी गई।

भारी तादाद में प्राकृतिक खाद पैदा करने के प्रयत्न जारी हैं ताकि खेती की उपज को बढ़ाया जा सके। गांवों में पंचायतों की स्थापना हो रही है जिससे ग्रामीणोंको लोकतन्त्री अधिकार प्राप्त हो सकें। लगभग कुल ५० हजार पंचायतें बनाने की योजना है। गांवों में हस्पताल व स्कूल खोले जा रहे हैं।

सिंचाई की योजनाएं प्रांत में नहरों व दूसरे साधनों से सींचे जाने वाली जमीनके क्षेत्रमें इस प्रकार तैयार की हुई हैं:

१६४५-४६	५६,५३,७८० एकड़
१६४६-४७	५६,७१,६४० "
१६४७-४८	६१,०८,६२० "

अब एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार सिंचाई के इस क्षेत्र में १६ लाख ६० हजार एकड़ की वृद्धि होगी। १६४७-४८ में ३०० मील लम्बी नई नहरोंकी खुदाई हुई। पंचवर्षीय योजना के अनुसार ७६०० मील लम्बी नहरें खोदी जायंगी।

१६४७-४८ तक पानी के ४५० पम्प (ट्यूब वेल्) खोद गये थे। हर घंटे में ३० हजार गैलन पानी निकालने वाले १०० पम्प और लगाने की योजना है। इन पम्पों से ३८६ गांवों में पानी के साथ पानी का प्रबन्ध भी हो जायगा। जब गांवों को अधिक बिजली मिलाने लगेंगी तो भिन्न-भिन्न जिलों में ६५० ऐसे ही नए पम्प लगाने की योजना है। योजनाओं के सम्पूर्ण होने पर प्रांत की खेती-बाड़ी का ३६.६ प्रतिशत भाग सिंचाई की योजनाओं के प्रभाव में आ जायगा।

विजली पैदा करने की योजनाएं

इस समय प्रांत में कुल १,५३,७०० किलोवाट विजली बनती है। प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार विजली की पैदावार ७,७८,००० किलोवाट तक बढ़ाई जायगी। यह योजना पांच वर्षों में पूरी होगी। उन प्रदेशों के नाम जहां बाँध बाँधे जाएंगे व विजली पैदा की जायगी, अथवा पैदा हो रही विजली का उत्पादन बढ़ाया जायगा—यह हैं :

(१) रुड़की के पास मुहम्मदपुर फाल्स पावर स्टेशन (२) हट्टु आगंज पावर स्टेशन (३) सोहवाल पावर स्टेशन (४) रकतिमा पावर हाऊस (५) शारदा हाइडल ट्रांसमिशन योजना (६) गंगा हाइडल ग्रिड स्टैज एक से सम्बन्धित योजना।

इनके अलावा निम्न बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में सरकारी स्वीकृति मिल चुकी है :

(१) पिपरी (रिहंद) बाँध। मिर्जापुर जिले में। ४० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। २०० मील के क्षेत्र में विजली पहुँचेगी। आरम्भ होने से ६ वर्ष के अन्दर बन पायगा।

(२) यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना। यमुना और टोंस दरियाओं के ७५० फुट पानी के झरने से विजली पैदा की जायगी।

(३) बटपा पावर योजना। नैनी दरिया पर पिप्राई में, जो कि बुंदेलखंड में है, विजली बनाने का पहला प्रयास है।

पथरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम, गोगरा पावर, रामगंगा पर बाँध, कोठरी बाँध और पिन्डार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट की योजनाएं विचाराधीन हैं।

सड़कें

सरकारी नीति प्रान्तीय यातायात के राष्ट्रीयकरण कर लेने की है। इस समय सरकार तीन सड़कों पर अपनी बसें चला रही है। ८ दूसरी सड़कों पर चलाने की योजना है।

इस समय प्रान्त में सड़कों की लम्बाई का ब्योरा इस प्रकार है :

१०४४ मील — पक्की सड़कें

२३,६८४ मील—कच्ची सड़कें

एक दश वर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार ६५६६ मील लम्बी नई पक्की सड़कें, ३००० मील सीमेंट व बजरी की सड़कें, ४१४३ मील लम्बी कच्ची सड़कों की दशा में सुधार किया जायगा। इन योजनाओं पर कुल ६८.७ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा।

इस समय कानपुर, लखनऊ व अलाहाबाद में हवाई यातायात फ्लाईंग क्लबें खुली हुई हैं। १९४८-४९ में ऐसी क्लबें आगरा व बनारस में भी खोली जायेंगी।

लखनऊ, कानपुर, बनारस व अलाहाबाद के शहर अन्तर्प्रान्तीय हवाई सर्विसों के रास्ते से दिल्ली, बम्बई व कलकत्ता से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा देहरादून, मेरठ, बिजनौर, बदायूं, पन्दा, व फातहनगर में हवाई अड्डे बनाने की योजना है।

प्रान्त में उन सब बच्चों की संख्या जो स्कूलों में भरती होने की उम्र के हैं, १८ लाख है। १५ लाख ही प्राइमरी शिक्षा पा रहे हैं।

शिक्षा-प्रसार के लिए एक दश वर्षीय योजना बनाई गई है। इसके अनुसार प्रति वर्ष २२०० नए स्कूल खोलने की योजना है। लेकिन १९४७ में इससे भी अधिक (२३४०) स्कूल खोले गए। इनसे ५००० गांवों में रहने वाले बच्चों के ६६,००० बच्चे शिक्षा प्राप्त करने लगे। अब प्रति वर्ष नए खोले जाने वाले स्कूलों की संख्या ४४०० कर दी गई है। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो सारी योजना ५ वर्षों में ही पूरी हो जायगी।

प्रान्त की २७ म्यूनिसिपैलिटियों में से कुल २४ म्यूनिसिपैलिटियों में बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देना कानून के अनुसार आवश्यक था और १५ में जबरन (कम्पल्सरी) शिक्षा का कानून प्राथमिक स्तर में लागू था।

जुलाई ४८ तक तीन-चौथाई म्यूनिसिपैलिटियों में जबरन शिक्षा का कानून लागू कर दिया गया है।

शिक्षा-प्रदान के अब तक चले आए सारे ढंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देने की योजना बनाई गई है। परिवर्तन के बाद नए ढंग की जो रूप रेखा होगी वह इस प्रकार है :

(१) नर्सरी शिक्षा—३ से ६ वर्ष की आयु तक।

(२) प्राइमरी मौलिक (बेसिक) शिक्षा—६ से ११ वर्ष की आयु तक। इसमें १ से ५ वीं तक श्रेणियां लगेंगी।

(३) सीनियर मौलिक (बेसिक) कक्षा—११ से १४ वर्ष की आयु तक। इसमें ६ से ८ वीं तक श्रेणियां लगेंगी।

(४) हायर सेकंडरी कक्षा—१४ वर्ष से १८ वर्ष की आयु तक। इसमें ९ वीं और १० वीं श्रेणियां लगेंगी।

सब श्रेणियोंमें पढ़ाईका माध्यम हिन्दी होगा। हायर सेकंडरी कक्षा के चार मुख्य विभाग होंगे—(१) साहित्यिक (२) कलात्मक(३)रचनात्मक(४)वैज्ञानिक। इन विभागोंमें अपनी स्वाभाविक रुचि व प्रवृत्ति के अनुसार विद्यार्थी शिक्षा पाया करेंगे। इस पढ़ाई के बाद वे विश्व-विद्यालयों में दाखिल हो सकेंगे जहाँ उन्हें आजकल की शिक्षा नहीं मिलेगी जो उन्हें जीवन की समस्याओं के मुकाबले के लिए उपयुक्त नहीं बनाती वरन् ऐसी शिक्षा मिलेगी जिससे वह किसी व्यवसाय व उद्योग के योग्य बन सकें।

सब शिक्षालयों में फौजी तालीम प्राप्त करना लाजमी होगा।

लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष संस्थाएं खोली जा रही हैं। घरेलू शिक्षा का एक विशेष कालेज भी खोला जा रहा है जहाँ सब स्त्रियोचित शिक्षा ही दी जायगी।

सामाजिक शिक्षा

पिछले वर्ष यह फैसला किया गया कि कोई भी त्रेजुएट, जो सामाजिक शिक्षा का प्रमाण पत्र हासिल न कर ले, सरकारी नौकरी न पा सकेगा।

योजना बनाई गई है कि सब त्रेजुएटों को सर्वांगीण सामाजिक शिक्षा दी जाय; इसमें शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, स्काउटिंग, निशानाबाजी आदि बतें सिखाई जायंगी। शिक्षा का काल १० महीने होगा। नवयुवकों को जंगलों में व गांवों में जाकर जनता से हिल-मिलकर उसकी समस्याएं जाननी होंगी और उनका समाधान सोचना होगा। वह हाथ से सब काम करना सीखेंगे, कच्ची सड़कें बनायेंगे, मकान खड़ा करने की शिक्षा पायेंगे, सफाई रखना, किसान की सहायता करना आदि सीखेंगे। इन दिनों उनके रहने-सहने खाने-पीने का सब खर्च प्रान्तीय सरकार उठायेगी। ६०० युवकों के पहले दल ने फैजाबाद में सामाजिक सेवा की शिक्षा पा ली है।

सरकार ने बनारस में संस्कृत साहित्य की छानचीन का केन्द्र खोला है। लखनऊ स्थित संगीत के कालेज को विशेष आर्थिक सहायता दी जाने लगी है।

हरिजन सहायक विभाग

जनवरी ४८ में हरिजनों की सहायता के लिए एक विशेष विभाग खोल दिया गया है। इसका काम यह देखना होगा कि रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज़ ऐक्ट (१९४७) ठीक रूप में

चल रहा है, हरिजनों पर किसी किसम की ज्यादतियां न हों, उनके शिक्षा का प्रबन्ध हो, हर जिले में हरिजन सुधार के उद्देश्य से संस्थाएं बनें और हरिजनों की आर्थिक उन्नति हो। प्रान्त की धारा-सभा ने सितम्बर ४७ में रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज़ ऐक्ट पास किया था जिससे हरिजनों की सब सामाजिक असुविधाओं को गैरकानूनी ठहरा दिया गया था।

औद्योगिक विकास

बड़े पैमाने पर सीमेंट, नकली रेशम और वारीक सूत बनाने के कारखाने खोलने की योजनाएँ बनाई गई हैं।

इसके अलावा घरेलू व छोटे पैमाने की दस्तकारियों के लिए अल-हदा विभाग खोल दिया गया है। इस विभाग पर १९४७-४८ में १ करोड़ १६ लाख रुपया व्यय किया गया। यह विभाग उद्योगोंसे सम्बन्धित विशिष्ट (टेकनिकल) शिक्षा, रुपए-पैसे से मदद, उद्योगों का कच्चा सामान जुटाता और औद्योगिक छान-बीन करता है।

गंगा खादर और तराई प्रदेशों में २०,००० एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाया गया। प्रान्त को इस जमीन से २ लाख मन अनाज मिलेगा। झांसी डिवीज़न में ७००० एकड़ भूमि को भी खेती के लिए उपयुक्त बनाया गया है। इससे १० हजार मन अनाज पैदा किया जा सकेगा। प्रान्त के ७ सरकारी फार्मों में यान्त्रिक खेती-बारी शुरू की जा रही है ताकि कृषक इससे सबक लें।

६० लाख मन प्राकृतिक खाद पैदा किया जा चुका है। २५ करोड़ मन खाद पैदा करने की योजना है जो प्रान्त में अनाज की पैदावार को २० करोड़ मन बढ़ा देगा।

प्रान्त में फलों के नए बाग भी लगाए जा रहे हैं। सब्जियों, फलों व अनाजों के पौदों को क्षति पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के विशेष इन्तजाम किये जा रहे हैं।

प्रान्त में पटसन की पैदावार की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल ५००० एकड़ जमीन में इसे बीजा गया है।

कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने वाले दो नए स्कूल खोले गए हैं।

शराबबन्दी

प्रांत में देशी शराब, अफीम व गांजा के इस्ते-माल का व्योरा इस प्रकार है :

	शराब	अफीम	गांजा
१९३७-३८	४.६० लाख	गैलन १८१७५ सेर	१४६४८ सेर
१९३६-४०	२.७५ १०६०६ ..	८,१८३ ..
१९४५-४६	१०.६६ १८५६८ ..	३१,००२ ..

१९३७ में पद संभालने के बाद प्रांतीय कांग्रेसी हकूमत ने सब तरह के मादक द्रव्यों के प्रयोग पर वाधाएं लगाईं और उनके विरुद्ध प्रचार किया। १९३६-४० के आंकड़ों से इसी प्रयत्न की सफलता प्रकट होती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा १९३६ में पद-त्याग के बाद इनका प्रयोग बहुत बढ़ गया जो कि बाद के आंकड़ों से स्पष्ट है।

१९४७-४८ में इटाहा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, वदायूं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर के जिलों में शराबबन्दी की आज्ञा जारी कर दी गई। गांजे व अफीम की खरीद भी डाक्टरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर हो सकती थी। इन निषेधों से प्रांतीय खजाने को ३८.२६ लाख रुपये का नुकसान हुआ।

मंसूरी व देहरादून में शराब की दुकानें सरकारी हैं। ऐसा करने से शराब का प्रयोग काफी कम हो गया है।

१ अप्रैल १९४८ से कानपुर व उन्नाव के जिलों में भी शराबबन्दी कर दी गई है।

देशी शराब का भाव १० प्रतिशत, अफीम का भाव २०० से २४० रुपया सेर और गांजे का १६० से २४० रुपये सेर कर दिया गया है।

भाषा प्रांतीय सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा को राजभाषा घोषित किया है।

हाईकोर्ट केन्द्रीय सरकार की इजाजत से इलाहाबाद व अवध की हाई कोर्टों को मिलाकर प्रांत में एक ही हाईकोर्ट कर दी गई है।

विविध

गत वर्ष प्रांतीय को-आपरेटिव विभाग, ईख की कृषि का विकास-विभाग, मछली-विभाग, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने वाला विभाग विशेष सक्रिय रहे हैं। सरकार ने आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धतियों में सुधार-योजना का प्रस्ताव पेश करने के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की है। सरकार की ओर से एक आयुर्वेदिक व यूनानी कालेज खोला जा रहा है।

जनता के बड़े हिस्से को फौजी शिक्षा देने के प्रांतीय रक्षक दल लिए और संकटकाल में देश को भीतरी व बाहरी खतरों से बचाने के उद्देश्य से प्रांतीय रक्षक दल का संगठन हो रहा है। इस दल की सक्रिय शाखाओं के सदस्यों की संख्या २७००० और रिजर्व शाखाओं के सदस्यों की संख्या १२ लाख होगी। दल के १८०० सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें सरकार की ओर से वेतन मिलेगा।

१८ से ४५ वर्ष की उम्र के सब व्यक्ति धर्म, जाति व वर्ण के भेद-भाव के बिना दल में शामिल हो सकेंगे। सबसे छोटी इकाई, जिस में नेता सहित १२ सदस्य होंगे, प्रत्येक गांव व नगर के मुहल्ले में संगठित की जायगी। ऐसी पांच इकाइयों का एक समूह बनेगा। प्रत्येक तहसील के सदर में १२० समूह होंगे। इकाइयों के नेताओं की एक कम्पनी होगी जिसका नेता कमांडर कहा जायगा।

ऐसी ४ से ५ कम्पनियों की एक बटालियन होगी, इसका नाम जिले के नाम पर होगा।

इकाइयां व समूह रचादल के रिजर्व भाग होंगे, कम्पनियाँ व बटालियन सक्रिय शाखाएं होंगी। सक्रिय शाखाओं की सदस्यता ३ वर्ष के लिए है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में जाकर २ वर्ष काम करना पड़ेगा।

प्रत्येक तहसील में भरती के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें

सब-डिविजनल मेजिस्ट्रेट और ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे ।

सब सदस्यों को मैदान में लड़ाई वगैरह का और दफ्तरी, कागजी काम भी सिखाया जायगा । फील्ड क्रैफ्ट, गुरिल्ला वारफेयर, स्काउटिंग, नाईटआपरेशन्स, ट्रे विकिंग और डकैती व उपद्रवी भीड़ से मोर्चा लेने के तरीके, नहरों व तारों की लाइनों, रेलों के मार्ग तथा जनता की मान व धन-सम्पत्ति की रक्षा के उपाय, बन्दूकों, संगीनों व दूसरे अस्त्रों का व आटोमेटिक शस्त्रों का उपयोग—सब प्रकार की शिक्षा दी जायगी ।

सक्रिय शाखाओं के लिए प्रतिवर्ष तहसील में १५ दिन की अवधि के कैम्प लगा करेंगे ।

हमारी सेना

विभाजन और
नव-संगठन

द्वितीय महायुद्धके दौरान में हिन्दुस्तानकी फौजों के सिपाहियों की कुल संख्या २२ लाख ५० हजार तक पहुँच गई थी । युद्ध के बाद फौज की संख्या को घटाने के नीति के परिणाम स्वरूप अगस्त १९४७ के अन्त तक १६,४८,७७२ सिपाहियों को फौज से निकाला जा चुका था ।

अगस्त ४७ में देश के विभाजन के साथ साथ हिन्दुस्तान की फौज का भी विभाजन हुआ । जल, स्थल व हवाई सेना का लगभग दो-तिहाई भाग हिन्दुस्तान को प्राप्त हुआ ।

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान की फौजों के संगठन के लिए सुप्रीम कमाण्डर के हेड-क्वार्टर (दफ्तर) का संयोजन किया गया । विभाजन के वक्त हेडक्वार्टर्स के दफ्तरों के लिए केवल १५३ अफसर व १६३ सैप

व्यक्ति थे। १९४८ के अन्त में यह संख्या ६८६ अफसर व ४२०२ श्रेय व्यक्तियों तक पहुँच गई। फील्ड मार्शल सर क्लाड आकिनलेक सुप्रीम कमाण्डर बनाए गए। फौजों के संगठन की नीति का निर्धारण करने के लिए 'जायन्ट डिफेन्स कौंसिल' बनाई गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि सदस्य थे। लार्ड माउन्टबेटन को इस कौंसिल का सभापति मनोनीत किया गया।

नवम्बर १९४७ के अन्त में सुप्रीम कमाण्डर के दफ्तर को तोड़ दिया गया। जायन्ट डिफेन्स कौंसिल के दफ्तर की समाप्ति १ अप्रैल १९४८ को हुई। लेकिन इस कौंसिल की अंतर्गत, जिसका नाम अब इन्टर-डोमिनियन डिफेंस सेक्रेटरीज कमेटी रखा गया कौंसिल का शेष काम सम्पूर्ण करने के लिए जारी रखी गई। यह काम समझौतों के अनुसार फौजी सामान को एक देश से दूसरे देश को भेजने का था।

फौजी सामान बनाने वाले कारखानों के बंटवारे की जगह हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया।

अंग्रेजी फौज
का प्रस्थान

कूच कर गई।

राष्ट्रीयकरण

स्वतन्त्रता-दिवस के दो दिन बाद ही अंग्रेजी फौज की टुकड़ियों ने जाना शुरू कर दिया। हिन्दुस्तान में ठहरी अंग्रेजी फौजकी आखिरी टुकड़ी २८ फरवरी १९४८ को हिन्दुस्तान से शुरू से ही हिन्दुस्तान ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। अक्तूबर १९४८ में हिन्दुस्तान की फौज में केवल ३ अंग्रेज अफसर (कमाण्डर-इन्चीफ बुचर और कलकत्ता व बम्बई के सब-परिया कमाण्डर) थे जो कि बड़े अधिकारी थे। फौज में अंग्रेज अफसरों की कुल संख्या २५० थी जिनमें ५ जनरल भी थे। यह अफसर या तो सलाह-मशवरा देने के काम पर नियुक्त थे या फौजी शिक्षक थे। १९४७ के अन्त तक इस संख्या के अधिकांश को हटा कर हिन्दुस्तानी अफसर लगा दिये गए।

विभाजन के वक्त हिन्दुस्तान की फौज में २ मेजर-जनरल और १२ ब्रिगेडियर हिन्दुस्तानी थे । १९४८ तक फौज के कुल एरिया, डिवीजन और ब्रिगेड कमाण्डर हिन्दुस्तानी ही नियुक्त किए जा चुके हैं । गोरखा फौज में ३२० हिन्दुस्तानी अफसर बनाए जा चुके हैं ।

हिन्दुस्तानके गोलाबारूद व अस्त्र-शस्त्र बनाने अस्त्रशस्त्र के कारखाने वाले कारखानों की कुल संख्या १९४८ में ६० थी ।

फौजियों की वीरता की कार्रवाहियों को सार्व-जनिक रूप में स्वीकार करने के उद्देश्य से ३ प्रकार के तमगों की घोषणा की गई है ।

(१) "परमवीर चक्र"—यह विक्टोरियाक्रास के बराबर होगा । (२) "महावीर चक्र"—डी.एस.ओ. व ऐसे ही दूसरे तमगों के बराबर । (३) "वीर चक्र"—एम.सी. व इण्डियन डिफेंस सर्विमिज़ मेडल के बराबर ।

केन्द्रीय धारासभा में भाषण करते हुए रक्षा "नैशनल कैडेट कोर" मंत्री सरदार बलदेव सिंह ने १५ मार्च १९४७ को 'नैशनल कैडेट कोर'की स्थापना की योजना देश के सामने प्रस्तुत की । इस सेना में स्कूलों व कालेजों के २ लाख के लगभग नवयुव भरती किए जाएंगे । इसके दो भाग होंगे, सीनियर डिवीज़न, जिसकी सदस्य संख्या ३२,५०० होगी, और जूनियर डिवीज़न जिसकी संख्या १,३५,००० होगी । इसके अलावा लड़कियों की १ डिवीज़न अलग भरती की जायगी ।

विद्यार्थियों के लिए इस 'कोर' में भरती होना लाज़मी नहीं होगा । 'कोर' में शिक्षा पाए युवकों के लिए बाद में फौजी सेना भी अनिवार्य नहीं रखी गई है ।

इस 'कोर' के अलावा भारत सरकार देश में 'नैशनल टैरिंटोरियल फोर्स' (जिसकी संख्या १,३०,००० होगी) के आयोजन को भी

सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर चुकी है। इसके सम्बन्ध में विस्तृत योजना विचाराधीन है।

३ अक्तूबर १९४८ को अपने जन्म दिवस के पटेल को घोषणा उत्सव पर नई दिल्ली में भाषण करते हुए सरदार पटेल ने बताया कि हिन्दुस्तान ने अपनी फौजों की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया है। विभाजन के पहले सरकार की इच्छा थी कि फौजों की संख्या में कमी की जाए लेकिन देश व संसार के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा है।

इस नई नीतिके परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तान अपनी जल,स्थल व हवाई सेनाओं के तीनों हिस्सों का संवर्धन कर रहा है। सेना में वृद्धि जल सेना के लिए इंग्लैंड से 'एकिलीज़' नाम का जङ्गी जहाज खरीदा गया। अब इसका नाम 'दिल्ली' रखा गया है। इसके अलावा कुछ 'डिस्ट्रायर' (रॉडर हैम, रिडाउट, रेडर) भी खरीदे गए हैं। हिन्दुस्तान के हवाई वेड़े के लिए नई-नई किस्मों के लड़ाकू व दूसरे जहाज खरीदे गए हैं। जो जहाज सरकार के डिस्पोज़ल विभाग को विक्री के लिये दे दिये गए थे, उनकी दुबारा छानबीन करके सैंकड़ों जहाजों को फिर से काम लाया जा रहा है। प्रारम्भिक परीक्षण के लिए वेस्पायर किस्म के ३ जेट-जहाज भी हिन्दुस्तान के हवाई वेड़े के लिए खरीदे गए हैं।

हिन्दुस्तान के हवाई वेड़े के चालकों को शिक्षा पाने के लिए अमरीका भेजा जा रहा है। 'दिल्ली' नाम के जङ्गी जहाज पर काम करने वाले जल सेना के सिपाहियों ने इंग्लैंड में जाकर विशिष्ट शिक्षा पाई।

हिन्दुस्तान में फौजों की भरती भी चालू है। देश की जनता व फौज को परस्पर करीब लाने के उद्देश्य से जहां-तहां फौजी मैलों का आयोजन किया जाता है।

मुख्यतया भारत की सेना पर ही १५ अगस्त
 फौज की सराहनीय १९४७ के बाद भारत की राजनीति को शान्त
 सफलताएं और संतुलित रखने का उत्तरदायित्व रहा है।
 हमारी सेना ने अपने कर्तव्यों को बहुत शान
 से निभाया है। सर्वप्रथम उत्तरदायित्व शरणार्थियों को पाकिस्तान से
 निकालने के सम्बन्ध में सेना पर पड़ा। इसके तुरन्त बाद ही सेना को
 काश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों के मुकाबले में डटना पड़ा। जिन
 सिपाहियों ने कभी पहाड़ भी नहीं देखे थे, वह अब १० और १५ हजार
 फुट की बर्फीली ऊंचाइयों पर लड़ने लगे। इसके साथ ही हमारी फौज
 को काठियावाड़ के तटीय क्षेत्रों पर जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में मिल
 जाने की घोषणा के बाद, सतर्क खड़े रहना पड़ा। देश की दंगाग्रस्त
 स्थिति को सुधारने में फौज ने निष्पत्त होकर सरकार का हाथ बंटया।
 इसके बाद हैदराबाद के जहर को काटने का बड़ा काम फौज ने सम्पन्न
 किया।

आज़ाद हिन्दुस्तान की फौज ने देश की आजादी की जिस तरीके
 और संलग्नता से रक्षा की है, समूचा देश उसके लिए आभारी है।
 आजादी के दिन से अब तक हमारी फौज के सिपाही आराम की एक
 सांस भी लिए बिना विभिन्न मोर्चों पर डटे रहे हैं।

दैनिक इतिहास

अगस्त १९४७

१५. १४ और १५ अगस्त की बीच की रात के १२ बजे शंख-
 घोष और "महात्मा गांधी की जय" के नारों के बीच
 विधान-परिषद् ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता घोषित की।

सदस्यों ने और प्रान्तों में गवर्नरों ने, आज़ाद हिन्दुस्तान के प्रति शपथें उठाईं ।

अविभाजित हिन्दुस्तान के ११०० सिविल सर्विस के अफसरों में से ४५० नए आज़ाद हिन्दुस्तान में कार्य करेंगे । कलकत्ता में आजादी के दिन हिन्दू और मुसलमानों में एकता के विशेष प्रदर्शन हुए । महात्मा गांधी शहर के एक मुसलमान हलके में रह रहे हैं ।

१७. सीमा-कमीशनो ने पंजाब, बंगाल व आसाम के विभाजन की घोषणा की । पंजाब की दंगाग्रस्त दशा पर विचार करने के लिए हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों व दूसरे प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन अम्बाला में हुआ ।
२०. नई दिल्ली में विधान-परिषद् का सम्मेलन शुरू हुआ ।
२१. भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में निश्चित साम्प्रदायिक अनुपात की नीति को खत्म कर दिया ।
२२. अर्थमन्त्री पण्डित मुखर्जी ने घोषणा की है कि डालर की कमी के संकट का मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तान इंग्लैंड का साथ देना ।
२४. दिल्ली से साम्प्रदायिक झगड़े होने की खबरें आनी शुरू हुईं ।
२७. आज विधान-परिषद् ने सब सम्प्रदायों के सांके चुनावों के सिद्धांत (जाइंट इलेक्टरेट) को स्वीकार कर लिया ।
३१. विधान-परिषद् का सम्मेलन समाप्त हुआ ।

सितम्बर ४७

१. कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगों के एक बार फिर शुरू होने पर महात्मा गांधी ने उपवास आरम्भ कर दिया । यह व्रत कलकत्ता में शांति लौटने पर ही टूटेगा ।

३. निश्चय हुआ है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के दंगाग्रस्त प्रदेशों से अल्प-संख्यकों को निकालने के लिए नया फौजी संगठन स्थापित किया जाय।
४. ७३ घण्टे व्रत रखने के बाद महात्मा गांधी ने आज व्रत खोल दिया। कलकत्ता में शान्ति है।
पूर्वी पंजाब में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार ने १० लाख रुपए स्वीकार किए।
६. भारत सरकार ने पुनर्निवास विभाग की स्थापना की है और श्री के० सी० नियोगी इस विभाग के मन्त्री नियुक्त किये गए हैं।
७. महात्मा गांधी ने कलकत्ता से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।
८. महात्मा गांधी दिल्ली पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि शहर प्राणहीन है। गांधीजी को विरला-भवन में ठहराया गया।
१३. गांधी जी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि शान्ति स्थापना के लिए सरकार में विश्वास का होना जरूरी है। लोग यदि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो व्यवस्था नहीं, अराजकता ही फैलेगी।
पुराने किले के मुसलमान शरणार्थियों को महात्मा गांधी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं स्थिति को सुधाहंगा, अथवा इस प्रयास में प्राण दे दूंगा।
१४. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि विधि व व्यवस्था को भंग करने का मतलब राष्ट्र द्वारा आत्मघात होगा। जनता को यह उचित नहीं है कि ऐसी कार्रवाईयों से सरकार को धोखा दे।
१५. गांधीजी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह सरकार पर विश्वास करें और दिखाएँ हुए अस्त्र-शस्त्र लौटा दें। मैं तो

हिन्दू सिख व मुसलमानों द्वारा गृह-त्याग की बात को सोच भी नहीं सकता। यह गलत है। पाकिस्तान द्वारा की गई गलती का प्रतिशोध हिन्दुस्तान में इस गलती को न दुहरा कर ही सम्भव है।

१६. महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लगभग ५०० स्वयं सेवकों के सामने भंगी-कालोनी में भाषण किया। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म ने दुनिया के सब धर्मों की अच्छाईयां अपनाई हैं। यदि हम सोचेंगे कि हिन्दुस्तान में केवल हिन्दू ही बस सकते हैं अथवा अन्य धर्मावलम्बियों को उनका दास बनकर रहना होगा तो हम हिन्दू धर्म की हत्या करेंगे। यही बात पाकिस्तान के लिए है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दुस्तानके टुकड़े हुए लेकिन यदि एक टुकड़ा बुराईमें पड़ता है तो क्या दूसरे टुकड़े को भी उसकी नकल करना आवश्यक है। आज हिन्दुस्तान के राष्ट्र का जहाज अशान्त लहरों में से गुजर रहा है। यदि हिन्दुओं की अधिक संख्या गलत दिशा की ओर ही जाना चाहती है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता लेकिन उन्हें चेतावनी देने का हक प्रत्येक व्यक्ति को है। ऐसा ही आज वह कर रहे हैं।

संघ के एक स्वयं सेवक ने उनसे पूछा कि हिन्दू धर्म आततायी की हिंसा की इजाजत देता है अथवा नहीं। गांधी जी ने उत्तर दिया कि देता भी है और नहीं भी। एक आततायी स्वयं ही दूसरे आततायी को दंड देने का अधिकारी नहीं।

१७. किशनगंज (दिल्ली) में भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा कि भाई-भाई में लड़ाई द्वारा हिन्दुस्तान की बरबादी देखने के लिए वह जीवित नहीं रहना चाहते।

उन्होंने कहा कि जनतन्त्रों में व्यक्ति की इच्छा समाज की इच्छा से अनुशासित रहती है और समाज की इस इच्छा

का दूसरा नाम होता है—हकूमत । यदि हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले ले तो हकूमत मिट जाती है । हमारे देश में इसका अर्थ होगा स्वतन्त्रता की समाप्ति ।

१८. गांधीजी ने कहा है कि वह पाकिस्तान जाकर मुसलमानों को बतायेंगे कि की गई गलतियों को सुधारना उनका कर्तव्य है । लेकिन वह तभी सफल हो सकेंगे जब कि पहले दिल्ली की स्थिति पूर्णतया सुधर जाय ।

१९. कांग्रेस प्रधान द्वारा मनोनीत एक समितिने, जिसमें कि सब प्रान्त-पति व मंत्री सदस्य हैं, यह सुझाव रखा है कि देश में समाजवादी लोकराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस को काम जारी रखना चाहिए ।

२०. हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस ने निश्चय किया है कि दोनों देश अल्प-संख्यकों को पूर्ण आशवासन देंगे । शान्ति स्थापित करने की भरसक कोशिशें की जायेंगी । गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि दोनों उपनिवेशों से अल्प-संख्यकों को निकाल देने का मतलब युद्ध और बरवादी होगी ।

आज कुछ मुसलमानों ने गांधीजी को अवैध अस्त्र सौंप दिए ।

२१. नई दिल्ली में एक प्रेस-कान्फ्रेंस के सामने वक्तव्य देते हुए नवानगर के जाम साहब ने कहा कि पाकिस्तान से मिलकर काठियावाड़ में जूनागढ़ उत्पात की जड़ रख रहा है । जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलने की घोषणा कर चुका है, हिन्दू जनता वहां से भाग रही है । भारत सरकार को चाहिए कि काठियावाड़ की रियासतों की सहायता करें ।

२२. कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक गिरला-हाऊस में गांधी जी के कमरे में हुई । कार्यकारिणी के विचार में दोनों उपनिवेशों की

जनता का अपने घर छोड़कर दूसरे उपनिवेशों में चले जाना ठीक नहीं है।

गांधीजी ने कहा है कि पश्चिमी पंजाब जाने के उनके कार्यक्रम में दिल्ली की परिस्थिति बाधा बन रही है।

२४. कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार अल्प संख्या नागरिकों के शहरी अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानती है।

२५. भारत सरकार ने एक वक्तव्य में कहा है कि जनता की राय लिये बिना जूनागढ़ का पाकिस्तान से मिल जाना भविष्य में संघर्ष का कारण बन सकता है। सरकार ने जूनागढ़ की जनता का मत जानने का सुझाव रखा है।

२२ सितम्बर को बनी जूनागढ़ की अस्थायी सत्कार के प्रति जिसके नेता श्री समलदास गांधी हैं, काठियावाड़ की कुछ रियासतों ने राजभक्ति व्यक्त की।

३०. गृहमन्त्री सरदार पटेल ने अमृतसर में भारी भीड़ के सामने भाषण देते हुए कहा कि बदले की अनियन्त्रित भावना को अब तोड़ना ही चाहिए। आपने अपील की कि पाकिस्तान को जा रहे मुसलमान शरणार्थियों पर प्रहार न किये जायं।

पं० नेहरू ने किशनगंज (दिल्ली) में मजदूरों के सामने भाषण देते हुए कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली में रूगड़ा फिसाद फैलाया है उन्होंने देश को उतनी ही क्षति पहुंचाई है जितनी कि पहले मुस्लिम लीगी पहुंचाते रहे हैं।

अक्टूबर १९४७

१. गांधीजीने प्रार्थना सभामें भाषण देते हुए कहा कि जिन लोगोंको देश का दुश्मन समझा जाता है उनसे व्यक्तिगत बदले लेकर हन्दुस्तान की जनता अपनी बरबादी पर खुद ही तुल गई है।

अरक्षित अल्पसंख्यकों पर हमले कायरता की बात है और रुक जाने चाहिए।

२. आज देश-भर में गांधीजी का ७८ वां जन्म दिन मनाया गया।

३. रामजस कालेज में कांग्रेसी व विद्यार्थी कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य लोकराज की स्थापना करना है। इसमें फ्रांसिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। देश का भविष्य तभी उज्ज्वल रहेगा जब तक यहां की सरकार का किसी धर्म विशेष से लगाव व पक्षपात नहीं होगा।

४. हिन्दुस्तान की जल, स्थल व आकाश को कुछ फौजी दुकदियां पोरबन्दर (काठियावाड़) पहुँची ताकि काठियावाड़ की रियासतों को उचित मात्रा में रक्षा का आश्वासन हो।

५. हिन्दू सरकार ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलने को अस्वीकार कर दिया है। उसने फिर मांग की है कि जूनागढ़ में इस प्रश्न पर जनमत लिया जाय।

७. पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने हिन्दू सरकार को लिखा है कि पूर्वी पंजाब व दूसरे प्रदेशों के मुसलमान शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है।

१४. युक्तप्रांत की सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी भाषा को प्रांत की राजभाषा घोषित किया है।

गांधी जी ने इस बात पर शोक प्रकट किया है। कि युक्तप्रांत में हिन्दी को राजभाषा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमानों से उचित व्यवहार करना है तो उर्दू का भी मान होना चाहिए।

आज पूना में महाराष्ट्र के वयोवृद्ध नेता एन० सी० केकर का देहान्त होगया।

१६. लखनऊ में भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा कि जो लोग व संस्थाएं देश में दंगा-फसाद फैलाती हैं वे देश की दुश्मन हैं। इससे देश की रक्षा-शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। मिस्टर नोविकोव हिन्दुस्तान में रूस के राजदूत नियुक्त किये गए।
२१. आज़ाद-हिन्द-फौज के जनरल मोहन सिंह ने अमृतसर में देश-सेवक सेना की स्थापना की।
२३. हिन्दुस्तान ने यह फैसला किया है कि दैनिक आवश्यकता के सामानों को काश्मीर पहुंचाने के लिए दिल्ली से श्रीनगर को हवाई जहाज़ भेजे जायं। मैसूर में नई सरकार ने मंत्री-पद संभाल लिए।
२५. सशस्त्र कवायलियों के काश्मीर में घुसने व हमला करने की खबरें आई हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल स्थिति पर विचार कर रहा है।
२६. कवायली आक्रमणकारी श्रीनगर से केवल ३० मील की दूरी पर रह गए हैं। शेख अब्दुल्ला और रियासत के मन्त्री श्रीनगर से दिल्ली पहुँचे और केन्द्रीय सरकार से काश्मीर के लिए सहायता मांगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल काश्मीर की स्थितिके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाय, इस पर विचार कर रहा है। जम्मू व काश्मीर की रियासत के राजा ने हिन्दुस्तान से मिलने की घोषणा कर दी है। इस फैसले पर रियासत में शान्ति स्थापित होजाने पर जनता का मत भी लिया जायगा। शेख अब्दुल्ला रियासत में अन्तःकालीन सरकार बना रहे हैं। हवाईजहाज़ों द्वारा हिन्दुस्तानी फौजें श्रीनगर भेज दी गई हैं। शेख अब्दुल्ला ने एक वक्तव्य में कहा है कि शत्रुओं के विरुद्ध लड़ना हर काश्मीरी का पहला कर्तव्य है।

२६. मद्रास में ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर देने की शर्तों की घोषणा कर दी गई है ।
२६. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में कहा कि काश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार की दृष्टिकोण व सक्रियता ठीक है । काश्मीर का बचाव हिन्दू-मुसलमान एकता का एक नमूना है ।
३१. सरदार पटेल का ७१ वां जन्म-दिवस मनाया गया । पाकिस्तान ने काश्मीर के हिन्दुस्तान से मिलने को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है । शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की अन्तःकालीन सरकार के प्रधान मंत्री पद की शपथ ली ।

नवम्बर १९४७

१. हिन्दुस्तानी फौजों ने मंगरोल और बबरियावाड़ (काठियावाड़) पर कब्जा कर लिया है । अर्थ-मंत्री डाक्टर गोपीचन्द भार्गव ने पूर्वी पंजाब का पहला वजट प्रांतीय धारा-सभा में पेश किया ।
२. सरकार ने घोषणा की है कि १५ नवम्बर को ४० करोड़ रुपए का १५ सालाना नया कर्जा लिया जायगा जिसके व्याज की दर डेढ़ प्रतिशत होगी ।
४. वारामूलामें कवायली हमलावरोंके अत्याचार की खबर आई है। हमारी फौजों ने पट्टन को शत्रुओं से खाली करवा लिया है । बडगाम से कवायलियों को निकाल दिया गया है । फौजी स्थिति को समझने के लिए सरदार पटेल और सरदार बलदेवसिंह श्रीनगर गये ।
६. एक वक्तव्यमें गृहमन्त्री सरदार पटेलने कहा कि मुसलमान राज-भक्त नागरिकों को हिन्दुस्तानमें रक्षाका पूरा आश्वासन मिलेगा लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं उन्हें

रोंका नहीं जायगा ।

८. हिन्दुस्तानी फौजों ने बारामूला पर अधिकार कर लिया है । दिल्ली में हो रही एशियन रिजनल कान्फ्रेंस का अधिवेशन समाप्त हो गया ।
९. भारत सरकार ने जूनागढ़ का शासन अपने हाथों में ले लिया है । रियासत के दीवान सुट्टो द्वारा जूनागढ़ के नवाब का पत्र पाकर यह कार्रवाई की गई है ।
१०. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिन्दुस्तानके स्थानापन्न गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली । श्री राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल बनने पर पश्चिमी बंगाल के गवर्नर का पद श्री बी० एल० मित्र ने संभाला । गांधी जी ने पानीपत का दौरा किया ।
११. श्रीनगर में भाषण देते हुए पं० नेहरूने हिन्दुस्तान का काश्मीर के प्रति दोस्ती का वायदा दुहराया और सब तरह की सहायता का आश्वासन दिया । सहायता की मांग पर हिन्दुस्तानी फौजें त्रिपुरा रियासत में पहुंच गई हैं, ताकि यह रियासत पड़ोसी पाकिस्तानी प्रदेशों से अनधिकार प्रवेश करने वालों से सुरक्षित रहे ।
१२. पं० नेहरू ने बारामूला में भाषण देते हुए कहा कि हमलावरों को काश्मीर से बिल्कुल निकाल दिया जायगा । हिन्दुस्तानी फौजों ने काश्मीरमें महुरा पर कब्जा कर लिया है ।
१३. रेडियो पर कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों के नाम भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि वे इस बात की भरसक कोशिश करेंगे कि सब हिन्दू, सिख व मुसलमान शरणार्थी इज्जत व सुरक्षा के भावों के साथ अपने-अपने घरों को लौट जायं ।
१४. पंडित नेहरू का २६ वां जन्म-दिन मनाया गया । भारतीय फौजों ने उरी पर अधिकार कर लिया है ।

१४. इंडिया हाऊस लंडन में पं० नेहरू के चित्र का उद्घाटन करते हुए लार्ड माउंट बेटन ने कहा कि पिछले दशकों ने देश के कुल ३ प्रतिशत हिस्से को प्रभावित किया जब कि ९७ प्रतिशत भाग शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रहा है।
१५. नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन शुरू हुआ। प्रधान आचार्य कृपलानी ने स्तीफा दे दिया है क्योंकि वर्तमान सरकार और कांग्रेस के प्रधान में क्या सम्बन्ध व सम्पर्क रहे, इसकी कोई निर्धारित नीति नहीं है।
१६. एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस समिति ने देशी नरेशों से अपील की है कि वे रियासतों का शासन लोकराज के उसूलों पर चलाएं। समिति ने साम्प्रदायिक संस्थाओं और व्यक्तिगत सेनाओं के अस्तित्व पर भी विरोध प्रकट किया है।
१७. राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के नए प्रधान चुने गए हैं। कांग्रेस समिति ने सरकारी नियन्त्रणों के शीघ्र हटाए जाने का सुझाव पेश किया है।
- केन्द्रीय धारा-सभा के रूप में विधान परिषद् का पहला अधिवेशन शुरू हुआ। श्री मालवकर धारा सभा के प्रधान चुने गए।
२०. केन्द्रीय धारा-सभा में आजाद भारत का पहला रेलवे वजट यातायात मन्त्री डाक्टर जान मथाई ने पेश किया। रेलवे की सब श्रेणियों के किराए बढ़ा दिये गए हैं।
२१. अर्थ मन्त्री पण्मुखम् चेट्टी ने धारा-सभा में इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन बिल, जिससे हिन्दुस्तान के विविध उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी; पेश किया।
२५. लार्ड माउंट बेटन हिन्दुस्तान लौट आए।
२६. धारा-सभा में अर्थ मन्त्री पण्मुखम् चेट्टी ने पहला अल्प-कालीन वजट पेश किया जो १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९४८ तक के लिए है।

हिन्दुस्तानी फौजों ने कोटली पर कब्जा कर लिया है।

भारत सरकार ने फैसला किया है कि चीनी पर से नियन्त्रण उठा लिया जाय। तारीख की घोषणा बाद में होगी।

२७. भारत सरकार ने नैशनल कौन्सिल ऑफ़ की योजना स्वीकार कर ली है। इसके अनुसार विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों को फौजी शिक्षा दी जायगी।

२८. अलवर के प्रजा-मण्डल ने महाराज द्वारा प्रस्तावित सुधार योजना को रद्द कर दिया।

निज़ाम हैदराबाद ने एक वर्ष के लिए यथापूर्व समझौते (स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट) पर दस्तखत कर दिए हैं। रक्षा, यातायात व विदेशी मामलों में हैदराबाद की स्थिति दूसरी रियासतों की-सी होगी लेकिन वह विधान-परिषद् में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगा।

२९. हैदराबाद में भीर लायक अली ने नया अन्तःकालीन मन्त्रिमण्डल बनाया।

३०. नवाब भोपाल ने रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा की। वयस्क मतार्थकार के सिद्धांत पर विधान-परिषद् के चुनाव होंगे। धर्मभेद पर अलग-अलग चुनाव की पद्धति समाप्त कर दी गई है। नवाब द्वारा स्वीकृति पाने पर ही विधान-परिषद् के निर्णय लागू हो सकेंगे।

दिसम्बर १९४७

४. पंडित नेहरू ने केन्द्रीय धारा-सभा में भारत की विदेशिक नीति की विवेचना की। उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान दुनिया की परस्पर-विरोधी ताकतों में से किसी से भी गुटबन्दी नहीं करेगा।

५. गांधीजी ने प्रार्थना सभा में कहा कि उन्हें आशा है कि कपड़े और अनाज पर से नियन्त्रण शीघ्र उठा लिया जायगा।

६. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि वह तब तक चैन से न बैठेंगे जब तक कि सभी हिन्दू, सिख और मुसलमान शरणार्थी अपने घरों को नहीं लौट जाते।
७. महाराजा वीकानेर ने रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा की। अन्तःकालीन मन्त्रिमण्डल में ४ लोकप्रिय मन्त्री होंगे। दो वर्ष बाद प्रजा को उत्तरदायी शासन सौंपा जायगा।
८. जालन्धर में भाई परमानन्द, हिन्दुओं के प्रमुख साम्प्रदायिक नेता, की मृत्यु हो गई।
९. गृहमंत्री सरदार पटेल ने केन्द्रीय धारा-सभा में बताया कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ने जो-जो झगड़े समझौता समिति के सामने पेश किए थे वे समिति के बाहर ही निपटा लिये गए हैं। अब झगड़ों के मामले वापिस ले लिये जायेंगे।
१०. खाद्य-मन्त्री राजेन्द्र बाबू ने खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी नीति की घोषणा की। नियन्त्रण धीरे-धीरे हटाया जायगा। केन्द्र में अनाज के भण्डार जमा किये जायेंगे, प्रांतों और रियासतों को अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी।
पूर्वी पंजाब में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना सम्बन्धी कानून को गवर्नर की स्वीकृति मिल गई है।
श्री चिमनलाल सीतलवाड़ की बम्बई में मृत्यु हो गई। आप प्रमुख उदार दलीय नेताओं में से एक थे।
११. सरदार पटेल ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में हुए अर्थ समझौते के सम्बन्ध में धारा-सभा में घोषणा की। रिज़र्व बैंक की ४०० करोड़ की बाकी में से पाकिस्तान को ७५ करोड़ मिलेगा। अविभाजित भारत के ऋण के १७½ प्रतिशत भाग के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार होगा। पाकिस्तान ५० किराँतों में

हिन्दुस्तान का ऋण चुकाएगा—किश्त की पहली अदायगी १५ अगस्त १९५१ में होगी। गोला बारूद बनाने के सब कारखाने हिन्दुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान को एवज में ६ करोड़ रुपया मिलेगा। यह रकम भी ऋण में जमा होगी।

केन्द्रीय धारासभा का पहला अधिवेशन खत्म हो गया। २१ बैठकें हुईं। सरकारी बिलों में से २३ पास किये गए, ५ सिलेक्ट कमेटियों को भेजे गए और १ को जनता का मत जानने के लिए प्रचारित किया गया। धारासभा के कुल सदस्य २६१ हैं। अधिवेशनों में १२६ से १७४ तक सदस्य प्रतिदिन आते रहे।

१३. पं० नेहरू ने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उत्सव पर भाषण देते हुए कहा कि हमारा इरादा एक ऐसा मजबूत, स्वतन्त्र और जनतन्त्री हिन्दुस्तान बनानेका है जहां प्रत्येक नागरिकको बराबर का स्थान और उन्नति व सेवा का पूरा अवसर मिले, जहां आज की धन और मानकी विषमताएं मिट चुकी होंगी, जहां कि हमारी मौलिक प्रेरणाएं सृजनात्मक प्रयासों में रत रहेंगी।

१४. हैदराबाद में स्वतन्त्रता-आन्दोलन का सूत्रपात करते हुए स्वामी रामानन्द तीर्थ ने कहा कि रियासत के फासिस्ट शासन को तोड़ देना चाहिए।

१५. ऐसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्सके वार्षिक अधिवेशनमें भाषण करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था का मूल जनता की बेहतरी है। शहरों व गाँवों की आर्थिक व्यवस्था की बेहतरी के उद्देश्य से पूंजीवाद व समाजवाद में संतुलन रखने की कोशिश की जायगी।

उद्योग मन्त्री मुकर्जी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रीज कान्फ्रेंस को प्रारम्भ किया। इस सभा में सब प्रान्तों, रियासतों, व्यापार व मजदूर-हितों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

१६. उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की रियासतों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को क्रमशः उड़ीसा व मध्यप्रांत के अन्तर्गत कर देने के निश्चय की घोषणा की है।
१८. दिल्ली में हो रही इन्डस्ट्रीज़ कांफ्रेंस ने देश के हित का ख्याल रखते हुए पूंजीपतियों व मजदूरों में श्रौचांगिक क्षेत्र में ३ वर्ष शान्ति रखने का प्रस्ताव पास किया।
२१. हिन्दुस्तान में रूस के पहले राजदूत एम० नाविकोव हवाई जहाज से दिल्ली पहुँचे।
२२. रक्षा-मंत्री सरदार बलदेवसिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में वक्तव्य देते हुए कहा कि १ अप्रैल १९४८ तक हिन्दुस्तानी फौज का राष्ट्रीयकरण हो चुकेगा। केवल २०० से ३०० तक अंग्रेज अफसर, मुख्यतया सलाहकारों की हैसियत में बाकी रह जायेंगे।
- राजेन्द्र बाबू ने कांग्रेस के प्रधान का पद संभाल लिया।
- श्री के०एन० मुन्शी हैदराबाद में हिन्दुस्तान के दूत नियत किये गए।
- हैदराबाद ने अपनी सीमा में हिन्दुस्तानी रुपये की मुद्रा के चलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
२५. गांधोजी ने काश्मीर का मामला किसी विदेश को सौंपने के विषय में अस्वीकृति प्रदर्शित की है।
२६. अलागढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइसचान्सेलर डानटर ज़ियाउद्दीन अहमद की मृत्यु हो गई।
३०. हिन्दुस्तान की सरकार ने काश्मीर के मामले को यू० एन० ओ० (राष्ट्र संघ) में भेजने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पर अभियोग लगाया गया है कि वह हिन्दुस्तान के विरुद्ध अशान्ति युद्ध चला रहा है। इस अनियोग की सूचना मिट्टेन के प्रधान मंत्री को दे दी गई है।

३६. हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि परस्पर फ़ैसले के अनुसार जो २५ करोड़ रुपए की रकम पाकिस्तान के हिस्से में आई थी हिन्दुस्तान की हिदायतों के अनुसार रिज़र्व बैंक वह रकम अब उसे नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के विरुद्ध काश्मीर में लड़ाई कर रहा है।

कांग्रेस का प्रधान पद संभाल लेनेके बाद राजेन्द्र बाबू ने केन्द्रीय मंत्रि-मंडल से स्तोफा दे दिया। बिहार के गवर्नर श्री जयराम-दास दौलतराम ने खाद्य-मंत्री का स्थान ले लिया है। श्री अण्णै बिहार के नए गवर्नर बने।

जनवरी १९४८

२. पंडित नेहरू ने नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ़्रेंस के सामने वक्तव्य देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कवायली हमला वरों ने पाकिस्तान में जो अड्डे बनाए हुए हैं हिन्दुस्तान उन पर भी हमला कर सकता है।

२. राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान के स्थायी दूत डाक्टर पी० पी० पिल्लड ने पाकिस्तान के विरुद्ध काश्मीर पर हमला करने वालोंकी सहायता का अभियोग सुरक्षा समिति में पेश कर दिया।

४. आज वर्मा ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतन्त्रता पाई। गांधीजी ने अपनी प्रार्थना-सभा में कहा कि काश्मीर को हमलावरों से मुक्त कराना हिन्दुस्तान का कर्तव्य है। लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध का अर्थ होगा कि दोनों देश किसी विदेशी सत्ता के प्रभाव में आ लायें।

५. काश्मीर सम्बन्धी मामला पेश होने पर सुरक्षा समितिमें भारत का प्रतिनिधित्व यह लोग करेंगे: श्री गोपालास्वामी आर्यंगार, श्री एम० सी० सीतलवादी, कर्नल वी० के० कौल, श्री पी० एन० रत्नर।

६. सरदार पटेल ने लखनऊ में एक बड़ी भीड़ के सामने बोलते हुए कहा कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान से शान्ति चाहता है लेकिन यदि पाकिस्तान लड़ाई ही लेना चाहता है तो हिन्दुस्तान उस के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चार महीनों से पंजाब में गन्दगी धो रहे हैं। हमें यदि अब गंदगी धोनी पड़ी तो फिर लाहौर और स्यालकोट में जाकर धोएंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विषय में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग शासन में हैं उन्हें चाहिए कि संघियों से दूसरा ही व्यवहार करें और अपनी ताकत और 'आडिंनैसों' पर निर्भर न रहें। "आखिर वह स्वार्थमय उद्देश्यों से तो काम नहीं कर रहे हैं"—उन्होंने कहा—“कांग्रेसियों का यह कर्तव्य है कि उन्हें जीते, न कि यह कि उन्हें दवाएं।” (हिन्दुस्तान टाइम्स)

दक्षिण की १६ रियासतों ने बम्बई के अन्तर्गत हो जाना स्वीकार कर लिया है।

निजाम हैदराबाद ने पाकिस्तान को २५ करोड़ रुपए का कर्जा दिया है।

७. घोषणा की गई है कि शेख अब्दुल्ला भी हिन्दुस्तान की ओर से राष्ट्र-संघ में पेश होंगे।

८. कराची में बड़े पैमाने पर हिन्दुओं की दुकानों व सम्पत्ति लूटी गई।

कराची के अर्थ मन्त्री गुलाम मुहम्मद ने कहा कि हिन्दुस्तान द्वारा २५ करोड़ रुपए की रकम को रोकना "राजनैतिक दंगे-वाजी" के समान है, आर्थिक समझौते में काश्मीर का विक्रम तक भी नहीं था।

गांधीजी ने प्रार्थना सभा में कहा कि उनसे पूछा जाता है कि वह अपने कहे अनुसार पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा

कि वहां जाने से पहले हिन्दुस्तान की परिस्थिति पूर्णतया ठीक होनी चाहिए ।

१०. पटियाला नरेश ने अपने जन्मोत्सव पर रियासत में राजनैतिक सुधारों की घोषणा की । धर्म भेद पर अलहदा-अलहदा चुनाव पद्धति हटा दी गई है और हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त होगा । धारा-सभा में कम-से-कम ७५ प्रतिशत लोग चुनाव से आर्थगे । यह धारा-सभा जनवरी १९४६ तक स्थापित होगी । हिन्दुस्तान के स्टर्लिंग पावने के विषय में आज नई दिल्ली में बातचीत शुरू हुई ।

१२. नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में गृह मन्त्री सरदार पटेल और अर्थ मंत्री चेट्टी ने घोषणा की कि आर्थिक और काश्मीर सम्बन्धी समस्याएँ एक साथ चलेंगे । यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान लड़े भी और हिन्दुस्तान से पैसा भी पाता जाय । काश्मीर महाराजा ने रियासत में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । शेख अब्दुल्ला प्रधान मन्त्री का पद संभालेंगे ।

गुजरात में हिन्दुओं व सिखों की एक शरणार्थी गाड़ी पर हमला किया गया । १००० से भी अधिक पीड़ित हताहत हुए । सैकड़ों औरतें भगाई गईं ।

१३. आज नई दिल्ली में मंगलवारको ११ बजकर १२ मिनट पर गांधी जी ने हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमानों में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से व्रत शुरू कर दिया । यह व्रत तब टूटेगा जब कि दिल्ली के मुसलमान अपने को सुरक्षित समझने लगेंगे ।

गांधीजी का अमूल्य जीवन बचाने के लिए दिल्ली में शान्ति

स्थापना का आन्दोलन चल उठा है। कहीं शरणार्थियों और कांग्रेस स्वयं-सेवकों में झड़पें भी हुईं।

देश-भर के नेताओं ने गांधीजी का जीवन बचाने के लिए जनता से अपील की है। अपील में कहा गया है कि निरपराध मुसलमानों को जनता देश का नगरिक समझे।

१५. पाकिस्तान के प्रति अपना सद्देश्य प्रकट करने के लिए हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपए देनेकी घोषणा की और आशा प्रकट की कि दोनों देशों में सगड़े की जो भी बातें व कारण शोष हैं वह श्रव मिट जायेंगे।

पं० नेहरू ने रामलीला मैदान में भाषण देते हुए कहा कि गांधी जी इस युग की सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। उन का व्रत हमें चेतावनी देता है कि हम इस रास्ते से चूक गए हैं। पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गांधीजी की जीवन-रक्षा की दुहाई के नाम पर शांति स्थापित करने की अपीलें हो रही हैं। दिल्ली में शान्ति स्थापना के उद्देश्य से जलूस निकले। गृहमंत्री पटेल भावनगर पहुँचे। भावनगर के नरेश ने रियासत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की घोषणा की।

१७. गांधीजी के व्रत का पांचवां दिन। गांधीजी ने दिल्ली में शांति स्थापना की सात शर्तें रखीं जिनके पूरे होने का आश्वासन पाने पर ही वह व्रत तोड़ सकते हैं। वह हैं खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की कब्र पर मुसलमानों को उर्स लगाने की सुविधाएँ हों, मस्जिदें खाली कर दी जाएँ, मुसलमानों को दिल्ली के सब गली कूचों में अभय होकर घूम सकने का आश्वासन हो, गांधियों में बह सुरक्षित हों, उनका आर्थिक असहयोग न हो, वह नैर-मुसलमानों को अपने बीच बसाने या न बसाने में आजाद हों और जो मुसलमान दिल्ली से चले गए हैं उन्हें दिल्ली लौट आने की स्वतन्त्रता हो।

१८. व्रत के दस दिनों दिल्ली के नागरिकों के प्रतिनिधियों ने गांधीजी को विश्वास दिलाया कि वह उनकी सातों शतों के पूरे किये जाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। एक शान्ति-विषयक समिति बनाई गई है।

गांधी जी ने उपवास खोल दिया।

काठियावाड़ की रियासतों ने 'सौराष्ट्र' नाम का रियासती संघ बनाने का निश्चय किया है।

२०. गांधीजी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन वहां तभी जा सकते हैं जब कि पाकिस्तान की सरकार को यह विश्वास हो कि वह केवल शान्ति के इच्छुक हैं और मुसलमानों के प्रति मित्र भाव रखते हैं।

गांधीजी की प्रार्थना-सभा में मदन लाल नाम के एक युवक ने बम फेंका। गांधीजी व प्रार्थना-सभा के शेष लोग किंचिद् भी विचलित नहीं हुए।

राष्ट्र-संघ ने काश्मीर की गुल्थी सुलझाने के लिए तीन सदस्यों का एक कमीशन बनाने का निश्चय किया है। हिन्दुस्तान, और पाकिस्तान दोनों एक-एक सदस्य मनोनीत करेंगे—तीसरा सदस्य ऐसा होगा जिसे दोनों देशों की स्वीकृति प्राप्त हो जाए।

२१. गांधीजी ने प्रार्थना सभा में कहा कि हिन्दू धर्म की रक्षा उनके बताए हुए रास्ते से ही सम्भव है। जिस व्यक्ति ने बम फेंका है उस पर तरस खाना चाहिए।

ग्वालियर नरेश ने रियासत में लोकप्रिय अन्तःकालीन सरकार बनाने के निश्चय की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में नरेश व कांग्रेसी प्रतिनिधियों में समझौता हो गया है।

२३. काठियावाड़ के नरेश ने 'सौराष्ट्र' नाम की रियासती-इकाई बनाने के फैसले पर दस्तखत कर दिए।

२४. प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने "नैशनल रिलीफ फण्ड" शुरू किया।

२६. हैदराबाद की अन्तःकालीन सरकारसे कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री जी. रामाचारी ने त्यागपत्र दे दिया ।
२७. महारौली के पास ख्वाजा बख्तियार का उर्स मनाया गया । गांधी जी उसे देखने गए ।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा मनोनीत आर्थिक कार्यक्रम समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस प्रधान के सामने प्रस्तुत कर दी है ।
२०. आज शुक्रवार शाम को जब गांधीजी प्रार्थना-सभा की ओर जा रहे थे, एक मरहठे ब्राह्मण ने पिस्तौल से तीन गोलियां चला कर उनकी हत्या कर दी । हाथ जोड़ कर जैसे क्षमा दान देते हुए, मुख से 'हे राम हे राम' दुहरा कर, अनन्त शान्तिधारण किये हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए और उनकी भौतिक लीला समाप्त हुई ।
हत्यारा ब्राह्मण पकड़ लिया गया। उसका नाम नाथूराम विनायक गोडसे है ।
२१. विश्व-वन्द्य बापू की हत्या के समाचार ने समस्त संसार को आन्दोलित कर दिया है । देश-विदेश की आम जनता अपने को असहाय जानकर दुःख मना रही है ।
भौतिक शरीर का दाह कर्म जमुना नदी के किनारे राजघाट पर हुआ ।
लाखों लोगों ने शान्ति, सत्य और न्याय के युग-अवतार को श्रद्धांजलि भेंट की ।
राष्ट्र-संघ में लहरा रहे भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सब कूड़े तीन दिन के लिए भुका दिये गए ।
गांधीजी के निधन पर दुनिया के शोक का एक समूचा—

फ्रांस के समाजवादी नेता लीओ व्लुम ने अपने दल के पत्र "ला पापुलेयर" में "ब्रह्मांड रो रहा है" नाम के शीर्षक से एक सन्पादकीय लेख लिखा है— "मैंने गांधी को कभी नहीं देखा। मैं उसकी बोली नहीं समझता। मैंने कभी उसके देश में पैर नहीं रखा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसा दुःख मना रहा हूँ जैसे मैंने अपना कोई बहुत प्यारा और निकट का ही व्यक्ति खो दिया हो।"

इस अनोखे व्यक्ति की मृत्यु पर सारा संसार शोकग्रस्त है। देश के कई शहरों में जनता ने हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले किए।

फरवरी १९४८

१. दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू महासभा से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के घरों पर जनता ने हमले किए। गृहमन्त्री सरदार पटेल ने एक वक्तव्य में उन "गुनराह" व्यक्तियों की भर्त्सना की है जिन्होंने संघियों व सभाइयों पर बम्बई, कोल्हापुर व दिल्ली में हमले करके "गुंडागर्दी" का प्रदर्शन किया है। देश के कोने-कोने से गांधीजी की हत्या के शोक समाचार से दुःखित और क्रोध व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु के समाचार आ रहे हैं। जगह-जगह हिन्दू सभा की शाखाएं टूट रही हैं। गांधीजी का अन्तिम लेख 'हरिजन' में छपा है। "कांग्रेस ने राजनैतिक आजादी तो प्राप्त करली है परन्तु अभी आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी व नैतिक आजादी प्राप्त करना बाकी है। इन स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति राजनैतिक स्वतन्त्रता से अधिक कठिन है, क्योंकि यह अधिक रचनात्मक, कम सनसनीखेज और कम प्रदर्शनीय है"।

२. हिन्दुस्तान की सरकार ने दो प्रस्ताव पास करके आज्ञा दी है

कि किसी भी संस्था को जो राजनीति में साम्प्रदायिकता अथवा हिंसा का प्रचार करती हो, सहन नहीं किया जायगा। व्यक्तिगत फौजें तोड़ दी जायेंगी।

केन्द्रीय धारा सभा ने वापू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारत के बड़े-बड़े औद्योगिकों ने कांग्रेस के आर्थिक कार्यक्रम के प्रति विरोध प्रदर्शित किया है।

४.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। गृह विभाग (गृहमंत्री : पटेल) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि "संघ के सदस्य अवांछनीय और खतरनाक कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। यह भी देखा गया है कि देशके कई हिस्सोंमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कितने ही सदस्य आग लगाने, लूट, डाकाजनी और हत्या के जघन्य कार्य करते रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर अस्त्र-शस्त्र इकट्ठा करते रहे हैं।" केन्द्रीय धारा सभा में गृह मन्त्री पटेल ने कहा कि उनके और पं० नेहरू के बीच मतभेद की जो कहानियां प्रचलित हो रही हैं उनमें जरा भी तथ्य नहीं है।

५.

संघ व सभा के बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गए हैं। इनमें सभा के प्रधान सावरकर भी हैं।

कांग्रेस कार्यकारिणी ने निश्चय किया है कि गांधी स्मृति फंड इकट्ठा किया जाय। सब देशवासी दस-दस दिन की अपनी आय इस फंड में चन्दे के रूप में दें।

६.

राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले पर शेख मुहम्मद अब्दुला का भाषण हुआ।

७.

महाराजा अलवर को और रियासत के प्रधान मंत्री टाक्टर एन० वी० खरे को रियासत से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। रियासत पर आरोप है कि वहां संघ की कार्रवाइयों को नरेश की सहायता प्राप्त थी।

८. केन्द्रीय सरकार ने मुस्लिम लीग नैशनल गार्ड्स और खाकसारों की संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया है।
नौशेरा में हिन्दुस्तानी फौज ने त्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में महान् विजय पाई। २००० से ऊपर कवायली मारे गए।
नेपाल में वैधानिक सुधारों की घोषणा की गई है।
१०. लंका ने उपनिवेश पद पाया।
११. गांधीजी की अस्थियां लेकर एक स्पेशल गाड़ी दिल्ली से अलाहाबाद गई।
१२. हिन्दुस्तान अथवा पाकिस्तान से मिलने के प्रश्न पर जूनागढ़ में मतगणना शुरू हुई।
हिमालय से कन्याकुमारी तक गांधीजी की अस्थियां देश की प्रत्येक पवित्र नदी, तालाब, झील व संगम में प्रवाहित की गईं।
केन्द्रीय धारा सभा ने दामोदर वैली कारपोरेशन बिल पर बहस की।
१५. सौराष्ट्र संघ का आरम्भ गृह-मंत्री पटेल के हाथों हुआ।
हिन्दू महासभा ने नई दिल्ली के अधिवेशन में फैसला किया कि वह अब राजनैतिक कार्रवाहियों में भाग नहीं लेगी।
१६. केन्द्रीय धारा सभा में यातायात मन्त्री श्री मथाई ने रेलवे बजट पेश किया।
१७. धारा सभा में पं नेहरू ने सरकार की औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण किया।
१८. काठियावाड़ की कुछ रियासतों की मत गणना का परिणाम आज सुना दिया गया। ३१३६५ मत हिन्दुस्तान के पक्ष में और ३६ पाकिस्तान के पक्ष में आए।
२१. नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन शुरू हुआ। समिति ने जनतन्त्री राज्य की स्थापना का समर्थन

किया ।

२२. कांग्रेस समिति ने कांग्रेस का नया विधान स्वीकार कर लिया ।
२४. जूनागढ़ की मत गणना का परिणाम आज सुनाया गया । हिन्दु-स्तान के पक्ष में मतों की संख्या १६०, ७७६ । पाकिस्तान के पक्ष में ६१ ।
२५. भारतीय विधान का मसविदा आज प्रकाशित हुआ । युक्त प्रांत की धारा सभा में अवध व अलाहाबाद की हाईकोर्टों को एक करने का बिल पास हो गया ।
२६. ग्वालियर और इन्दौर की रियासतों ने मध्य भारत (मालवा) संघ में मिलना स्वीकार कर लिया है ।
२८. केन्द्रीय धारा सभा में अर्थ मन्त्री चेट्टी ने बजट पेश किया । मत्स्य संघ बनाने का फैसला हुआ । इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल होंगे ।
२६. पटियाला की प्रजा ने महाराजा द्वारा प्रस्तावित सुधार योजना को रद्द कर दिया ।

मार्च १९४८

४. हिन्दू महासभा के प्रमुख कार्यकर्ता डाक्टर वी० एस० नूँजे का नासिक में देहांत हो गया ।
५. काश्मीर में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो गई । मद्रास में कम्यूनिस्ट पार्टी गैर कानूनी घोषित कर दी गई ।
७. कलकत्ता में कम्यूनिस्ट पार्टी की कांग्रेस ने पार्टी का नया मन्त्री चुना—श्री वी० टी० रानादिव ।
८. धारा सभा में विदेशिक नीति पर चोलते हुए पं० नेहरू ने कहा कि भारत दुनिया की किसी भी गठबन्दी में शामिल नहीं होगा ।
- पंजाब की पहाड़ी रियासतों की हिमाचल प्रदेश के नाम में एक

रियासती इकाई बना ली गई है जिस पर केन्द्रीय सरकार का शासन रहेगा ।

६. जस्टिस राजाध्यक्ष ने रेलवे में मजदूरों के झगड़ों पर अपना फैसला प्रकाशित कर दिया ।

अलवर महाराज को अपनी रियासत में लौटने की इजाजत मिल गई ।

हैदराबाद के इत्तहादुल्मुसलमीन के नेता रजवी ने कहा कि रियासत में कोई मतगणना नहीं होगी । हमें लोकराज में कोई विश्वास नहीं है ।

१०. मद्रास में मुस्लिम लीग कौंसिल का एक अधिवेशन हुआ जिस में फैसला किया गया कि लीग एक अराजनैतिक संस्था के रूप में हिन्दुस्तान में बनी रहेगी ।

पंजाब धारा सभा के अकाली सदस्य कांग्रेस-दल में मिल गए ।

१२. बुन्देलखण्ड व बघेलखण्ड की रियासतों ने, जिनमें रेवा भी शामिल है, मिलकर एक रियासती संघ बना लेने का फैसला किया है ।

१४. हिन्दुस्तान में बना पहला जहाज 'जल उषा' पं० नेहरू द्वारा जलाविष्ट हुआ ।

वर्धा में गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन शुरू हुआ । सर्वोदय समाज की स्थापना की गई ।

१८. पूर्वी पंजाब की धारा सभा की सिख पंथिक पार्टी तोड़ दी गई है और सदस्यों ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

हिन्दुस्तान की फौजों ने भंगर पर कब्जा कर लिया है ।

२०. जमीयत उल्लेखाने फैसला किया है कि अब वह संस्था राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी । इसने मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की है ।

गुजरात की १५ रियासतों ने बम्बई से मिल जाने का निश्चय किया है।

हिन्दुस्तान से आसाम को मिलाने वाली नई सड़क खोल दी गई है।

समाजवादियों ने नासिक में हो रहे सम्मेलन में फौसला किया है कि समाजवादी दल के सब सदस्य १५ अप्रैल तक कांग्रेस की सदस्यता से स्तीफा दे देंगे।

२४. त्रावनकोर में लोकप्रिय अन्तःकालीन सरकार बनी।

२६. पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी को गैर—कानूनी घोषित कर दिया गया है। राजस्थान रियासती संघ का उद्घाटन श्री एन० वी० गौडगिल के हाथों हुआ। ६ रियासतें इस संघ में मिली हैं।

२७. पंचों ने पूर्वो व पश्चिमी पंजाब के विभाजन सम्बन्धित २३ ऋगड़ों का फौसला सुना दिया है। पंजाब के विभाजन में पूर्वी पंजाब का हिस्सा ४० प्रतिशत रखा गया है।

अखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेंस ने पटना अधिवेशन में फौसला किया है कि अब वह देश की राजनीति में भाग नहीं लेगी।

२६. "नैशनल कैडेट कोर" के संगठन के उद्देश्य से रक्षा मन्त्री सरदार बलदेवसिंह जी ने केन्द्रीय धारा सभा में एक बिल पेश किया।

समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने पं० नेहरू की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन किया।

३१. नई दिल्ली में पं० नेहरू ने सेनाधियों के जन-प्रदर्शन का (टैंक का) उद्घाटन किया।

निज़ाम सरकार ने पाकिस्तान से प्रार्थना की है कि जब तक हिन्दुस्तान से यथापूर्व समझौते की अवधि समाप्त नहीं हो

जाती वह कर्जे की सिक्कुरिटियां न भुनाए । पाकिस्तान ने ऐसा करना मान लिया है ।

अप्रैल १९४८

१. उदयपुर ने राजपूताना के रियासती संघ में मिलना स्वीकार कर लिया ।
२. कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई । ११७ गिरफ्तारियां हुईं ।
३. हिन्दुस्तान की राजनीति में साम्प्रदायिकता को अवैध ठहराने का गैर सरकारी प्रस्ताव केन्द्रीय धारा सभा में पास हो गया ।
४. श्री गैडगिल ने विन्ध्या-प्रदेश रियासती संघ का उद्घाटन किया । रेवा के नरेश राजप्रमुख बने हैं ।
५. आसाम में हाईकोर्ट की स्थापना हुई ।
मिस्टर भावा ने व्यापार मन्त्री के पद से स्तीफा दे दिया । अब यह पद श्री गैडगिल संभालेंगे ।
अर्थ मन्त्री द्वारा प्रस्तुत एस्टेट ड्यूटी सम्बन्धी बिल विशिष्ट कमेटी को सौंप दिया गया है । कई सदस्यों ने इसकी समालोचना करते हुए कहा कि हिन्दू परिवार पद्धति के लिए यह घातक सिद्ध होगा ।
६. केन्द्रीय धारा सभा का अधिवेशन खत्म हो गया । हिन्दू कोड बिल एक विशिष्ट समिति (सिलेक्ट कमेटी) को सौंप दिया गया है ।
कलकत्ता में सरकारी दफ्तरों की हड़ताल समाप्त हो रही है ।
११. बड़ौदा नरेश ने रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा की । पं० नेहरू ने उड़ीसा में महानदी पर हीराकुड बांध की नींव रखी ।
१२. हिन्दुस्तानी फौजों ने जम्मू प्रांत में राजौरी पर कब्जा कर लिया । डाक्टर अम्बेदकर ने प्रस्ताव रखा कि हिन्दुस्तान के नाम के

आगे रिपब्लिक की जगह "स्टेट" शब्द का प्रयोग हो। यह परिवर्तन हिन्दुस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य के सम्बन्धों की तरफ इशारा करता है।

१३. पं० नेहरू ने भुवनेश्वर में उड़ीसा की नई राजधानी की नींव रखी।
२०. हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्र संघ में काश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया और हिन्दुस्तान की ओर से उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
२१. मध्य भारत में ग्वालियर, इन्दौर व २० दूसरी रियासतों ने मिलकर मध्य भारत संघ बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।
२२. राष्ट्र संघ ने काश्मीर के प्रश्न पर अपना प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अनुसार एक कमीशन हिन्दुस्तान भेजा जायगा जो कि काश्मीर के प्रश्न की मौका पर जांच पड़ताल करेगा।
२५. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसमें कांग्रेस का नया विधान स्वीकृत किया गया।
२७. हैदराबादी पुलिस, फौज और रजाकारों द्वारा हिन्दुस्तानी सीमा पर हमला की खबरें प्रतिदिन आ रही हैं। हिन्दुस्तान की खाल स्थिति पर विचार करने के लिए सब प्रांतों व रियासतों के प्रधान-मन्त्रियों व खाल मन्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ।
२८. हैदराबाद की धारा सभा में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री लायक अली ने कहा कि निजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। महाराजा अलवर को संघ की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने के अभियोग में निरपराध पाया गया है। प्रधान मन्त्री दायर खरे के विरुद्ध जांच जारी है।

३०. भोपाल रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा हुई है।

मई १९४८

- १, हिन्दुस्तान के सभी मजदूर केन्द्रों से मई दिवस मनाने के समाचार आए हैं।
- २, विश्वविद्यालयों में कौनसी भाषा शिक्षा का माध्यम बने इस विषय पर विचार करने के लिए जो समिति बनी थी, उसने निर्णय किया है कि अभी ५ वर्ष अंग्रेजी ही माध्यम रहे, उसके बाद प्रादेशिक भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनें।
- ३, लार्ड माउंटबैटन की जगह, जो २१ जून को गवर्नर जनरल का पद छोड़ रहे हैं, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नये गवर्नर जनरल का पद संभालेंगे। यह घोषणा ब्रिटिश सम्राट् की ओर से की गई है।
केन्द्रीय मजदूर मन्त्री द्वारा बुलाया गया प्रान्तों व रियासतों के मजदूर मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हुआ। एक समिति बनाई गई है जो इस बात का निश्चय करेगी कि मिल मालिक व मजदूरों में किस अनुपात से मुनाफ़ा बांटा जाय।
- ५, पटियाला व पूर्वी पंजाब की रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने के समझौते पर दस्तखत हो गए।
- ६, बंगाल में मंत्रिमंडल का पुनर्संगठन हुआ और डाक्टर विधान-चन्द्र राय प्रधान मंत्री बने।
सौराष्ट्र, विन्ध्याप्रदेश, मत्स्य संघ व राजस्थान के राजप्रमुखों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। राजप्रमुखों ने भारत की केन्द्रीय सरकार को अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने के विस्तृत अधि-कार देने के समझौते पत्र पर दस्तखत किए।

मेजर जनरल कुलवन्त सिंह ने आर्मि हेडक्वार्टर्स, इंडिया, का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पद संभाला। जम्मू व काश्मीर

में फौजों के संचालन का भार मेजर जनरल थिमथ्या ने संभाला है।

७. राष्ट्र संघ में काश्मीर-कमीशन के सदस्यों का फैसला हो गया। यह देश सदस्य नियुक्त किये गए हैं : अर्जेन्टाइना, कोलम्बिया वेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और अमेरिका।
१०. आसाम के प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है कि सब प्रान्तीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा।
११. भंगर के इलाके में कवायली हमलावरों को भारी हानि हुई। श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि सुरक्षा समिति कोई भी ऐसा निर्णय, जिसे वह पसन्द नहीं करते, उन पर ठोस नहीं सकती।
१५. युक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों में २१५२ में से कांग्रेस ने १८६६, समाजवादियों ने ६१, स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने ११७ सीटें जीत ली हैं। ७५ सीटों के परिणाम की घोषणा अभी शेष है।
१६. राजेन्द्र बाबू ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मिस्टर कालिम रज़वी ने घोषणा की कि हैदराबाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती।
२१. खाद्यान्न नीति समिति (फूड पालिसी कमेटी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वक्त के उत्पादन के अनुसार हिन्दुस्तान को प्रतिवर्ष १ करोड़ टन ज्यादा अनाज चाहिए।
२२. हिन्दुस्तान की सरकार ने घोषणा की है कि सरकार ३५ करोड़ रुपये का एक नया कर्ज उठा रही है जिसके व्याज का दर २ प्रतिशत होगा और जो १५ नवम्बर, १९६२ को चुकाया जायगा।

२३. दिल्ली के लाल किले में स्पेशल मजिस्ट्रेट आत्माचरण की अदालत में गांधीजी की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ। ६ व्यक्तियों पर हत्या व षड्यन्त्र का मुकदमा चलेगा। कुछ षड्यन्त्री फरार भी घोषित किये गए हैं।
२८. पं० नेहरू ने मध्य-भारत-संघ का उद्घाटन किया।
३१. निजाम हैदराबाद ने पं० नेहरू को रियासत में आने का निमन्त्रण दिया था। पं० नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। हिन्दुस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश के मजदूरों की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि संस्था है और यही संस्था १७ जून को हो रही इन्टर-नेशनल लेबर कांग्रेस में हिन्दुस्तानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेगी।

जून १९४८

१. जटाकमंड में एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक कमीशन के तीसरे सम्मेलन को शुरू करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि एशिया के देशों को विदेशी पूंजी और उद्योगों से सहायता तो मिलनी चाहिए लेकिन एशिया के देश विदेशी आधिपत्य को अब नहीं सह सकते। भारत सरकार ने वैज्ञानिक खोज का एक नया विभाग शुरू किया है।
२. हिन्द की फौज उरी-दोमेल सड़क पर १४ मील आगे बढ़ी।
६. केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग ने एक समिति बनाई है जो देश में मनोविज्ञान की एक केन्द्रीय संस्था बनाने की योजना प्रस्तुत करेगी। श्री मोहनलाल सक्सेना शरणार्थियों को फिर से बसाने के विभाग के नए केन्द्रीय मन्त्री बनाए गए हैं।

६. नई दिल्ली की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हैदराबाद से हो रही सब बातचीत टूट गई है। हिन्द की फौजों को आज्ञा दी गई है कि हिन्द की सीमाओं में जहाँ कहीं राजाकार हमले करें, रियासती सीमा में घुस कर भी उनका पीछा किया जाय। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में आवश्यक चीजों के लेने देने पर समझौते को घोषणा हुई है।
१०. पूर्वी पंजाब की सरकार का पुनर्निर्माण हुआ है। चौ० लहरी-सिंह और स० ईश्वरसिंह मसैल मन्त्रीपद से अलग कर दिये गए हैं और कृष्ण गोपालदत्त और ज्ञानी कर्तारसिंह को नया मंत्री बनाया गया है।
११. एशिया और सुदूर पूर्व की आर्थिक कमीशन के सामने भाषण देते हुए रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि विदेशों से आर्थिक सहायता लेने में राजनैतिक पराधीनता का खतरा बना रहता है। एशिया के देश इससे बच कर चलें।
१५. समझौते के मसविदे पर अन्तिम निर्णय करने के लिए निजाम ने १२ घंटे का समय मांगा है।
१६. निजाम ने भारत द्वारा प्रस्तावित समझौते के मसविदे का रद्द कर दिया है। विधान परिषद् के प्रधान ने भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की छानबीन करने के लिए एक योजना-मिति बनाई है।
१७. नई दिल्ली की एक प्रोस कान्फ्रेंस में पं० नेहरू ने कहा है कि समझौते की जो शर्तें हिन्दुस्तान ने हैदराबाद को पेश की थीं उनमें परिवर्तन करने को हिन्दुस्तान तैयार नहीं है। हैदराबाद की फौजी नाकाबन्दी मजबूत कर दी जायगी। पं० नेहरू ने कहा कि जरूरी है कि रियासत की मध्यस्थता-परिस्थिति में सुधार किया जाय।

१८. सर वी० रामाराव को अमरीका में हिन्दुस्तान का राजदूत नियत किया गया है ।
२१. लार्ड माउण्टबेटन ने जो कि हिन्दुस्तान के अन्तिम विदेशी गवर्नर जनरल थे, आज अपना पद छोड़ दिया । श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल का पद सँभाला । डाक्टर केलाशनाथ काटजू पश्चिमी बङ्गाल के गवर्नर बने और उड़ीसा में श्री आसफ़ अली ने गवर्नर का पद सँभाला ।
- शत्रु द्वारा पुंछ के ७ महीनों से घिरे हुए प्रदेश से हिन्दू की फौज का सम्बन्ध फिर स्थापित हो गया है ।
- घोषणा हुई है कि इस वर्ष कांग्रेस की सदस्य संख्या १ करोड़ ५ लाख है । १९४६ में ५५ लाख लोग कांग्रेस के सदस्य थे ।
२४. पण्डित नेहरू ने लखनऊ में भाषण देते हुए कहा है कि अब निजाम से कोई बातचीत नहीं की जायगी और वक्त पर फौजी कार्रवाई ही की जायगी ।
- पण्डित नेहरू ने लखनऊ में भाषण देते हुए समाजवादियों की नकारात्मक नीति और तरीकों की आलोचना की । आपने कहा कि समाजवादी अपनी शक्तियाँ रचनात्मक कार्यों की ओर लगाएँ ।
२५. हिन्दुस्तान की फौजें टीटवाल और चकोठी के आस-पास बढ़ रही हैं । दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचा है ।
- हिन्दुस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं । नवम्बर ४७ से अब तक थोक दामों में २२ प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है ।
२६. देहरादून से एक वक्तव्य में गृहमन्त्री सरदार पटेल ने कहा है कि इस वक्त कांग्रेस को कमजोर करने का मतलब देश को तबाह करना है । समाजवादी कोई रचनात्मक टीका-टिप्पणी नहीं करते ।

रिज़र्व बैंक ने हैदराबाद में हिन्दुस्तानी मुद्रा के विनिमय पर रोक लगा दी है।

३०. गुरेज़ और बाग पर हिन्दुस्तानी फौजों का कब्जा हो गया है।
मालूम हुआ है कि फौजी सामान से भरे ६ हवाई जहाज़ बाहर से हैदराबाद पहुँचे हैं।

लगभग सारी गुरेज की घाटी को दुश्मन से खाली करा लिया गया है।

युक्त-प्रान्त की धारा-सभा में समाजवादियों के स्तीफे से जो १३ सीटें खाली हो गई थीं उनके लिए फिर से जो चुनाव हुए, प्रायः सभी सीटों में कांग्रेसी उम्मीदवार जीत गए हैं। हारे हुए नेताओं में आचार्य नरेन्द्रदेव भी हैं।

जुलाई १९४८

१. निजाम हैदराबाद द्वारा युद्ध की तय्यारियों में बाधा डालने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान की सरकार ने एक आर्डिनेन्स द्वारा उन सिक्कूरिटियों की विक्री व लेन-देन पर रोक लगा दी है जो हैदराबाद व निजाम के नाम पर हैं।

डेकन एयरवेज़ कम्पनी का, जिसके हवाई जहाज मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली की राह पर उड़ान करते हैं, लाइसेन्स ज़ब्त कर लिया गया है।

२. हिन्दुस्तान ने हिन्द की मुद्रा का हैदराबाद में जाना रोक दिया है। आसाम में शिलांग और गोहाटी दोनों स्थानों पर रेडियो स्टेशन खुल गए हैं।

३. भारत के अर्थ मन्त्री इंग्लैंड में स्टलिन पावना के विषय में जो समझौता कर रहे हैं उसका मसविदा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया है।

४. त्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान काश्मीर की लड़ाई में शहीद हुए। युक्त-प्रान्त की प्रांतीय कांग्रेस के प्रधान के पद के लिए बाद

पुरुषोत्तमदास टण्डन चुने गए। विरोधी रफी अहमद किदवई ने नाम वापिस ले लिया।

५. त्रिगेडियर उस्मान की लाश को पूरी फौजी इज्जत के साथ जमुना के किनारे, डाक्टर अन्सारी की कब्र के साथ दफनाया गया।

बम्बई में साम्प्रदायिक दङ्गा होने की खबर आई है।

पाकिस्तान के अर्थमन्त्री ने इंग्लैंड में बयान देते हुए लार्ड माउण्टबेटन पर यह अभियोग लगाया कि अगस्त १९४७ में सिखों की नर-संहार करने की तैयारियों व योजनाओं का उन्हें पता था। मुसलमानों के प्रतिनिधियों के कहने के बावजूद भी उन्होंने सिखों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया।

७. पं० नेहरू ने जम्मू-पठानकोट की नई सड़कका उद्घाटन किया।
८. हिन्दुस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि १३ जुलाई से पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आने वाले व्यक्ति प्रवेश पत्र लेकर हिन्दुस्तान आ सकेंगे।

८. काश्मीर कमीशन कराची पहुँच गया।

८. व्यापारिक सामान से लदा पहला हिन्दुस्तानी समुद्री जहाज "इंडियन ट्रेडर"—कलकत्ता से इंग्लैंड गया।

कामन वेल्थ रिलेशन्स आफिस ने पाकिस्तान के अर्थमन्त्री के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि लार्ड माउण्टबेटन ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर की सलाह पर ही सिखों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था।

९. हिन्दुस्तान के अर्थ मन्त्री ने स्टर्लिंग पावनाके प्रश्न पर इंग्लैंड से समझौते पर दस्तखत कर दिए।

१०. राष्ट्र-संघ का काश्मीर कमीशन दिल्ली पहुँच गया।

११. बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर एम० सी० छागला ने पूनाम इंडियन ला सोसाइटीके सामने भाषण देते हुए कहा कि

शासकों को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा के नाम पर प्रजा के अधिकारों पर कुठाराघात न हो।

१५. सरदार पटेल ने पटियाला और पूर्वी पंजाब की रियासतों के संघ का उद्घाटन किया।

स्टर्लिंग पावने की शर्तें घोषित कर दी गई हैं।

काश्मीर कमीशन ने अपील की है कि दोनों देश काश्मीर में लड़ाई रुकवाने में सहायक हों।

ब्रिटिश पार्लिमेंट में सर क्रिप्स ने मिस्टर चर्चिल को बताया कि स्टर्लिंग पावने पर हिन्दुस्तान से जो समझौता किया गया है वह इस विषय के अन्तिम और स्थायी समझौते में बाधा नहीं बन सकेगा।

१६. नागपुर में नया रेडियो स्टेशन खुला।

मि० डब्ल्यू हेम्डर्सन को हिन्दुस्तान में अमरीका का नया राजदूत मनोनीत किया गया है।

१७. सब प्रान्तीय प्रधान मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस गृहमन्त्री पटेल के सभापतित्व में दिल्ली में हुई। देश में आन्तरिक शान्ति बनाए रखने के साधनों पर विचार किया गया।

१८. रियासतों में शासन-यन्त्र का नया ढांचा तैयार करने की योजना बनाने के लिए नई दिल्ली में हो रहा राजप्रमुखों व रियासती प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हो गया।

वैज्ञानिक अनुसन्धान समिति के सामने भाषण करते हुए डॉ० नेहरू ने कहा कि शीघ्र ही हिन्दुस्तान में अणु शक्ति सम्बन्धी कमीशन बनाई जायगी।

१९. सिडनी काउन ने हिन्दुस्तान के छवाई उद्यान के निरमों का उल्लंघन करते हुए कराची से हैदराबाद तक मोपी उद्यान की।

२१. सिडनी काउन को उद्दान के विरुद्ध हिन्दुस्तान ने इंग्लैंड, कैंनेडा और आस्ट्रेलिया को विरोध-पत्र भेजे हैं।
प्रान्तीय व रियासती मन्त्रियों की जो कॉन्फ्रेंस सूती कपड़े की कीमतों व वितरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के लिए हो रही थी वह खत्म हो गई। निराय किया गया है कि हिन्दुस्तान में बनने वाले कपड़े का कुछ अंश सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों द्वारा बिका करेगा।
२२. कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री शंकर राव देव ने कहा है कि दीख पड़ता है कि हैदराबाद का प्रश्न सुलझाने के लिए हिन्दुस्तान को युद्ध का सहारा ही लेना पड़ेगा।
२३. हैदराबाद सरकार के व्यापार मन्त्री श्री जे० बी० जोशी ने रियासत में फैली अराजकता के विरुद्ध नाराजगी प्रकट करने के लिए स्तीफा दे दिया है।
२६. प्रधान मंत्री नेहरू ने मजदूरों की एक भारी सभा में हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्टों की कड़े शब्दों में निन्दा की और कहा कि एक आर्थिक सिद्धान्त के नाम पर वह कई प्रकारकी भ्रान्त कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। मैं मूल सिद्धान्त पर तो उनसे सहमत हूँ, लेकिन उस सिद्धान्त तक पहुँचने के उनके तरीके देश को नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। यदि वह शासन के विरुद्ध युद्ध ही छेड़ना चाहते हैं तो शासन भी उनसे लड़ाई करने को तैयार है।
२७. हैदराबाद के नजज गाँव में हिन्दुस्तानी फौज के एक काफ़ले पर रजाकारों ने हमला किया। हिन्दुस्तानी फौज ने इस गाँव पर अधिकार कर लिया है।
अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ के प्रधान श्री देवदास गांधी ने एक व्यक्तव्य में कहा है कि क्योंकि अब देश में संकटकालीन परिस्थिति नहीं रही, सब एमर्जेन्सी कानून वापिस ले लिए जाने चाहिए।

रिजर्व बैंक की १९४७-४८ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई ।

३०. उद्योग व रसद मन्त्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसमें बताया कि सरकार सूती कपड़े का आंशिक नियन्त्रण फिर से आरम्भ कर रही है । सब मिलों का कपड़ा रोक लिया गया है । अक्तूबर से नए दामों वाला कपड़ा बिकेगा । कपड़े का कुछ अंश सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों से बिका करेगा, शेष व्यापार के साधारण साधनों से । •

ब्रिटिश हाऊस आफ कॉमन्स में हिन्दुस्तान व हैदराबाद के सम्बन्धों पर विचार करने के लिए बहस हुई । एटली ने चर्चिल को उनकी हिन्दू विरोधी धारणाओं के लिए भला-बुरा कहा । एटली ने कहा कि ब्रिटेन न तो हैदराबाद के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है, न उसका मामला राष्ट्र संघ में पहुंचाने में सहायक होगा ।

३१. काश्मीर कमीशन के सदस्यों ने श्रीनगर में हिन्दुस्तानी फौजी अफसरों से युद्ध के विषय में बातचीत की ।

प्रान्तों और रियासतों के यातायात के मन्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में केन्द्रीय यातायात के मन्त्री के मातहत हुआ और प्रान्त में यातायात के साधनों के राष्ट्रीयकरण पर विचार हुआ । सिविल एंड मिलिटरी गजट लाहौर में छपी एक खबर के अनुसार पाकिस्तान ने काश्मीर कमीशन के सामने मान लिया है कि इसकी फौजें काश्मीर के मोर्चे पर लड़ रही हैं ।

अगस्त १९४८

२. केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के मातहत रिहायशी नकान बनाने का एक नया विभाग खोला जा रहा है ।

३. केन्द्रीय शिक्षा विभाग के मातहत भारतीय-संस्कृति-संरक्षण विभाग खोला जा रहा है । इसकी तीन शाखाएं होंगी जो (१)

कला, (२) संगीत व साहित्य और (३) नृत्य व नाट्य के परिशीलन का आयोजन करेंगी।

हिन्दुस्तानी फौजोंने हैदराबाद की सीमामें स्थित पेलसांगी स्थान पर हमला करके वहां से रजाकारों को निकाल दिया।

उड़ीसा प्रांत में २१०० बरस पुराने शिशुपालगढ़ के किले की खुदाई हो रही है।

मिस्टर निर्जा इस्माइल ने एक व्यक्तव्य में कहा है कि हैदराबाद रियासत व हिन्दुस्तान में समझौते के उद्देश्य से, निजाम की आज्ञा से वह दिल्ली आए थे। रजाकारों के दुष्प्रयत्नों से उनके समझौते के प्रयत्न विफल होगए हैं।

६. दिल्ली में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा कि वह मान जाने के बाद कि उसकी फौजें काश्मीर के मोर्चे पर लड़ रही हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय संघ के सामने मामला व्यर्थ हो गया है।

केन्द्रीय धारा सभा का दिल्ली में अधिवेशन शुरू हुआ।

१०. गृह मंत्री पटेल ने केन्द्रीय धारा सभा में हैदराबाद सम्बन्धी 'व्हाइट पेपर' रखते हुए कहा कि हैदराबाद की समस्या का हल रियासत के हिन्दुस्तान में मिलने और उसमें उत्तरदायी शासन शुरू करने से ही होगा। निजाम को समझौते के लिए अब किसी तरह की भी पक्षपातपूर्ण सुविधाएं न दी जाएंगी।

केन्द्रीय धारा सभा में ब्रिजली सम्बन्धी बिल पेश हुआ, जो इस उद्योग का काफी हद तक राष्ट्रीयकरण कर देगा।

समाजवादियों द्वारा बम्बई में बुलाई गई मजदूरों की हड़ताल विफल होगई।

हैदराबाद मंत्रिमंडल से लिंगायत जाति के प्रतिनिधि श्री मल्लिकार्जुनेप्पा ने रियासत की अराजकता से विरोध प्रकट करते हुए स्तीफा दे दिया।

सार्वदेशिक प्रतियोगिता (ओलिम्पिक मैच) में हिन्दुस्तान की हाकी टीम की विजय हुई ।

केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को लिखा है कि वे किसी साम्प्रदायिक संस्था के प्रतिनिधियों का किसी रूप में सहयोग न लें ।

अर्थ मंत्री चेट्टी ने धारा सभा में घोषणा की कि स्टलिंग पावने की रकम को घटाया नहीं जायगा ।

१५. देश में स्वतन्त्रता का प्रथम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया ।

हिन्दुस्तान और स्ट्रिजलैण्ड में दोस्ती की सन्धि पर दस्तखत हुए ।

१६. अर्थ मन्त्री चेट्टी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से स्तीफा दे दिया है ।

१७. अर्थ मंत्री के पद से स्तीफा देने के कारणों का श्री परममुखम चेट्टी ने विधान परिषद में बयान किया । मि० नियोगी को स्थानापन्न अर्थमन्त्री बनाया गया है ।

२१. पूर्वी पंजाब रियासती संघ में अस्थायी मंत्रिमण्डल बना लिया गया है। शासनके प्रधान मंत्री,सलाहकार व मुख्य लेकटरी कर्मदाः स० ग्यानसिंह राणवाला, सर जियालाल व श्री घी० आर० पटेल होंगे ।

२२. हैदराबाद में इमरोज अखबार के सम्पादक मि० शोण्डुल्ला खां की उनके हिन्दुस्तान के पक्ष के विचारों के कारण रजाकारों ने हत्या कर दी ।

लोक सेवक संघ के उद्देश्यों की व्याख्या की गई है—देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता मिले । इस समाज का संगठन अर्थ व्यवस्था के अर्थव्यवस्था के आधार पर रहेगा ।

देश में तार घरों की दशा को सुविकसित और अर्वाचीन करने की योजनाएं बनाने के लिए देशभर के तारघरों के टायरेक्टर्स का सम्मेलन श्री रफी अहमद किदवई के सभापतित्व में नई दिल्ली में हो रहा है। फैसला किया गया है कि देश के सब बड़े-बड़े नगरों को वायरलेस से सम्बंधित किया जाय, ५००० की आबादी के हर स्थान में एक तारघर हो, ३०,००० की आबादी के हर स्थान में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की जाय।

२५. बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने रियासत में तुरन्त ही उत्तर-दायी शासन आरम्भ करना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी मान लिया है कि रियासत के कोष से जो रुपया उन्होंने लिया है वह वापिस कर दिया जायगा।

अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन ने इस बात की निन्दा की कि हिन्दू कोड बिल पर विचार स्थगित कर दिया गया है।

निज़ाम के लिखे पत्र का उत्तर ब्रिटिश सम्राट ने हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल द्वारा भेजा है।

१७ सदस्यों की जो विशिष्ट समिति (सिलेक्ट कमेटी) हिन्दू कोड बिल पर विचार कर रही थी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। कोड बिल में निम्न विषयों पर कानून में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया है—विवाह और तलाक, पति पत्नी में कानूनी अलहदगी, दत्तक पुत्र, संरक्षता, सांके परिवार की सम्पत्ति, स्त्री धन, उत्तराधिकार, नर और नारी की समता, बच्चों और वृद्धों की देख-रेख।

निज़ाम हैदराबाद ने राष्ट्रसंघ के प्रधान को हिन्दुस्तान की नीति के विरुद्ध चिट्ठी लिखी है। हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि डाक्टर पी०पी० पिल्लई ने न्यूयार्क में बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद को किसी प्रकारके भी विदेशी सम्बन्ध रखनेका अधिकार नहीं है।

२६. हिन्दुस्तान के हवाई वेड़े के जहाजों ने गिलगित पर भारी बमबारी की ।

घोषणा हुई है कि विदेशों में यात्रा करने वाले हिन्दुस्तानियों के पासपोर्ट में 'ब्रिटिश प्रजा' के स्थान पर अब 'हिन्दुस्तानी' लिखा जाया करेगा ।

२८. हिन्दुस्तान में मुद्राधिक्य जनित कठिनाइयों की रोक-थाम के लिए भारत-सरकार ने देश के मान्य श्रध्दास्त्रियों और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों के विचार सुने ।

२९. देश के प्रमुख उद्योग पतियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में मुद्राधिक्य पर विचार कर रहा है ।

नागपुर में भाषण करते हुए गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने मध्य-प्रांत की जनपद-सभाओं द्वारा प्रान्तीय शासन यंत्र चलाने की योजना को 'जनतंत्र का एक महान् परीक्षण' कह कर पुकारा ।

३०. युक्त-प्रांत के गंगा व रामगंगा में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने के समाचार आ रहे हैं ।

३१. केन्द्रीय धारा-सभा में सरदार पटेल ने कहा कि हैदराबाद ने राष्ट्र-संघ में अपना मामला पेश करने की इच्छा प्रकट की है । ऐसा करना यथापूर्व समझौते का उल्लंघन है ।

केन्द्रीय धारा-सभा में हिन्दू कोड बिल पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

सितम्बर १९४८

१. केन्द्रीय धारा-सभा ने रक्षा-मन्त्री स० बलदेवसिंह का देश में एक उपसेना (टेरिटोरियल आर्मी) के संगठन से सम्बन्धित बिल पास कर दिया । इस सेना की संख्या आरम्भ में १,३०,००० होगी ।

- देश में सुद्राधिक्य की आवस्था पर देश के विभिन्न हितों द्वारा सुझाये गए प्रस्ताव भारत-सरकार ने प्रकाशित कर दिए ।
२. रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का बिल केन्द्रीय धारा-सभा में पास हो गया ।
बड़ौदा के महाराज ने प्रजा को पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन का भार सौंप दिया है ।
 ५. नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई ।
 ६. काश्मीर कमीशन द्वारा काश्मीर के मोर्चों पर युद्ध रोकने का सुझाव विफल हो गया है ।
 ७. भारत-सरकार ने काठियावाड़ और कच्छ के बीच कांडला स्थान पर बड़ा बन्दरगाह बनाने के निश्चय की घोषणा की है । केन्द्रीय धारा-सभा में पण्डित नेहरू ने बताया कि भारत-सरकार ने निज़ाम हैदराबाद को अन्तिम बार लिखा है कि वह रज़ाकार संस्था को तोड़ दें, और रियासत में शान्ति व सुरक्षा के लिए हिन्दुस्तानी फौज को सिकन्दराबाद की छावनी में लौटने दें ।
 १०. नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में पं० नेहरू ने बताया कि हिन्दू सरकार सिकन्दराबाद में हिन्दुस्तानी फौजें ठहराने का पक्का इरादा कर चुकी है । निज़ाम से सम्बन्धित सुविधाएँ न मिलने पर हमारी फौजें कूच कर देंगी । उन्होंने देश की जनता को शान्ति बनाए रखने की अपील की ।
 ११. पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मि० जिन्ना का हृदय की गति रुक जाने से कराची में देहांत हो गया ।
सिकन्दराबाद में फौजें भेजने की हिन्दुस्तान की मांग को निज़ाम हैदराबाद ने अस्वीकार कर दिया है ।
 १३. हिन्दुस्तान की फौजों ने हैदराबाद में पाँच ओर से प्रवेश किया । हिन्दुस्तानी फौजों का संचालन लेफ्टिनेण्ट जनरल

महाराज श्री राजेन्द्रसिंहजी के हाथों में है। रियासत में हिन्दुस्तान के राजदूत श्री के० एम० मुंशी को नज़रबन्द कर दिया गया है।

१४. हैदरावाद के कितने ही प्रमुख नगरों पर हिन्दुस्तानी फौजों का कब्ज़ा हो गया है।
१५. औरंगाबाद पर हिन्दुस्तान की फौजों का अधिकार हो गया है। पं० नेहरू ने बम्बई में हिन्दुस्तान की समुद्री सेना के नए जंगी जहाज 'दिल्ली' का स्वागत किया। राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान के विरुद्ध हैदरावाद की शिकायत पेश हुई। सुरवा-समिति ने ८ वोटों से इसे 'पूजेरदा' पर अङ्कित करना स्वीकार किया।
१७. निज़ाम हैदरावाद ने हथियार डाल दिये। रेडियो पर भाषण देते हुए निज़ाम ने कहा कि राष्ट्र-संघ में पेश की गई शिकायत वापिस ले ली जायगी।
१८. हैदरावाद में जनरल चौधरी के मातहत फौजी हुकूमत की स्थापना कर दी गई है। लायकशली मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को नज़रबन्द कर दिया गया है। लोगों को सब हथियार लौटाने की आज्ञा दी गई है। रेडियो पर भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा कि रियासत के भविष्य का फैसला वहाँ की जनता द्वारा किया जायगा। रज़ाकारों के नेता कासिम रज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
२०. हिन्दुस्तान में खबरों के वितरण व सञ्चालन के लिए एक हिन्दुस्तानी कम्पनी शायोजित की गई है जिससे 'रायटर्स' का एकाधिकार खत्म हो जायगा।
२२. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में डाक्टर मथाई ने स्वास्थ्य मन्त्री का पद संभाला, श्री गोपालास्वामी आचर्यगर रेलवे मन्त्री बने हैं।

- मिस्टर वी० एस० बाखले को हैदराबाद रियासत का प्रमुख नागरिक शासक बनाया गया है ।
२४. नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस के सामने भारत-सरकार की खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पर प्रकाश डालते हुए श्री जयरामदास दौलतराम ने बताया कि अनाजों की कीमतें कम की जायेंगी व धीरे-धीरे खाद्यान्नों के वितरण पर नियन्त्रण लागू किया जायगा ।
२५. राष्ट्र-संघ के पैरिस अधिवेशन में भाषण करते हुए श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतों द्वारा गुटबन्दी की निन्दा की ।
२६. हैदराबाद में पुलिस-कारवाही के दिनों देश में शांति रही, देश में इसके लिए धन्यवाद-दिवस मनाया गया ।
२७. हैदराबाद की कम्युनिस्ट पार्टी अवैध घोषित कर दी गई है ।
२८. श्री के० सन्तानम को रेलवे मन्त्री की सहायता करने के लिए मिनिस्टर आफ स्टेट बनाया गया है । यातायात मन्त्री की सहायता के लिए श्री खुर्शीदलाल डिप्टी-मिनिस्टर बने हैं ।

अक्टूबर १९४८

१. भारत सरकार ने १९५५ में भुगताए जाने वाला २६ प्रतिशत व्याज का २० करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाया ।
हिन्दुस्तान भर में 'फ्लैग डे' मनाया गया, सब जगह छोटे-छोटे झण्डे बेच कर फौजियों के लिए कोष जमा किया गया ।
२. कुल देश में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया ।
रामलीला मैदान दिल्ली में भाषण करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान को यह भय कि हिन्दुस्तान उस पर आक्रमण करेगा त्याग देना चाहिए ।
६. सरदार पटेल ने बताया है कि हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति में

- वृद्धि करने का फैसला हो चुका है। मंत्रिमण्डल में किसी तरह के मतभेद की खबरों को उन्होंने गलत कहा।
४. भारत सरकार ने देशमें मुद्राधिक्य से पैदा विपमताओं का मुकाबला करने की अपनी योजना प्रकाशित की। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों द्वारा होने वाले व्यय में कमी की जायगी। ग्रामदूनी बढ़ाई जायगी, उत्पादन वृद्धि को प्रेरणा मिलेगी, लोगों में रुपया-पैसा जोड़ने के लिए प्रचार किया जायगा।
५. पण्डित नेहरू ने लण्डन के लिए प्रस्थान किया।
६. ब्रिटिश कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के लिए पं० नेहरू लण्डन पहुँचे और मिस्टर एटली से मुलाकात की।
११. लण्डन में कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियोंका सम्मेलन शुरू हुआ। लण्डन के अखबार 'टाइम्स' ने एक सम्पादकीय लेखमें लिखा है कि इंग्लैण्ड हिन्दुस्तान से दोस्ती बनाए रखना चाहता है। यदि हिन्दुस्तान यह सम्बन्ध ब्रिटिश-ताज के माध्यम से न रखना चाहे तो कोई दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए।
१३. जम्मू और काश्मीर की नैशनल काँग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर के काश्मीर को हिन्दुस्तान में सम्मिलित होने के निश्चय को स्थायी और अन्तिम बताया है। सरदार पटेल ने घोषणा की है कि हिन्दुस्तान काश्मीर से एक कदम पीछे नहीं हटेगा।
१६. पण्डित नेहरू ने पेरिस में फ्रान्स के नेताओं से भेंट की। वम्बई में मिस्टर हार्निमैन की मृत्यु हो गई।
१७. पं० नेहरू ने रूस के राष्ट्रसंघ में प्रतिनिधि मिस्टर विशिनस्की से मुलाकात की।
१८. पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस के प्रान्तीय प्रधान डॉक्टर सुरेगचन्द्र वैनर्जी ने कहा है कि पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के लिए स्थिति

विगड़ती जा रही है, पाकिस्तान की सरकार हिन्दुओं की रक्षा करने में असफल हुई है ।

२१. ६७२ हिन्दू और सिक्ख कैदियों का पहला जत्था पाकिस्तान से हिन्दुस्तान पहुंचा ।
२२. लण्डन में हो रहा प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन समाप्त हो गया ।
माही (जहां फ्रांस का राज्य है) में चुनावों के पहले दंगे हुए । जनता ने माही में शासन पर अधिकार कर लिया है । पश्चिमी बंगाल के रसद-मन्त्री श्री प्रफुलचन्द्र सेन ने बताया है कि कलकत्ता की आबादी ४२ लाख हो गई है; इस तरह कलकत्ता आबादी के लिहाज से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है ।
२४. पण्डितचरी में हो रहे चुनावों के बारे में अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति के प्रतिनिधियों ने कहा है कि चुनावों में निष्पक्षता व सच्चाई नहीं बरती गई ।
२५. कांग्रेस के प्रधान पद के चुनाव में श्री पट्टाभी सीतारामय्या को विरोधी श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन के मुकाबले में ११४ अधिक वोट प्राप्त हुए ।
पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री लियाकत अली ने घोषणा की है कि काश्मीर के बारे में लण्डन में ५० नेहरू से दो बार जो बातचीत हुई थी वह असफल रही ।
२७. कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंज में आग लग जाने से एक करोड़ से अधिक की हानि हुई ।
२८. माही पर फ्रांसीसी अधिकारियों का फिर से कब्जा हो गया । माही की प्रजा आतंक से पड़ोसी हिन्दुस्तान के प्रदेशों को भाग रही है ।
३०. सरदार पटेल का जन्म दिवस मनाया गया ।

नई दिल्ली में केन्द्र व प्रान्तों के अर्थ मन्त्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ।

नवम्बर १९४८

२. सरदार पटेल ने बम्बई से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हुए एक सन्देश में कहा कि यह समय देश में संकटकालीन समय है। सबसे बड़ी जरूरत मिल मालिकों व मजदूरों में दोस्ती बनाए रखने की है ताकि उत्पादन बढ़ सके और कीमतें गिरें। डा० ज़ाकिर हुसैन ने श्रीनगर में जम्मू और काश्मीर की नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया।

३. प० नेहरू ने राष्ट्रसंघ की एक विशेष बैठक में भाषण दिया।

४. विधान परिषद के सम्मेलन में डाक्टर अम्बेदकर ने विचार के लिए विधान का मसविदा प्रस्तुत किया।

भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की मांग की नागपुर में भाषण करते हुए सरदार पटेल ने भर्त्सना की।

६. प० नेहरू विदेश यात्रा समाप्त करके वापिस हिन्दुस्तान पहुँच गए।

गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने गवर्नमेंट हाउस में हिन्दुस्तान की प्राचीनतम कलाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

७. भारत सरकार के वर्ल्ड, माइन्स और पावर के मंत्री नैडगिल ने महानदी पर रेलके पुल की नींव रख कर हीराकुट बांध की योजना का सूत्रपात किया।

८. नाथूराम विनायक गोडसे ने अदालत में यह मान लिया कि उसने २० जनवरी को महात्मा गांधी पर विस्फोटक गंधार किया था। गोडसे ने ६३ पृष्ठ का बयान दिया।

१५. हिन्दुस्तानी फौजों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया।

१६. २० सिक्खों का एक जगथा मनकाना म्याग्निव सुरदारों में (जो कि पाकिस्तानमें है) गुरु नानक का जन्म दिवस मनानेके लिए गया।

हिन्दुस्तान में बना हुआ दूसरा समुद्री जहाज "जलप्रभा" सरदार पटेल द्वारा जलमग्न किया गया।

२१. पाकिस्तान ने राष्ट्रसंघ से मांग की है कि वह काश्मीर के मामले का हल जल्दी ही हूँड ले अन्यथा पाकिस्तान को इस युद्ध में हवाई वेड़े सहित अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

२२. बम्बई में भयंकर तूफान आया है जिससे करोड़ों रुपए की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा।

हिन्दुस्तान की फौजों ने पुंछ की फौजी टुकड़ी से भूमि द्वारा १ वर्ष बाद फिर से सम्बन्ध जोड़ लिया है।

केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी से स्तीफा दे दिया है।

विधान परिषद ने विधान में भावी सरकार के मूल-नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में एक धारा यह भी जोड़ दी है कि देश में पंचायत ही स्वराज्य की इकाई हो।

२४. हिन्दुस्तानी फौजों ने करगिल पर कब्जा कर लिया।

२५. हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रसंघ की हैदराबाद के बारे में होने वाली बहस में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया।

मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल ने जमींदारी खत्म करने के बिल को पास कर दिया है।

२७. विधान परिषद की कांग्रेस पार्टी ने पं० नेहरू के इस सुझाव का समर्थन किया कि भारत जनतंत्र बन कर भी ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य बना रहे।

